FOR REFERENCE ONLY

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
1991—92

भाग—1

सत्यमेव जयते

NIEPA DC
D06818

शिक्षा विभाग
भारत सरकार
1992

370.95406
B-R-93

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-6818
Date 23/9/92

विषयवस्तु

पृष्ठ संख्या

1. भूमिका 1—3

2. सिंहावलोकन 4—6
निधियों का आबंटन और उनका उपयोग
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा
कार्यक्रम कार्यान्वयन
प्रारम्भिक शिक्षा
प्रौढ़ साक्षरता
माध्यमिक शिक्षा
शिक्षक-शिक्षा
तकनीकी शिक्षा
विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
भाषा-विकास
सीमावर्ती क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग
अनुसूचित जातियों, अनुसूचति जनजातियों और
महिलाओं की शिक्षा
शिक्षा के लिए संसाधन

3. प्रशासन 7—9
संगठनात्मक संरचना / (ढांचा)
अधीनस्थ कार्यालय / स्वायत्त संगठन
कार्य
सतर्कता कार्यकलाप
सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग
प्रकाशन
विदेशों में प्रतिनियुक्त / शिष्टमण्डल
बजट प्राक्कलन
व्यावसायिक विकास और कर्मचारियों का प्रशिक्षण
विज्ञान प्रदर्शनी

4. प्रारम्भिक शिक्षा 10—16
प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण
ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड
गैर-औपचारिक शिक्षा
शिक्षा की संगणीकृत आयोजना
महिला सामख्या
बिहार शिक्षा परियोजना
शिक्षा कर्मी परियोजना
लोक जुम्बिसः सभी के लिए शिक्षा
सम्बन्धी जन-आन्दोलनः राजस्थान
शिक्षक शिक्षा
अध्ययन की सूक्ष्म आयोजना
बाल भवन सोसाइटी

पृष्ठ संख्या

5. माध्यमिक शिक्षा 17—35
माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण
शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम
स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार
अन्तर्राष्ट्रीय गणितीय ओलम्पियाड-स्कूल शिक्षा
स्कूल शिक्षा में पर्यावरण बोध
स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा
राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना
विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा
युद्धों के दौरान सशस्त्र बलों के मारे गए या विकलांग अधिकारी और जवानों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें
योग को प्रोत्साहन
संस्कृति/कला/शिक्षा के मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए एजेन्सियों को सहायता तथा नवाचार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली शैक्षिक संस्थाओं को सहायता
राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्कूल पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा
शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार
स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
राष्ट्रीय खुला विद्यालय
राष्ट्रीय शिक्षक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद
राष्ट्रीय शैक्षिक कल्याण प्रतिष्ठान
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
नवोदय विद्यालय
केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

6. उच्चतर शिक्षा और अनुसन्धान 36—50
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
नए विश्वविद्यालयों की स्थापना
विशेषज्ञता वाले अनुसन्धान संगठन

7. तकनीकी शिक्षा 51—62
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान
राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान
योजना एवं वास्तुकला विद्यालय
तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग
क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और शोध कार्य का विकास
गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

पृष्ठ संख्या

तकनीकी शिक्षा की सहायता हेतु
विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना
संस्थागत नेटवर्क योजना
तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र
आधुनिकीकरण और अप्रचलनों का निराकरण
राष्ट्रीय तकनीकी मानव शक्ति सूचना प्रणाली
गैर-विश्वविद्यालय केन्द्रों में प्रबन्ध शिक्षा का विकास
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
सामुदायिक पालिटेक्निक
प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम
एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक
शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड
आंशिक वित्तीय सहायता
गैर-निगमित तथा असंठित क्षेत्रों के
नए संस्थाओं की स्थापना
और विद्यमान संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण
उद्योग संस्थान अन्तक्रिया
सतत शिक्षा
तकनीकी शिक्षा संस्था में अनुसन्धान और विकास
भारतीय शैक्षिक परामर्शदाता लिमिटेड, नई दिल्ली
आयात उपकरण के लिए पास-बुक
लोंगोवाल इंजीनियरी और
प्रौद्योगिकी संस्थान
वि० अनु० आ० के माध्यम से तकनीकी
संस्थाओं को सहायता प्रदान करना
उच्च तकनीकीशियन पाठ्यक्रम
सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
तकनीकी शिक्ष के लिए कोलम्बो योजना, मनीला
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी
संस्थान

8. प्रौढ़ शिक्षा 63—74
1991 की जनगणना की प्रभावशाली विशेषताएं
समग्र साक्षरता अभियान
वर्दवान पूर्ण साक्षरता अभियान
पाण्डिचेरी समग्र साक्षरता अभियान
सिंधदुर्ग में सम्पूर्ण साक्षरता
दक्षिण कन्नड़ में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र
केन्द्र आधारित कार्यक्रम का पुनर्गठन
स्वैच्छिक ऐजन्सियां
छात्र सहभागिता
उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा
टी० एल० सी० क्षेत्रों में उत्तर साक्षरता अभियान
श्रमिक विद्यापीठ
प्रौद्योगिकी प्रदर्शन

पृष्ठ संख्या

शैक्षिक एवं तकनीकी संसाधन सहयोग
प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस
राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान
मूल्यांकन

9. संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा 75—80
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
चण्डीगढ़
दादरा और नागर हवेली
दमन और दीव
दिल्ली
लक्षद्वीप
पाण्डिचेरी

10. छात्रवृत्तियां 81—82
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना
अनु० जा० / अनु० ज० जा० के छात्रों की योग्यता के प्रोन्नयन की योजना
अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में
भारत सकार की छात्रवृत्ति योजना
हिन्दी में उत्तर-मैट्रिक अध्ययनों के लिए
अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां
संस्कृत अर्थात् अरबी और फारसी आदि
के अतिरिक्त श्रेण्य भाषाओं के अध्ययन में लगी हुई
परम्परागत संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों को अनुसंधान
छात्रवृत्तियां
ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली बच्चों के लिए
माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय भात्रवृत्ति योजना
भारत तथा विदेशों में विभिन्न विषयों में
स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए जवाहरलाल नेहरू
शिक्षावृत्ति की योजना
सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के तहत विदेशी
सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली
छात्रवृत्तियां / शिक्षावृत्तियां
यू० के०, कनाडा आदि की सरकारों द्वारा प्रदत्त
राष्ट्रमण्डलीय छात्रवृत्ति / शिक्षावृत्ति योजनाएं
नेहरू शताब्दी (ब्रिटिश) शिक्षावृत्तियां / पुरस्कार
ब्रिटिश तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम
जवाहरलाल नेहरू स्मारक (यू० के०) छात्रवृत्तियां
ब्रिटिश विजिटरशिप कार्यक्रम परिषद

11. पुस्तक प्रौन्नति तथा कापीराइट 83—86
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास
पुस्तक संवर्धन कार्यकलाप तथा स्वैच्छिक
संगठनों को वित्तीय सहायता

पृष्ठ संख्या

विश्वविद्यालयत स्तर की विदेशी मूल की
सस्ती पुस्तकों का प्रकाशन
भारत-रूस साहित्यिक परियोजना
राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद
पुस्तकों और प्रकाशनों के लिए
नई आयात-नीति
पुस्तक निर्यात और संवर्धन कार्यकलाप
अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन
के लिए राजा राममोहन राय
राष्ट्रीय एजेंसी
कापीराइट
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार
प्रतिलिप्याधिकार के क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाएं
प्रतिलिप्याधिकार प्रवर्तन सलाहकार परिषद

12. भाषाओं की प्रोन्नति 87—91
हिन्दी की प्रोन्नति और विकास
आधुनिक भारतीय भाषाओं (एम॰आई॰एल॰) का
संवर्धन एवं विकास
अंग्रेजी भाषा शिक्षण में सुधार
संस्कृत तथा अन्य श्रेण्य भाषाओं की प्रोन्नति

13. सीमावर्ती क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम 92—93

14. बीस सूत्रीय कार्यक्रम और वंचित वर्ग के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना 94—95
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा
अल्पसंख्यकों की शिक्षा
महिलाओं की शिक्षा

15. प्रबंध अनुवीक्षण और मूल्यांकन 96—99
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी॰ए॰बी॰ई॰)
राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए
अध्ययन, संगोष्ठियों, मूल्यांकन आदि के लिए सहायता-योजना
विभाग के लिए कम्पयूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली
(सी॰एम॰आई॰एस॰) का विकास
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) और
वार्षिक-योजना (1992-93) को तैयार करना
शैक्षिक सांख्यिकी

16. यूनेस्को और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 100—105
विकास के लिए एशिया प्रशास्त शैक्षिक नवीकरण कार्यक्रम (एपीड)
सबके लिए प्रशास्त शिक्षा कार्यक्रम (अपील)
यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय
राष्ट्रीय आयोग का इक्कीसवां सत्र
यूनेस्को, पेरिक के आम सम्मेलन का 26वॉं सत्र
अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यौरा परिषद का 34वॉं सत्र

पृष्ठ संख्या

महिलाओं व लड़कियों के लिए कुशलता-आधारित

साक्षरता प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए उपक्षेत्रीय कार्यशाला

एशिया व प्रशान्त महासागर में यूनेस्को सांस्कृति

क्रियाकलापों में क्षेत्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की दसवीं बैठक

थाईलैंड, शियांग माय में एशिया व प्रशान्त महासागर में शिक्षा में क्षेत्रीय सहयोग पर सलाहकार समिति का छठा सत्र

शिक्षा व उत्पादक कार्य के बीच मूल्यांकन, पनरीक्षण

व उन्नत पारस्परिक क्रिया क्षेत्रीय कार्यशाला

दक्षिण एशियाई देशों में जन-शिक्षा-तकनीकी

आदान-प्रदान कार्यक्रम

दक्षिण एशियाई देशों के लिए प्रारम्भिक शिक्षक

प्रशिक्षकों के लिए पर्यावरण-शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यशाला

दक्षिण एशियाई उपलक्षेत्र के लिए जनसंख्या-शिक्षा में

एक-ग्रुप-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम

बम्बई में 25-29 नवम्बर, 1991 को लड़कियों के लिए

प्राथमिक शिक्षा के संवर्धन के लिए महिला-शिक्षकों की

भूमिका पर उप-क्षेत्रीय कार्यशाला

सबके लिए शिक्षा के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय

परामर्शदात्री फोरम की प्रथम बैठक

मानव संसाधन विकास में महिलाओं से संबंधित विषयों को शामिल करने के तरीकों पर एशिया में क्षेत्रीय सेमिनार

यूनेस्को द्वारा प्रायोजित अन्य सम्मेलनों / बैठकों / कार्यशालाओं / कार्यदलों में भारत की सहभागिता

यूनेस्को बजट के लिए योगदान

यूनेस्को अपील बोर्ड

विश्वभर में बासकेटवर्क परंपरा और आधुनिकता पर प्रदर्शनी में भाग लेना

यूनेस्को का कार्यकारी-बोर्ड

विश्व विरासत समिति

शिक्षा पर एस॰ ए॰ ए॰ आर॰ सी॰ तकनीकी समिति

विदेशी शैक्षिक संबंध

विदेशों से आगन्तुक

यूनेस्को का सहभागिता कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय सहकति के लिए शिक्षा:

यूनेस्को क्लब और सम्बद्ध स्कूल

एशिया प्रशान्त में 16वीं फोटो प्रतियोगिता

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार

विज्ञान को लोकप्रियता के लिए 1991 का कलिंग पुरस्कार

यूनेस्को कूपन कार्यक्रम

यूनेस्को कूरियर के भारतीय भाषा संस्करणों का प्रकाशन

स्वैच्छिक निकायों / यूनेस्को क्लबों तथा सम्बद्ध स्कूलों के लिए वित्तीय सहायता

आरोविले

अनुबन्ध 106—147

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

केन्द्रीय प्रायोजित और रा॰शि॰नी॰ योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता संबंधी परिशिष्ट 148—156

शैक्षिक सांख्यिकी के आंकड़े 157—182

चार्ट 183—201

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता 202—207

प्रशासनिक चार्ट

1. भूमिका

1. भूमिका

1.1.0 मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा, युवक, महिला और बच्चों, कला, संस्कृति और खेल-कूद के क्षेत्र में मानव क्षमता का विकास करने के लिए सभी प्रयासों को एकीकृत करने के लिए 1985 में बनाया गया था। इस रिपोर्ट में चार विभागों, जो मंत्रालय के घटक हैं, के कार्यकलाप दिये गये हैं। ये रिपोर्ट निम्नचार भागों में प्रस्तुत की गई हैं:—

भाग-1	शिक्षा
भाग-2	संस्कृति
भाग-3	युवा कार्य और खेल-कूद
भाग-4	महिला और बाल विकास

शिक्षा विभाग

1.2.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा०शि०नी०) संसद में 1986 में स्वीकृत की गई भी और इसके तुरन्त बाद इसका कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और केब (केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड) के अंतर्गत नीति संबंधी समिति श्री एन० जर्नादन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री, की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी। समिति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी उन सभी घटनाओं को जिनका इस नीति पर प्रभाव पड़ा हो, तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखना था। इस समिति ने 22 जनवरी, 1992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट पर केब द्वारा विचार किया जाना है। केब की सिफारिशें प्राप्त होने पर सरकार इस नीति को संशोधित किये जाने के संबंध में अपने दृष्टिकोण को अंतिम रूप देगी।

1.2.2 प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण, शैक्षिक अवसरों की समानता महिला शिक्षा और विकास, स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण, उच्च शिक्षा के समेकन, तकनीकी शिक्षा के आधुनिकीकरण, सभी स्तरों पर शिक्षा की प्रक्रिया और कोटि सुधार-राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रयासों के मुख्य अंश बने रहे।

1.2.3 प्रारंभिक शिक्षा में पहले दाखिले पर बल दिया जाता था किन्तु अब स्कूल में बनाए रखने और उपलब्धि पर स्वतः बल दिया जाने लगा-यह एक ऐसा बदलाव था जिससे निवेश की प्रभावोत्पादकता में सुधार लाने और साथ ही कार्यक्रमों का मूल्यांकन करते समय उनके लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या तथा कार्यक्रमों पर किए खर्चे को ही आधार मानने की बजाय उनके परिणामों को ध्यान में रखने के प्रति एक नया सोच परिलक्षित होता है। साथ ही पहले मात्र स्कूली शिक्षा पर महत्व दिया जाता था जिसे अब एक व्यापक दृष्टिकोण में परिणत कर दिया गया है जिसमें ऐसे कामकाजी बच्चों और बालिकाओं को जिनके लिए स्कूल सुलभ नहीं होते, समतुल्य स्तर की वैकल्पिक शिक्षा पद्धति मुहैय्या कराने पर बल दिया गया। सहभागी सूक्ष्म आयोजना और स्थानीय स्तर क्षमता निर्माण की अवधारणाओं को व्यापक समर्थन दिया गया और प्रयोगात्मक परियोजनाओं के माध्यम से उनकी जांच परख की गई। शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति की कार्यनीति के लिए ये महत्वपूर्ण तत्व होंगे।

1.2.4 प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्र में पूर्ण साक्षरता अभियानों (पू०सा०अभि) में प्रारंभिक शिक्षा के और अधिक सर्वसुलभीकरण के लिए सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। केरल राज्य का अनुसरण करते हुए संघशासित क्षेत्र पांडिचेरी, पश्चिम बंगाल का वर्धवान जिला, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड जिलों ने अभियान के माध्यम से पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है। ये अभियान देश के सौ से भी अधिक जिलों में या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से चल रहे हैं। इसके परिणाम 1991 की जनगणना के अनन्तिम आंकड़ों में झलकते है जिनसे यह पता चलता है कि साक्षरता की दर पहली बार 50 प्रतिशत से अधिक हो पाई है। यह एक गौरव की बात है और साक्षरता के मोर्चे पर प्राप्त सफलता का परिचायक है कि लगातार दूसरे वर्ष भारत में गौरवशाली नोमा साक्षरता पुरस्कार प्राप्त किया है, इस बार यह पश्चिम बंगाल सरकार को मिल रहा है।

1.2.5 शिक्षा की विषय वस्तु में, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, महिलाओं को और अधिक अवसर प्रदान किए जाने जैसे बुनियादी मूल्यों के प्रोत्साहन और विकास पर तथा पर्यावरणीय और जनसंख्या शिक्षा आदि पर बल दिया जाता रहा।

1.2.6 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अक्तूबर-नवम्बर, 1991 के दौरान पेरिस में आयोजित यूनेस्को के 26वें महा-सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन ने यूनेस्कों के अधिकार क्षेत्रों में 1992-93 के दो वर्षों के लिए कार्यक्रम और बजट अनुमोदित किए। इक्कीसवीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी के लिए शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदात्री तंत्र की दिसम्बर, 1991 में बैठक हुई जिसमें सन् 2000 ई० तक "सभी के लिए शिक्षा" प्राप्त करने के लिए जामियना सम्मेलन में स्वीकृत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकासात्मक एजेंसियों और यूनेस्कों के सदस्य देशों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की गई।

1.2.7 शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विचार की गई कार्यनीतियों में निम्नलिखित की आवश्यकता स्वीकार की गई:—

(I) कार्यक्रम/योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों/संघशासित क्षेत्रों का सहयोग और भागीदारी।

(II) स्वैच्छिक प्रयासों/एजेंसियों का सहयोग जुटाना।

(III) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और भागीदारी।

संस्कृति विभाग

1.3.1 वर्ष 1991-92 में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कला तथा संस्कृति के प्रोत्साहन, विकास और प्रसार पर निरन्तर बल दिया जाता रहा। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में सांस्कृतिक जागरूकता लाने के लिए क्षेत्रीय सीमाओं का अतिक्रमण किया। इन केन्द्रों में कतिपय मृत कला रूपों के प्रलेखन और परिरक्षण पर बल देते हुए लोक, जनजातीय तथा ग्रामीण कला की ओर ध्यान दिया और साथ ही राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के लिए अन्तः क्षेत्रीय सांस्कृतिक समारोह भी

आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान हंगरी, पेरू, कोरिया जनवादी जन गणराज्य, मंगोलिया, ओमान, कोलम्बिया, जार्डन, श्रीलंका और जिम्बाबे के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर/नवीकरण करने के अलावा जर्मनी में प्रदर्शनियों, सेमिनारों, निष्पादन कलाओं और एक फिल्म समारोह सहित सितम्बर, 91 में भारत उत्सव आयोजित किए गए। इस महोत्सव ने जर्मनी के लोगों के लिए हमारी संस्कृति की खिडकियां खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

1.3.2 हमारी सांस्कृतिक विरासत अर्थात् हमारे ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्व के संरक्षण और रख-रखाव के लिए उत्तदायी विभागीय संस्थाओं ने वर्ष के दौरान अपने कार्यकलाप जारी रखे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष के दौरान केंद्रीय रूप से सुरक्षित स्मारकों के वार्षिक रख-रखाव के अतिरिक्त प्रमुख संरचनात्मक संरक्षण के लिए 490 स्मारकों का काम अपने हाथ में लिया। देश के भिन्न-भिन्न भागों में गांव-गांव के सर्वेक्षण के दौरान खुदाई के क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कुछ नए स्थानों की खुदाई की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा और तमिलनाडु में अनेक स्थानों की खुदाई का काम किया। जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) में कोल्हवा में किए गए खुदाई कार्य में अनेक भक्तिपूर्ण स्तूपों का पता चला जो कि मठ-परिसर तथा ईंट से बने मंदिर के अंग थे।

1.3.3 जहां साहित्य अकादमी साहित्य की प्रोन्नति, विद्वानों को मान्यता प्रदान करने, साहित्य तथा साहित्यिक आलोचना के स्तरों में सुधार लाने के अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करती रही वहां संगीत नाटक अकादमी ने संगीत, नृत्य, नाटक तथा जनजातीय/लोक संगीत के स्वरूपों, नृत्य और नाटक के पुनरोत्थान, संरक्षण, प्रलेखन और उसके प्रसारण सम्बन्धी अपने क्रियाकलाप जारी रखे। ललित कला अकादमी ने भी प्लास्टिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्यक्रमों और परियोजनाओं का आरंभ किया।

युवा कार्य एवं खेल विभाग:

1.4.1 वर्ष 1991-92 को, वर्ष 1985-89 के दौरान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए युवा कार्यक्रमों को पुनर्गठित करने के वर्ष की संज्ञा दी जा सकती है। युवा कार्यक्रमों पर पर्याप्त बल दिया गया था ताकि युवाओं को अपनी शक्ति राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यकलापों में लगाने के लिए नए अवसर प्रदान किए जा सकें। खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने और प्रतिभाओं का पता लगाने पर विशेष बल दिया गया ताकि निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करने और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर उपलब्धियां प्राप्त करने के उद्देश्य से इन प्रतिभाओं को विकसित और प्रोत्साहित किया जा सके।

1.4.2 युवा कार्य एवं खेल मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें, अन्य के साथ-साथ सभी राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों के युवा एवं खेल प्रभारियों ने भी भाग लिया। सम्मेलन में, कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं कवरेज में सुधार लाने के तौर तरीके सुझाए गए। युवा कार्य एवं खेल के क्षेत्र में वर्ष के दौरान, अन्य मुख्य कार्यकलाप नीचे दिए गए हैं:

(I) अपनाए गए गांवों में विश्वविद्यालयों के छात्रों के कार्यक्रम, राष्ट्रीयसेवा योजना के माध्यम से सामुदायिक विकास के लिए प्रयत्न जारी रहे। विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में भाग लेना जारी रखा। उन्होंने, एच॰आई॰वी॰ विषाणु और एड्स के संबंध में जागृति उत्पन्न करने के लिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से एक परियोजना भी शुरू की।

(II) नेहरू युवा केन्द्रों के शासी निकाय का पुनर्गठन किया गया और कार्यक्रमों के लिए निधियां प्रदान करने की पुनः शुरूआत की गई। बोर्ड ने देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए अपने कार्यकलापों का विस्तार करने और बड़े जिलों तथा जनजातियों के बाहुल्य वाले जिलों में अतिरिक्त केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया।

(III) राष्ट्रीय एकता शिविर, विश्वविद्यालय छात्र-समारोह, साहसिक कार्यक्रम एवं युवाओं के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जनजातीय युवाओं को सतत सहयोग देने और उनके लिए विशेष कार्यक्रमों को वित्त-पोषित करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

(IV) बच्चों/युवाओं के व्यक्तित्व को विकसित करने के उद्देश्य से स्काउट्स व गाइड्स आंदोलन ने अपने कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों में वृद्धि करना जारी रखा।

(V) इस विभाग ने राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम को सहयोग देना और संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवी कार्यक्रमों तथा विशेष रूप से एशिया क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र सहभागिता विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के अपने प्रयास जारी रखे। इससे युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय समझ बूझ तथा भाईचारे की भावना उत्पन्न हुई।

(VI) खेल के क्षेत्र में, योजनाओं को अद्यतन बनाने तथा जहां कहीं आवश्यक हो उनको और अधिक सुकर बनाने के लिए योजनाओं की समीक्षा करने का एक अभियान शुरू किया गया। इसके साथ ही खेलों में स्वैच्छिक निकायों, तथा खेलों में रुचि लेने वाले सरकारी और निजी उपक्रमों तथा खेलों की समझ रखने वाले व्यक्तियों के बीच विचारों का और अधिक आदान प्रदान किया गया। इसके परिणामस्वरूप, कई नए विचार उभर कर आए जो कि विद्यमान योजनाओं तथा नई योजनाओं की अवधारणा में उपयुक्त रूप से शामिल करने के लिए विकसित किए गए हैं।

(VII) चूंकि खेलों का विकास केवल सरकारी स्रोतों से प्राप्त आर्थिक सहायता के आधार पर नहीं हो सकता इसलिए विभिन्न खेलों के लिए राष्ट्रीय अकादमियां शुरू करने के उद्देश्य से निजी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की विशेषज्ञता और सहयोग जुटाया गया है।

(VIII) प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने तथा विदेशों में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय खेल संघ को (31.12.1991 तक) लगभग 238.00 लाख रुपए की सहायता मंजूर की गई हैं। वर्ष के दौरान खेलों की कुछ खास खास उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:—

— अक्तूबर के दौरान कोलम्बो में आयोजित पांचवें दक्षिण एशियाई संघ खेलों में भारत ने 64 स्वर्ण, 59 रजत तथा 41 कांस्य पदक जीते।

— अक्तूबर के दौरान न्यूजीलैंड में आयोजित चौथी राष्ट्रमंडल कुश्ती चैम्पियनशिप में भारतीय दल ने 3 स्वर्ण, 1 रजत तथा 5 कांस्य पदक जीते तथा 8 देशों में दूसरे स्थान पर रहा।

— जून, 1991 के दौरान, अमेरिका में आयोजित जूनियर अमरीकी ओपन टैनिस चैम्पियनशिप भारत के मि॰ लैंडर पैस ने जीती।

— इन्डोनेशिया में अगस्त के दौरान आयोजित चौथी महिला तथा पांचवें पुरुष जूनियर एशियाई भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में भारत ने 8 रजत तथा कांस्य पदक जीते।

— जनवरी, 1992 में नई दिल्ली में आयोजित छठी इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट में भारत विजयी रहा।

— जनवरी, 1992 में इटली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में श्री विश्वनाथ आनन्द ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की।

— जून, 1991 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला पावरलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में भारत की टीम तीसरे स्थान पर रही।

— विश्व महिला भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में भारत ने रजत पदक जीता।

महिला एवं बाल विकास विभाग

1.5.1 महिला तथा बाल विकास विभाग ने, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्रों में अपने कार्यक्रमों को जारी रखा। इस प्रयोजन के लिए अपनाई गई कार्यनीति में महिलाओं में शिक्षा एवं जागृति पैदा करके उनके अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। इस नीति में व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार पर जोर दिया गया है ताकि महिलाएं पुरुषों के समान आर्थिक विकास की मुख्य धारा का अंग बन सकें। प्राथमिकता का एक अन्य क्षेत्र है जिसमें बालिका शिशु की ओर विशेष ध्यान देते हुए स्त्री/पुरुष के बीच भेद भाव बरते जाने की विभिन्न पद्धतियों पर नए सिरे से प्रहार किया गया है। महिलाओं को प्रदत्त संवैधानिक और कानूनी सुरक्षोपायों से सम्बद्ध सभी मामलों की जांच पड़ताल करने तथा मौजूदा विधानों की समीक्षा करने के लिए, महिला एवं बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अधीन राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गयी। महिलाओं के अधिकारों के लिए आयुक्त का कार्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। महिलाओं के मामलों के लिए प्रवर्तन एवं प्रशासनिक तंत्र को संवेदनशील बनाना भी एक ऐसी महत्वपूर्ण पहल है, जिसे गति मिल गई है। सार्क सम्मेलन के बालिका दशक के लिए एक व्यापक कार्रवाई योजना को भी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

1.5.2 बाल विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में भी विभाग ने समेकित बाल विकास योजना (आई सी डी एस) नामक विश्व का सर्वाधिक विशाल पोष्टिक आहार कार्यक्रम विकसित किया है। इस कार्यक्रम में देश भर की 2594 परियोजनाओं (जिसमें राजकीय क्षेत्र की परियोजनाएं भी शामिल हैं) के अधीन 138 लाख बच्चों और 27 लाख गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को शामिल किया गया है। आलोच्य वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं की कोटि में सुधार लाने तथा साथ ही देश भर में महिलाओं एवं बच्चों की सेवाओं को मिला कर कार्यक्रम के वास्तविक घटकों की उपादेयता में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार और व्यावसायिक जरूरतों को जुटाने तथा भावी सामाजिक प्रहरियों के रूप में उनकी अन्तःशक्ति को उभारने के लिए उनकी ओर ध्यान देना, इस नीति का एक अनिवार्य अंग है। बाल विश्व सम्मेलन और उत्तर जीवन सुरक्षा और बाल विकास पर विश्व घोषणा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, बच्चों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1.5.3 यह विभाग अब इन्दिरा महिला योजना का ब्यौरा तैयार कर रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान कार्यक्रम रूपरेखा की आमूलचूल पुर्नसंरचना तथा महिलाओं एवं बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं की व्यापक प्रणाली का सृजन तथा महिलाओं को आर्थिक अधिकार प्रदान करना है। इस योजना में ग्रामीण स्तर पर लाभग्राही वर्ग के सृजन की परिकल्पना की गई है जो सुविधाएं प्रदान करने की समेकित प्रणाली पर निगाह रखेगा तथा महिलाओं एवं बच्चों की चिन्ताओं को अभिव्यक्त करेगा।

2. सिंहावलोकन

2. सिंहावलोकन

निधियों का आबंटन और उनका उपयोग

2.1.1 वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रों में शिक्षा के लिए 1805.32 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया था। इसमें से 774.02 करोड़ रू० गैर-योजनागत और 1031.30 करोड़ रू० योजनागत था जिसमें सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शामिल था।

2.1.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत चल रहे सभी कार्यक्रमों को राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के निकट सहयोग से परियोजनानुकूल आधार पर लागू किया जाता रहा। फिर भी, जहां तक वित्तीय संसाधनों का सवाल था विभाग ने कठिन सामाजिक क्षेत्र के वास्तविक लक्ष्यों को बनाये रखने के पुराने प्रचलन को बदलने के योजना आयोग के उद्देश्य को ध्यान में रखा और वित्तीय अभाव के आधार पर वित्तीय लागतों को कम कर दिया इसमें प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता और व्यावसायिकरण को सर्वसुलभ बनाने के लिए उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जरूरत के आधार पर वित्त उपलब्ध किया जाना निर्धारित किया गया। उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संसाधनों पर भी निर्भरता कायम रखी गयी। लागत उपयोगिता और कार्यक्रम प्रदान करने की पद्धति में सुधार लाने के लिए व्यवस्थित मानीटरिंग और मूल्यांकन पर भी बल दिया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा

2.2.0 वर्ष 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा की गई। 26 दिसम्बर, 1990 को समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। 8-9 मार्च, 1991 को हुई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की बैठक में रिपोर्ट पर विचार किया गया। रिपोर्ट की गहराई से जांच करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री एन जनार्दन रेड्डी की, अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त किया। समिति ने 22 जनवरी, 1992 को अपनी रिपोर्ट दे दी। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा शीघ्र ही इस रिपोर्ट पर विचार किए जाने की उम्मीद है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन

2.3.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के लिए तैयार की गई प्राथमिकताओं और किए गए प्रयास नीचे दिए गए हैं:-

प्रारंभिक शिक्षा

2.3.2 प्रारंभिक शिक्षा, जो शिक्षा विकास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है के विषय में केवल दाखिला पर ही ज़ोर नहीं दिया गया बल्कि सहभागिता और उपलब्धि पर जोर देना स्वीकार किया गया है। शिक्षा के न्यूनतम स्तरों को एक नया परिपेक्ष्य देश भर में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए लाया गया। आप्रेशन ब्लैक बोर्ड, औपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और शिक्षा के न्यूनतम स्तरों के प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार थे:-

स्कूल आधार भूत सुविधाओं ब्लाकों की शामिल करना।	5275
शामिल किए गए स्कूलों की संख्या।	40.04 लाख
स्वीकृत अतिरिक्त शिक्षक पदों की संख्या	1.5 लाख
अनौपचारिक केन्द्रों की संख्या	2.72 लाख
स्वीकृत शिक्षक शिक्षा की संख्या (जिला तथा प्रशिक्षण संस्थाएं, शिक्षक शिक्षा कालेज एवं उच्च शिक्षा अध्ययन की संस्थाएं)	324
शुरू की गई एम०एल०एल० परियोजनाओं की संख्या	18
अनौपचारिक शिक्षा सहित प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्वीकृत प्रायोगिक और नवीन प्रयोगशालाओं की संख्या	49

2.3.3 प्रौढ़ साक्षरता

(i) वर्ष 1991 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों ने देश में साक्षरता के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है और पहली बार साक्षरता दर 50% से अधिक हो गयी जिसका अर्थ यह हुआ कि देश में अब निरक्षरों से अधिक साक्षरों की संख्या है।

(ii) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने भी केरल राज्य के एरनाकुलम जिले की सफलता का अनुकरण करते हुए पूर्ण साक्षरता अभियानों की प्रक्रिया के माध्यम से न केवल देश के 97 जिलों में पूर्ण या आंशिक रूप से अभियान चलाने में बल्कि बर्दवान (पश्चिम बंगाल), गुजरात के गांधीनगर में, केन्द्रशासित प्रदेश पांडीचेरी में, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र) और दक्षिण कन्नड़ (कर्णाटक) में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने में काफी प्रगति की है।

(iii) ऐसे जिले जहां पूर्ण साक्षरता अभियान नव-साक्षरों के साक्षरता कौशल को सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, उत्तर साक्षरता अभियान भी शुरू किये गये हैं ताकि वे स्वतंत्र रूप में खुद शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हो सकें।

(iv) प्रौढ़ शिक्षा के सभी कार्यक्रमों में आई०पी०सी०एल० सामग्रियों के प्रयोग को अनिवार्य बनाकर प्रौढ़ शिक्षुओं के अध्यापन को स्तर प्रदान करने का प्रयास जारी रखा गया। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा समिति द्वारा प्रयोग से पहले सभी सामग्रियों की सख्ती से जांच की गई थी।

(v) केन्द्र आधारित कार्यक्रम में संशोधन किया गया और इसे प्रभावी तथा परिणामोन्मुख बनाने के लिए पुनर्गठित किया गया। संशोधित स्कीम में स्वैच्छिक संगठनों को और अधिक लचीला बनाया गया तथा नियमों को सरल बनाया गया ताकि उन्हें विशेष क्षेत्रों जैसे गांव, ग्राम समूह या किसी प्रखंड में निरक्षरता उन्मूलन के लिए बनाई गई परियोजनायें

प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

2.3.4 माध्यमिक शिक्षा

(i) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की स्कीम के अंतर्गत छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण पर बल दिया गया और लाभग्राहियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का काम प्रगति पर है ताकि तत्काल रोजगार और स्व-रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए रा०शै०अ०प्र०प० द्वारा शिक्षा के व्यावसायीकरण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई।

(ii) राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अंतर्गत, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने और जनसंख्या वृद्धि तथा पर्यावरण पर वीडियो कार्यक्रम का निर्माण करने पर बल दिया गया।

(iii) शैक्षिक सामग्री और प्रक्रिया में सांस्कृतिक/कलात्मक निवेश को सुदृढ़ करे, स्कूल प्रणाली में मूल्य शिक्षा और स्कूल स्तर पर अभिनव कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता दी गई।

(iv) विशेष रूप से विज्ञान और गणित शिक्षण तथा अंग्रेजी भाषा में सुधार करके, शैक्षिक कार्यक्रमों को पर्यावरणीय स्वरूप देकर और शैक्षिक सुधारों को सुव्यवस्थित रूप से प्रारम्भ करके शिक्षण सामग्री और प्रक्रिया में सभी प्रकार के सुधार पर बल दिया गया।

(v) परीक्षा संबंधी सुधार

2.3.5 शिक्षक शिक्षा

(i) विद्यमान जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) में सुधार और इस स्कीम के अंतर्गत शामिल न किये गये प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।

(ii) स्कूल शिक्षकों का सामूहिक अनुस्थापन ताकि उन्हें रा० शि० नी० के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया जा सके।

(iii) राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद को सुदृढ़ बनाना।

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभागों की स्थापना और उन्हें सुदृढ़ बनाना।

2.3.6 तकनीकी शिक्षा

(i) आधुनिकीकरण और तकनीकी शिक्षा में अप्रचलनों को हटाने के कार्यक्रम के अंतर्गत 328 परियोजनाओं को 29.50 करोड़ रूपए की विततीय सहायता दी गई।

(ii) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और आठ और राज्यों को सम्मिलित करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से तकनीकी शिक्षा परियोजना का द्वितीय चरण अनुमोदित किया गया। इसके साथ ही इस परियोजना में अनुमानतः 1657 करोड़ रु० के परिव्यय से सोलह राज्य और संघ शासित क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। हालांकि परियोजना का प्रथम चरण कार्यान्वयनाधीन है, दूसरे चरण के मार्च 1992 तक परिचालित होने की आशा है।

(iii) ग्रामीण क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामुदायिक पालिटेक्निकों की संख्या 159 तक बढ़ गई है। ये संस्थाएं प्रति वर्ष औसतन लगभग 25,000 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करेंगी

(iv) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड ने 22,000 से अधिक छात्रों के प्रशिक्षण को सुसाध्य बनाया।

(v) वर्ष के दौरान अखिल-भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थाओं में प्रारंभ होने वाले 231 नए कार्यक्रमों और 42 नई संस्थाओं को अनुमोदित किया।

2.3.7 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

(i) स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से देश में उच्च शिक्षा पद्धति का लगातार विकास हुआ है। विश्वविद्यालयों को संख्या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पर 25 से सातवीं योजना के अंत तक 175 तक (28 समविश्वविद्यालयों सहित) और कालेजों की संख्या 700 से बढ़कर लगभग 7,000 हो गई। छात्रों का नामांकन स्वतंत्रता के समय पर 2 लाख से बढ़कर 1989-90 में 42 लाख हो गया। कुल 42 लाख नामांकन में से 37 लाख छात्र (88%) स्नातक कार्यक्रमों में नामांकित थे, 4 लाख (9.5%) स्नातकोत्तर में और 47,000 (1.1%) अनुसंधान में नामांकित थे। 55,000 (1.3%) छात्र डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र कार्यक्रमों में नामांकित थे। छात्राओं की संख्या लगभग 13 लाख (32%) थी। कुल नामांकन का लगभग 10% अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए था।

(ii) 1980 के दशक के दौरान छात्र नामांकन की वृद्धि में स्पष्ट परिवर्तन आया है। यद्यपि छात्र नामांकन में 1985-86 तक प्रत्येक वर्ष औसतन 5% से ऊपर की वृद्धि हुई। वर्ष 1986-87 से छात्रों की वार्षिक वृद्धि प्रत्येक वर्ष 4.1% और 4.2% के बीच रही है वह भी अनुमान है कि यदि वृद्धि की दर से छोटी रही तो कुल दाखिला 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग 7 लाख हो जायेगा।

(iii) छात्रों के संकायवार ब्यौरों से पता चलता है कि लगभग 40% छात्र कला और मानविकी विषयों में, वाणिज्य में 22%, विज्ञान में 20%, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में 5%, कानून में 5%, चिकित्सा में 3.4%, और कृषि में 1% दाखिले थे। यद्यपि प्रत्येक संकाय में दाखिल छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। फिर भी कुल दाखिले में प्रत्येक संकाय के लिए दाखिले की प्रतिशतता स्थिर रही है।

iv) पत्राचार पाठ्यक्रमों और मुख्य विश्वविद्यालयों में दाखिल छात्रों की संख्या 7वीं योजना के अंतर्गत 5 लाख थी। पिछले 2 व 3 वर्षों में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के लिए काफी उत्साह रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक लाख से अधिक छात्रों को दाखिला दिया है। 8वीं योजना अवधि के दौरान महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा में एक मिलियन छात्रों के अतिरिक्त दाखिले का लक्ष्य होगा।

v) देश में उच्च शिक्षा की प्रणाली की आवश्यकताओं और 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई योजनाओं को ध्यान में रखते

हुए 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्च शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे:

— विश्वविद्यालयों वा कालेजों में सुविधाओं का संकलन और शुद्धि करना।

— देश की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नया रूप प्रदान करना।

— स्वायत्त कालेजों, विश्वविद्यालयों विभागों की स्थापना और परीक्षा सुधारों को प्रोत्साहित करना।

— सामान्य सुविधाओं को तैयार करने के संबंध में अुसंधान सुविधाओं को मजबूत बनाना।

— प्रौढ शिक्षा तथा जन संख्या शिक्षा जैसे विस्तार कार्यकलाप में छात्रों को और अधिक भागीदार बनाना।

— शिक्षक प्रशिक्षण

— विश्वविद्यालय प्रणाली के प्रबंधन को आधुनिक बनाना तथा नया रूप देना।

— शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ही वित्तीय संसाधन तैयार करना।

— मुक्त विश्वविद्यालयों तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में एक मिलियन छात्रों का अतिरिक्त दाखिला।

2.3.8 **भाषा विकास**

(i) भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिंदी शिक्षकों के 1394 पदों (जनवरी, 1992 तक) के वेतन व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। पैंतीस हिंदी-शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों को सहायता दी गई थी। इन संस्थाओं ने लगभग 1,360 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया।

(ii) केंद्रीय हिन्दी निदेशालय ने क्षेत्रीय भाषाओं में 14,000 व्यक्तियों के हिन्दी शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों की पेशकश की।

(iii) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिन्दी भाषी क्षेत्रों से अपना शिक्षक-प्रशिक्षण का कार्यक्रम जारी रखा।

(iv) केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान (सी०आई०ई०एफ०एल०) ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थाओं के कार्यकलापों के समन्वय में प्रभावी भूमिका निभाई। सी०आई०ई०एफ०एल० ने जिला केन्द्रों के मध्यम से अंग्रेजी भाषा शिक्षकों के पूर्ण प्रशिक्षण की स्कीमों वा भी मॉनीटर किया।

2.3.9 **सीमावर्ती क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम (बी०ए०डी०ई०पी०)**

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए बी०ए०डी०ई०पी० उस क्षेत्र में शैक्षिक विकास में गतिरोध की सामान्य दशा को समाप्त करने और उनके सामाजार्थिक विकास के लिए केन्द्र सरकार से संबंधित उस क्षेत्र के राज्य को पुनः आश्वस्त करने पर विशेष बल देती है।

2.3.10 **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**

(i) यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए बना भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आई०एन०सी०) शिक्षा विभाग में अपने सचिवालय के साथ यूनेस्को के कार्य विशेषकर इसके कार्यक्रमों के निरूपण और उन्हें कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। आई०एन०सी० ने यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यक्रमों में प्रभावी बौद्धिक निवेशों को निरंतर प्रदान किया।

(ii) मानव संसाधन विकास मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने 15 अक्तूबर, से 7 नवम्बर, 1991 तक पेरिस में आयोजित यूनेस्को महासभा के 26वें सत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने अगस्त, 1991 में इस्लामाबाद में शिक्षा पर सार्क प्रौद्योगिकी समिति की तीसरी बैठक में सार्क सदस्य देशों के बीच गहरे सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

(iii) द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों और अन्य करारों के शिक्षा घटक के कार्यान्वयन की गहन मानीटरिंग द्वारा बाह्य शैक्षिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए उपाय किए गए।

(iv) निरक्षरता के विरुद्ध संघर्ष में उत्कृष्ट योगदान के लिए यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोमा साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया।

2.3.11 **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की शिक्षा**

(i) विषमताओं को हटाने और अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को शैक्षणिक अवसरों के समीकरण पर निरन्तर दबाव डाला गया।

(ii) शिक्षा में लड़कियों/महिलाओं की भागीदारी सुधारने के सभी प्रयास किए गए।

शिक्षा के लिए संसाधन

2.4.0 वर्ष 1989-90 के लिए चालू मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जी०ओ०पी०) 395,000 करोड़ रु० होने का अनुमान है। इसी वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्र और राज्यों में शिक्षा विभागों का 13619 करोड़ रुपये का बजट है। यह निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 फीसदी के क्रम में है।

3. प्रशासन

3. प्रशासनः

संगठनात्मक संरचना (ढांचा)

3.1.0 शिक्षा विभाग, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक घटक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पूरे प्रभार सहित राज्य मंत्री (मा०सं०वि) के प्रभार में हैं। विभाग के सचिवालय का नेतृत्त्व सचिव द्वारा किया जाता है जिसको अपर सचिव तथा शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) सहयोग देते हैं। यह विभाग ब्यूरो, प्रभागों, शाखाओं, डैस्कों, अनुभागों तथा एककों में संघटित है। प्रत्येक ब्यूरो एक संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार के प्रभार में होता है जिसे प्रभागीय प्रमुख सहयोग देते हैं। विभाग की संगठन रिपोर्ट के साथ संलग्न संगठन चार्ट में दर्शाया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत संगठन

3.2.1 कई वर्षों से कई अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत संगठन इस विभाग के अंतर्गत आए हैं। महत्वपूर्ण अधीनस्थ कार्यालय इस प्रकार हैं:

— केन्द्रीय हिंदी निदेशालय (के०हिं०नि०)

—वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (वै०त०श०आ०)

—उर्दू-प्रोन्नति-ब्यूरो (उ०प्रो०ब्यू०)

3.2.3 महत्वपूर्ण संगठन इस प्रकार हैं:

—राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (रा०शै०अनु०प्र०परि०) नई दिल्ली, स्कूली-क्षेत्र में संचालन करने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की स्रोत संस्था है।

—राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (रा०शै०यो०प्र०सं०) नई दिल्ली, शैक्षिक प्रबंध की समस्याओं में विशेषज्ञता वाली एक राष्ट्रीय स्तर की स्रोत संस्था है।

—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि वि० अनु० आ०) जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय करता है तथा मानक निर्धारित करता है।

—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अ०भा०त०शि०परि०) नई दिल्ली जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय करती है और मानक निर्धारित करती है।

निम्नलिखित संस्थाएं उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान में लगी हुई हैं:

* भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (भा०उ०अ०सं०) शिमला।

* भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (भा०सा०वि० अनु०परि०) नई दिल्ली।

* भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् (भा०ऐ०अनु०परि०) नई दिल्ली।

* भारतीय दर्शनिक अनुसंधान परिषद् (भा०दा०अनु०परि०) नई दिल्ली।

—केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (के०हि०सं०) आगरा जो भारत तथा विदेशों में हिन्दी का प्रचार करता है।

—राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, संस्कृत में प्रोन्नति, विकास और अनुसंधान (स्कूल से उच्च शिक्षा स्तर तक) में लगा हुआ है यह एक जांच निकाय भी है।

—केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के०वि०सं०) नई दिल्ली केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के लाभार्थ स्कूल चलाता है।

—नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लाभार्थ स्कूलों को चलाती है।

—केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (के०मा०शि०बो०) नई दिल्ली जो स्कूलों को सम्बद्ध करता है अर परीक्षाएं आयोजित करता है।

—राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।

—तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में—

* भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

* भारतीय खान स्कूल, धनबाद।

* राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान बम्बई

* राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी रांची

* आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली।

* भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद।

* अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता तथा लखनऊ स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान (भा०प्र०सं०)

* भोपाल, कलकत्ता, चण्डीगढ़ और मद्रास स्थित तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं(त०शि०प्र०सं०)

* बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर तथा मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भौ० प्रौ० सं०)

* क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (कुल 17)

* राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान [illegible]

* राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन (रा०मू०सं०)

3.2.3. जबकि वि० वि० अनु० आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय और भा० प्रौ० जैसी संस्थाएं और स्वायत्त संगठन या तो सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं।

कार्य

3.3.0 शिक्षा एक समवर्ती विषय है, समवर्तता केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच एक सार्थक हिस्सेदारी को लागू करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:—

"जबकि शिक्षा के संबंध में राज्यों की भूमिका और उनका उत्तरदायित्व में अनिवार्यता कोई परिवर्तन नहीं होगा, केन्द्रीय सरकार शिक्षा की कोटि और स्तरों (सभी स्तरों पर शिक्षण व्यवसाय सहित) को बनाये रखने, अनुसंधान और प्रोन्नत अध्ययन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकास हेतु जनशक्ति के संबंध में समस्त देश की शैक्षिक अपेक्षाओं का अध्ययन और उनका अनुश्रवण करने, शिक्षा संस्कृति और मानव संसाधन के अन्तर राष्ट्रीय पहलुओं को देखभाल करने, और सामान्य तौर पर देश भर में शैक्षिणक पिरामिड (संस्वीकृत) के सभी स्तरों पर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के राष्ट्रीय तथा समेकित स्वरूप को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार "व्यापक उत्तर दायित्व को स्वीकार करेगी"। यह विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति, द्वारा तैयार की गयी भूमिका को पूरा करने के प्रयास करता रहा है तथा राज्यों और संघ शासित प्रदेश के निकट सहयोग से कार्य करता रहा हैं।

सतर्कता कार्यकलाप

3.4.1 प्रशासन की गति को तीव्र करने तथा मुख्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों दोनों में विभाग के कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सतत प्रयास किए गए थे। सावधानी पूर्वक तथा सतर्कता बरतते हुए एक कार्रवाई योजना तैयार की गई थी तथा कुछ अनुभागों व अधीनस्थ कार्यालयों की अचानक सतर्कता जांच की गई थी। पांच अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां पूरी कर ली गई थी और प्रत्येक मामले में उपयुक्त आदेश पास कर दिए गए थे। इसके अतिरिक्त आठ अधिकारियों (दो राजपत्रित अधिकारियों सहित) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। एक अधीनस्थ कार्यालय के एक राजपत्रित अधिकारियों तथा विभाग के 3 अधिकारियों (दो राजपत्रित अधिकारियों सहित) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां जो पहले आरंभ की गई थी, अब प्रगति पर हैं। इस विभाग से संबंधित 16 शिकायतें (जिसमें 11 राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध शामिल हैं) पर प्रारंभिक जांच पड़ताल की कार्रवाई की गई थी। इनमें से 20 संगठनों ने भी लोक शिकायत निवारण कार्यप्रणाली भी स्थापित कर ली है तथा लोक शिकायत निवारण हेतु शिकायत अधिकारी मनोनीत कर लिये हैं।

3.4.3 अनुशासन और समयनिष्ठा के अनुपालन पर पूर्ण रूप से बल दिया जाना जारी रहेगा।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

3.5.1 शिक्षा विभाग में इस समय 90 अनुभाग, 10 अधीनस्थ कार्यालय, एक सार्वजनिक उपक्रम और 75 स्वायत्त संगठन हैं। राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय से प्राप्त वर्ष 1991-92 के लिए भारत सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम को इस विभाग, इसके अधीनस्थ कार्यालयों, और स्वायत्त संगठनों में इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया कि उसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओ॰ एल॰ आई॰ सी॰) की बैठकों की नियमित प्रगति की समीक्षा करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा, राजभाषा अधिनियम और नियमावली और उसके अन्तर्गत बनाए गए प्रशासनिक आदेशों के पालन की समीक्षा तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की गई थी तथा जहां अनिवार्य या उपचारी कदमों का सुझाव दिया गया था।

3.5.2 वर्ष के दौरान, विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन (3) बैठकें जनवरी, 92 तक आयोजित की गई थीं। इसके अतिरिक्त, कुछ प्रभागों की अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितिया भी है तथा उनकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित होती हैं। विभाग के राजभाषा एकक के अधिकारियों ने भी अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों इत्यादि की राजभाषा कार्यान्वयन समितियां की बैठकों में भाग लिया तथा उनमें हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के विभिन्न उपायों पर भी चर्चा की।

3.5.3 वर्ष के दौरान तीन हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया तथा कार्यशालाओं में दिए गए प्रशिक्षण से कर्मचारी अत्यधिक लाभान्वित हुए।

3.5.4 राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमोंमें प्रशिक्षण के लिए 71 कर्मचारियों को नामित किया गया था, जिनमें से 23 कर्मचारियों को हिन्दी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ पाठयक्रमों के लिए और 28 को हिन्दी टाइपिंग और 20 को हिन्दी आशुलिपि के लिए नामित किया गया था।

3.5.5 राजभाषा नियमों के पालन से संबधित स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए, विभाग के 7 अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायतत संगठनों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को संबधित अधिकारियों के ध्यान में लाया गया और उनके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाए गए। राजभाषा संसदीय समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली तथा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला का दौरा तथा निरीक्षण किया।

3.5.6 विभाग में 16-20 सितम्बर, 1991 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर, मानव संसाधन विकास मंत्री और शिक्षा सचिव की ओर से सरकारी कामकाज में हिन्दी के व्यापक प्रयोग के लिए आग्रह करते हुए एक अपील और हिदायतें जारी की गईं। इसके अतिरिक्त, हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता, हिन्दी निबंध और हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थीं जिनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थानों को पाने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 500,300 और 200 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया।

3.5.7 राजभाषा संसदीय समिति और संसदीय कार्य मंत्रालय से हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन हेतु संसद सदस्यों के नये नामांकन प्राप्त किए जा रहे हैं। पुनर्गठन के उपरांत, समिति की एक बैठक शीघ्र ही बुलाई जायेगी।

3.5.8 आलोच्य वर्ष के दौरान वि॰अ॰आ॰ सहित 89 कार्यालय/ केन्द्रीय विद्यालय जहां 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया था, राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत उन्हें अधिसूचित किया गया।

प्रकाशन

3.6.0 प्रकाशन एकक ने द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) सहित अंग्रेजी में 16 प्रकाशन प्रकाशित किए। एकक ने विदेशों में जाने वाले भारतीयों और भारत में अध्ययनरत विदेशी छात्रों के मूल शैक्षिक परिणाम पत्रों को अधि प्रमाणित करने का कार्य जारी रखा।

3.7.0 वर्ष 1991-92 के दौरान विदेश भेजे गए सरकारी अधिकारियों और गैर सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति/शिष्ठ मंडलः

8-9-91 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह

शिष्ट मंडलों, प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की संख्या	शिष्ट मंडलों/प्रतिनियुक्ति में शामिल व्यक्तियों की संख्या	विदेशी मुद्रा घटक (अनुमानित रुपयों में)
22	38	653938 रु०

बजट प्राक्कलन

3.8.0 शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में वर्ष 1991-92 और 1992-93 का कुल बजट प्रावधान निम्नलिखित है:—

ब्यौरे	बजट प्राक्कलन 1991-92	संशोधित प्राक्कलन 1991-92	बजट प्राक्कलन 1992-93
मांग सं० 47			
शिक्षा विभाग	**1805.32**		

व्यावसायिक विकास और कर्मचारियों का प्रशिक्षण

3.9.0. प्रशिक्षण सेल शिक्षा विभाग के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाने, उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अधिकारियों और स्टाफ के कर्मचारियों को भेजने के लिए उत्तरदायी है ताकि उनके व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 1991-92 के दौरान भारत के 25 अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए नामित किया गया था। वे आई० ए० एस० अधिकारी शामिल नहीं हैं जिन्हें कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। इसके अलावा दो अधिकारी वर्ष के दौरान विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए गए थे। शिक्षा विभाग में उप सचिव और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए दो कार्यशालाएं "डिवलपिंग सर्वोडिनेटस" विषय पर, एक दिसम्बर, 91 में तथा दूसरी जनवरी, 92 में आयोजित की गई थी। शिक्षा विभाग की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रबन्ध केन्द्र को एक परामर्शीय उत्तरदायित्व कार्य भी सौंपा गया।

तीन मूर्ति भवन में विज्ञान प्रदर्शनी

3.10.0 जवाहर लाल नेहरु के जन्म समारोह के एक भाग के रूप में शिक्षा विभाग ने 14 नवम्बर से 30 नवम्बर, 1991 तक तीन मूर्ति भवन में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की। प्रधानमंत्री ने 14.11.91 को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। इस प्रदर्शनी का विषय "वेल्यू फार न्यू इंडिया" था।

4. प्रारम्भिक शिक्षा

4. प्रारंभिक शिक्षा

4.1.1 प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण एक वैधानिक अधिदेश है। संविधान की धारा 45 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त के रूप में निर्दिष्ट करती है कि राज्य संविधान के लागू होने के दस वर्षों की अवधि में उन सभी बच्चों को जब तक वे 14 वर्ष की आयु वर्ष पूर्ण नहीं कर लेते उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का भरसक प्रयास करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, का अनुच्छेद (पैरा) 5.12 कहता है कि "नई शिक्षा नीति स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की समस्या हल करने का उच्च प्रथमिकता देगी और सूक्ष्म आयोजना पर आधारित अतिसावधानी से सत्रिबद्ध रणनीतियों का क्रम अपनाएगी और बच्चों को स्कूल में रखने को सुनिश्चित करने के लिए देशभर में प्रारंभिक स्तर पर इसे लागू करेगी। यह प्रयास अनौपचारिक शिक्षा के नेटवर्क के साथ पूरी तरह से समन्वित करेगा। यह सुनिश्चित होगा कि वे सभी बच्चों जो 1990 तक लगभग 11 वर्ष तक की आयु प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अनौपचारिक पद्धति से पांच साल तक की स्कूली अथवा उसके समकक्ष शिक्षा देनी होगी। इसी तरह 1995 तक सभी बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।

4.1.2 वास्तव में, वर्षों से केन्द्र और राज्यों ने प्रारंभिक शिक्षा के संवर्धन में उल्लेखनीय निवेशन किया है। स्कूलों में प्रारंभिक सुविधाएं लगभग 2.34 लाख से 6.94 लाख तक और बच्चों का नामांकन 22.28 मिलियन से 129.4 मिलियन बढ़ा है। और प्राथमिक शिक्षा की पहुंच से बाहर ग्रामीण आबादी के 94% से भी अधिक भाग को उनके घर से एक कि० मी० की दूरी में सुविधाएं दी गई। पिछले पांच वर्षों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुपालना में विश्व के इस विशाल और संभवतः सबसे बड़े शैक्षिक नेटवर्क द्वारा प्रदत्त की जा रही शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए विचारणीय प्रयास किए गए हैं। स्कूलों को न्यूनतम बनियादी सुविधाएं प्रदान करने, स्कूल छोड़ने वाले और कामकाजी बच्चों को अंशकालीन शिक्षा के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को खोलने, शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाओं और शिक्षक प्रभावशीलता में सुधार लाने, खोलने के न्यूनतम स्तरों को निर्धारित करने, शैक्षणिक प्रबन्धन के विकेन्द्रीकरण और स्कूलों को चलाने में समाज को सम्मिलित करने, भेदभाव कम करने और प्रतिरक्षण में सुधार लाने के लए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। इनमें से अधिकांश योजनाएं लक्ष्य और अवसर, वांछित पर्याप्त प्रयासों और उल्लेखनीय संसाधन सहायता को प्रभावी बनाने में महत्वाकांक्षी हैं। वर्ष 91-922 आप्रेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन और पुनर्सरचना के साथ साथ ग्रामीण स्तर के शैक्षिणिक कार्यक्रमों और क्षेत्र विशेष को यू०पी०ई० परियोजनाओं में एम० एल० एल० द्वारा अधिगम प्राप्ति में सुधार और समाज की सहभागिता के नए प्रयासों के लिए एक संसाधन आधार और ढांचे के निर्माण के साथ साथ योजनाओं को जारी रखने के लिए समर्पित था। इस वर्ष VIIIवीं योजना के लक्ष्योंऔर नीतियों में प्रारंभिक शिक्षा पर विचार किया गया और अंतिम रूप दिया गया ताकि 1955 तक प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जा सके।

सारिणी —4.1

1950-51 तक प्रारंभिक शिक्षा का प्रसार	1950-51	1989-90
प्राथमिक स्कूलों की सं०	2.320 लाख	5.50 लाख
मिडिल स्कूलों की सं०	0.14 लाख	1.44 लाख
कक्षाI से V तक में नामांकन	19.15 मिलियन	97. 3 मिलियन
लड़कों का	13.77	57.8
लड़कियों का	5.38	39.5
कक्षाVI से VIII तक में नामांकन	3.13	32.1
लडकों का	2.59	20.3
लड़कियों का	0.54	11.8
I से VIII तक में नामांकन	22.28	129.4
लड़कों का	16.36	78.1
लड़कियों का	5.92	51.3

आप्रेशन ब्लैक बोर्ड

4.2.1 क्षमता में सुधार के उद्देश्यों के साथ पराथमिक स्कूलों में सुविधाओं में पर्याप्त सुधार लाने के लिए 1987-88 में प्रारंभ हुई आप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना में तीन परस्पर निर्भरता तत्व हैं यानी (i) लड़कों और लड़कियों के लिए एक बरामदा और पृथक टायलेट सहित सभी मौसम के उपयुक्त कम से कम दो कमरों वाले भवन की व्यवस्था, (ii) प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक जिनमें से यथासंभव एक महिला हो और (iii) ब्लैक बोर्डों, नक्शों, मानचित्रों, खिलौना और कार्यअनुभव के लिए खिलौनों सहित आवश्यक पठन सामग्रियों का प्रबंध। स्कूल भवनों के निर्माण के लिए कोष मुख्य रूप से ग्रामीण विकास योजनाओं से प्रदान किए जाते हैं। अन्य दो घटकों के लिए कोष इस विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह योजना देश के सभी ब्लाक / पालिका क्षेत्रों में एक चरणबद्ध रूप में प्राथमिक स्कूलों को सम्मिलित करने पर विशेष बल देती है।

4.2.2 वर्ष 1987-88 से 1990-91 की अवधि के दौरान 64% वाले देश के 69% ब्लाकों में योजना कार्यान्वित की गई थी। इस विभाग द्वारा 523.41 करोड़ रुपए की सहायता निर्मुक्त की गई थी जिसमें से 150.09 करोड़ रुपए 1990-91 में जारी किए गए थे। वर्ष 1991-92 के दौरान आप्रेशन ब्लैक बोर्ड के लिए 100 करोड़ रु० का प्रावधान है। यह योजना VIII वीं योजना की समाप्ति तक जारी रहेगी।

4.2.3 उस स्थिति की ओर बढ़ने के क्रम में जहां प्रत्येक कक्षा के लिए एक कक्षा कक्ष और एक शिक्षक है, यह प्रस्ताव किया गया कि प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में जहां नामांकन न्यायसंगत है, वहां एक तीसरा शिक्षक और तीसरा कक्षा कक्ष प्रदान करने के लिए VIII वीं योजना के दौरान आप्रेशन ब्लैक बोर्ड का प्रसार किया जाय। तीसरे शिक्षक के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जबकि राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाएगी कि वे जवाहर रोजगार योजना और राज्य योजना बजट से कक्षा कक्षों के निर्माण के लिए संसाधनों का पता लगाए।

4.2.4 1991-92 तक आप्रेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत उपलब्धि के आंकड़े सारिणी 4.2 में प्रस्तुत हैं।

सारिणी 4.2

आप्रेशन ब्लैकबोर्ड: उपलब्धियां

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 31.3.1992 तक पूर्व अनुमानित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
व्यय राशि (रुपये करोड़ में)	110.61	135.73	126.98	150.09	168.44
स्कूल भवनों के लिए राज्यों द्वारा प्रतिबद्ध राशि (रु० करोड़ों में)	300.00	340.00	64.60	140.00	140.00
सम्मिलित राज्यों/ संघ क्षेत्रों की सं०	27	22	22	25	15
सम्मिलित ब्लाकों की सं०	1703	1795	578	343	1000
सम्मिलित स्कूलों की सं० (लाखों में)	1.13	1.40	0.52	0.39	0.76
सम्मिलित प्राइमरी स्कूलों की सं०	21.00%	26.40%	9.90%	7.35%	9.22%
प्राथमिक शिक्षकों के संस्वीकृत पद	36891	36327	5274	14379	22032

गैर औपचारिक शिक्षा

4.3.1 वर्ष 1964-66 में शिक्षित समिति गठित किए जाने के बाद से ही ऐसे स्थानों में जहां स्कूल नहीं हैं वहां काम करने वाले बच्चों, लड़कियों और बच्चों को शिक्षित देने के लिए गैर-औपचारिक अंशकालिक शिक्षा की भूमिका को मान्यता दी है। वर्ष 1979-80 के दौरान गैर-औपचारिक शिक्षा (एन.एफ.ई.) की योजना ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए वैकल्पिक उपाय के रूप में शुरू किया गया था। जो विभिन्न कारणों से औपचारिक स्कूल नहीं जा सकते हैं। नई शिक्षा नीति, 1986 में यू.ई.ई. प्राप्त करने के लिए गैर औपचारिक शिक्षा के विस्तृत और व्यवस्थित कार्यक्रम का प्रावधान था। वर्ष 1987-88 में योजना को विषय और महत्व के दृष्टिकोण से संशोधित कर दिया गया। यद्यपि इसमें शैक्षिक रूप से 10 पिछड़े राज्यों जैसे, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर बल दिया गया है, परन्तु इसे अन्य राज्यों में भी शहरी गन्दे क्षेत्रों, पहाड़ी जनजातीय और निर्जन क्षेत्रों तथा काम करने वाले बच्चों की बहुलता वाले क्षेत्रों को भी शामिल करने के लिए विस्तृत किया गया है। वित्तीय दायित्व का वहन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सामान्य (सह. शैक्षिक) और गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए 50:50 के अनुपात में तथा महिला गैर-औपचारिक शिक्षा केंद्रों, के लिए 90:10 के अनुपात में किया जाता है। गैर औपचारिक केंद्रों और प्रायोगिक तथा नवाचारी परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है।

4.3.2 (संशोधित) गैर-औपचारिक शिक्षा की योजना को तुलनात्मक दृष्टिकोण से वंचित भौगोलिक क्षेत्रों और समाज के गैर-लाभान्वित सामाजिक-आर्थिक वर्गों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बाल-केंद्रित, वातावरण के अनुकूल और लचीली पद्धति के रूप में कल्पना की गयी है। इस योजना की अन्य मुख्य विशेषताओं में इसका संगठनात्मक लचीलापन, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, शिक्षण, कार्यकलापों में विविधता जो शिक्षुओं की जरूरतों और सशक्त विकेंद्रीकृत प्रबंध व्यवस्था से संबंधित है। कार्यक्रम को परियोजना आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य समान्यतः 100 गैर-औपचारिक शिक्षा केंद्रों वाले सामुदायिक विकास प्रखन्डों के लक्ष्य के अनुरूप है।

4.3.3 वर्ष 1991-92 के (31.3.1992 तक अनुमानित) के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियों का ब्यौरा 4.3 सारणी में दिया गया है।

सारणी 4.3
गैर आपैचारिक शिक्षाः उपलब्धियां

		1991-91 (31.3.92) तक प्रत्याशित)
1.	खर्च की गई राशि (करोड़ रु० में)	50.00
2.	चलाए जा रहे गैर-आपैचारिक शिक्षा केन्द्र (लाखों में)-संचित	2.72
3.	विशेष रूप से महिलाओं के लिए संस्वीकृत केन्द्रों की संख्या (संचित	81,607.00
4.	गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए स्वीकृत स्वैच्छिक संगठनों की संख्या संचित	419.00
5.	स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे गैर-औपचारिक शिक्षा केंद्रों की संख्या संचित	27,342.00
6.	अनुमानित नामांकन (लाखों में)	68.00

7	स्वीकृत प्रायोगिक नवाचारी परियोजनाओं की संख्या संचित	49
8	जिला संसाधन इकाइयों की संख्या	19
9.	शामिल किए गए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या	18

4.3.4 वर्ष 1991-92 के दौरान योजना के तकनीकी पक्ष में सुधार के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् और स्वैच्छिक एजेंसियां शिक्षुओं की जरूरतों के अनुकूल निर्धारित शिक्षण के न्यूनतम स्तर के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण शिक्षा सामग्री के विकास कार्य में संलग्न रही हैं। पूर्ण साक्षरता अभियानों (टी०एल०सी०) में प्रयुक्त आई०पी०सी०एल० (शिक्षा की उन्नत गति और विषय-वस्तु) मॉडल पर प्रवेशिकाएं तैयार करने के प्रयास किये जा रहे है। इन्हें प्रत्येक सत्र के लिए पृथक प्रवेशिका के साथ गैर-आपैचारिक शिक्षा की चार सत्रीय पद्धति के अनुसार विकसित किया जाएगा।

4.3.5 प्रशिक्षण मापदण्ड के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् को एक परियोजना मंजूर की गई है और इसे राज्यों में लागू किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् ने राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत मुख्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने इसके एवज में राज्य के अंतर्गत निष्णात प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। निष्णात प्रशिक्षकों में गैर-आपैचारिक शिक्षा परियोजना अधिकारी शामिल है, जो इसके एवज में गैर-आपैचारिक शिक्षा निरीक्षकों और अनुदेशकों को प्रशिक्षण देने के लिए जवाबदेह हैं। इस प्रकार गैर-आपैचारिक शिक्षा क्षेत्र के कार्यकत्ताओं को तकनीकी और प्रशासकीय सहायता प्रदान करने के लिए बहुस्तरीय प्रशिक्षण अधिकारी उपलब्ध कराया गया है।

4.3.6 गैर-आपैचारिक शिक्षा के मूल्यांकन के लिए कार्य शिविर लगाए गए। लगभग 20 अनुसंधान संस्थानों को प्रयोग के तौर पर मौजूदा आंतरिक मानिटरिंग पद्धति द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के संदर्भ में गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के बाह्य मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है। स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा चलायी जा रही गैर औपचारिक शिक्षा परियोजनाओं के मूल्यांकन के उद्देश्य से संयुक्त मूल्यांकन दल (जे०ई०टी०) गठित किया गया है, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एक गैर अधिकारी सदस्य के प्रतिनिधि होते हैं। वे मार्च, 1992 तक परियोजनाओं के मूल्यांकन कार्य सम्पन्न करने वाले हैं।

4.3.7 प्रारम्भिक बाल शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा पर कार्य कर रहे दल की सिफारिश पर गैर-औपचारिक शिक्षा की योजना के संशोधन का मामला मंत्रालय के विचाराधीन है। योजना के प्रबंधकीय और गुणवत्ता संबंधी पक्षों को सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

शिक्षा की संगणीकृत आयोजना

4.3.8 वर्ष 1988 के उत्तरार्द्ध में गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए प्रबंध सूचना पद्धति (एम०आई०एस०) विकसित करने के लिए "शिक्षा के लिए संगणीकृत आयोजना" (सी०ओ०पी०ई०) शुरू की गई थी। विशेष अध्ययन के पश्चात मध्य प्रदेश राज्य को शामिल करने के लिए विस्तृत किया गया है।

महिला समाख्या

4.4.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पैरा 4.2 और कार्य योजना के अध्याय II के अनुसरण में अप्रैल, 1989 में महिला समाख्या शुरू की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को प्रत्येक सम्बद्ध गांव में महिला संघों के माध्यम से शिक्षा की ओर अभिमुख करना है। यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसके अनुसार कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात में सम्बद्ध राज्य शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित महिला समाख्या समाजों को शत प्रतिशत वित्तीय सहायता प्राप्त है। भारत हालैंड कार्यक्रम के रूप में इसे हालैण्ड सरकार के शत प्रतिशत सहायता प्राप्त है।

4.4.2 निश्चित रूप से ये कार्यक्रम ग्राम स्तरीय सक्रिय कार्यकर्ताओं (सखियों या सहयोगिनियों) के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, विकास कार्यक्रमों के संबंध में सूचना आस पास के वातावरण और इस सब से पहले समाज में अपने व्यक्तित्व और छवि से जुड़े मुद्दों की ओर अभिमुख करते हैं। यह कार्यक्रम आलोचनात्मक प्रत्यावर्तन और विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, ताकि महिला अपने दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों में सक्रिय रूचि ले सकें। कार्यक्रम का मुख्य बल शिक्षा के लिए मांग उत्पन्न करना और स्कूल-पूर्व, गैर औपचारिक, वयस्क और अनवरत शिक्षा के लिए नवाचारी शैक्षिक निवेश लाना है। सघन शिक्षा के लिए अवासीय संस्था-महिला शिक्षण केंन्द्र की भी स्थापना की जानी है ताकि बीच में स्कूल छोड़ देने वाली और अन्य महिलाएं सुरक्षित वातावरण में अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

4.4.3 कार्यक्रम की प्रगति अभी तक उत्साहवर्द्धक रही है। वर्तमान समय में 10 जिलों के 1500 गांवों में महिला समाख्या चल रही हैं। VIIIवीं योजना अवधि में इस कार्यक्रम को चरणबद्ध रूप में 20 जिलों में विस्तृत करने का प्रस्ताव है।

4.4.4 एक संयुक्त इंडो-डच मूल्यांकन नवम्बर, 1991 में किया गया। यह मूल्यांकन बहुत सकारात्मक रहा और दल ने स्पष्ट रूप से बताया कि महिला समाख्या कार्यक्रम निर्धन ग्रामीण महिलाओं खासतौर से अ०जा० और अ०ज०जा० और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं तक पहुंचने में सक्षम रहा है।

बिहार शिक्षा परियोजना

4.5.1 बुनियादी शिक्षा पद्धति और इसके माध्यम से सम्पूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति में मौलिक परिवर्तन लाने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना (बी०ई०पी०) को सहकारी मिशन के रूप में देखा गया है।

4.5.2 बिहार शिक्षा परियोजना में बुनियादी शिक्षा के सभी संघटक शामिल होंगे और इसे पांच वर्षों की अवधि के दौरान चरणक्रम से 20 जिलों में विस्तृत किया जाएगा। कुल परिव्यय 360 करोड़ रु० होगा जिसमें यूनिसेफ 180 करोड़ रु०, भारत सरकार 120 करोड़ रु० और बिहार सरकार 60 करोड़ रु० का योगदान देंगे। गतिशील बनाने और लघु आयोजना तैयार करने के साथ-साथ प्रक्रिया इस परियोजना की विशेषता है। बिहार शिक्षा परियोजना प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी मिशन पद्धति है, जिसमें कार्यों की समयबद्ध योजना का प्रावधान है, जिसमें संस्थानों, एजेंसियों और व्यक्तियों के साथ विशेष दायित्व जुड़ा हुआ है। तदनुसार परियोजना के प्रबंधन का अधिकार राज्यस्तरीय स्वायत्त पंजीकृत निकाय "बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (बी०एस०पी०पी०) को दिया गया है, जिसका गठन दो निकायों में किया गया है-एक तो वह परिषद् जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री है तथा दूसरा कार्यकारी समिति जिसका अध्यक्ष राज्य

शिक्षा सचिव है। बि.शि.परि. के विमर्शी निकायों में शिक्षकों, गैर-सरकारी अधिकारियों, भारत सरकार और राष्ट्रीय ढांचे के संस्थानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर दिया गया है। कार्यकारी दायित्व राज्य परियोजना निदेशक को दिया गया है। बि.शि.परि.परि. और इसकी कार्यकारी समिति की बैठकें 19 और 20 जुलाई, 1991, 12 सितम्बर, 1991 और 12 दिसम्बर, 1991 को पटना में हुई थीं। वित्तीय/सेवा संबंधी नियमों को तैयार किया गया और गैर-सरकारी अधिकारियों के माध्यम से लघु आयोजनाओं को सहायता दी गई। जिलेवार कार्य-योजनाओं को तैयार किया गया।

4.5.3 रिपोर्ट में रॉची, पश्चिम चम्पारन और रोहतास ऐसे चुनिन्दा जिले हैं, जहां कार्यालय खोले गए हैं और रॉची जिले में साक्षरता अभियान जैसी पूर्व-परियोजनाओं के कार्यकलाप स्कूलों में वचनात्मक कार्य तथा डी०आई०ई०टी० आदि में, इन्हें आरम्भ किया गया है। महिलाओं के कार्यकलापों के एक कोर-दल का विकास करने, और शिक्षक संहिताओं के कार्यशालाएं राज्य शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद, राज्य संसाधन केन्द्र और जिला अनुसंधान इकाइयों की सहभागिता के राज्य में चलाई गई थीं।

शिक्षा कर्मी परियोजना

4.6.1. सीडा (स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी) की सहायता से वर्ष 1987 से राजस्थान में इस परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के चुनिन्दा दूरस्थ तथा पिछड़े हुए गांवों में प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाना है।

4.6.2. इस परियोजना से यह पता चलता है कि शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षकों की अनुपस्थिति एक मुख्य बाधा है। तदनुसार इस परियोजना में यह परिकल्पना की गई है कि एकल शिक्षक स्कूलों में प्राथमिक स्कूल शिक्षक के स्थान पर दो स्थानीय निवासियों जो "शिक्षा कर्मियों" के नाम से ज्ञात शिक्षित कार्यकर्त्ता हों, के एक दल को रखा जाए। स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति निश्चित करने के लिए शिक्षा-कर्मियों के चयन में नियमित शिक्षकों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं पर जोर नहीं दिया जाता है। तथापि, शिक्षक के रूप में कारगर ढंग से कार्य करने के योग्य बनाने के लिए उन्हें एक सतत आधार पर प्रशिक्षण तथा शैक्षिक सहायता दी जाती है। मौजूदा प्राथमिक स्कूल जब शिक्षा-कर्मियों द्वारा चलाए जाते है तो उन्हें "दिवस केन्द्र" कहा जाता है। इसके अलावा प्रत्येक शिक्षाकर्मी ऐसे बच्चों के लिए जो दिवस केन्द्र में भाग नहीं ले पाते हैं, उनके लिए प्रहर पाठशाला (रात्रि केन्द्र) चलाते हैं। परियोजना महिला शिक्षाकर्मियों की भरती पर भी जोर देते हुए स्थानीय महिलाओं को शिक्षाकर्मियों के रूप में कार्य करने के लिए तैयार करने हेतु विशेष प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की परिकल्पना करती है।

4.6.3. 30 नवंबर, 1991 तक परियोजना का कार्यान्वयन राज्य के 17 जिलों के 30 ब्लाकों में 33 ब्लाक इकाइयों वाले 361 गांवों में हो रहा था। शिक्षाकर्मियों की संख्या 765 थी (702 पुरुष तथा 63 महिलाएं)। वे 361 दिवस केन्द्रों तथा 568 प्रहर पाठशालाओं की देख-रेख कर रहे थे जिनमें कुल नामांकन 30,330 था। 31 मार्च, 1992 तक अन्य 8 ब्लाक इकाइयों को शामिल करने का प्रस्ताव है जिसमें 1383 शिक्षा कर्मियों द्वारा 615 दिवस केन्द्रों तथा 1383 प्रहर पाठशालाओं की देख-रेख करने की आशा है।

4.6.4. 1990 के उत्तरार्ध में शिक्षा कर्मी परियोजना का एक स्वतंत्र अध्ययन किया गया था। अध्ययन से पता चला है कि परंपरागत स्कूलों के बच्चों की तुलना में शिक्षाकर्मी स्कूलों मे अध्ययन कर रहे बच्चों का उपलब्धि स्तर हक में है।

4.6.5. वर्ष 1991-92 के बजट अनुमान में 230 लाख रुपए का बजट प्रावधान है।

लोक जुम्बिस : सभी के लिए शिक्षा सम्बन्धी जन आन्दोलन: राजस्थान

4.7.1. राजस्थान में स्वीडिस अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (सीडा) से प्राप्त सहायता के साथ "लोक जुम्बिस" राजस्थान में सभी के लिए शिक्षा सम्बन्धी जन आन्दोलन नामक एक नई शैक्षिक परियोजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना का बेसिक उद्देश्य सभी के लिए वर्ष 2000 तक जन शक्ति को जुटा कर तथा उनकी सहभागिता से सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करना है।

4.7.2. सीडा 20 मिलीयन स्वोडिश क्रोनार (लगभग 8 करोड़ रुपये) की राशि तक इस परियोजना के प्रथम चरण के लिए सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। वे उत्तरवर्ती चरणों में सहायता पर विचार करने के लिए सहमत हो गए हैं, जो चरण-1 की प्रगति संबंधी कार्य के एक संयुक्त मूल्यांकन पर आधारित होगा। "कार्रवाई योजना"-प्रथम चरण (1992-94)" नामक एक दस्तावेज उनके औपचारिक अनुमोदन के लिए सीडा को भेजा गया है। परियोजना का चरण-1, 1 अप्रैल, 1992 से आरंभ होने की आशा है और वर्ष 1992-94 से 2 वर्ष की अवधि के अन्दर 25 से अधिक खण्डों को शामिल करेगा। चरण-1 के लिए कुल परियोजना परिव्यय 20.1 करोड़ रुपए तक का अनुमान है और यह राशि सीडा और भारत सरकार के बीच समान भाग में बांटी जाएगी और राजस्थान सरकार के बीच इसका अनुपात 3:2:1 होगा। पहले चरण के बाद दूसरा चरण वर्ष 1994-99 और तीसरा चरण 3-4 वर्ष की अवधि का होगा।

4.7.3. राजस्थान सरकार ने, जिसने पहले से ही इस परियोजना का अनुमोदन कर दिया है, सभी प्रारंभिक उपाय कर रही है ताकि परियोजना को समय में ही आरंभ किया जा सके। इस परियोजना से संबंधित कुछ पूर्व-परियोजना संबंधी क्रियाकलाप पहले से ही आरंभ किए जा चुके हैं और कुछ खण्डों में कुछ आंशिक कार्य भी आरंभ किया गया है।

4.7.4. बजट प्राक्कलन 1991-92 में 100 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। (वर्ष 1990-91 के दौरान पूर्व-परियोजना संबंधी क्रियाकलापों के लिए 21 लाख रुपए की राशि का पहले ही उपयोग किया जा चुका है।)

शिक्षक शिक्षा

4.8.1. शिक्षक शिक्षा की पुनः संरचना और पुनर्गठन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को 1987-88 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है ताकि वह स्कूलों और प्रौढ़ तथा गैर-औपचारिक शिक्षा प्रणालियों को प्रभावी प्रशिक्षण और शैक्षिक सहायता प्रदान कर सके। इस योजना के निम्न पांच घटक हैं—

—शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित मुख्य-मुख्य क्षेत्रों की जानकारी देने और उनकी व्यावसायिक क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से 1989-90 तक प्रतिवर्ष लगभग पांच लाख स्कूल

अध्यापकों को पुनः प्रशिक्षण,

—मौजूदा उपयुक्त प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं का दर्जा बढ़ाकर या जहां आवश्यक हो वहां नई संस्थाएं स्थापित करके लगभग 400 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, ताकि जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को समग्र शैक्षिक और प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जा सके।

—लगभग 250 माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण और उनमें से लगभग 50 का उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान के रूप में तथा शेष का शिक्षक शिक्षा कालेजों के रूप में विकास,

—राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों का सुदृढ़ीकरण और

—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभागों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण,

4.8.2. वर्ष 1987-88 की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत हुई उपलब्धियां तालिका 4.4 में दर्शाई गई हैं:—

तालिका-4.4

शिक्षक शिक्षा उपलब्धियां

	1987-88 से 1991-92 तक कुल (22-2-92 तक)
1. खर्च की गई राशि (करोड़ों रुपये में)	187.29 करोड़ रुपए
2. अध्यापकों के पुनः प्रशिक्षण के सामूहिक कार्यक्रम के अंतर्गत पुनः प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)	12.96 • (1986 में शामिल किए गए 4.66 लाख शिक्षकों के अलावा)
3. ऐसी जिला शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की संख्या जिन्हें स्वीकृति दी गई	287
4. ऐसी शिक्षक शिक्षा कालेजों की संख्या जिन्हें स्वीकृति दी गई	25
5. ऐसी उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों की संख्या जिन्हें स्वीकृति दी गई	12
6. उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की संख्या जिन्हें सम्मिलित किया गया।	24

4.8.3. जबकि वर्ष 1990-91 में मुख्य रूप से पहले से संस्वीकृत परियोजनाओं का समेकन किया गया। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान बचे हुए जिलों को शामिल करने के लिए नई परियोजनाएं संस्वीकृत की जा रही है। पांडिचेरी के लिए एक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान पहले ही संस्वीकृत किया जा चुका है। वर्तमान वर्ष के दौरान बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय तथा मिजोरम इत्यादि में अनेक जि० शि० प्र० सं०/सीटीई०/आईएएसई० परियोजनायें संस्वीकृत किए जाने की आशा है। अब तक संस्वीकृत परियोजनाओं, जिन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, उनका राज्य-वार ब्यौरा तालिका 4.5 में दिया गया है।

4.8.4. रा०शि०आ०प्र०सं० (नीपा) रा०शै०अ० एवं प्र०प० तथा इसके क्षेत्रीय कालेजों द्वारा जि० शि० प्र० सं० के संकाय के लिए अब तक 10 प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें 222 व्यक्तियों ने भाग लिया। शेष वर्ष के दौरान कुछ अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आशा है।

4.8.5. आवश्यक भवनों को बनाने के लिए तथा पदों का सृजन करने और उन्हें भरने के लिए समय को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों, शिक्षक शिक्षा केन्द्रों तथा उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों को स्थापित करना एक लंबी अवधि वाला क्रियाकलाप है। फिर भी लगभग 150 जि० शि० प्र० संस्थानों ने कार्य करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने प्रारंभ कर दिए हैं। बाह्य एजेंसियों के जरिए वर्ष 1987-88 के दौरान संस्वीकृत ऐसे कुछ संस्थानों का मूल्यांकन किया जा रहा है। अब रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं जिनकी जांच की जा रही हैं।

4.8.6. राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों को सुदृढ़ करने के लिए मार्गदर्शी रूपरेखायें तैयार की जा रही हैं। जैसे ही इन रूपरेखाओं को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, इस घटक का कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा।

4.8.7. विश्वविद्यालय शिक्षा विभागों को सुदृढ़ बनाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शिक्षा संबंधी पैनल इस मामले पर ध्यान दे रहा है।

तालिका 4.5

दिसंबर, 1991 को संचालित जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जि०शि०प्र०सं० की संख्या	संचालित जि०शि०प्र०सं० की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	23	23
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	—
3.	असम	12	6
4.	गोवा	1	1
5.	गुजरात	13	—
6.	हरियाणा	8	2
7.	हिमाचल प्रदेश	4	—
8.	जम्मू व कश्मीर	14	6
9.	केरल	14	7
10.	मध्य प्रदेश	45	30
11.	महाराष्ट्र	11	—
12.	मणिपुर	1	—
13.	मेघालय	3	—
14.	मिजोरम	1	1
15.	नागालैंड	1	—
16.	उड़ीसा	11	11
17.	पांडिचेरी	1	—
18.	पंजाब	7	7
19.	राजस्थान	27	27
20.	सिक्किम	1	1
21.	तमिलनाडु	21	14
22.	त्रिपुरा	1	—

जि०शि०प्र०सं० जहां प्रधानाचार्यों को तैनात किया गया है और/अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और/अथवा जिन मामलों में राज्य/संघशासित क्षेत्रों ने आवर्ती सहायता मांगी है उन्हें संचालित समझा गया है।

1	2	3	4
23.	उत्तर प्रदेश	62	8
24.	दिल्ली	4	4
	कुल	287	148

सूक्ष्म आयोजना

4.9.1 प्रारंभिक शिक्षा के लिए आठवीं योजना तैयार करने हेतु स्थापित कार्यकारी दल ने यह पाया कि प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार तथा प्रारंभिक शिक्षा के लिए सुविधाओं एवं बुनियादी ढाँचे को सुधारने के लिए वास्तव में काफी प्रगति हुई है। किंतु पिछड़े हुए क्षेत्र, प्रदेश तथा समूह अभी भी शैक्षिक प्रक्रिया के दायरे से बाहर हैं। इसलिए, इसने कार्यनीति में परिवर्तन की सिफारिश की है ताकि एक क्षेत्र विशेष, जनसंख्या विशेष सूक्ष्म स्तर योजना बनाई जा सके जो नवीन योजनाओं और प्रारंभिक शिक्षा को सर्व-सुलभ बनाने के उपायों के साथ मौजूदा कार्यक्रमों को संघटित कर सके जिससे एक क्षेत्र विशेष का प्रत्येक बच्चा नियमित रूप से दाखिल हो सकेगा, स्कूल जा सकेगा और अपनी सुविधानुसार 5 वर्ष की शिक्षा अथवा गैर-औपचारिक केन्द्र पर इसके समकक्ष शिक्षा पूरी कर सकेगा।

4.9.2 ऐसी गहन कार्यक्रम नीति का आधार है (i) भागीदारी योजना की अभिकल्पना, जिसमें समुदाय को अपनी आवश्कयताओं का पता लगाने का उत्तरदायित्व लेने के लिए प्रेरित किया जाता हैं और कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चयात्मक भूमिका सौंपी जाती है, तथा (ii) प्रशासनिक कार्यों का विकेन्द्रीकरण ताकि स्थानीय शैक्षिक कार्मिक अपने क्षेत्रों के संबंध में निर्णय ले सकें तथा समुदाय की मांगों के प्रति लचीली प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें। सूक्ष्म योजना ,का अर्थ अवश्य ही क्षेत्र विशेष योजना है, जिसमें क्षेत्र आदर्शतः एक राजस्व•गांव होता है, किंतु व्यवहारिक रूप से वह एक ब्लॉक तालुक अथवा जिला होता है

(i) समाज की सहभागिता को गतिशील बनाना,
(ii) शैक्षिक प्रशासन का विकेन्द्रीकरण,
(iii) स्थानीय स्तर के प्रशासन और संसाधन सहायता प्रणाली का अनुस्थापन एवं सुदृढ़ीकरण, (iv) क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं का पता लगाना, (v) जो बच्चे स्कूलों में भरती किए जा सकते हैं उन्हें स्कूल में लाना और जो नहीं आ सकते, उन्हें गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम अथवा अन्य नवाचारी और प्रोत्साहन उपाय प्रदान करना, (vi) यह देखना कि सभी बच्चे नियमित रूप से और वास्तव में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें और (vii) स्कूलों अथवा गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में सुधार की योजना बनाना ताकि प्रभावकारी शिक्षा प्रदान की जा सके।

4.9.3 "माइक्रोप्लानिंग संचालनः मागदर्शी रूपरेखाएं" नामक मार्गदर्शी रूपरेखाओं को सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों एवं निदेशकों में परिचालित किया गया, जिनमें अवधारण का वर्णन किया गया तथा वित्तीय सहायता एवं शैक्षिक सहायता के साथ यू ई ई पैकेज के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की परियोजाएं शुरू करने की प्रक्रिया को विस्तृत रूप दिया गया है। कुछ विशिष्ट क्षेत्र परियोजनाएं आरंभ की गई थीं जिनमें स्वैच्छिक एजेंसियों को समाज की सहभागिता प्राप्त करने का कार्य और राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ भागीदारी या सहयोग में सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था। एक अभियान के लिए "माइक्रोप्लानिंग" नीति अपनाकर यू ई ई को साक्षरता अभियान के अंतर्गत लाकर एक निश्चित प्रयास किया गया और कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के जिलों में जिला साक्षरता समितियों और शिक्षा अधिकारियों के साथ विशिष्ट जिला यू ई ई परियोजनाएं तैयार की गई। वर्ष के दौरान यू ई ई की क्षेत्र विशेष की योजनाएं "ड्राइंग बोर्ड" से कार्यक्षेत्र में आई

न्यूनतम शिक्षण स्तर

4.10.1 न्यूनतम शिक्षण स्तर की नीति में, कक्षा में क्या हो रहा है, इस पर ध्यान केंद्रित करके और समदृष्टि के सिद्धांत अपनाकर स्कूलों में शिक्षण में सुधार लाने की बात कही गई है। नीति का उद्देश्य बुनियादी शिक्षा से प्रत्याशित शिक्षण परिणामों को वास्तविक, प्रासंगिक और कार्यात्मक स्तर पर निर्धारित करना है और इसमें ऐसे उपाय अपनाना निर्धारित किया गया है जो यह सुनिश्चित करें कि ऐसे सभी, बच्चे जो स्कूल स्तर पूरा कर लेते हैं, न्यूनतम शिक्षण स्तर प्राप्त कर लें

4.10.2 स्कूलों में न्यूनतम शिक्षण स्तर लागू करने में ये मुख्य कदम उठाए जाएः

(i) शिक्षण उपलब्धियों के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन;
(ii) क्षेत्र के लिए न्यूनतम शिक्षा स्तर की परिभाषा तथा वह समयावधि जिसमें यह प्राप्त किया जाएगा;
(iii) सक्षमता आधारित शिक्षण की ओर अभिमुख शिक्षण प्रणालियों का अनुस्थापन
(iv) कक्षा में हुई पढ़ाई के साथ छात्रों के अध्ययन के सतत, व्यापक मूल्याकन का समाकलन;
(v) जहां कहीं आवश्यक हो पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा एवं संशोधन
(vi) न्यूनतम साक्षरता मिशन की शिक्षण उपलब्धियों में सुधार के लिए भौतिक सुविधाओं के प्रावधान, शिक्षण प्रशिक्षण, मूल्यांकन का पर्यवेक्षण आदि सहित यथा आवश्यक साधनों का प्रावधान।

4.10.3 न्यूनतम साक्षरता मिशन नीति का उद्देश्य प्रणाली से निष्पादन एवं दक्षता विश्लेषण के उपाय उपलब्ध करवाना है। जहां शिक्षण का निम्न स्तर है, वहां सीधे अधिक संसाधनों के लिए शिक्षण की उपलब्धियों पर निगाह रखने का प्रयास किया जाएगा और जरूरतमंद क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा ताकि इनके द्वारा विषमताएं दूर की जा सकें, स्तरों में समानता लाई जा सके और प्रणाली के कार्यनिष्पादन द्वारा समानता में सुधार के लिए साधन निर्धारित किए जा सकें। न्यूनतम शिक्षण स्तर जनवरी,. 1990 में स्थापित एक समिति द्वारा निर्धारित किए गए थे। 1991-92 में समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए कार्य शुरू हो गया है। दिसम्बर, 1991 तक रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए 18 संस्थानों, विश्वविद्यालयों विभागों, कार्यान्वयन शिक्षा कालेजों आदि ने परियोजनाएं शुरू की है, जिनमें 3000 स्कूल और 7 लाख बच्चे शामिल हैं। 1991-92 के दौरान इन सस्थाओं को 63 लाख रूपये की राशि संस्वीकृत की गई है।

4.10.4 ये कुछ शुरू की परियोजनाएं कार्य अनुसंधान की ओर उन्मुख थीं जिनका उद्देश्य सक्षमता आधारित शिक्षा के लिए सुपरीक्षित अनुदेशक-सामग्री हेतु प्रणाली विज्ञान प्रक्रिया का मानकीकरण करना था; शिक्षक प्रशिक्षण में प्रयोग के लिए मद बैंक विकसित करना और ऐसी आवश्यक टीमें तैयार करना था जो प्रमुख प्रणाली में निर्देश दे सकें।

जिला समेकित शिक्षा प्रशिक्षण एवं राज्य शै०अनु०प्र० परिषदों के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नया रूप देकर तथा सक्षमता आधारित शिक्षण को उनके स्त्रोत कार्यक्रमों तक केन्द्रित बनाकर न्यूनतम शिक्षण स्तर को लागू करने के लिए भी प्रयास किया गया।

बाल भवन सोसाइटी

4.11.1 पंडित जवाहर लाल नेहरू की प्रेरणा पर बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली की स्थापना की गई तथा इसे भारत सरकार द्वारा 1955 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। यह शिक्षा विभाग द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित एक स्वायत्त संगठन है। यह सोसाइटी 5—16 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों में सृजनात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देने में अपना योगदान देती है। विशेषकर समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों तथा अन्य वर्गों के बच्चे सृजनात्मक एवं निष्पादन कलाओं, पर्यावरण, खगोल विज्ञान, फोटोग्राफी, एकीकृत कार्य-कलाप एवं शारीरिक कार्यकलापों तथा विज्ञान संबंधी कार्यकलापों में अपनी-अपनी पंसद के कार्यकलापों का अध्ययन कर सकते हैं। समिति के 52 बाल भवन केन्द्र है जो सारी दिल्ली में फैले हुए हैं और यह दो जवाहर बाल भवनों, का भी वित्तपोषण कर रही है जिनमें से एक श्रीनगर में तथा दूसरा मंडी में है। बाल भवन का राष्ट्रीय प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र इच्छुक व्यक्तियों को, जिनमें शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षक भी शामिल हैं, बाल भवन प्रणाली में प्रशिक्षण प्रदान करता है। देश में राज्य तथा जिला बाल भवन भारतीय बाल भवन समिति से संबद्ध है, जो उन्हें सामान्य मार्गदर्शन, प्रशिक्षण सुविधाओं और सूचना स्थानांतरण की व्यवस्था करते हैं। बाल भवन का उद्देश्य है स्वतंत्र व खुशहाल वातावरण में बच्चे का चहुंमुखी विकास।

4.11.2 बाल भवन ने बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए अनेक विज्ञान संबंधी कार्यक्रम आरंभ किए:

(क) भारतीय बाल भवन समिति परिसर में कम मूल्य तथा बहु-आयामी दृष्टिकोण वाला एक विज्ञान पार्क बनाया गया।

(ख) अन्य बाल भवनों के शिक्षकों के लिए खगोल विज्ञान पर कार्यशालायें तथा सौर ऊर्जा सेल आयोजित किए गए ताकि अन्य राज्यों के बच्चों को विज्ञान कार्यकलापों में शामिल किया जा सके।

(ग) बाल भवन में एन० सी० एस० टी० सी० (विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग) के सहयोग से कम लागत की दूरबीन तैयार करने, चल तारामंडल की देखरेख एवं उसका अनुरक्षण और चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या विषय पर एक-एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में राज्य बाल भवनों के बालकों और शिक्षकों ने भाग लिया।

4.11.3 बच्चों में पर्यावरण संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

(क) युवा पर्यावरण विशेषज्ञों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन बच्चों को पर्यावरण की स्थिति पर अपने भावों और विचारों को सामने रखने का एक मंच उपलब्ध करवाने का अद्वितीय प्रयास था। इस सम्मेलन ने बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की और बाल प्रतिनिधियों ने एक चार्टर तैयार किया जिसे न्यूयार्क के यूनीसेफ विश्व सम्मेलन में भेजा गया।

(ख) सभी प्राणियों के सह-अस्तित्व के महत्व और पारिस्थितिक संतुलन की आवश्यकता पर बल देने के लिए एक साप्ताहिक पर्यावरण जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। राज्य बाल-भवनों, आदिवासी एवं स्लम क्षेत्रों के बच्चों ने इसमें भाग लिया।

(ग) बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में वर्षा ऋतु अभिनंदन, मल्हार मिलन और ग्रीष्म शिविर शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और विख्यात कलाकारों और प्रेरक व्यक्तियों से परिचित करवाया।

(घ) बच्चों को सद्भावनापूर्ण माहौल में रहने की शिक्षा देने के लिए एक राष्ट्रीय बाल-सभा आयोजित की गई। एक बाल-संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया।

(ङ) बाल-प्रतिभा को, विशेषकर विपन्न वर्गों की बाल प्रतिभा को रचनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के बाल भवन की चेष्टा के भाग के रूप में विकलांग बच्चों लिए ''अभिप्रेरणा'' नामक एक पांच दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

4.11.4 नेतृत्व-गुणों और शारीरिक अनुशासन के विकास के लिए एक 12 दिवसीय गोवा यात्रा का आयोजन किया गया

4.11.5 अंतर्राष्ट्रीय एकता की भावना को बल प्रदान करने के मंतव्य से जर्मन संघीय गणराज्य और साइप्रस के सहयोग से सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम आयोजित किए गए।

5. माध्यमिक शिक्षा

5. माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

5.1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षा के व्यावसायीकरण को प्रदत्त प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना, जो फरवरी, 1988 में शुरू की गई थी, उत्साहपूर्वक कार्यान्वित की जाती रही। इस योजना के मुख्य उद्देश्य विविध प्रकार के शैक्षिक अवसर प्रदान करना ताकि वैयक्तिक रोजगार योग्यता को बढ़ाया जा सके, कौशलयुक्त जनशक्ति की मांग तथा आपूर्ति के बीच असमानता को कम किया जा सके, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए कोई विकल्प प्रदान किया जा सके।

5.1.2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन क्षेत्र व्यावसायिक सर्वेक्षणों, रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के आधार पर किया जाता है, और जिला विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत जनशक्ति आवश्यकताओं का एक सामान्य मूल्यांकन किया जाता है। कुछ हद तक इससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्रों को उन व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है जिनमें स्वतः अथवा मजदूरी रोजगार के अवसरों का आश्वासन दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठयचर्याएं आवश्यकता आधारित है और सामाजिक रूप से संगत है, पाठयचर्याओं तथा शैक्षिक सामग्री के विकास की जिम्मेदारी को स्थानीय विशेषज्ञ संगठनों के सहयोग से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों पर छोड़ दिया गया है। तथापि, यह सिफारिश की गई है कि व्यवसायिक सिद्धान्त और प्रयोग को कुल शैक्षिक समय का लगभग 70% दिया जाना चाहिए। नौकरी के वक्त प्रशिक्षण पाठयचर्याओं का एक अभिन्न भाग है। शेष समय को भाषाओं के अध्ययन और सामान्य आधार पाठयक्रम को आवंटित किया जाता है।

5.1.3 योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर प्रतिस्थानी निकायों सहित राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद (जे० सी० वी० ई०) गठित की गई है ताकि विभिन्न एजेंसियों/संगठनों द्वारा आयोजित व्यावसायिक कार्यक्रमों के नीति-दिशा-निर्देश, आयोजना और समेकन निर्धारित किए जा सकें। जे० सी० वी० ई० के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, संसद-सदस्यों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों, व्यावसायिक शिक्षा में विशेषज्ञों और अखिल भारतीय व्यावसायिक निकायों से अपने सदस्य प्रतिनिधि हैं और इसके अध्यक्ष केन्द्रीय शिक्षा मंत्री है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जे० सी० वी० ई० द्वारा निर्धारित कार्यों का निष्पादन कारगर ढंग से किया जा रहा है केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में जे० सी० वी० ई० की एक स्थायी समिति भी गठित की गई है।

5.1.4 इस समय 27 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। सातवीं योजना के अंत तक कक्षा-XI और XII में एक साथ 3.94 लाख छात्रों की नामांकन संख्या सहित 7888 व्यावसायिक अनुभाग अनुमोदित किए जा चुके थे। 1990-91 के दौरान 1128 अतिरिक्त अनुभाग अनुमोदित किए गए थे। 1991-92 के दौरान अन्य 1400 व्यावसायिक अनुभाग संस्वीकृत करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार 1991-92 के अंत तक व्यावसायिक धारा में 5.85 लाख छात्रों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो गई होती। 1991-92 के दौरान + 2 स्तर पर अनुमानित नामांकन 66.05 लाख है। इसका आशय व्यावसायिक धारा की ओर लगभग 8.7% को उन्मुख करना होगा। तथापि, संभवतया वास्तविक नामांकन कम होगा क्योंकि उपलब्ध सुविधाओं की अधिकतम उपयोगिता का लक्ष्य प्राप्त न हो सके।

5.1.5 माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकीकरण की योजना में व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शुरू किए गए नवीन कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। 1991-92 के दौरान 6 स्वैच्छिक संगठनों को लगभग 16.217 लाख रु० की वित्तीय सहायता दी गई है।

5.1.6 माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकीकरण की योजना में, अध्ययन की अवधि और पाठयक्रम पूरा हो जाने के बाद दोनों के दौरान छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण पर पर्याप्तरूप से बल दिया गया है 1 + 2 स्तर पर व्यावसायिक पाठयक्रम उत्तीर्ण करने वालों के लिए प्रशिक्षण शामिल करने के वास्ते 1956 में प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया था। बाद में, सितम्बर, 1987 में और इसके बाद अप्रैल, 1988 में प्रशिक्षुता नियमों में संशोधन किया गया था जिसके द्वारा प्रशिक्षुता योजना के अंतर्गत व्यावसायिक छात्रों को शामिल करने के लिए 20 विषय क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार के और विषयों को अधिसूचित कराने के प्रयास किए जा रहे है।

5.1.7 बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा कानपुर स्थित शिक्षा विभाग के चार क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निकायों के माध्यम से प्रशिक्षु अधिनियम कार्यान्वित किया जा रहा हैं। एक निर्धारित संख्या में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की सुविधाएं प्रदान करना प्रशिक्षु अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक स्थापना की एक सांविधिक जिम्मेवारी है। 1990-91 तक दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में बोर्डों की 119.08 लाख रु० की राशि उपलब्ध कराई गई थी। 1991-92 के दौरान (नवम्बर, 91 तक) इस उद्देश्य के लिए उत्तरी क्षेत्र को 1.00 लाख रु० की राशि उपलब्ध कराई गई है।

5.1.8 व्यावसायिक छात्रों को, बशर्ते वे निर्धारित न्यूनतम स्तर पूरा करते हों, तत्काल रोजगार सुनिश्चित करने के लिए प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्टि व्यावसायिक पाठयक्रम शुरू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। के० मा० शि० बी० द्वारा सामान्य बीमा निगम और जीवन बीमा निगम के सहयोग के क्रमशः सामान्य बीमा तथा जीवन निगम में इस प्रकार के व्यावसायिक पाठयक्रम पहले ही शुरू किए गए है। रेलवे बोर्ड के सहयोग से रेलवे वाणिज्यिक कर्मचारियों के लिए एक व्यावसायिक पाठयक्रम तैयार किया गया है और उसे 1991-92 के दौरान 5 स्कूलों में शुरू किया गया है। आशा है कि 1992-93 में और स्कूलों में यह पाठयक्रम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से स्वास्थ्य संबंधी पाठयक्रम शुरु किए गए हैं। दिल्ली के 3 स्कूलों में 1991-92 से तीन विभिन्न पाठयक्रम, अर्थात चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन और नैत्र तकनीशियन शुरु किए गए हैं। 1992-93 के दौरान और अधिक स्कूलों को शामिल किया जाएगा।

आशा है कि 1992-93 में और स्कूल पाठयक्रम लागू करेंगे। इसी प्रकार, स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से स्वास्थ्य संबंधी पाठयक्रम शुरू किए गए हैं। तीन विभिन्न पाठक्रम, अर्थात चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन, एक्स-रे तकनीशियन तथा नेत्र तकनीनिशयन 1991-92 से दिल्ली के तीन स्कूलों में शुरू किए गए हैं। 1992-93 के दौरान और स्कूलों को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत दो प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित किए जा रहे सहायक नर्स/ आया पाठयक्रम को दो-वर्षीय व्यावसायिक पाठयक्रम में स्तरोन्नत किया गया है और उसे परीक्षा के उद्देश्यों से के०मा०शि०बो० के साथ सम्बद्ध किया गया है। इस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधों व्यावसायिक पाठयक्रम अनेक राज्यों ने भी शुरु किए हैं। उत्तर प्रदेश को आठ स्कूलों में विकास हस्तकला आयुक्त के सहयोग से हस्तकला क्षेत्र में व्यावसायिक पाठयक्रम शुरू किए गए है। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम में अपनी सहभागिता के इच्छुक अनेक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी औद्योगिकी घरानों के साथ पत्र व्यवहार चल रहा हैं।

5.1.9 व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की सफलता श्रम-एवं-स्वतः रोजगार में व्यावसायिक पाठयक्रम उत्तीर्ण करने वालों को स्थान देने पर निर्भर करेगी। आयोजित क्षेत्र में श्रम रोजगार के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि भर्ती नियमों में संशोधनों किया जाए ताकि व्यावसायिक छात्र रोजगार के लिए पात्र बनाए जा सके और उन्हें उनके द्वारा प्राप्त कौशलों के कारण वरीयता दी जा सके। जहां तक राज्य विभागों/संगठनों का संबंध है इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों/ संध शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है। शिक्षा विभाग की पहल पर केन्द्र में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों को नवम्बर, 1988 में एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें उनसे अपने भर्ती नियमों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है ताकि व्यावसायिक छात्रों को रोजगार के लिए पात्र बनाया जा सके। कुछेक मंत्रालयों/संगठनों ने, जिनके लिए विशेष व्यावसायिक पाठयक्रम शुरु किए गए है, अपने भर्ती नियमों में संशोधन करने संबंधी कार्रवाई की है जिससे संबद्ध व्यावसायिक पाठयक्रम शुरु करने वाले छात्र रोजगार के लिए पात्र बन सकें। कर्मचारी चयन आयोग ने सहमति व्यक्त की है कि जब कभी भी उन्हें विभिन्न रिक्तियां भरने संबंधी अनुरोध प्राप्त होंगे वे संबंधित मंत्रालयों/ विभागों का ध्यान विशेष रूप से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र की ओर करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वे उन पदों के लिए जहां न्यूनतम अर्हता उच्चतर माध्यमिक है व्यावसायिक छात्रों को पात्र बनाएं।

5.1.10 चूंकि,. बैंक क्षेत्र से संबंद्ध अनेक व्यावसायिक पाठयक्रम शुरू किए जा चुके हैं, अतः बैंक प्रभाग, वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि वे बैंकों में विभिन्न पदों के लिए बैंक संबंधी व्यावसायिक पाठयक्रम करने वाले व्यावसायिक छात्रों को वरीयता दें। बैंक प्रभाग ने सहमति व्यक्त की है कि बैंक क्षेत्र-में पदों के लिए व्यावसायिक छात्र पात्र होंगे। उन्हें वरीयता देने संबंधी प्रश्न पर एक बार फिर उस विभाग से बातचीत की गई है।

5.1.11 व्यावसायिक छात्रों को भी स्वतः रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। उद्यमशीलता विकास सभी विकास पाठयक्रमों का एक अभिन्न भाग है। व्यावसायिक छात्रों को लद्यु पैमाने पर व्यापार शुरु करने के लिए आसान किश्तों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने संबंधी प्रश्न पर वित्त तथा उद्योग मंत्रालयों और ग्रामीण विकास विभाग से बातचीत की गई थी। वित्त मंत्रालय ने सूचित किया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उदार लाभ तथा रियायती ब्याज दरों पर लद्यु पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता देने संबंधी अनुदेश पहले ही जारी किए थे। अतः व्यावसायिक छात्रों को लधु पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक सहायता प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए यह भी निर्णय किया गया है कि शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वतः रोजगार की योजना के अंतर्गत उन छात्रों को, जिन्होंने + स्तर के व्यावसायिक पाठयक्रम पूरे किए हैं, वरीयता दी जानी चाहिए बशर्ते वे पात्रता मानदंड पूरे करते हों। इससे सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों और उद्योग सचिवों को अवगत करा दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों/परिवारों के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधाओं की व्यवस्था की ताकि वे स्वयं को स्वतः रोजगार से संबद्ध कर सके। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवारों से उन छात्रों का पता लगाने के लिए, जिन्होंने व्यावसायिक पाठयक्रम पूरे कर लिए हो, परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी से संपर्क स्थापित करें जिससे ये छात्र ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

5.1.12 जे०सी०वी०ई० की स्थायी समिति की दूसरी बैठक 29 जून, 1991 को आयोजित की गई थी। समिति ने मौजूदा योजना के संशोधन पर इसके कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए विचार किया। योजना के विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय अधिकतम सीमा में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव किए गए थे और कच्ची सामग्री के लिए सहायता, सामान्य स्थापना पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए एक शिक्षक, मूल्यांकन और निरीक्षण के लिए सहायता, आदि जैसे नए घटक जोड़ दिए गए थे। स्थायी समिति ने प्रस्तावित संशोधनों को अनुमोदित कर दिया है। स्थायी समिति ने निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा योजना पर भी विचार किया। दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए योजना के प्रारूप में संशोधन किया गया है और उसे स्थायी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। पृथक व्यावसायिक स्कूल खोलने के लिह योजना की रूपरेखा भी स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। यह निर्णय किया गया था कि इसकी अगली बैठक में विचार करने के लिए एक व्यापक योजना का प्रारूप तैयार किया जाए।

5.1.13 रा० शै० अ० प्र० प० ने व्यावसायिक शिक्षा योजना की समीक्षा करने, अनुभवों तथा,विचारों का आदान-प्रदान करने, प्रमुख समकालीन विषयों पर चर्चा करने और भविष्य के लिए नए दृष्टिकोण बनाने के लिए 13-15 नवम्बर, 1991 को शिक्षा के व्यावसायीकरण से संबंधित एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। इस सेमिनार में पाठ्यचर्या तथा शिक्षक प्रशिक्षण; शिक्षण तथा मूल्यांकन कार्य-विधि, उद्यमशीलता, मार्गदर्शन तथा स्थापन; और औद्योगिक संपर्क तथा नौकरी के समय प्रशिक्षण संबंधी विषय शामिल थे। सेमिनार में विभिन्न राज्यों से लगभग 45 व्यक्तियों ने भाग लिया। आशा है कि शीध्र ही इस सेमिनार की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी।

5.1.14 उचित निरीक्षण, मूल्यांकन तथा समीक्षा योजना के लिए एक आंकड़ा आधार तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। योजना के विभिन्न पहलुओं पर वास्तविक आंकड़े का संग्रह किया गया है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से नियमित रूप से सूचना प्रवाह के लिए एक संगणकीकृत प्रबंध सूचना पद्धति भी

तैयार की जा रही हैं। आशा हैं कि प्रस्तावित प्रबंध सूचना पद्धति वित्तीय वर्ष 1992-93 से चालू हो जाएगी।

5.1.15 1991-92 के दौरान योजना का बजट 89.00 करोड़ रु० है जिसमें से नवम्बर, 1991 तक 16.34 करोड़ रु० की राशि दी गई थी।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

5.2.1 व्यापक रूप से शिक्षा सुलभ कराने और उसमें कोटिपरक सुधार लाने के लिए चौथी योजनावधि के दौरान वर्ष 1972 में केन्द्रीय क्षेत्र में एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत रा० शै० अ० प्र० प० में एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र खोला गया था और शैक्षिक प्रौद्योगिकी कक्ष स्थापित करने के लिए 21 राज्यों को 100% सहायता प्रदान की गई थी।

5.2.2 इनसैट के आगमन से प्रसारण सुविधाओं के विस्तार और शैक्षिक साफ्टवेयर की सहवर्ती मांग को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने उपग्रहों के माध्यम से प्रसारण के लिए शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी लेने का निर्णय किया। तदनुसार मंत्रालय द्वारा रा० शै० अ० प्र० प० में और छः राज्यों, अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों में एक केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करके और अन्य राज्यों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी कक्षों को सुदृढ करके विकेन्द्रीकृत आधार पर शैक्षिक क्षेत्र के अन्दर शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने की सुविधाएं उपलब्ध कराने की एक योजना तैयार की गई थी।

5.2.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य पूरे करने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना को 1987 में संशोधित किया गया था ताकि शैक्षिक दूरदर्शन तथा श्रव्य कार्यक्रम निर्माण क्षमताओं को सुदृढ किया जा सके और उन्हें सातवीं योजना के दौरान प्राथमिक स्कूलों को एक लाख रंगीन टेलीविजन सेट और पांच लाख रेडियो एवं कैसेट प्लेयर्स की आपूर्ति करके व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके।

5.2.4 शिक्षा और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों की संचार माध्यम समय आवश्यकता से संबंधित उपग्रह सेवाओं के उपयोग का अध्ययन करने तथा उनकी सिफारिश करने के लिए अगस्त, 1987 में संयोजक के रूप में डा० किरण कार्निक के साथ एक दल गठित किया गया था। सरकार दल की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

5.2.5 केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान और सभी छः एस० आई० ई० टी० में कार्यक्रम निर्माण शुरू हो गया है। वास्तव में, शैक्षिक वर्ष 1988-89 से कार्यक्रम निर्माण की जिम्मेवारी को, जिसे उस समय तक के० शै० प्रौ० सं० और दूरदर्शन के बीच 50:50 आधार पर आपस में निभाया जा रहा था, के० शै० प्रौ० सं० और एस० आई० ई० टी० द्वारा संभाल लिया गया है। इस समय उपग्रह आधारित शैक्षिक दूरदर्शन सेवा में प्राथमिक स्तर पर बच्चों तथा उनके शिक्षकों के लिए समय विभाजन के आधार पर प्रत्येक पांच क्षेत्रीय भाषाओं, अर्थात गुजराती, हिन्दी, मराठी, उड़िया तथा तेलुगु में 45 मिनट की अवधि के लिए प्राप्त शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण की व्यवस्था है। ये कार्यक्रम बच्चों के लिए सोमवार से शुक्रवार तथा प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए प्रत्येक शनिवार प्रसारित किए जाते हैं। 5-8 और 9-11 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों के लिए प्रत्येक दिन अलग से कार्यक्रम है।

5.2.6 छः इनसैट राज्यों में सभी उच्च और निम्न शक्ति के ट्रान्समीटरों द्वारा ये शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित किए जाते है। हिन्दी में ये कार्यक्रम पांच हिन्दी भाषी राज्यों, अर्थात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तथा राजस्थान और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ, द्वारा भी प्रसारित किए जाते हैं।

5.2.7 बम्बई और हैदराबाद से सुविधाएं जोड़ने की उपलब्धता के कारण प्रसारण समय का नवम्बर, 1991 से पुनः निर्धारण किया गया है।

5.2.8 केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने अक्तूबर, 1991 तक 646 शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम और 914 भाषा रूपान्तर तैयार किए हैं। इसने 1986, 1987, 1988 तथा 1989 की ग्रीष्म अवधि के दौरान एम० ओ० एस० टी० के कार्यक्रमों के लिए 450 केप्सूलों का भी निर्माण किया है। एस० आई० ई० टी० द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों की संख्या सारणी 5.1 में दी गई है।

सारणी 5.1

जुलाई, 1991 तक राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों की संख्या

राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान	कार्यक्रमों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	562
2. बिहार	105
3. गुजरात	805
4. महाराष्ट्र	1058
5. उड़ीसा	107
6. उत्तर प्रदेश	604

5.2.9 एस०आई०ई०टी० द्वारा प्रबंध और तकनीकी कार्मिकों के सम्बन्ध में की जा रही समस्याओं के कारण अपेक्षित स्तर की पर्याप्त उत्पादन क्षमता प्राप्त करने में उसकी प्रगति धीमी रही है। एस०आई०ई०टी० के कार्यकलापों में सुधार के उपाय सुझाने के लिए गठित कार्यदल ने अन्य बातों के साथ एस०आई०ई०टी० को राज्य सरकारों के तत्वावधान में पंजीकृत सोसाइटियों के रूप में स्वायत्त संगठन में परिवर्तन करने का भी सुझाव दिया। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के एस०आई०ई०टी० स्वायत्त हो चुके हैं। बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के एस०आई०ई०टी० शीघ्र ही सोसाइटी के रूप में पंजीकृत होने वाले हैं, जबकि गुजरात सरकर के मामले पर बातचीत चल रही है।

5.2.10 शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण में निजी निर्माताओं को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रा०शै०अनु० व प्र०प० ने सी०आई०ई०टी० के लिए वीडियो / फिल्में तैयार करने के लिए बाहरी निर्माताओं को शामिल करने हेतु कार्य पद्धतियां विकसित करने के लिए एक समिति गठित की है। बाहारी निर्माताओं को दिये गये 9 शैक्षिक टेलिविजन वीडियो कार्यक्रम तैयार हो चुके हैं और अन्य आठ कार्यक्रम पूरे होने वाले है।

5.2.11 शैक्षिक टेलिविजन योजना के तहत सी टी वी सेट और आर सी सी पी वितरित करने का एक महत्वांकाक्षी कार्यक्रम शुरू किया

गया था। राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा श्रव्य कार्यक्रम निर्माण के लिए धन मंजूर किया जा रहा है। केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्कूल शिक्ष के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न शैक्षिक विषयों पर 1100 से भी अधिक श्रव्य कार्यक्रम तैयार किए है। राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा या तो स्वयं या बाहरी एजेंसियों के माध्यम् से श्रव्य कार्यक्रमों के निर्माण के लिए तेज प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार लगभग 40 वीडियो और श्रव्य कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की गई है जो जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों को अपने शिक्षक- प्रशिक्षण कार्यकलापों में सार्थक संचार सहायता प्रदान करेंगे।

5.2.12 शिक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्धियों का सार सारणी 5.2 में प्रस्तुत है।

तालिका 5.2

शैक्षिक प्रौद्योगिक: उपलब्धियां

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	कुल
व्यय राशि (करोड़ रू० में)	14.14	16.20	16.50	14.57	3.15	64.56
शामिल किए गये संचित राज्यों की संख्या	13	29	31	32		32
वितरित टी वी सैटों की संख्या	10049	12049	2799	6232	—	31129
वितरित रेडियो व कैसेट प्लेयर की संख्या	37562	67735	49963	72883	315	231228
सतत योजनाएं						
1. सी०आई०ई०टी० को जारी की गई राशि (रू करोड़ में)	5.28	3.10	3.146	2.37	2.00	15.89
2. एस०आई०ई०टी० को जारी की गई राशि (रू० करोड़ में) (6 इन्सेट राज्य, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश)	1.40	1.53	2.20	0.44 योजनागत 0.45 योजनेत्तर	0.63	6.65
3. ई०टी० क्षेत्रों को जारी की गई राशि (रू० करोड़ो में)	0.22	0.26	0.54	—	—	1.02
4. टी०वी० / आर०सी०सी०पी० के लिए राज्यों / संघ शासित प्रदेशो को जारी की गई राशि (रू० करोड़ो में)	7.15	11.19	10.60	11.66	0.33	40.93
5. आर०सी०सी०पी० के लिए साफ्टवेयर का विकास (रू० करोड़ो में)	—	—	—	0.10	0.19	0.29

स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार

5.3.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, में परिकल्पित धारणा के अनुरूप विज्ञान शिक्षा की कोटि में सुधार और वैज्ञानिक मानसिकता को प्रोन्नत करने के लिए स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार की केन्द्र प्रायोजित स्कीम 1987-88 की अंतिम तिमाही के दौरान शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत उच्च प्राथमिक स्कूलों को विज्ञान किटों के प्रबंध के लिए एक अपेक्षित स्तर तक सैकेण्डरी और हायर स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के प्रोन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के प्रोन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए, सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी स्कूलों में पुस्तकालयों के प्रोन्नयन, विज्ञान शिक्षा के जिला संसाधन केन्द्रों की स्थापना शैक्षिक सामग्रियों के विकास में और विज्ञान व गणित के शिक्षको के प्रशिक्षण के लिए राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह स्कीम विज्ञान शिक्षा नवाचारी परियोजनाएं और संसाधन संभरण कार्यकलाप शुरू करने के लिए विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हालांकि इस स्कीम का उद्देश्य आठवीं योजना के अंत तक एक चरबद्ध क्रम में सभी सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक, सैकेण्डरी और हायर सैकैण्डरी स्कूलों को इसमें शामिल करना है, इस मंत्रालय ने वित्तीय रूकावटों को देखते हुए 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल विद्यमान स्कूलों का 55% शामिल करने का प्रस्ताव रखा है।

5.3.2 1990-91 तक इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों के आंकड़े तथा 1991-92 के दौरान पूर्वानुमान उपलब्धियां नीचे की सारणी 5.3 में दिए गए हैं।

सारणी 5.3

विज्ञान शिक्षा : उपलब्धियां

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	पूर्वानुमान कुल
व्यय राशि (करोड़ रू० में)	29.27	29.16	21.60	20.50	23.99	124.61
शामिल किए गए राज्य / संघ शासित क्षेत्र शामिल किए गए स्कूलों की संख्या	19	15	21	24	25	32
1.उच्च प्राथमिक (विज्ञान किट)	20.719	14,037	8,463	5,791	6,000	55,010

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	पूर्वानुमान कुल
सैकण्डरी / हा०सै० (पुस्त०सहायता)	8899	5,784	1,699	3843	3,000	23,225
सैकेण्डरी / हा०सै० (प्रयोगशाला सहायता)	6.920	5392	2761	3,981	4,200	23,254
ामिल किए गए स्वैच्छिक संगठनों की संख्या नवाचारी) कार्यक्रमों के लिए	—	8	11	7	6 (नए) 20	
ायी जिला संसाधन केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त ंस्थाओं की संख्या	80	13	22	60	60	

ंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलम्पियाड—स्कूल शिक्षा

.4.1 स्कूल स्तर पर गणित में प्रवीणता विकसित करने के ्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलम्पियाड प्रत्येक वर्ष आयोजित ॅया जाता है। भारत इस आलम्पियाड में 1989 से भाग ले हा है। भाग लेने वाले प्रत्येक देश को इसमें एक दल ेजना होता है जिसमें माध्यमिक स्कूल के 6 प्रतियोगी छात्र, ्क दल नायक और एक दल उपनायक शामिल होते हैं।

.4.2 विद्यमान वित्तीय पद्धति के अनुसार, भाग लेने वाले दल े ठहरने पर भोजन, आवास व आने जाने के किराये के ाए भुगतान भेजबान देश को करना होगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ात्रा पर होने वाला खर्च भाग लेने वाले देशों द्वारा वहन ॅया जाएगा। पिछले तीन ओलम्पियाड से भारतीय दल, शिक्षा ्भाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड (रा०उ०ग०बो०) तथा परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा प्रायोजित किया ा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का खर्च शिक्षा विभाग ने दिया ा तथा छात्रों के चयन, आंतरिक यात्रा आकस्मिक खर्चे आदि ा व्यय राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड द्वारा वहन किया गया था।

5.4.3 आठ सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें छः प्रतियोगी छात्र, एक दल नायक और एक दल उपनायक शामिल थे, ने जुलाई, 1991 को स्वीडन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलम्पियाड में भाग लिया। भाग लेने वाले 55 देशों में से भारत का दसवां स्थान था। प्रत्येक प्रतियोगी छात्र ने एक-एक मेडल जीता—जिसमें 3 ने रजत और 3 ने कांस्य पदक जीते।

स्कूल शिक्षा में पर्यावरण बोध को शामिल करना

5.5.1 स्थानीय पर्यावरण संबंधी स्थितियों के साथ स्कूलों के शैक्षिक कार्यक्रमों के तालमेल को बढ़ाने के लिए, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में विचार किया गया, स्कूल शिक्षा में पर्यावरण बोध की एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम 1988-89 से प्रारंभ की गई है।

5.5.2 इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों और स्वैच्छिक ऐजेंसियों को 100% सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना आधार पर छात्रों में पर्यावरणीय चेतना उत्पन्न करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों / कार्यकलापों को प्रारंभ करने के लिए राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में एक रूप पारिस्थितिक स्थितियों वाले कुछ ब्लाक / जिले शामिल होने चाहिएं। एक राज्य / संघ शासित प्रदेश द्वारा प्रारंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यकलापों की योजना, समन्वय और अनुश्रवण के उद्देश्य से राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ के गठन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार स्थानीय पर्यावरणीय स्थितियों और महत्वों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के अभिकल्पन और आयोजन के उद्देश्य से प्रत्येक परियोजना क्षेत्र के लिए परियोजना प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस परियोजना के कार्यकलापों में पाठ्यचर्याओं को विशिष्ट रूप से स्थानीय बनाने के लिए इसकी परिवीक्षा और विकास, पाठ्यपुस्तकें, शैक्षणिक सामग्रियां, सूचनात्मक पुस्तकें, सूचना पुस्तिकाएं, ब्रोशर, पोस्टर, स्लाइड्स, श्रव्य टेप, दृश्य टेप, पर्यावरण पर फिल्म, पर्यावरणीय चेतना उत्पन्न करने के लिए सेमिनारों का आयोजन, शिक्षकों का दिग्विन्यास, स्मारकों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए उनका अभिग्रहण, परिस्थिति की समस्याओं का अध्ययन आदि सम्मिलित है। परियोजना के अंतर्गत अधिमत कार्यकलापों में से एक स्कूल नर्सरियों की स्थापना का है। स्कूल शिक्षा में पर्यावरणीय दिग्विन्यास के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक और नवाचारी कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी जाती है।

5.5.3 इस परियोजना के अंतर्गत 1987-88 से 1990-91 के दौरान उपलब्धियों तथा 1991-92 के दौरान पुवार्ननुमान उपलब्धियों का सार नीचे की सारणी 5.4 में प्रस्तुत है:—

सारणी 5.4

स्कूल शिक्षा में पर्यावरणीय दिग्विन्यास : उपलब्धियां

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	कुल
व्यय राशि (रूपये करोड़ों में)	कुछ नहीं	1.92	1.65	2.00	3.00	86.7
शामिल किए गये राज्य / संघ शासित क्षेत्रों की संख्या	कुछ नहीं	15	10	8	11	32

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	कुल
स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुछ नहीं	25	7	6	12	50
शामिल किए गए स्कूलों की संख्या	कुछ नहीं	7298	4,512	4,876	6,000	22,68
सहायता प्राप्त स्वैच्छिक निकायों की संख्या	कुछ नहीं	6	9	7	10 5-(नए)	17

स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा

5.6.1 स्कूलों में संगणक साक्षरता तथा अध्ययन (कलास) की एक प्रमुख परियोजना 248 चुनिंदा माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 1984-85 में, इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से, छात्रों व शिक्षकों को संगणक अनुप्रयोग के विस्तार तथा इसकी क्षमताओं से एक अध्ययन माध्यम के रूप में परिचित कराने के लिए शुरू की गई थी। वर्ष 1989-90 तक परियोजना के अंतर्गत 2598 स्कूलों को शामिल किया गया था। स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने तथा भाग लेने वाले स्कूलों को तर्कसंगत सहायता उपलब्ध कराने के लिए साठ संसाधन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। हार्डवेयर का रखरखाव तथा इसकी स्थापना की जिम्मेदारी संगणक रखरखाव निगम की बनी रही तथा रा॰शै॰अनु॰प्र॰ परिषद् इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख एजेंसी बनी रही। परियोजना की संचालन समिति की अध्यक्षता इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा शिक्षा विभाग के सचिवों द्वारा संयुक्त रूप से की गई। वर्ष 1985-86 तक सकूलों ने 2 बी॰बी॰सी॰ माइक्रो का एक सैट प्राप्त किया। वर्ष 1987-88 से आगे इसकी संख्या 5 बी॰बी॰सी॰ माइक्रो तक बढ़ गई। पिछले वित्तीय वर्ष : एक निर्णय यह लिया गया कि उन (1249) पुराने स्कूलों को अतिरिक्त : बी॰बी॰सी॰ माइक्रो उपलब्ध कराए जाएंगे जहां अभी तक केवल 2 कम्प्यूट है। अतः वर्ष 1990-91 से कोई नया स्कूल शामिल नहीं किया गया है परियोजना का मूल्यांकन वर्ष 1986 में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र अहमदाबाद द्वारा किया गया था।

5.6.2 राष्ट्रीय शिक्षा निति, 1986 में निर्धारित उद्देश्यों के अनुसरण : वर्ष 1987-88 में एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया जिसके अंतर्ग पूरे देश के 13,000 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को शामिल किया गया तथापि, निधियों की कमी के कारण तथा अन्य प्रशासनिक कारणों : 13,000 स्कूलों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव पूरा नहीं किया ज सका। परियोजना में आगे विस्तार के लिए इसकी समीक्षा की जा रही है।

5.6.3 स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन (कलास) परियोज- के अंतर्गत उपलब्धियां निम्न तालिका में दर्शाई गई हैं:—

सारणी 5.5

क्लास परियोजना: उपलब्धियां

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (31.3.92 तक प्रत्याशित)	कु.
खर्च की गई राशि (करोड़ रु॰ में)	**5.39**	**5.98**	**6.00**	**5.86**	**6.00**	**29.2**
सहायता प्राप्त राज्यों की संख्या संचयी	**31**	**31**	**32**	**—**	**—**	**3**
शामिल किए गए स्कूलों की संख्या संचयी	1949	2327	2598	—	—	259

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना:

(स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा)

5.7.1 राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना को अप्रैल, 1980 में औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा के संस्थानीकरण करने के मुख्य उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। इस कार्यक्रम के क्रियाकलापों को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष तथा यूनेस्को के साथ स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग के साथ विकसित किया गया था। रा॰शै॰अ॰प्र॰परि॰ इसे तकनीकी सहायता प्रदान करती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में रा॰ज॰शि॰ परियोजना को बढ़ाने का निर्णय किया है। जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य युवा छात्रों को जनसंख्या, विकास तथा जीवन की कोटि के बीच अन्तःसम्ब: की जानकारी देना है। इसके अतिरिक्त यह उनमें जनसंख्या संबंधी मुद्दों : प्रति तर्कसंगत प्रतिक्रिया तथा जिम्मेदार व्यवहार विकसित करने तथा उन सकारात्मक मूल्यों के प्रति उत्साह बढाने का प्रयास करती है ताकि वे स्व अच्छे निर्णय ले सके तथा जो बाद में छोटा परिवार पद्धति को बढ़ा देगी। यह योजना इस समय उन्नतीस राज्यों तथा संघ शासित प्रशासनों कार्यान्वित की जा रही है।

5.7.2 वर्ष 1991-92 के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में मुख्य क्रियाकला थे:-

— प्रशिक्षण, शैक्षणिक तथा अनुपूरक सामग्री तैयार करना

— शिक्षक-शिक्षकों की अवस्थापना तथा राज्य जनसंख्या शिक्षा सैलों में नए रूप से नियुक्त किए गए परियोजना कार्मिकों को सघन प्रशिक्षण प्रदान करना।

— परियोजना के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के लिए राज्य शैक्षिक प्राधिकारियों जैसे स्कूल बोर्ड, पाठ्य पुस्तक ब्यूरो तथा स्वैच्छिक संगठनों के साथ बैठकें आयोजित करना।

— समुदाय तथा गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय सहभागिता के साथ-साथ सह-पाठ्यचर्या क्रियाकलाप आयोजित करना।

— जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों का प्रभाव तथा स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों तथा शिक्षकों में जागृति तथा प्रतिक्रिया क्रियाकलापों का पता लगाने के लिए मूल्यांकन तथा अनुसंधान क्रियाकलाप करना।

.7.3 वर्ष के दौरान किए गए क्रियाकलाप निम्नलिखित थे:-

— विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या शिक्षा में महत्वपूर्ण पैकेज के लिए सामग्री जैसे कि पाठ्यचर्या सामग्री, प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक सामग्री, मूल्यांकन, अनुसंधान, सह-पाठ्यचर्या क्रियाकलाप, बिजली माध्यम तैयार किया गया।

— चित्र कथाओं का विकास किया गया तथा उन्हें छापा गया। फिर उन्हें कक्षाओं में देखा गया तथा उस पर छात्रों की प्रतिक्रिया ली गई और उसका विश्लेषण किया गया। इन पोस्टरों और चित्र कथाओं के रूप में तैयार की गई सामग्री को फिर यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय बैंकाक में और आगे समीक्षा तथा इसे अपनाए जाने के लिए भेजा गया।

— जनसंख्या वृद्धि तथा पर्यावरण में दो वीडियो कार्यक्रम तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों को दर्शाने वाले इन वीडियो कार्यक्रमों के मैनुअल भी तैयार किए गए।

— राज्य जनसंख्या शिक्षा सैलों से 25 परियोजना कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया तथा लगभग 400 शिक्षकों, तथा प्रिंसिपलों को चार क्षेत्रीय कालेजों द्वारा प्रशिक्षित किया गया।

— राज्य जनसंख्या शिक्षा सैलों तथा कुछ क्षेत्रीय शिक्षा केन्द्रों द्वारा पूरे देश में जनसंख्या शिक्षा सप्ताह मनाया गया। जनसंख्या शिक्षा सप्ताह को 11 जुलाई, 1991 को विश्व जनसंख्या दिवस समारोह के साथ मनाया गया।

— जनसंख्या शिक्षा पर स्रोत पुस्तक मुद्रित की गई तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा राज्य जनसंख्या शिक्षा सैलों को भेजी गई। स्रोत पुस्तक की प्रतियों को यूनेस्कों क्षेत्रीय कार्यालय, यू॰एन॰एफ॰पी॰ए॰, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, मा॰सं॰वि॰ मंत्रालय तथा अन्य क्षेत्रीय एजेंसियों को भेजा गया।

— परियोजना क्रियाकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रा॰शै॰अ॰प्र॰ परिषद् के संकाय सदस्यों द्वारा विभिन्न राज्यों में जाकर राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया गया।

7.4 रा॰ जनशिक्षा परियोजना (स्कूल तथा गैर-औपचारिक शिक्षा) के लिए बजट प्रावधान वर्ष 1991-92 के लिए योजनागत के अंतर्गत 100 लाख रु॰ है।

विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा

5.8.1 वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि अल्प विकलांगों को यदि सामान्य स्कूल में स्वस्थ बच्चों के साथ-साथ पढ़ाया जाए तो वे शैक्षिक तथा मानसिक रूप से और अधिक प्रगति कर सकते हैं। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों/स्वैच्छिक संगठनों के लिए स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है। व्यय की स्वीकृत मदें हैं-पुस्तकें तथा लेखन सामग्री का भत्ता, परिवहन भत्ता, वर्दी भत्ता, पढ़ने वाले का भत्ता (नेत्रहीन बच्चों के लिए), मार्गरक्षण भत्ता (निचले भाग की विकलांगता वाले विकलांगों के लिए), उपकरण भत्ता तथा छात्रावास शुल्क जहां आवश्यक हो। इसके साथ-साथ योजना में शिक्षकों के वेतन व प्रोत्साहन, संसाधन कक्षों की स्थापना, विकलांग बच्चों का आकलन करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्कूलों में वास्तुकला अवरोधों को हटाने, विकलांग बच्चों के लिए विशेष निर्देशात्मक सामग्री के विकास तथा निर्माण आदि का भी प्रावधान है। वि॰अनु॰आ॰ के माध्यम से चुनिन्दा विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को विकलांग बच्चों के शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षा पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए भी सहायता दी जाती है। रा॰शै॰अनु॰प्र॰परि॰ तथा चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों द्वारा भी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

5.8.2 योजना को अभी आंध्र प्रदेश, बिहार, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कार्यान्वित किया जा रहा हैं।

5.8.3 विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा की एक यूनिसेफ सहायता प्राप्त योजना है जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि

सामान्य स्कूलों में विकलांगता सहित बच्चों की शिक्षा के लिए संदर्भ-विशिष्ट नीतियों का विकास करें। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के साथ-साथ विकालांग बच्चों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के लिए होने वाले व्यय को वहन करने के लिए राज्यों/संघशासित प्रशासनों को सहायता प्रदान की जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों से एक ब्लाक तथा दिल्ली और बड़ौदा नगर निगम को भी शामिल किया गया है।

5.8.4 इस योजना के अन्तर्गत इस समय 6000 स्कूलों के लगभग 28,000 बच्चे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। काफी संख्या में बच्चे विशेष शिक्षकों तथा अन्य अध्ययन सामग्री के माध्यम से अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान 4.00 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान में से विभिन्न राज्यों, संघशासित प्रशासनों तथा स्वैच्छिक संगठनों को 1.43 करोड़ रु॰ की वास्तविक राशि प्रदान की गई है। (30-11-91 को)

युद्धों को दौरान सशस्त्र बलों के मारे गए या विकलांग अधिकारी और जवानों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें।

5.9.1: केन्द्र सरकार और अधिकांश राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों ने वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध और 1965 एवं 1971 के भारत पाक युद्धों के दौरान मारे गए या स्थायीरूप से विकलांग रक्षा कार्मिकों एवं अर्द्ध-सैनिक बलों के जवानों को शैक्षिक रियायतें देना जारी रखा।

5.9.2 वर्ष 1988 के दौरान ये रियायतें श्री लंका में कार्रवाई के दौरान मारे गए/विकलांग हुए भारतीय शांतिसेना/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के बच्चों और सियाचिन क्षेत्र में मेघदूत ऑपरेशन के दौरान मारे गए/विकलांग हुए सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बच्चों के लिए भी बढ़ा दी गयी।

5.9.3 वर्ष 1991-92 में 1 लाख रुपए के बजट प्रावधान में से 4 छात्रों ने 57,585.00 रु० की इन रियायतों का लाभ उठाया।

योग को प्रोत्साहन:

5.10.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने के लिए योग की अंतर्निहित उपयुक्तता को समझते हुए देश में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए सम्पूर्ण कार्यक्रम के एक अंग के रूप में योग को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना लागू कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर की योग संस्थाओं को चिकित्सीय पहलुओं को छोड़कर अन्य रखरखाव तथा मौलिक अनुसंधान, शिक्षक प्रशिक्षण जैसे पहलुओं सहित सभी पहलुओं पर, कार्यक्रमों के लिए विकास संबंधी खर्च के लिए, वित्तीय सहायता दी जाती है। योग के चिकित्सीय पहलुओं को प्रोत्साहन देने के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

5.10.2 इस योजना के अंतर्गत कैवल्यधाम श्रीमान माधव योग मंदिर समिति, लोनावला (पुणे) को रखरखाव तथा अनुसंधान और शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विकास संबंधी खर्च के लिए सहायता दिया जाना जारी है। वर्ष 1991-92 के दौरान के एस एम वाई एम समिति को 10 लाख रुपये का योजनागत तथा 15.00 लाख रुपये का योजनेत्तर अनुदान प्रदान किया गया (30.11.1991 की स्थिति के अनुसार)।

5.10.3 वर्ष 1981-82 में एक वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में योग को प्रयोग के तौर पर एक अलग विषय के रूप में शुरू किया गया था। उसी समय से इस प्रयोग का मूल्यांकन किया गया है और केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने योग को अपने शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है। एन०पी०ई०, 1986 के प्रकाश में एक योग को वृहत पैमाने पर स्कूलों में शुरू करने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1989-90 में एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत योग संस्थाओं को योग शिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा इस उद्देश्य के लिए आधारभूत सुविधाएं तैयार करने की लिए सहायता दी जाती है वर्ष 1989-90 में इस योजना के कार्यान्वयन का प्रारंभिक वर्ष होने के कारण इसमें राज्य सरकारों द्वारा अपने अध्यापकों को प्रशिक्षण हेतु न भेजे पाने के कारण इस योजना को बहुत प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। यह भी अनुभव किया गया कि इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसमे राज्य सरकारों का भी शामिल किया जाना अपरिहार्य है। इसलिए वर्ष 1990-91 के दौरान योजना आयोग से परामर्श करके यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को उनके नियंत्रणाधीन अथवा स्वैच्छिक योग संस्थाओं को अपने अध्यापकों के प्रशिक्षण का प्रबंध करने के लिए अनुदान राशि दे दी जाए। इसका परिणाम यह निकला कि राज्य सरकारों ने इस योजना में उत्साह प्रदर्शित किया है।

5.10.4 वर्ष 1991-92 के दौरान 80.00 लाख रुपयों योजना प्रावधान से 18.51 लाख रुपये की अनुदान राशि उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्य व जारी कर दी गई है (30.11.1991 की स्थिति)

संस्कृति/कला/शिक्षा के मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए एजेंसियं को सहायता तथा नवाचार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाल शैक्षिक संस्थाओं को सहायता

5.11.1 भारत सरकार द्वारा यह परिकल्पना की गई है कि भारत व सांस्कृतिक विरासत को और मज़बूत बनाया जाना चाहिए और कल शिक्षा, आदि जैसे सृजनात्मक कार्यकलापों पर जोर दिया जाना चाहिए। इ व्यापक उद्देश्यों के अंतर्गत, संस्कृति/कला/शिक्षा के मूल्यों को मज़बू बनाने के लिए एजेंसियों को सहायता तथा नवाचारी कार्यक्रमों व कार्यान्वित करने वाली शैक्षिक संस्थाओं को 1987 में तैयार किया गया ताकि सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, पंजीकृ सोसाइटियों, सार्वजनिक न्यासों, और गैर-लाभकारी कंपनियों की सहाय की जा सके। इस योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित उद्देश्यों के लि सहायता प्रदान की जाती है:—

(क) शैक्षिक विषय-वस्तु एवं प्रक्रिया में सांस्कृतिक/कलात्मक निवेश व मज़बूत बनाना।

(ख) स्कूल प्रणाली में मूल्य-शिक्षा का सुदृढ़ीकरण; और

(ग) स्कूल स्तर पर मुख्य व नवाचारी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

5.11.2 उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत, वर्ष 1990-91 के दौरान, अ संगठनों को 31.61 लाख रु० की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान व गई थी। चालू वर्ष 1991-92 के दौरान, 60 लाख रुपए का बज प्रावधान है। 60.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान को मार्च, 1992 के पह उपयोग कर लिए जाने की संभावना है।

5.11.3 इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान, जिन कार्यक्र को सहायता प्रदान की गई, वे निम्न प्रकार हैं:—

1.	गंधर्व महाविद्यालय, नई दिल्ली	दिल्ली में 3-4 सप्ताह के लिए प्रारंभिक स्कू के सेवाकालीन शिक्षकों के प्रशिक्षण आयोजन के लिए
2.	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली	10 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के ग्रामीण इला में स्थित 100 स्कूलों में 100 व्याख्यान निष्पा कार्यशालाओं को ग्रामीण युवकों के जीवन कला, शिक्षा प्रसारित करने के लिए आयोजि करना।
3.	नंदिकार कलकत्ता	"छात्र समुदाय की प्रेरणा व स्वतंत्रता के लि थियेटर-कार्यकलाप नामक परियोजना को प्रा करना।
4.	रामकृष्ण नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संस्थान, मैसूर	आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा पर शिक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।
5.	संस्कार शिक्षा समिति, भोपाल	मध्य प्रदेश के दौराहा व टीकमगढ़ ब्लाकों लिए प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल स्तर पर मू शिक्षा की परियोजना का आयोजन करना।
6.	लाला लाजपत राय जन्म स्थान स्मारक समिति, धूडी के (ए सैन्टर आफ" सर्वेन्टस आफ दी पिपुल्स सोसायटी, नई दिल्ली।	लाला लाजपत राय मेमोरियल स्कूल, धूडीके एक हाल या दो कमरों के निर्माण से संरचनात विकास तथा साम्प्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एव आदि के संदेश को फैलाने के लिए सांस्कृत गतिविधियों को बढ़ावा देना।

7.	अलारिप्पु, नई दिल्ली	शिक्षा के क्षेत्र में थियेटर के अभिनव प्रयोग के लिए परियोजना गतिविधियां आरंभ करना तथा महिलाओं एवं बच्चों को शिक्षा की ओर अभिप्रेरित करने के लिए एक समाचार पत्र का प्रकाशन करना।
8.	पद्य सोसायटी (भारत), नई दिल्ली	उड़ीसा के जनजातीय युवा कवियों के लिए एक सृजनात्मक पद्य लेखन कार्यशाला आयोजित करना।
9.	अन्तरभारती, मद्रास	शैक्षिक चिकित्सा विज्ञान के कार्यक्रम आयोजित करना।
10.	स्पिक-मैकेय, नई दिल्ली	शिक्षा संस्थाओं में व्याख्यान निदर्शन सामरोह, बैठकें, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य समारोह तथा योग कार्यशालाएं आयोजित करना।
11.	सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली	शिक्षा संस्थाओं में "साम्प्रायिकता के खिलाफ कलाकार, उनके भाव एवं शब्द" विषय पर एक प्रदर्शनी आयोजित करना।

राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्कूल पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा

5.12.1 1981 से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय रा॰शै॰अ॰प्र॰प॰ के शैक्षिक सहयोग से राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्कूली पाठयपुस्तकों की समीक्षा करने के ठोस प्रयास करता रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस देश में तैयार की गई पाठयचर्या राष्ट्र की सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा परिस्थिति की विविधता को परिलक्षित करने के लिए साथ-2 उसमें ऐसी कोई सामग्री अथवा दृष्टिकोण न रहे जो सीधे या परोक्ष रूप से हमारे स्कूली छात्रों के संस्कार युक्त मस्तिष्कों में छुआछूत, वर्गभेद क्षेत्रीयवाद, जातीयता तथा साम्प्रदायिकता उत्पन्न करने में सहायक हो। उन स्थितियों में जहां रा॰शै॰अनु॰प्र॰प॰ की पाठ्यपुस्तकें बिना किसी परिवर्तन के अपनाई नहीं गयी हैं अथवा जहान रा॰शै॰अ॰प्र॰ परिषद से इतर संगठनों द्वारा मुद्रित पाठयपुस्तकें उपयोग में लाई जा रही हैं; राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों को शामिल करके राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्कूली पाठ्यक्रमों की समीक्षा करने के इस कार्यक्रम के दो विशिष्ट चरणों को पूरा कर लिया गया है। रा॰शै॰अ॰प्र॰प॰ ने पाठ्यपुस्तकों के निर्माण और विकास की प्रक्रिया के एक अंग के रूप में पाठ्यपुस्तकों का सतत मूल्यांकन करने के लिए अन्तर्निहित पद्धति स्थापित करने की जो सलाह राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को दी थी वह समय की कसौटी पर सही उतरी है।

5.12.2 संशोधित पाठ्यचर्याओं के आधार पर नई पाठ्यपुस्तकों के साथ ही साम्प्रदायिक सौहार्द, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की दृष्टि से इन पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करने का एक अन्य कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता महसूस की गई थी और 1989-90 के दौरान एक नवीन कार्यक्रम शुरू किया गया था। रा॰शै॰अनु॰प्र॰प॰ द्वारा समन्वित और निरीक्षण किए जाने वाले इस नवीन कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए अभी राष्ट्रीय स्तर पर एक संचालन समिति गठित की गई है।

5.12.3 इस नवीन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय एजेंसियों तथा निजी प्रशासकों द्वारा प्रकाशित और सभी प्रकार के प्रबंधाधीन स्कूलों में उपयोग में लाई जा रही पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन किया जाएगा। गठन के बाद समिति की दो बैठकें हुई, जिनमें कुछ राज्यों में रा॰शै॰अनु॰प्र॰परि॰ द्वारा तैयार की गई स्कूल पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन की रिपोर्टों पर विचार किया गया। रा॰शै॰अनु॰प्र॰परि॰ के पाठ्यपुस्तकों के अपने मूल्यांकन कार्यक्रम का मुख्य फोकस इतिहास और भाषा की पाठ्यपुस्तकों पर था जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लागू होने के बाद तैयार किया गया था।

5.13.1 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

शिक्षकों के सम्मान को बढ़ाने तथा उत्कृष्ट योग्यता वाले शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता देने के उद्देश्य से शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की योजना वर्ष 1958 में शुरू की गई थी। वर्ष 1965 तक इस योजना में प्राथमिक मिडिल माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों के ही शिक्षकों को शामिल किया गया था। वर्ष 1967 से संस्कृत पाठशालाओं और टोल्स के शिक्षकों को भी शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया गया। वर्ष 1976 से पारंपरिक ढंगों पर चल रहे मदरसों के फारसी/अरबी शिक्षकों को भी शामिल करने के लिए इसका दायरा और भी बढ़ा दिया गया केन्द्रीय विद्यालयों तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी॰बी॰एस॰ई॰) के सम्बद्ध स्कूलों के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों में से प्रत्येक के लिए एक पुरस्कार आबंटित किया गया है।

5.13.2 किसी राज्य को आबंटित पुरस्कारों की संख्या शिक्षकों की संख्या पर निर्भर करती है। फिर भी प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के संवर्ग के लिए तथा माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए कम से कम एक-एक पुरस्कार का अधिकारी है। वर्ष 1988 से पुरस्कारों की संख्या पिछले वर्षों की संख्या 186 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। वर्ष 1991 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 4 पुरस्कारों का अतिरिक्त कोटा प्रदान किया गया है। इस प्रकार इस समय पुरस्कारों की कुल संख्या 296 हो गई है। इनमें से 272 पुरस्कार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए तथा चार पुरस्कार केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों के लिए हैं। 15 पुरस्कार संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षकों के लिए तथा 5 पुरस्कार पारंपरिक ढंगों पर चल रहे मदरसों के अरबी/फारसी शिक्षकों के लिए हैं। परंपरागत आधार पर संचालित संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षकों और अरबी/फारसी मदरसों के शिक्षकों की सीमित संख्या होने के कारण राज्यवार शिक्षक पुरस्कारों के आवंटन की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक शिक्षक पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक रजत पदक और 5,000/- रुपए की नकद राशि होतीहै।

5.13.3 वर्ष 1990 के दौरान 268 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था। वर्ष 1991 के दौरान राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए सिफारिशें विचाराधीन हैं।

5.14.1 स्कूल शिक्षा क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम:—

मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के परामर्श से यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

5.14.2 श्री आर॰एस॰लुगानी, प्रिंसिपल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने दिनांक 10 मई 1991 से 18 मई 1991 तक सोवियत रुस की यात्रा की इसके प्रत्योत्तर में श्री वी॰डी॰ शैद्रीकोव, उपाध्यक्ष सोवियत रूस, शिक्षा राज्य समिति की अध्यक्षता में एकचार सदस्यीय सोवियत शिष्ट मंडल ने दिनांक 11 दिसम्बर 1991 से 18 दिसम्बर, 1991 तक भारत का दौरा किया।

5.15.1 राष्ट्रीय खुला विद्यालय

स्कूल की पढ़ाई बीच में छोडने वालों, कामकाजी प्रौढों, गृहिणियों और अन्य सामाजिक रूप से सुविधाहीन समाज के वर्गों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जुलाई, 1979 में एक खुले विद्यालय की स्थापना की। खुला विद्यालय दूरस्थ

शिक्षा के माध्यम से होने वाली माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल की परीक्षाओं और सेतु (तैयारी परक) पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रमों को प्रदान कर रहा है। खुला विद्यालय के स्तर को अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिष्ठापित करने के उद्देश्य से इसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अलग करके एक स्वतन्त्र अस्तित्व वाले स्वायत्त अस्तित्व वाले स्वायत्त संगठन अर्थात राष्ट्रीय खुला विद्यालय सोसायटी (रा०खु०वि०सो०) के रूप में दिनांक 23 नवंबर 1989 में पंजीकृत किया गया। वर्ष 1990 के पश्चात्, इसे अपने शिक्षुओं की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के संचालन और उनके प्रमाण पत्र देने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्राधिकार के अन्तर्गत राष्ट्रीय खुला विद्यालय अब तक तीन-तीन माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं आयोजित कर चुका है जिसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने मान्यता प्रदान कर दी है।

5.15.2 राष्ट्रीय खुला विद्यालय, समूचे भारत में कार्यरत अधिकृत संस्थाओं की सहायता से दूरस्थ शिक्षण प्रणाली के जारिए शिक्षा प्रदान करता है।

वर्ष 1991 में इन अधिकृत संस्थानों की संख्या 143 थी किन्तु अब इनकी संख्या बढ़कर 192 हो गई है। वर्ष 1992-93 के दौरान 200 अधिकृत संस्थानों से भी अधिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

5.15.3 वर्ष 1991-1992 में 60,000 माध्यमिक के लिए (36,000 और उच्चतर माध्यमिक के लिए 24,000) का लक्ष्य रखा गया था किन्तु छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 36,000 नामांकन किए गए। अधिकृत संस्थानों की गति को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 1992-93 में 40,000 नामांकन का लक्ष्य रखा गया है।

5.15.4 वर्ष 1991 में 76158 छात्रों की परीक्षा ली गई थी जिनके परिणाम घोषित कर दिये गये। राष्ट्रीय खुला विद्यालय द्वारा इन छात्रों को प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। इस संबंध में स्वयं राष्ट्रीय खुला विद्यालय द्वारा ही संपूर्ण कार्यकलाप पूरे कर लिए गए जिन्हें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अब पूरा किया जाता रहा है।

5.15.5 वर्ष 1991-92 में, आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली शुरू की गई थी। राष्ट्रीय खुला विद्यालय में ही 34,016 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को कंप्यूटरों के माध्यम से न किया गया। राष्ट्रीय खुला विद्यालय द्वारा ही छात्रों को उनके परीक्षा परिणाम भेज दिए गए। राष्ट्रीय खुला विद्यालय की कंप्यूटर यूनिट को आप्टिकल मार्क रीडर और पी० सी० ए० टी० उपलब्ध कराके और सुदृढ़ किया गया।

5.15.6 खुला विद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान करने के वास्ते एक व्यावसायिक एकक की स्थापना की गई और सात व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पहचान की गई।

5.15.7 दो गैर-परंपरागत पाठ्यक्रम विकसित किए गए जिसमें पहला स्वास्थ्य शिक्षा तथा दूसरा महिलाओं की स्थिति से संबंधित था।

5.15.8 छात्रों को पठन पाठन सामग्री के रूप में 26 लाख पुस्तिकाओं को मुद्रित व वितरित किया गया।

5.15.9. राष्ट्रीय खुला विद्यालय के लिए नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) से एक एकड़ भूमि खरीदी गई। इस प्लाट से सटे हुए एक एकड़ से अधिक की भूमि की खरीद का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। राष्ट्रीय खुला विद्यालय पर एक फिल्म तैयार कर ली गई है। कंम्यूटर एकक के लिए उपस्करों की खरीद कर ली गई है और गोपनीय अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है।

5.15.10 वर्ष 1991-92 के दौरान 100,00 लाख रूपए की एक योजना का प्रावधान है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद:

5.16.1 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (रा०शै०अनु० और प्र० प०) की स्थापना। सितंबर, 1961 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। स्कूली शिक्षा और शिक्षक में गुणवत्तात्मक सुधार तथा उत्कृष्टता लाना इसके कुछेक प्रमुख कार्य हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रा० शै० अनु० और प्र०प० अपने संघटक विभागों सी० आई० ई० टी० शिक्षा क्षेत्रीय कालेज अजमेर, भौपाल, भुवनेश्वर और मैसूर तथा पूरे देश में प्रायः राज्य की राजधानियों में इसके सत्रह क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार और शैक्षिक सूचना के प्रचार-प्रसार से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करती है।

5.16.2 वर्ष 1991-92 के दौरान स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिसमें राज्यों में स्कूल सुधार के लिए केन्द्रीय प्रोयोजित योजनाओं का कार्यान्वयन भी शामिल है, लगातार और ठोस प्रयास किए गए।

5.16.3 रा०शै०अनु० और प्र० परिषद ने शिक्षा सैक्टर, एनपी.ई.पी. में यूनिसेफ से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित कार्यकलापों का समन्वय और अनुवीक्षण करना भी जारी रखा है।

क्षेत्रीय कार्यालयों और शिक्षा क्षेत्रीय कालेजों के नेटवर्क के जरिए राज्य और संघ शासित क्षेत्र सरकारों से निकट संपर्क बनाए रखा गया और राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों/निदेशालयों, राज्य शिक्षा संस्थानों/राज्य शै०अन०और प्र० परिषदों तथा ऐसी ही अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में संक्रिय सहयोग प्रदान किया गया।

5.16.4 वर्ष 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों की मुख्य उपलब्धियों नीचे दी गई है:—

शिशु देख भाल और शिक्षा

5.16.5 रा.शै.अनु और प्र.परि.ने देश में शिशु देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यकलाप संचालित किए है। शिशु देखभाल के प्रमुख कार्यकलाप मुख्यतः शिक्षक शिक्षाशास्त्रियों के लिए सामग्री विकास, पूर्व प्राथमिक शिक्षक के लिए शिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षण और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे शिशु देखभाल केन्द्रों के कार्यकर्ताओं, दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पूर्व-स्कूली शिक्षा कार्यक्रम के प्रभाव से संबंधित अनुसंधान अध्ययनों, संख्या संकल्पना के विकास के लिए कार्यक्रम पर आधारित प्रक्रिया, नेत्र बाधित बच्चों के साथ श्रव्य कार्यक्रम बनाने और खिलौने बनाने की प्रतियोगिताओं पर केन्द्रित थे।

5.16.6 यूनिसेफ से सहायता प्राप्त शिशु देखभाल और शिक्षा परियोजना ने नया मास्टर प्लान (प्रचालन) अपनाया। इसके अन्तर्गत भाग लेने वाले 12 राज्यों के लिए राज्य आयोजनाओं को अन्तिम रूप

दिया गया और इन राज्यों के प्रमुख कार्याधिकारियों के लिए एक महीने का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया।

5.16.7 शिशु देखभाल और शिक्षा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर एक प्रशिक्षण फिल्म (स्थिर दृश्य फिल्म) विकसित की गई। तीन प्रकाशन अर्थात (I) शिशु देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम (II) छोटे बच्चों और (III) अलग-अलग बच्चों के लिए प्रोत्साहन कार्यकलाप नामक प्रकाशन निकाले गए।

प्रारंभिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाना

5.16.8 व्यावहारिक शिक्षकों, अंडमान और निकोबार दीप समूह में कक्षा III के लिए सामाजिक अध्ययनों की पाठ्य पुस्तक तैयार करने, आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत अंडमान और निकोबार दीप समूह तथा दादरा व नागर हवेली में शिक्षक अनुस्थापन कार्यक्रम के संदर्भ में साधन संपन्न व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने, आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत प्राइमरी स्कूलों को सप्लाई की गई सामग्रियों की उपयोगिता के विस्तार पर अनुसंधान अध्ययन एकल/द्वि शिक्षक स्कूलों में शिक्षकों की समस्याओं का पता लगाने संबंधी अध्ययन, प्राथमिक शिक्षा अधिनियमों और उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन और प्राइमरी स्कूली बच्चों के अध्ययन शब्द भण्डार (हिन्दी) के कोटिकरण से प्राप्त पुनर्निवेशन के परिप्रेक्ष्य में शिक्षाप्रद सामग्री के संशोधन से संबंधित कार्यकलापों पर विशेष बल दिया गया है।

5.16.9 यूनिसेफ से सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं के तहत भी कार्यकलाप जारी रहे। पोषण स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरण सफाई (एन०एच०ई०ई०एस०) परियोजना से संबंधित रिपोर्ट मुद्रणाधीन है। प्राइमरी शिक्षा के लिए व्यापक पहुंच (सी०ए०पी०ई०) पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। छह राज्यों के चुनिन्दा ब्लाकों में क्षेत्र-गहन शिक्षा परियोजना (ए०आई०ई०पी०) पर विभिन्न कार्यकलाप जारी रहे।

5.16.10 प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए अनौपचारिक शिक्षा को एक विशेष कार्यनीति के रूप में लिया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में भाग लेने वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक स्तर पर अध्ययन-शिक्षण सामग्री के विकास के वास्ते कदम उठाए गए हैं। एम०एल०एल० पर आधारित शिक्षाप्रद सामग्री के सेटों को बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। वर्ष के दौरान चलाई गई अन्य अनौपचारिक शिक्षा परियोजना का संबंध पर्यावरण अध्ययन में अनौपचारिक शिक्षा के अध्ययन शिक्षण कार्यकलापों के विकास में सामग्री उत्पादन पर पाठ्यक्रम मांगों के अध्ययन तथा अनौपचारिक शिक्षा के लिए प्रभावी प्रथाओं और शिक्षण पद्धतियों पर शिक्षक पुस्तिकाओं की पहचान से था। परिषद ने शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए प्रत्येक 10 राज्यों (अरूणाचल प्रदेश को छोड़कर) में संसाधन व्यक्तियों का सैट तैयार किया और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विकसित की गई विशिष्ट कार्यनीति के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित किया गया। बच्चों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के वास्ते उपकरणों के साथ-साथ शिक्षक पुस्तिकाओं को विकसित किया जा रहा है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने के लिए कई गैर-सरकारी संगठनों और विभिन्न राज्यों को मुख्यतः सामग्री विकास और प्रशिक्षण के लिए परामर्शी सुविधाएं प्रदान की गई।

शिक्षा का न्यूनतम स्तर (एम एल एल)

5.16.11 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित समिति द्वारा प्राथमिक स्तर की न्यूनतम शिक्षा स्तर के संबंध में की गई सिफारिशों की रिपोर्ट में सम्मिलित सिफारिशें जनवरी, 1991 से रा०शै०अ०प्र०परि० द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष के दौरान मुख्य कार्यकलाप रहे हैः न्यूनतम शिक्षा स्तर रिपोर्ट का हिन्दी में अनुवाद और मुद्रण, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में कार्यान्वयन के लिए ब्लाकों का चयन, ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए एक मुख्य ग्रुप निर्धारित करना, विद्यमान औपचारिक स्कूल/रा०ओ०शि० पाठ्य-पुस्तकों का विश्लेषण, शिक्षकों/रा०ओं०शि० निर्देशकों के लिए दस्ती किताबों जैसी प्रशिक्षण सामग्री का विकास और हिन्दी, गणित तथा पर्यावरणीय अध्ययनों में आईटम पूलों को तैयार करना।

स्कूल स्तर पर शिक्षा की विषय-वस्तु तथा प्रक्रिया का अनुस्थापन

5.16.12 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दूसरी और तीसरी भाषा की पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने, राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से सामाजिक विज्ञान और भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन करने, सामाजिक विज्ञान शब्दावली और तकनीकी शब्दों को तैयार करने तथा नैतिक/उपयोगी शिक्षा का ढांचा तैयार करने, पूरक पुस्तकों का विकास करने, शिक्षकों के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास संबंधी संसाधन पुस्तक का विकास और सामाजिक विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण पैकेज का विकास करने पर अधिक बल दिया गया।

5.16.13 दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में हिन्दी और उर्दू में कक्षा VIII के लिए पाठ्य-पुस्तकों को अंतिम रूप दिया गया। इतिहास की संसाधन पुस्तकों/दस्ती पुस्तकों को तैयार करने तथा शिक्षण उपस्करों के रूप में चार्ट और नक्शों को तैयार करने का काम भी शुरू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा योजना की घोषणा के बाद विकसित नई पाठ्य-पुस्तकों के उपयोग के संबंध में प्रमुख व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण/अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

स्कूल में विज्ञान शिक्षा का सुधार

5.16.14 स्कूल स्तर पर विज्ञान और गणित की शैक्षिक सामग्री को दोहराना, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा विज्ञान और गणित शिक्षा में सुधार लाने के लिए निर्देशित कार्यकलापों का विस्तार जारी रहा।

5.16.15 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए रा०शै०अनु०प०परि० ने विज्ञान किटों को विकसित करना जारी रखा और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में विज्ञान कार्यशालाओं के आयोजन में उनके तकनीकी स्टाफ को प्रशिक्षित करके और मशीनों के स्थापन में सहायता करके राज्यों को अपनी विशेषज्ञता का लाभ पहुंचाया। राज्यों और संघशासित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विज्ञान किटों का बैच निर्माण शुरू किया गया। कक्षा V से VIII तक पर्यावरण संबंधी अध्ययन (विज्ञान) की शिक्षक दस्ती पुस्तक की संशोधित पांडुलिपि को अंतिम रूप दिया गया। माध्यमिक स्कूल विज्ञान के लिए कम लागत के उपस्करों के विकास संबंधी परियोजना की योजना तैयार की जा रही है।

5.16.16 बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा का संवर्धन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 7 से 15 नवम्बर, 1991 तक बच्चों के लिए जवाहरलाल नेहरू प्रदर्शनी आयोजित की गई।

स्कूलों (कक्षा) में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन

5.16.17 रा०शै०अनु०प०परि० ने कक्षा परियोजना के लिए केन्द्रीय

तकनीकी और अनुश्रवण एजेंसी के रूप में काम करना जारी रखा। तीन-तीन सप्ताह की अवधि के शिक्षक प्रशिक्षण के दो कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीसीज के लिए छात्रों तथा शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यचर्या विकसित की गई। अन्य संसाधन केन्द्रों के विभाग के लिए भी अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

5.16.18 स्कूलों की लाजिस्टिक स्पोर्ट और साफटवेयर पैकेज के मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप जारी रहेंगे। बी०बी०सी० के लिए चार सप्ताह के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हेतु शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यचर्या भी चालू वर्ष के दौरान विकसित की जाएगी।

शिक्षा का व्यावसायीकरण

5.16.19 उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी कार्यकलाप जारी रहे जिनमें व्यावसायिक शिक्षकों के लिए सेवाकालीन कार्यक्रमों के समन्वयकों के लिए अनुस्थापन बिहार में शिक्षा के व्यवसयिकरण संबंधी प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम और अधिक अनुभव वाले शिक्षकों के लिए कार्यक्रम केरल में शिक्षा के व्यावसायिकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मोके पर निरीक्षण तथा +2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायिकरण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनेक व्यावसायों के पाठ्यक्रम का विकास/संशोधन शामिल है। टैक्सटाईल डिजाईन पर एक वीडियो कैसेट और इलेक्ट्रोनिक्स पर एक नियमावली का विकास किया गया है। व्यावसायिक पाठ्क्रमों पर सताईस पोपुलराईजेशन फोल्डर प्रकाशित किए गए।

5.16.20 कर्नाटक और महाराष्ट्र में पहले आयोजित शिक्षा के व्यावसायिकरण के कार्यक्रम का मौके पर निरीक्षण की रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। वर्ष 1991-92 के लिए नियोजित व्यावसायिक शिक्षा संबंधी अनेक कार्यक्रम और कार्यकलाप संबंधी कार्य जारी है।

शिक्षक शिक्षा

5.16.21 रा०शै०अनु०प०परि० ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (रा०शि०शि० परि०) के सचिवालय के रूप में कार्य करना जारी रखा। भारत शिक्षा के विश्व-कोश के निर्माण का कार्य जारी रहा। प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर के लिए शिक्षा पाठ्यचर्या के विभिन्न संघटकों में दिशा-निर्देशों और पाठ्यचर्या पर आधारित विभिन्न पाठ्यचर्या क्षेत्रों में छात्र शिक्षकों के लिए शैक्षणिक सामग्री का विकास किया जा रहा है। "प्रारम्भिक शिक्षक शिक्षकों के लिए बहु-स्तरीय शिक्षण संबंधी सेवाकालीन पैकेज का विकास" परियोजना के अन्तर्गत मानक तैयार किए गए हैं और माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए सेवाकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम की रूपरेखाएं और दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शिक्षा की कोटि सुधार के लिए शिक्षकों के विभिन्न अनुस्थापन के लिए दिशा निर्देश भी विकसित किए जा रहे है।

5.16.22 क्षेत्रीय शिक्षा कालेज (क्षै०शि०का०) ने भुवनेश्वर तथा मैसूर में चार वर्ष की अवधि के सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम जारी रखे जो बी०ए०, बी०एस०सी०, अथवा बी०एस०सी०, बी०एड०, आई०सी०ई० का भी एक वर्ष का बी०एस०सी० बी०एड० पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा

5.16.23 विद्यमान शिक्षक-शिक्षा सामग्री का अनुसूचित जाति के बच्चों की दृष्टि से विश्लेषण किया गया। अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में बाधा डालने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए रा०ओ०शि० के प्रमुख कार्मिकों के लिए एक नियमावली तैयार करने का कार्य जारी रहा। गोंदी और इरन्ला में अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकों के विकास के लिए कदम उठाए गए।

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा

5.16.24 शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित स्कूलों के शिक्षकों की शिक्षण क्षमता सुधारने के लिए रा०शै०अनु०प्र०परि० ने शैक्षिक निवेश प्रदान करना जारी रखा।

महिला समानता के लिए शिक्षा

5.16.25 1991-92 के दौरान रा०शै०अनु०प्र०परि० ने (i) प्रारंभिक शिक्षा में लड़कियों की पढ़ाई जारी रखना और उनकी पढ़ाई छुटाने के तथ्यों का अध्ययन (ii) महिलाओं के शिक्षकों की पोस्टिंग और नियुक्ति की समस्याएं और (iii) भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के सुलभीकरण के संबंध में यूनेस्को द्वारा प्रायोजित अध्ययन की परियोजनाओं पर कार्य करना जारी रखा। महिला शिक्षा प्रणाली और विकास के प्रमुख कार्मिकों के लिए एक सात सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लिंग अनुपात के घटने तथा शिक्षा और संचार साधन पर इसके प्रभाव पर भी एक सेमिनार आयोजित की गई। हिन्दी में एजेम्पलर मैटिरियल भारतीय साहित्य में महिलाओं की छवि को प्रस्तुत करने वाले 14-18 आयु वर्ग के लिए सप्लीमेंटरी रीडिंग मैटिरियल के विकास तथा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए पूरक अध्ययन सामग्री तैयार करने जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ललित कला, उद्योग, कृषि, वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को उजागर करना जारी रखा। गैर सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से लड़कियों के बीच प्राथमिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक नीतियां तैयार करने संबंधी कार्यशाला की रिपोर्ट को प्रसार के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। "भारत में लड़कियों की व्यावसायिक तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा को प्रोन्नत करने के उपाय" संबंधी परियोजना की रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है।

अपंगों की शिक्षा

5.16.26 कार्यक्रमों और कार्यकलापों में, मुख्यरूप से, कक्षा में बच्चों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए संगठनात्मक सहायता देकर सामान्य शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाकर समायोजन के लिए पाठ्यचर्या और शैक्षिक सामग्री के विकास, तथा विशेष जरूरतों के शिक्षण तथा पाठ्यचर्या को अंगीकार करके सामाजिक तथा मां-बाप से सम्पर्क स्थापित करके अपंग बच्चों को स्कूल में लाने तथा उन्हें स्कूल में रोकने तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य सम्बद्ध विभागों की नीति निर्धारण तथा अपंग बच्चों की शिक्षा संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना, अपंग बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रणाली में समेकित करने के लिए विशेष तरीकों के विकास पर बल दिया गया। अपंग बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों की योजना बनाने और प्रबंध में राज्य सरकारों को सहायता भी प्रदान की गई।

5.16.27 "मंद बुद्धि के बालकों के अभिभावकों के लिए दूरस्थ स्कूल" परियोजना के अंतर्गत 4 कार्यक्रम तैयार करके दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए गए। "विकलांग बच्चों को हिन्दी में शिक्षा देने के लिए संगणक की सहायता से पठन-पाठन कार्यक्रमों का विकास" पर कार्य चल रहा है। नए

शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में विशेष शिक्षा पर एक पाठ्यपुस्तक की रूपरेखा तैयार की गई है। रा०शै०अ०प्र०प० यूनीसेफ से सहायता प्राप्त "विकलांगों की समेकित शिक्षा" परियोजना के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन पर एक नियम-पुस्तिका (मैनुअल) विकसित कर रही है।"

शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उपयोगिता

5.16.28 हिन्दी क्षेत्र में इन्सेट शैक्षिक दूरदर्शन सेवा को आवश्यक सामग्री से युक्त करने के लिए प्राथमिक स्तर पर 5-8 और 9-11 आयु वर्ग के बच्चों तथा शिक्षकों के लिए शैक्षिक दूरदर्शन (ई०टी०वी०) कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अक्तूबर, 1991 तक 38 ई०टी०वी० कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त 50 ई०टी०वी० कार्यक्रम उड़िया और गुजराती में डब किए गए।

5.16.29 हिन्दी में लगभग 500 टी०वी० कार्यक्रमों वाले 200 से अधिक कैप्सूल तैयार किए गए और इन्सेट के माध्यम से प्रसारण के लिए दूरदर्शन को भेजे गये। उड़िया में भी इतनी ही संख्या के ई०टी०वी० कार्यक्रमों वाले कैप्सूल तैयार और प्रसारित किए गए।

5.16.30 नवोदय विद्यालयों की कक्षा VII के लिए हिन्दी में कार्यक्रमों सहित शिक्षणीय मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए समान लिंगों और कार्यक्रमों के 24 शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम पूर्ण किए गए।

5.16.31 कार्मिकों के विभिन्न वर्गों के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

5.16.32 सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत मारीशस, चीन और त्रिनीदाद को शैक्षिक दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम सप्लाई किए जा रहे हैं।

शैक्षिक सर्वेक्षण और डेटा प्रोसेसिंग

5.16.33 उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूल भवनों का एक सघन सर्वेक्षण नमूने के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। देश में शिक्षक-शिक्षा और इससे संबद्ध पहलुओं का स्तर निश्चित करने के लिए प्रारंभिक और सैकेण्डरी शिक्षा का चतुर्थ अखिल-भारतीय सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज

5.16.34 कक्षा X कक्षा के अंत में प्रतिभावान छात्रों का पता लगाने और गुणात्मक शिक्षा पाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देने ताकि उनकी प्रतिभा और अधिक विकसित हो सके और वे अपने-अपने विषय क्षेत्रों के साथ-साथ देश के लिए उपयोगी बन सकें, इसके लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्कीम डिजाइन की गई है। परीक्षणों के दो स्तरों के आधार पर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्कीम के तहत छात्र-वृत्तियां प्रदान करने के लिए 750 छात्र चुने गये।

शैक्षिणिक मनोविज्ञान परामर्श और मार्गदर्शन

5.16.35 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन में अपना नौ माह की अवधि का डिप्लोमा जारी रखा। परमर्श और मार्गदर्शन से संबंधित अनुसंधान (शोध), विकास और प्रशिक्षण कार्यकलाप, बच्चों में रचनात्मक सम्भयव्यता का पता लगाना और मनोविज्ञान, में प्रशिक्षण संबंधी सामग्रियों का विकास आदि इस क्षेत्र के मुख्य कार्यकलाप हैं।

5.16.36 राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संस्थापित "राष्ट्रीय शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण पुस्तकालय" देश भर के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त किया गया।

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना

5.16.37 इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या शिक्षा पर एक राष्ट्रीय स्त्रोत पुस्तक, परिपक्वता पर एक वीडियो कार्यक्रम और अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र के लिए निदर्शन सामग्रियां विकसित की गई। परिषद् ने जनसंख्या शिक्षा में एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी विकसित किया है।

परीक्षा सुधार

5.16.38 वर्ष 1991-92 के दौरान सैकेण्डरी कक्षाओं के लिए विज्ञान में मूल्यांकन पैकेज को तैयार करने के लिए इकाई परीक्षणों, आवधिक परीक्षणों और वार्षिक परीक्षणों के विकास हेतु कार्यशालाएं आयोजित की गई। कक्षा VI से VIII के लिए विज्ञान में मानक प्रमाण परीक्षण और प्राथमिक स्तर पर गणित और हिन्दी में लक्षण विषयक परीक्षण तैयार किए जा रहे हैं। विभिन्न स्कूलों में कक्षा VIII के लिए अंग्रेजी में मौखिक अभ्यास का पूर्व परीक्षण किया जा रहा है। "इतिहास में वस्तुनिष्ठ आधारित परीक्षण के मुद्दों" और "समाज विज्ञान की परीक्षा में वैकल्पिक मूल्यांकन प्रक्रिया" के प्रशिक्षण के लिए दो राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई। विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्कूल के बच्चों की उपलब्धि के आंकड़ों का विश्लेषण प्रगति पर है।

नवोदय विद्यालयों को तकनीकी सहायता

5.16.39 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने चयन प्रक्रिया को यथासंभव निष्पक्ष बनाने और माहौल संबंधी कारणों से होने वाले पक्षपात को कम करने के लिए लिखित प्रश्नों से युक्त अनेक परीक्षाओं (मानसिक क्षमता परीक्षा, भाषा-परीक्षा और अंकगणित परीक्षा) की सहायता से शैक्षिक सत्र 1991-92 के लिए 275 जवाहर नवोदय विद्यालयों में दाखिले के लिए परीक्षायें आयोजित कीं। देश के 275 जिलों में 3200 केन्द्रों पर चयन परीक्षाएं आयोजित की गई।

5.16.40 वर्ष 1992-93 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों में दाखिले के लिए चयन परीक्षाओं के आयोजन की प्रक्रिया पहले ही प्रारम्भ हो चुकी है।

शैक्षिक अनुसंधान संवर्धन

5.16.41 राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण समिति की शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति (ई०आर०आई०सी०) ने स्कूल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान परियोजनाओं का प्रयोजन करना जारी रखा। शैक्षिक अनुसंधान की गुणात्मकता में सुधार के प्रयासों के एक भाग के रूप में ई०आर०आई०सी० ने जिला शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थाओं (डी०आई०ई०टी०) संकाय के लिए प्रथम स्तर का अनुसंधान कार्य प्रणाली पाठ्यक्रम आयोजित किया। शैक्षिक अनुसंधान में वर्तमान प्राथमिकताओं के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में शैक्षिक अनुसंधान पर एक क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किया जाना है।

5.16.42 एन०सी०ई०आर०टी० में शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार सर्वेक्षण परियोजना को एक संस्था का रूप दिया गया है। शैक्षिक अनुसंधान के पांचवें सर्वेक्षण में 1988 से 1992 की अवधि सम्मिलित है और इसमें सभी शोध ग्रन्थों, स्वतंत्र अनुसंधानों और शिक्षा तथा इससे जुड़े

क्षेत्रों में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित नवाचारों के शोध निष्कर्षों को सम्मिलित किया जाएगा।

प्रकाशन तथा प्रसार

5.16.43 अप्रैल से अक्तूबर, 1991 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के 141 शीर्षक तैयार किए गए थे। इनमें 78 पाठ्य पुस्तकें, 6 अनुपूरक रीडर, पत्रिकाओं के 29 अंक तथा 28 अन्य प्रकाशन सम्मिलित हैं। वर्ष के शेष भाग में प्रकाशनों की विभिन्न श्रेणियों के 180 शीर्षक तैयार हो जाने की उम्मीद है।

क्षेत्रीय सेवायें

5.16.44 एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ ने राज्यों की वास्तविक शैक्षिक आवश्यक-ताओं के आधार पर तैयार किए गए कार्यक्रमों और क्रियाकलापों पर आधारित देश में स्कूली शिक्षा की गुणात्मकता के सुधार के लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगी एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰/एस॰ई॰आर॰डी॰/राज्य सरकारों और राज्य शैक्षिक एजेंसियों के बीच सम्पर्क के प्रभावी चैनल बनाने के उद्देश्य से अपने 17 क्षेत्रीय कार्यालयों की कार्य प्रणाली का पुर्नगठन किया है। संशोधित रूपात्मकताओं की कार्य प्रणाली की पुर्नरीक्षा के लिए एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ के मुख्यालयों में 29 और 30 अक्तूबर, 1991 को क्षेत्रीय परामर्शदाताओं और शिक्षा के क्षेत्रीय कालेजों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई थी। एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ ने क्षेत्र अधिकारियों के साथ साथ राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और साक्षात्कारों के प्रशासन, जवाहर नवोदय विद्यालयों की चयन परीक्षाओं और राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए शिक्षकों के चयन के लिए सहायता बढ़ाई।

बजट प्रावधान

5.16.45 वर्ष 1991-92 के लिए रा॰शै॰अ॰प्र॰प॰ का बजट प्रावधान योजनागत के अंतर्गत 350.00 लाख रुपये और योजनेतर के अंतर्गत 2220.00 लाख रुपये है।

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

5.17.1 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान (एन॰एफ॰टी॰डब्ल्यू॰) धर्मार्थ दान अधिनियम, 1890 के अंतर्गत वर्ष 1962 में गठित किया गया था। प्रतिष्ठान का मुख्य लक्ष्य दयनीय हालात में रहने वाले शिक्षकों को वित्तीय सहायता देना है। प्रतिष्ठान को निम्नलिखित जवाबदेही सौंपी गई है:

— समूह तैयार करना।

— प्रो॰ डी॰सी॰ शर्मा मेमोरियल अवार्ड के लिए प्रत्येक वर्ष तीन शिक्षकों का चयन करना।

— शिक्षक दिवस मनाना।

— संस्वीकृत योजनाओं के अंगतर्गत शिक्षकों/आश्रितों को वित्तीय सहायता देना।

5.17.2 संस्वीकृत योजनाएं जिसके अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है नीचे दी गई है:

(i) उत्कृष्ट सेवा देने वाले सुविख्यात शिक्षकों को वेतन सहित अवकाश।

(ii) स्कूली शिक्षकों के बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता।

(iii) गंभीर रोगों के शिकार शिक्षकों के चिकित्सा-खर्च की प्रतिपूर्ति।

(iv) गंभीर दुर्घटनाओं की स्थिति में शिक्षकों को निःशुल्क सहायता।

(v) शिक्षकों के शैक्षिक कार्यकलाप के लिए आर्थिक सहायता और

(vi) शिक्षक सदनों का निर्माण।

5.17.3 इस वर्ष के दौरान 18,10,478/- रु॰ की राशि की वित्तीय सहायता नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार दी गई है:

क्रं सं॰	योजना का नाम	लाभग्राहियों/राज्य इकाईयों की सं॰	वित्तीय सहायता की राशि
1.	सुविख्यात शिक्षकों को वेतन सहित अवकाश	आन्ध्र प्रदेश से 2 शिक्षक	3,896/-रू॰
2.	स्कूली शिक्षकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता	आन्ध्र प्रदेश से 50 शिक्षक	1,00,000/-रू॰
		गोवा में 41 शिक्षक	23,925/-रू॰
		महाराष्ट्र से 56 शिक्षक	1,01,502/-रू॰
		तमिलनाडु से 42 शिक्षक	33960/- रू॰
		उत्तर प्रदेश से 3 शिक्षक	2562/- रू॰
		चंडीगढ़ से 4 शिक्षक	2270/- रू॰
		दिल्ली से 1 शिक्षक	555/- रू॰
		दमन से 6 शिक्षक	7822/- रू॰
		पांडिचेरी से 17 शिक्षक	19471/- रू॰
		220	2,92,067/- रू॰
3.	गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों/आश्रितों के लिए चिकित्सा अनुदान	आन्ध्र प्रदेश से 7 शिक्षक	56,843/- रू॰
		केरल से 3 शिक्षक	13,982/- रू॰
		महाराष्ट्र से 3 शिक्षक	16,090/- रू॰
		उत्तर प्रदेश से 2 शिक्षक	20,000/- रू॰
		15	1,06,915/- रू॰
4.	शिक्षक सदनों का निर्माण	(i) उत्तर प्रदेश की राज्य कार्य समिति	7,50,000/- रू॰
		(ii) केरल की राज्य कार्य समिति	5,00,000/- रू॰
			12,50,000/- रू॰
5.	स्वतंत्रता-समारोह की 40वीं वर्ष गांठ और जवाहर लाल नेहरू शताब्दी समारोह के अंतर्गत शैक्षिक भ्रमण (पूर्व वर्ष का)	महाराष्ट्र के 893 शिक्षक	1,57,600/- रू॰
		कुलः	18,10,478/- रू॰

5.17.4: प्रत्येक वर्ष, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर शिक्षकों के महत्व को बताने के उद्देश्य से

प्रचार सामग्री के रूप में एक इश्तहार प्रकाशित किया जाता है। श्री पी॰ रवि, आलेखन शिक्षक, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट हाईस्कूल, महा पांडिचेरी को पोस्टर तैयार करने के लिए 5000/- रू॰ की राशि का भुगतान किया गया था। शिक्षक दिवस के अवसर पर, प्रतिष्ठान के कार्यकलापों के संबंधित विस्तृत सूचना वाली पुस्तिका का विमोचन, मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा किया गया। पुस्तिका को, व्यापक प्रचार के लिए, सभी राज्य कार्य-समितियों एवं 1990 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के बीच परिचालित कर दिया गया है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी॰ बी॰ एस॰ ई॰):—

5.18.1: मौजूदा शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने और शिक्षा को सामाजिक रूप से और अधिक प्रासंगिक बनाने का, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सतत प्रयास रहा है। छात्रों के चहुंमुखी विकास के उद्देश्य से, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कई कार्यकलाप शुरू किए जा चुके है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं:—

विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान (एस॰ए॰एल॰डी॰)

5.18.2: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 1991-92 से कक्षाओं IX व XI में विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान (एस॰ ए॰ एल॰ डी॰) शुरू कर दिया है जो कि सन् 1992-93 से IX से XII तक की सभी कक्षाओं के लिए भी बढ़ा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक स्तर पर छात्रों को जुटाना है। यद्यपि इस कार्यकलाप को स्कूलों में शुरू करने को अनिवार्य बना दिया है। तथापि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सकारात्मक कार्यान्वयन का एक ढांचा तैयार कर दिया है। ऐसे छात्रों को जो एक वर्ष में एक व्यक्ति को साक्षर बनाते हैं, 5 अंकों से पुरस्कृत किया जाएगा, प्रति वर्ष दो व्यक्तियों को साक्षर बनाने वाले छात्रों को 6 अंकों से और प्रति वर्ष तीन या अधिक व्यक्तियों को साक्षर बनाने वाले छात्रों को 10 अंकों से पुरस्कृत किया जाएगा। अंकों के अतिरिक्त छात्रों, अध्यापकों और स्कूलों के प्रमाण-पत्र, ट्राफियां तथा पुरस्कार दिए जाएंगे। बोर्ड ने इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए है और वह कार्यक्रम की मानिटरिंग के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

जनसंख्या शिक्षा

5.18.3: जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति के निर्देशों के जवाब में, बोर्ड ने एक व्यापक विवरणिका तैयार की है जिसमें शिक्षकों के लिए ऐसे दिशानिर्देश हैं जिससे वे राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अंग के रूप में लौकिक शिक्षक गतिविधियों को स्कूल कार्यक्रम में शामिल कर सकें।

मौके पर मूल्यांकन की नई प्रणाली

5.18.4: वर्ष 1983 से दिल्ली और मद्रास क्षेत्रीय कालेजों के माध्यम से मौके पर मूल्यांकन की प्रणाली शुरू की गई है। वर्ष 1991 के दौरान बोर्ड की कार्य प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ जिसके फलस्वरूप मौके पर मूल्यांकन का विकेन्द्रीकरण हो गया है। बोर्ड ने, परीक्षार्थियों की संख्या 200 तक होने पर कम से कम एक परीक्षक प्रायोजित करना अनिवार्य बनाकर मौके पर मूल्यांकन को सरल बनाने का निर्णय लिया हैं।

5.18.5: बोर्ड 'शीर्ष स्कूल' खोलेगा जिनके चारों ओर मूल्यांकन कार्य के लिए 10 स्कूल होंगे। अपर मुख्य परीक्षा के अधीन पड़ोसी स्कूलों के दस से पन्द्रह परीक्षक होंगे।

5.18.6: परीक्षाओं में अनुसूचित तरीकों के प्रयोग को रोकने के लिए बोर्ड ने अनेक दीर्घावधि तथा अल्पावधि उपाय किए हैं। अल्पावधि उपायों में बोर्ड ने दिल्ली में वर्ष 1992 की परीक्षाओं से प्रश्न पत्रों के अनेक सैट बनाने का निर्णय लिया है। प्रश्न पत्रों के विभिन्न सैट एक ही कमरे के छात्रों को वितरित किए जायेंगे। यह आशा की जाती है कि इस प्रणाली से नकल करना काफी कठिन हो जाएगा। शिक्षा निदेशालय दिल्ली के परामर्श से उन स्कूलों का पता लगाया जा रहा है जिनमें अनुचित तरीकों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। तथा (परीक्षा) केन्द्र निर्धारित करते समय विशेष सतर्कता बरती जाएगी। बोर्ड अनुश्रवण करने तथा प्रभावी निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए ऐसे केन्द्रों में विशेष प्रेक्षक भेजेगा। बोर्ड ने केन्द्र अधीक्षक को छात्रों की तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत करने का भी प्रस्ताव रखा है ताकि परीक्षा हाल में सामग्री के प्रवेश को रोका जा सके।

5.18.7: दीर्घावधि के उपायों में बोर्ड मानक स्कूल मूल्यांकन पद्धति आजमा रहा है जिसमें छात्रों को श्रेणी क्रम देने का अधिकार स्कूलों को दिया जाएगा तथा छात्रों को अंक देने का अधिकार बोर्ड के पास रहेगा। मुक्त पुस्तक (ओपन बुक) परीक्षा तथा "प्रश्न एवं उत्तर पुस्तिका" भी प्रयोग के तौर पर अपनाई जा सकती है। परीक्षा के विभिन्न आयामों पर अनुसंधान अध्ययन संचालित किए जायेंगे तथा परीक्षा परिणामों का स्कूल वार आवधिक विश्लेषण भी किया जाएगा।

संबद्धन के उदार मानक

5.18.8: इमारत बनाने के लिए पर्याप्त भूमि प्राप्त करने के लिए स्कूलों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने स्कूलों को संबद्धन देने की अपनी प्रक्रिया को तीन वर्गों क, ख तथा ग के अंतर्गत संशोधित किया है:

वर्ग क: इसमें वे सभी स्कूल शामिल हैं जो उपनियमों में दी गई संबद्धन की बुनियादी शर्तें पूरी करते हैं।
वर्ग ख: के अंतर्गत स्कूल को संबद्धन देने पर विचार किया जा सकता है:

(क) इसे संबंधित राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता दी गई हो अथवा बेबाकी प्रमाण पत्र दिया गया हो

(ख) इसके पास संबद्धन उपनियम के अनुसार पर्याप्त भूमि न हो किंतु इतना क्षेत्र हो जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:

— मिडिल स्कूल के लिए 250 वर्ग मीटर क्षेत्र + 1 वर्ग मीटर प्रति नामांकित छात्र के लिए।

— माध्यमिक स्कूल के लिए 570 वर्ग मीटर क्षेत्र + 1 मीटर प्रति नामांकित छात्र के लिए।

— उच्चतर माध्यमिक स्कूल के लिए 750 वर्ग मीटर क्षेत्र + 1 वर्ग मीटर प्रति नामांकित छात्र के लिए।

(ग) वेतन राज्य सरकार तथा संघ शासित क्षेत्रों के वेतनमानों के अनुसार हो।

(घ) संबद्धन की अन्य शर्तें पूरी करता हो। ऐसे सभी स्कूलों का एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

वर्ग ग: इसमें वे स्कूल शामिल है जिन्हें संबंधित संघ शासित क्षेत्र के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता दी गई हो लेकिन जिनके पास संबद्धन उपनिधि

के अनुसार न तो पर्याप्त भूमि हो और न ही वर्ग ख में उल्लिखित क्षेत्र हो।

वेतन राज्य सरकार के वेतनमानों के अनुसार हो तथा संबद्धन की अन्य शर्तें पूरी करते हों। यदि ऐसे स्कूल यह प्रमाणित कर सके कि वे भूमि प्राप्त करने के लिए गंभीरता से प्रयत्न कर रहे हैं तो बोर्ड अन्य शर्तों की जांच करने के पश्चात पूरी तरह से तदर्थ संबद्धन के लिए उन पर विचार कर सकता है। तदर्थ संबद्धन केवल उन्हीं स्कूलों को दिया जाएगा जिन्हें राज्य शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता दी गई हो अथवा उस संघ शासित क्षेत्र में अपना बोर्ड हो।

प्रश्न पत्रों का गहराई से विशलेषण

5.18.9 आने वाले वर्षों में मानक निर्धारित करने तथा परीक्षा के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति तैयार करने के लिए 1989-90 में विभिन्न विषयों में नमूना प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे। 1990 में गणित तथा विज्ञान विषयों में तथा वर्ष 1991 से अन्य मुख्य विषयों में नए नमूना पर प्रश्न पत्र तैयार किए गए। इसके अनुसरण में, बोर्ड ने कक्षा XII तथा V स्तर पर प्रमुख-विषयों के प्रश्न पत्रों का गहराई से विश्लेषण किया है। स्कूलों में पढ़ा रहे "शिक्षको, मुख्य परीक्षकों तथा रा०शै०अ० एवं प्र०प० के मूल्यांकन विशेषज्ञों से मिल कर बने कार्यकारी दलों ने विभिन्न कोणों में प्रश्न पत्रों का विश्लेषण किया है तथा जहां आवश्यक है परिवर्तन सुझाए हैं।

रोजगारोन्मुख रेलवे व्यापारिक पाठयक्रम

5.18.10 शिक्षा को और अधिक रोजगारान्मुख बनाने की सरकार की नीति के अनुसरण में, के०मा०शि० बोर्ड ने हाल ही में + स्तर पर एक अन्य रोजगार संबंधी पाठयक्रम व्यापरिक रेलवे प्रारंभ किया है। पाठयक्रम के लिए पाठय विवरण तथा पठन पाठन सामग्री रेल मंत्रालय तथा रा०शै०अ० एवं प्र०प० के सहयोग से तैयार की गई है। शुरू में, प्रस्तावित पाठयक्रम शिक्षा वर्ष 1991-92 से दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, गोरखपुर के कुछ चुने हुए स्कूलों में प्रारंभ किया गया है। 1992-93 में पाठयक्रम शुरू करने के लिए बम्बई, कलकत्ता, गोहाटी तथा सिकंदराबाद में एक-एक कुल चार अन्य स्कूलों का पता लगा लिए जाने की संभावना है। पाठयक्रम की अभिकल्पना तथा उद्देश्य अल्पवयस्क आयु में छात्रों का चयन करना है ताकि कार्य तथा सेवा की सही भावना मन में बैठाई जा सके। इस पाठयक्रम की मुख्य विशेषता यह है कि यह सफल छात्रों को एक लाभप्रद कार्य क्षेत्र चुनने का अवसर प्रदान करता है। ये छात्र भारतीय रेल विभाग में सीधे व्यापार लिपिक/टिकट कलक्टर के रूप में नियुक्त किए जायेंगे।

नवोदय विद्यालय समिति

5.19.1 प्रतिभाशाली छात्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को अच्छी आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने औसतन प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने की योजना लागू की है। देश में अब तक 275 नवोदय विद्यालय खेले जा चुके हैं जो 22 राज्यों और 7 संघ क्षेत्रों में फैलें हैं। पांच नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है।

5.19.2 नवोदय विद्यालय में प्रवेश छठी कक्षा से दिया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार से दाखिल अधिकांश छात्रों के पहले मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन किया होगा, उन्हें कक्षा VI अथवा VIII तक उक्त आधार पर से ही शिक्षा प्रदान की जाती है तथा इस दौरान भाषा विषय की सह माध्यम के रूप में हिन्दी/अंग्रेजी दोनों में सघन शिक्षण प्रारंभ किया जाता है। तत्पश्चात, समान माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। इस स्तर पर भाषायी क्षेत्र नवोदय विद्यालय से दूसरे नवोदय विद्यालय में प्रत्येक में 30% स्थानांतरित किया जाता है। यह स्थानांतरण हिन्दी भाषी और अहिन्दी भाषी जिलों के बीच होता है।

5.19.3 अब तक 275 नवोदय विद्यालयों द्वारा चुने गए छात्रों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

लड़के	लड़कियां	ग्रामीण	शहरी	अनु०जा०	अनु०ज०जा०सामा०		कुल
55927	22222	60528	17621	150900	8405	53844	78149
72%	28%	77%	23%	20%	11%	69%	

5.19.4 नवोदय विद्यालय सह-शिक्षा वाले भी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चें के लिए हैं। इस लिए शहरी क्षेत्रों के बच्चों का दाखिला अधिकतम एक चौथाई तक ही सीमित है।

प्रत्येक नवोदय विद्यालय में यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि कम से कम एक तिहाई लड़कियां हों।

5.19.5 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के पक्ष में आरक्षण संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है बशर्ते कि किसी जिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम न हो।

निर्माण कार्य कार्यक्रम

5.19.6 280 नवोदय विद्यालयों में से 160 विद्यालय स्थायी स्थल पर स्थानांतरित कर दिए गए हैं। 111 विद्यालयों में निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और 35 विद्यालयों में निर्माण कार्य क्रमशः प्रथम चरण और शून्य चरण में हैं। द्वितीय चरण में 187 विद्यालयों के अतिरिक्त भवनों के लिए वर्ष 1991-92 में 150.45 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

शिक्षण स्टाफ को प्रोत्साहनः

5.19.7 चूंकि सभी नवोदय विद्यालय आवासीय है तथा दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं अच्छे शिक्षकों/प्रधानाचार्यों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं:-

(i) उस स्थान पर उपलब्ध निःशुल्क अंशतः सुसज्जित आवास।
(ii) अधिकतम दो बच्चों के लिए प्रति माह 150/- रुपये प्रति बच्चे की दर से बच्चों के लिए शिक्षण भत्ता।
(iii) छात्रों के साथ रह रहे हाउस मास्टरों और शिक्षकों को निःशुल्क आवासीय सुविधाएं।
(iv) सभी शिक्षकों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन।
(v) समिति के नियमानुसार पति/पत्नी की नियुक्ति के लिए सुविधा।
(vi) जहां शिक्षकों की तैनाती की जाती हैं वहां नवोदय विद्यालयों में बच्चों का बिना प्रवेश परीक्षा के दाखिला और ऐसे बच्चों को निःशुल्क छात्रवास की सुविधा।
(vii) प्रतिमाह 100 रुपये का शिक्षण भत्ता।

कर्मचारियों का व्यावसायिक विकास

5.19.8 नवोदय विद्यालय समिति ने इस पद्धति में प्रतिबद्ध और सक्षम

स्टाफ को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण और अनुस्थापना को विशेष महत्व दिया नवोदय अपने आप में हालांकि एक नयी पद्धति है, समिति ने अब तक स्टाफ (प्रधानाचार्यों शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों) के लिए विभिन्न प्रकार के एक सौ पैंसठ सेवारत पाठ्यक्रम अर्थात् प्रबोधन पाठ्यक्रम समावेश पाठ्यक्रम, विषय-वार पाठ्यक्रमों कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया गया इन पाठ्यक्रमों की अवधि कम से कम एक सप्ताह से लेकर अधिक एक माह तक की रही। ये पाठ्यक्रम नीपा, सी सी आ टी, रा०शै०अ० और प्र० परिषद सी आई आई एल आदि के सहयोग से आयोजित किए गए। समिति ने "पठन कौशलों" में पत्राचार पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए सी आई ई एफ एस शिक्षकों को प्रोत्साहित किया।

व्यय

5.19.9 राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन-वार नवोदय विद्यालयों के संचालन पर चार वर्षों के दौरान किया गया कुल योजनागत व्यय परिशिष्ट-9 में दिया गया है।

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन

5.20.1 केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन की स्थापना स्वायत्त संगठन के रूप में 1961 में की गई थी। केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन का उद्देश्य तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों की शिक्षा संस्थाओं को चलाना, प्रबंध करना और उनकी सहायता करना है।

5.20.2 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन 30 स्कूल चला रहा है जिनमें से 5 आवासीय स्कूल हैं। ये स्कूल देशभर में फैले हैं। इसमें छात्रों की संख्या 1100 से भी अधिक है ये स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं और छात्रों को अखिल भारतीय सैकेंडरी स्कूल और सीनियर सैकेंडरी स्कूल परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। स्कूल में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के अलावा विज्ञान; गणित, सामाजिक विज्ञान तथा तिब्बती एवं हिन्दी भाषा पहली कक्षा से ही पढ़ाए जाते हैं।

5.20.3 स्कूलों में तिब्बती भाषा, संगीत एवं नृत्य शिक्षकों के माध्यम से स्थानीय तिब्बती लोगों के साथ मिल कर कार्य करके तिब्बती संस्कृति एवं धर्म को भी बनाए रखा गया है।

5.20.4 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय तिब्बती लोगों की घनी आबादी वाले स्थानों में स्थित हैं। स्थानीय तिब्बती समुदाय तथा राज्य सरकार के प्राधिकारियों से उचित सम्पर्क बनाए रखने के लिए प्रत्येक विद्यालय के लिए एक स्थानीय सलाहकार समिति गठित की गई है। समिति विद्यालय की नेमी प्रकृति की समस्याओं को सुलझाने के अलावा विद्यालय की प्रगति का अनुवीक्षण करती है।

5.20.5 शिक्षा के स्तर में सुधार लाने और विद्यालय और आवास को निकट लाने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रातःकालीन विद्यालय द्वारा अभिभावक शिक्षक संघ गठित किए जाने की सम्भावना है।

उत्तर-विद्यालय शिक्षा के लिए सुविधाएं

5.20.6 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन तिब्बती बच्चों को उत्तर विद्यालय शिक्षा के लिए सुविधाएं भी प्रदान करता है। के०ति०वि० प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभाशाली उत्तीर्ण तिब्बती छात्रों को प्रशासन 15 छात्रवृत्तियां भी प्रदान करता है। 17 से 22 वर्ष की उम्र के 60% और अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र कला, विज्ञान, अभियांत्रिकी, औषधि और शिक्षक प्रशिक्षण (किसी मान्यता प्राप्त संस्था में) में डिग्री अथवा डिप्लोमा अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र है। 5 छात्रवृत्तियां 55% और अधिक अंक अर्जित करने वाले तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए स्वीकृत है।

कर्मचारीवृन्द—विकास

5.20.7 शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन ने शिक्षकों को निम्नलिखित कार्यों के लिए मदद और प्रोत्साहन दियाः

— अनुभव का आदान प्रदान;
— विद्यालय शिक्षा के नवीनतम परिवर्तनों, आधुनिक प्रवृतियों और नवाचारों का परिचय प्राप्त करना;
— कार्य की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षिक नीति की नवीन अवधारणाओं और मांगों का समालोचन;
— आधुनिक शिक्षण प्रबंध तकनीकों को समझना;
— कारगर शिक्षकों और प्रबंधकों के रुप में उनसे अपेक्षित उचित भूमिकाओं, कौशलों और जानकारी की संकल्पना करना, और
— गुणात्मक सुधार पर विशेष बल देते हुए संस्था स्तर पर सुधार के लिए कार्रवाई योजना तैयार करना।

कम्प्यूटर कार्यक्रम

5.20.8 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन के छः उच्चतम माध्यमिक और एक माध्यमिक विद्यालय क्लास परियोजना के अंतर्गत आते हैं। ये विद्यालय है—दार्जिलिंग मसूरी, डलहौजी, बाइलकुप्पे, शिमला, मुंडगॉड और चन्द्रगिरि स्थित सी.एस.टी.।

उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार

5.20.9 शासी निकाय ने शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार की योजना का अनुमोदन कर दिया है, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

क्रम. सं.	शिक्षकों की श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या
1.	प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक (मिडिल स्कूल)	एक
2.	पी.जी.टी.	एक
3.	टी.जी.टी.	एक
4.	पी.आर.टी./अन्य	एक

5.20.10 शासी बोर्ड ने इस बात का भी अनुमोदन किया कि पुरस्कार-विजेता सेवा-निवर्तन की आयु पूरी करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के सेवा-विस्तार के लिए भी पात्र होंगे और प्रत्येक पुरस्कार की राशि 1000 रुपए होगी।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय

5.20.11 निचले स्तर पर छात्रों की नींव अच्छी नहीं थी, बोर्ड परिक्षाओं के परिणाम काफी खराब रहे, छात्र पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाए। इस विशिष्ट परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 1989-90 के सत्र से 20 पूर्व-प्राथमिक विद्यालय खोले। 1990-91 में 20 और पूर्व-प्राथमिक विद्यालय खोले गये। 1991-92 में 20 और पूर्वप्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन के स्कूलों के क्षेत्रीय आयोजन:

5.20.12 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालयों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मसूरी, निलकुप्पे और कलिम्पोंग स्थित स्कूलों में क्षेत्रीय खेल, साक्षरता और सांस्कृति के कार्यक्रम आयोजित किए।

5.20.13 देश भर में फैले सभी केन्द्रीय तिब्बती विद्यालयों के बहुत से विद्यार्थियों ने इन आयोजनों में भाग लिया।

समीक्षा समिति:

5.20.14 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालयों में शिक्षा के स्तर और उसकी विषय वस्तु में सुधार लाने के लिए सरकार ने अप्रैल 1991 में एक समीक्षा समिति का गठन किया था जिसे इसके कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन, अवसंरचना और शैक्षिक मानकों और अन्य क्षेत्रों के अध्ययन का काम सौंपा गया था। समिति ने नवंबर, 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

बजट प्रावधान:

5.20.15 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन के लिए वर्ष 1991-92 का बजट प्रावधान 421 लाख रुपए था।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

5.21.1 उन प्रतिरक्षा कर्मियों के बच्चों, जिनकी शिक्षा में उनके अभिभावकों का एक भाषाई क्षेत्र से दूसरे भाषाई क्षेत्र में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप बाधा पड़ती थी तथा अध्ययन के पाठ्यक्रम बदल जाते थे, सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरीय क्रेन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय योजना वर्ष 1963-64 में प्रारम्भ की गई थी।

5.21.2 केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने और उनका प्रबंध करने के कार्य की देखरेख के लिए 1965 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन नामक स्वायत्तशासी संगठन की स्थापना की गई थी। संगठन पूर्णतः सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

5.21.3 आरम्भ में रक्षा कर्मचारियों की बहुतायत वाले स्थानों में तत्समय कार्यरत रेजीमेटल स्कूलों को 1963-64 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय के रूप में अधिग्रहण किया गया था। इस समय केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या 743 है, जिनमें 6,00, 197 छात्र अध्ययनरत हैं। 30 अप्रैल 1991 को स्वीकृत शिक्षकों की संख्या 37,770 थी। दिसम्बर 1991 / जनवरी 1992 में 23 नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्वीकृति के आदेश जारी किए गए हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों का वितरण

5.21.4 केन्द्रीय विद्यालय ऐसे स्थानों पर खोले जाते हैं, जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की घनी आबादी है। रक्षा प्रतिष्ठानों में विद्यालय रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर खोले जाते हैं। सिविल क्षेत्र के संबंध में प्रायोजन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के कर्मचारी कल्याण संघों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय विद्यालय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उच्च शिक्षण संस्थाओं के परिसरों में भी खोले जाते हैं। केन्द्रीय विद्यालयों की क्षेत्रवार संख्या निम्नलिखित है:

क) रक्षा क्षेत्र	: 343-6
ख) नागरिक क्षेत्र	: 251+14
ग) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	: 134-2
घ) उच्च शिक्षा संस्थाएं	: 15+1
	743+23=766

प्रवेश नीति

5.21.5 केन्द्रीय विद्यालय योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नागरिक / रक्षा क्षेत्र के स्कूलों में प्रथम प्राथमिकता केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को दाखिल करने के संबंध में दी जाती है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के केन्द्रीय विद्यालयों में प्रथम प्राथमिकता संबंधित संगठन के कर्मचारियों के बच्चों को दाखिला करने के बारे में दी जाती है।

5.21.6 प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में नए दाखिलों में से क्रमशः 15% तथा $7^{1/2}$ दाखिले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। यदि ऐसे बच्चे उपलब्ध नहीं होते है, तो सामान्य वर्ग के बच्चों को दाखिल कर लिया जाता है।

परीक्षा परिणाम

5.21.7 केन्द्रीय विद्यालयों ने देश में स्कूल स्तर पर शिक्षण प्रणाली में अपना स्थान बनाया है। के॰ मा॰ शि॰ बो॰ द्वारा संचालित परीक्षाओं में उनके पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत गैर केंद्रीय विद्यालयों के पास होने वाले छात्रों के प्रतिशत से अधिक है जैसा कि सारणी 5.6 तथा 5.7 से स्पष्ट है।

सारणी 5.6

केन्द्रीय विद्यालयों के उम्मीदवारों की संख्या और अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल संर्टीफिकेट परीक्षा में उनकी उत्तीर्ण प्रतिशतता में वृद्धि

उत्तीर्ण प्रतिशत (कक्षा-IX)

वर्ष	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या	छात्रों की संख्या	केन्द्रीय विद्यालय	गैर केन्द्रीय विद्यालय	अन्तर
1989	327	18510	94.00	89.80	+ 4.20
1990	360	21247	85.70	74.90	+ 10.80
1991	396	24536	82.02	80.77	+ 1.25

नोटः—गैर केन्द्रीय विद्यालयों के 1989 से आगे के परिणाम केवल उन छात्रों के हैं जिन्होंने प्राईवेट छात्र के रूप में और पत्राचार के माध्यम से परीक्षा दी।

सारिणी 5.7

छात्रों की संख्या में वृद्धि और ए आई एस एस सी परीक्षा में उनका उत्तीर्ण प्रतिशत

वर्ष	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या	छात्रों की संख्या	केन्द्रीय विद्यालय	उत्तीर्ण प्रतिशत (कक्षा-X)	अन्तर
1989	465	30502	93.4	90.3	+ 3.1
1990	520	34815	89.05	74.18	+ 14.87
1991	577	36225	87.9	80.08	+ 7.82

नोटः गैर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के 1990 से आगे के परिणाम केवल उन छात्रों के हैं, जिन्होंने प्राईवेट छात्र के रूप में और पत्राचार के माध्यम से परीक्षा दी है।

सह पाठ्यचर्या कार्यकलापों में उपलब्धि

5.21.8 केन्द्रीय विद्यालयों ने सहपाठ्यचर्या कार्य कलाप में भी ख्याति प्राप्त की है जिनमें खेल-कूद, आउटडोर कार्यकलाप, पर्यावरण शैक्षिक कार्यक्रम और ललित और अभिनव कला शामिल है। केन्द्रीय विद्यालय के छात्र स्थानीय तथा क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतने के अतिरिक्त भारत सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित निबन्ध प्रतियोगिताओं, सोवियत बैंड नेहरू अवार्ड, शंकरन चिडरन पेंटिंग कम्पटीशन्स जैसे और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रति वर्ष पुरस्कार जीत रहे हैं। अधिकांश केन्द्रीय विद्यालय प्रकृति और साहसिक कार्य क्लब संचालित करते हैं जो क्रमशः भारतीय विश्व वन्य जीवन निधि और भारतीय राष्ट्रीय साहसिक कार्य प्रतिष्ठान से सम्बद्ध हैं। प्रतयेक वर्ष लगभग 10000 छात्रों को चट्टान आरोहण में प्रशिक्षित किया जाता है और लगभग 550 को हिमखण्डों में ट्रैकिन्ग के लिए भेजा जाता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन भारतीय विद्यालय क्रीड़ा प्रतिष्ठान और भारत स्काउट तथा गाईड का एक सदस्य राज्य है। सांस्कृतिक कार्यकलापों और खेलकूदों में छात्रों की व्यापक सहभागिता पर भी बल दिया जाता है जिसके लिए सभी केन्द्रीय विद्यालयों में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल समय-सारणी में पीरियडों का प्रावधान है।

राष्ट्रीय एकता

5.21.9 प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय एक लघु भारत है जहां शिक्षण तथा अध्ययन की प्रक्रिया में भिन्न-भिन्न विश्वासों तथा विभिन्न रीति रिवाजों को मानने वालों के साथ विभिन्न भाषा वर्गों से सम्बद्ध शिक्षक और छात्र जुटे हुए हैं। ये छात्र एक ही शपथ लेते हैं, समान वर्दी में उसी ध्वज के नीचे समान गीत गाते हैं और समान पाठ्यचर्या और सह-पाठ्यचर्या कार्यक्रमों का पालन करते हैं।

5.21.10 केन्द्रीय विद्यालय समुदाय गायन कार्यक्रमों में अग्रणी रहे हैं। क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं के लिए अन्तर विद्यालय प्रतियोगिताएं प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय महत्वों को पोषित करने की दृष्टि से नाटकों, विविध प्रदर्शनों, भाषणों, वाद-विवादों, कविता-पाठों, कहानी कहने जैसे सांस्कृतिक कार्यकलाप प्रत्येक विद्यालय में स्कूल पाठ्यचर्या का एक अभिन्न भाग हैं।

5.21.11 केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर परियोजनाओं के रूप में राष्ट्रीय एकता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को लिया गया है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं।

खेल कूद कार्यकलापों द्वारा व्यक्तित्व विकास

5.21.12 निम्नलिखित कारणों से खेल कूद के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष उत्साही व दीर्घकालिक प्रयास किए जाते हैं:—

(I) व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए

(II) योग्यता का पता लगाकर उन्हें विकसित करना तथा

(III) खिलाड़ी के जोश व नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के लिए।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए:

शिक्षण कैम्प

5.21.3 प्रत्येक वर्ष शिक्षण कैम्प आयोजित किए जाते हैं जिसमें ग्रीष्मावकाश में करीब 400 छात्रों (लड़के व लड़कियों दोनों) को विभिन्न खेल कूदों में विशिष्ट शिक्षण व प्रशिक्षण मिलता है इसके साथ भारत के स्कूल खेल कूद संघ द्वारा आयोजित किए जाने वाले टूर्नामेंट में केन्द्रीय विद्यालय दलों की भागीदारी से पहले समन्वय व शिक्षण कैम्प आयोजित किए जाते हैं

विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय विद्यालय मुकाबले आयोजित करना

5.21.14. केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यालय, उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद मुकाबले आयोजित करने के लिए वर्षवार योजना तैयार व कार्यान्वित की गई है। प्रत्येक वर्ष इन सभी मुकाबलों में करीब 35 / 000 छात्र भाग लेते हैं।

खेल

5.21.15 केन्द्रीय विद्यालय, आई० आई० टी०, मद्रास (बास्केट बाल व वालीबाल के लिए) केन्द्रीय विद्यालय किरकी, पुणे (हाकी के लिए) तथा केन्द्रीय विद्यालय नं० 1 ग्वालियर (क्रिकेट के लिए) चार खेल छात्रावास चला रहा है। भोजन व रहने, खेलकूद किट व पोषक आहार का पूरा खर्च केन्द्रीय विद्यालय उठाते है जिसके लिए केन्द्रीय विद्यालय मुख्यालय द्वारा प्रत्येक महीने प्रत्येक छात्र 385 रु० का छात्रावास अनुदान दे रहा है।

मुख्यालय

साहसिक कार्याकलाप

5.21.16 के० वि० सं० प्रतिवर्ष व्यापक स्तर पर पर्वतारोहण कार्यक्रम आयोजित करता है। इस वर्ष लड़कों व लड़कियों के 6 दलों में लगभग 250 विद्यार्थियों को मई/जून, 1990 में रुइशार ताल क्षेत्र में पर्वतारोहण के लिए प्रायोजित किया गया।

स्काऊट / गाइड कार्यकलाप

5.21.17 स्काऊट / गाइड कार्यकलाप केन्द्रीय विद्यालयों में भीतर तक पैठ चुके है। पंजीकृत स्काउट व गाइडों की संख्या बढ़कर लगभग 60,000 तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या 5,000 हो गई है। प्रतिवर्ष शिक्षकों व विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इनमें, शिक्षकों के लिए प्राथमिक से नेतृत्व-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थियों के लिए विभिन्न दक्षता बैण, प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता प्रशिक्षण शिविर तथा राज्य पुरस्कार व राष्ट्रपति पदक प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण शिविर, शामिल हैं। ये सभी कार्यक्रम इकाई, जिला, मंडल तथा के० वि० सं० राज्य स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं। भुवनेश्वर में 6-9 जनवरी, 1991 को 960 स्काउट व गाइडों के लिए के० वि० सं० राज्य रैली आयोजित की गई।

विज्ञान प्रदर्शनी

5.21.18 विज्ञान शिक्षा में विशिष्टता प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें क्षेत्रीय दौरे, विज्ञान प्रदर्शनियां, विज्ञान प्रश्नोत्तरी तथा वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा सम्मिलित हैं। इस प्रकार की सहभागिता से न केवल शिक्षकों को छात्रों की वैज्ञानिक प्रतिभा का ज्ञान होता हैं बल्कि इससे छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग व रचनाओं की प्रेरणा मिलती है तथा उनमें विज्ञान वैज्ञानिक भावना तथा सामाजिक पर्यावरणीय चेतना के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। विज्ञान प्रदर्शनियां प्रति वर्ष स्कूल, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित की जाती हैं।

युवा संसद

5.21.19 छात्रों को संसदीय प्रक्रियाओं तथ व्यवहार से अवगत कराने के लिए तथा उनमें अनुशासन, दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता, खुली चर्चाओं तथा वादविवाद द्वारा निर्णयों पर पहुंचने तथा उनमें सामाजिक आवश्यकताओं, संसदीय आचार तथा संस्कृति के प्रति चेतना पैदा करने के विचार से सभी विद्यालयों में युवा संसद आयोजित की जाती है।

6. उच्च शिक्षा और अनुसंधान

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-6818
Date 23/4/92

6. उच्चतर शिक्षा और अनुसन्धान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि० अनु० आ०)

उच्चतर शिक्षा पद्धति का संवर्धन

6.1.1 वर्ष 1991-92 के आरंभ में विश्वविद्यालयों और कालेजों में कुल छात्र नामांकन 44.25 लाख था। यह पिछले वर्ष के नामांकन के मुकाबले 1.78 लाख अधिक था। विश्वविद्यालय विभागों में नामांकन 7.32 लाख था और सम्बद्ध कालेजों में 36.93 लाख था। कला संकाय में नामांकन कुल नामांकन का 40.4% था। विज्ञान और वाणिज्य संकायों में प्रतिशत क्रमशः 19.6 और 21.9 थी। प्रथम डिग्री स्तर पर नामांकन 38.99 लाख (88.1%) स्नातकोत्तर स्तर पर 4.20 लाख (9.5%), अनुसन्धान स्तर पर 0.49 लाख (1.1%) और डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र स्तर पर 0.57 लाख (1.3%) था।

6.1.2 वर्ष के दौरान अध्यापकों की संख्या में 2.63 लाख की वृद्धि हुई। इनमें से 0.59 लाख विश्वविद्यालय विभागों तथा विश्वविद्यालय कालेजों में थे तथा शेष सम्बद्ध कालेजों में थे। विश्वविद्यालयों में 58,661 अध्यापकों में से, 7509 प्रोफेसर थे, 15369 रीडर थे, 33437 लेक्चरर थे तथा 2346 ट्यूटर / प्रदर्शक थे। सम्बद्ध कालेजों में, वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या 28,421 थी और लेक्चररों की संख्या 167047 थी और शिक्षकों / प्रदर्शकों की संख्या 8996 थी।

6.1.3 वर्ष 1991-92 के दौरान, दो विश्वविद्यालयों अर्थात् उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव तथा मनोनमनियम सुन्दरानार विश्वविद्यालय, तिरूनेवली स्थापित किए गए थे और इस प्रकार, देश में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 148 तक पहुंच गई।

महिलाओं में उच्चतर शिक्षा

6.1.4 वर्ष 1991-92 के आरंभ में महिलाओं का नामांकन पिछले वर्ष के 13.67 लाख के मुकाबले में 14.37 लाख था। स्नातकोत्तर स्तर पर, महिलाओं का नामांकन कुल नामांकन का 34.2% था। छात्राओं का नामांकन, केरल में सबसे अधिक (53.0%) था जबकि पंजाब (48.2%), दिल्ली (46.3%), हरियाणा (42.2%), हरियाणा (42.2%), मेघालय / नागालैण्ड / मिज़ोरम (39.0%), तमिलनाडु (38.5%) और पश्चिम बंगाल / त्रिपुरा / सिक्किम में (38.4%) था। बिहार (16.4%) में महिलाओं का नामांकन सबसे कम था।

वि० अनु० आ० के कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप

6.1.5 वर्ष के दौरान जिन कुछेक प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया गया है, वे इस प्रकार हैः— स्वायत्त काले, पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापकों के अनुस्थापन के लिए शैक्षिक स्टाफ कालेज, लेक्चररों की भर्ती के लिए पात्रता-परीक्षा, अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र और संकाय, दूरस्थ शिक्षा। शिक्षावृत्तियां / छात्रवृत्तियां, विशेष सहायता कार्यक्रम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अवस्थापना-को सुदृढ़ करने सम्बन्धी समिति (सी० ओ० एस० आई० एस० टी०) कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों और महिलाओं के लिए शिक्षा, विश्वविद्यालय, राज्य सरकार तथा वि० अनु० आ० के बीच अन्तर-सम्बन्ध तथा उत्तरदायित्व, आयोजना कोषों पर केन्द्रित प्रबन्ध के वैकल्पिक मार्डल तथा जन संचार और शैक्षिक प्रौद्योगिकी तंत्र (नेटवर्क) का विस्तार करना। विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में वि० अनु० आयोग द्वारा किए गए प्रयासों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

स्वायत्त-कालेज

6.1.6 वि० अनु० आयोग ने स्वायत्त कालेजों की अपनी योजना के ज़रिए स्वायत्ता की संकल्पना को प्रोत्साहित करने तथा उसके संवर्धन के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा। आलोच्य अवधि के दौरान, और अधिक कालेजों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया गया था जिससे इस प्रकार के कालेजों की कुल संख्या दिसम्बर, 1991 तक 106 तक पहुंच गई।

पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करना

6.1.7 सामान्य शिक्षा में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करने की योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों को समुदाय की पर्यावरण और विकासात्मक आवश्यकताओं के अधिक अनुरूप बनाए जाने और शिक्षा को कार्य / क्षेत्र / व्यावहारिक अनुभव और उत्पादकता से जोड़ने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आरंभ की गई थी। अनेक विश्वविद्यालयों और कालेजों ने इन पाठ्यक्रमों को आरंभ कर दिया हैं। इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करने के कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से, वि० अनु० आ० ने दिसम्बर, 1991 तक विज्ञान में 11, मानविकियों और सामाजिक विज्ञान में 18 तथा व्यावसायिक शिक्षा में एक-कुल 30 पाठ्यचर्या विकास केन्द्र (पा० वि० के०) अध्यापन और पठन की नई सामग्री को आधुनिक बनाने, उसे तैयार करने और विकसित करने को ध्यान में रखते हुए विद्यमान पाठ्यचर्याओं की पुनरीक्षा करने के लिए स्थापित किए हैं। 27 केन्द्रों की मॉडल पाठ्यचर्या पर विश्वविद्यालयों को परिचालित किए जाने हेतु राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं में चर्चा की गई थी। वर्ष के दौरान, वि० अनु० आयोग ने व्यापक परिचालन हेतु सी० डी० एस० रिपोर्टों के प्रकाशन तथा ग्राफिक आई सेन्टर, दिल्ली विश्वविद्यालय के ज़रिए उनकी बिक्री के प्रस्ताव को मान लिया जिसके लिए आयोग प्रकाशन की लागत हेतु 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देने के लिए सहमत हो गया। इस बीच, वि० अनु० आयोग ने उन 314 कालेजों को अपना सहयोग देना जारी रखा जो कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं। इसी प्रकार, 784 कालेज, कालेज मानविकियों तथा सामाजिक विज्ञान सुधार कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

6.1.8 वि० अनु० आयोग विश्वविद्यालयों तथा बहु-संकाय कालेजों में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेलकूद में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने के लिए सहमत हो गया। आरंभिक चरणों में, प्रत्येक जिले में केवल एक कालेज, जिसमें ट्रैक और फील्ड जिमनास्टिक

योग, कन्डिशनिंग यूनिट जैसी बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हैं, को पाठ्यक्रम को आरंभ करने के लिए चुना जा सका। दिसम्बर, 1991 तक, 6 विश्वविद्यालयों और 21 कालेजों ने पाठ्यक्रम को आरंभ किया है जिसके लिए आयोग वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा हैं।

विश्वविद्यालयों की विकास सम्बन्धी योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने के लिए आठवीं योजना की मार्गदर्शी रूपरेखाएँ:—

6.1.9 वि॰ अनु॰ आयोग ने आठवीं योजना सम्बन्धी प्रस्तावों के निर्धारण पर विश्वविद्यालयों को दी गई रूपरेखाओं में, उन्हें यह सलाह दी कि वे विश्वविद्यालय पद्धति से बाहर की एजेंसियों तथा संस्थाओं विशेष रूप से वे जो विश्वविद्यालय शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से अनुसन्धान और विकास के लिए समर्पित हैं, से सम्पर्क को विकसित करें। विश्वविद्यालयों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उभरते हुए उन क्षेत्रों को अपनाने को प्रत्साहित किया जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक-विज्ञान, संगणक-विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी, समुद्र-विज्ञान तथा पर्यावरण और ऊर्जा-अध्ययन जैसे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काफी प्रासंगिक हैं।

6.1.10 ये मार्गदर्शी रूपरेखाएं विद्यमान कार्यक्रमों के समेकन पर प्रकाश डालती हैं। नए विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों अथवा नए विभाग खोलने की पेशकश अन्तर-विषय क्षेत्रीय दृष्टिकोण के साथ तैयार की जा सकती है जिन्हें विकसित विश्वविद्यालयों में विद्यमान सुविधाओं द्वारा जारी रखा जा सकता हैं। विकासशील विश्वविद्यालयों के मामले में, नए विभाग खोले जाने का निर्धारण, क्षेत्र में अन्यत्र उपलब्ध ऐसी ही सुविधाओं तथा जन-शक्ति आवश्यकताओं के अध्ययन को ध्यान में रखने के बाद, पूरे क्षेत्र अथवा राज्य में इस प्रकार के विभागों के लिए समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

6.1.11 इसके अतिरिक्त मार्गदर्शी रूपरेखाओं में विश्वविद्यालयों से यह अनुरोध किया गया हैं कि सभी विभागों के लिए अध्यापन सहायता उपलब्ध कराई जाए और अध्यापकों तथा छात्रों के लिए वीडियों-टेपों पर प्रमुख विषयों में पाठ्यक्रम सम्बन्धी पैकेज तैयार किए जाएं ताकि वे अपनी-अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में और अध्यापन के प्रणाली-विज्ञान में हुई उन्नति के साथ गति बनाए रखे। विश्वविद्यालयों को यह भी सलाह दी गई है कि वे परामर्शी सेवाओं तथा उपयुक्त रोज़गार एजेंसियों के साथ सम्पर्क सहित छात्रों के लिए आम सुविधाओं में भी सुधार लाएं।

6.1.12 आठवीं योजना के दौरान संस्थागत विकास योजनाओं के अन्तर्गत अवर-स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्यापन तथा अनुसन्धान सुविधाओं के विकास के लिए विश्वविद्यालयों को वि॰ अनु॰ आ॰ सहायता पद्धति को संशोधित कर दिया गया है, विश्वविद्यालयों को अब पुस्तकालय भवन और महिला छात्रावास के लिए शत प्रतिशत सहायता जबकि प्रयोगशालाओं, कक्षा-कक्षों, केन्द्रीय-कार्यशाला, ग्रीन-हाउस, ग्लास-हाउस, एनीमल-हाउस, गेस्ट-हाउस, छात्रावास, शिक्षक-छात्रावास, कर्मचारी-क्वार्टरों, जलपान-गृह-भवन, विजिटिंग-संकाय परिसर आदि और विश्वविद्यालय मुद्रणालयों की स्थापना / सुधार स्वास्थ्य केन्द्रों और विद्यमान छात्रावासों में सुविधाओं के सुधार के लिए, आयोग द्वारा क्रमशः 75% और 50% के मुकाबले में 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालयों को अब सड़क विकास, जल-आपूर्ति और विद्युत सहित परिसर विकास के लिए 75% सहायता मिल सकेगी। सातवीं योजना अवधि में ऐसी सहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

कालेजों के विकास सम्बन्धी योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने के लिए आठवीं योजना की मार्गदर्शी रूपरेखाएं

6.1.13 आठवीं योजना के दौरान कालेजों के विकास के लिए वि॰ अनु॰ आ॰ की नीति के चार प्रमुख कार्यक्रम हैः अर्थात (क) शिक्षा के मानकों और कोटि का सुधार; (ख) उच्चतर शैक्षिक सुविधाओं में असमानताओं और क्षेत्रीय असन्तुलनों का उन्मूलन; (ग) पाठ्यक्रमों की पुनःसंरचना और विविधता (घ) योग्य कालेजों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करना।

6.1.14 इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आयोग उन कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जो न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूरा करते हों और अपेक्षित व्यवहार्यता और सामर्थ्य से युक्त हों और बेहतर मानकों के लिए प्रयास कर रहे हों जिससे कि वे पुस्तक-बैंकों को सुदृढ़ करने, अवर-स्नातक स्तर पर उपयुक्त शिक्षण के लिए अनिवार्य बुनियादी वैज्ञानिक उपकरण, भवनों के निर्माण, अध्यापन तथा तकनीकी कर्मचारी, समाज के कमज़ोर वर्गों के छात्रों के लिए उपचारी पाठ्यक्रम, विस्तार-कार्यक्रम, परीक्षा-सुधार, और भारत में शैक्षिक-सम्मेलनों, कार्यशालाओं / सेमिनारों में शिक्षकों की भागीदारी, सहित पुस्तकों और पत्रिकाओं जैसी अपनी-अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। असमानताओं और क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर किए जाने की दृष्टि से, उन कालेजों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो पिछड़े / ग्रामीण सीमा वाले क्षेत्रों में स्थित कालेजों के गहन विकास के लिए और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की आवश्कताओं को पूरा करते हैं।

दक्षता में सुधार

6.1.15 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिसम्बर, 1991 तक 110 विश्वविद्यालयों को संगणक सम्बन्धी सुविधाएं संस्वीकृत की हैं। इसके अतिरिक्त आयोग ने इस अवधि तक 1216 कालेजों को संगणक सम्बन्धी सुविधाएं संस्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। प्रशिक्षण और अनुसन्धान के लिए इन सुविधाओं को उपयोग में लाए जाने के अतिरिक्त, उनका उपयोग छात्र-रिकार्ड, लेखों और प्रशासन तथा प्रबन्ध के अपेक्षित अन्य आंकड़ों के रख-रखाव के लिए किया जा सकता है।

शिक्षक-भर्ती, प्रशिक्षण और निष्पादन मूल्यांकन

6.1.16 वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लेक्चररशिप की पात्रता निर्धारित करने तथा मानविकियों और सामाजिक-विज्ञानों में कनिष्ठ अनुसन्धान शिक्षावृत्तियां प्रदान करने के लिए अर्हक-परीक्षा संचालित की। इसी प्रकार की एक परीक्षा वि॰ अनु॰ आ॰ तथा सी॰ एस॰ आई॰ आर॰ द्वारा संयुक्त रूप से विज्ञान-विषयों में संचालित की गई थी। नए भर्ती किए गए, कालेजों में सेवारत तथा विश्वविद्यालय लेक्चररों के लिए शैक्षिक-कर्मचारी-अनुस्थापना योजना के अन्तर्गत, आयोग द्वारा मान्य शैक्षिक स्टाफ कालेज ने 4601 शिक्षकों को शामिल करते हुए, 156 अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए। इसी प्रकार, सेवारत शिक्षकों के लिए 308 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तैयार किए गए थे जिसमें 8369 शिक्षकों को शामिल किया गया था। जनवरी, 1990 में योजना आयोग में हुई बैठक में शिक्षा विभाग की वर्ष 1990-91 की वार्षिक-योजना पर निर्णय लेते समय, यह निर्णय लिया गया था कि आठवीं योजना में ए॰ एस॰

सी॰ योजनाओं को संस्थागत रूप देने से पूर्व, वि॰ अनु॰ आ॰ को योजना की विस्तृत रूप से पुनरीक्षा करनी चाहिए। तदनुसार, वर्ष 1990-91 के दौरान आयोग द्वारा गठित एक समिति द्वारा कार्यक्रम की पुनरीक्षा पूरी की गई थी।

6.1.17 समिति ने फरवरी, 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग द्वारा रिपोर्ट पर विस्तृत रुप से विचार किये जाने तक यह निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालयों को विद्यमान पद्धति के आधार पर, 31 मार्च, 1992 तक तदर्थ आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जानी जारी रखी जाए।

विशेष सहायता कार्यक्रम

6.1.18 वि॰ अनु॰ आ॰ ने दिसम्बर, 1991 तक विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में विशेष सहायता के 109 विभागों तथा 41 उच्च अध्ययन केन्द्रों को सहायता प्रदान करनी जारी रखी। मानविकियों और सामाजिक-विज्ञान में उच्च अध्ययन के 16 केन्द्रों तथा विशेष सहायता वाले 101 विभागों को सहायता प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, विज्ञान में 47 विभागीय अनुसन्धान सहायता परियोजनाएं और मानविकियों तथा सामाजिक विज्ञानों में 22 क्रियान्वित की जा रही हैं। आयोग ने अनेक विभागों की मान्यता समाप्त की क्योंकि उनका निष्पादन, विशेषज्ञ-समिति द्वारा यथा-मूल्यांकित अपेक्षित स्तर का नहीं पाया गया था।

सी॰ ओ॰ एस॰ आई॰ एस॰ टी॰ कार्यक्रम

6.1.19 दिसम्बर, 1991 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा अनुसन्धान में अवस्थापना को सुदृढ़ करने की योजना के अन्तर्गत 111 विभागों को सहायता प्रदान की गई है।

सुपर-कन्डक्टीविटी कार्यक्रम

6.1.20 एक स्थायी समिति विश्वविद्यालय पद्धति में सुपर-कन्डक्टीविटी कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने में सहायता करती है। समिति ने फरवरी, 1991
आयोजित बैठक में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यकलापों की समीक्षा की। इसने कार्यक्रम की प्रगति के बारे में संतोष व्यक्त किया और बुनियादी अनुसंधान तथा सुपर-कन्डक्टीविटी के अनुप्रयोग— दोनों में, असाधारण उपलब्धियों की प्रशंसा की। जहां तक परिमाणात्मक शैक्षिक- निवेश का सम्बन्ध है, यह काफी लागत-प्रभावी पाया गया है। कुछ संस्थाएं अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कर्ष केन्द्रों के रूप में प्रकट हुई हैं। उन्होंने सक्रिय ग्रुप विकसित किए हैं और मूल प्रस्तावों में यथा-परिकल्पित अनिवार्य-कार्यकलापों को आयोजित किया हैं। इस कार्यक्रम से, आर॰ एण्ड डी॰ तथा तथा शैक्षिक कार्यकलापों के प्रति सहयोगी दृष्टिकोणों के लिए विश्वविद्यालय पद्धति पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा हैं।

6.1.21 समिति का यह दृष्टिकोण था कि कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने तथा इसके कार्यकलापों का निरीक्षण करने के लिए एक से शून्यांक बजट गैर पंजीकृत विशवविद्यालय संकाय की सथापना की जानी चाहिए। ये इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं में सुविधाओं तथा विशेषज्ञता के पूरक प्रयोग को सुकर बनाएगा। प्रस्तावित संकाय की देखभाल कने के लिए एक समन्वय समिति गठित की गई है।

प्रबन्ध के वैकल्पिक मॉडल

6.1.22 वर्ष के दौरान, वि॰अनु॰आ॰ द्वारा रिपोर्ट पर सिफारिशों सहित ज्ञानम समिति की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को प्रस्तुत कर दी गई थी। समिति, विश्वविद्यालय पद्धति पर नई मांगों के अनुसरण में विभिन्न विश्वविद्यालयों/निकायों की संरचना, भूमिका, और उत्तरदायित्वों सहित प्रबन्ध पद्धति की पुनरीक्षा करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की "कार्रवाई-योजना" के परिणाम के रूप में स्थापित की गई थी। समिति की प्रमुख सिफारिशें, विशेष रूप से सहभागिता सम्बन्धी दृष्टिकोण तथा बृहत विकेन्द्रीकरण के साथ, विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध पद्धति के संकल्पना से सम्बन्धित थीं। इसने विश्वविद्यालय,- स्वायत्तता, उत्तरदायित्व, आयोजना, निधियां और विश्वविद्यालयों, राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच अन्तर-सम्बन्ध जैसे पहलुओं पर भी बल दिया। सिफारिशें विश्वविद्यालय पद्धति में विभिन्न पदाधिकारियों/प्राधिकारियों तथा निकायों के अधिकारों तथा कार्यों को परिभाषित करती हैं।

6.1.23 रिपोर्ट मार्च, 1991 में हुई के॰शि॰स॰बो॰ की बैठक में प्रस्तुत की गई थी। के॰शि॰स॰बो॰ ने, इस रिपोर्ट की दूरगामी प्रतिक्रियाओं पर विचार करते हुए, यह इच्छा व्यक्त की कि रिपोर्ट की जांच करने के लिए, एक के॰शि॰स॰बो॰ समिति गठित की जानी चाहिए। तदनुसार, गुजरात के शिक्षा मंत्री, श्री करसन दास सोनेरी की अध्यक्षता में, एक के॰शि॰स॰बो॰ समिति का ग ठन ज्ञानम समिति रिपोर्ट की जांच करने के लिए किया गया।

सामान्य सुविधाएं और सेवाएं

6.1.24 बंगलौर, बम्बई और बड़ौदा में संगणक पर आधारित आधुनिक सूचना/प्रलेखन केन्द्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। इन केन्द्रों से शिक्षकों और छात्रों की सूचना तक पहुंच में सुधार आया है तथा उन्हें अपने-अपने विषयों में अद्यतन प्रलेखन उपलब्ध कराने के साथ-साथ ये केन्द्र उन्हें आवश्यक ग्रंथ विवरणिका संबंधी सहायता उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त वि॰ अनु॰ आयोग ने विश्वविद्यालयीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय शोध सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में अंतर विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना की है। वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों, शिक्षा माध्यम शोध केन्द्रों और दृश्य-श्रव्य केन्द्रों के विभिन्न सूचना विभागों के कार्यकलापों को मुख्यधारा में लाने, इनमें समन्वय स्थापित करने तथा इन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए परमाणु विज्ञान केन्द्र के परियोजना जैसे आकार की शैक्षिक सूचना के लिए एक अंतर विश्वविद्यालय सहभागिता की संकल्पना भी तैयार की गई। तिरूपति में स्थापित होने वाली मध्यमंडल, समतापमंडल और परिवर्ती मंडल (एम॰एस॰टी॰) राडार प्रणाली का लाभ उठाने के लिए श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुविधा के रूप में एक राडार केन्द्र स्थापित किया गया। ये केन्द्र परमाणु विज्ञान केन्द्र, ज्योतिष और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र, पूना अंतर विश्वविद्यालय सहकारिता, इंदौर स्फटिक विकास केन्द्र अन्नाविश्वविद्यालय के अलावा है।

समाचार माध्यम और शैक्षिक प्राविधिकी

6.1.25 "देशव्यापी कक्षाकक्ष" का दूरदर्शन द्वारा प्रसारण करके विश्व॰अनु॰ आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए दिए गए समय का उपयोग कराने में पहल की है। सातवीं योजना अवधि के दौरान आयोग पहले से ही कालेजों कों चरणबद्ध रूप में रंगीन दूरदर्शन सेट प्रदान किये थे। विश्व॰अनु॰ आयोग की इनसेट परियोजना के लिए एक भावी योजना तैयार की गई जिसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इनसेट की समय संबंधी भावी जरूरतों के लिए प्रक्षेपण किया जाएगा। आयोग इस समय पूना विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय (अहमदाबाद), (केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी **पाषा** संस्थान हैदराबाद), जामिया मिलिया इस्लामिया (नई दिल्ली) जोधपुर विश्वविद्यालय, मदुरई

कामराज विश्वविद्यालय और सेंट जेवियर कालेज (कलकत्ता) स्थित सात शिक्षा माध्यम अनुसंधान केन्द्रों को सहायता पहुंचा रहा है। रूड़की विश्वविद्यालय उस्मानिया विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय (मद्रास) कश्मीर विश्वविद्यालय (श्रीनगर), मणिपुर विश्वविद्यालय (इंफाल), पंजाब विश्वविद्यालय (पटियाला) और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (इंदौर) स्थित सात दृश्य श्रव्य अनुसंधान केन्द्रों की कार्मिकों के प्रशिक्षण और साफ्टवेयर के उत्पादन हेतु सहायता पहुंचाई जा रही है। आठवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में 6 और समाचार केन्द्रों द्वारा स्थापित करने के लिए योजना तैयार की गई है। विभिन्न समाचार केन्द्रों द्वारा दिसंबर, 1991 तक 2383 कार्यक्रम तैयार किए गए थे। स्त्रोतवार दूरदर्शन पर दिखाए गए कार्यक्रमों का लगभग 85% कार्यक्रम भारतीय था जबकि शेष कार्यक्रम विदेशी स्त्रोतों से लिए गए थे।

प्रौढ़, सतत और विस्तार शिक्षा कार्यक्रम

6.1.26 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा और विस्तार, निरक्षरता के उन्मूलन, सतत शिक्षा, जनसंख्या, शिक्षा और आयोजना मंच (फोरम) के कार्यक्रमों की प्रोन्नति हेतु सहायता प्रदान कर रहा है। आयोग द्वारा इन कार्यक्रमों के लिए सहायता पैकेज आधार पर प्रदान की जा रही है। नई मार्गदर्शी रूपरेखाओं (1988) के अनुसार दिसंबर, 1991 तक अनुमोदित कार्यक्रमों को स्थिति नीचे दर्शाई जा रही है:

(क)	शामिल विश्वविद्यालय की संख्या	93
ख)	शामिल कालेजों की संख्या	1284
ग)	विश्वविद्यालय और कालेजों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या	17940
घ)	कार्यात्मक साक्षरता हेतु जन कार्यक्रम	93 विश्वविद्यालय+ 1284 कालेज
ङ)	निम्नलिखित के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा	
1	विश्वविद्यालय और कालेजों में जनसंख्या शिक्षा क्लब	1286
11	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर जनसंख्य शिक्षा संबंधी कार्यकलाप	16780
च)	सतत शिक्षा कार्यक्रम	794
छ)	जन शिक्षण निलायम	1096

6.1.27 उपर्युक्त कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु, एक उप-समिति का गठन किया गया। उप-समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

6.1.28 विश्वविद्यालय द्वारा गठित जनसंख्या शिक्षा क्लबों के कार्यकरणों हेतु सतत सहायता के अलावा विश्वविद्यालयों पर इस बात के लिए जोर दिया गया कि वे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों और जन शिक्षण निलायमों का प्रयोग व्यापक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा के प्रसार हेतु करें। इसके अतिरिक्त, यू०एन०एफ०पी० ए०-यू०जी०सी० परियोजना के तहत विश्वविद्यालय/कालेजों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में चलाए जा रहे जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों को पाठ्यचर्या के विकास, जनसंख्या शिक्षा संसाधन केन्द्र के शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा समुदाय में विस्तार सेवा संबंधी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए जनसंख्या शिक्षा संसाधन केन्द्रों और कार्य दलों की स्थापना की गई है। पाठ्यक्रम की पुर्नसंरचना की योजना के तहत कुछ विश्वविद्यालयों अवर-स्नातक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा को मौलिक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया है। वर्ष के दौरान आयोजना मंच (फोरम) की योजना को पुनर्गठित किया गया है तथा इसे प्रौढ़ और सतत शिक्षा के विभागों/केन्द्रों की सीमा से बाहर कर दिया गया है। विश्वविद्यालय/कालेजों को इस योजना को अर्थशास्त्र विभाग के तत्वावधान में जारी रखने की सलाह दी गई।

छात्रवृत्ति और शिक्षावृत्ति

6.1.29 विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुसंधान के विकास के लिए आयोग विभिन्न विषयों में जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्ति देने के लिए सहायता प्रदान करता है। ये शिक्षा-वृत्तियां केवल उन अनुसंधान अध्येताओं को दी जातीहैं जो वि०अ०आ०सी०एस०आई०जी०ए०टी०ई० इत्यादि द्वारा आयोजित राष्ट्र स्तीरय परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं। जे०एन०यू० और भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर द्वारा कुछ चुनिन्दा विषयों में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित परीक्षाओं को इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय परीक्षाओं के समकक्ष मान्यता प्रदान कर दी गई है।

6.1.30 पेशेवर उत्कृष्ट शिक्षकों को निर्धारित अवधि के लिए राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति प्रदान की जाती है ताकि वे अनुसंधान और लेखन में विशेष रूप से अपने आपको समर्पित कर सकें। अनुसंधान वैज्ञानिक योजना के अन्तर्गत लेक्चरर रीडर और प्रोफेसर के ग्रेड में 200 पद सृजित किए गए ताकि उनको अवसर मिल सकें जो जीविका के रूप में अनुसंधान करना चाहते हैं। आयोग इस योजना में प्रत्यक्ष रूप से चयन करता है। वर्ष के दौरान आयोग ने उन अनुसंधान वैज्ञानिकों के मामलों की समीक्षा की और समीक्षा समिति की सिफारिशों पर एक उम्मीदवार को छोड़ने और अन्यों को ठेके की आशिंक या पूर्ण अवधि के लिए समान श्रेणी में जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई। पहले से इस उद्देश्य के लिए गठित समीक्षा समिति द्वारा योजना की कड़ी समीक्षा करने का निर्णय भी लिया गया था।

6.1.31 दौरा करने वाले प्रोफेसरों/फेलों की योजना के अन्तर्गत, दौरा करने वाले प्रोफेसरों/फेलों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वर्ष के दौरान आयोग ने विश्वविद्यालयों में "विजटिंग संकाय" की स्थितियों का सृजन किया ताकि काश्मीर विश्वविद्यालय के शिक्षकों को काश्मीर से बाहर इससे संबंधित कालेजों को वहांकी अशांत स्थितियों के कारण शिक्षण/अनुसंधान कार्य प्रदान किए जाए।

अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते शिक्षण कक्षाएं

6.1.32 वि०अ०आ० ने अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते शिक्षण कक्षाएं आयोजित करने हेतु केन्द्रों (विश्वविद्यालय और कालेज) को सहायता देना बरकरार रखा है।

अनु०जाति/अनु०जनजाति के लिए सुविधाएं

6.1.33 विभिन्न विश्वविद्यालयों में शुरू की गई इस प्रकार की शिक्षावृत्तियों की कुल संख्या में से अनु०जाति और अनु०जनजाति के लिए आरक्षित जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्ति के अलावा, वि०अ०आ० अनु०जाति और अनु०जनजाति के लिए 50 शिक्षावृत्ति प्रत्येक वर्ष प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार आयोग ने अनु०जाति/अनु०जनजाति के लिए 40 अनुसंधान एसोसिएटशिप आरक्षित कर दी है। एम०फिल० पी०एच०डी० करके अपनी योग्यताओं में सुधार करने के लिए अनु० जाति/जनजाति से संबद्ध कालेजों में शिक्षकों के अवसर प्रदान करने के वास्ते आयोग ने प्रत्येक वर्ष 50 शिक्षक शिक्षावृत्ति शुरू की है।

महिला अध्ययन

6.1.34 आयोग विश्वविद्यालयों को महिला अध्ययन में अनुसंधान के लिए सुस्पष्ट परियोजनाएं शुरू करने तथा अवर-स्नातक व उत्तर-स्नातक स्तरों पर पाठ्यविवरण के विकास एवं संगत विस्तार कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता देता रहा है।

6.1.35 आयोग ने सामाजिक विज्ञान तथा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान और मानविकी में महिला उम्मीदवारों के लिए अंशकालिक अनुसंधान एसोशिएट शिक्षा के 40 पदों का भी सृजन किया हैं। दिसम्बर 1991 तक सहायता के लिए महिला अध्ययन के विषयों से संबंधित उन्नीस अनुसंधान परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। महिला अध्ययन स्थायी समिति ने 21 विश्वविद्यालयों और 11 कालेजों/विश्वविद्यालय विभागों को महिला अध्ययन/सेल स्थापित करने के लिए सहायता की सिफारिश की।

संशोधित मार्गदर्शी रूपरेखाएं

6.1.36 आठवीं योजना अवधि के दौरान, कालेजों के विकास और योजनाओं जैसे शिक्षक शिक्षावृत्ति, न दिए गए अनुदान, आयोजना फोरम और भारतीय लेखों द्वारा विश्वद्यिालय स्तरीय पुस्तकों को तैयार करने के लिए, वर्ष के दौरान, नई मार्गदर्शी रूप रेखाएं तैयार की गई थीं और वितरित की गई थीं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (आई॰जी॰एन॰ओ॰यू॰)

6.2.1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सितम्बर, 1985 में की गई थी जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा पद्धति में मुक्त विश्वविद्यालय व दूरस्थ शिक्षा पद्धति का शुरू करना व बढ़ावा देना है तथा पद्धतियों में स्तरों का समन्वय निर्धारण करना है। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख लक्ष्यों में, जनसंख्या के बड़े हिस्सों विशेषकर असुविधा प्राप्त वर्गों को उच्चतर शिक्षा के व्यापक अवसर प्रदान करना, सतत शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना और विशेष लक्षित वर्गों यथा महिलाओं, पिछड़े क्षेत्रों व पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है।

6.2.2 इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, शैक्षिक तरीकों व गति के संबंध में लचीली व मुक्त विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा, पाठ्यक्रमों के संयोजन, नामांकन के लिए अर्हता प्रवेश-आयु, मूल्यांकन तरीकों आदि की नवाचारी प्रणाली की व्यवस्था करता है।

6.2.3 विश्वविद्यालय ने समेकित बहु-माध्यम शैक्षिक कार्यनीति को अपनाया है जिसमें मुद्रित सामग्री, दृश्य-श्रव्य सहायक सामग्री, शिक्षकीय प्रणाली, संपर्क कक्षाएं तथा ग्रीष्मकालीन स्कूल शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने सतत आंतरिक मूल्यांकन की प्रणाली को अपनाया है।

शैक्षिक कायक्रम

6.2.4 विश्वविद्यालय ने 1987 में अपने शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया था और अब तक 16 कार्यक्रम प्रारम्भ किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में आहार व पोषाहार में प्रमाणपत्र-पाठ्यक्रम, स्नातक उपाधि के लिए तैयारी कार्यक्रम, प्रबंध, दूरस्थ शिक्षा-अंग्रेजी में सर्जनात्मक लेखन, व कम्प्यूटर अनुप्रयोग, ग्रामीण विकास एवं विकास एवं उच्चतर शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम तथा कला/वाणिज्य/विज्ञान तथा पुस्तकालय व सूचना विज्ञानों में स्नातक-उपाधि कार्यक्रम के साथ-साथ व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री शामिल है। विश्वविद्यालय ने अभी तक 900 पुस्तिकाएं प्रकाशित की है जिनमें पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है और इनके अनुपूरक के रूप में, इसने 410 से अधिक दृश्य और 300 श्रव्य कार्यक्रम तैयार किए है।

6.2.5 1991-92 के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न अध्ययन कार्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या 60,280 थी। इसके साथ विश्वविद्यालय में छात्रों का कुल नामांकन 1.64 लाख से अधिक पहुंच गया है। विश्वविद्यालय ने मौजूदा कार्यक्रमवार पंजीकरण को अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है। प्रारंभ में, जनवरी, 1992 से शुरू हुए प्रबंध कार्यक्रम में पाठयक्रमवार पंजीकरण लागू किया गया है। उन छात्रों की संख्या, जिन्होंने 31-3-91 तक अपने अध्ययन कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे, 8476 थी।

कर्मचारी

6.2.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अब तक लगभग 160 शिक्षकों तथा करीब 900 तकनीकी, व्यावसायिक, प्रशासनिक और सहयोगी कर्मचारियों की भर्ती की है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय लगभग 250 समन्वयकों तथा सहायक समन्वयकों और 6500 से अधिक शैक्षिक परामर्शदाताओं को अंशकालिक आधार पर सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

छात्र सहयोग सेवाएं

6.2.7. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक व्यापक छात्र सहयोग सेवा नेटवर्क तैयार किया है जिसमें देश के विभिन्न भागों में स्थित 16 क्षेत्रीय केन्द्र और 171 अध्ययन केन्द्र शामिल हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र में निम्नलिखित सेवाओं की व्यवस्था है:—

- विशेष शैषिक कक्षाएं, समस्या का निदान करने वाले सत्र, आदि,
- सूचना, परामर्श और मार्गदर्शन,
- पुस्तकालय सुविधाएं,
- श्रव्य-दृश्य सुविधाएं,
- छात्र की सभी शैक्षिक सामग्री प्राप्त करता है और उनके मूल्यांकन की व्यवस्था करता है।

मुक्त विश्वविद्यालय तथा सुदूर शिक्षा पद्धति की प्रोन्नति और उसका समन्वय

6.2.8. किसी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यों के निष्पादन के अतिरिक्त, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देशभर में सुदूर शिक्षा में स्तरों के समन्वय और उनके निर्धारण का शीर्षस्थ निकाय है। इस कार्य के निष्पादन के लिए, विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने शिक्षा विभाग तथा वि॰ अ॰ आ॰ के परामर्श से इं॰ गां॰ रा॰ मु॰ वि॰ अधिनियम के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में एक सुदूर शिक्षा परिषद (डी॰ ई॰ सी॰) स्थापित करने का निर्णय किया है।

6.2.9. इं॰ गां॰ रा॰ मु॰ वि॰ के कुलपति डी॰ ई॰ सी॰ की अध्यक्षता करेंगे और इसमें विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड, शिक्षा विभाग, वि॰ अ॰ आ॰, राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों और परम्परागत विश्वविद्यालयों में पत्राचार अध्ययन संस्थानों के प्रतिनिधि और कुछेक प्रख्यात शिक्षाविद शामिल होंगे।

6.2.10. डी॰ ई॰ सी॰ देश में मुक्त विश्वविद्यालयों तथा अन्य सुदूर शिक्षा

संस्थाओं का एक नेटवर्क तैयार करने के उपाय करेगा। देश में मुक्त विश्वविद्यालय तथा सुदूर शिक्षा पद्धतियों के स्तरों की प्रोन्नति, समन्वय तथा अनुरक्षण के अपने प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त, डी॰ ई॰ सी॰ को राज्य विश्वविद्यालयों तथा परम्परागत विश्वविद्यालयों के पत्राचार अध्ययन संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी।

प्रसारण

6.2.11. 20 मई, 1991 से दूरदर्शन द्वारा इं॰ गां॰ रा॰ मु॰ वि॰ के कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू होना, वर्ष 1991-92 के दौरान एक प्रमुख उपलब्धि थी। दूरदर्शन प्रत्येक सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को प्रातः 6.30 बजे से आधे घंटे का एक कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है।

समाचार पत्रिका

6.2.12. इं॰ गां॰ रा॰ मु॰ वि॰ ने 1992 से भारतीय मुक्त अध्ययन पत्रिका नामक एक व्यावसायिक पत्रिका शुरू करने का निर्णय किया है।

दीक्षान्त समारोह

6.2.13. विश्वविद्यालय ने अप्रैल, 1991 में अपना दूसरा दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जब 3276 छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किए गए थे। डा॰ शंकर दयाल शर्मा, भारत के उप-राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे।

आर्थिक सहायता प्रदान करना

6.2.14. 1991-92 के दौरान भारत सरकार ने इं॰ गां॰ रा॰ मु॰ वि॰ को इसके विकास तथा अनुरक्षण के लिए 9.00 करोड़ रु॰ प्रदान किए हैं। इसमें योजनेतर निधियों के रूप में 7.76 करोड़ रु॰ का प्रावधान शामिल है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

6.3.1 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी, एक प्रमुख केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय अपने आवासीय स्वरूप के लिए विख्यात है। इसमें 13 आवासीय हाल है जिसमें दो महिलाओं के लिए शामिल हैं। इसमें 55 छात्रावास सम्मिलित हैं। इस विश्वविद्यालय में कुल 19630 छात्रों का नामांकन है जिसमें स्कूलों में नामांकित छात्र भी शामिल हैं। 21 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे विदेशी छात्रों की नामांकित संख्या 367 हैं।

6.3.2. विश्वविद्यालय की संकाय संख्या 1162 है। गैर शिक्षण कर्मचारियों की संख्या 5177 है।

6.3.3. विश्वविद्यालय ने शिक्षण और परीक्षा के निर्धारित कार्यक्रम को समय पर पूरा करने का प्रबंध किया। मूल्यांकन कार्य को चाक्षुणीय चिन्हित पठन जांच पद्धति की सहायता से आधुनिक बनाया गया था। इसके अतिरिक्त प्रवेश और परीक्षा कार्य के संगणकीकरण की योजना तैयार की गई है जिसके लिए आवश्यक यन्त्र प्राप्त किए गए हैं।

6.3.4. भारतीय भाषाओं और संस्कृति का हाल ही में स्थापित तुलनात्मक अध्ययन केन्द्र तुलनात्मक भारतीय साहित्य में एम॰ फिल॰ तथा पी॰ एच॰ डी॰ कार्यक्रम के अतिरिक्त भारतीय साहित्य में उत्तर एम॰ ए॰ डिप्लोमा शुरू करने का प्रस्ताव कर रहा है।

6.3.5. शारीरिक स्वास्थ्य और खेल शिक्षा विभाग की स्थापना वर्ष 1990-91 के दौरान की गई थी। हाल ही में स्थापित नीति अध्ययन केन्द्र ने नीति अध्ययन में पी॰ एच॰ डी॰ और उत्तर एम॰ ए॰ डिप्लोमा शुरू किया है।

6.3.6. भौतिक और वनस्पति विभागों, को वि॰ अ॰ आ॰ द्वारा एक विशेष सहायता विभाग के रूप में मान्यता जारी रही। वि॰ अ॰ आ॰ ने अनुसंधान योजना विभाग का विस्तार प्राणीविज्ञान विभाग में किया।

6.3.7. नवसृजित संग्रहालय विद्या विभाग संग्रहालय विद्या में उत्तर एम॰ एस॰ सी॰ डिप्लोमा संचालित करता है।

6.3.8. 1991-92 के दौरान, वाणिज्य विभाग ने मास्टर डिग्री, अर्थात वित्त तथा नियंत्रण का मास्टर और पर्यटन प्रशासन का मास्टर हेतु व्यावसायिक अध्ययन केन्द्रों को नये कार्यक्रम भी शुरू किए।

6.3.9. संगणक विज्ञान विभाग अनेक पाठ्यक्रम अर्थात, एम॰ सी॰ ए॰, पी॰ डी॰ सी॰ ए॰, डी॰ सी॰ पेनल इलेक्ट्रानिकी डाटा प्रोसेसिन्ग में पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। मेकेनीकल इंजीनियरी विभाग ने चालू सत्र के दौरान विभिन्न नए पाठ्यक्रम शुरू किए और नई प्रयोगशालाएं स्थापित की।

6.3.10. आर्थोपिडिक सर्जरी विभाग ने भारतीय आर्थोपिडिक संघ का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें देश के सभी भागों से प्रख्यात आर्थोपिडिक सर्जनों और शिक्षकों द्वारा व्याख्यान दिए गए थे।

6.3.11. वर्ष के दौरान, बालक और बालिका कालेजों के भवन, वाणिज्य संकाय, कला भवन और इलेक्ट्रीकल इंजीनियरी विभाग का विस्तार जैसे प्रमुख निर्माण कार्य पूरे किए गए थे।

6.3.12. 500 बिस्तर वाले जे॰ एन॰ चिकित्सा कालेज अस्पताल में एक डायरिया उपचार और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय ने इलमल अडविया विभाग में एक मादक वस्तु संग्रहालय स्थापित किया। विश्वविद्यालय का एक औषध विज्ञान प्रयोगशाला और एक पशुगृह निर्मित करने का भी प्रस्ताव है।

6.3.13. प्रयुक्त रसायन शास्त्र विभाग का निम्नलिखित दो नये पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है:—

(i) पर्यावरण विज्ञान में एम॰ एस॰ सी॰ (तकनीकी) पाठ्यक्रम।

(ii) संक्षारण व इंजीनियरी में एम॰ टेक॰ पाठ्यक्रम।

6.3.14 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय महिला कालेज को आठवीं योजना प्रस्तावों के अंतर्गत पहली प्राथमिकता के रूप में भवन, उपरकरण व अन्य आवश्यकताओं के लिए पचास लाख रु॰ संस्वीकृत किए गए। कैरियर योजना केन्द्र, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग, कोसमेटिक टेक्नोलोजी, ब्यूटी कल्चर आदि चला रहा है। केन्द्र ने घरेलू महिलाओं के लिए लघुकालिक कुशलता प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरंभ किए हैं।

6.3.15. विश्व॰ अनु॰ आ॰ ने पुस्तकालय विज्ञान विभाग का शैक्षिक स्टाफ कालेज के अंतर्गत लेक्चरर/पुस्कालय अध्यक्ष हेतु पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए देश के तीन केन्द्रों में से एक के रूप में चयन किया है।

6.3.16. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मौलाना आजाद पुस्तकालय छात्रों, संकाय सदस्यों न अन्यों हेतु प्रतिदिन 18 घंटे की पुस्तकालय सेवा प्रदान करता है। 31.10.90 तक कुल 8,02,770 पुस्तकें थी। इसके

अतिरिक्त विश्वविद्यालय के पास विभिन्न भाषाओं में दुर्लभ व मूल्यवान पाण्डुलिपियां हैं।

6.3.17. सिविल इंजीनियरी विभाग, संस्थानिक नेटवर्क योजना के अंतर्गत एयर क्वालिटी मोनिटेयरिंग प्रयोगशाला के विकास हेतु मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुदान प्राप्त कर रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी प्रयोगशाला, नागपुर योजना के निष्पादन में सहायता कर रही है।

6.3.18. इलेक्ट्रोनिक्स विभाग ने निम्नलिखित दो परियोजनाओं के अंतर्गत उपयोगी सुविधाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित व विकसित की हैः—

(क) माइक्रोप्रोसेस्टर ऐपलिकेशन में अंतर्क्षेत्रीय शोध व शिक्षा केन्द्र

(ख) आई सी डिजाईन व इलेक्ट्रोनिक डिवाईस में शिक्षा व शोध केन्द्र

6.3.19. शिक्षण व मार्गदर्शन केन्द्र छात्रों को विशेष रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करने के लिए उचित शिक्षण कार्यक्रम चला रहा है।

6.3.20. प्रो० जिआऊल हसन, प्रधानाध्यापक विश्वविद्यालय पोलिटेक्निक को तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चंडीगढ़ ने वर्ष 1991 के लिए बेस्ट अकेडेमिक एवार्ड से सम्मानित किया।

6.3.21. आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्व० अनु० आयोग ने अभी तक इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी संकाय तथा आयुर्विज्ञान संकाय को क्रमशः 275 लाख रु० व 585 लाख रु० के अतिरिक्त 721 लाख रु० का अनुदान संस्वीकृत किया है।

6.3.22 चालू वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय का अनुमानित योजनेत्तर व्यय 3936 लाख रु० था। पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय 3611 लाख रु० था।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बी० एच० यू०)

6.4.1 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय एक शिक्षण तथा आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में 1916 में अस्तित्व में आया। इसमें 114 विभागों सहित 3 संस्थान तथा 14 संकाय हैं। इसके अलावा इसका एक घटक कालेज तथा चार कालेज विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में हैं। विश्वविद्यालय के परिसर में 1000 बिस्तरों वाला आधुनिक अस्पताल है। विश्वविद्यालय में लगभग 13,000 छात्र दाखिल हैं। इसके शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ की संख्या क्रमशः लगभग 1281 व 6350 है। श्री विभूति नारायण सिंह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा प्रो० आर० पी० रस्तोगी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं।

6.4.2 वर्ष के दौरान विभिन्न संकायों के कुछ अध्येताओं को उनके अपने-अपने अनुसंधान/विद्वता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान/पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सूक्ष्म जीवविज्ञान के प्रो० एस० सी० सन्याल का रॉयल कालेज आफ पैथोलोजिस्ट, लंदन के अध्येता के रूप में चयन किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रो० ए० के० बनर्जी (पत्रकारिता व सम्प्रेषण), प्रो० एच० सी० नैय्यर (उर्दू), प्रो० पी० सी० सूद (भौतिकी), पो० आर० पी० द्विवेदी (प्राच्य अध्ययन व धर्म विज्ञान) व प्रो० के० पी० श्रीवास्तव (प्राणि विज्ञान) को सेवामुक्त अध्येता के रूप में नियुक्त किया। सी० एस० आई० आर० ने प्रो० ओ० पी० मल्होत्रा (रसायन विज्ञान) प्रो० एम० एस० कनुनगू (प्राणि विज्ञान) प्रो० से० जे० डोमनिक (प्राणि विज्ञान) व प्रो० डी० पी० वर्मा (सूक्ष्म जीव विज्ञान) को सेवा मुक्त वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया। प्रो० सी० एम० जरीवाला (विधि) को पर्यावरण विधि आयोग, स्विट्जरलैंड का सदस्य नियुक्त किया गया।

6.4.3 विश्वविद्यालय के कुछ संकाय सदस्यों को देश के विभिन्न संगठनों/विभागों में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया। प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रो० पी० रामाराव को विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार में सचिव नियुक्त किया गया है। प्रो० बी० बी० धर को धनबाद में सी एस आई आर के केन्द्रीय खान शोध स्टेशन का निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रो० डी० पी० सिंह (खान इंजीनियरी) को अवध विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रो० आई० सी० तिवारी (निरोधक सोशल मेडिसन) को (स्वास्थ्य) योजना आयोग में सलाहकार नियुक्त किया गया है।

6.4.4 विश्वविद्यालय का प्लेटिनम जयन्ती समारोह का 20 जनवरी, 1991 को आरंभ किया गया। समारोह को महत्व देने के लिए सूचना मंत्रालय ने विशेष संस्मारक टिकट निकाली। आलोच्य वर्ष के दौरान समारोह के भाग के रूप में कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भाषण, सेमिनार व सिम्पोसिया आयोजित किए गए।

6.4.5 विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल के प्रत्येक बिस्तर का वार्षिक रखरखाव अनुदान 1.10.91 से 6,000 रु० से बढ़ाकर 12,000 रु० कर दिया गया था। खेल विकास योजना के अंतर्गत 88.15 लाख रु० की लागत पर हाल के निर्माण के लिए युवा कार्यकलाप व खेल विभाग ने 52.20 लाख रु० का अनुदान अनुमोदित किया था।

6.4.6 नेपाल के प्रधानमंत्री श्री जी० पी० कोइराला को डाक्टेरट आफ लॉ की सम्मानार्थ डिग्री प्रदान की गई।

6.4.7 भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्लेटिनम जयंती समारोह के भाग के रूप में अंतर्विश्वविद्यालय राष्ट्रीय युवा उत्सव 1991-92 आयोजित करने का विश्वविद्यालय का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान के दो छात्रों को नियुक्त किया गया था। विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय स्वयं सेवी छात्र दल ने इम्फाल में आयोजित राष्ट्रीय संघटन कैम्प में भाग लिया। विश्वविद्यालय ने बेराहमपुर विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय अंतर्विश्वविद्यालय युवा उत्सव में 4 स्वर्ण पदक प्राप्त किए।

6.4.8 विश्वविद्यालय ने पूर्वी क्षेत्रीय अंतर्विश्वविद्यालय कबड्डी टूर्नामेंट उ० प्र० अंतर्विश्वविद्यालय, पूर्वी अंचल (बी) अंतर्विश्वविद्यालय बास्केटबाल टूर्नामेंट अंतर्विश्वविद्यालय खो-खो (महिला) टूर्नामेंट, उ० प्र० अंतर्विश्वविद्यालय फुटबाल टूर्नामेंट व उ० प्र० अंतर्विश्वविद्यालय तैराकी टूर्नामेंट जीते।

6.4.9 विश्वविद्यालय का वर्ष 1991-92 का प्रत्याशित रखरखाव अनुदान 1990-91 के दौरान 44.85 करोड़ रु० के व्यय के स्थान पर 48.02 करोड़ रु० था।

दिल्ली विश्वविद्यालय

6.5.1 उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय देश के विभिन्न भागों के साथ-साथ विदेशों से भी छात्रों को आकर्षित करता हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान कुल 1,83,792 छात्र नामांकित थे। इसमें से

विभिन्न कालेजों, संकायों व विश्वविद्यालय के विभागों में 1,05,379 नियमित छात्र थे। महिला शिक्षा बोर्ड में 11,792 गैर-कालेजीय छात्र नामांकित थे तथा 55,000 पत्राचार पाठ्यक्रम व सतत शिक्षा स्कूल में तथा 11,615 बाह्य उम्मीदवार सेल (प्राइवेट छात्र) में।

6.5.2 वर्ष के दौरान दो नए कालेज एक यमुना पार क्षेत्र में डा॰ भीमराव अम्बेडकर कालेज तथा दूसरा रजोकरी गांव में आचार्य नरेन्द्र देव कालेज के नाम से कार्य करना आरंभ कर चुके हैं। प्रौद्योगिकी संकाय के अधीन उत्पादन व उद्योग इंजीनियरी विभाग व इंस्ट्रूमेंटेशन व कंट्रोल इंजीनियरी विभाग के नाम से दो नए विभाग आरंभ किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान विभिन्न संकायों तथा विभिन्न स्तरों पर कई नए पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं।

6.5.3 विश्वविद्यालय के संकाय में 258 प्रोफेसर, 318 रीडर, 165 लेक्चरर व 18 शोध एसोशियेट हैं जिससे कुल संख्या 759 हो गई है।
वर्ष 1991-92 के दौरान विश्वविद्यालय के निम्नलिखित संकाय सदस्यों को गौरवशाली सम्मान/पुरस्कार प्रदान किए गए:—

i) प्रो॰ आर॰ एन॰ सक्सेना को क्रमशः प्राणीविज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा एफ॰एन॰ए॰ और राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का हरि ओम न्यास पुरस्कार प्रदान किया गया।

ii) प्रो॰ पी॰ बी॰ मंगला को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालयाध्यक्षता के प्रोत्साहन के लिए उनके अभिनव और उत्कृष्ट योगदान के लिए आई॰एफ॰एल॰ए॰ स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

iii) प्रो॰ सुभाष चक्रवर्ती को "वी॰ के॰ मेनन और भारतीय संघ" पर कार्य करने हेतु दो वर्ष के लिए नेहरू शिक्षावृत्ति प्रदान की गई।

6.5.4 विश्वविद्यालय ने वर्ष 1991-92 के दौरान डा॰ अरपद गोंज, राष्ट्रपति, गणतन्त्र को डी॰ लिट॰ की सम्मानिक उपाधि प्रदान करने के लिए एक विशेष दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया।

6.5.5 वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के छात्रों ने खेलों के मैदान में श्रेष्ठता दिखाई। विश्वविद्यालय ने क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए तीसरे वर्ष लगातार मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी जीती।

6.5.6 शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग से विश्वविद्यालय ने उत्तर काशी के लिए भूकम्प सहायता कोष स्थापित किया।

6.5.7 वर्ष 1991-92 के लिए विश्वविद्यालय का अनुरक्षण व्यय वर्ष 1990-91 के 25.92 करोड़ रु॰ के व्यय की तुलना में 31.55 करोड़ रु॰ है।

हैदराबाद विश्वविद्यालय

6.6.1 हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1947 में एक संसद अधिनियम द्वारा की गई थी। इसमें स्नातकोत्तर व अनुसंधान अध्ययन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वर्ष के दौरान, 872 छात्रों को देश के 13 भिन्न भिन्न केन्द्रों पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर विश्वविद्यालय में दाखिला दिया गया। वर्ष के दौरान छात्रों का कुल नामांकन 1820 था जिसमें 246 अ॰ जा॰, 45 अ॰ ज॰ जा॰ तथा 22 विकलांग अभ्यार्थी शामिल हैं। वर्ष के दौरान महिला छात्रों की संख्या 696 थी जो कि कुल छात्रों का लगभग 38% है।

6.6.2 प्रो॰ बी॰ एच॰ कृष्णामूर्ति को 11.6.1991 से दूसरी अवधि के लिए पुनः कुलपति नियुक्त किया गया।

6.6.3 विश्वविद्यालय के शिक्षक संकाय में 72 प्रोफेसर, 69 रीडर व 63 लेकचरर थे। शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या 1041 है।

6.6.4 वर्ष के दौरान, योग्यता छात्रवृत्तियों (55) तथा योग्यता व साधन छात्रवृत्तियों (215) के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई, इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा (76) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (170) अनुसंधान वृत्ति छात्रों की जूनियर शोध अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई। वर्ष के दौरान यू॰जी॰सी॰, सी॰एस॰आई॰आर॰, आई॰सी॰एम॰आर॰, डी॰एस॰टी॰डी॰ए॰ई॰, आई॰सी॰ए॰आर॰ आदि ने विश्वविद्यालय की 89 अनुसंधान परियोजनाओं को लगभग 3.76 करोड़ रु॰ दिए।

6.6.5 वर्ष के दौरान, कार्यकारी परिषद् की पांच बैठकें तथा शैक्षिक परिषद की दो बैठकें हुई। कोर्ट की वार्षिक बैठक 7.12.91 को आयोजित हुई।

6.6.6 विश्वविद्यालय ने 300 छात्रों के लिए 1.30 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत वाले छात्रावास के निर्माण का कार्य आरंभ किया जिसका शिलान्यास मानव संसाधन विकास मंत्री ने किया।

6.6.7 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय के विकास हेतु आठवीं योजना के लिए 9.88 करोड़ रु॰ के नियतन की स्वीकृति दी है।

जामिया मिलिया इस्लामिया

6.7.1 जामिया मिलिया इस्लामिया, जो 1962 से विश्वविद्यालय संस्था के रूप में कार्य कर रही थी, को 26 दिसम्बर, 1988 से एक संसद अधिनियम द्वारा एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय नर्सरी स्तर से स्नातकोत्तर तथा शोध स्तरों तक समेकित शिक्षा प्रदान करता है।

6.7.2 वर्ष 1990-91 में छात्रों की संख्या 7,935 थी जिसमें से पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र की संख्या 5,239 थी (पुरुष 3724 तथा महिला 1515)। अ॰जा॰, अ॰ज॰जा॰ और पिछड़े वर्गों के छात्रों की संख्या क्रमशः 410, 34 और 108 है। 21 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या 144 है। शिक्षण कर्मचारियों की संख्या 358 और शिक्षेणत्तर कर्मचारियों की संख्या 890 हैं।

6.7.3 विश्वविद्यालय में 27 विभागों सहित छः संकाय हैं। इसमें 14 छात्रावास हैं जिसमें 907 छात्र रहते हैं। जामिया में कामकाजी महिलाओं के लिए भी एक छात्रावास है जिसमें 68 महिलाएं रह सकती हैं।

6.7.4 जन संचार अनुसंधान केन्द्र जन संचार, रेडियो, श्रव्य-दृश्य और टेलीविजन तथा फिल्म निर्माण में कार्यक्रम और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है। यह वि॰ अ॰ आ॰ का देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम तैयार करता है। जिसे दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया जाता है। तथा सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के लिए दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम तैयार करता है।

6.7.5 जामिया में प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा एवं विस्तार विभाग, राज्य संसाधन केन्द्र बाल दिशा निर्देश केन्द्र, कोचिंग और केरियर प्लानिंग केन्द्र

तथा बालक माता केन्द्र जैसी अनेक सक्रिय अनौपचारिक इकाइयां हैं। प्रौढ़ और सतत शिक्षा विभाग तथा विस्तार शिक्षा ने जनसंख्या शिक्षा पर कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त विस्तार शिक्षा में एक अतिरिक्त विस्तार शिक्षा में एक स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ किया है।

6.7.6 राज्य संसाधन केन्द्र साक्षरों और नव साक्षरों के लिए पठन सामग्री तैयार करता है। बाल दिशा निर्देश केन्द्र बच्चों, अभिभावकों, किशोर बालिकाओं, शिक्षकों और व्यावसायिकों के लिए विकासात्मक कार्य सम्पन्न करता है। कोचिंग एंड कैरियर प्लानिंग केन्द्र सं०लो०से०आ०, राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी उपक्रमों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए सुव्यवस्थित कोचिंग की व्यवस्था करता है। जामिया के बालक माता केन्द्र पुरानी दिल्ली क्षेत्र में रह रहे सुविधा वंचित वर्गों के बच्चों और महिलाओं को शिक्षा प्रदान करते हैं।

6.7.7 जामिया मिलिया इस्लामिया ने विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों हेतु अनुस्थापन कार्यक्रमों के लिए एक एकेडेमिक स्टाफ कालेज की स्थापना की है। विश्वविद्यालय का डा० जाकिर हुसैन इस्लामी अध्ययन संस्थान आधुनिक विश्व की समस्याओं के समाधान पर विशेष बल सहित इस्लाम की तर्क संगत समझ को बढ़ावा देता है। तृतीय विश्व अध्ययन अकादमी तीसरी दुनिया के देशों के सामाजिक आर्थिक अध्ययन के लिए अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

6.7.8 जामिया फ्रेंच, रूसी, बुल्गारियाई जैसी विदेशी भाषाओं के लिए शिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराती है। जामिया राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यन्वित करता है जो छात्रों में सामाजिक जागरूकता पैदा करती है। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में रूचि बढ़ाने तथा ऐसी गतिविधियो में सहभागिता की भावना उत्पन्न करने के लिए एन०सी०सी० कार्याकलाप भी चलाता है। "सैन्य विज्ञान " जामिया के बी०ए० (आनर्स) पाठ्यक्रम का एक गौण विषय है।

6.7.9 जामिया में एक केन्द्रीय पुस्तकालय है जिसमें 2 लाख से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। विश्वविद्यालय ने हाल ही में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में एक स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ किया है।

6.7.10 वर्ष 1991-92 के लिए विश्वविद्यालय का अनुमानित अनुरक्षण व्यय, वर्ष 1990-91 के 692 लाख रु० की तुलना में 805 लाख रु० है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (जे०एन०यू०)

6.8.1 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1966 में संसद के एक अधिनियम के तहत की गयी थी। विश्वविद्यालय में 7 स्कूल और 24 अध्ययन केन्द्र हैं। इसके अलावा इसका एक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र भी हैं। विश्वविद्यालय में लगभग 3800 छात्र शामिल हैं। इसके अध्यापक और गैर अध्यापन कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 375 और 1347 है। श्री पी० एन० हक्सर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा प्रो० एम० एस० अजवानी कुलपति है।

6.8.2 शैक्षिक वर्ष 1990-91 के दौरान, विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों/केन्द्रों द्वारा 12 राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनरों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था।

6.8.3 विभिन्न स्कूलों के संकाय सदस्यों द्वारा 38 अनुसंधान परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई थीं जबकि 91 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर था। ये परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार सहित विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रयोजित की गई। विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा भारतीय तथा विदेशी दोनों पत्रिकाओं में (55 पुस्तकें/सम्पादित खंड तथा 323 लेख प्रकाशित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पुस्तकों में 155 अध्याय जोड़े गये।

6.8.4 जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय की सदस्यता 4,020 है। वर्ष के दौरान लगभग 50,000 क्लिपिंग्स तथा 11,781 खंड और बढ़ाए गए हैं। अब पुस्तकालय में खंडों और क्लिपिंग्स का कुल संग्रह क्रमशः 4 लाख और 8 लाख है।

6.8.5 विश्विविद्यालय के अकादमिक स्टाफ कालेज द्वारा राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा समाजविज्ञान में छः पुनश्चर्या पाठयक्रम तथा एक अनुस्थापन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इन पाठ्यक्रमों में 219 शिक्षकों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय ने प्रशासनिक स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया था।

6.8.6 विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान स्कूल में रेडिऐशन मानीटर, जिसमें आवृतियों के व्यापक वर्गों (0.2.10 जी०एच०जैड०) पर सूक्ष्मतरंगों का पता लगाने की क्षमता है का निर्माण, विकास तथा जांच का कार्य सफलतापूर्वक हो गया है। इस उपकरण का प्रयोग स्वीकृत सुरक्षा स्तर से बहुत नीचे के, बैकग्राउण्ड रेडिऐशनों तथा सूक्ष्मतरंग ओवनों से रिसाव क्षेत्र को मापने के लिए भी किया जा सकता है।

6.8.7 विश्वविद्यालय विज्ञान उपकरण केन्द्र ने विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों के लिए आवश्यकतानुसार इलोक्ट्रोफोरेटिक उपकरणों, उच्च तापमान सैम्पल चैम्बर तथा फोटो सिन्थेसिस उपकरणों का निर्माण किया।

6.8.8 आनुवंशिक इंजीनियरी एकक देश के विभिन्न भागों के बहुत से वैज्ञानिकों को रिकामबिनेट डी०एन०ए० तकनीकी में शामिल विभिन्न कार्यविधियों में मूल प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह प्रशिक्षण उनमें से बहुतों को इस धारणा से कि भारत में ऐसे "जटिल" प्रयोग नहीं किए जा सकते छुटकारा पाने में सहयाता करता है। एकक द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों से अंततः फसल देने में/पैदा करने में सुधार होगा।

6.8.9 राष्ट्रीय जीवसूचनात्मक केन्द्र की स्थापना जैव प्रौद्योगिकी विभाग के कोष से विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र में वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक सूचना आवश्यकताओं को जुटाने के लिए की गई। यह गिनि बैंक, आन लाईन और मेडलाईन खोज सुविधाओं से सुसज्जित है। जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र स्कूली बच्चों के मध्य वैज्ञानिक प्रकृति तथा जैव प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य उन्हें संकाय सदस्यों द्वारा आधुनिक जीवविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर दिए जाने वाले व्याख्यानों में उपस्थित होने का निमंत्रण देकर करता है।

6.8.10 विश्वविद्यालय ने भारतीय सांस्कृतिक संसाधन केन्द्र के सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूलों के वैस्ट एशियन और अफरीकन अध्ययन केन्द्र में नेलसन मंडेला चैयर स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

6.8.11 निर्माण कार्य में समान रूप से प्रगति होती रही। 200 छात्राओं के लिए छात्रावास भवन के निर्माण, खरीदारी केन्द्र, पर्यावरण विज्ञान स्कूल, अन्तर्कक्ष प्रशासन और प्रशासनिक ब्लॉक के विस्तार कार्य को पूरा किया गया। प्रतिस्थापन आवास इकाइयों, सामुदायिक केन्द्र और

कर्मचारी क्लब का निर्माण कार्य पूरा होने वाला था। सम्मेलन स्थल और क्रीड़ा स्थल का निर्माण कार्य प्रगति पर था।

6.8.12 वर्ष 1991-92 के लिए विश्वविद्यालय का अनुमानित अनुरक्षण व्यय 15.50 करोड़ रुपये है जबकि 1990-91 में यह 13.52 करोड़ रुपये था।

उत्तरी पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय

6.9.1 उत्तरी पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई थी। इसके अधिकार क्षेत्र में मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के तीन राज्य भी आते हैं। विश्वविद्यालय का मुख्यालय शिलांग में है। वर्ष 1991-92 में छात्रों की संख्या 14,963 थी जिसमें स्नातकोत्तर छात्रों सहित 12,307 अवर-स्नातक, 397 शोध छात्र और 1346 विशिष्ट छात्र थे। विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मचारियों की संख्या 348 और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या 1,999 है।

6.9.2 डा॰ सी॰ एन॰ राव विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रो॰ बैरिस्टर पाकेज नए उपकुलपति हैं। विश्वविद्यालय के कोर्ट का पुनर्गठन 8 मई, 1991 को हुआ था। विश्वविद्यालय का 8वां सम्मेलन जुलाई, 1991 में सम्पन्न हुआ था।

शिलांग परिसर

6.9.3 विश्वविद्यालय ने परिसर विकास पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखा। 131.96 लाख के अनुमानित व्यय पर अनेक भवनों को पूरा किया गया है। गैस संयंत्र पशु आवास आदि जैसे नए कार्यों पर 32.40 लाख रुपये का अनुमानित व्यय हुआ।

6.9.4 विश्वविद्यालय ने पर्यावरण अध्ययन विज्ञान और संस्कृति में भारत-अमेरिकी चिंतनीय विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया। अनेक विभागीय सेमिनार भी आयोजित किए गए।

मिजोरम परिसर

6.9.5 वर्ष 1991-92 में मिजोरम परिसर ऐजल के लिए भवनों तथा नए संकाय पदों से सम्बन्धित नई स्कीमों के लिए 191 लाख रुपये की कुल राशि आबंटित की गई थी।

नागालैंड परिसर

6.9.6 कृषि विज्ञान स्कूल और ग्रामीण विकास मेड्जीफेमा, नागालैंड के लिए आठवीं योजना के अन्तर्गत कुल 50 लाख रुपये संस्वीकृत किए गए थे।

6.9.7 वर्ष 1991-92 में योजनेत्तर स्कीमों के अंतर्गत विश्वविद्यालय का अनुमानित व्यय 1035.00 लाख रु॰ और योजनागत स्कीमों के लिए 568.65 लाख रुपये बैठता है।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय

6.10.1 पांडिचेरी विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा अक्तूबर, 1985 में एक शिक्षण-सम्बंधन विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। इस विश्वविद्यालय के अधिकार-क्षेत्र में संघशासित क्षेत्र पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं।

6.10.2 वर्तमान में विश्वविद्यालय के दो निदेशालय, छः स्कूल, तेरह विभाग और दस केन्द्र हैं। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अठारह संस्थायें हैं जिनमें से ग्यारह पांडिचेरी, दो कराइकाल में, एक एक माहे और यनम में तथा तीन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। विश्वविद्यालय दो प्रमाण-पत्र, एक अवर-स्नातक, तीन स्नातकोत्तर डिप्लोमा और सोलह स्नातकोत्तर पाठ्क्रम, सत्रह विषयों में एम॰फिल और डॉक्टरल कार्यक्रम चलाती हैं। समय की दृष्टि से प्रासंगिक पैंतीस परियोजनायें चल रही हैं।

6.10.3 विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या 668 है। विश्वविद्यालय के पास 21 प्रोफेसरों, 37 रीडरों और 53 प्राध्यापकों का संकाय है। यहां शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या 409 है।

6.10.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय को 8वीं योजना आबंटन के रूप में अब तक 10.16 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। आठवीं योजना के दौरान चार नए विभाग/केन्द्र प्रारंभ किए जाने हैं जो इस प्रकार हैं (i) जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र (ii) भू-विज्ञान विभाग (iii) समाज शास्त्र विभाग (iv) हिन्दी विभाग जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने इस विश्वविद्यालय में वितरित सूचना उप केन्द्र स्थापित करने के लिए 5.83 लाख रुपये सस्वीकृत किए हैं।

6.10.5 विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह जनवरी, 1992 के प्रथम सप्ताह में संपन्न हुआ।

6.10.6 वर्ष 1990-91 के व्यय 2.76 लाख रुपये के मुकाबले वर्ष 1991-92 के दौरान अनुरक्षण व्यय 3.65 लाख होने का अनुमान है।

विश्व भारती

6.11.1 गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शिक्षा संस्था विश्व-भारती, विश्वभारती अधिनियम, 1951 द्वारा एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में संस्थापित किया गया।

6.11.2 श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव 23 दिसम्बर, 1991 से तीन वर्ष के लिए विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्य किए गए। प्रो॰ सव्यसाची भट्टाचार्य 10 दिसम्बर, 1991 से 5 वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय के उपकुलपति नियुक्त किए गए।

6.11.3 विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या लगभग 5000 हैं। शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 493 और 1,670 थी।

6.11.4 शांतिनिकेतन में निप्पन भवन स्थापित करने के लिए विश्वभारती विश्वविद्यालय के जापानी पुरा छात्र ने 20 लाख रु॰ का दान दिया ताकि भारतीय जापानी सांस्कृतिक विनिमय को बढ़ावा दिया जा सके। निप्पन भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास समारोह 16 सितम्बर, 1991 को आयोजित किया गया।

6.11.5 वर्ष के दौरान निर्माण परियोजनाओं में संतोषजनक प्रगति हुई इनमें शामिल हैं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय एकता केन्द्र के लिए स्थायी भवन का निर्माण, उत्तर शिक्षा सदन के लिए नये भवन और पूर्वपाली बाल छात्रावास के विज्ञान खंड के लिए रसोई घर का निर्माण। विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) द्वारा निर्मित किए जा रहे अतिथि भवन का शिलान्यास इस वर्ष के दौरान किया गया।

6.11.6 निश्वविद्यालय जन-साक्षरता के महत्वाकांक्षी उद्देश्य से जुड़ा रहा है। इसका उद्देश्य बीरभूमि के संपूर्ण जिले को शामिल करना है।

6.11.7 विश्वभारती ने अध्ययन के निम्नलिखित तीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए। (i) मानव विज्ञान में दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (ii) ग्राम विकास में दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (iii) स्कूल और कालेज के छात्रों के लिए

विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रारंभिक पाठ्यक्रम।

6.11.8 कला भवन, संगीत भवन और दर्शन भवन (दर्शन और धर्म विभाग) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता मिलती रही।

6.11.9 विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में वर्ष के दौरान 7,311 पुस्तकें और 6,165 पत्रिकायें प्राप्त की गई। ग्रंथम विभाग ने रवीन्द्रनाथ टैगोर के लोकप्रिय संस्करणो को उचित मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराना जारी रखा।

6.11.10 वर्ष 1991-92 में विश्वविद्यालय का अनुमानित अनुरक्षण व्यय 1150.00 लाख रु० है जबकि 1990-91 में यह 1005.00 लाख रु० था।

नए केन्द्रीय विश्वद्यिालयों की स्थापना

असम विश्वविद्यालय

6.12.1 असम के सिल्चर नामक स्थान पर एक शिक्षण और संबंधन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मई, 1989 में कानून बनाया गया। तथापि, विश्वविद्यालय के स्थान संबंधी विवाद और संसाधनों की भयंकर कमी के कारण अधिनियम को लागू करना संभव नहीं हो सका है।

6.12. 2 असम में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने पर सिद्धांत रूप में सहमति हो चुकी है। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए रूपात्मकतायें तैयार की जा रही हैं। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए स्थल सुझाने के लिए सरकार ने एक स्थल चयन समिति का गठन किया है।

नागालैंड विश्वविद्यालय

6.13.1 नागालैंड में एक शिक्षण और संबंध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अक्तूबर, 1989 में कानून बनाया गया था। तथापि, संसाधनों की भयंकर कमी तथा अन्य कारणो से अधिनियम को लागू करना संभव नहीं हो सका है।

6.13.2 विश्वविद्यालय के लिए वैकल्पिक स्थल के संबंध में सुझाव देने के लिए सरकार ने एक स्थल चयन समिति का गठन किया है।

सामाजिक। अनुसंधान संगठन

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एस.एस.आर.)

6.14.1 देश में समाज विज्ञान अनुसंधान को प्रौन्नत और समन्वित करने के लिए एक स्वायत्त संगठन के रूप में 1969 में आई.सी.एस.एस.आर. की स्थापना की गई थी।

6.14.2 वर्ष के दौरान परिषद् ने समाज विज्ञानों के क्षेत्र में अनुसंधान में लगी अखिल भारतीय स्वरुप की अनुसंधान संस्थाओं को निरंतर सहायता दी। बहु अनुशासनिक अनुसंधान विकास केन्द्र, धारवाड़ को सहायता अनुदान स्कीम के अन्तर्गत लाया गया।

6.14.3 परिषद् ने दिसम्बर, 1991 तक 43 नई अनुसंधान परियोजनाओं को अनुसंधान अनुदान संस्वीकृत किए। "महिला अध्ययन" "सभी के लिए स्वास्थ्य" "भारत में सामाजिक विधान पर विश्वकोश की तैयार और जनजातीय अध्ययन" जैसे विषयों पर बड़ी संख्या में प्रायोजित शोध कार्यक्रम प्रगति पर हैं।

6.14.4 परिषद ने वर्ष के दौरान एक राष्ट्रीय छात्रवृति पांच वरिष्ठ छात्रवृत्तियां और तीन सामान्य छात्रवृत्तियां प्रदान कीं। नियमित डाक्टरल छात्रवृत्तियों के लिए 85 छात्र चुने गए। आंशिक सहायता के अट्ठावन मामले और 31 आकस्मिक अनुदान संस्वीकृत किए गए।

6.14.5 राष्ट्रीय समाज विज्ञान प्रलेखन केन्द्र (एन०ए०एस०एस०डी०ओ०सी०) ने पुस्तकों, शोध गन्थों और शोध-रिपोंटों सहित 2000 प्रकाशन उपार्जित किए। अपने शोध-विषय पर सामग्री एकत्र करने के लिए पुस्तकालयों में जाने के लिए पचास शोध छात्रों को अध्ययन अनुदान प्रदान किया गया। वर्ष के दौरान तीस बिब्लियोग्राफिकल और प्रलेखन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता भी दी गई आंकड़ा अभिलेखागारों ने दो डाटा सेट्स उपार्जित किए और पांच डाटा-सैट्स आयोजित किए।

6.14.6 प्रकाशन अनुदान स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए 32 शोध ग्रन्थ और 3 शोध-रिपोर्ट अनुमोदित की गई। प्रकाशन अनुदान स्कीम के अन्तर्गत 39 पुस्तकों को वित्तीय सहायता दी गई। पन्द्रह अनुलिपि पत्र शोध और सूचना श्रृंखला प्रकाशन प्रकाशित किए गए। समाज विज्ञान में एशिया प्रशांत सूचना नेटवर्क (ए०पी०आई०एन०ई०एस०एस०) कार्यस्करम के अन्तर्गत (ए०पी०आई०एन०ई०एस०एस०) न्यूजलेटर संख्या 1011 प्रकाशित किए गए।

6.14.7 सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन फांसीसी, तीन चीनी और एक चेकोस्लोवाकिया छात्र भारत आए। एक भारतीय छात्र को चीन यात्रा के लिए प्रवर्तित किया गया। विकास के विकल्पों पर भारत डच कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 9 छात्र भारत से हालेंड गए और 3 हालेंड से भारत आए। सातवें भारत-सोवियत संयुक्त आयोग की सिफारिश पर योजना और बाजार तथा "सामाजिक गतिशीलता और विकास पर दो संयुक्त परियोजनाएं प्रारंभ की गई। परिषद् द्वारा अनुसंधान प्रणाली विज्ञान में आठ प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्वीकृत किए गए।

6.14.8 भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् अगस्त, 1991 को मनीला में आयोजित एशियाई समाज विज्ञान अनुसंधान परिषदों की एसोसिएशन की 9वीं महासभा में दो वर्षों के अन्तराल के बाद पुनः महासचिव चुनी गई। (ए०एस०एस०ई०आर०सी०) का सचिवालय केनबरा से नई दिल्ली स्थानान्तरित हो गया है।

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्

6.15.1 भारती दार्शनिक अनुसंधान परिषद् की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दर्शनशास्त्र में शोध कार्यक्रमों को सहयोग देना और उनकी पुनरीक्षा करना, दर्शनशास्त्र में शोध-परियोजनाओं को प्रायोजित करना अथवा उन्हें सहायता देना तथा दर्शनशास्त्र और इससे जुड़े विषयों में शोध को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपाय करने का था।

6.15.2 1991-92 के दौरान परिषद् ने सीखने की समाग्री तैयार करने के लिए 2 छात्रवृत्तियां 9 कनिष्ठ छात्रवृत्तियां, 6 सामान्य छात्रवृत्तियां, 2 आवासीय छात्रवृत्तियां और अल्पकालीन छात्रवृत्यिां प्रदान कीं।

6.15.3 परिषद् ने 31 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 1991 तक लखनऊ में अपनी दसवीं निबन्ध प्रतियोगिता और दर्शनशास्त्र व सामाजिक अध्ययन पर युवा शिक्षार्थियों का सम्मेलन आयोजित किया। इसके वार्षिक व्याख्यान

कार्यक्रम श्रृंखला के अन्तर्गत सुविख्यात ब्रिटिश दार्शनिक प्रोफेसर रिचर्ड स्वबर्न ने दिल्ली, उत्कल, लखनऊ, मद्रास, कलकत्ता और पांडिचेरी विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए। इसके अतिरिक्त विख्यात भारतीय दार्शनिक प्रोसफेसर ए०के० चटर्जी ने लखनऊ, बम्बई और कालीकट की संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए। वर्ष के दौरान परिषद् ने अपने अकादमिक केन्द्र, लखनऊ, एस०वी० विश्वविदयालय, तिरूपति और हैदराबाद के केन्द्रीय विश्वविद्यालय में नीतिशास्त्र, समाज दर्शन और विश्लेषणात्मक दर्शनशास्त्र पर तीन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए। आई०सी०पी०आर० के शिक्षार्थियों का एक सम्मेलन अकादमिक केन्द्र, लखनऊ में आयोजित किया गया।

6.15.4 परिषद् ने कुछ दार्शनिक मुद्दों पर संवाद को सुकर बनाने के लिए दिल्ली, बंगलौर और लखनऊ में कुछ विख्यात दार्शनिकों और अन्य दार्शनिकों को शिक्षार्थियों और शोधकर्ताओं के बीच एक बैठक आयोजित करते हुए "मीट द फिलॉस्फर" कार्यक्रम प्रारंभ किया।

6.15.5 परिषद् ने "रिव्यू मीट्स" आयोजित की जिनके अन्तर्गत दार्शनिकों को एक मंच पर एक साथ लाते हुए एक विख्यात दार्शनिक के नवीनतम प्रकाशन पर चर्चा की गई। इसने दार्शनिक चर्चाओं और विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों पर विचार-विमर्शों का भी आयोजन किया।

6.15.6 लखनऊ में परिषद् के पुस्तकालय के लिए दर्शनशास्त्र की अनेक पुस्तकों के अधिग्रहण के अतिरिक्त परिषद् ने जर्नल के तीन संस्करण प्रकाशित किए। अपने प्रकाशन कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषद् ने वर्ष के दौरान भारतीय दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर चार वाल्यूम प्रकाशित किए।

6.15.7 परिषद् के अपने शैक्षिक कार्यक्रमों के अलावा, परिषद् ने दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 14 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता बढ़ाने का निर्णय किया है।

6.15.8 वैज्ञानिक दार्शनिक और भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक धरोहरों जैसी कि यह अतीत में विकसित हुई और जो हमारे अपने समय में प्रासंगिक है, के विस्तृत और अतः अनुशासनिक अध्ययन को शुरू करने के उद्देश्य से परिषद् आठवीं योजना कार्यक्रम के एक भाग के रूप में "भारतीय विज्ञान दर्शन और संस्कृति का इतिहास" शीर्षक की परियोजना चला रही हैं।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्

6.16.1 भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् 1972 में एक स्वायत्त संगठन के रुप में स्थापित की गई जो कला का इतिहास, साहित्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पुरातत्व, पुरालेखशास्त्र, मुद्राशास्त्रीय और समाजर्थिक संघटन सहित इतिहास विभिन्न क्षेत्रों में वित्त सहायता प्रदान करके अनुसंधान द्वारा इतिहास में शोध और लेखन के लक्ष्यों को पूरा करने में लगी हुई है। राष्ट्रीय आन्दोलन के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है।

6.16.2 आलोच्य अवधि के दौरान परिषद् ने 27 शोध परियोजनाएं, 109 छात्रवृत्तियां और 79 अध्ययन-यात्रा अनुदान, शोध प्रबन्धों सहित 52 ऐतिहासिक कार्य स्वीकृत किए और प्रकाशन सहायता के लिए 14 जर्नल/कार्य-विवरण अनुमोदित किए गए। सेमिनार/सम्मेलन/कांग्रेस के आयोजन के लिए भारतीय इतिहास कांग्रेस और दक्षिण भारतीय इतिहास कांग्रेस सहित 165 व्यावसायिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई है।

6.16.3 परिषद् ने 21-26 दिसम्बर, 1991 को मानव-जाति के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग-ब्यूरो के आठवें सत्र की मेजबानी की और ब्यूरो के सदस्यों और भारतीय इतिहासकारों के बीच संवाद का आयोजन किया। परिषद् के तत्वावधान में 6 विदेशी छात्र शोध-कार्य के लिए भारत आए। जबकि चीन, बंगलादेश, मंगोलिया और पाकिस्तान के छात्र विदेशी छात्रों की छात्रवृत्ति स्कीमों के अन्तर्गत भारत आए और बुल्गारिया और पूर्व सोवियत संघ के छात्र सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत शोध-कार्य के लिए भारत आए।

6.16.4 वर्ष 1991-92 के दौरान परिषद् ने 12 प्रकाशन निकलवाए। भारतीय ऐतिहासिक समीक्षा (XIV खण्ड) के अलावा परिषद् के मुख्य प्रकाशन में तमिलनाडु और केरल के अभिलेखों के वर्णनों की सूची भारत में असहयोग और स्वराज पार्टी के उदय (राष्ट्रीय आन्दोलन के स्रोत) और श्रम आन्दोलन के परिणामों से संबंधित, दस्तावेज 1891-1970 शामिल हैं। परिषद् की वार्षिक पत्रिका "हिन्दी में इतिहास प्रेस को प्रकाशन के लिए भेजा गया है।

6.16.5 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद् के पुस्तकालय-सह-प्रलेख केंद्र ने 1792 पुस्तकें और 7 नई पत्रिकाएं प्राप्त की है। इस केंद्र में माइक्रोफिल्म/माइक्रोफिश की सामग्रियों का भी पर्याप्त संग्रह है।

6.16.6 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद् ने ब्रिटिश शासन में भारत के आर्थिक इतिहास पर पुस्तकों के 17 खण्ड निकालने के लिए कदम उठाए है। सामग्री का संग्रह पुनः निर्धारित आठवीं योजना अवधि में पूरा कर लिए जाने का प्रस्ताव है।

6.16.7 भारतीय/दक्षिण एशिया अभिलेखों में सामाजार्थिक और प्रशासकीय शब्दों का शब्दकोश निकालने के लिए परिषद् ने बृहत/परियोजना शुरू की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सम्पादकीय बोर्ड की दो बैठकें और परामर्शदात्री समिति की एक बैठक हुई और 35000 कार्ड तैयार किए गए हैं। विजयनगर के अभिलेख पर 6 खण्डों में कार्य जारी रहा और इसे प्रकाशन के लिए तैयार किया जा रहा है। भारतीय अभिलेखों पर दूसरी परियोजना 8वीं योजना अवधि के लिए पुनः निर्धारित किया गया है और 4 खण्डों में सामग्री प्राप्त किए गए है।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

6.17.1 भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, जो 20 अक्तूबर, 1965 से चल रहा है, का लक्ष्य जीवन के मौलिक विचारों और समस्याओं का स्वतंत्र सर्जनात्मक ज्ञान है। यह एक आवसीय अनुसंधान केंद्र है और यह गहरे मानवीय महत्वों से जुड़े क्षेत्रों में सर्जनात्मक विचारों को आगे बढ़ाना है। यह शैक्षिक अनुसंधान, खासकर मानविकी भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म सामाजिक और प्राकृति विज्ञानों जैसे चुने हुए विषयोन में अनुसंधान के लिए उपयुक्त माहौल प्रदान करता है।

6.17.2 यह संस्थान तीन महीने से तीन वर्षो की अवधि तक के लिए शिक्षावृत्ति प्रदान करता है। पिछले वर्ष के दौरान 28 शिक्षावृत्ति भोगियों के मुकाबले वर्ष 1992-92 के दौरान 35 शिक्षावृत्ति भोगी थे। इस संस्थान ने स्वयं ही तीन राष्ट्रीय सेमिनारों का और शास्त्री भारत-कनाड़ा संस्थान, भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण और कला, संस्कृति और भाषाओं के हिमाचल अकादमी के सहयोग से दो सेमिनारों का आयोजन किया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे विद्वानों के बीच पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए 17 साप्ताहिक सेमिनारों का आयोजन किया गया।

संस्थान ने इस वर्ष के दौरान 15 प्रकाशन निकलवाए। इसने इस वर्ष के दौरान 1500 पुस्तकों को अपने संग्रह में जोड़ा। इस संथान में तीन प्रोफेसरों ने व्याख्यान दिया और "भारतीय सभ्यता में सामाजिक आर्थिक आन्दोलनों और सांस्कृतिक धाराओं पर बहु-आयामी दल परियोजना विकसित की गई है और पूरी 8वीं योजना अवधि में इस पर कार्य किया जाएगा। इस वर्ष के दौरान मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए इस संस्थान के अन्तर-विश्वविद्यालय केन्द्र में सम्पूर्ण भारत के विभिन्न कालेजों और विश्वविद्यालयों से अट्ठाईस लैक्चरार/प्रोफेसर आये।

अन्य योजनाएं

डॉ जाकिर हुसैन मेमोरियल कालेज ट्रस्ट

6.18.0 डॉ॰ जाकिर हुसैन मेमोरियल कालेज ट्रस्ट वर्ष 1973 में डॉ॰ जाकिर हुसैन कालेज (भूतपूर्व दिल्ली कालेज) के प्रबंधन और अनुरक्षण की जिम्मेदारी उठाने के लिए स्थापित किया गया था। कालेज का अनुरक्षण खर्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और ट्रस्ट द्वारा 95:5 के अनुपात में वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान समय समय पर विकास संबंधी योजनाओं को मंजूरी देता है। इन योजनाओं पर होने वाले खर्च को ऐसे कार्यक्रमों के लिए वि.अ.आं. द्वारा निर्धारित सहायता-पद्धति के अनुसार वहन किया जाता है। चूंकि ट्रस्ट के पास अपना कोई संसाधन नहीं है अतः उपयुक्त खर्च को पूरा करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। ट्रस्ट के प्रशासकीय खर्च को भी पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा—संस्थान के लिए सहायता योजना:

6.19.0 इस योजना का लक्ष्य शिक्षा की पारम्परिक विश्वविद्यालय की पद्धति से अलग शिक्षा के कार्यक्रम चलाने वाले कुछ स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सहायता उन संस्थानों को दी जाती है जो ग्रामीण समुदाय के विशेष हित से संबंधित और नवीन कार्यक्रम चलाते है। वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत केरल (I) के श्री अरविन्दों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र पांडिचेरी, (II) श्री अरबिन्दों अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, ओरोविले, (III) लोक भारतीय, लोक भारतीय सनोसस और (IV) मित्रा निकेतन, वेल्लानन्द, को वित्तीय सहायता दी गई है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन की स्थापना

6.20.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना में राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का प्रावधान है ताकि सेवा में भर्ती के लिए विश्वविद्यालय डिग्री, जो इसके लिए अनिवार्य अर्हता नहीं है, की अनिवार्यता को समाप्त करने की पद्धति को सुकर बनाया जा सके। इसके लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन को स्वायत्त पंजीकृत संस्था के रूप में स्थापित किया गया है।

6.20.2 राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन निम्न कार्य करेगा:—

(क) विशेष नौकरी, जिसके लिए डिप्लोमा या डिग्री की जरूरत नहीं है, के लिए उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने और प्रमाणित करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर जांच करना।

(ख) उम्मीदवारों को उनकी स्वतंत्र इच्छा पर जांच की सुविधा प्रदान करना और जिन उम्मीदवारों को विशेष पेशे/नौकरी के लिए योग्य प्रमाणित किया जाता है, ऐसे पदों/सेवाओं पर नियुक्ति के लिए बिना किसी अन्य अर्हताओं पर जोर देते हुए योग्य होंगे,

(ग) पेशे के विस्तृत ब्यौरे के आधार पर जांच की प्रक्रिया निर्धारित करना। विशेष पेशे षे लिए अनिवार्य ज्ञान की जरूरतों, योग्यता, कौशल और रूचियों का पता लगाने के लिए पेशे की विवेचना और

(घ) जांच की प्रक्रिया के विकास, इसके प्रशासन, इसमें प्राप्त की गई उपलब्धि, कम्प्यूटर पद्धति के प्रयोग और ऑप्सनल मार्क्स रीडर आदि में राष्ट्रीय स्तरपर संसाधन सम्पन्न केन्द्र के रूप में कार्य करना, और

(ङ) विशेष पेशे के लिए अनिवार्य ज्ञान, कुशलता, क्षमता, कौशल, योग्यता, और रूचि की जांच के लिए पद्धतियों और तकनीकों का विकास करना,

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

6.21.0 कई वर्षों से भारत के प्रति विदेशी शिक्षार्थियों की रूचि बढ़ती रही है। यह अमेरिकन इंस्टिटयूट ऑफ इंडियन स्डीज, यूनाइटेड स्टेट्स एडुकेशनल फाउंडेशनल इन इंड़िया, शास्त्री इंडो-कनाडियन प्रोग्राम इन इंडिया द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं की बढ़ती संख्या से स्पष्ट है। वर्ष 1991-92 के दौरान भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत अनुसंधान प्रस्तावों की संख्या वर्ष 1990-91 की संख्या 254 के मुकाबले 281 थी। सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों और विदेश स्थित उनकी सह-इकाइयों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते को मंजूर की है। विदेश के विश्वविद्यालयों के सहयोग से होने वाले द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी/सेमिनार शिविर की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। देश में भारतीय विश्वविद्यालय में अतिथि लेक्चरार/प्रोफेसर के रूप में विदेशी विद्वानों की नियुक्ति के लिए निवेदनों की संख्या भी बढ़ती रही है। भारत में सामाजिक विज्ञानों/मानविकी आदि के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए विदेशी विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अनुदान सस्वीकृत करने की प्रक्रिया उदार बनायी है।

शास्त्री इनडो-कनाडियन इंस्टिट्यूट

6.22.1 वर्ष 1968 में स्थापित शास्त्री इनडो-कनाडियन इंस्टिट्यूट भारत और कनाडा के बीच विद्वानोन के आदान-प्रदान अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने, द्विपक्षीय सम्मेलनों और विशेष परियोजनाओं के माध्यम से आपसी समझौते को बढ़ावा देती है। नवम्बर, 1986 में हस्ताक्षरित समझौते के ज्ञापन-पत्र, जिसे पहली अप्रैल, 1989 से लागू मानते हुए पांच वर्ष के लिए संशोधित किया गया है, के अनुसार वर्ष 1991-92 के दौरान सरकार ने 61,25,000.00 रु॰ का सहायक अनुदान (मई 1991 में हुई निदेशक मंडल की बैठक के लिए 1,25,000रु॰ सहित (संस्थान को दिया)

6.22.2 वर्ष 1991-92 के दौरान संस्थान ने भारतीय अध्येताओं को अपने शैक्षिक अनुसंधान करने तथा कनाडा के अध्येताओं के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए 28 शिक्षावृत्तियां प्रदान की। इसी प्रकार कनाड़ा के 16 अध्येताओं ने भारत की विरासत और विकासात्मक प्रक्रिय़ाओं के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान किया।

6.22.3 शास्त्री भारत कनाडा संस्थान को भारत सरकार द्वारा दिए गए भूखण्ड पर निर्मित संस्थान के भवन का भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15 मई, 1991 को उद्घाटन किया गया। संस्थान के निदेशक मण्डल की मई,

1991 में भारत में पहली बार बैठक हुई। संस्थान ने एक पुस्तकालय का भी निर्माण किया है जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों से इतर विषयों पर 10,000 पुस्तकें विद्यमान हैं।

भारतीय संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान

6.23.1 भारतीय संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान की स्थापना फरवरी, 1950 में एक द्विपक्षीय करार के अंतर्गत की गयी थी जिसे ज्ञान के अधिक आदान-प्रदान के माध्यम से भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के लोगों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए 1963 में एक नये करार द्वारा प्रति स्थापित कर दिया गया था।

6.23.2 द्विपक्षीय यू. एसईएफआई का निदेशक मण्डल प्रतिवर्ष अध्ययन के नये क्षेत्रों की मंजूरी देता है जिनके लिए शिक्षावृत्तियों की पेशकश की जाती है। यह प्रतिष्ठान सामाजिक विज्ञानों और मानविकी में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ और कनिष्ठ संकाय के लिए 3-7 महीने की अवधि के लिए अनुसंधान अनुदान प्रदान करता है।

6.23.3 शैक्षिक वर्ष 1991-92 के दौरान 36 प्राध्यापकों, 15 शोधकर्ताओं और 6 विद्यार्थियों को 3-9 महीने की अवधि के लिए अनुदान दिया गया।

अमरीकी भारतीय अध्ययन संस्थान

6.24.1 अमरीकी भारतीय अध्ययन संस्थान जो कि कैलीफोर्निया, शिकागो, कोलम्बिया, हारवर्ड, पेंसिलवानिया, वाशिंगटन आदि जैसे प्रमुख 57 अमरीकी विश्वविद्यालयों का संकाय है। 1961 से भारत में (क) शिक्षावृत्तियां, (ख) भारतीय भाषाओं के शिक्षण (ग) शोध कार्यों के परिणामों के प्रकासन (घ) सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं के आयोजन तथा (ङ) वाराणसी में कला और पुरातत्व के इतिहास के शोध केंद्रों तथा नई दिल्ली में संगीत और एथनोम्यूजिकालॉजी के केन्द्र के माध्यम से संयुक्त राज्य में भारतीय शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता की प्रोन्नति के उद्देश्य से कार्य कर रहा है।

6.24.2 वर्ष 91-92 के दौरान संस्थान ने संयुक्त राज्य अमरीका के विश्वविद्यालयों और संकाय समष्टियों और पी.एच.डी. के विद्यार्थियों तथा अनुसंधान संगठनों को मानव विज्ञान से लेकर प्राणि-विज्ञान तक के क्षेत्र में इस बात की ओर ध्यान दिये बिना की शिक्षावृत्तियां प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राष्ट्रीयता क्या है, लगभग 176 शिक्षावृत्तियां प्रदान की।

6.24.3 अमरीकी-भारतीय अध्ययन संस्थान अमरीकी छात्रों के लिए बंगाली, हिन्दी, तमिल, तेलुगू और उर्दू भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था करता है।

6.24.4 संस्थान का कला एवं पुरातत्व केंन्द्र के पास विभिन्न प्राचीन स्मारकों' और स्थलों 125,000 तैयार और प्रलेखित छाया चित्रों तथा 17,000 स्लाइडों की अभिलेखीय सुविधा है। अभी तक दक्षिण और उत्तर भारत की भारतीय मंदिर वास्तुकला के विश्व कोष के 6 भाग प्रकाशित हो चुके है और शेष क्षेत्रों के संबंध में कार्य चल रहा है।

6.24.5 एथनोम्यूजिकॉलोजी अभिलेखागार और अनुसंधान केन्द्र का प्रमुख उद्देश्य है भारतीय निष्पादन एवं मौलिक कलाओं का एक अभिलेखागार विकसित करना है तथा अधिक व्यापक रूप से भारत की दूरदर्शन कलाओं की ज्ञान व सम्मान में उन्नति करना तथा भारत में एथनोम्यूजिकॉलोजी के अध्ययन के लिए प्रेरित करना है। केन्द्र के पास इस समय लगभग 8,000 घंटों की श्रव्य रिकार्डिंग तथा 600 घंटों की वीडियो रिकार्डिंग है। इस केन्द्र में एक पुस्तकालय भी है जिसमें इस विषय की लगभग 7,000 पुस्तकें और 75 पत्र-पत्रिकायें हैं।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ

6.25.1 भारतीय विश्वविद्यालय संघ विश्वविद्यालयों का एक स्वैच्छिक संगठन है जो विश्वविद्यालय प्रशासकों और शिक्षाविदों के लिए पारस्परिक हिन्दी के विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान और चर्चा के लिए एक मंच का कार्य करता है। यह संघ उच्च शिक्षा के संबंध में एक सूचना ब्यूरो के रूप में कार्य करता हैं और उच्च शिक्षा पर अनेक प्रकाशन अनुसंधान लेख, पुस्तकें और पत्र-पत्रिकायें प्रकाशित करता है।

6.25.2 यद्यपि संघ का वित्त पोषण अधिकांशतः सदस्य विश्वविद्यालयों द्वारा दिये गये वार्षिक चंदे से होता है फिर भी उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान/अध्ययन करने के लिए संघ को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। सरकार की सहायता से स्थापित अनुसंधान कक्ष द्वारा किये जाने वाले कार्यकलापों के लिए तथा कुछ हद तक संघ के अनुरक्षण व्यय की पूर्ति करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.25.3 वर्ष 91-92 के दौरान भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने निम्न प्रकार की योजनाएं पूरी कीः

— एशिया में दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की निदेशिका भाग-I भारत और भाग-II पाकिस्तान तथा श्रीलंका।

— विश्वविद्यालयों में वित्तीय घाटे

— विशिष्ट भाषा को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रमों में अवरस्नातक छात्रों को माध्यम भाषा सीखने में भार संबंधी अनुभव।

— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रलेखों के 5 विषयों के संबंध में प्रतिक्रिया का अध्ययन।

— कृषि विज्ञान में प्रश्न बैंक पुस्तक

— योजना पैथालॉजी

— मान्यकरण पूर्व प्रक्रिया

—

6.25.4 यह प्रकाशन उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर साहित्य की प्रोन्नति में योगदान देंगे निम्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनायें/अध्ययनः—

— उच्च शिक्षा के संदर्भ में शैक्षिक लागत अध्ययन

— विश्वविद्यालयों के संसाधनों का जुटाना

— अध्यापक मूल्यांकन और संस्थागत मूल्यांकन संबंधी विचार-विमर्श

— मृदा विज्ञान एम एस एस,

— बुक कीपिंग/लेखा विधि से संबंधित प्रश्न बैंक प्रगति पर है और उनके वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है।

6.25.5 "विश्वविद्यालय प्रशासकों के लिए वित्तीय प्रश्न बैंक में कम्प्यूटरों का प्रयोग " विषयों पर 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये

ये जिनमें से एक 26 दिसम्बर, 1991-1 जनवरी, 1992 तक चण्डीगढ़ में और दूसरा दक्षिण भारत में आयोजित किया गया।

6.25.6 वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गये:—

— डायरेक्ट्री ऑफ वूमेन स्टडीज इन इंडिया

— डायरेक्ट्री ऑफ डिस्टैंस एज्यूकेशन इंस्टिट्यूशन्स —पार्ट-1,इंडिया,

— हायर एज्यूकेशन इन इंडिया: रिट्रोस्पेक्ट एण्ड प्रोस्पैक्ट

— बाइबिलोग्राफी इन डॉक्टरल डीसर्टेशन: नैचुरल एण्ड अप्लाइड साइंसिज 1986-87.

— बाइबिलोग्राफी इन डॉक्टरल डीसर्टेसन— सोशल साइंसिज ह्यूमनीटीज 1987-1988 एण्ड

— क्यूश्चन बैंक बुक सीरीज-अग्रोनोमी

6.25.7 आलोच्य वर्ष में मोनोग्राफों का पुनर्मुद्रण किया गया और प्रश्न बैंक पुस्तक श्रृंखला निकाली गई हैं।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप योजना

6.26.0 लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों और अध्येताओं को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप स्कीम 1949 में आरम्भ की गई थी। वर्तमान में 2 राष्ट्रीय प्रोफेसर हैं जो इस प्रकार हैं:—

डॉ० सी०आर० राव, गणितज्ञ

डॉ० श्रीमती एम०एस० सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत शास्त्री, राष्ट्रीय प्रोफेसर 5000/- रु० की मासिक परिलब्धियां तथा आकस्मिक अनुदान पाने के पात्र होते हैं।

पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़

6.27.0 पंजाब राज्य का पुनः गठन हो जाने से पंजाब विश्वविद्यालय को पंजाब पुनः गठन अधिनियम-1966 के उपबंधों के अंतर्गत अंतरराज्य निगमित निकाय घोषित किया गया। विश्वविद्यालय का अनुरक्षण व्यय इस समय पंजाब सरकार और चण्डीगढ़ संघ प्रशासन द्वारा 40:60 के अनुपात में वहन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय का विकासात्मक व्यय मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्ग निर्देशों के अनुसार विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए विशेष मंजूर किये गये अनुदानों में से ही किया जाता है। तथापि विश्वविद्यालय को भी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्वीकृत विकास अनुदान की राशि के समतुल्य राशि देनी पड़ती है। और ऐसी अनेक परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का वित्त पोषण करना होता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार हर वर्ष विश्वविद्यालय को एक समुचित राशि ऋण के रूप में देती है। वर्ष 1991-92 के दौरान विश्वविद्यालय को अपने विकास कार्यक्रमों के लिए 50 लाख रु० ऋण के रूप में दिये गये।

विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन

6.28.0 विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों के वेतन मानों में संशोधन की जो योजना जुलाई 1988 में घोषित की गयी थी उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए विशेष कक्ष

6.29.0 यह कक्ष जो कालेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिले और नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी नीति की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है, इसे एक अवर-सचिव को सौंप कर सुदृढ़ बना दिया गया है। यह अवर सचिव केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का समन्वय करता है। यह कक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातिय आयोग को तथा संसद को भी आरक्षण के संबंध में सूचना देने के लिए सम्पर्क एकक के रूप में भी कार्य करता है। कालेजों और विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनु०जन० जातियों के शिक्षकों/छात्रों/कर्मचारियों से बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त अभ्यावेदनों की इस कक्ष द्वारा जांच की गई और जहां आवश्यक समझा गया मामलों पर संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क किया गया।

7. तकनीकी शिक्षा

7. तकनीकी शिक्षा

7.1.1 तकनीकी शिक्षा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने तथा लोगों के जीवन के स्वरूप को सुधारने वाले उत्पादों और सेवाओं के मूल्य संवर्द्धन की विशाल क्षमता के साथ मानव संसाधन विकास के प्रतिबिंब का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस क्षेत्र के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए, क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में तकनीकी शिक्षा के विकास पर बहुत बल दिया गया है।

7.1.2 पिछले चार दशकों के दौरान देश में तकनीकी सुविधाओं का चमत्कारिक विकास हुआ है। किन्तु, इसके क्षेत्र की वृद्धि, संगठित करने के साथ-साथ असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप इसकी सुलभता और इसकी प्रासंगिकता और उत्पादकता में सुधार के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अभी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इस शताब्दी के अंत तक सामाजार्थिक, औद्योगिक तथा शिल्पवैज्ञानिक क्षेत्रों में आगामी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, इस प्रणाली को बृहत्तर प्रासंगिकता और वास्तविकता से अपनी भूमिका निभाने में समर्थ बनाए जाने की आवश्यकता है। इन तर्कों के आधार पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली को और परिमार्जित करने के लिए अनेक उपक्रम किए गए। इनमें आधुनिकीकरण तथा अप्रचलन को दूर करना, संस्था उद्योग के तालमेल को बढ़ाना, उद्योग और सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे तकनीकी कार्मिकों के ज्ञान और कौशल के उन्नयन के लिए सतत शिक्षा प्रदान करना तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण सम्मिलित है।

7.1.3 आलोच्य अवधि के दौरान तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण विकास देखे गये। विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति की गई। पॉलिटेक्निकों को अपनी क्षमता, गुणात्मकता तथा कार्य दक्षता में सुधार लाने योग्य बनाने के लिए देश में तकनीशियन शिक्षा प्रणाली के उन्नयन की दिशा में विश्व बैंक की सहायता से एक बड़ी परियोजना प्रारम्भ की गई। वैधानिक अधिकारों के साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उसे दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने का कार्य जारी रखा।

7.2.0 वर्ष के दौरान तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत कार्यक्रमों/योजनाओं तथा उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत किया गया हैः—

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

7.3.1 बम्बई, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर और मद्रास में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना तकनीकी शिक्षा के प्रमुख केन्द्रों के रूप में की गई थी। ये संस्थान अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर इंजीनियरी और प्रयुक्त विज्ञान में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ये संस्थान इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान-विषय के क्षेत्र में अनुसन्धान के लिए प्रमुख केन्द्र हैं। इन संस्थानों में अध्येताओं द्वारा अन्तर-विषयक अनुसन्धान (बुनियादी और प्रयुक्त, दोनों) भी किया जाता है।

7.3.2 भा प्रौ॰ संस्थानों ने इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में 4 वर्षीय अवर-स्नातक कार्यक्रम संचालित किए। वे भौतिकी, रसायन विज्ञान, तथा गणित में 5 वर्ष की अवधि के समेकित निष्णात-उपाधि पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं।

7.3.3 विभिन्न विशिष्टताओं के साथ विभिन्न विषयों में $1^{1/2}$ वर्ष एम॰ टेक॰ डिग्री पाठ्यक्रम और एक वर्षीय स्नातकोतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चुने हुए क्षेत्रों में भी संचालित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त संस्थाओं ने इंजीनियरी विज्ञानों, मानविकियों तथा समाज-विज्ञानों में पी॰एच॰डी॰ कार्यक्रम प्रदान किए। विशिष्टता के चुने हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने और अनुसन्धान के लिए उच्च केन्द्र संस्थान में स्थापित किए गए हैं।

7.3.4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने प्रौद्योगिकी विकसित करने में तथा इसके प्रयोक्ताओं को इसके अन्तरण में प्रशंसनीय योगदान किया है। प्रायोज्यता के अन्तर्गत अथवा संस्थानों की अपनी पहल पर पूरे किए गए अनुसन्धान कार्य से अनेक उद्योग लाभान्वित हुए है। कई पेटेन्ट, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक अनुसन्धान कागज़ात इन संस्थाओं के अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यकलापों की सफल कहानियों पर प्रकाश डालते हैं। संस्थानों को परामर्श और सम्बद्ध कार्यकलाप से पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुए हैं।

7.3.5 भा॰प्रौ॰ संस्थानों द्वारा किए गए अन्य सार्थक योगदान अन्य इंजीनियरी/शिल्पवैज्ञानिक संस्थानों को पाठ्यचर्थाओं आदि के विकास में उनके द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता है। संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों ने उच्च स्तरीय दक्षता, मूल्य और परिपक्वता की मान्यता अर्जित की है। वर्ष के दौरान, संस्थानों में, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण/पुराने उपकरण को बदलना जारी रखा। संस्थानों ने संस्थागत नेटवर्क योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की उनकी प्रयोगशालाओं और संकायों के विकास में सहायता करने के कार्य को जारी रखा।

7.3.6 10 महीने की अवधि का एक विशेष प्रारम्भिक पाठ्यक्रम, भा॰प्रौ॰ संस्थानों में अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ के छात्रों के दाखिले में सुधार करने के लिए जारी रहा। इसने भा॰प्रौ॰ संस्थानों अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति की दाखिला स्थिति में पर्याप्त रूप से सुधार किया है। इसमें अनु॰जा॰/अनु॰जा॰ के छात्रों को निशुल्क खाने के अतिरिक्त जेब-खर्च, ऋणों और विवेकाधीन अनुदानों के रूप में संस्थानों से वित्तीय-सहायता मिलनी भी जारी रही।

7.3.7 वर्ष के दौरान, भा॰प्रौ॰ संस्थान, कानपुर में संगणक-नेटवर्क, कृत्रिम-इंटेलीजेन्स, हाई-वाल्टेज डी॰सी॰ ट्रान्समिशन, हाई-ट्रेम्प्रेचर सुपर कन्डक्टीविटी, कम्पोजिट मैटिरियल्स, अल्ट्रा-थिन-फिल्मस, सी॰ए॰डी॰-सी॰ए॰एम॰, रोबोटिक्स और फलैक्सीबिल आटोमेशन, सीरैमिक मैटिरियल्स की विशेषताओं में सुधार, प्लासमा रिकाम्बीनेशन लेज़र्स, हाई थ्राट पुट डी॰एस॰पी॰ स्ट्रक्चर्स रमन स्पेक्ट्रसकापी और सतत शैल कास्टिंग, भा॰ प्रौ॰ सं॰, बम्बई ने उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विविधीकरण किया, भा॰प्रौ॰सं॰, खड़गपुर ने वर्ष के दौरान पाठ्यचर्या संरचना में तथा ग्रेडिंग पद्धति में प्रमुख परिवर्तन आरंभ किया जिसमें "ओपन बुक" "टेक होम" परीक्षा तथा नौसिखिया स्तर पर

उन्मूलन तथा कार्यात्मक अंग्रेजी पाठ्यक्रम शामिल है। अन्य कार्यकलापों में आधुनिक रबड़ मिक्सिंग मिल और रबड़ प्रौद्योगिकी के लिए संसाधित-परीक्षण, नौ-सैनिक-वास्तुकला के लिए वेव-मेकर शामिल हैं। भा०प्रौ०सं० दिल्ली ने विकासशील विश्व में अनेक संस्थानों के साथ प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण तथा सहयोगी प्रबन्धों के लिए, उद्योग के साथ तालमेल स्थापित किया और सहयोग दिया। भा०प्रौ०सं०, मद्रास ने फाइबर रिइन्फोर्स्ड प्लास्टिक्स, मेटल कोटिंग ऑन फाइबर्स और उद्योग के लिए उपयोगी अवयव विकसित करने के क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रगति की। संस्थान ने जैव-रसायन तथा जैव प्रौद्योगिकी विषयों में अन्तर-विषयक कार्य भी जारी रखा।

7.3.8 प्रत्येक भा०प्रौ०सं० ने, रा०शि०नी०, में निर्दिष्ट निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए अपनी-अपनी कार्रवाई योजना तैयार कर ली थी। संस्थान ने योजना आयोग द्वारा यथोपेक्षित, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए बल अवस्थापनात्मक सुविधाओं, जिसमें अतिरिक्त छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, उभरते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रमों को आरंभ करना, अप्रचलित उपकरण का निराकरण, कोटि-सुधार के लिए नए कार्यक्रमों को आरंभ करना, स्टाफ और संकाय विकास और भा०प्रौ०सं० पद्धति को अधिकाधिक आत्म-अवलम्बी तथा लागत-प्रभावी बनाना शामिल है, को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया जाएगा।

7.3.9 असम-समझौते के अनुसार, भारत सरकार अन्य बातों के साथ-साथ, असम में एक भा०प्रौ०सं० स्थापित करने के लिए सहमत हो गई है। इस भा०प्रौ० संस्थान की स्थापना के लिए उत्तरी गुवाहाटी में एक नया स्थल चुना गया है। राज्य सरकार, भूमि के अधिग्रहण की दिशा में कदम उठा रही है।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान

7.4.1 प्रबन्ध के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और परामर्श देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता और लखनऊ में एक-एक करके चार भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित किए गए थे।

7.4.2 अहमदाबाद, बंगलौर और कलकत्ता के तीन संस्थानों ने विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपने सामान्य शैक्षिक कार्यक्रमों अर्थात् स्नातकोत्तर कार्यक्रम, प्रबंध में शिक्षावृत्ति कार्यक्रम, प्रबंध विकास कार्यक्रम, संगठन (आयोजन) आधारित कार्यक्रम तथा उद्योगों के लिए शोध और परामर्श के कार्यक्रम जारी रखे।

7.4.3 लखनऊ स्थित चौथे भारतीय प्रबंध संस्थान ने वर्ष 1985-86 के सत्र से कार्य करना आरंभ किया है। यह अभी विकास के चरण में है। यह संस्थान स्नातकोत्तर कार्यक्रम, प्रबंध विकास कार्यक्रम और उद्योगों के लिए शोध तथा परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

7.4.4 रा०शि०नी० के अनुवर्ती के रूप में, इन संस्थानों ने अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की है जो कृषि, ग्रामीण विकास, लोक पद्धति, प्रबंध, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि जैसे गैर-निगमित और अवर प्रबंध क्षेत्रों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

7.4.5 इन संस्थानों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन तथा इनके दायरे का विस्तार करने की प्रक्रिया में इन संस्थानों को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपेक्षित उपाय करने के उद्देश्य से एक विस्तृत समीक्षा आयोजित की जा रही है।

राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान

7.5.1 भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1963 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान की बम्बई में स्थापना की गई थी।

7.5.2 यह संस्थान औद्योगिक अभियान्त्रिकी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, (एम०टेक० के समकक्ष) औद्योगिक अभियान्त्रिकी में छात्रवृत्ति कार्यक्रम, (पी०एच०डी० के समकक्ष) तथा कम्प्यूटर और अनुप्रयोगों में डिप्लोमा कार्यक्रमों की पेशकश करता है। यह औद्योगिक अभियांत्रिकी और प्रबंध तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में एक से दो सप्ताह की अवधि के अल्पकालिक कार्यकारी विकास कार्यक्रमों का संचालन भी करता रहा है। संस्थान अनुप्रयोग अनुसंधान में लगा हुआ है तथा औद्योगिकी, इंजीनियरी, कार्य संचालन अनुसंधान, संसूचना प्रणाली और कम्प्यूटर, विपणन, कार्मिक और अन्य संबद्ध उत्पादकता और प्रबंध क्षेत्रों के विभिन्न पक्षों पर परामर्श भी देता है।

7.5.3 संस्थान वैयक्तिक संगठनों की आवश्यकता के अनुकूल एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम भी चलाता है जिसे इकाई पर आधारित कार्यक्रम (यूनिट बेस्ड प्रोग्राम) के नाम से जाना जाता है।

7.5.4 संस्थान ने प्रायोगिक आधार पर मद्रास, हैदराबाद, दिल्ली, मुजफ्फरपुर, बंगलौर और कलकत्ता स्थित केन्द्रों का प्रसार किया है ताकि इन केन्द्रों में और इर्द-गिर्द उद्योगों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

7.5.5 इसके अतिरिक्त औद्योगिकी इंजीनियरी के क्षेत्रों में कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए संस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान क्रियाकलापों का विस्तार किया है। इन कार्यकलापों में प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण, विशेष तौर पर महिला उद्यमियों के लिए उद्यम विकास कार्यक्रम, परिवहन इंजीनियरी और प्रबंध में कार्यक्रमों, काम करने की परिस्थिति के श्रमिक तन्त्र आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय धातु ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची

7.6.1 राष्ट्रीय धातु ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची की स्थापना धातु ढलाई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण और अनुसंधान के एक शीर्ष संस्थान यू०एन०डी०पी० यूनेस्को के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1966 में की गई थी। यह मंत्रालय द्वारा पूर्ण वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है।

7.6.2 यह संस्थान उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम, एम०टेक० पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और इकाई पर आधारित (यूनिट बेस्ड) कार्यक्रम प्रदान करता है जो धातु और ढलाई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्योगों द्वारा अपेक्षित है। यह धातु प्रौद्योगिकी में मार्गदर्शन करता है तथा प्रयुक्त अनुसंधान का संचालन करता है तथा कई संगठनों को औद्योगिक परामर्शी और परीक्षण सेवाएं प्रदान करता है।

7.6.3 संस्थान ने सितम्बर, 1990 में कुल 62 छात्रों के साथ धातु ढलाई प्रौद्योगिकी में अपना अठारहवां उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ किया। चालीस छात्रों ने सफलतापूर्वक 17वां पाठ्यक्रम पूरा किया।

सामुदायिक पालिटेकनीक, गुडियट्टम (तमिलनाडु) में मोटर रीवांइडिंग में प्रशिक्षण

1991

इसने एम॰टेक॰ पाठ्यक्रम का छठा बैच अगस्त, 1990 में ग्यारह छात्रों सहित आरंभ किया जिसमें एक पूर्व बैच के छात्र सहित आठ छात्रों ने पांचवां पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया। वर्ष 1990-91 के दौरान संस्थान ने नौंवां पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया जिसमें 115 प्रायोजित उम्मीदवारों ने भाग लिया। तीन संगठनों द्वारा प्रायोजित 76 उम्मीदवारों के लिए सात विशिष्ट पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे।

7.6.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के तहत अपने विकास के लिए संस्थान ने एक कार्रवाई योजना दस्तावेज तैयार किया है। संस्थान ने विभिन्न उद्योगों को औद्योगिक परामर्शी तथा परीक्षण सेवाएं प्रदान करना जारी रखा। संस्थान द्वारा प्रलेखन और संसूचना सुधार सेवा को सुदृढ़ किया जा रहा है। संस्थान अपने उन अनुसंधान कार्यकलापों के विस्तार के लिए प्रयास कर रहा है जो वर्तमान औद्योगिकी समस्याओं के साथ-साथ अन्य शैक्षिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक हैं। संस्थान ने निर्माण इंजीनियरी में एसोसिएटशिप के एक चार-वर्षीय पाठ्यक्रम की शुरूआत 1991-92 से की है जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में 30 छात्रों की दाखिला क्षमता सहित यथानुमोदित हैं।

योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली

7.7.1 योजना एवं वास्तुकला विद्यालय की स्थापना जुलाई, 1995 में, भारत सरकार द्वारा मानव आवासों तथा पर्यावरण से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है। स्कूल को दिसम्बर, 1979 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था ताकि वह शोध और विस्तार कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाने तथा अवर स्नातक, स्नातकोत्तर और डाक्ट्रेट की अपनी डिग्रियां प्रदान करने के लिए अपने शैक्षिक कार्यक्रमों के दायरे का और अधिक विस्तार करने में समर्थ हो। यह विद्यालय वास्तुकला में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम, और (i) शहरी एवं क्षेत्रीय योजना, (ii) परिवहन योजना और (iii) आवास निर्माण में विशेषज्ञता सहित योजना में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम आयोजित करता हैं यह विद्यालय शहरी अभिकल्पना, वास्तुशिल्पीय संरक्षण, भवन इंजीनियरी और प्रबंध, भू-दृश्य वास्तुकला और पूर्व भू-दृश्य वास्तुकला और पी॰एच॰डी॰ कार्यक्रमों में भी विशिष्टता सहित वास्तुकला में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करता है।

7.7.2 वर्ष 1991-92 में, वास्तुकला में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में 374, आयोजना में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में 62, मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों में 241 और पी॰एच॰डी॰ कार्यक्रम में 12 छात्रों सहित स्कूल में कुल 689 छात्र दाखिल थे।

7.7.3 स्कूल ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में इसके विकास के लिए, एक कार्यवाही योजना तैयार की है। आलोच्य वर्ष के दौरान, 290 सीटों वाले एक छात्रावास, एक अतिथि गृह एवं महारानी बाग परिसर में 71 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला था। विशिष्ट अनुसंधान कार्यक्रमों और विस्तार कार्य के माध्यम से अनुसंधान एवं विस्तार संबंधी क्रियाकलाप तीव्र कर दिये गये हैं।

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (त॰शि॰प्र॰सं॰)

7.8.1 पोलीटेक्निक शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने तथा पोलीटेक्निक शिक्षा के समूचे सुधार के लिए विभिन्न सेवाएं प्रारंभ करने के लिए सन् 1960 के मध्य में भोपाल, कलकत्ता, चंडीगढ़ और मद्रास में चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। ये संस्थान शिक्षकों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देने तथा उन्हें पाठ्यचर्या विकास और संबंधित कार्यकलापों से परिचित कराने के अतिरिक्त पोलीटेक्निकों के डिप्लोमा और डिग्रीधारी शिक्षकों को 12 माह / 18 माह की अवधि के दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं। भोपाल और मद्रास के संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने के स्तर पर पहुंच गए हैं। वे यू॰एन॰डी॰पी॰ परियोजना के अंतर्गत शैक्षिक फिल्म निर्माण, राष्ट्रीय परीक्षण सेवाओं, अनुदेशकीय पैकेजों आदि को तैयार करने के कार्यों में भी संबद्ध हैं। आलोच्य अवधि के दौरान इन संस्थानों ने अपने कार्यक्षेत्रों में आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकलापों को जारी रखा और पोलीटेक्निकों, उद्योगों, उच्च शिक्षा संस्थानों, शोध संगठनों और अन्य संसाधन प्रणालियों के बीच तालमेल बढ़ाने के कार्य जारी रखे।

7.8.2 विश्व बैंक की सहायता से राज्यों में पोलीटेक्निकों की क्षमता, गुणात्मकता और कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए 1990-91 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक बड़ी परियोजना में तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को सम्मिलित किया गया। वे सहभागी राज्यों को पोलीटेक्निक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, नये और उभरते हुए क्षेत्रों में पाठ्यचर्या तैयार करने, शिक्षा, शोध और विकास, मानव संसाधन विकास, तथा परियोजना का ब्यौरा तैयार करने और परियोजना के कार्यान्वयन में भी व्यावसायिक सहायता देंगे।

7.8.3 त॰शि॰प्र॰सं॰ के कार्यकरण और उनकी गतिविधियों की मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा की गई है। समिति ने हाल ही में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या विकास, अनुदेशात्मक सामग्री विकास, अनुसंधान एवं विकास परामर्शी क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए अग्रगामी कार्य की प्रशंसा की हैं और विस्तार सेवाओं ने उनकी भावी उन्नति और सुदृढ़ता के लिए अनेक सिफारिशें की हैं।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

7.9.1 आर्थिक कार्य एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभागों द्वारा हस्ताक्षरित महत्वपूर्ण (अम्ब्रेला) करार के अन्तर्गत देश की प्रमुख तकनीकी संस्थाएं जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, रूड़की विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास, भारतीय खान स्कूल, धनबाद, योजना एवं वास्तुकला, नई दिल्ली और राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरी, प्रशिक्षण संस्थान बम्बई अनुसंधान एवं विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से परियोजनाएं चला रही हैं। उपस्करों, विशेषज्ञ सेवाओं और प्रशिक्षण के रूप में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नार्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन आदि विकसित देशों के द्विपक्षीय फंडों और यू॰एन॰डी॰पी॰ यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इस प्रयोजन के लिए सहायता प्राप्त कर रहे हैं। ये संस्थान यू॰एस॰ इंडिया रूपी फंड से सहायता का उपयोग करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त शोध के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में अपने सहयोगियों के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार के सहयोगों का उद्देश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान एवं जनशक्ति का विकास करना है। भारत और ई॰ई॰सी॰ केन्द्रीय कृत करार के अंतर्गत प्रमुख भारतीय संस्थाएं और यूरोपीय संस्थाएं प्रबंध संस्थाओं में सहयोग कर रही हैं।

7.9.2 भारत सरकार और कनाडा सरकार द्वारा अगस्त, 1991 को संस्थागत सहयोग के लिए भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी,

त॰शि॰प्र॰सं॰, मद्रास और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल और भारतीय पोलीटेक्निक पद्धति के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सहयोग देने के उद्देश्य से कनाडा में कनाडा समुदाय के कालेजों के संघ और संस्थाओं के बीच सूझबूझ का एक ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था।

7.9.3 सिद्धान्त रूप में, 8वीं योजना के दौरान डी॰डी॰ए॰ की सहायता से डिजाईन ऊर्जा, संसूचना प्रौद्योगिकी एवं सामग्री के क्षेत्र में यू॰के॰ में अन्य प्रतिरोधी संस्थाओं और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के बीच सहयोग बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

7.10.1 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की स्थापना योजना के अंतर्गत केन्द्रीय योजना में, विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति के लिए देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख राज्यों में प्रत्येक में एक-एक करके सत्रह कालेज स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक कालेज, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का एक संयुक्त एवं सहयोगी उद्यम है। जबकि सभी सत्रह कालेज, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, इनमें से चौदह कालेजों में स्नातकोत्तर और डाक्ट्रल कार्यक्रम की सुविधाएं उपलब्ध है। सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में वर्तमान दाखिला क्षमता, अवर स्नातक के लिए 4910 और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 1420 के क्रम में है।

7.10.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के संदर्भ में कार्यवाही योजना के दस्तावेज, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इनके विकास के लिए सभी कालेजों द्वारा तैयार कर लिए गए हैं। इनके दस्तावेजों में, संबंधित कालेजों के संपूर्ण लक्ष्य, उद्देश्य और विस्तृत कार्यवाही मदद (प्वाइंट) निहित हैं। प्रत्येक कालेज के संबंध में 1991-92 की वार्षिक योजना को उनके कार्यवाही दस्तावेजों के अनुसार अंतिम रूप दिया गया हैं।

7.10.3 वर्ष के दौरान कार्रवाई कार्यक्रम के अनुसार विकास के लिए निम्नलिखित पर जोर दिया गया थाः शैक्षिक कार्यक्रमों का विस्तारण एवं इनका विविधीकरण, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, छात्रों और कर्मचारियों की सुख-सुसविधाओं में सुधार, छात्रावासों (लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए) का निर्माण, चुनिंदा कालेजों में संगणक केन्द्रों के लिए सुविधाओं का विस्तार और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ संस्थागत नेटवर्क की योजना के तहत कालेजों में प्रयोगशालाओं का विकास करना।

7.10.4 आठवीं योजना अवधि के दौरान क्षेत्रीय ईजीनियरी कालेजों और ब्रिटिश विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के बीच उभरते हुए क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव को कार्यान्वयन हेतु अंतिम रूप दिया जा रहा है।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और शोध कार्य का विकास

7.11.1 भारत सरकार इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातकोत्तर और शोध शिक्षा का विकास करने की योजना के तहत 16 राज्य सरकारों और 24 गैर सरकारी स्नातकोत्तर संस्थाओं को सीधे सहायता दे रही है। इस योजना ने शोध और विकास (आर॰एंड डी॰) के क्षेत्र में विशेष रूप से काफी योगदान दिया है।

7.11.2 फरवरी, 1991 में इंजीनियरी में स्नातक अभिरूचि वाली परीक्षा आयोजित की गई जिसके आधार पर जुलाई, 1991 में स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में दाखिले किए गए थे।

गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

7.12.1 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के गुणवत्ता और मानक में सुधार लाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति एम॰टेक और पी॰एच॰डी॰ जैसे दीर्घकालिक कार्यक्रमों, अल्पकालिक पाठयक्रमों तथा तकनीकी संस्थाओं के संकाय सदस्यों हेतु उद्योग और पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रमों में अंशकालिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से हो रही है। पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, रुड़की विश्वविद्यालय में संस्थापित गुणवत्ता सुधार केन्द्रों के माध्यम से दीर्घकालिक और अल्पकालिक कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी द्वारा विभिन्न इंजीनियरी कालेजों और पालिटेक्निकों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान पालिटेक्निक शिक्षकों हेतु अंशकालिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उद्योग के क्षेत्र में अंशकालिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हो रहा है।

7.12.2 पूर्व वर्षों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों के अतिरिक्त 125 शिक्षकों को एम॰टेक॰ के लिए तथा 80 शिक्षकों को पी॰एच॰डी॰ के लिए आने वाले वर्षों में प्रशिक्षित करना है। पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रमों का आयोजन भा॰प्रौ॰सं॰, भा॰वि॰सं॰, बंगलौर और रुड़की विश्वविद्यालय में स्थित 7 केन्द्रों पर हो रहा है। ग्रीष्म/शीत स्कूल कार्यक्रमों के तहत भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी, नई दिल्ली के माध्यम से 2400 डिग्री और डिप्लोमा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। जहां तक अल्पालिक पाठ्यक्रमों का संबंध है, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम केन्द्र बजट की सीमा के अंतर्गत जितना अधिक सम्भव हो उतना पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए स्वतंत्र है। उद्योग में प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उपलब्ध बजट के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा डिग्री/डिप्लोमा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है।

तकनीकी शिक्षा की सहायता हेतु विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना

7.13.1 तकनीकी शिक्षा प्रणाली को पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक प्रमुख परियोजना शुरू की है जिसे विश्व बैंक समूह की सहायता से दो मिले-जुले चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा ताकि राज्य सरकारें अपने पालिटेक्निकों की क्षमता, गुणवत्ता और क्षमता में स्तरोत्रयन कर सकें। वर्ष 1990-91 की अवधि में लगभग 567 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक साख/ऋण सहायता सहित 1650 करोड़ रु॰ से अधिक की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त 16 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश के पालिटेक्निकों को शामिल करेगी। इस परियोजनाओं में देश के लगभग 80% अनुमोदित पालिटेक्निकों को शामिल किया गया है। यह मुख्यतः राज्य-क्षेत्र परियोजना है तथा सम्पूर्ण लागत भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा VIII/IX योजनाअवधि के दौरान अपने-अपने राज्यों के योजनागत आवंटनों से प्रदान की जाएगी। यह परियोजना शिक्षा विभाग के सम्पूर्ण मार्गदर्शन सहायता और अनुश्रवण के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी जिसके लिए परियोजना में देश में चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाने और एजुकेशनल कांसलटैंट इंडिया लिमिटेड में एक राष्ट्रीय परियोजना

कार्यान्वयन एकक की स्थापना सहित एक केन्द्रीय घटक का प्रावधान किया गया है।

7.13.2 लगभग 832 करोड़ रु० की अनुमानित लागत वाली बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, रास्थान तथा उत्तर प्रदेश को शामिल करने वाली परियोजना के पहला चरण का अनुमोदन हो चुका है और इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। दिसम्बर, 1990 में औपचारिक करार पर हस्ताक्षर हो जाने के उपरांत पहला चरण तकनीकी रूप से प्रभावी हो गया।

7.13.3 इसी प्रकार के लक्ष्यों वाले तथा लगभग 825 करोड़ रु० की लागत वाले दूसरे चरणों में, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा संघ शासित प्रदेश दिल्ली के पालिटेक्निकों को शामिल किया गया है। दूसरे चरण का भी अनुमोदन हो चुका है तथा औपचारिक करार पर हस्ताक्षण हो जाने के बाद इसे क्रियात्मक घोषित कर दिया जाएगा। शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पालिटेक्निकों को परियोजना के दो चरणों में निर्मित लचीलेपन के कार्यढांचे में शामिल करने का प्रस्ताव है।

संस्थागत नेटवर्क योजना

7.14.1 यह योजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे सुविकसित प्रौद्योगिकीय संस्थानों और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों तथा राज्य इंजीनियरी कालेजों जैसे तुलनात्मक रूप से कम विकसित संस्थानों के बीच नेटवर्क तैयार करने के आंतरिक सहायता कार्यक्रम विकसित करने के लिए 1981-82 के दौरान शुरू की गई थी ताकि प्रयोगशालाओं का विकास, संकायों का विनिमय, संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण तथा शोध कार्यक्रमों मे सहयोग दिया जा सके।

7.14.2 सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नेटवर्क योजना के माध्यम से 199 प्रयोगशालाओं को सहायता दी गई है और इस प्रयोजनार्थ 4.95 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। 1990-91 के दौरान 1 करोड़ की लागत से चालीस और प्रयोगशालाओं को सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है।

7.14.3 योजना के प्रावधानों के अनुसार, नेटवर्क की अनुमोदित योजना के लिए 5 लाख रुपये की राशि के अनुदान की सहायता दी जाती है जिसमें से 50% विभाग द्वारा और शेष 50% संबंधित संस्था द्वारा वहन किया जाता है।

तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र

(क) प्रौद्योगिकी के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना जहां कमजोरी विद्यमान है

7.15.1 यह योजना छठी योजना के दौरान आरम्भ की गई थी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें कार्यक्षेत्र और आयाम की दृष्टि से सुधार लाया गया जिसका उद्देश्य (1) प्रयोगशाला उपस्कर, स्थान, संकाय और सहायक स्टाफ (2) पाठ्यक्रमों की विविधता और (3) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए आधार तैयार करने के माध्यम से प्रौद्योगिकी के कुछ उन चुने हुए क्षेत्रों में जहां चिंताजनक रूप से दूरी बनी हुई है, अवर स्नातक पर पाठ्यक्रम चलाने वाली प्रौद्योगिक संस्थाओं में सुविधाओं को सुदृढ़ करना था। प्रौद्योगिकी के जिन कमजोर क्षेत्रों का पता लगाया गया है वे हैं, कम्प्यूटर विज्ञान/प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, धातु विज्ञान/प्रौद्योगिकी, अनुरक्षण इंजीनियरी, उत्पादन विकास/डिजाइन बायो-कनवर्शन, एग्रोनामिक्स, मुद्रण प्रौद्योगिकी, प्रबंध विज्ञान और उद्यमशीलता।

7.15.2 सातवीं योजना अवधि के दौरान 347 परियोजनाओं के सहायतार्थ 39.30 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। 1991-92 के दौरान 82 परियोजनाओं को 731.00 लाख की सहायता दी गई।

(ख) उभरती हुई प्रौद्योगिकीयों के क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का सृजन

7.15.3 छठी पंचर्षीय योजना के दौरान यह योजना प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य कुछ चुने हुए इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी संस्थाओं में प्रौद्योगिकी के उभरते हुए 14 क्षेत्रों में शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए मूलभूत सुविधाओं का सृजन करना था। सातवीं योजना अवधि के दौरान योजना के कार्यक्षेत्र और आयाम में पर्याप्त वृद्धि की गई थी। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के पहचाने गए क्षेत्रों में आधुनिक प्रयोगशालाओं के संदर्भ में मूल ढांचे का विकास करना।
- कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों का पता लगाकर उच्चस्तरीय कार्य के लिए एक मजबूत आधार का विकास करना।
- प्रौद्योगिकी के सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के लिए सुविधाएं और सहायता प्रदान करना ताकि उन्नत देशों के संदर्भ में प्रौद्योगिकी की दूरी को अन्ततःखत्म किया जा सके।
- मानवशक्ति का विकास।
- संकाय प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं।
- अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं और प्रयोक्ता एजेंसियों सहित अन्य अन्य संस्थानों के साथ संबंध विकसित करना।
- सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा विकसित किए गए विशेषज्ञताके क्षेत्रों में सूचना का प्रसार।

7.15.4 इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए जिन सत्रह क्षेत्रों का पता लगाया गया है वे है: उर्जा विज्ञान, परिवहन इंजीनियरी, सूक्ष्म इलैक्ट्रानिक, रिमोट सेंसिंग, एट्मोसकियरिक विज्ञान, रिलायबिलिटी इंजीनियरी, पर्यावरणात्मक इंजीनियरी, जल संसाधन प्रबंध, ऑप्टिकल कम्यूनिकेशन और फाइबर ऑप्टिक्स, लेजर प्रौद्योगिकी, इन्फार्मेटिक्स, टेलिमेटिक्स, शिक्षा प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर-एडिड डिजाइन/कम्प्यूटर एडिड निर्माण, सूक्ष्म-प्रोफेसर, रोबेटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमता। सातवीं योजना के दौरान, 458 परियोजनाओं की सहायता के लिए 57.33 करोड़ रुपये की राशि मुक्त की गई थी। 1991-92 के दौरान 8.99 करोड़ रुपये की अनुदान राशि से 99 परियोजनाओं को सहायता देने का कार्यक्रम था।

(ग) नए और/अथवा उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम और विशेषज्ञता के क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रमों की पेशकश करना

7.15.5 यह एक नई योजना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के भाग के रूप में 1987-88 के दौरान संस्थापित की गई थी। यह योजना बदलते हुए औद्योगिक परिवेश और विश्व भर में प्रौद्योगिकी विकास की गति को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी

के परम्परागत और उभरते हुए क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के ऐसे बहुत से नए क्षेत्र विकसित किए गए हैं जो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं से जुड़े हैं और जहां उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ मानवशक्ति का विकास किए जाने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी के छियालीस नए/उन्नत क्षेत्रों का पता लगाया गया है जहां इस योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को सहायता दी जाएगी।

7.15.6 1987-90 के दौरान 67 परियोजनाओं की सहायतार्थ 11.22 करोड़ की राशि दी गई थी। 1991-92 के दौरान 7.95 करोड़ रुपये की राशि के साथ 70 परियोजनाओं को सहायता दिए जाने की योजना है।
7.15.7 सितम्बर, 1991 के दौरान, भा॰प्रौ॰सं॰, मद्रास भा॰प्रौ॰सं॰, दिल्ली में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की इन सभी तीन योजनाओं के अन्तर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए वार्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थीं।

आधुनिकीकरण और अप्रचलनों का निराकरण

7.16.1 यह योजना छठी योजना अवधि के दौरान चुनिंदा इंजीनियरी कालेजों में आधुनिक उपकरण और मशीनरी प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी ताकि 100% प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता के आधार पर प्रौद्योगिक उन्नति और पाठ्यचर्या संबंधी परिवर्तनों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

7.16.2 सातवीं योजना अवधि के दौरान और विशेष रूप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाये जाने के बाद से इस योजना के कार्य क्षेत्र और आयामों में विस्तार किया गया ताकि तकनीकी विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों के प्रौद्योगिकी संकाय, पालिटेक्नीक सहित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों और अन्य इंजीनियरी कालेजों को सम्मिलित किया जा सके तथा मानव संसाधनों संबंधी पुरानी अप्रचालित चीजों को हटाया जा सके। इन योजना के उद्देश्यों को निम्नानुसार पुनः पारिभाषित किया गया है:

— इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं में अप्रचलित मशीनों और उपकरणों का हटाना।
— प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या की आवश्यकताओं से संबंद्ध नए उपस्करों को शामिल करके आधुनिकीकरण करना।
— छात्रों को आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला कार्य का अनुभव प्रदान करना।
— नई प्रयोगशालाओं का निर्माण।
— संगणकों का प्रावधान
— संकाय और सहायक स्टाफ का प्रशिक्षण

7.16.3 सातवीं योजना के दौरान और 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या और प्रति वर्ष जारी किए अनुदान की राशि के आंकड़े निम्नानुसार है:—

तालिका 7 .3

तकनीकी शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं अप्रचलित बातों को हटाने के लिए सहायता

वर्ष	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	(करोड़ रुपयों में) दी गयी अनुदान राशि
1985-86	131	15.00
1986-87	151	18.00
1987-88	529	60.00
1988-89	603	52.70
1989-90	400	37.00
1990-91	328	30.60
1991-92	334	30.00

राष्ट्रीय तकनीकी मानव शक्ति सूचना प्रणाली

7.17.1 राष्ट्रीय तकनीकी मानव शक्ति सूचना प्रणाली की स्थापना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य विशेष स्तरों पर इंजीनियरी तथा तकनीकी मानव शक्ति की आपूर्ति एवं उपयोगिता के अनुवीक्षण को ध्यान में रखते हुए की गई है ताकि सुव्यवस्थित आधार पर तकनीकी शिक्षा की आयोजना एवं विकास किया जा सके। इस प्रणाली में प्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली का एक प्रमुख केन्द्र तथा भिन्न-भिन्न राज्यों में स्थित चार प्रशिरूक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्डों सहित 21 प्रमुख केन्द्र शामिल हैं।

7.17.2 रा॰त॰जन॰सू॰प्र॰ कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम प्राथमिक आंकड़े विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के स्नातकों एवं शैक्षिक संस्थानों और समाजार्थिक क्षेत्र की उन संस्थाओं से इंजीनियरी तथा तकनीकी मानव शक्ति को नियोति करते हैं, नियोजित रूप से तथा वार्षिक आधार पर एकत्रित किए जा रहे हैं। 21 प्रमुख केन्द्रों में से 17 केन्द्र जो अधिकांशतः देश के चुने हुए इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थाओं में स्थित हैं, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के स्नातकों का अनुवर्ती अध्ययन संचालित करने तथा शैक्षिक संस्थानों के सर्वेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं जब कि जो प्रशिक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्डों में स्थित केन्द्र नियोजक संस्थाओं से आंकड़े एकत्र करने के लिए उत्तरदायी हैं।

7.17.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अवर स्नातक मापांक, वर्ष 1984 तक के आंकड़े एकत्र किए गए हैं और वर्ष 1985 के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। यहां तक कि कुछ प्रमुख केन्द्रों ने 1988 से आगे आंकड़ा संकलन, अवरस्नातक मापांक का कार्य शुरु कर दिया है ताकि आंकड़ा बैंक को नया और अद्यतन बनाया जा सके।

7.17.4 उपर्युक्त आंकड़े के आधार पर, तमिलनाडु और चण्डीगढ़ के लिए वर्ष 1982-85 से संबंधित राज्यवार वार्षिक तकनीकी मानव शक्ति समीक्षा रिपोर्टों को संकलित किया गया है। वर्ष 1983 से 1986 के लिए उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जम्मू कश्मीर व केरल की इसी प्रकार की रिपोर्टें पूरी की जा चुकी हैं।

7.17.5 असम, बिहार व उड़ीसा के लिए संदर्भित वर्ष 1982 से 1986 के लिए इंजीनियरी मानव शक्ति श्रम मार्केट ढांचों पर रिपोर्टें भी पूरी की जा चुकी है। इस वर्ष के दौरान इंजीनियरी रूपरेखा तथा इसके उपयोगिता विशेषतायें (1983-84) तैयार किए जा चुके हैं।

7.17.6 उपर्युक्त रिपोर्टें विभिन्न विषयों के स्नातकों के लिए उपलब्ध रोजगार अवसरों के प्रकार पर सूचना प्रदान करती हैं इससे विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों में स्नातकों की खपत की पद्धति और विशिष्ट क्षेत्रों में बेरोज़गार की सीमा का भी संकेत मिलता है।

7.17.7 नवम्बर, 1989 में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की कि योजना जारी रहनी चाहिए तथा इसे उपयुक्त ढंग से और अधिक सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली है तथा सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं।

गैर विश्वविद्यालय केन्द्रों में प्रबंध शिक्षा का विकास

7.18.0 विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित प्रबंधकीय जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ ऐसे गैर विश्वविद्यालय केन्द्रों को सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम शुरु किया है जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं तथा प्रबंध अध्ययन में दो वर्ष का पूर्ण कालिक तथा तीन वर्ष का अंशकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे है। अखिल भारतीय परबंध अध्ययन बोर्ड/अ०भ०त०शि०प० की सिफारिशों के आधार पर संस्थानों को सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार कुछ संस्थाओं को प्रबंध कार्यक्रमों के समेकन तथा इसके विकास के लिए सहायता प्रदान कर रही है। आज की स्थिति में असम्मिलित, असंगठित व सेवा क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रोन्नत करना अत्यंत आवश्यक है। अभी भारतीय समाज कल्याण व व्यापार प्रबंध संस्थान कलकत्ता से असम्मिलित व असंगठित क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

7.19.1 अनुमोदित मानकों के अनुकूल तकनीकी शिक्षा के समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अ०भा०त०शि०प०) का गठन 1945 में राष्ट्रीय विशेषज्ञ निकाय के रूप में तकनीकी शिक्षा के विकास पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए किया गया। समवर्ती सूची में शिक्षा के शामिल होने से पहले भी तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय और निर्धारण केन्द्रीय सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्तव रहा है।

7.19.2 गैर सरकारी इंजीनियरी कालेजों की संख्या में हो रही वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा अ०भा०त०शि०प० को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।अ०भा०त०श०प० के कार्यक्षेत्र में पूरे देश में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी प्रबंध नगर आयोजना जैसे क्षेत्रों में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करने वाली सभी तकनीकी संस्थाए व विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग आते हैं।

7.19.3 इस परिषद् ने अपनी कार्यकारी समिति तथा कानपुर, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता स्थित चार क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से कार्य करना शुरु कर दिया। परिषद् ने इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी में तकनीकीशियन, अवर-स्नातक व स्नातकोस्तर स्तर पर अखिल भारतीय अध्ययन बोर्ड स्थापित किए हैं। स्नातकोत्तर बोर्ड ने कई नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा तकनीशियन शिक्षा के लिए विश्व बैंक सहायता के प्रकाश में इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम आरंभ करने की सिफारिश की है। वास्तुशिल्प के क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए परिषद् ने वास्तुशिल्प परिषद् के साथ एक आपसी सूझबूझ के ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। परिषद् की विशेषज्ञ समिति की अप्रैल, 1991 में बैठक हुई तथा इसने नए पाठ्यक्रमों व कार्यक्रम आरंभ करना अनुमोदित किया। तकनीकी संस्थाओं में दाखिले के लिए मार्गदर्शी रुपरेखाओं तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए मानकों और मानदंडो को परिषद ने अनुमोदित कर दिया।

7.19.4 आलोच्य वर्ष के दौरान परिषद् ने 42 नई संस्थाओं तथा तकनीकी संस्थाओं में 231 कार्यक्रम आरंभ करने की सहमति दी।

सामुदायिक पालिटेक्निक

7.20.1 सामुदायिक पालिटेक्निक योजना को 1978-79 में 36 पालिटक्निकों में प्रयोगात्मक आधार पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली में निवेशों से होने वाले लाभों में ग्रामीण समाज को उचित रूप से भागीदार बनाने के विचार से सीधी केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत संस्थापित किया गया। योजना में ऐसी परिकल्पना की गई है कि ग्रमीण समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोगार्थ तथा गैर औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्वःऔर मजदूरी दिलाने वाले रोजगार के अवसर जुटाने में केन्द्र बिन्दु का काम करेगा। इसका उद्देश्य गरीबी दूर करना, सामाजार्थिक उत्थान तथा जनता की विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को जीवन प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार करना है। जबकि योजना में व्यक्तियों की भागीदारी अन्तर्निहित विशेषता है, अधिक महत्व शोषित असुविधा प्राप्त तथा समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिया गया है। संबंधित स्थानीय समाजार्थिक परिस्थितियों के अनुरुपकरीब 100 तकनीकी/ व्यावसायिक व्यावसायों को रोजगारोन्मुख कुशलता विकास प्रशिक्षण देने के लिए रखा गया है। आयोजित किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का प्रस्ताव नहीं किया गया है तथापि महिलाओं अल्पसंख्यकों व पढ़ाई बीच में छोड़ कर जाने वालों को प्रोत्साहित किया गया। संपूर्ण देश में आजकल 152 सामुदायिक पालिटेक्निक (दिसम्बर 1991 तक) कार्य कर रहे हैं। सभी अल्पसंख्यक सकेन्द्रीत जिलों को योजना के अधीन शामिल कर लियां गया है। सामुदायिक पालिटेक्निक निम्नलिखित कार्य करते है।

— सामाजिक सर्वेक्षण,

— जनशक्ति विकास और प्रशिक्षण,

— प्रौद्योगिक ,स्थानांतरण,

— उद्यमशीलता विकास की ओर तकनीकी व सहायक सेवाये;

— सूचना प्रस्तुत।

7.20.2 सामुदायिक पालिटेक्निक योजना में आर०वडी० सहायता हेतु ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों की स्थापना करना शामिल है। तकनीकी के विकास नवीनकरण व अनुकूलन के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिक विकास केन्द्रों के रूप में ग्रामीण आवश्यकता के अनुरुप अभी तक 15 डिप्लोमा स्तर के संस्थानों का चयन किया गया है जैसे कि सामुदायिक पालिटेक्निक के लिए आर व डी पद्धति । योजना के अधीन ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों को अलग अनुदान दिए जा रहे हैं।

7.20.3 योजना के प्रभावी कार्यान्वियन हेतु सामुदायिक पालिटेक्निक ने दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में विस्तार केन्द्रों की स्थापना की है ताकि इस प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और सेवाएं गांवों के ठीक पास ही उपलब्ध कराई जा सकें। बायोगैस संयंत्र, पवनचक्की, धूंआ रहित चुल्हा, ग्रामीण शौचालय, सौर यंत्र खेती के उपकरण इत्यादि सहित प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और अनुमोदित मदों को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए सामुदायिक पालिटेक्निकों ने अच्छी भूमिका निभाई है। इन संस्थानों ने अनेक सरकारी गैर-सरकारी निकायों के साथ कारगार सहयोग किया है। कई सामुदायिक पालिटेक्नि भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए जल, स्वास्थ्य, स्वच्छता पर प्रायोजित अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं के निष्पादन में सीधे शामिल है। उनमें से कई सामुदायिक सहायता सेवाएं जैसे सामुदायिक बायो-गैस पद्धति, सामुदायिक कूड़ा निपटान पद्धति तथा जल स्वास्थ्य व सफाई जागरूकता कार्यक्रमों पर स्वास्थ्य सेवाओं योजना व कार्यान्वियन में सक्रिय रूप से व्यस्त है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करना

7.20.4 योजना के माध्यम से मुख्य रूप से रोजगार गैर औपचारिक अल्पकालिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, विभिन्न कार्यों में सक्षमता तथा आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से अथवा आवश्यकतानुसार बहुदक्षता के माध्यम से है ये संस्थाएं प्रत्येक वर्ष 25,000 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करती है। इनमें से लगभग 35-40 प्रतिशत स्वरोजगार में लग जाते है।

7.20.5 इन योजनाओं से उपलब्ध कराए गए रोजगारों को हम विस्तृत रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं:-

(i) इस योजना में सीधे वेतन रोजगार,
(ii) प्रशिक्षित युवकों को स्वत रोजगार,
(iii) ग्रामीण परियोजनाओं/उद्योगों तथा सेवाओं में वेतन रोजगार,

7.20.6 वर्ष के दौरान स्कूल बीच में छोड़कर जाने वालों सहित 20,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं व महिलाओं को, विभिन्न तंकनीकी/व्यावसायिक व्यावसायों में प्रशिक्षित किया गया है तथा उनमें से कई स्व रोजगार में लग चुके हैं।

7.20.7 वर्ष के दौरान योजना के कार्यान्वयन तथा इसके उद्देश्यों के पुनरीक्षण के लिए इलाहाबाद, भोपाल, कलकत्ता, मद्रास में चार क्षेत्रीय्र कार्यशालाएं तथा इसके साथ ही दिल्ली में क्षेत्रीय टी टी आई समन्वयकों की राष्ट्र स्तर की बैठक आयोजित की गई थी। (1) महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम (2) आय-उपार्जन, तकनीकी आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा नव-साक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता सतत शिक्षा (3) क्षेत्र विशिष्ट व संस्कृति विशिष्ट जनजाति क्षेत्र संघटक कार्यक्रम (4) (i) कम लागत के घर (ii) ग्रामीण लोगों के लिए सुरक्षित पीने का पानी (iii) ग्रामीण स्वच्छता (iv) गैर पारंपरिक व वैकल्पिक उर्जा स्त्रोत (v) कृषि फार्मिंग व कृषि सिंचाई तथा (vi) ग्रामीण परिवहन वाले प्राथमिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी स्थानांतरण आदि को महत्व देते हुए योजना के कार्यक्षेत्र व कार्यकलापों के विस्तार का प्रस्ताव है।

7.20.8 अगस्त, 1991 में इसके रजत जंयती समारोह के दौरान टी टी टी आई, भोपाल में सामुदायिक पालिटेक्निक पर प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। मानव संसधान विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया तथा सामुदायिक पालिटेक्निकों के कार्यकलापों की प्रशंसा की।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.21.1 प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 (1973 में संशोधित) के अन्तर्गत इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम कानपुर, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास स्थित चार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। उद्योगों के साथ बेहतर संपर्क के लिए बोर्डों की राज्य स्तरीय समितियां हैं। प्रशिक्षुओं को दिया जाने वाला वजीफा प्रशिक्षण संस्थाओं तथा भारत सरकार द्वारा आधा-आधा वहन किया जाता है।

7.21.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 अक्तूबर की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्य में लगे प्रशिक्षुओं की संख्या नीचे सारिणी में दी गई हैं:

सारणी 7.4
प्रशिक्षुओं की संख्या

	31.10.89	31.10.90	31.10.91
कुल प्रशिक्षणार्थी	21736	21053	22075
स्नातक प्रशिक्षणार्थी	6102	6042	6879
डिप्लोमाधारी	15634	15011	15196
अनुसूचित जाति	838	714	908
अनुसूचित जनजाति	171	148	167
अल्पसंख्यक	1456	1057	1335
विकलांग	11	10	33
महिलाएं	1345	1836	2089

7.21.3 बोर्डों द्वारा कुछ इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटेक्निकों के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की कोटि में सुधार तथा जीवन वृत्तिका मार्गदर्शन कार्यक्रम के लिए कई पर्यवेक्षी विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। बोर्ड, सूचना प्रद लेखों की पत्रिकाएं भी प्रकाशित करते है। इनमें से कुछ प्रशिक्षण मैनुअल भी तैयार करते हैं।

7.21.4 10+2 व्यावसायिक छात्रों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की एक नई योजना भी वर्ष 1988-89 से शुरु की गई थी।

7.22.1 एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक एक स्वायत्त अंतराष्ट्रीय संस्थान है, जो इंजीनियरी विज्ञान और सम्पद्ध विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान करता है। यह 20 से अधिक देशों से लगभग 600 छात्रों को दाखिल करता है और इसके अंतर्राष्ट्रीय संकाय सदस्य है। यह संस्थान भारत सहित विभिन्न देशों के सदस्यों के एक अंतर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अभिशासित है जिसके सदस्य भारत सहित विभिन्न देशों से आते है।

7.22.2 भारत सरकार एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (ए०आई०टी०) की निम्नलिखित सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई हैं:-

— इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में भारतीय शिक्षकों/विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के संपूर्ण व्यय का वहन।
— निम्नलिखित एक या अधिक उद्देश्यों के प्रयोग के लिए 3.00 लाख रु० के वार्षिक अनुदान का उपयोग:-
  (क) भारत से उपकरणों की खरीद
  (ख) पुस्तकों की खरीद तथा भारत में प्रकाशित अकादमीय तथा तकनीकी के चन्दे के लिए भुगतान; तथा
  (ग) भारत में शिक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय।

7.22.3 वर्ष 1991-92 के दौरान भारत सरकार द्वारा विदेशी यात्रा पर पूर्ण रूप से बंद होने के कारण 9 भारतीय विशेषज्ञ ए०आई०टी०टी० बैंकाक में प्रतिनियुक्त किए गए। संस्थान को भारत में उपकरण की खरीद व शिक्षा से संबंधित कार्यकलापों के लिए 2,99,472 रु० का अनुदान दिया गया।

शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड

7.23.1 यह मूल्यांकन बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में भर्ती के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताओं को मान्यता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। शिक्षा विभाग में तकनीकी शिक्षा ब्यूरो इस बोर्ड के सचिवालय का कार्य करता है और अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग इस बोर्ड के अध्यक्ष है।

7.23.2 आलोच्य वर्ष के दौरान मूल्यांकन बोर्ड द्वारा मान्यता हेतु विचार के लिए आठ विशेषज्ञ समिति बैठकें/उप-समिति बैठकें आयोजित की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आंशिक वित्तीय सहायता

7.24.1 तकनीकी शिक्षा ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विभिन्न के क्षेत्रों के शिक्षकों को हवाई किराए की यात्रा का खर्च देने के लिए आंशिक वित्तीय सहायता योजना का प्रबंध करता है। विशिष्ट युवा शिक्षकों पर विशेष रुप से विचार किया जाता है।

गैर निगमित तथा असंगठित क्षेत्रों के संस्थानों का सुदृढ़ीकरण व स्थापना

7.25.1 हमारी तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा पद्धति का अनुस्थापन अभी तक मुख्यतः संगठित निगमित क्षेत्र की ओर उन्मुख हो रहा है। तथापि हमारे विकास प्रयासों का विशेष प्रभाव केवल तभी सम्भव होगा यदि हम गैर निगमित और असंगठित क्षेत्रों के निष्पादन में सुधार करते हैं जो लगभग 90% कार्य बल को रोजगार प्रदान करता है।

7.25.2 इसके अनुसार, सातवीं व आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य के लिए विद्यमान संस्थानों की सुदृढ़ करने के लिए योजना तैयार की गई।

इन क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश भर में कुछेक चुनिन्दा डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं में उद्यमशीलता तथा प्रबंध विकास केन्द्रों और उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है।

7.25.3 इस योजना को केन्द्र से वित्तीय सहायता प्रदान करके चार पालीटेक्निकों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना में उद्योग-संस्थान अंतःक्रिया योजना को समाविष्ट करके, इसके क्षेत्र एवं गतिविधियों को कायम रखने तथा उनका विस्तार करने की भी परिकल्पना की गई है।

7.26.1 **उद्योग संस्थान अंतःक्रिया**

उद्योग संस्थान अंतःक्रिया की योजना वर्ष 1988-89 के मध्य शुरु की गई थी । योजना के निम्न तीन मुख्य तत्व हैं:-

(क) इंजीनियरी कालेजों तथा उद्योगों के बीच अंतःक्रियाएं।

(ख) पालीटैक्नीकों तथा उद्योगों के मध्य अंतःक्रियाएं।

(ग) आई०आई०टी०, दिल्ली में एक "औद्योगिक प्रतिष्ठान " की स्थापना।

7.26.2 चुनिन्दा इंजीनियरी कालेजों के विषय में इस योजना में उद्योग और संस्थान के बीच एक संयुक्त परियोजना की परिकल्पना की गई है। इसमें प्रति संस्थान के लिए दो संकाय सदस्यों के अनुपात से उद्योग के साथ संकाय आदान-प्रदान की परिकल्पना भी की गई है। पालिटैक्निक स्तर पर संकाय आदान-प्रदान केवल दो संकाय सदस्यों के अनुपात में होगा।

7.26.3 इस उद्देश्य के लिए, 23 इंजीनियरी कालेज तथा 156 पालिटैक्निक चुने गए। इस योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत 21 इंजीनियरी कालेजों और 11 पालिटैक्नीको में से 18 इंजीनियरी कालेजों तथा 6 पालिटैक्नीकों ने संकाय आदान प्रदान कार्यक्रम शुरु कर दिया है। अब तक वर्ष 1990-91 के लिए चार परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। इस वर्ष 12 और नई परियोजनाएं प्राप्त हुई है। इन परियोजनाओं पर, इसी प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति विचार करेगी।

7.26.4 आई आई टी दिल्ली में स्थापित किया जाने वाला प्रस्तावित औद्योगिक अनुसंधान प्रतिष्ठान उद्योग द्वारा प्रायोजित वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक की समस्याओं के समाधान के लिए संस्थान की अनुसंधान तथा परामर्शी क्षमताओं के विपणन तथा साथ ही नवाचार और प्रौद्योगिकी आरंभ करने के लिए उत्तरदायी होगी।

सतत शिक्षा

7.27.1 फरवरी, 1988 में शुरु किए गए सतत शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों में सेवारत व्यवसायियों की क्षमता विकसित करना है जिससे कि देश के भीतर इंजीनियरी और प्रबंध जनशक्ति का स्तर ऊंचा हो सकेगा।

7.27.2 इस प्रयोजन के लिए आरंभ में 10 केन्द्र तय किए गए जिनमें 5 आई०आई०टी० 4 टी०टी०टी०आई० तथा मैसूर स्थित आई०एस०टी०आई० शामिल हैं। मैसूर स्थित आई०एस०टी०आई० केन्द्र प्रशिक्षण माडयूलों का परीक्षण भी करता है तथा इस कार्यक्रम का संपूर्ण शैक्षिक समन्वय तथा मानीटरिंग करता है।

7.27.3 अब तक भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की 129 पाठ्यक्रम सामग्री तैयार की जा चुकी है तथा प्रशिक्षण माडयूलों के आधार पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लगभग 28,900 सेवारत व्यवसायियों को लाभ पहुंचा है । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्वत्तपोषण आधार पर आयोजित किया जाता है।

7.27.4 इन कार्यरमों की सफलता को देखते हुए, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए आठ और केन्द्रों को शामिल किया गया है।

तकनीकी शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान तथा विकासः-

7.28.1 उक्त योजना 1987-88 के दौरान निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर शुरू की गई थीः-

— उच्च अध्ययन/अनुसंधान के मौजूदा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण तथा पुर्नसंरचना।
— मूलभूत ढांचे की रचना तथा इसे अद्यतन बनाना।
— इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्ध में अनुसंधान परियोजनाओं को सहयोग तथा प्रयोजन।

7.28.2 वर्ष 1991-92 के दौरान 44 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया। यह योजना अपेक्षतया बड़ी संख्या में इंजीनियरी कालिजों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने में सहायक रही। इस योजना में भौतिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रकिक्व प्रौद्योगिकी ऊर्जा प्रबंध, उच्च वाल्टता इंजीनियरी, रसायन इंजीनियरी, संमिश्रित सामग्री, तन्तु विज्ञान संरचनात्मक

इंजीयिनरी एवं यातायात इंजीनियरी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया। युवा संकाय सदस्यों के प्रस्तावों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

भारत शैक्षिक परामर्शदाता लिमिटेड, नई दिल्ली:

7.29.1 इस मंत्रालय के अधीन आने वाला एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान भारत शैक्षिक परामर्श लि० 17 जून, 1981 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित किया गया था। यह केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के मार्गदर्शन में कार्य करता है। इसमें एक अंशकालिक गैर-सरकारी अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक हैं।

7.29.2 वर्ष 1990-91 के दौरान निगम ने एशियाई विकास बैंक को तकनीकी सहायता (टी०ए०) प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक ही वर्ष में तीन बार चुना गया और बंगला देश में एक मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु चयन किया गया। मारीशंस विश्वविद्यालय का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण परियोजना को सफलता पूर्वक पूरा कर लिया गया और मास्टर प्लान के कार्यान्वयन को शुरू कर दिया गया।

7.29.3 देश में इलेक्ट्रानिक डिजाइन और प्रौद्योगिकी केन्द्र, कालीकट की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो गया है और यह भवन सौंपे जाने के लिए तैयार है। इसने देश में तकनीकी शिक्षा (पालिटेक्निकों) को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना को तैयार करने में भी सहायता पहुंचाई है।

7.29.4 सिने इथोपिया, जाम्बिया, मारीशंस और जोर्डन को शैक्षिक सहायता की आपूर्ति को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

7.29.5 वर्ष 1990-91 के लिए कम्पनी की आय 3.40 करोड़ रुपये है। निगम के टैक्स देने के पश्चात् वर्ष 1990-91 के लिए कुल आय 17.31 लाख रु० है।

7.29.6 कम्पनी ने वर्ष 1990-91 के लिए 7.50 लाख रु० के लाभांश की आदायगी करने की घोषणा की है।

उपस्करों तथा उपभोज्य वस्तुओं के आयात के लिए पास बुक योजना/सीमा शुल्क छूट प्रमाण-पत्र।

7.30.0 अनुसंधान के कार्यों के लिए वैज्ञानिक उपस्करों के तेजी से आयात तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए वर्ष 1988 से एक पास बुक योजना शुरू की गई है।

इसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपस्कर, साज-सामान तथा उपभोज्य वस्तुओं के आयात शुल्क के बिना ही आयात करने की छूट मिलेगी। इस योजना के अन्तर्गत, आयात के लिए संस्था के प्रमुख को यह प्रमाणित करने का अधिकार होगा कि इसकी बहुत जरूरत है तथा "इसका निर्माण भारत में नहीं होता", की शर्त भी पूरी होनी चाहिए। अनुमानित सी०आई०एफ० कीमत की अधिकतम सीमा एक वर्ष के लिए उपस्कर के लिए 3 करोड़ रु० तथा उपभोज्य वस्तुओं के लिए 1.5 करोड़ रु० होगी। इसमें कोई एक उपभोज्य वस्तु शामिल नहीं होगी जिसकी एक वर्ष में कुल सी०आई०एफ० कीमत 5 लाख रुपये से अधिक होती है तथा कोई एक उपस्कर तथा साज-समान जिसकी सी०आई०एफ० कीमत 5 लाख रु० से अधिक होती है जिसके लिए सी०डी०ई० प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस योजना में राष्ट्रीय महत्व के निजी रूप से वित्त पोषित अनुसंधान संस्थाएं तथा कालेज भी शामिल है। शिक्षा विभाग में तकनीकी शिक्षा ब्यूरो विश्वविद्यालय , कालेजों तथा संस्थाओं को पास बुक जारी करने के लिए जिम्मेदार है। 30 नवम्बर, 1991 तक की रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लगभग 222 पास बुके तथा 1025 सी०डी०ई० प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

संत लोंगोंवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान:-

7.31.1 संत लोंगोंवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना पंजाब राज्य में विरोध तकनीकी जनशक्ति को पूरा करने के लिए की जा रही है। यह संस्था विभिन्न स्तरों पर कई तरह से पाठ्यक्रमों को प्रदान करेगी ताकि राज्य की विशिष्ट जरूरतों को समेकित तरीके से पूरा किया जा सके। वर्ष 1992-93 के दौरान, प्रारम्भ में आवश्यक अवस्थापना का सृजन करके शैक्षिक सत्र को निम्नलिखित पांच प्रमाण पत्र तथा तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों से शुरू किया गया:-

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम:

1. इलैक्ट्रानिकस यंत्रों की सर्विस तथा रखरखाव।
2. टी०वी० मैकेनिक।
3. डाटा एन्ट्री आपरेशनस तथा वर्ड प्रोसेसिंग।
4. कम्प्यूटर सर्विस तथा रख. रखाव।
5. वेल्डिंग।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम:

1. इलैक्ट्रानिकस और संचार इंजीनियरी
2. इन्सट्रूमैन्टेशन एंड प्रोसेस कन्ट्रोल
3. कम्पयूटर प्रोग्रामिंग अथवा प्रयोग

7.31.2 वर्ष के दौरान कुल 176 छात्रों, जिसमें से 20% लड़कियाँ थी, ने दाखिला लिया राज्य की वास्तविक जनशक्ति की जरूरत के अनुसार डिग्री पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए संस्थान में और विस्तार करने तथा स्तरोन्नत करने पर विचार किया जाएगा।

7.31.3 इस संस्थान का 20 दिसम्बर, 1991 को मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह द्वारा औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से तकनीकी संस्थाओं को सहायता प्रदान क रना।

7.32.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा अनुसंधान के विकास के लिए इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में विश्वविद्यालय व्यवस्थित संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

योजना के अन्तर्गत इस समय 32 ऐसे विश्वविद्यालय-व्यवस्थित संस्थाओं को शामिल किया गया है। अवर स्नातक शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के अलावा, ये संस्थाएं ईजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में काफी संख्या में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चला रही हैं। इनमें से कुछ संस्थाएं प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए उच्चतर स्तर पर मौलिक तथा प्रायोगिक अनुसंधान कार्य में लगी हैं। तथा उन्होंने अपनी उपलब्धियों से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त किया है विभिन्न अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों को जारी रखने तथा विभिन्न सुविधाओं जैसे कि शिक्षण, भवन प्रयोगशालाएं, छात्रावास तथा स्टाफ क्वाटरों के समेकन के लिए विश्वविद्यालय व्यवस्थित संस्थाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया हैं।

7.32.2 विश्वविद्यालय व्यवस्थित संस्थाओं में विभिन्न स्नातकोत्तर

पाठ्यक्रमों में इस समय लगभग 1600 एम॰ई॰/एम॰ टैक के छात्र दाखिल है।

उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम:

7.33.1 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने फरवरी 1978 में आयोजित अपनी बैठक में सिफारिश की कि चुनिन्दा पालिटेक्निकों को वित्तीय सहायता दी जाए ताकि वे उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू कर सकें जिससे तकनीशियन उद्योग और ग्रामीण क्षेत्र की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित क्षमता (योग्यता) प्राप्त कर सकें। इस सिफारिश के अनुसरण में वर्ष 1981-82 में छठी योजना में उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम की एक योजना शुरू की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, उपकरण इंजीनियरी, गढ़ाई प्रौद्योगिकी, आधुनिक इलैक्ट्रानिक, वातानुकूलन और प्रशीतन, उर्जा के परिवर्तनीय साधन और ग्रामीण प्रौद्योगीकीय विकास एवं प्रबंध, जैसे महत्वपूर्ण विषयों में उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए दस संस्थाओं को चुना गया।

7.33.2 उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम योजना पर पुर्नविचार करने के लिए 11 से 13 सितम्बर, 1991 को एस बी एम पालिटैक्नीक, बम्बई में एक कार्यशाला आयोजित की गई। विभिन्न संस्थानों में वर्तमान उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम को जारी रखने तथा उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम योजना के क्षेत्र एवं कार्यकलाप का संशोधित तथा अद्यतन मानदण्डों के अनुसार विस्तार किए जाने की सिफारिश की। इसके साथ-साथ यह भी सिफारिश की गई कि इस योजना के अंतर्गत शुरू किए गए उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम; सम्बद्ध क्षेत्र में इनजीनियरी/प्रौद्योगिकी में प्रथम डिग्री के समकक्ष समझे जाएं।

7.33.3 आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा राज्य क्षेत्रीय परियोजना के अंतर्गत इस योजना के क्षेत्र तथा कार्यकलापों के विस्तार तथा संशोधित अद्यतन मानदण्डों से योजना के कार्यान्वयन का भी प्रस्ताव किया गया।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

7.34.0 अधिकांश सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में विज्ञान, शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र की सामग्री के आदान-प्रदान का प्रावधान है सतथा इसके साथ-साथ रोजगार के उद्देश्य से भारत तथा दूसरे देशों में प्रदान की जानी वाली डिग्री और डिप्लोमा में साम्यता लाने के लिए दोनों देशों की उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच शैक्षिक सम्बन्ध बनने के लिए शिष्टमण्डलों के पारस्परिक दौरे भी शामिल हैं।

तकनीकी शिक्षा के लिए कोलम्बो स्टाफ कालेज योजना

7.35.1 तकनीकी-शिक्षा के लिए कोलम्बो स्टाफ कालेज योजना, मनीला का मुख्य लक्ष्य कोलम्बो योजना क्षेत्र में तकनीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है जिसे सदस्य देशों में सेवारत प्रशिक्षण एवं स्टाफ विकास कार्यक्रम में सक्रिय भाग लेने वाले तकनीकी शिक्षकों, शिक्षाकोविदों, प्रशिक्षकों तथा तकनीकी शिक्षा पद्धति के स्टाफ की जरूरतों को पूरा करके प्राप्त किया जा सकता है। कालेज के मुख्य कार्य हैं:—

1. व्यवसायिक तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करना;
2. तकनीकी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन सम्मेलन आयोजित करना;
3. विशेष पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने में सहायता करना;
4. अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना तथा उसका समन्वय करना।
5. प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास में सहायता करना;
6. तकनीकी शिक्षा के बारे में सूचना एकत्रित करना तथा उसका प्रसार करना।

7.35.2 उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए कोलम्बो स्टाफ कालेज योजना, मनीला ने कालेज आधारित पाठ्यक्रम, उपक्षेत्रीय कार्यशालाएं और स्वदेशी पाठ्यक्रम जैसे कई कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। भारत सरकार सी पी एस सी के कार्य-कलापों में सहायता करती है तथा इसके कार्यकलापों में भाग लेने के लिए निकाय सदस्य तकनीकी शिक्षा प्रशासकों को प्रायोजित करती है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान:

7.36.1 उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान 1985 में इटानगर (अरूणाचल प्रदेश) में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के लिए विज्ञान धाराओं के साथ-साथ इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति पैदा करने के लिए स्थापित किया गया था। जहां शिक्षा विभाग उ॰पू॰क्षे॰वि॰प्रौ॰ संस्थान को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन दे रहा है वहीं इसे उत्तर पूर्वी परिषद् के माध्यम से वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। उ॰पू॰क्षे॰वि॰प्रौ॰ संस्थान की प्रौद्योगिकी तथा प्रायोगिक विज्ञान के क्षेत्र में दो वर्ष की अवधि वाले प्रमाण-पत्र डिप्लोमा, डिग्री के लिए माड्यूलर कार्यक्रमों की श्रृंखला के लिए एक अकेले संस्थान के रूप में माना जाता है। संस्थान ने अगस्त, 1986 में अपना शैक्षिक कार्यक्रम प्रारम्भ किया जिसमें प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को दाखिला दिया गया। डिप्लोमा तथा डिग्री पाठ्यक्रमों के दाखिले क्रमशः 1988 और 1990 में किए गए। इस संस्थान में निम्न पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं:—

प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम

1. निर्माण प्रौद्योगिकी
2. अनुरक्षण इंजीनियरी (इलैक्ट्रिक एवं इलैक्ट्रोनिक्स)
3. अनुरक्षण इंजीनियरी (यान्त्रिक)
4. वन विद्या
5. भूमि संरक्षण।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम:

1. कृषि इंजीनियरी
2. सिविल इंजीनियरी
3. कम्प्यूटर विज्ञान
4. इलैक्ट्रानिक एवं इलैक्ट्रिकल संचार इंजीनियरी
5. इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी
6. यांत्रिक इंजीनियरी

डिग्री पाठ्यक्रम:

1. कृषि इंजीनियरी
2. सिविल इंजीनियरी
3. कम्प्यूटर विज्ञान
4. इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी
5. इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी
6. यांत्रिक इंजीनियरी

7. वन-विद्या

7.36.2 1990-91 से उ०पूर्वी क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को तीन वर्ष के लिए उत्तर पूर्वी हिल यूनीवर्सिटी से अस्थायी तौर पर सम्बद्ध किया गया है।

४. प्रौढ़ शिक्षा

8. प्रौढ़ शिक्षा

8.1.1 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जो वर्ष 1995 तक 15-35 आयु वर्ग में 80,00 मिलियन निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से मई, 1988 में आरंभ किया गया था, अपने संचालन के चौथे वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस मिशन ने कई बार इस बात की पुष्टि की है कि निरक्षरता का उन्मूलन एक अव्यवहार्य संकल्प नहीं है बल्कि यह संभव, व्यवहार्य है और इसे प्राप्त किया जा सकता है। पहला सकारात्मक संकेत, भारत के महा-पंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा जारी किए गए वर्ष 1991 की जनगणना के अनन्तिम आंकड़ों से मिला। पहली बार, देश ने 50 प्रतिशत की सीमा को पार करते हुए साक्षरता दर के साथ, निरक्षरों की अपेक्षा साक्षर व्यक्तियों की बड़ी संख्या की विशिष्टता को प्राप्त किया है।

8.1.2 एक और महत्वपूर्ण विकास देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अनेक क्रमिक वैकल्पिक मांडलों के परीक्षण के बाद, हमने एक मांडल को अंतिम रूप से निर्धारित किया है जिससे हमें काफी आशा मिली है और विश्ववास प्राप्त हुआ है कि निरक्षरता पर नियोजित और समन्वित प्रयासों तथा समाज के सभी वर्गी के लोगों के संघटन के समयबद्ध रूप में काबू पाया जा सकता है। अधिकांशतः सभी राज्यों ने इसे एक व्यवहार्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लिया है और इसकी अनुप्रयोगिता को देश के विभिन्न भागों में प्राप्त की गई सफलता (यद्यपि एक विविध मानदंड के) तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रदान की गई मान्यता से भी आंका जा सकता है। एर्नाकुलम जिले में अभियान संपर्क के जरिए प्राप्त की गई प्रारंभिक सफलता के बाद, पश्चिम बंगाल में बर्द्धवान जिले, संघ शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी, महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग और कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले को पूर्ण रूप से साक्षर घोषित कर दिया गया है।

वर्ष 1991 को जनगणना की प्रभावशाली विशेषताएं:—

8.2.1 देश के साक्षरता आंकड़े भारत के महा पंजीकृत द्वारा संचालित दशवर्षीय जनगणना कार्यक्रमों पर आधारित हैं। 1991 जनगणना जो वर्ष के पहले भाग में हुई थी के अनन्तिम आंकड़े यह दर्शाते हैं कि देश में 7 वर्ष की आयु और इससे ऊपर की जनसंख्या के लिए साक्षरता दर जो 1981 में 43.56 प्रतिशत थी वह 1991 में बढ़कर 52.11 प्रतिशत हो गई है और 8.55 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि पंजीकृत (रजिस्टर) हुई हैं। जबकि पुरुष साक्षरता दर 56.37 प्रतिशत से 63.86 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं और महिला साक्षरता दर 29.75 प्रतिशत से 39.42 प्रतिशत से बढ़ गई।

8.2.2 उपर्युक्त आंकड़ों से निम्नलिखित प्रभावशाली विशेषताएं निसृत हुई हैं:

— 1981 और 1991 के बीच साक्षरता की विकास दर 8.55 प्रतिशत हैं जो 1971—81 के बीच साक्षरता की विकास दर के साक्ष्य समझी जा सकती है और यह 6.97 प्रतिशत थी।

— दशक के दौरान महिला साक्षरता (9.67%) के विकास की दर पुरुष साक्षरता (7.49%) से अधिक है।

— 1991 में साक्षरो (7 वर्ष की आयु और इससे ऊपर) की संख्या जो 352.00 मिलियन थी वर्ष 1981 में 234.00 मिलियन में साक्षरों की संख्या से बहुत तुलनीय है।

— 1991 में निरक्षरों (7 वर्ष और इससे ऊपर) की संख्या 324 मिलियन के क्रम में है जो 1981 में 302 मिलियन से आंशिक वृद्धि है।

— 1991 में साक्षरों की संख्या में वृद्धि 118 मिलियन हुई जबकि निरक्षरों की संख्या में अनुरूप वृद्धि मात्र 22 मिलियन थी।

— मिजोरम (81.23%), लक्षद्वीप (79.23%) और चंडीगढ़ (78.73%) के अनुसरण में केवल की साक्षरता दर (90.59%) में सबसे ऊपर हैं।

इस सीटी के अंत में बिहार (38.54%) राजस्थान (38.81%) और दादरा और नागर हवेली (39.45%) है।

— महिला साक्षरता दरों में वृद्धि राज्यों/संघशासित क्षेत्र सिक्किम (19.88%)

लक्षद्वीप (15.56%) नागालैण्ड (15.44%) दमन और दीव (14.37%) हरियाणा (14.05%) मणिपुर (14.03%) अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह (13.07%) पाण्डिचेरी (12.76%) त्रिपुरा (12.00) और केरल (11.28%) में बहुत सार्थक रही है।

— 22 राज्यों/संघशासित प्रदेशों में साक्षरता दर अखिल भारतीय साक्षरता दर 52.11 प्रतिशत से अधिक है परन्तु बिहार, राजस्थान, अरूणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा के आठ राज्यों और संघशासित प्रदेश दादरा तथा नागर हवेली में महत्वपूर्ण साक्षरता दर अभी भी 50% से कम है। मेघालय को छोड़कर ये सभी राज्य/संघशासित प्रदेश महिला साक्षरता के मामले में अखिल भारतीय स्तर से भी नीचे है।

8.2.3 वर्ष 1981 और 1991 के लिए 7 आयु वर्ष और इससे ऊपर की जनसंख्या की राज्यवार साक्षरता दर दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण-4 में दिया गया है।

समर साक्षरता अभियान

8.3.1 समग्र साक्षरता के अभियानों में इसकी शुरूआत पर प्रमुख बल दिया गया है। इसमें प्रमुख कार्य नीति का भी गठन किया गया है। एरनाकुलम और केरल में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने में हुई सफलता से इन अभियानों में कुछ ऐसी विशिष्ट बातें उजागर हुई है जो इन अभियानों को बेजोड़ बनाते हैं और ये अन्य कार्यक्रमों से भिन्न है। ये अभियान क्षेत्र-विशिष्टि, समयबद्ध स्वयं सेवा पर आधारित, लागत प्रभावी और उत्पादनोन्मुख है। ये अभियान आम तौर पर जिला साक्षरता समितियों द्वारा ही चलाये जाते हैं, जो जिला समाहतो मुख्य सचिव/परिषद की उपलब्धता

में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। वर्षा के दौरान नये दृष्टिकोणों में कुछ विशिष्ट लक्ष्यों का अवलोकन किया गया है। वे लाभ निम्नलिखित हैं:—

— समग्र साक्षरता अभियान मांग तथा आपूर्ति दोनों की मांगों को पूरा करते हैं। दूसरे शब्दों में लोगों की आपूर्ति तंत्र की व्यवस्था करने से पूर्व ही सक्षारात्मक मांग उत्पन्न हो जाती है।

— समग्र साक्षरता अभियानों में गुणात्मक संस्कृति की झलक मिलती है। यह जन-अभियान के रूप में कार्यान्वित की जाती है जहां कहीं भी कोई भी व्यक्ति इसे अपना सकता है, योगदान कर सकता है और इसमें भाग ले सकता है। यह एक गर्व की बात है और यह गांव के लोगों, मंडलों पंचायत अथवा तालुक अथवा यहां तक जिलों को भी अपना समय, शक्ति का योगदान करने में आकर्षित करते हैं और इन अभियानों के संसाधन पूरी तरह से स्वयं-सेवी आधार पर निर्भर करते हैं जिसमें किसी प्रकार के पुरस्कार, अभिलेख अथवा प्रोत्साहन की संभावना नहीं है।

— यद्यपि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का वास्तविक तात्पर्य कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है फिर भी यह एक सार्वभौमिक नामांकन तथा कभी-कभी बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने, टीकाकरण, पर्यावरण संबंधी वार्तालाप, छोटे परिवार के मानदण्डों का प्रचार-प्रसार, मातृत्व संक्षरण और शिशु देखरेख, महिला समानता और शक्ति प्रदत्त और शांति एवं साम्प्रदायिक सद्भावना आदि जैसा अभियान भी बन सकता है

— प्रत्येक सम्पूर्ण साक्षरता अभियान जिला, तालुक/खण्ड, मण्डल, पंचायत और गांव स्तर पर जन-उन्मुख सुविचारित प्रबंध ढांचा है। यह प्रबंध समितियां अधिकांशतः गैर सरकारी अधिकारियों द्वारा बनायी जाती है और यह अफसर-शाही विहीन तथा सहभागिता के रूप में कार्य करती है जिससे निचले स्तर पर लोगों की भागेदारी को सुकर बनाया जा सकता है।

— जिला समार्हता, जो अब से पहले आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी० आर० एफ० एल० जी० पी०, ये० आर० वाई० आदि जैसे वित्तपोषित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने की समस्याओं में पहले से व्यस्त रहते थे, अब नेतृत्व प्रदान करने में प्रेरणा तथा दिशा-निर्देश और इन अभिभावकों के लिए संगठनात्मक सहायता प्रदान करने में सबसे आगे रहते है और साक्षरता के उपकरण के माध्यम से अब वे सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण एजेन्ट बन गए हैं।

— राज्य सरकारों के सक्रिय योगदान को न केवल जिला समार्हताओं के व्यक्तिगत रूप में भाग लेकर सुनिश्चित किया जाता है बल्कि इन अभियानों को नेतृत्व प्रदान कर अन्य विभागों और अधिकारियों को इसके लिए नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो इनमें भाग लेते है और वे इन अभियानों के लिए 2:1 के अनुपात में केन्द्र तथा राज्यों में इनकी लागत तथा अंश प्रदान करते हैं।

— पू० स० अ० का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है साक्षरता के अभियान में कुछ पूर्व निर्धारित स्तरों को प्राप्त करने में इसका अत्यधिक समर्थन। इसका अर्थ यह है कि प्रयोग की शिक्षण/अध्ययन सामग्रियों को सुनिश्चित करने के लिए जांच कर ली गई है कि वे निश्चित न्यूनतम और पूर्व निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप है। नये दृष्टिकोण में प्रत्येक पाठक द्वारा साक्षरता के कुछ कम से कम स्तरों और अंक गणना को प्राप्त करने पर बल देता है ताकि ये परिवार, सोसाइटी और देश के विकास में उसके प्रभावी योगदान के लिए प्रारम्भिक मुद्दा बन सके।

8.3.2 पूर्ण साक्षरता अभियान जो केरल राज्य संघशासित प्रदेश पाण्डिचेरी, और दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक) बर्दवान (पश्चिम बंगाल) सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र) में पहले से ही सफलतापूर्वक समाप्त किया गया है, इस समय देश के 97 जिलों (क्षेत्रों) में या तो पूर्ण रूप (55) या आंशिक रूप से (42) चल रहा है। इस परियोजना के पूर्ण ब्यौरे इस अध्याय के अंत में विवरण में दिए गए हैं। राज्य सरकारें, पू० स० अ० के माध्यम से अधिक से अधिक जिलों को शामिल करने के लिए बहुत अधिक प्राथमिकता दे रही है। आशा हैं कि वर्ष के अंत में कुल साक्षरता अभियान 25 अतिरिक्त जिलों में पहले से ही प्रारंभ किया जा चुका है।

8.3.3 रिपोर्टों से भी पता चलता हैं कि जहां पर्याप्त पर्यावरण निर्माण में स्थान लिया है वहां समाज के तकरीबन सभी वर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसका प्रत्युत्तर महिलाओं, कमजोर वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों में अधिकतम रहा है। इस उत्साह और अध्ययन स्तरों, अध्यापन, अध्ययन कार्यकलाप और प्रशिक्षण के संदर्भ में उपलब्धियों में परिवर्तित किए जाने की सहभागिता को लगभग सभी अभियानों में लागू किया जा रहा है। अभी तक प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि एक पूर्ण साक्षरता अभियान के विशिष्ट लाभ के बावजूद, विभिन्न राज्यों और उनके बीच निष्पादन एक समान नहीं रहा है। निम्नलिखित बातों के कारण गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है:—

— वर्ष 1990-91 (अगस्त-नवम्बर, 90) के दौरान अशांत सामाजिक, राजनैतिक घटनाएं

— अनेक जिला समाहर्तों और प्रमुख जिला अधिकारियों का बीच में ही स्थानान्तरण,

— लोक सभा और राज्य सभा के चुनाव (जिन्होंने जिला प्रशासन के पूर्ण पूर्वाधिकार की मांग की (तथा बाड़, चक्रवात, वर्षा, भूचाल जैसी प्राकृतिक विपदाओं जिन्होंने सामान्य जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया और जिला प्रशासन का ध्यान पू० स० अ० से हटा दिया।

8.3.4 तथापि, इन कमियों के बावजूद वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी। इन अभियानों का सारांश निम्नलिखित है:—

वर्दवान पूर्ण साक्षरता अभियान

8.4.0 9-50 वर्ष की आयु वर्ग के 12.00 लाख व्यक्तियों को पूर्ण साक्षर बनाने का एक अभियान, सितम्बर, 1990 में प्रारम्भ किया गया था। इस अभियान के अंत में शिक्षाविदों, सामाजिक वैज्ञानिकों, प्रौढ़ शिक्षकों और प्रबंध विशेषज्ञों के दल ने एक निष्पक्ष मूल्यांकन संचालित किया गया था। यह अवलोकित किया गया था कि पूर्ण साक्षरता अभियान के परिणामस्वरूप स्वरूप 9,86,829 व्यक्ति साक्षर बनायेगए थे जो प्राप्त साक्षरता दर का 82.22% है। पू० स० अ०, वर्दवान अपने कुशल प्रबंध सूचना जिसमें अध्ययन की प्रगति का अनुश्रवण वैज्ञानिक रूप से किया जा सकता है, प्रबंध संरचना ऐसी थी कि सोसाइटी के सभी वर्गों के लोग भाग ले सकते है और विभिन्न स्तरों जिला प्रशासन और स्थानीय स्वशासित

14 नवम्बर, 1991 को तीन मूर्ति भवन में "नए भारत के लिए मूल्य" नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन

निकायों के बीच अच्छा समन्वय होने के कारण प्रतिष्ठित था। उप-राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री एवं पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में वर्दवान में आयोजित प्रभावशाली समारोह में 24 अगस्त 1991 को जिला पूर्ण साक्षर की घोषणा की। वर्दवान के पूर्ण साक्षरता अभियान के सफलतापूर्वक प्रयोग, जिसमें उत्तर-साक्षरता चरण को शामिल किया गया है, ने जिला के सामाजिक प्रकृति में कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों को उभारने की अनुमति प्रदान की।

जबकि सामाजिक विज्ञान तथा अनुसंधान के किसी भी संस्थान द्वारा इस अभियान के प्रभाव के संबंध में कोई अनुसंधान आयोजित नहीं किया गया। एक चार सदस्यीय गैर सरकारी दल ने (जिसमें एक स्वतंत्र पत्रकारी भी शामिल है। (अपनी रिपोर्ट में यह देखा कि इस अभियान से प्राथमिक स्कूलों में छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है और इसमें टीकाकरण अभियान के प्रति उच्च विशिष्ट प्रक्रिया हुई है। साम्प्रदायिक सद्भवना को प्रोत्साहन मिला है, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है तथा सामाजिक और शैक्षिक परिवर्तन के एक विश्लेषक एजेंट के रूप में गांव शिक्षा समुदायों का प्रार्दुभाव हुआ है, तथा विभागों और साक्षरता संबंधी क्रियाकलापों में बेहतर आंतरिक संबंध स्थापित हुए है।

पाण्डिचेरी समग्र साक्षरता अभियान

(पुदवाई अरिवेली इयाक्कम)

8.5.0 इस अभियान में यह परिकल्पना की गयी हैं कि 12000 व्यक्तियों की एक स्वयं-सेवी कोर के माध्यम से 15-45 आयुवर्ग में लगभग एक लाख व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। कुल साक्षरता अभियान जो संहिता पर आधारित था, चलाए गए आपरेशन अरिवेली से निम्नलिखित परिमात्रात्मक और गुणात्मक तत्व प्राप्त हुएः—

— इस अभियान में 15-40 आयु वर्ग के लगभग 90000 अनपढ़ व्यक्तियों को शामिल किया गया और लगभग 70,000 व्यक्तियों को साक्षर बनाया जिससे 89.04 प्रतिशत साक्षरता दर की उपलब्धि हुई।

— साक्षरता के लिए एक व्यापक प्रचार अभियान चलाया गया था जिससे साक्षरता के लिए एक शानदार जागृति और प्रेरणा उत्पन्न हुई है।

— संघ क्षेत्र के सभी गांवों में साक्षरता कार्य के लिए सहभागिता समितियां स्थापित की गई थीं, जिनका कार्य संयोजक के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का पता लगाना और एक सुयोजित नेट कार्य के एक मात्र के रूप में स्वैच्छिक आयोजकों के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित तथा प्रेरित करना था।

— लगभग 12,000 स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को अनुदेशकों, सांस्कृतिक दलों के सदस्यों, सहभागिताओं, सांस्कृतिक दलों के आयोजकों, इत्यादि के रूप में स्वैचिछक आधार पर कार्य करने के लिए, अपनी सेवाओं का योगदान देने के लिए जुटाया गया था।

सिंधु दुर्ग में सम्पूर्ण साक्षरता

8.6.1 सिंधु दुर्ग में सम्पूर्ण साक्षरता के लिए कार्यक्रम 1 दिसम्बर, 1990 को शुरू किया गया था। एक सर्वेक्षण अक्तूबर, 1990 में किया गया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार 27,830 अध्येता 15-35 आयुवर्ग के थे तथा 23746 अध्येता 36-60 आयु वर्ग के थे। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित का पता चला हैः

— 76.2 प्रतिशत अध्येता 36-60 आयुवर्ग के थे जिन्होंने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मानदण्ड प्राप्त किया है।

— 85 प्रतिशत अध्येता 15-35 आयुवर्ग के हैं जिन्होंने 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मानदण्ड प्राप्त किया है। दोनों वर्गों को मिलाने से साक्षरता की उपलब्धता 82.5 प्रतिशत बनती है।

8.6.2 अभियान की शक्ति विभिन्न एजेंसियों के समन्वय पर निर्भर करती है अर्थात् सरकारी विभाग, शैक्षिक संस्थाएं, रूचि रखने वाले अलग-अलग व्यक्ति, स्वैच्छिक संगठन, संचार साधन इत्यादि। इससे जिला, खण्ड तथा ग्राम स्तर पर समुचित समितियां बनाई गई है और इससे सूचना का प्रवाह सुगम बन पाया है। यह जिला पूर्ण रूप से शिक्षित घोषित किया गया था। इसकी घोषणा मानव संसाधन विकास मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री तथा महाराष्ट्र के अन्य वरिष्ठ मंत्रियों की उपस्थिति में एक सार्वजनिक समारोह में 29 दिसम्बर, 1991 को की थी।

दक्षिण कन्नड में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान

8.7.1 दक्षिण कन्नड में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान 2 अक्तूबर, 1990 में शुरू किया गया था जिसमें 2.44 लाख व्यक्ति 9-35 आयुवर्ग के शामिल किए गए थे जिसमें अक्तूबर, 1990 से जून 1991 तक 30,000 स्वैच्छिक कार्यकताओं को शामिल किया गया था। अधिकांश स्वैच्छिक कार्यकर्ता स्कूली बच्चे थे, जिन्हें अभियान शुरू किए जाने से पूर्व प्रोत्साहन अनुस्थापन और प्रशिक्षण दिया गया था। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को, सभी स्तरों पर जन समितियां और उप परियोजनाओं के माध्यम से सुगठित तथा बहुत ही सावधानी पूर्वक सुयोजित किया गया था। जिला परिषद् ने निर्धारण द्वारा इस कार्य में बहुत रूचि ली और उन्होंने सभी विकास कार्यक्रमों में नवसाक्षरों को प्राथमिकता दी। एस सिवाराम करांट जैसे प्रख्यात कलाकारों ने गीत व्यंग रचनाओं और नव साक्षरों के लिए शीर्षक तैयार करके अत्यन्त सार्थक सहायता की।

8.7.2 इस जिले को 28 दिसम्बर 1991 को आयोजित एक समारोह में पूर्ण शिक्षित घोषित किया गया था।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र

8.8.1 सम्पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किए जाने के अतिरिक्त राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्य प्रतिबल क्षेत्र हैं: अध्ययन की विकसित गति और विषयवस्तु, सभी साक्षरता कार्यक्रमों में क्षेत्र दृष्टिकोण को अपनाना और लगातार ऐसा वातावरण पैदा करना जो साक्षरता के अनुकूल हो।

(क) **अध्ययन की विकसित गति और विषयवस्तु**

8.8.2 साक्षरता अध्ययन के तीन महत्वपूर्ण पहलु हैं:

— कार्यक्रम की अवधि

— कार्यक्रम की विषयवस्तु

— स्पष्ट परिणाम

8.8.3 यदि कार्यक्रम की अवधि छोटी है और यदि अध्येता अध्ययन की गति और प्रगति को बनाए रखते हैं तो इससे उनकी प्रेरणा बढ़ेगी और इससे शीघ्र और बेहतर अध्ययन में सहायता मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रेरणा-संकेंद्रित तकनीकी अर्थात "अध्ययन की विकसित गति और विषयवस्तु" तैयार की गई थी। नई तकनीक में तीन समेकित प्राइमर हैं, प्रत्येक प्राइमर में बुनियादी साक्षरता और अंकों के अध्याय दिए गए हैं। इसके अलावा कापियां, अभ्यास पुस्तिकाएं, अध्ययन परिणामों के मूल्यांकन ब्यौरे इत्यादि शामिल हैं। प्रत्येक प्राइमर अन्य प्राइमर से अधिक विकसित हैं। राज्य अनुसंधान केंद्र जो इस कार्यक्रम में शैक्षिक तथा तकनीकी संसाधन उपलब्ध करते है उन्हें इस नई विचारधारा के अनुसार अनुस्थापित किया गया है और वे सभी बहु-ग्रेड तथा समेकित प्राइमरों के साथ तैयार हैं। अब इन प्राइमरों का सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में भारी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि अध्ययन की विकसित गति और विषय वस्तु तकनीक के अंतर्गत तैयार की गई सामग्री राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत निर्धारित अध्ययन के स्तरों के अनुकूल हो, इस सामग्री की जांच की जाती है। और इसका इस क्षेत्र में उपयोग किए जाने से पूर्व आई पी सी एल पुनरीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित की जाती है।

(ख) दृष्टिकोण क्षेत्र

8.8.4 प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अपनाया गया दृष्टिकोण अपूर्ण और खंडित हो गया था। कार्यकर्ता अनेक परियोजनाओं, केंद्रों और अध्येताओं को दाखिल करने के कार्य में लगे रहे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का नया दृष्टिकोण "क्षेत्र दृष्टिकोण" निम्नलिखित के साथ हैं:

— संचालन के सघन और निकट क्षेत्र

— साक्षरता और अंकों के पूर्वनिर्धारित मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबल और न कि केवल दाखिले की संख्या पर,

— विशेष-चयन पद्धतियों द्वारा अच्छे विश्वसनीय और समर्पित कार्यकर्ताओं का चयन करना,

— सहभागिता और संचार तकनीकी द्वारा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण

— सम्पूर्ण प्रक्रिया में मुख्य बल अध्येताओं पर दिया जाएगा।

— अध्ययन के परिणामों को सतत गिना जाएगा। और यह औपचारिक सहभागिता, बिना किसी डर धमकी और सुधारात्मक होगी।

— सूचना में विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जांच पड़ताल की पद्धति द्वारा समर्थित सभी स्तरों पर अनुश्रवण के लिए एक निकटतम पद्धति शुरू करना।

8.8.5 क्षेत्र दृष्टिकोण की विचारधारा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में शामिल की गई है तथा आर एफ एल पी और स्वैच्छिक एजेंसियों के केंद्र आधारित कार्यक्रमों में शामिल की गई है।

(ग) वातावरण का निर्माण

8.8.6 भारत ज्ञान-विज्ञान जत्था के सफलतापूर्वक पूरा होने से साक्षरता के लिए सकारात्मक मांग उत्पन्न करने में सहायता मिली है। साक्षरता को अब एक बुनियादी जरूरत के रूप में समझा जा रहा है (जैसे पीने का पानी तथा प्रतिरक्षण) और मानव संसाधन विकास के लिए एक प्रमुख इकाई के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इसका सामाजिक आंदोलन के रूप में लाभ उठाने के लिए जिसमें इसका स्थान बन रहा है, भारत ज्ञान-विज्ञान समिति ने एक राष्ट्रीय स्तर आयोजन समिति गठित की है जिसकी एक आम सभा है और एक कार्यकारी समिति जो कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की आयोजना, और दिन प्रति दिन के आधार पर कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण तथा कार्यान्वयन, जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में रूकावटें और कमियों को मालूम करने, और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए समय पर उपचारात्मक उपाय करने में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सहायता करता है। यह उन क्षेत्रों और जिलों का पता लगाने में भी सहायता करता है जहां सम्पूर्ण साक्षरता अभियान चलाने के लिए सही समय व स्थिति है। यह प्रशिक्षण, उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा तथा एम आई एस पर कार्यशालाएं आयोजित करता है। यह साफ्टवेयर तैयार करने में (व्याख्यान नाट्स, कैसेट्स, स्लाइड्स, सूचा पुस्तिका, मार्गनिर्देशन पुस्तक, प्रशिक्षण-व-अनुदेश पुस्तक, प्रचार पुस्तिका इत्यादि) और उसके वितरण कार्य में सहायता करता है।

8.8.7 इसी तरह गांधीवादी तथा सर्वोदय के कार्यकर्ताओं के पैदल जत्थे ने 1990 में 5 राज्यों का दौरा किया जिससे लगभग 10 लाख स्वैच्छा कर्मियों को इसमें भाग लेने की प्रेरणा मिली है।

केंद्र आधारित कार्यक्रम का पुनर्गठन

8.9.1 आर एफ एल पी के केन्द्र आधारित कार्यक्रम का पुनरीक्षण किया गया है तथा इसका संशोधन किया गया है और सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे नई योजना के अनुसार अपनी परियोजनाओं को पुनर्गठित करें। परियोजना निर्माण और इसकी कार्यान्वयन नीति पर विस्तृत मार्गदर्शी रूप रेखाएं जारी की गई हैं। संशोधित योजना के निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलु हैं:

(i) क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के लिए सूक्ष्म आयोजनः निरक्षरों की कुल संख्या का पता लगाने तथा जानने के लिए बड़ी सावधानीपूर्वक घर घर का सर्वेक्षण आयोजित करना अपेक्षित है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना के लिए संभाव्य स्थान, तकनीकी अध्ययन सामग्री की जरूरत, पर्यवेक्ष के लिए एक पद्धति तैयार करना, मानिटरिंग समन्वय, मूल्यांकन और उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा/इस परियोजना के लिए चुना गया क्षेत्र एक गांव अथवा गांवों का समूह, एक मण्डल, पंचायत, एक पंचायत समिति, एक तालुका या एक जिला हो सकता है। शर्त यह है कि इस प्रकार से किये गये सूक्ष्म आयोजन का लक्ष्य, दी गई समय अवधि, जो एक या दो वर्ष हो सकती है, उसमें सम्पूर्ण निरक्षरता उन्मूलन हो जाना चाहिए।

(ii) वातावरण निर्माण:

वातावरण निर्माण कार्यकलापों में वास्तविक अनुदेशात्मक कार्य होना चाहिए जिसका उद्देश्य जन विचार को गतिशील बनाना, साक्षरता के लिए मांग उत्पन्न करना स्वेच्छा कर्मियों और अध्येताओं को गतिशील बनाना है। इस प्रयोजन के लिए सभी किस्म के माध्यमों और कलाओं का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि संदेश का व्यापक प्रचार हो और इस प्रयोजन के

लिए ग्राम अभियान समितियां बनाई जानी चाहिएं।

(iii) **प्रबंध ढांचा:** पुनर्गठित परियोजनाएं छोटी होंगी, ठोस और सघन होंगी और प्रत्येक में 100 केंद्र होंगे और इसका प्रभारी परियोजना समन्वयक होगा। एक वर्ष में प्रत्येक परियोजना दो बार चलाई जाएगी। स्टाफ अर्थात् अनुदेशकों
और प्रेरकों को उनके अनुभव और उनके रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए समुचित ढंग से चुना जाएगा। उन्हें सेवा कालीन और पूर्व सेवा प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक परियोजना सलाहकार समिति इसके दैनिक कार्यों के प्रबन्ध में सहायता करेगी।

(iv) मानीटरिंग और मूल्यांकन: कारगर मानीटरिंग के लिए एक उपयुक्त एम आई एस तैयार किया गया है। मूल्यांकन प्रक्रिया जो आंतरिक है अध्ययन परिणामों करने के प्रयोजन से है और बाहरी एजेंसियों द्वारा सघन मूल्यांकन कार्यक्रम के प्रबंध स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए है।

8.9.2 नई परियोजना की इन विशेषताओं के अतिरिक्त, महिलाओं की सहभागिता और विकास विभागों, कार्यकर्ताओं और कार्यक्रमों के साथ सम्पर्क स्थापित करने पर, प्राथमिकता दी गई है।

8.9.3 संशोधित योजना अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा स्वीकार की गई है और बहुत सी राज्य सरकारों ने अपनी परियोजनाओं को पुनर्गठित करना शुरू कर दिया है और संशोधित पद्धति पर अपने प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिया है।

स्वैच्छिक एजेंसियां

8.10,1 स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की केन्द्रीय योजना 1987-88 में शुरु की गई थी। यह योजना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत शुरु की गई थी और एन एल एम ए की कार्यकारी समिति द्वारा स्थापित स्वैच्छिक एजेंसियों के उप-वर्ग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए संशोधित की गई थी ताकि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत परिकल्पित नीतियों को कारगर तथा प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। राज्य सरकार /संघशासित क्षेत्र प्रशासनों और राज्य संसाधन केन्द्रों को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिन्हें योजना को संचालित करने के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है।

8.10.2 अब कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रमुख नीति किसी विशिष्ट क्षेत्र में स्वयंसेवी आधारित संपूर्ण साक्षरता अभियान होगी। यह भी निर्णय किया गया है कि भविष्य में परम्परागत केन्द्र आधारित कार्यक्रम की स्वतः ही कोई समयावधि नहीं बढाई जाएगी। इसके बजाय, उन स्वैच्छिक एजेंसियों को, जिनका समाज सेवाओं में सामान्य रूप से और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से अनुभव का अच्छा रिकार्ड है और जो निरक्षरता-उन्मूलन की क्षेत्र-विशिष्ट समयवद्ध,स्वयंसेवी आधारित लागत-प्रभावी, तथा परिणामोन्मुख योजना शुरु करने के इच्छुक है, अत्यधिक वरीयता दी जाएगी। इस नए परिप्रेक्ष्य और सोच के परिणामस्वरूप, अब स्वैच्छिक एजेंसियां अपनी क्षमता, अनुभव तथा विशेषज्ञता, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर और उस आधार पर, जो उन्होंने क्षेत्र में इन वर्षों के दौरान तैयार किया हैं, कुछेक गांवों, पंचायतों अथवा खण्ड या खण्ड के किसी भाग में, स्वयंसेवी आधारित दृष्टिकोण को अपनाकर संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार करेंगी। अनुदेशकों/स्वयंसेवियों को किसी भुगतान की कल्पना नहीं की गई हैं। संपूर्ण स्वैच्छिकता ही दृष्टिकोण में होनी चाहिए। तथापि, उन कार्मिकों को उचित भुगतान किया जा सकता है जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पूर्णकालिक रूप में संबद्ध होंगे। केवल उन मामलों में अनुदेशकों को मानदेयों प्रोत्साहनों पर विचार किया जाएगा जहां यह नितान्त आवश्यक और पूरी तरह औचित्यपूर्ण होगा।

8.10.3 मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 12 अक्तूबर, 1991 को राज्यों संघशासित क्षेत्रो में शिक्षा सचिवों तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशकों की एक बैठक के समक्ष संशोधित दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत की गई थीं। तत्पश्चात 15-11-1991 को आयोजित एक अन्य बैठक में परियोजना निर्धारण को सुकर बनाने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों के एक चयनित वर्ग के समक्ष मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत की गई थी। संशोधित दिशा निर्देशों के बारे में स्वैच्छिक एजेंसियों को जानकारी देने के लिए बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उडीसा महाराष्ट्र, चण्डीगढ, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में राज्य संसाधन केन्द्रों ने 15 कार्यशालाएं आयोजित की हैं ताकि वे संशोधित दृष्टिकोण की संकल्पना को आन्तरिक बना सके और परियोजना का कार्यान्वयन संतोषजनक ढंग से कर सकें। अनुश्रवण पद्धति और प्रबंध सूचना पद्धति को विकसित किया गया है ताकि परियोजनाओं का निरीक्षण संगणक के माध्यम से किया जा सके।

8.10.4 अब तक 14 स्वैच्छिक एजेंसियों ने असम में 3, बिहार में 1, मध्य प्रदेश में 2 उडीसा में 3 और उत्तर प्रदेश में 5-2 वर्ष की अवधि के अंदर 14 खंडों को पूरी तरह से साक्षर बनाने के लिए संपूर्ण साक्षरता परियोजनाए शुरु की हैं। चालू वर्ष के दौरान पुरानी योजना के अंतर्गत सस्वीकृत प्रौढ शिक्षा केन्द्रों तथा जन शिक्षण निलायमों की जारी परियोजनाओं के लिए 311 स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान दिए गए हैं।

8.10.5 सर्वोदय तथा गांधीवादी पृष्ठभूमि वाली स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा अक्तूबर, 1990 के दौरान शुरू किए गए अक्षर सेवा अभियान के क्रम में 4, राज्य स्तर की कार्य शालाएं और 60 जिला स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं ताकि उन्हें विशिष्ट सघन और संबद्ध क्षेत्र में संपूर्ण साक्षरता की परियोजनाओं के संशोधित दिशा-निर्देशों तथा उनके निर्धारण से परिचित कराया जा सके। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रस्ताव पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं और दिसम्बर, 1991 में जी° आई° ए° समिति द्वारा 14 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

8.10.6 साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में दिल्ली में छात्रों की सहभागिता के लिए पटेल शिक्षा सोसायटी, नई दिल्ली से संस्वीकृत एक केन्द्रीय कक्ष ने वर्षभर अपने कार्यकलाप जारी रखे।

छात्र सहभागिता

8.11.1 वर्ष के दौरान, साक्षरता कार्यकलापों में भाग लेने वाले स्कूलों तथा कालेजों/विश्वविद्यालयों के छात्रों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। विश्वविद्यौलयों/कालेजों के एन एस एस के लगभग 4.00 लाख छात्रों के अतिरिक्त, उड़ीसा में लगभग 4.00 लाख स्कूली छात्रों, राजस्थानों में लगभग 1.60 लाख स्कूली छात्रों ने साक्षरता की प्रोन्नति से संबंधित एक या अन्य कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लिया। देश के 69 जिलों में शुरु किए गए सभी संपूर्ण साक्षरता अभियानों में अधिकांश स्वयंसेवी भी छात्र थे।

8.11.2 आलोच्य वर्ष के दौरान इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति यह हुई कि शैक्षिक सत्र 1991-92 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने सभी

संबंधित स्कूलों के कक्षा IX और XI में "विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान" (साल्ड) प्रारंभ करने का निर्णय लिया जो 1992-93 के सत्र से कक्षा IX से XII तक सभी कक्षाओं पर लागू किया जाएगा। साक्षरता कार्य, जो पाठ्यचर्या में समाहित कार्य अनुभव के अंग के रूप में अब तक छात्रों द्वारा किया जाता था अब "साल्ड" द्वारा भी किया जाएगा। जबकि कार्य अनुभव पदोन्नति संबंधी गतिविधियों तक सीमित रहेगा, वास्तविक शिक्षण साल्ड द्वारा किया जाएगा। के०मा०शि०बो० ने प्रौढ़ों को शिक्षित बनाने की संख्या के आधार पर प्रत्येक छात्र के लिए प्रोत्साहन अंक देने की परम्परा भी शुरू की है। एक व्यक्ति को शिक्षित बनाने के लिए 5 अंक, दो व्यक्तियों को शिक्षित बनाने के लिए 8 अंक और तीन या इससे अधिक व्यक्तियों को शिक्षित बनाने के लिए 10 अंक प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे।

उत्तर साक्षरता और सतत् शिक्षा

8.12.1 नव-साक्षरों को पुनः निरक्षर बनने से रोकने तथा उनके बुनियादी साक्षरता स्तर पर प्राप्त कौशल को सुदृढ़ करने, बनाए रखने तथा नित्य प्रति के जीवन में प्रयोग करना सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एल०एल०एम०) में परिकल्पना की गई हैं कि जन शिक्षण निलयमों (जे०एस०एन०) की स्थापना करके उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा को संस्थागत रूप दिया जाए। परिणामस्वरूप, विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जाने के लिए 32318 जन शिक्षण निलयमों की संस्वीकृति दी गई है जिनमें 25000 पहले ही कार्य प्रारम्भ कर चुके हैं। 1991-92 के अंत तक कुछ और जन शिक्षण निलयमों द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिए जाने की आशा है।

8.12.2 साक्षरता प्रदान करने के परंपरागत केंद्र आधारित दृष्टिकोण के बजाय जन अभियान दृष्टिकोण की नीति अपनाए जाने पर यह महसूस किया गया कि केंद्र आधारित नव-साक्षरों की उत्तर-साक्षरता और सतत शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई रणनीति के रूप में जन शिक्षण निलयम, पूर्ण साक्षरता अभियानों में शामिल किए गए क्षेत्र / जिले में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। तद्नुसार, उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा नीतियों की समीक्षा करने और पूर्ण साक्षरता अभियानों के संदर्भ में कोई ढांचा सुझाने के लिए श्री सत्येन मैत्रा की अध्यक्षता में एक उप-दल गठित किया गया। इस दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि साक्षरता की श्रेणी में परिगणित होने वाले लोगों के स्तर में काफी भिन्नतायें हैं और इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि पूर्ण साक्षरता अभियानों के माध्यम से साक्षर बने लोगों के पुनः निरक्षरता की कोटि में आ जाने का खतरा बना रहता है।

8.12.3 इसलिए इस दल ने यह महसूस किया कि विभिन्न दलों के लिए शिक्षण नीतियां भिन्न-भिन्न होनी चाहिएं और एक ही प्रकार की शिक्षण नीति सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं होगी। इसलिए इसमें यह सिफारिश की गयी कि उत्तर-साक्षरता कार्यक्रम पुनर्मध्यस्थता, सातत्य और वास्तविक जीवन और कार्य स्थितियों के अनुकूल कौशलों के प्रयोग तक सीमित होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि (i) उत्तर-साक्षरता कार्यक्रम नव-साक्षरों की सभी श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए, (ii) मूल पठन-लेखन और पहले ही प्राप्त किए कम्प्यूटर संबंधी कौशल का प्रयोग करके यह व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक विकास से जोड़ा जाए, (iii) बुक-IV या पी०एल०-I प्रकार की पाठ्य साम्रगी प्रारंभ की जाए ताकि प्रारम्भिक साक्षरता और पर्याप्त कार्यात्मक साक्षरता के बीच की खाई पाटी जा सके और (IV) तक 30-40 घंटे का "सेतु" प्राइमर प्रारंभ किया जाए जिसके माध्यम से नव-साक्षरों को धीरे-धीरे प्रशिक्षकों / स्वयं सेवकों पर से निर्भरता खत्म करने शिक्षक की आत्म-निर्भर स्वायंत्त स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

टी०एल०सी० क्षेत्रों में उत्तर साक्षरता अभियान

8.13.1 जबकि उत्तर साक्षरता और सतत् शिक्षा के संबंध में दल द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है, उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के विभिन्न मॉडल विकसित किए जा रहे हैं और उन क्षेत्रों / जिलों में प्रयोग किए जा रहे हैं जहां पूर्ण साक्षरता अभियान पहले ही समाप्त हो चुके हैं। उदाहरण के लिए वर्दवान जिले में उत्तर साक्षरता अभियान ग्रामीण शिक्षा समिति के सम्पूर्ण मार्गदर्शन और निरीक्षण में पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर चलाया जा रहा है। जन शिक्षण निलयम द्वारा 5 से 8 गांवों के 5000 नव-साक्षरों की जरूरतों को पूरा किए जाने की बजाय प्रत्येक गांव में कम से कम एक सतत शिक्षा केंद्र की स्थापना के लक्ष्य के साथ विकेन्द्रीकरण पर बल दिया गया हैं। ग्रामीण शिक्षा समितियों (वी०ई०सी०) और शहरी शिक्षा समितियों (यू०ई०सी०) का गठन जिले में उत्तर साक्षरता अभियान का चरम बिन्दु है। ये समितियां शिक्षण केंद्रों को आधारभूत ढांचे से संबंधित सहायता देने और अंतरविभागीय संबंध स्थापित करने से संबंधित कार्यों की देखभाल करने में प्रभावी रही हैं। नव-साक्षरों के लिए एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जा रहा है और दैनिक जीवन में साक्षरता के उपयोग पर बंगला, हिन्दी और उर्दू में एक पुस्तक प्रकाशित की गयी है। नव-साक्षरों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करने, नव-साक्षरों और कार्यकताओं के लिए खेल — सह-सांस्कृतिक प्रतियोगियताए आयोजित करने, विकास संबंधी कार्यकलापों पर वीडियो-कैसेट दिखाने सभी महत्वपूर्ण मेलों और प्रदर्शनियों में साक्षरता-स्टॉल लगाने आदि जैसे वातावरण-निर्माण के कार्यकलाप निरन्तर आधार पर शुरू किए जा रहे हैं।

8.13.2 इसी प्रकार 9-35 आयु वर्ग के 3.00 लाख नव-साक्षरों और 1.00 लाख अर्द्ध-साक्षरों के लिए आंध्र प्रदेश के नैल्लौर जिले में उत्तर साक्षरता अभियान जन चैतन्य केंद्र (जे०सी०के०) के रूप में एक संस्था के माध्यम से चलाया जा रहा है। प्रत्येक जन चैतन्य केंद्र 40 शिक्षुओं की जरूरतों को पूरा करता है। जन चैतन्य केंद्र के नेतृत्व के लिए 3 कार्यकर्ताओं और 3 नव-साक्षरों की एक समिति होती हैं। यद्यपि जन चैतन्य केंद्रों के कार्यों के निरीक्षण और समन्वय के लिए ग्राम पंचायत स्तर और मंडल स्तर पर समितियां होंगी, जिला स्तर पर / उत्तर साक्षरता कार्यक्रम की आयोजना, कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिला साक्षरता समिति कार्य करती रहेगी। प्रत्येक जन चैतन्य केंद्र नव-साक्षरों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक पठन कक्ष, पुस्तकालय, सायंकालीन कक्षा और विचार मंच के रूप में कार्य करता है और कक्षा बीच में ही छोड़ देने वालों तथा कक्षा में नहीं आने वालों को शामिल करने के लिए 2 या 3 साक्षरता केंद्र चलाएगा। प्रत्येक जन चैतन्य केंद्र के नव-साक्षरों को कृषि, पशु पालन, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल, सामाजिक विधानों, साम्प्रदायिक एकता, राष्ट्रीय अखंडता आदि से संबंधित विषयों पर 50 पुस्तकों का एक सैट दिया जा रहा है। अपने दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए नव-साक्षरों की साप्ताहिक विचार गोष्ठी भी आयोजित की जाएगी।

8.13.3 अन्य क्षेत्रों / जिलों में जहां कुल साक्षरता अभियान पूरे हो चुके हैं वहां स्थानीय जरूरतों, नव-साक्षरों की आकांक्षाओं और रूचियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर साक्षरता अभियान शुरू किए जा चुके हैं / किए

जा रहे हैं और इन अभियानों के साथ-साथ उत्तर साक्षरता कार्यकलापों के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया जा रहा है ताकि कुछ समय के बाद समुदाय खुद निरंतर आधार पर कार्यक्रम अपनाएं।

श्रमिक विद्यापीठ (एस॰वी॰पी॰)

8.14.1 वर्ष 1991-92 में देश के विभिन्न औद्योगिक और शहरी केंद्रों में सैंतीस श्रमिक विद्यापीठ कार्य करते रहे। औद्योगिक कामगारों, उनके परिवार के सदस्यों, स्वरोजगार-प्राप्त सदस्यों और प्रत्याशित कामगारों आदि को गैर-औपचारिक, वयस्क और सतत शिक्षा तथा बहुसंयोजक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के रूप में ये संस्था के रूप में कार्य करते रहे हैं। उनमें से 1 श्रमिक विद्यापीठ दिल्ली में केंद्रीय सरकार द्वारा, 3 श्रमिक विद्यापीठ विश्वविद्यालयों द्वारा, 25 श्रमिक विद्यापीठ स्वायत्त निकायों द्वारा और शेष 8 श्रमिक विद्यापीठ राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

8.14.2 प्रत्येक श्रमिक विद्यापीठ के पास केन्द्रीय भूमिका के लिए वृत्तिक कर्मचारी होते हैं जो एक निदेशक, जिन्हें दो या तीन पूर्णकालिक कार्यक्रम अधिकारियों की सहायता प्राप्त होती है, के नियंत्रणाधीन होते है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक श्रमिक विद्यापीठ विभिन्न कुशलताएं प्रदान करने और अंशकालिक आधार पर विशिष्ट क्षेत्रों से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए संसाधन व्यक्तियों की सेवाएं भी लेता है। कार्यक्रम शुरू करने या पाठ्यक्रम शुरू करने के पहले सभी श्रमिक विद्यापीठों द्वारा सामाजिक आर्थिक रूपरेखाएं और कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तय की जाती है। ऐसी रूपरेखा लाभग्राहियों और संसाधनों की आवश्यक जनशक्ति की उचित समझ रखने में मदद देती है जो अपेक्षित लक्ष्य पाने के लिए बढ़ाई जा सकती है। श्रमिक विद्यापीठों द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों ने निरक्षर, अर्द्ध-साक्षर, कुशल, अर्द्ध-कुशल और अकुशल व्यक्तियों जैसे शहरी, अर्द्ध-शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में रह रहे समाज के सभी वर्गों के लोगों की मदद की हैं। ये कार्यक्रम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से विकलांगों और व्यथित महिलाओं जैसे समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी लाभप्रद रहे हैं।

8.14.3 श्रमिक विद्यापीठ की इस स्कीम की पुनरीक्षा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ दल द्वारा की गई है और श्रमिक विद्यापीठ के सुदृढ़ीकरण के लिए और कार्यक्रम की विषय-वस्तु के संवर्धन के लिए भी, विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट व्यय वित्त समिति के समक्ष रखी गई थी। तथापि, व्यय वित्त समिति वित्तीय बाध्यताओं के कारण श्रमिक विद्यापीठ की स्कीम को प्रस्तावित पुनरावलोकन नहीं मान सकी।

8.13.4 श्रमिक विद्यापीठों ने विजयवाड़ा और सिल्चर में स्वैच्छिक प्रयासों से क्रमशः 8900 और 8033 व्यक्तियों को साक्षर बनाया। श्रमिक विद्यापीठें स्वयं राउरकेला और जमशेदपुर में समग्र साक्षरता अभियानों के साथ अत्यन्त सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहीं। श्रमिक विद्यापीठ दिल्ली ने सीखने के न्यूनतम स्तर (एम॰एल॰एल॰) को प्राप्त करने की रणनीति अपनाते हुए दिल्ली की गंदी बस्तियों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में सीखने की गुणात्मकता सुधारने के
लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्लम विंग के सहयोग से दिल्ली और नई दिल्ली की कुछ चुनिन्दा गंदी बस्तियों में "गंदी बस्ती शिक्षा और प्रशिक्षण परियोजना" को कार्यान्वित किया। संबंद्ध श्रमिक विद्यापीठ और राष्ट्रीय खुला विद्यालय द्वारा संयुक्त प्रमाणीकरण के प्रावधान सहित निश्चित व्यवसायों में मानकीकृत कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लक्ष्य के साथ सतत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खुला विद्यालय के साथ संबंध सुदृढ़ किए गए।

प्रौद्योगिकी प्रदर्शन

8.15.1 कार्यक्रम की गति और गुणात्मकता में सुधार के लिए और शिक्षण / शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के परिणामों के प्रयोग के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी शिक्षा शास्त्रीय निवेशों का पता लगाने और उनमें सुधार के लिए कार्य जारी रहा। क्षेत्रीय अनुसंधान, प्रयोगशाला, जम्मू द्वारा विकसित संशोधित रूपरेखाएं देशभर के अनेक राज्य संसाधन केंद्रों द्वारा आजमाई जा रही हैं। केंद्रीय विद्युत अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, दिल्ली द्वारा चार्जेबल पॉवर पैक्स विकसित किए गए हैं और वे अनेक जिलों के जनशिक्षण निलयमों में प्राप्त किए जा रहे हैं। अनेक स्थानों पर 200 संशोधित सी॰ पी॰ पी॰ एस॰ पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। 200 अतिरिक्त सोलर पॉवर पैक्स अनेक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जिलों में और उन जिलों में भी स्थापित किए गए जहां चालू वर्ष के दौरान समग्र साक्षरता अभियान कार्यान्वित होने हैं। संशोधित स्लेटों और ब्लैक बोर्डों की डिजाइनिंग और निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास कार्य जारी हैं। सूक्ष्म कम्प्यूटर आधारित बहु प्रलेख प्रदर्शन प्रणाली, सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली, एल॰ ई॰ डी॰ प्रदर्शन प्रणाली और विद्युत कार्य सूचक प्रणाली विकसित की गई हैं और देश के अनेक राज्य संसाधन केंद्रों द्वारा आजमाई जा रही हैं।

8.15.2 1989-90 तक साक्षरता के लिए शिक्षण के प्रकाशन माध्यम को बढ़ावा देने के लिए वीडियो आधारित सूचना के प्रयोग हेतु अलीगढ़ (उ॰प्र॰) बीकानेर (राजस्थान), रांची (बिहार), और झाबुआ (मध्य प्रदेश) जिलों के चुनिन्दा 100 जन शिक्षण निलयमों में एक नवाचारी परियोजना "विवेक दर्पण" कार्यान्वित की जा रही हैं। भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली द्वारा इस परियोजना के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन अध्ययन का मूल निष्कर्ष यह है कि अनेक सीमाओं और अवरोधों (दबावों) के बावजूद परियोजना "विवेक दर्पण" प्रौढ़ साक्षरता और अन्य विकासात्मक मुद्दों के बारे में प्रयोगात्मक गांवों के ग्रामीणों में जागरूकता और रूचि बढ़ाने में प्रभावी रही। इसने स्वास्थ्य, स्वास्थ्य-विज्ञान, बालकों की देखभाल, प्रतिरक्षण, परिवार-कल्याण, व्यक्तिगत-सफाई, अंधविश्वासों, दहेज और बाल-विवाह के विरूद्ध चेतना जगाई हैं। इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के परामर्श से सूचना के उपकरण रूप में इसके कार्य की बजाय शिक्षा प्रदान करने के उपकरण के रूप में वीडियो आधारित तकनीक के प्रयोग की सम्भावना का पता लगाया जा रहा हैं। अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) और बीकानेर (राजस्थान) के 80 और गांवों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम के विस्तार का प्रस्ताव किया जाता है।

शैक्षिक एवं तकनीकी संसाधन सहयोगः

8.16.0 राज्य संसाधन केन्द्रों ने पूरे देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को शैक्षिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने का कार्य जारी रखा। सभी राज्य संसाधन केन्द्रों ने आई॰ पी॰ सी॰ एल॰ प्राइमर तैयार करने और संसाधन व्यक्तियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ पूर्ण साक्षरता अभियान की आयोजना और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप में भाग लिया। राज्य संसाधन केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा 26-27 जून, 1991 को संपन्न प्रौढ़ शिक्षा निदेशकों और राज्य संसाधन इकाइयों के निदेशकों

की बैठक में की गयी। पहले से ही प्रारंभ किए गए टी० एल० सी० और भविष्य में प्रारंभ किए जाने वाले पूर्ण साक्षरता अभियान (टी० एल० सी०) को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए उनके कार्यकरण को अधिक कारगर बनाने के लिए राज्य संसाधन इकाइयों को वित्तीय सहायता देने की पद्धति में संशोधन किया गया।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयः

8.17.0 प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डी० ए० ई०) जो इस विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करता रहा। वर्ष के दौरान निदेशालय की विभिन्न गतिविधियां इस प्रकार रहीं।

(i) सामग्री की तैयारी और निगरानीः आ० पी० सी० एल० समिति, जो पठन/पाठन सामग्री की जांच के लिए निदेशालय का अंग है, की 12 बैठकें हुई जिनमें पूर्ण साक्षरता अभियान वाले जिलों/क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने के लिए तैयार की गई सामग्री की कोटि और विषयवस्तु में सुधार सम्बन्धी सुझाव दिए। निदेशालय द्वारा तैयार की गई आई० पी० सी० एल० प्राइमर "खिलती कलियां" की नमूने की प्रतियों के सेट को विशेषज्ञ दल ने मंजूरी दी और मुद्रित करवाया।असम साइंस सोसाइटी, शांति सदन आश्रम, कोयम्बटूर, दिल्ली सकर्शात समिति और बी० जी० वी० एस०, पानीपत (हरियाणा) आदि को आई० पी० सी० एल० सामग्री की तैयारी में अभिविन्यास दिया गया। वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य संसाधन इकाइयों पूर्ण साक्षरता जिलों (टी० एल० सी०) और कुछ कालेजों को भी संसाधन सहायता दी गई।

(ii) प्रबन्ध सूचना प्रणालीः केवल पूर्ण साक्षरता अभियानों के लिए एक एप्लीकेशन साफटवेअर पैकेज विकसित किया गया है और देश के प्रत्येक पूर्ण साक्षरता अभियान जिलों एन आई सी एन ई टी प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए अपनाया गया है। नए दृष्टिकोण पर आधारित एक पृथक पैकेज भी स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए विकसित किया गया है। ग्रामीण कार्यसाधक साक्षरता परियोजनाओं (आर एफ एल पी) राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (एस ए ई पी) एस वी पी आदि के लिए एक पैकेज विकसित किया जा रहा है। वर्ष 1991-92 के दौरान इन पैकेजों के कार्यान्वित होने की आशा है। स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए एम० आई० एस० हेतु पन्द्रह प्रशिक्षण कार्यक्रम और पूर्ण साक्षरता अभियान जिलों के लिए 10 अन्य कार्यक्रमों के 1991-92 के अंत तक पूर्ण हो जाने की आयोजना की गई है जिनमें से छः कार्यक्रम पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं।

(iii) अनुसंधान विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं को सौंपे गए 23 अनुसंधान अध्ययनों में से अब तक 10 अध्ययन पूरे हो चुके है। चल रहे अध्ययनों में से कुछ साक्षरता के लिए निरक्षरों को प्रोत्साहन और उपलब्धि स्तर, विकास के अन्य घटकों तथा कमजोर वर्गों पर प्रौढ़ शिक्षा का प्रभाव, प्रौढ़ शिक्षा में स्वाध्याय प्रयोग, प्रौढ़ शिक्षा की प्रोन्नति, लोक संचार माध्यमों की क्षमता, प्रौढ़ शिक्षा में बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या, नव-साक्षरों की पठन रूचि के मूल्यांकन और साक्षरता तथा शिशु मृत्यु दर में सह सम्बंध आदि से सम्बन्धित हैं।

(iv) जन माध्यम और संचार सहायताः वर्ष 1991-92 के दौरान इस क्षेत्र में अनेक रोचक और आश्चर्यजनक विकास हुए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(क) साफटवेयर/कार्यक्रम सामग्री की तैयारीः उत्तम कोटि की और प्रोत्साहित करने वाली आठ फिल्में/वीडियो कार्यक्रम तैयार किए गए और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किए गए तथा राज्य संसाधन केन्द्रों, राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयों और प्रतिष्ठित स्वैच्छिक एजेंसियों को वितरित किए गए। मिदनापुर और मुजफ्फरपुर के समग्र साक्षरता केन्द्र के प्रलेखन की फिल्म बनाई गई। 40 प्रकरणों वाला एक धारावाहिक 'चौराहा' बम्बई दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया जा रहा है जिसमें संगणक की सहायता से निर्मित कठपुतलियों और सजीव अभिनव का प्रयोग करके मनोरंजनयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम बनाया गया है। जनसंचार माध्यम अभियानों के भाग के रूप में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के संदेश संगणकीकृत टिकटों और डाक सामग्री पर छापे जाते हैं।

(ख) प्रौढ़ साक्षरता के लिए रेडियो शिक्षा में परियोजना (पी.आर.इ.ए.एल): इस परियोजना के तहत रेडियों के माध्यम से साक्षरता शिक्षा का प्रथम दौर पूरा किया गया और इस कार्यक्रम के दूसरे चरण के सम्बन्ध में योजना बनाने के लिए भावी रूपरेखा पर विचार करने के लिए 5-6 दिसम्बर, 1991 को एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया।

(ग) पोस्ट बाक्स नं० 9999 और स्वैच्छिक एजेंसियाः दूरदर्शन, रेडियो और अखबारों में दिए विज्ञापनों के जवाब में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय को लगभग 1500-2000 पत्र प्राप्त हुए। व्यक्तियों/समूहों ने स्वैच्छिक साक्षरता कार्यकलाप, साक्षरता के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी इश्तहार तैयार करने, नुक्कड़ नाटक लिखने, पूर्ण साक्षरता जिलों में भागीदारी जैसे विभिन्न कार्यकलापों में रूचि दिखाई। अनुवर्ती कार्रवाई के लिए ब्यौरे, यूनीसेफ की सहायता से निर्धारित एक निजी एजेंसी एड-कन्टैक्ट और एक अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञापन औगालिवी एंड मदर द्वारा संगणकीकृत किए गए। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए कि व्यक्तियों/समूहों द्वारा प्राप्त उत्तरों का स्वैच्छिक साक्षरता कार्य के लिए उपयोग हो।

(घ) साक्षरता के सम्बन्ध में राष्ट्रीय इश्तहार प्रतियोगिताः राष्ट्रीय इश्तहार प्रतियोगिता के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए एक खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसका विषय. था " लिट्रेसी फार नेशनल इन्टिग्रेशन इन इंडिया" 500-रु० के प्रथम पुरस्कार 300/रु० के द्वितीय पुरस्कार और 200/रु० के तृतीय पुरस्कार के अतिरिक्त कुछ सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। इस प्रतियोगिता में काफी संख्या में छात्रों ने भाग लिया।

(ङ) जनसंख्या शिक्षाः प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने 15 जिलों के राज्य संसाधन केन्द्रों की शैक्षिक और तकनीकी सहायता से प्रौढ़ शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में यू०एन०एफ०पी०ए० द्वारा वित्त पोषित परियोजना को कार्यन्वित करना जारी रखा। राज्य संसाधन केन्द्रों ने छोटा परिवार, विवाह की उचित आयु, जनसंख्या और विकास आदि जैसे विषयों पर शैक्षिक और अनुवर्ती सामग्री प्रकाशित की।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिषण कार्यक्रमों का आयोजन करते समय इन कार्यकर्ताओं को आवश्यक अभिविन्यास प्रदान करने के उद्देश्य से जनसंख्या शिक्षा की विषय-वस्तु उपयुक्त रूप से समाकलित की गई। राष्ट्रीय संचालन-समिति और त्रिपक्षीय पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुपालन में प्रयोगात्मक आधार पर उड़ीसा के गंजम जिले में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में जनसंख्या शिक्षा के घटक को समाकलित किया गया। (च) प्रशिक्षणः निदेशालय ने प्रमुख कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के घटकों को सम्मिलित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक एजेंसियों

के प्रतिनिधियों को क्षेत्र आधारित साक्षरता कार्यक्रमों के प्रतिपादन में पांच प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अभिविन्यास दिया गया। उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए मार्च, 1992 के अंत तक ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया। निदेशालय ने मुजफ्फरपुर (बिहार), सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) और 24 परगना (पश्चिम बंगाल) के सम्पूर्ण साक्षरता अभियान जिलों में प्रशिक्षण में भी मदद की।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवसः

8.18.1 8 सितम्बर, 1991 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में उप-राष्ट्रपति की उपस्थिति और विख्यात शिक्षाविद् और वैज्ञानिक डा० डी०ए० कोठारी की अध्यक्षता से समारोह की शोभा बढ़ी। समारोह में पहली बार पांच बड़े राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के प्रतिनिधियों श्री एच०के०एल० गभत (कांग्रेस इ) श्री एल० के० आडवाणी (भारतीय जनता पार्टी, श्री सैफुद्दीन चौधरी (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), श्री चिमन भाई मेहता (जनतादल) और श्री चतुरानन मिश्र (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) ने भी भाग लिया। इन सबने देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए अपनी पार्टी के समग्र एकात्मकता और समर्थन देने का वचन दिया।

8.18.2 यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए बने भारतीय राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों पर यूनेस्कों की अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार जूरी ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य के सात जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के पथ-प्रदर्शन में उसके श्रेष्ठ सहयोग के लिए और प्रशनसनीय उपलब्धियों की दृष्टि से विशेषकर बर्दवान और मिदनापुर जिलों में प्रशंसनीय उपलब्धियों के लिए 1991 का नोमा पुरस्कार प्रदान किया। यूनेस्को के पेरिस स्थित मुख्यालय में 9 सितम्बर, 1991 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पश्चिम बंगाल सरकार की जन शिक्षा और प्रसार मंत्री श्रीमती अंजु कर द्वारा यह पुरस्कार ग्रहण किया गया।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान (एन.आई.ए.ई.)

8.19.0 प्रौढ़ शिक्षा के सभी प्रकार के कार्यक्रमों को शैक्षिक तकनीकी और शोध सहायता प्रदान करने के लिए 1 जनवरी, 1991 को एक स्वायत्त निकाय के रूप में एन. आई. ए. ई. की स्थापना की गई। एन.आई.ए.ई.प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में देश और विदेश में अन्य एजेंसियो के साथ समन्वयात्मक, सहयोगात्मक और नेटवर्किंग भूमिका निभाएगा। संस्थान की कार्यकारी समिति की दो बैठकें पहले ही हो चुकी हैं जिनमें प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति वर्ष के कार्यक्रमों से संबंधित मामलों और अन्य मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीनियर फेलों फेलों और रिसर्च फेलो और शोध सहायकों के वरिष्ट पदों पर नियुक्तियां पहले ही कर दी गई हैं। एक पुस्तकालय-प्रलेखन केन्द्र भी स्थापित किया गया है और इस इकाई के लिए एक अनुभवी व्यावसायी को नियुक्त किया गया। लम्बी अवधि के कार्यक्रमों में विकसित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित अल्पअवधि की परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं:

(i) साक्षरता में लिंग समानता की ओरः

इस परियोजना के प्रथम चरण में शोध अध्ययनों के आधार पर पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दरों में विषमताओं को उजागर करने के लिए एक वर्किंग पेपर तैयार करना शामिल है। कार्रवाई योजना के साथ-साथ शोध के लिए क्षेत्रों का पता लगाने के विचार से तीन दिवसीय (11-13 जनवरी, 1992) को एक सेमिनार आयोजित किया गया।

(ii) प्रौढ़शिक्षा कार्यक्रमों में मूल्यांकन की रूपात्मकतायें: इस परियोजना का उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों पर मूल्यांकन रिपोर्टों का अध्ययन करना है, ताकि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन करने के लिए ढांचा विकसित किया जा सके।

(iii) उत्तर-साक्षरता में सम्प्रेषण तकनीकी

प्रयोगात्मक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान जिलों में साक्षरत्तर गतिविधियों का समर्थन किया जा सके। इनमें (क) साक्षरत्तर के मूल पाठ-विषयक के लिए सामग्री और अनुपूरक सामग्री के लिए ओडियो स्पोटिंग "सामग्री और (ख) नव-साक्षरताओं के लिए साप्ताहिक ब्रोड शीट का डिजाइन और उत्पादन शामिल हैं। ताकि नव साक्षरताओं की आपूर्ति हेतु तकनीक संसाधन सहायता और व्यवस्थित संवितरण मैकनिजम प्रदान किए जा सकें।

(iv) आई.पी.सी.एल आगमन का मूल्य निर्धारण इस अध्ययन के अंतर्गत आई.पी.सी.एल. के अधीन तैयार की गई सामग्री के पैकजों का विश्लेषण करना है ताकि यह निश्चय किया जा सके कि तैयार किया गया मैटिरियल पढ़ने वालों के लिए आत्मावलम्बी साक्षरता प्राप्त करने में सक्षम है अथवा नहीं।

(v) अध्ययन निष्कर्ष मूल्यांकनः इस अध्ययन के अंतर्गत (I) टी. एल.सी. जिलों, और (II) अन्य कार्यक्रमों के अध्ययन निष्कषों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा।

मूल्यांकन

8.20.1 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत दो प्रकार का मूल्यांकन किया जाएगाः अर्थात पाठकों का मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन। आई.पी.सी.एल. का मुख्य रूप से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में प्रयोग किया जा रहा है। जिसमें प्रैक्टिस के लिए अभ्यास और कसरत करने का प्रावधान है। प्रत्येक प्राइमर मे नियमित अन्तराल पर 3 परीक्षण आयोजित करना अपेक्षित है। यह भी अपेक्षा की जाती हैं कि 3 प्राइमर पूर्ण करने पर प्राइमर में दिए गए 9 परीक्षणों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य हैं। एन.एल.एम. में यथा निर्धारित उसी स्तर तक की साक्षरता और क्रमांक कुशलता पाठक को प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए पाठकों के मूल्यांकन हेतु प्राइमरों की बाडी में पाठकों द्वारा आत्ममूल्यांकन के लिए पहले से ही प्रक्रिया तैयार कर ली है। प्रभाव मूल्यांकन के लिए सामाजिक विज्ञान, अनुसंधान और प्रबंधन के 7 संस्थानों ने 1978-85 तक की अवधि के दौरान 56 मूल्यांकन अध्ययन किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई 56 रिपोर्टों में उन्होंने कार्यक्रमों के संशोधन और पुनर्गठन की लिए अनेक सिफारिशें की हैं ताकि उन्हें और अधिक सार्थक एवं प्रभावी बनाया जा सके। एन.एल.एम. के अंतर्गत क्रियान्वित किए जा रहे सभी कार्यक्रमो को तदानुसार पुनर्गठन किया गया है। मिशन को आरम्भ करने के पश्चात कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए 26 बाह्य एजेंसी को कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए चुना गया। जिन्हें 31 अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया। अभी तक इन एजेंसियों ने केवल 17 रिपोर्टे प्रस्तुत की हैं, जिनमें कुछ सिफारिशें प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को और अधिक कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में की गई

हैं। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में एक कार्य समूह की संरचना की गई है ताकि इन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों का परीक्षण किया जा सके।

8.20.2 जैसा कि पहले ही वर्णन किया जा चुका है एन० एल० एम० अब एक निश्चित समय में विशिष्ट क्षेत्रों के अंदर निरक्षरता उन्मूलन के लिए सामूहिक अभियान संगठित कर रही हैं। साक्षर घोषित किए जाने के लिए योग्य क्षेत्र (अर्थात एक राज्य, जिला, ब्लाक मण्डल) हेतु यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में एन० एल० एम० में निर्धारित किए गए मास्टरी स्त्र पर पाठक कम से कम 80% तक प्राप्त करें। टी० एल० सी० की मूल्यांकन का कार्य जिन मूल्यांकन एजेंसियों को सौंपा गया है। उन्हें यह सलाह दी जा रही है कि वो इस पहली का विशेष रूप से मूल्यांकन करें।

परिशिष्ट

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे संपूर्ण साक्षरता अभियानों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं॰	परियोजना क्षेत्र (जिला, आदि)	सहभागिता (लाख व्यक्तियों में)	लक्षित आयु वर्ग
1.	**आन्ध्र प्रदेश**		
1.	चित्तूर	9.00	9-35
2.	कुडापाह	7.50	9-35
3.	जिला हैदराबाद	5.74	15-35
4.	नेललौर	7.00	9-35
5.	विशाखा पटनम	7.00	9-40
6.	करनूल	5.60	15-35
7.	महबूब नगर और 2 नगर क्षेत्र	0.69	15-35
8.	खम्माम	7.10	9-35
9.	निजामाबाद	4.50	15-35
10.	पश्चिम गोदावरी	6.00	9-40
11.	करीम नगर	10.00	9-35
12.	नल गोन्डा	7.00	15-45
13.	आन्ध्र प्रदेश के प्रत्येक		
	जिलों में एक मंडल		
	विजियानाग्राम	3.00	9-45
	पूर्व गोदावरी		
	कृष्णा		
	गुंटुर		
	प्रकाशम		
	अनन्तपुर		
	रंगा रेड्डी		
	अदिला बाद		
	वारांगल		
14.	मेडक (9 मंडल)	1.80	9-35
15.	वारांगल		
	बिहार		
16.	मुजफ्फरपुर	10.00	12-35
17.	जमशैद पुर	1.80	6-50
18.	राची	10.00	6-45
19.	माधे पुरा	2.85	9-35
	दिल्ली		
20.	अम्बेडकर नगर	0.61	9-45
21.	गोवा समूचा राज्य	1.00	10-35
	गुजरात		
22.	19 जिलों में 100 ताल्लुक	30.00	15-35
	हरियाणा		
23.	पानी पत	2.00	15-45
	हिमाचल प्रदेश		
24.	सिरमौर	1.00	9-45
	कर्नाटक		
25.	बीजा पुर	5.50	9-35
26.	मन्डया	4.00	9-35
27.	रायचूर	5.91	9-35
28.	टुमकुर	4.00	9-35
29.	बीदर	3.32	9-35
30.	शिमोंगा		
	मध्य प्रदेश		
31.	दुर्ग	6.00	15-45
32.	नरसिंह पुर	1.07	15-35
33.	इन्दौर	3.55	15-35
34.	रायपुर (8 खण्ड)	3.00	15-45
35.	रतलाम		
	बिलास पुर (6 खण्ड)	3.51	15-45
36.	रतलाम		
37.	बेतुल (कोटाडोन्गरी) (खण्ड)	0.50	15-45
38.	रायगढ़ (7 खण्ड)		
	महाराष्ट्र		
39.	वर्धा	1.16	6-35
40.	बम्बई शहर		
41.	जिला पुणे (ग्रामीण)	5.00	15-35
42.	लटुर	2.20	15-35
	उड़ीसा		
43.	जिला सुन्दर गढ़	6.00	9-40
44.	राउरकेला शहर	1.50	10-60
45.	गन्जम	10.00	9-45
46.	किओन्झर	3.50	6-50
	पंजाब		
47.	पंजाब में 7 ब्लाक	2.50	15-45
	तमिलनाडु		
48.	कमरजार	2.40	15-35
49.	पी॰टी॰टी॰ सिवगंगा	1.00	15-35
50.	पुडकोट्टाई	2.30	15-35
51.	कन्या कुमारी	0.84	15-35
52.	मदुराई	4.20	15-35
53.	डा॰ अम्बेडकर	4.80	15-35
54.	एन आर्कोट		
54.	जिसनेलवेली कट्टाबोम्मन	2.80	15-35
55.	**उत्तर प्रदेश**		
55.	फतेहपुर	5.00	6-45
56.	मेरठ	4.25	9-45
	पश्चिम बंगाल		
57.	मिदनापुर	20.00	9-60
58.	हुगली	9.00	9-50
59.	बीरभूम	6.87	9-50
60.	कूच बिहार	8.00	9-50
61.	बकुरा	11.40	10-50
62	उत्तर 24 परगना	17.00	9-50

क्रम सं॰	परियोजना क्षेत्र (जिला, आदि)	सहभागिता (लाख व्यक्तियों में)	लक्षित आयु वर्ग
	राजस्थान		
63.	**दूनगर**	4.00	9-40
64.	भरत पुर		9-35

९. संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा

9. संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा

9.1.0 संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा केन्द्रीय सरकार का विशेष उत्तरदायित्व रहा है। प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र के संबंध में वर्ष के दौरान आरंभ किए गए शैक्षिक कार्यकलापों का लेखा इस अध्याय में दिया गया है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

9.2.1 संघशासित क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:—

		सरकारी	सहायता प्राप्त	प्राइवेट
1.	पूर्व-प्राथमिक	2	—	21
2.	प्राथमिक	178	—	8
3.	मिडिल	41	—	—
4.	मायमिक	25	—	2
5.	सीनियर सैकेण्डरी	39	1	—
6.	कॉलेज	2	—	—
7.	पॉलिटेक्निक	2	—	—
		289	1	31

9.2.2 वर्ष के दौरान, संघशासित क्षेत्र को प्रशासन का 5 नए प्राथमिक स्कूल खोलने, 5 प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूलों के स्तर तक और 3 मिडिल स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों के स्तर तक तथा 2 माध्यमिक स्कूलों को सी० मा० स्कूलों के स्तर तक स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव है।

प्रेरणा योजना

9.2.3 कक्षा-I/III तक सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। 312 बच्चों को 115/- रु० प्रतिमाह की दर से छात्रावास वज़ीफा प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान, 3948 बच्चों को निःशुल्क वर्दियां प्रदान की गई थीं। 4473 बच्चों को निःशुल्क यात्रा रियायत की अनुमति दी गई थी।

प्रौढ़ शिक्षा

9.2.4 प्रौढ़ शिक्षा की योजना वर्ष के दौरान कार्यरत रही। वर्ष के दौरान आरंभ की गई योजना का प्रमुख दबाव द्वीपसमूह के सभी भागों में नौसिखियों का पता लगाने और उन्हें प्रेरित करने पर था। विभिन्न स्कूलों तथा कालेजों से स्वयंसेवकों का पता लगाया गया था और कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व उन्हें अनिवार्य प्रशिक्षण किया गया था। के० मा० शि० बो०, नई दिल्ली ने इस शैक्षिक सत्र के सभी स्कूलों में कार्यानुभव के भाग के रूप में कार्यात्मक साक्षरता पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं।

गैर-औपचारिक शिक्षा

9.2.5 6-11 वर्षों के आयु-वर्ग में स्कूल न जाने वालों तथा पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों को गैर-औपचारिक शिक्षा प्रदान की जा रही। संघशासित क्षेत्र में इस समय गै० औ० शि० केन्द्रों की संख्या 34 है जिसमें 728 बच्चे दाखिल हैं।

विज्ञान-शिक्षा

9.2.6 विज्ञान शिक्षा सेमिनार के अंतर्गत, अध्ययन संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां, चित्रकारी प्रतिस्पर्धाएं, कार्यशालाएं संचालित की गयी थी। बिरला औद्योगिक तथा तकनीकी संग्रहालय, कलकत्ता के सहयोग से "जीवन के उद्भव" पर एक राज्य स्तरीय विज्ञान अध्ययन गोष्ठी संचालित की गई थी जो छात्र प्रथम आया था, उसे बम्बई में हुई राष्ट्रीय विज्ञान अध्ययन-गोष्ठी में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था।

राज्य शिक्षा संस्थान

9.2.7 पोर्ट ब्लेअर में एक राज्य शिक्षा संस्थान कार्यरत हैं। इस यूनिट का नेतृत्व एक प्रधानाचार्य द्वारा किया जा रहा हैं तथा लेक्चरर और कार्यालय के अन्य कर्मचारी उन्हें सहयोग दे रहे हैं। यह यूनिट सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्कूलों के निरीक्षण, विकलांग आदि की समेकित शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। अंग्रेजी के लिए एक जिलाकेन्द्र भी इस संस्थान के साथ संलग्न है।

व्यावसायिक शिक्षा

9.2.8 संघशासित क्षेत्र के प्रशासन ने अपने स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की योजना को कार्यान्वित करना जारी रखा। मत्स्यचालन और सौन्दर्य संस्कृति में व्यावसायिक पाठ्यक्रम सी० माध्यमिक स्कूलों के +2 स्तर पर आरंभ किए गए थे।

तकनीकी-शिक्षा

9.2.9 पहले ही आरंभ किए गए दो पालिटेक्निकों ने छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना जारी रखा। पहले पालिटेक्निक में विद्युत यान्त्रिकी और सिविल इंजीनियरी में पाठ्यक्रम पढ़ाये जाते हैं जबकि दूसरे पालिटेक्निक में विद्युत तथा होटल प्रबन्ध के पाठ्यक्रम पढ़ाये जाते हैं। एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिसमें सिविल, यांत्रिकी, रेडियो-टेलीविजन, आशुलिपि की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे भी कार्यरत हैं। इन संस्थाओं में कुल नामांकन 400 हैं।

चण्डीगढ़

9.3.1 चण्डीगढ़ प्रशासन विभिन्न स्कूलों को चला रहा है जो इस प्रकार हैं:

	सरकारी	प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूल
प्राइमरी स्कूल	29	26
मिडिल स्कूल	9	19
माध्यमिक स्कूल	37	14
सी० माध्यमिक स्कूल	20	1
	95	60

इसके अतिरिक्त, माध्यमिक तथा सी० माध्यमिक के 6 स्कूल हैं जिन्हें चण्डीगढ़ प्रशासन से सहायता मिल रही हैं।

व्यावसायिक शिक्षा

9.3.2 चण्डीगढ़ प्रशासन ने अपने स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना जारी रखा। गृह विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरी और अर्ध-सैनिक के क्षेत्रों में 20 व्यावसायिक पाठ्यक्रम चण्डीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न सी० माध्यमिक स्कूलों में आरम्भ किए गए हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की संख्या जो वर्ष 1990-91 में 15 थी वह वर्ष 1991-92 में बढ़कर 20 हो गई है।

प्रौढ़ शिक्षा

9.3.3 राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत, 160 केन्द्र कार्यरत हैं। ग्रामीण कार्यात्मक सक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 100 केन्द्र और 38 जन-शिक्षण-निलयम संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में कार्यरत हैं।

गैर-औपचारिक-शिक्षा

9.3.4 इस योजना के अंतर्गत, 4506 छात्रों को 105 केन्द्रों में शिक्षा प्रदान की जा रही है और निःशुल्क लेखन-सामग्री, वर्दियां और मध्याह्न-भोजन उपलब्ध कराया जा रहा हैं।

मार्गदर्शन कैरियर सैल

9.3.5 राज्य शिक्षा संस्थान, सैक्टर-32 में चल रहा मार्ग दर्शन कैरियर सैल विभिन्न पाठ्यक्रमों को संचालित करता है। इसकी सेवाओं का चण्डीगढ़ के स्कूलों और कालेजों में पढ़ रहे छात्रों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। केन्द्र के प्रभार के अंतर्गत सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्य भी किया जा रहा हैं।

दादरा और नागर हवेली

शैक्षिक संस्थाएं

9.4.1 संघ शासित क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न शैक्षिक संस्थाएं इस प्रकार हैं:—

		सरकारी	सहायता प्राप्त	प्राइवेट
(i)	पूर्व-प्राथमिक	—	—	—
(ii)	प्राथमिक	109	11	1
(iii)	मिडिल	38*	2	2
(iv)	माध्यमिक	4		3
(v)	उच्चतर माध्यमिक	5*	—	—

(* एक नवोदय विद्यालय सहित)

9.4.2 वर्ष के दौरान, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन ने 1 नया प्राथमिक स्कूल तथा 1 सी० माध्यमिक स्कूल खोला।

प्रेरणा योजना

9.4.3 कक्षा 7 तक सभी छात्रों को निःशुल्क मध्याह्न-भोजन उपलब्ध कराया जाता है, इसके अतिरिक्त, सभी अनु० जा०/अनु० जन० जा० के छात्रों को अभ्यास/नोट-बुकें, पाठ्य-पुस्तकें और अन्य अध्यापन सहायक-सामग्रियां निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। अनु० जा०/अनु० जन० जाति के छात्रों को प्रत्येक वर्ष दो जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी जूते तथा मोजे भी मुहैया कराए जाते है। वार्षिक परीक्षाओं में अनु०जा०/अनु० जन०जाति के छात्रों को नकद-पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर-मैट्रिक-छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं।

प्रौढ़ शिक्षा

9.4.4 यहां 50 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र हैं जिनसे लगभग 1500 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। एक सौ ग्रामीण शैक्षिक साक्षरता परियोजना (ग्रा०शै०सा०परि०) कार्यरत हैं जिनसे लगभग 3000 छात्र लाभान्वित हो रहे है। सरकार द्वारा 100 गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों को खोलने के लिए अनुमोदन भी दे दिया गया है।

विज्ञान शिक्षा

9.4.5 विज्ञान शिक्षा के सुधार की योजना को लागू करने का संघशासित क्षेत्र के प्रशासन का प्रस्ताव है। प्रत्येक वर्ष विज्ञान-प्रदर्शनियां और अध्ययन-गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं।

तकनीकी शिक्षा

9.4.6 संघशासित क्षेत्र में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है।

दमन और दीव

9.5.1 दमन और दीव संघशासित प्रदेश में कार्यरत विभिन्न शैक्षिक संस्थान निम्नलिखित हैं:—

प्राइमरी स्कूल	50
मिडिल स्कूल	16

माध्यमिक स्कूल	17
सीनियर माध्यमिक स्कूल	2
सरकारी कालेज	1

9.5.2 संघशासित प्रदेश के सभी स्कूलों में पक्के भवन हैं और एकल शिक्षक वाला कोई स्कूल नहीं है।

प्रोत्साहन योजनाएं

9.5.3 6-11 आयुवर्ग में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए एक योजना का अनुमोदन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क वर्दियां, पाठ्यपुस्तकें और लेखन सामग्री प्रदान की जाएगी।

9.5.4 दिसम्बर, 1990 से प्रारंभिक स्तर पर छात्रों के लिए शुरू की गयी मध्यान्ह भोजन की योजना चल रही है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के कक्षा I से IV तक के बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है।

जनजातीय कल्याण

9.5.5 जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए संघशासित प्रदेश प्रशासन ने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्यवन को जारी रखा। इनमें आश्रम-शालाओं का विकास, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रावधान, लेखन सामग्री, वर्दियों, चलते-फिरते पुस्तकालय का रख-रखाव, ग्रामीण पुस्तकालय और कक्षा I से X तक की जनजातीय छात्राओं के अभिभावकों को नकद प्रोत्साहन शामिल है। उपचारी शिक्षण कक्षाएं भी चलायी जा रही हैं।

जनशिक्षण निलायम

9.5.6 वर्ष के दौरान आठ जन शिक्षण निलायम केन्द्र जारी रखे गये। ये केन्द्र ग्रामीणों को शैक्षिक पुस्तकें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र प्रदान करते हैं।

प्रौढ़ शिक्षा

9.5.7 दमन और दीव में 1200 प्रौढ़ों के दाखिले सहित साठ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों ने कार्य करना जारी रखा।

बाल भवन

9.5.8 वर्ष 1987-88 के दौरान स्थापित बाल भवन ने अपने विभिन्न कार्यकलाप जारी रखे। बाल भवन द्वारा नवम्बर, 1991 तक आयोजित विभिन्न कार्यकलापों पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 3.75 लाख रुपए की राशि खर्च की गयी।

दिल्ली

9.6.1 शैक्षिक वर्ष 1991-92 के दौरान शिक्षा निदेशालय ने 17 मिडिल स्कूल खोले, 17 मिडिल स्कूलों को माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नयन, 26 माध्यमिक स्कूलों का सीनियर माध्यमिक स्कूलों में स्तरोन्नयन, 3 माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक स्कूलों का विभाजन किया गया। तत्पश्चात् शिक्षा की कोटि में सुधार लाने के लिए, 28 विद्यमान / सीनियर माध्यमिक स्कूलों को संयुक्त मॉडल स्कूलों में परिवर्तित किया गया।

9.6.2 वर्ष 1991-92 के दौरान दिल्ली में चल रहे विभिन्न प्रकार के स्कूलो के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

संस्थान का प्रकार	दिल्ली प्रशासन					
	सरकारी	सहायता प्राप्त	गैर सहायता प्राप्त	नई दिल्ली नगर पालिका स्कूल	नगर निगम स्कूल	दिल्ली कैन्ट बोर्ड
पूर्व प्राइमरी स्कूल	—	—	—	21		
प्राइमरी स्कूल	—	—	—	6६ (+4 सहायता प्राप्त और 4 गैर सहायता प्राप्त)	1674 (280 निजी तथा 50 सहायता प्राप्त)	6
अपर प्राइमरी स्कूल	206	29	256	9 (+3 मिडिल नवयुग स्कूल)		
माध्यमिक स्कूल	171	35	95	9		
उच्चतर माध्यमिक स्कूल	536	143	146	5 (+2 सीनियर माध्यमिक नवयुग स्कूल)		

छात्राओं को निःशुल्क परिवहन

9.6.3 इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को प्रोत्साहन देना हैं ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सके। इस समय लगभग 120 गांवों से शहरी क्षेत्रों में 12 स्कूलों में अध्ययनरत लगभग 4100 छात्राएं इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान इस योजना के लिए निदेशालय ने 10.00 लाख रुपए का बजट प्रावधान रखा है।

बुक बैंक योजना

9.6.4 इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत उन जरूरतमंद छात्रों को पुस्तकें प्रदान की जाती हैं जिनके अभिभावकों की आय 500/- रुपए प्रतिमाह से कम है। वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 40000 छात्रों को लाभान्वित किए जाने की आशा है।

शिक्षण सुविधाएं

9.6.5 यद्यपि जे॰जे॰ कालोनियों, पिछड़े क्षेत्रों और गन्दी बस्तियों के कुछ बच्चे माध्यमिक परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं फिर भी निधियों अथवा विशिष्ट शिक्षण सुविधाओं के अभाव में उन्हें और अधिक अवसर नहीं मिल पाते हैं। ऐसे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सक्षम बनाने के उद्देश्य से चिकित्सा, सी॰ए॰/आई॰सी॰डब्ल्यू॰ए॰ और इंजीनियरी पाठ्यक्रमों आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में वर्ष 1991-92 के दौरान 28 शैक्षिक क्षेत्रों मंडलों में से प्रत्येक से एक लड़के और एक कन्या स्कूल को इसमें शामिल किया गया। वर्ष 1991-92 के दौरान, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की गयी है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उपचारी शिक्षण

9.6.6 इस योजना के अन्तर्गत उन स्कूलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उपचारी शिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना है जहां उनका दाखिला कुछ छात्रों के दाखिले में 51 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 1991-92 के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों के लगभग 4000 छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 2.00 लाख रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से वर्दियों, पाठ्यपुस्तकों, मध्यान्ह भोजन की निःशुल्क आपूर्ति और कई छात्रवृत्तियों जैसे अन्य प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 400 छात्रों के लाभान्वित होने की आशा है।

प्रौढ़ शिक्षा

9.6.7 इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के लिए राजधानी में साक्षरता के प्रसार के लिए 40 लाख रुपए का प्रावधान है।

सांयकालीन स्कूल

9.6.8 इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे छात्रों को प्रोत्साहित करना है जो विभिन्न कारणों से अपना अध्ययन जारी नहीं रख सके। इस समय संघशासित क्षेत्र के विभिन्न भागों में प्रौढ़ों के लिए 4 सीनियर माध्यमिक और 8 माध्यमिक स्कूल चलाए जा रहे है जिनमें 6000 प्रौढ़ अध्ययनरत हैं।

गैर-औपचारिक शिक्षा

9.6.9 6-11 और 11-14 आयु वर्गों में सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिह संवैधानिक वचनबद्धता को पूरा करने हेतु शिक्षा निदेशालय उन बच्चों के लिए 74 गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र चला रहा है जो कभी भी स्कूल नहीं गए अथवा औपचारिक शिक्षा के दौरान पढ़ाई बीच में छोड़कर चले गये। वर्ष 1991-92 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत लगभग 2000 बच्चों को लाभ पहुंचने की आशा है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के लिए एक लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

अध्ययन केन्द्र

9.6.10 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य उन छात्रों को सुविधाएं प्रदान करना है जिनके आवास के समीप उपयुक्त अध्ययन केन्द्र नहीं है। केन्द्र की स्थापना करते समय, ग्रामीण/गन्दी बस्तियों के क्षेत्र अथवा धनी आबादी वाले क्षेत्रों की वरीयता दी जाती है। वर्ष 1991-92 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 0.70 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मुक्त योग्यता छात्रवृत्तियां

9.6.11. इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है और ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कक्षा 5 के वे छात्र यह परीक्षा देने के पात्र होते है जिन्होंने 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के लिए एक सौ छात्रों का चयन किया जाता है। छात्रवृत्ति दर 500 रुपए प्रतिवर्ष है। दिल्ली प्रशासन ने छात्रवृत्ति की राशि को 1000 रुपए तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया है। इस योजना के तहत 1.25 लाख रुपए का बजट प्रावधान है।

पत्राचार विद्यालय

9.6.12 पत्राचार विद्यालय अपनी तरह का एक पहला संस्थान है जो माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्तरों पर सभी तीन विषयों अर्थात मानविकी, वाणिज्य और विज्ञान में पत्राचार पाठ्यक्रमों के जरिए शिक्षा प्रदान करता है तथा स्कूल में छोड़कर जाने वालों, गृहणियों, दूर दराज क्षेत्रों में तैनात सैनिक अथवा अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों को जो अपनी शिक्षा जारी रखने की इच्छा रखते है और जो किसी कारणवश नियमित रुप से स्कूल में नहीं जा सकते उनकी शैक्षिक जरूरतें पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस समय पत्राचार विद्यालय लगभग 27,000 छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा कर रहा है।

व्यावसायिक शिक्षा

9.6.13 इस योजना के अन्तर्गत लगभग 6200 छात्रों के लाभान्वित होने की आशा है। दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के कार्यान्वियन के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान 91 लाख रुपए का बजट प्रावधान है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

9.6.14 मई, 1998 में दिल्ली प्रशासन के तहत रा॰शै॰अ॰ और प्र॰ परिषद की स्थापना एक स्वायत निकाय के रूप में की गयी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्र॰ परिषद के समग्र पर्यवेक्षण में चार जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गयी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्र॰ परिषद के कार्यक्रमों में शैक्षिक कार्यकलापों का प्रसार करना है ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्रवाई योजना में निहित विचारों को व्यवहारिक स्वरुप दिया जा सके। इस प्रयोजनार्थ लगभग 100 कार्यक्रमों में रा॰शै॰ और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रशिक्षित तीन हजार सात सौ शिक्षकों को प्रशिक्षत किये जाने की आशा है।

पंजाबी, हिन्दी, संस्कृत और उर्दू अकादमियां

9.6.15 संघशासित क्षेत्र दिल्ली में सभी स्तरों पर इन भाषाओं के प्रचार और विकास के उद्देश्य से इन अकादमियों की स्थापना की गयी। ये अकादमियां विभिन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन और कार्यान्वयन कर रही हैं। इन भाषाओं के शिक्षण हेतु दिल्ली प्रशासन के विभिन्न स्कूलों में पंजाबी और उर्दू शिक्षकों को तैनात किया गया है।

दिल्ली नगर निगम

9.6.16 दि॰न॰नि॰ का शिक्षा विभाग प्राइमरी शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। 3-5 आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्व प्राइमरी कक्षाएं भी चलायी जाती है। वर्ष 1991-92 के दौरान दि॰न॰नि॰ के कार्यकरण के अंतर्गत 1674 प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं इसके अतिरिक्त 721 नर्सरी कक्षाएं इनके द्वारा चलाई जा रही हैं। बच्चों की जो वर्ष 1990-91 के दौरान 6,99,243 थी वह वर्ष 1991-92 में बढ़कर 7,31,615 हो गई है।

9.6.17 दि॰न॰नि॰, अपने स्कूल के बच्चों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करता है। सभी बच्चां को निशुल्क पुस्तकें मुहैया की जाती थी। अनुसूचित जाति के बच्चों और श्रेणीIV के कर्मचारियों को निशुल्क वर्दी प्रदान की जाती थी। प्राइमरी-नर्सरी के बच्चों को मध्यान्ह भोजन भी मुहैया किया जाता है। दि॰न॰नि॰ स्वास्थ्य योजना भी कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत चिकित्सा एवं चश्में बच्चों को प्रदान की जाती हैं।

9.6.18 दि॰न॰नि॰ द्वारा शिक्षा के विकास के लिए योजनगत के अंतर्गत 2675.00 लाख रु॰ और योजनेत्तर के अंतर्गत 9036.00 लाख रु॰ का एक बजट प्रावधान किया गया है।

नई दिल्ली नगरपालिका

9.6.19 नई दिल्ली नगरपालिका, जो एक स्थानीय निकाय है , वह भी 21 पूर्व प्राइमरी स्कूल, 68 प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल, 9 माध्यमिक स्कूल और 5 सी॰ सैकेण्डरी स्कूलों सहित दिल्ली में विभिन्न स्कूल चला रही है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में मिडिल स्तर के 3 नवयुग स्कूल और 2 नवयुग सी॰ सैकेण्डरी स्कूल भी चला रही है।

9.6.20 शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, न॰दि॰नि॰ पालिका छात्रों को विभिन्न प्रोत्साहन जैसे कक्षा I से VIII तक के छात्रों को निशुल्क अभ्यास पुस्तकों, कक्षा I से V तक के छात्रों को निशुल्क लेखन सामग्री और नर्सरी से VIII तक की कक्षा के छात्रों को निशुल्क वर्दियां प्रदान करती है।

9.6.21 इलैक्ट्रानिकी, रेडियों और दूरदर्शन मरम्मत कटिंग एवं टेलरिंग, टैक्सटाइल डिजाइन सुई से संबंधित कार्य इत्यादि जैसे व्यवसायों में कार्य अनुभव एवं शौक केन्द्र प्रारंभ किए गए हैं। नयी दिल्ली नगर पालिका ने अपने सी॰ सैकेन्डरी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा आरंभ की है। चालू वर्ष के दौरान, योजना के अंतर्गत लगभग 300 छात्रों को लाभ होगा।

लक्षद्वीप

9.7.1 लक्षद्वीप द्वीप समूह में कार्यरत विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं की संख्या निम्नलिखित हैं:

1.	नर्सरी स्कूल	9
2.	जूनियर बेसिक स्कूल	19
3.	सीनियर बेसिक स्कूल	4
4.	हाई स्कूल	9
5.	जूनियर कालेज	2
	कुल	43

9.7.2 इसके अलावा, एक नवोदय विद्यालय और 10 बालवाडियो भी चल रही हैं।

प्रोत्साहन योजनाएं

9.7.3 सभी छात्रों को निशुल्क अभ्यास पुस्तकें, लेखन सामग्री पुस्तकें, लेखन सामग्री मुहैया की जा रही हैं। 1 से 7 वीं कक्षा के सभी अ॰ज॰जा॰ के छात्रों को मध्यान्ह भोजन मुहैया किया जाता हैं। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वालों की कुल संख्या लगभग 11,214 हैं। उन सभी अ॰ज॰जा॰ के छात्रों को, जिनके अपने ही द्वीपसमूहों में कालेज अध्ययनों की सुविधाएं नहीं है, निशुल्क छात्रावास सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

सेवारत प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम

9.7.4 वर्ष के दौरान, प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के लिए 2 सेवारत पाठ्यक्रम और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए एक पाठ्यक्रम संचालित किए गए थे। शेष अविध के दौरान, दो और पाठ्यक्रम भी आयोजित करने का प्रस्ताव है।

व्यावसायिक शिक्षा

9.7.5 वर्ष 1988-89 के दौरान संघ शासित प्रदेश द्वारा प्रारंभ की गई व्यावसायिक शिक्षा की योजना चल रही है। हाई स्कूलों में लड़कियों के लिए कार्यशिल्प की और लड़कों के लिए फिशरी प्रौद्योगिकी प्रारंभ की गई है। व्यवसायिक शिक्षा की और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए संघ शासित प्रदेश के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पदों का सृजन किया गया है:—

कार्य शिल्प अनुदेशक	3
यात्रिकी अनुदेशक	3
मत्स्य (फिशरी) अनुदेशक	3

तकनीकी शिक्षा

9.7.6 संघ शासित प्रदेश के कवारती के एक तिहाई में कटिंग एवं टेलरिग, आशुलिपि और बढ़ईगिरी सिखाई जाती है।

पांडिचेरी

9.8.1 वर्ष की दौरान, पांडिचेरी प्रशासन, विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों को कार्यान्वित करता रहा है। इन गतिविधियों का लेखा निम्नलिखित है:—

शैक्षिक संस्थाएं

9.8.2 वर्ष 1991-92 के दौरान संघ शासित प्रदेश में कार्यरत विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के ब्यौरे निम्नलिखित है:—

	सरकारी	निजी
पूर्व प्राइमरी स्कूल	41	131
प्राइमरी स्कूल	261	71
मिडिल स्कूल	83	35
हाई स्कूल	56	20

उच्चतर माध्यमिक स्कूल (एस०टी०पी०पी० जूनियर कालेज और नवोदय विद्यालयों सहित)	26	6
कालेज (शैक्षिक)	7	2

छात्रवृत्ति योजनाएं

9.8.3 **संघ** शासित प्रदेश निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:—

— राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

— राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां

— स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

— स्कूली शिक्षकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां

— ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां

— योग्यता पुरस्कार

— अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्तियां (अ० अ० पि० प०)

— उपस्थित छात्रवृत्तियां

— राजनैतिक उत्पीड़ितों के लिए छात्रवृत्तियां

— विज्ञान मेधावी छात्रवृत्तियां

— छात्राओं को योग्यता साधन प्रदान करना एवं योग्यता पुरस्कार छात्रवृत्तियां

— प्रोत्साहन पुरस्कार

9.8.4 इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या लगभग 26000 होगी।

प्रौढ़ शिक्षा/गैर औपचारिक शिक्षा:

9.8.5 जन साक्षरता अभियान के दौरान 90571 निरक्षर दाखिल किए गए हैं। इनमें से 68435 ने साक्षरता के कम से कम स्तर प्राप्त कर लिया है। वर्ष 1991-92 के दौरान नौसिखियों के लिए एक कार्यक्रम संचालित करने का निर्णय लिया गया है। संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी को 30 नवम्बर, 1991 को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है।

विज्ञान शिक्षा:

9.8.6 वर्ष 1988-91 के दौरान 83 मिडिल स्कूलों/56 हाई स्कूलों/18 उच्चतर माध्यमिक में विज्ञान शिक्षण की कोटि में सुधार करने के लिए, "स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार करने के लिए "नामक योजना कार्यान्वित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान 5 मिडिल और 6 हाई स्कूल इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है।

व्यावसायिक शिक्षा:

9.8.7 तमिलनाडु एवं पांडिचेरी में +2 पाठयक्रमों की पेशकश की गई है जिसमें दो शिक्षा की धाराएं अर्थात (1) शैक्षिक और (2) व्यावसायिक शामिल है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों और संबंधी व्यावसायिक विषयों का पता लगाया है:—कृषि, वाणिज्य और व्यवसाय, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, गृहविज्ञान, स्वास्थ्य और विविध।

9.8.8 विभिन्न उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में निम्नलिखित व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं: बैंकिंग सहायक, लेखाविद्या सहित सैकट्रीशिप और आशुलिपि, मत्स्य पालन, दो पहिया स्कूटर की मरम्मत एवं उसका रख रखाव। भवन रख रखाव, विपणन एवं बिक्रीकारी, व्यवसाय एवं संगणक संबंधी कार्यक्रम तैयार करना। रेडियो एवं दूरदर्शन रख रखाव, एवं मरम्मत, प्रशीतन एवं वातानुकूलन उपस्कर, पकाना एवं निष्ठान (बैंकिंग एवं कन्वक्शनरी) विद्युत मशीनों का रख रखाव एवं सफाई धुलाई। ड्रैस डिजाईनिंग एवं साजसज्जा (मैकिंग), संघटित एवं प्रद्रण, रेशम उत्पादन एवं कृषि।

उच्चतर शिक्षा:

9.8.9 संघ शासित प्रदेश, पांडिचेरी में 6 कला कालेज, पी०जी० अध्ययन के लिए। केन्द्र 1 विधि कालेज, 3 पालिटेक्निक, 1 कृषि कालेज और 1 इंजीनियरी कालेज है। डिम्पर नामक एक चिकित्सा कालेज भी है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और अभिशासित है और एक दंत कालेज है जो राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ये पांडिचेरी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। पांडिचेरी का इंजीनियरी कालेज, पांडिचेरी से सम्बद्ध एक स्वायत्त निकाय है। कराइकल का कृषि कालेज, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोइबाटोर से सम्बद्ध है। पांडिचेरी और कराइकल के तीन पालिटेक्निक, तकनीकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मद्रास से सम्बद्ध है। विधि कालेज और अन्य छह कला कालेज एवं पी०जी० अध्ययन केन्द्र पांडिचेरी केन्द्रीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

9.8.10 विश्वविद्यालय शिक्षा के अन्तर्गत बी०ए० (इतिहास) और बी०एस०सी० (प्राणी विज्ञान) पाठ्यक्रम (महिला भारती देशन राजकीय कालेज में आरंभ किए गए हैं विधि कालेज, पांडिचेरी एल०एल०बी० में तीन वर्षीय सायंकालीन पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। एम०ए० (इतिहास अध्ययन) एम०फिल (वनस्पति, प्राणि विज्ञान एवं तमिल) और पी०एच०डी० (वनस्पति) पाठ्यक्रम आरंभ किए गए है।

तकनीकी शिक्षा:

9.8.11 मोतीलाल नेहरू राजकीय पालिटेक्निक में संगणक अनुप्रयोग में 18 माह का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। माहे में एक जूनियर तकनीकी स्कूल गठित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

10. छात्रवृत्तियाँ

10. छात्रवृत्तियां

10.1.0 शिक्षा विभाग भारत तथा विदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में आगे अध्ययन/अनुसंधान के लिए भारतीय छात्रों/अध्येताओं के लिए अभिहित अनेक छात्रवृत्तियों/शिक्षावृत्तियों को अभिशासित करता है। इन छात्रवृत्तियों में भारत सरकार की छात्रवृत्तियां और विदेशों द्वारा प्रदान की गई शिक्षावृत्तियां-दोनों-शामिल हैं। ऐसे ही कुछ प्रमुख कार्यक्रम जिनके अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां प्रदान की गई थीं, इस प्रकार हैः—

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

10.2.0 इस योजना के अन्तर्गत योग्यता एवं साधन के आधार पर उत्तर मैट्रिक अध्ययनों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्तियों की दरें दिवस-अध्येताओं के लिए 60/- रु० प्रतिमाह से 120/- रु० प्रतिमाह तथा अध्ययन के पाठ्यक्रमों पर निर्भर करते हुए, छात्रावासधारियों के लिए 100/- रु० से 300/- रु० प्रतिमाह तक भिन्न-भिन्न होती हैं। छात्रवृत्तियां की पात्रता के लिए आय-सीमा 25,000/- रु० प्रति वर्ष है।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना:

10.3.0 इस योजना में योग्यता एवं साधन के आधार पर उत्तर मैट्रिक अध्ययनों के लिए ब्याज रहित ऋण का प्रावधान है। ऋण की राशि अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्भर करते हुए 720/- रु० से 1750/- रु० प्रति वर्ष तक भिन्न-भिन्न होती है। कुछ अनुमत्य छूटों की अनुमति देने के बाद छात्रवृत्तियों की पात्रता के लिए आय-सीमा 25,000/- रु० प्रति वर्ष है। यह योजना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के जरिए कार्यान्वित की जा रही है।

अनु०जा०/अनु०ज०जाति के छात्रों की योग्यता के प्रोन्नयन की योजना:

10.4.1 यह योजना वर्ष 1987-88 में आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अनु०जा०/अनु०ज०जा० के छात्रों की योग्यता को उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण (कोचिंग) देते हुए, स्कूली विषयों में उनकी शैक्षिक कमियों को दूर करने तथा उन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जहां प्रविष्टि प्रतियोगी परीक्षा पर आधारित है, में उनके दाखिले को सुकर बनाने की दृष्टि से स्तरोन्नत करना है। अनु०जा०/अनु०ज०जा० के वे छात्र, जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत चुना जाता हैं, उन्हें अच्छे आवासीय स्कूलों में रखा जाता है, जहां विशेष अध्यापन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यह योजना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के जरिए संचालित की जा रही है।

10.4.2 यह योजना 50 स्कूलों में 1000 छात्रों (670 अनु० जातियों तथा 330 अनु०ज०जातियों) के लिए प्रावधान करते हुए आरंभ की गई थी। विभिन्न राज्यों को स्कूलों का आबंटन अनु०जा०/अनु०ज०जा० समुदायों की उनकी निरक्षर जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। उपचारी शिक्षण (कोचिंग) कक्षा IX स्तर से आरंभ होता हैं और यह तब तक जारी रहता है जब तक छात्र कक्षा XII पूरी नहीं कर लेता है। इसके अतिरिक्त, विशेष शिक्षण (कोचिंग) कक्षा XI और XII में भी उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत, कोई आय-सीमा नहीं है।

अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना

10.5.1 इस योजना का उद्देश्य उन प्रतिभाशाली के साथ निर्धन छात्रों (11-12 वर्ष के आयु-वर्ग) को शिक्षा के +2 स्तर तक अच्छे आवासीय स्कूलों में अध्ययन के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्रता के लिए अभिभावकों/संरक्षकों की आय-सीमा 25,000/- रु० प्रति वर्ष है। प्रति वर्ष 500 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए चुना जाता है। इन छात्रवृत्तियों में से 50% छात्रवृत्तियां अखिल भारतीय योग्यता पर पुरस्कृत की जाती हैं और शेष 50% छात्रवृत्तियां राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करने के आधार पर उनकी जनसंख्या के अनुसार आबंटित की जाती हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को क्रमशः 15% तथा 7½% छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्येता सरकार द्वारा नियत की गई दरों/सीमा पर जेब-खर्च वर्दी/वस्त्र-भत्ता और भ्रमण प्रभारों के अतिरिक्त शिक्षा शुल्क, आवासीय प्रभारों, पुस्तकों तथा लेखन सामग्री की लागत की पूरी राशि के पात्र हैं। अध्येताओं और उनके रक्षकों को इस प्रयोजनार्थ निर्धारित दरों के अनुसार यात्रा अनुदान अनुमत्य है।

10.5.2 वर्ष 1990-91 में इस योजना को समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया था। तथापि, उस वर्ष की परीक्षा में चुने गए छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान कर दी गई हैं।

हिन्दी में उत्तर-मैट्रिक अध्ययनों के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां:

10.6.0 यह योजना 1955-56 में आरंभ की गई थी और इस योजना का उद्देश्य अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को जहां हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है वहां अध्यापन तथा अन्य पद पर निगरानी रखने के लिए उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध कराना हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 2,500 छात्रवृत्तिया आबंटित की गई थीं। छात्रवृत्तियों की दरें 50/- रु० से 125/- रु० तक भिन्न-भिन्न हैं जो अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्भर करती हैं।

संस्कृत अर्थात् अरबी और फारसी आदि के अतिरिक्त श्रेण्य भाषाओं के अध्ययन में लगी हुई परम्परागत संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां:

10.7.0 वर्ष 1991-92 में, इस छात्रवृत्ति के लिए 20 अध्येताओं को चुना गया था।

ग्रामीण-क्षेत्रों से प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाः

10.8.0 यह योजना 1971-72 से चल रही है। इस योजना का लक्ष्य शैक्षिक अवसरों की बृहद् समानता प्राप्त करना और ग्रामीण क्षेत्रों की सामर्थ्य प्रतिभाओं के विकास को अच्छे स्कूलों में उन्हें शिक्षा प्रदान करते हुए प्रोत्साहन देना है। यह योजना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के ज़रिए क्रियान्वित की जा रही है। छात्रवृत्तियों का वितरण प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में सामुदायिक विकास खण्डों के आधार पर किया जाता है। छात्रवृत्तियां मिडिल स्कूल स्तर (कक्षा VI/VIII) के अन्त में पुरस्कृत की जाती हैं और +2 स्तर सहित माध्यमिक स्तर तक जारी रहती हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद/राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों की मदद से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा छात्रों का चयन किया जाता है। छात्रवृत्तियों की दर 30 रुपये से 100 रुपये प्रतिमाह के बीच होती है जो अध्ययन के पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। इस योजना की समीक्षा मई, 1990 में की गयी थी और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से मूल्यांकन का कार्य नीपा को सौंपा गया है।

भारत तथा विदेशों में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए जवाहर लाल नेहरू शिक्षावृत्ति की योजना

10.9.1 भारत की आजादी के चालीस वर्ष पूरे होने तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भारत तथा विदेशों में विभिन्न स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए जवाहर लाल नेहरू शिक्षावृत्ति योजना आरम्भ की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आमतौर पर जवाहर लाल नेहरू के नाम पर प्रतिष्ठित शिक्षावृत्तियां प्रदान करना है।

10.9.2 इस योजना का उद्देश्य स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए सुयोग्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना हैं। ऐसे विदेशी छात्रों को, जो भारतीय इतिहास, सभ्यता और संस्कृति, मानविकी/भारत के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में न्यूनतम विकास जैसे विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन करना चाहेंगे, उन्हें वरीयता दी जाएगी। 20 छात्रवृत्तियां अर्थात् भारत में अध्ययन के लिए 10 भारतीय छात्रों को विदेशों में अध्ययन के लिए 5 भारतीय छात्रों को और भारत में अध्ययन के लिए विदेशों से 5 छात्रों को प्रदान की जाएगीं।

10.9.3 एक कारपस निधि के रूप में 7.00 करोड़ रूपये की राशि रखी जाएगी। इस कारपस निधि पर प्रतिवर्ष अर्जित ब्याज के शिक्षावृत्ति के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाएगा।

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के तहत विदेशी सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां

10.10.0 इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए भारतीय छात्रों/नागरिकों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विभिन्न विदेशी सरकारों और एजेन्सियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इस प्रभाग द्वारा 30 नवम्बर, 1991 तक इन छात्रवृत्तियों को वास्तविक उपयोग का देश-वार ब्यौरा निम्नलिखित हैः-

1.	बुल्गारिया	1
2.	चीन	3
3.	चैकोस्लोवाकिया	1
4.	जर्मनी	8
5.	हंगरी	2
6.	इंडोनेशिया	1
7.	इटली	8
8.	जापान	10
9.	नार्वे	5
10.	पोलैंड	1
11.	पुर्तगाल	2
12.	तुर्की	2
13.	यू॰एस॰ए॰	2
14.	युगोस्लाविया	2
		48

यू॰के॰, कनाडा आदि की सरकारों द्वारा प्रदत्त राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति योजनाएं

10.10.0 इस योजना के अंतर्गत, यू॰के॰, कनाडा, हांग-कांग, नाइजीरिया ट्रिनीदाद और टुबागो और अन्य राष्ट्रमंडल देशों में उच्च अध्ययन/अनुसंधान/प्रशिक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रिकों को छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां प्रदान की जाती है। राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालयों के संघ से प्राप्त पेशकश के आधार पर छात्रवृत्तियों की संख्या निर्भर करती हैं। इस योजना के अंतर्गत 30 नवम्बर 1991 तक 65 अध्येताओं को विदेश भेजा जा चुका है।

नेहरू शताब्दी (ब्रिटिश) शिक्षावृत्तियां/पुरस्कार

10.12.0 इस योजना के अंतर्गत भारतीय छात्रों को उच्च अध्ययन/अनुसंधान के लिए यू॰के॰ भेजा जाता है। ये शिक्षावृत्तियां ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। 30 अक्तूबर, 1991 तक 10 अध्यताओं को विदेश भेजा गया।

ब्रिटिश तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम

10.13.0 इस योजना के अंतर्गत 30 नवम्बर, 1991 तक 11 उम्मीदवारों को विदेश भेजा गया।

जवाहरलाल नेहरू स्मारक (यू॰के॰) छात्रवृत्तियां

10.14.0 इस योजना के अंतर्गत 30 नवम्बर 1991 तक 2 उम्मीदवारों को विदेश भेजा गया।

ब्रिटिश विजिटरशिप कार्यक्रम परिषद

10.15.0 इस योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत 174 वैज्ञानिको, शिक्षाविदों और चिकित्सा विशेषज्ञों को उनके विशेषज्ञता के क्षेत्रों में मुख्य विकास के आपसी मूल्यांकन के लिए 30 नवम्बर 1991 तक लाभाविन्त किया गया।

11. पुस्तक संवर्धन और कापीराइट

11. पुस्तक प्रोन्नति और कापीराइट

11.1.0 शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज जबकि सारे देश में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, पुस्तकों और विभिन्न विषयों की पुस्तकों की मांग बढ़ रही है। शिक्षा विभाग के पुस्तक प्रोन्नति प्रभाग की ऐसी कई योजनायें और कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उचित मूल्यों पर अच्छे स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देना, देशी लेखकों को प्रोत्साहन देना, लोगों में पुस्तकें पढ़ने की रूचि पैदा करना तथा भारतीय पुस्तक उद्योग को सहायता करना है। इस संबंध में कार्यान्वित किए जा रहे कुछेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

11.2.1 शिक्षा विभाग के अधीन, स्वायत्त संगठन के रूप में कार्यरत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना 1957 में की गई थी जिसका उद्देश्य उचित कीमत पर अच्छी पठन साम्रगी का प्रकाशन करना और उसे प्रोत्साहन करना तथा लोगों में पुस्तकों के प्रति रूचि उत्पन्न करना था। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के मुख्य कार्यकलाप हैं: पुस्तकें प्रकाशित करना, लेखकों, सचित्रकारों व प्रकाशकों को सहायता देना तथा पुस्तकों का संवर्धन करना। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास साधारण पाठकों के लिए असमी, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलगु तथा उर्दू में अनेक विषयों की पुस्तकें प्रकाशित करता है और उचित कीमत पर उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अब तक विभिन्न भाषाओं में 5400 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की है। न्यास उचित कीमत पर डिप्लोमा, अवर-स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की पाठ्यपुस्तकें व संदर्भ पुस्तकें प्रकाशित करने तथा बच्चों और नवसाक्षरों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए लेखकों, चित्रकारों तथा प्रकाशकों को वित्तीय सहायता देता है। न्यास (क) पुस्तक मेले, उत्सव तथा प्रदर्शनियां आयोजित करके, (ख) गोष्ठियां, संगोष्ठियां तथा कार्यशालायें आयोजित करके, (ग) पुस्तक मेले तथा प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता देकर, (घ) राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह को प्रायोजित करके, (ङ) स्कूलों में पाठक क्लब की स्थापना को प्रोन्नत करके सारे देश में पुस्तकों तथा पुस्तक पढ़ने की आदत को बढ़ावा देता है। न्यास विभिन्न देशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेकर, विदेशों में भारतीय पुस्तकों को लोकप्रिय बनाता है। वर्ष के दौरान किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

(क) प्रकाशन कार्यक्रम

11.2.2 विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन कार्यक्रम तैयार करने समय यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जाता है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की विभिन्न श्रृंखलाओं के अंतर्गत प्रत्येक भाषा में सामान्य रूचि की विविधतापूर्ण पुस्तकें शामिल हों।

11.2.3 नेहरू बाल पुस्तकालय श्रृंखला का उद्देश्य मनोरंजक एवं ज्ञानवर्द्धक साहित्य के भंडार का सृजन करना है जिसे बच्चे रूचि लेकर पढ़ सकें। यह सारे देश में बच्चों को उनकी मातृ भाषा में सामान्य पठन सामग्री उपलब्ध कराके राष्ट्रीय एकता को प्रोन्नत करता है। अब तक विभिन्न विषयों पर 2755 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें अनुवाद तथा पुनः मुद्रण भी शामिल हैं। इनमें इतिहास, लोक-तालिकायें, उत्सव, स्वतंत्रता संग्राम, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पेड़-पौधे, कल्पनात्मक साहित्य, खेल-कूद, आदिवासी जीवन, भारतीय चित्रकला, विशिष्ट भारतीयों का व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा महान भारतीय लेखकों की कृतियों के उद्धरण शामिल हैं। अप्रैल से दिसंबर, 1991 की अवधि के दौरान 112 पुस्तकें प्रकाशित की गई थीं।

11.2.4 नवसाक्षरों के लिए पठन सामग्री श्रृंखला के अंतर्गत लघु कथाएं, जीवनियां, उपन्यासकिाएं, लोक कथाओं के लिप्यंतरण, प्रासंगिक मुद्दों पर लेख तथा कार्यात्मक उपयोगी जानकारी प्रकाशित की जाती है। इस सामग्री को अभीष्ट दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए इस श्रृंखला में पुस्तकें उसी बोली में लिखी जाती हैं जिससे इसके पाठक परिचित हों, और इसमें 30-40% स्थान चित्रों के लिए सुरक्षित रखा जाता हैं। अब तक 60 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं जिसमें से 11 पुस्तकें अप्रैल से दिसंबर, 1991 के दौरान प्रकाशित की गई थीं। नवसाक्षरों के लिए तमिल में पठन सामग्री तैयार करने के लिए पांडिचेरी में 22 जून से 2 जुलाई, 1991 तक एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

11.2.5 राष्ट्रीय जीवनी श्रृंखला में सुविख्यात भारतीयों अथवा उन भारतीयों के जीवनचरित् का वर्णन है जो भारत के साथ करीब से जुड़े हैं और जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों जैसे, धर्म, दर्शन, इतिहास, साहित्य, संगीत तथा विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं। अब तक 112 से अधिक जीवनियां प्रकाशित की जा चुकी हैं और उनकी कुल संख्या भाषा अनुवाद मिलाकर लगभग 721 है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान 21 पुस्तकें प्रकाशित की गई थीं।

11.2.6 आदान-प्रदान विशेष महत्व की श्रृंखला है क्योंकि सृजनात्मक साहित्य के आदान-प्रदान के जरिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में इसकी उपयोगिता अद्वितीय है। यह एक भारतीय भाषा के सुविख्यात साहित्यिक कृतियों को, जिसमें उपन्यास, नाटक, लघुकथाएं शामिल हैं, दूसरे भाषायी क्षेत्रों के लोगों को प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, विशेष काल अथवा एक अथवा अधिक विशिष्ट लेखकों की रचनाओं का संग्रह प्रकाशित किया जाता है। पहले ही, इस श्रृंखला में 12 भारतीय भाषाओं में 870 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं जिनमें से 9 पुस्तकें अप्रैल से दिसंबर, 1991 के दौरान प्रकाशित की गई थीं।

11.2.7 "इंडिया-लैंड एंड पीपुल" श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकें भौतिक पर्यावरणों, विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं तथा पेड़-पौधों की जानकारी देती हैं जिन्होंने भारत की सामाजिक संस्कृति एवं विविध रूपी स्वरूप को समृद्ध किया है। क्योंकि ये पुस्तकें उन पाठकों के लिए लिखी जाती हैं जो विषय से परिचित नहीं हैं, अतः इन्हें विषय के विशेषज्ञों द्वारा गैर-तकनीकी भाषा में लिखा जाता है और इनमें प्रामाणिक व अद्यतन जानकारी दी जाती है। अब तक अंग्रेजी सहित प्रमुख भारतीय भाषाओं में

433 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं जिनमें से पांच अप्रैल से दिसंबर, 1991 के दौरान प्रकाशित की गईं।

11.2.8 यंग इंडिया लाइब्रेरी श्रृंखला के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए पुस्तकें प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य है — सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक संकल्पनाओं व उन मुद्दों और विकल्पों की जानकारी देना, जिनका आने वाले वर्षों में नवयुवकों को सामना करना पड़ेगा, उनकी जिज्ञासा को जागृत करना और उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करना। साहस कथाएं, यात्रावृत्त तथा जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों संबंधी पुस्तकें भी इस श्रृंखला में शामिल हैं। अप्रैल और दिसंबर, 1991 के दौरान 7 पुस्तकें प्रकाशित की गई थीं।

11.2.9 पापुलर साइंस श्रृंखला का उद्देश्य है — औसत शिक्षित पाठक को उसके परिवेश से अवगत कराना, दिन-प्रतिदिन के जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को समझने योग्य बनाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को बढ़ावा देना। यह सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाता है कि जो भी सूचना दी जाए वह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणिक व विश्वसनीय हो। अप्रैल से दिसंबर, 1991 के दौरान चार पुस्तकें प्रकाशित की गईं।

(ख) प्रकाशन में सहायता

11.2.10 उचित कीमत पर स्वीकार्य कोटि की पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोन्नत करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत लेखकों, चित्रकारों व प्रकाशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पुस्तकों के रियायती प्रकाशन की योजना

11.2.11 इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने पहले ही उच्च शिक्षा के लिए लगभग 780 पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता दी है। इसी प्रकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी एक योजना है जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने के लिए सहायता दी जाती है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व राष्ट्रीय पुस्तक न्यास दोनों ही उत्कृष्ट लेखकों और विशेषज्ञों द्वारा विशेष रूप से भारतीय छात्रों के लिए सतर्कतापूर्वक प्रलेखित एवं अच्छी तरह से लिखी पाठ्य एवं संदर्भ पुस्तकों की उपलब्धता को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दोनों संगठन इस निष्कर्ष पर पहंचे हैं कि यदि इन्हें और अधिक सम-वयात्मक ढांचे के अंतर्गत निष्पादित किया जाए तो उनकी योजनाएं और ज्यादा प्रभावकारी होंगी। विस्तृत चर्चा के उपरांत इन राष्ट्रीय संगठनों ने अपनी-अपनी योजनाओं के समन्वयात्मक कार्यकरण के लिए अब एक नीति ढांचा तैयार किया है तथा आपसी सूझबूझ संबंधी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

बच्चों और नव-साक्षरों के लिए पुस्तकों के निर्माण के लिए सहायता देने की योजनायें

11.2.12 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने निजी प्रकाशकों और स्वैच्छिक एजेंसियों को बच्चों और नव-साक्षरों तथा स्कूल बीच में छोड़ कर जाने वालों के लिए उच्च कोटि की पुस्तकों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता देने की एक योजना शुरू की है जिसमें न्यास लेखक और चित्रकार दोनों को सीधा भुगतान करता है और इसके अतिरिक्त पांडुलिपियों के तैयार करने का खर्च वहन करता है।

(ग) पुस्तक प्रोन्नति

11.2.13 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के पुस्तक प्रोन्नति कार्यकलापों में पुस्तक मेले, पुस्तक उत्सव, पुस्तकों से संबंधित विषयों पर कार्यशालाएं, सेमिनार और संगोष्ठियां आयोजित करना, राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का आयोजन आदि शामिल हैं। 14 से 20 नवंबर, 1991 तक सातवां राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह मनाया गया। वर्ष के दौरान न्यास ने मदुरै पुस्तक उत्सव (31 अगस्त — 8 सितंबर, 1991) भोपाल पुस्तकोत्सव (28 सितंबर — 6 अक्तूबर, 1991), नई दिल्ली, कलकत्ता में 9 — 17 नवंबर, 1991 के बीच तथा दिल्ली में 28 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच वाला पुस्तक मेला आयोजित किया। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने नई दिल्ली नगरपालिका समिति के लगभग 25 चुने हुए विद्यालयों में पाठक क्लब की भी एक बड़ी परियोजना आरंभ की है।

पुस्तक संवर्धनात्मक कार्यकलाप तथा स्वैच्छिक सगंठनों को वित्तीय सहायता

11.3.0 पुस्तक संवर्धनात्मक कार्यकलाप तथा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन आदि के आयोजन के लिए तदर्थ आधार पर अनुदान दिया जाता हैं। यह योजना, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत लेखकों के प्रतिनिधि-मंडल के आदान-प्रदान पर हुए खर्च की भी व्यवस्था करती है।

विश्वविद्यालय स्तर की विदेशी मूल की सस्ती पुस्तकों का प्रकाशन

11.4.0 विभाग, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ की सरकारों के सहयोग से तीन कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तर की मानक विदेशी पाठ्यपुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों के नवीनतम संस्करणों का, जिनके समतुल्य भारतीय पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, सस्ते प्रकाशन के रूप में प्रकाशन किया जाता है। अब तक 763 ब्रिटिश, 1668 अमरीकी और 650 सोवियत रूस की पुस्तकों को प्रकाशित किया जा चुका है। चालू वर्ष के दौरान 38 अमरीकी और 68 सोवियत रूस की पुस्तकें प्रकाशित करने की सिफारिश की गई है।

भारत-सोवियत संघ साहित्यिक परियोजना (बीसवीं शताब्दी साहित्य परियोजना)

11.5.0 भारत और सोवियत संघ के समसामयिक सृजनात्मक साहित्य के प्रकाशन के लिए स्थापित शताब्दी भारत-सोवियत समिति ने दोनों देशों की 20 वीं शताब्दी की मुख्य साहित्यिक रचनाओं का लगभग 20-20 खण्डों में अनुवाद प्रकाशित करने के लिए एक परियोजना तैयार की है। इसके प्रथम दो खण्डों का विमोचन मास्को में, भारत महोत्सव के दौरान किया गया। साहित्य अकादमी, जो भारतीय पक्ष की ओर से परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए एक विशिष्ट एजेंसी है ने इस संबंध में किए गए करार के अनुसार इन दोनों खण्डों की हजार-हजार प्रतियां खरीदी हैं। सोवियत पक्ष द्वारा हिंदी अनुवाद के लिए भेजे गए तीसरे, चौथे और पांचवे खण्डों की पाण्डुलिपियों का भारतीय विशेषज्ञों द्वारा संपादन किया गया और उन्हें प्रकाशित करने की स्वीकृति दे दी गई। पाण्डुलिपियों के प्रकाशन के लिए उन्हें सोवियत संघ को वापस कर दिया गया। वर्ष 1995 तक सभी खण्ड प्रकाशित हो जाने की आशा हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद

11.6.0 देश में पुस्तकों के प्रकाशन की प्रगति की समीक्षा करने और पुस्तक उद्योग तथा व्यापार के विकास के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में सरकार को परामर्श देने, अच्छी कोटि की विशेष प्रयोजन की पुस्तकों की उपलब्धता को बढ़ाने आदि के लिए 6.11.90 को राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद का पुनगर्ठन किया गया है।

पुस्तकों और प्रकाशनों के लिए नई आयात नीति

11.7.0 पुस्तकों और, प्रकाशनों के लिए नई आयात नीति अप्रैल 1990 से लागू की गई है और यह नीति मार्च 1993 तक चलती रहेगी।

पुस्तक निर्यात और संवर्धन कार्यकलाप

11.8.0 भारत पुस्तक प्रकाशित करने वाले प्रमुख देशों में से एक है। विदेशों में भारतीय पुस्तकों की बिक्री और अनुवाद/पुनर्मद्रण के दायित्वों को प्रोत्साहित करने के लिए और विदेशों से मुद्रण कार्य प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेकर और भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करके व्याख्या सहित सूची-पत्रों तथा बाजार अध्ययन विवरणिकाओं आदि के परिचालन द्वारा वाणिज्यिक प्रचार तथा बाजार अध्ययन करके हमारी पुस्तकों की बिक्री के लिए उपाय किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम के अंतर्गत 1991-92 के दौरान मालद्वीव और चीन में भारतीय पुस्तकों की प्रदर्शनियां आयोजित की गई।

अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन के लिए राजा राममोहन राष्ट्रीय एजेंसी

11.9.0 अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन प्रणाली का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में स्वदेशी प्रकाशनों के निर्यात को बढ़ावा देना है और दिन प्रतिदिन के कार्यों में नित्यप्रति पुस्तक व्यवहारों को अधिकतम कम करना है। यह एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है जिससे प्रत्येक पुस्तक की अलग-अलग पहचान संख्या निर्धारित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन प्रणाली अभी तक तो भारत में अपनी प्रारंभिक अवस्था में है किन्तु इसके अलावा भी यह प्रणाली पुस्तक व्यापार के लिए पुस्कालयों और सूचना प्रणाली तथा अनुसंधान अध्येताओं के लिए बुहत ही उपयोगी है। पहली जनवरी 85 से लेकर 31 अक्तूबर, 1991 तक करीब-करीब 1175 छोटे बड़े प्रकाशक और लेखक इस व्यवस्था के सदस्य हो गए हैं और उनके हजारों प्रकाशन आज अंतर्राष्ट्रय मानक पुस्तक संख्यांकनों से जुड़े हुए हैं।

कापीराइट

11.10.1 कापीराइट कार्यालय की स्थापना जनवरी 1958 में कापीराइट अधिनियम 1957 की धारा 9 के अनुसरण में की गई थी। मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कापीराइट अधिनियम कापीराइट संशोधन अधिनियम 1983 और कापीराइट संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित किया गया।

राष्ट्रपति ने प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 28 दिसंबर, 1991 को जारी किया है। इस संशोधन द्वारा प्रतिलिप्यधिकार की अवधि 50 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है।

11.10.2 प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय समय-समय पर यथा संशोधित प्रतिलिप्यधिक्कार अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी की कृतियों को पंजीकृत करता है:

(क) साहित्यिक नाटकीय
(ख) संगीत एवं अभिलेख
(ग) चलचित्र
(घ) कलात्मक

इसके अतिरिक्त, कापीराइट कार्यालय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 की धारा 49 के अनुसार विभिन्न श्रेणी की कृतियों से संबंधित प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में परिवर्तनों को पंजीकृत करता है। वर्ष के दौरान अधिनियम के अंतर्गत 1741 कृतियों का पंजीकरण किया गया है।

11.10.3 कापीराइट बोर्ड, जो एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, का आदितः सितंबर, 1958 में गठन किया गया था। प्रतिलिप्यधिकार मंडल के क्षेत्राधिकार में भारत के सभी भाग आते हैं। मंडल प्रतिलिप्यधिकार पंजीकरण में संशोधन संबंधी मामलों और

* सामान्य जनता के लिए प्रतिबंधित कृतियों
* अप्रकाशित भारतीय कृतियों
* अनुवाद करने और उसके प्रकाशन तथा
* किन्ही प्रयोजनों से रचित और प्रकाशित कृतियों

को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रतिलिप्यधिकार सौंपने से संबंधित विवादों की सुनवाई करता है।

11.10.4 यह प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 के अंतर्गत अपने समक्ष किए गए अन्य विविध मामलों की भी सुनवाई करता है। मंडल की बैठकें देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित की जाती हैं ताकि लेखकों, रचनाकारों और बौद्धिक संपदा के स्वामियों को उनके निवास अथवा कार्यालय के समीप न्याय की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। प्रतिलिप्यधिकार मंडल 8 मई, 1990 को 4 वर्ष के लिए अर्थात् 31 मार्च 1994 तक के लिए पुनर्गठित किया गया। वर्ष के दौरान मंडल ने 38 मामलों पर निर्णय लिए।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार

11.11.1 भारत साहित्यिक एवं कलाकृतियों के संरक्षण संबंधी बर्न और युनिवर्सल प्रतिलिप्यधिकार संघ नामक दोनों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार संघों का सदस्य है। इन दोनों संघों में 1971 में संशोधन करके उन मामलों में किन्ही विशिष्ट प्रयोजनों से विदेशी मूल की पुस्तकों के पुनर्मुद्रण और अनुवाद के लिए विकासशील देशों को अनिवार्य अनुज्ञप्तियां जारी करने का अधिकार प्रदान किया, जिन मामलों में प्रतिलिप्यधिकार स्वामी स्वतंत्र बातचीत के जरिए ये अधिकार देने को राजी न हों। भारत ने इन संघों को 1971 पुस्तकों के लिए सहमति प्रदान की है।

11.11.2 भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वीपो) जेनेवा जो साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण संबंधी बर्न कन्वेंशन का अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय है, के शासी निकाय के विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

11.11.3 वीपो अंतर्राष्टरीय संपदा शिक्षण संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला का दिल्ली में 21-25 अक्तूबर, 1991 को आयोजन किया गया। यह कार्यशाला दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा विभाग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वीपो) के सहयोग से आयोजित की गई। वीपो ने ब्रिटेन

संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया और थाईलैंड से एक-एक विशेषज्ञ - कुल चार विशेषज्ञ और वीपो के दो वरिष्ठ अधिकारी कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किए। यह कार्यशाला मई 1990 के बाद से वीपो द्वारा भारत में आयोजित पहली बैठक थी और पहले ऐसी शिक्षण कार्यशाला थी जिसमें शैक्षणिक समुदाय ने भाग लिया। महसूस किया गया कि बौद्धिक संपदा के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय महत्व को मद्देनजर रखते हुए इस देश में इसे विधिक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

11.11.4 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वीपो) के महानिदेशक डा॰ अर्पड बोग्स्च ने वीपो के उप महानिदेशक श्री शाहिद अली खां और वीपो के निदेशक (काउंसिलर) श्री ज्योफ्रे यू के साथ 22 से 25 जनवरी, 1992 के बीच भारत का दौरा किया तथा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, वाणिज्य राज्य मंत्री, उद्योग राज्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों से मुलाकात की।

प्रतिलिप्यधिकार के क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाएं

11.12.0 वीपो ने अपने सहयोग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकासशील देशों में प्रतिलिप्यधिकार से संबंधित अधिकारियों के लिए प्रतिलिप्यधिकार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए। वर्ष के दौरान, इस विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों ने वीपो द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।

1. शिक्षा विभाग के निदेशक श्री आर॰ एन॰ तिवारी ने कापीराइट और नेबरिंग राइट्स से संबंधित विकासात्मक सहयोग की वीपो स्थायी समिति के 15-18 अप्रैल 1991 तक जेनेवा में आयोजित 9वें सत्र में भाग लिया।
2. श्री आर॰ एल॰ रायचन्दानी, डेस्क अधिकारी, प्रौढ़ शिक्षा ने 11-22 नवम्बर, 1991 तक बुडापेस्ट में आयोजित प्रतिलिप्यधिकार और संबद्ध अधिकार संबंधी वीपो प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

प्रतिलिप्यधिकार प्रवर्तन सलाहकार परिषद

11.13.0 भारत सरकार ने एक प्रतिलिप्यधिकार प्रवर्तन सलाहकार परिषद का गठन किया है ताकि सभी सदस्यों/संघ-क्षेत्रों में प्रतिलिप्यधिकार के प्रवर्तन को सुदृढ़ और कारगर बनाया जा सके और सामान्य जनता और प्रवर्तन प्राधिकारियों दोनों को प्रतिलिप्यधिकार चोरी के अपराध और प्रतिलिप्यधिकार के कारगर संरक्षण के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सके। परिषद का कार्य, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना और सरकार को प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में सुधार के उपाय सुझाना है। प्रतिलिप्यधिकार प्रवर्तन सलाहकार परिषद की पहली बैठक 6 दिसंबर, 1991 को नई दिल्ली में संपन्न हुई जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शिक्षा विभाग ने कापीराइट लागू करने में संलग्न अधिकारियों के लिए 13-14 जनवरी, 1992 को नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में कापीराइट और इसके लागू करने के संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। कापीराइट के मामलों में लागू करने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उन्हें शैक्षिक जगत और कापीराइट उद्योगों के वक्ताओं के आगे लाने के उद्देश्य से देश में आयोजित यह कार्यशाला अपने आप में पहला था। कार्यशाला का उद्घाटन माननीय वाणिज्य राज्य मंत्री श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा किया गया था और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री बी॰ एन॰ कृपाल ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें आन्ध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने भाग लिया था।

12. भाषाओं की प्रौन्नति

12. भाषाओं की प्रोन्नति

12.1.0 भाषाएं शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम होती है इस कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनके विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अतः भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में हिन्दी और अन्य चौदह भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें एक और संस्कृत तथा उर्दू भाषा को अपनाया गया हैं तथा दूसरी और अंग्रेजी जैसी भाषा को अपना कर इनकी प्रोन्नति तथा विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने में, मूलभूत रूप से कई स्वायत्त संगठन और अधीनस्थ कार्यालय अर्थात केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (के०हि०शि०म०) आगरा, अपने चार केन्द्रों सहित, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (रा०सं०सं०) नई दिल्ली अपने आठ विद्यापीठों सहित, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (के०भा०भा०सं०), मैसूर अपने चार क्षेत्रीय केन्द्रों और दो उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्रों सहित, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (के०हि०नि०), नई दिल्ली, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (वै०त०श०आ०) और उर्दू संबर्धन ब्यूरो (उ०सं०ब्यू०) विभाग की सहायता करते हैं। इसके अलावा भाषा संबर्धन कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी एजेंसियां भी शामिल हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए इन गैर-सरकारी एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। विभाग ने अपनी चल रही योजनाओं तथा कार्यक्रमों को जारी रखा है। वर्ष 1991-92 के दौरान भाषाओं की प्रोन्नति तथा विकास से संबंधित किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित हैं।

हिंदी की प्रोन्नति और विकास

12.2.1 हिंदी की प्रोन्नति, विकास तथा प्रचार प्रसार में लगे स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के केन्द्रीय सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। कई वर्षों से, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। सरकारी सहायता से, इन संगठनों में से कुछ संगठनों का इतना विकास हुआ कि अब वे प्रमुख संस्थान बन गए हैं जो एक राज्य की अपेक्षा अधिक राज्यों में एक साथ चल रहे है। हिंदी की प्रोन्नति तथा प्रचार प्रसार की दृष्टि से प्रकाशनों को प्रकाशित करने के वास्ते स्वैच्छिक संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों और व्यक्तियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। कुल लागत अनुमान की 80 प्रतिशत की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय हिंदी निदेशालय

12.2.2 निदेशालय तेरह हिंदी और तेरह क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित द्विभाषकी कोशों का संकलन कर रहा हैं। अब तक तेरह शब्द कोशों अर्थात हिंदी-असमी, हिन्दी-गुजराती, हिन्दी-कश्मीरी, हिन्दी-मराठी, हिन्दी-मलयालम, हिन्दी-उड़िया, हिन्दी-सिंधी, हिन्दी-तमिल, हिन्दी-तेलुगू हिन्दी-उर्दू, उड़िया -हिन्दी, और मलयालम-हिन्दी शब्द कोशों प्रकाशित किए हैं। निदेशालय से बारह त्रिभाषी शब्द कोश निकाले है जबकि बारह हिन्दी पर आधारित तथा बारह क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित त्रिभाषी शब्द कोश संकलि किए जा रहे हैं। निदेशालय ने "भारतीय भाषा कोश परिचय" का संकलन करने के अलावा एक बहुभाषी शब्द कोश और तत्सम शब्दों का एक शब्द कोश भी प्रकाशित किया है। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत चेक-हिन्दी और जर्मन-हिन्दी, (खण्ड 1 और 11) के शब्दकोश प्रकाशित किए गए संयुक्त राष्ट्र संघ भाषा शब्दकोश कार्यक्रम के अन्तर्गत, हिन्दी-चीनी, हिन्दी-अरबी, हिन्दी-फ्रेंच और हिन्दी-स्पेनी के शब्दकोश प्रकाशित किए गए। इनके अलावा, हिन्दी-कश्मीरी और हिन्दी-असमी की बोलचाल की गाइडें भी प्रकाशित की गई। एक त्रिभाषी शब्द कोश बनाने का कार्य प्रगति पर है। हिन्दी और पड़ोसी देशों की भाषा के द्विभाषी शब्द कोशों की तैयारी की एक परियोजना शुरू की गई है। इनमें से दस ऐसे शब्द कोशों, हिन्दी-फारसी, हिन्दी-सिंघली और हिन्दी-हिन्देशियाई भाषा पर कार्य चल रहा है।

12.2.3 निदेशालय हिन्दी पत्रिकाओं जैसे "यूनस्कों दूत" (अंग्रेजी पत्रिका का हिन्दी रूपांतर शीर्षक "यूनेस्कों कुरियर" "भाषा" (तिमाही) "वार्षिकी" (एनुअली) और साहित्य माला (भारतीय भाषा और साहित्य पर पुस्तकें) भी निकाल रहा है।

12.2.4 निदेशालय अंग्रेजी, तमिल , मलयालम और बंगाली माध्यम से पत्राचार पाठ्यक्रमों के जरिए हिन्दी शिक्षण की योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। चालू सत्र के दौरान इन पाठ्यक्रमों में लगभग 15,000 नामांकन होने की संभावना है। छात्रों के लिए अध्ययन के साधनों के तौर पर कुछ रिकार्ड और कैसेट भी तैयार किए गए। छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने के वास्ते व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए।

12.2.5 निदेशालय ने अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए हिन्दी भाषा क्षेत्रों में अध्ययन के लिए अध्ययन-दौरे आयोजित किए और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के अनुसंधान अध्येताओं को यात्रा-अनुदान भी जारी किए गए। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भारतीय साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन करने के अलावा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के वास्ते नव हिन्दी लेखकों की कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक वर्ष अहिन्दी भाषी हिन्दी लेखकों को पुरस्कार दिए जाते हैं।

12.2.6 हिन्दी के प्रचार-प्रसार के वास्ते अहिन्दी भाषा राज्यों को कुछ पुस्तकें निःशुल्क भेजी गए हैं। हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाना भी निदेशालय का एक अन्य कार्यकलाप हैं। निदेशालय बोलचाल की हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए एक सर्वेक्षण भी कर रहा है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

12.2.7 हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का विकास करने सभी विषयों में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तथा संदर्भ साहित्य तैयार करने के लिए अक्तूबर,, 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीक शब्दावली आयोग (वै०त०श०आ०) की स्थापना की गई थी ताकि विश्वविद्यालयों के शिक्षण माध्यम को बदल कर सुविधाजनक बनाया जा सके।

12.2.8 कृषि, आयुर्विज्ञान, और रक्षा शब्दावलियों के दूसरे संस्करण पर मुद्रण कार्यचल रहा है।

शब्दावली

12.2.9 आयोग ने अब तक पांच लाख से अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी (परिभाषित) शब्द विकसित करके प्रकाशित किए हैं आयोग ने अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, धातु विज्ञान और मुद्रण प्रौद्योगिकी में भी शब्दावलियां प्रकाशित की है। "समेकित प्रकाशन शब्दावली" (कंप्यूटर आंकड़े पर आधारित) और विज्ञान बोध शब्दावली भी प्रकाशित किए है। वर्ष के दौरान संबंधित संगठनों/विभागों के प्रयोग के लिए 50,000 से अधिक पारिभाषिक शब्दों को अन्तिम रूप दिया गया आयोग, राज्य भाषा अकादमियों को क्षेत्रीय भाषाओं में शब्दावली निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सलाह दे रहा है।

पारिभाषिक शब्द कोश

12.2.10 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने अब तक अड़तीस पारिभाषिक शब्द कोश निकाले हैं।

तीन ऐसे शब्दकोश मुद्रणधीन हैं और 10 तैयार किए जा रहे हैं। "सामाजिक विषय का व्यापक पारिभाषि शब्दकोश" भी तैयार किया जा रहा हैं।

पान (पी०ए०एन०) भारतीय पारिभाषिक शब्दावली

12.2.11 अभी तक, विद्वानों, लेखकों अनुवादकों और पत्रकारों के बीच निःशुल्क वितरण के लिए 13 अखिल भारतीय शब्द संग्रह प्रकाशित किए जा चुके हैं। सात अखिल भारतीय शब्द संग्रह तैयार किए जा रहे हैं।

विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तक उत्पादन एवं तिमाही पत्रिका

12.2.12 वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने हिन्दी ग्रंथ अकादमियों, राज्य, पाठ्य-पुस्तक बोर्डों एवं विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों के सहयोग से हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में 9377 विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकें प्रकाशित की हैं। आयोग ने इंजीनियरी, आयुर्विज्ञान एवं कृषि के क्षेत्र में भी 362 पुस्तकें तैयार की हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, "विज्ञान गरिमा सिंधु" नामक एक तिमाही पत्रिका भी प्रकाशित करता है।

शब्दावली पूर्वाभिमुखीकरण कार्यशाला

12.2.13 आयोग द्वारा विकसित शब्दावली के समुचित प्रयोग को संबधित एवं लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक एवं तकनीकी आयोग मौलिक विज्ञानों के विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय/कालेज के शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करता है। वर्ष के दौरान ऐसी 12-15 कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। अभी तक 227 से अधिक विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों ने शब्दावली पूर्वाभिमुखी करण प्राप्त कर लियाहै।

शब्दावली का संगणकीकरण

12.2.14 प्रभावी समन्वयन को सुविधाजनक बनाने, व्यापक विषय समूह-वार और विषय-वार शब्द संग्रहों को अद्यतन बनाने और उनका मुद्रण करने और कम्प्यूटर आधारित राष्ट्रीय शब्दावली बैंक की स्थापना करने के लिए डाटा बेस का सृजन करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने इस परियोजना को 1989 में प्रारम्भ किया था और इस परियोजना के अन्तर्गत अभी तक, 2.5 लाख तकनीकी शब्दों को डाटाबेस में भरा जा चुका है।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (के०एच०एस०)

12.2.15 गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य के अनुसरण में, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (के०एच०एस०) जिसका मुख्यालय आगरा में स्थित है, और जिसके केन्द्र दिल्ली, गुवाहटी, हैदराबाद मैसूर और शिलांग में स्थित हैं, निष्णात एवं पारंगत प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों आदि जैसे कई महत्वपूर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। वे जनजातीय इलाकों में हिन्दी शिक्षकों के लिए प्रसार कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी पढ़ाने के लिए संस्थान ने पाठ्य पुस्तकों एवं शैक्षिक सामग्री को भी विकसित किया है।

12.2.16 विदेशियों को हिन्दी पढ़ाने के लिए "विदेशों में हिन्दी के प्रसार" नामक योजना के अन्तर्गत संस्थान द्वारा एक पूर्ण विकसित शैक्षिक पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने अनेक राष्ट्रों के 50 छात्रों को छात्रवृति से सम्मानित किया है।

12.2.17 सस्थान के रजत समारोह के अवसर पर "हिन्दी सेवी सम्मान योजना" नामक स्कीम की स्थापना की गई। इस योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक वर्ष व्यक्तियों को हिन्दी के विकास एवं प्रचार-प्रसार, हिन्दी पत्रकारिता, कृति साहित्य, वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिन्दी साहित्य आदि के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है।

आधुनिक भारतीय भाषाओं (एम०आई०एल०) का संवर्धन एवं विकास

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (सी०आई०आई०एल०)

12.3.1 त्रिभाषा सूत्र कार्यान्वित करने के लिए आधुनिक भारतीय भाषाओं में शिक्षकों को प्रकाशित करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी०आई०आई०एल०) अपने चार क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों एवं दो उर्द प्रशिक्षण अनुसंधान केन्द्रों में विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के स्कूल शिक्षकों के लिए पूर्ण शैक्षिक वर्ष का पाठ्यक्रम चला रहा है। लगभग 200 शिक्षकों ने प्रायोगिक आधार पर चलाए जा रहे तमिल और बंगाली के पत्राचार पाठ्यक्रमों में भाग लिया है।
भाषा-दक्षता को मापने के लिए भाषाओं में प्रीवणता परीक्षाएं तैयार करने के उद्देश्य से संस्थान ने सात भाषाओं में परीक्षा मदें तैयार की है, जबकि अन्य भाषाओं में परीक्षाएं तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

12.3.2 जनजातीय भाषाओं में कई पुस्तकें प्रकाशित करने के अतिरिक्त संस्थान ने कई जनजातीय एवं सीमा प्रात्तीय भाषाओं में व्याकरण, शब्दकोश एवं प्रवेशिकाएं भी तैयार की हैं।

12.3.3 आधुनिक भारतीय भाषाओंको संबंधित एवं प्रसारित करने के उद्देश्य से, प्रकाशनों के लिए स्वैच्छिक संगठनों एवं व्यक्तियों को सहायता दी जा रही हैं। इसी प्रकार, अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं के संबर्धन-कार्यकलापों में लगे स्वैच्छिक संगठनों को भी केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो रही है।

तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड/उर्दू संवर्धन ब्यौरा

12.3.4 1969 में गठित तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड, उर्दू भाषा के संवर्धन एवं विकास पर सरकार को सलाह-मशविरा देने वाली शीर्ष संस्था है। बोर्ड का अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होता है और संसद सदस्य, उर्दू विद्वान और परिषद सदस्य, इसके सलाहकार बोर्ड के सदस्य होते हैं।

12.3.5 उर्दू संवर्धन केन्द्र, बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करता है, इसके सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। वर्ष के दौरान मुख्य कार्यकलाप निम्न प्रकार से रहे:—

लगभग 30 पुस्तकों को प्रकाशित किए जाने की संभावना। नौ विषयों में तकनीकी शब्दों के शब्द-संग्रह प्रकाशित किए गए। 12 खण्डों के उर्दू-विश्वकोश और पांच खण्डों के अंग्रजी उर्दू शब्द कोश के प्रकाशन का कार्य प्रगति पर।

अर्द्धवार्षिक अनुसंधान पत्रिका 'फिकर-ए-तहकीक' प्रकाशित की जा रही है।

देश भर के 38 सुलेखन-प्रशिक्षण केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इनमें से सात केवल महिलाओं के लिए हैं।

तीन पुस्तक प्रदर्शानियां आयोजित की गई।

राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य पुस्तकों का उर्दू अनुवाद किया गया।

पुस्तकों की भारी खरीद के साथ-साथ, उर्दू में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए संगठनों एवं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। भाषा संवर्धन कार्यकलापों के लिए 14 मान्यता प्राप्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई।

संदर्भ-सूची ग्रंथ के बयालीस हजार कार्ड तैयार किए गए।

उर्दू की प्रोन्नति के संबंध में गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच के लिए समिति:

12.3.6 सरकार ने उर्दू की प्रोन्नति के संबंध में गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच के लिए अली सरदार जाफरी की अध्यक्षता में फरवरी, 1990 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने 18 सितंबरव, 1990 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। समिति की सिफारिशें संबंधित विभागों के परामर्श से तैयार की जा रही हैं।

सिंधी की प्रोन्नति

12.3.7 सिंधी परामर्शदात्री समिति वर्ष के दौरान कार्य करती रही और इस संबंध में उचित सलाह देती रही।

12.3.8 संसाधनों की कमी के कारण सिंधी विकास बोर्ड का गठन नहीं किया जा सका।

12.3.9 वर्ष के दौरान सिंधी के विकास के लिए कार्यक्रमों को धन उपलब्ध कराने की एक स्कीम जारी रही। इस स्कीम के तहत पुस्तकालयों और संगठनों को मुफ्त वितरण के लिए 90 पुस्तकें खरीदने का प्रस्ताव हैं, 5 लेखकों को उनके पुस्तकों के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं, स्वैच्छिक संगठनों/एजेंसियों को भाषा-प्रोन्नति गतिविधियों के लिए सहायता दी जाएगी। 5000 तकनीकी शब्दों के समानार्थी शब्दों के तैयार हो जाने की आशा है।

अंग्रेजी भाषा शिक्षण में सुधार

12.4.0 देश में अंग्रेजी के पठन/पाठन के स्तरों में पर्याप्त सुधार लाने के लिए सरकार प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला अंग्रेजी भाषा केन्द्र स्थापिति करने के लिए केन्द्रीय अंग्रजी और विदेशी भाषा संस्थान (सी०आई०ई०एफ०एल०) के माध्यम से सहायता दे रही। अब तक छब्बीस केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। सरकार केन्द्रीय अंग्रजी और विदेशी भाषा संस्थान (सी०आई०ई०एफ०एल०) के माध्यम से विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान और अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों को भी सहायता दी जा रही हैं।

संस्कृत तथा अन्य श्रेणय भाषाओं की प्रोन्नति

12.5.1 भारतीय सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण संरक्षण, विकास और प्रचार और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में इसके महत्व को देखते हुए भारत सरकार के विकास कार्यों में हमेशा बल दिया गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने और शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत भाषा की प्रोन्नति और विकास के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित किए गए हैं। अरबी और फारसी भाषाओं के विकास के लिए भी कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। आलोच्य अवधि के दौरान निम्नलिखित विकासात्मक कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली

12.5.2 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना संस्कृत के संरक्षण और प्रचार पाडुलिपियों के प्रकाशन और संरक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यकलाप आयोजित करने संस्कृत शिक्षण और अनुसंधान के विकास के लिए 1970 में की गई थी। इसके छः घटक केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ हैं जो इलाहाबाद, गुरूवापुर, जयपुर, जम्मू, लखनऊ और पुरी में स्थित हैं। इससे संबंधित इक्यावन निजी संस्थान भी हैं। जो परीक्षायें लेने का काम करते है।

12.5.3 संस्थान ने निम्नलिखित कार्यक्रम भी प्रारंभ किए हैं। (i) प्रख्यात वयोवृद्ध संस्कृत विद्धानों की सेवाओं का उपयोग, (ii) विशेष अभिविन्यास पाठ्यक्रम (iii) संस्कृत पुस्तकों की खरीद (iv) संस्कृत साहित्य तैयार करना, (v) दक्षेन कालेज, (vi) छात्र-वृत्तियां प्रदान करना, (vii) दुर्लभ पांडुलिपियों की खरीद और प्रकाशन (viii) संस्कृत अरबी और फारसी के विद्धानों को सम्मानार्थ राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में प्रमाण-पत्र देना (केवल विद्धानों को ही भुगतान किया जाएगा)। पुरस्कारों के लिए चयन मंत्रालय में प्रारंभिक चयन समिति द्वारा किया जाता है। पहले ये स्कीमें मंत्रालय में चलाई जाती थी परंतु, अब इन्हें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को सौंप दिया गया हैं।

स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों/आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों को वित्तीय सहायता।

12.5.4 शिक्षकों के वेतन, छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों भवनों की मरम्मत फर्नीचर और पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों आदि पर होने वाले आवर्ती और अनावर्ती खर्च को पूरा करने के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों/संस्थाओं को अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। संस्वीकृत खर्च का पचहत्तर प्रतिशत सरकार देती

है जबकि 25% खर्च संगठन वहन करते हैं। जिन वैदिक संस्थाओं में मौखिक वैदिक परंपरा सुरक्षित रखी जा रही हैं उनके मामले में कुल संस्कीकृत व्यय का 95% सरकारी अनुदान के रूप में होता है। देश भर के लगभग छः सौ संस्कृत संगठन इस स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित हुए।

12.5.5 कुछ ऐसे स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है जिनमें भावी विकास और स्नातकोत्तर अध्ययन प्रारंभ करने की क्षमता हो। इन्हें कुल संस्कीकृत व्यय का 95% आवर्ती और 75% अनावर्ती व्यय की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक चौदह संस्कृत शिक्षण संस्थानों और दो स्नातकोत्तर शोध संस्थानों को इस स्कीम के अधिकार क्षेत्र में लाया गया है। इनमें से चार बिहार में (लग्मा, देवहार कोलहान्टा और हुलासंगत), तीन उत्तर प्रदेश में (वृन्दावन, हरिद्वार और मैनपुर) तीन तमिलनाडु में (दो मालापुर में एक कांचीपुरम में) दो हरियाणा में (अम्बाला और भागोला) (पलवल), दो महाराष्ट्र में) (बम्बई और पूना) एक केवल में (बालूसरी) और एक हिमाचल प्रदेश में (जांगला (रोहरु) में स्थित है।

केन्द्रीय संस्कृत सलाहकार बोर्ड/समितियां

12.5.6 केन्द्रीय संस्कृत सलाहकार बोर्ड एक सलाहकार निकाय है, को देश में संस्कृत के प्रचार प्रोन्नति और विकास से संबंधित नीतिगत मामलों में भारत सरकार को सलाह देती है। मार्च, 1989 को तीन वर्ष की अवधि के लिए इसका पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित बोर्ड की तीन बैठकें क्रमशः 4 जुलाई, 1989, 15 सितंबर, 1989 और 1 सितंबर, 1990 को हुई हैं।

विश्वविद्यालयवत संस्थायें।

12.5.7 श्री लालबहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति को 1987 में विश्वविद्यालय वत संस्थाये घोषित किया गया। ताकि शास्त्रीय परंपराओं को सुरक्षित रखा जा सके, शास्त्रों की व्यवख्या प्रारंभ की जा सके, आधुनिक संदर्भ में इनकी प्रासंगगिकता स्थापित की जा सके और शास्त्रीय ज्ञान को अद्यतन बनाया जा सके तथा इन विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके ताकि ये विद्यापीठ एक पृथक स्वरूप प्राप्त कर सकें।
इन विद्यापीठों ने शैक्षिक वर्ष 1991 से काम करना प्रारंभ कर दिया है।

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से संस्कृत के विकास की स्कीम

12.5.8 यह केन्द्रीय योजना स्कीम है जिसको राज्य सरकारें चला रही हैं। निम्नलिखित पांच मुख्य कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशतय आधार पर सहायता दी जा रही है।

(क) विप्रन स्थित में रह रहे सुविख्यात संस्कृत विद्वानों को वित्तीय सहायता।

इस स्कीम के अंतर्गत 4000 रु० से कम वार्षिक आय वाले 1450 सुविख्यात विद्वानों को प्रति वर्ष अधिकतम 4,000 रु० की वित्तीय सहायता दी जाती है वर्ष 1992-93 तक इस सूची में सत्तर विद्वानों के शामिल किए जाने की आशा है।

(ख) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण

संस्कृत की परंपरणागत और आधुनिक शिक्षा में समायोजना के लिए परंपरागत संस्कृत पाठशालाओं में चुनिंदा आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति को सुकर बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है।

(ग) हाई स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत पढाने के लिए सुविधायें प्रदान करना।

जिन राज्यों की सरकारें संस्कृत पढाने के लिए सुविधायें उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हैं वहां माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त होने वाले संस्कृत अध्यापकों के वेतन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान दिया जाता है।

(घ) हाई स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत पढने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत पढने के लिए छात्रों को आकर्षित करने के लिए योग्यता छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। कक्षा (ix) और (x) के लिए 25 रु० प्रतिमाह की दर से और कक्षा (xi) और (xii) के लिए 35 रु० प्रतिमाह की दर से कक्षा (ix) से (xii) तक के छात्रों को सामान्य छात्रवृत्तियां प्रदत्त की जा रही है।

इस स्कीम के अंतर्गत प्रति वर्ष लगभग 3000 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं।

(ड़) संस्कृत की प्रोन्नति के लिए स्कीम चलाने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान

राज्य सरकारें संस्कृत के विकास और प्रचार के लिए शिक्षकों के वेतन बढाने, वैदिक विद्वानों सम्मान देने, विद्वत सभाएं आयोजित करने, संस्कृत शिक्षण के लिए सायंकालीन कक्षायें लगाने, कालीदान समारोह मनाने आदि से संबंधित अपना कार्यक्रम बनाने और उनके कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस स्कीम के अंतर्गत 1991-92 के दौरान तीन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता देने का विचार है। वर्ष 1992-93 के दौरान और अधिक राज्यों को अनुदान के लिए इन कार्यक्रमों में शामिल करने की आशा है।

वैदिक अध्ययन की मौखिक परंपरा का संरक्षण/अखिल भारतीय वक्तृत्व कौशल प्रतियोगिता

12.5.9 (i) वैदिक अध्ययन की मौखिक परंपरा के संरक्षण के लिए विशेष प्रोत्साहन के रूप में वर्ष 1988 में एक स्कीम प्रारंभ की गई थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्वाध्यायी से अपेक्षा की जाती है कि वह बारह वर्ष से कम आयु के दो छात्रों को वेद की किसी विशेष शाखा में प्रशिक्षित करेगा। वर्ष 1990-91 के दौरान ऐसी चौदह इकाईयों को सहायता दी गई। वर्ष 1991-92 के दौरान आठ और इकाईयों का चयन किया गया। इस स्कीम के अन्तर्गत विद्वान को 1250 रु० का मानदेय और दो छात्रों को 175 रु० प्रति माह वृत्तिका स्वरूप दिया जाता है।

(ii) परंपरागत संस्कृत पाठशालाओं में संस्कृत शिक्षण की विभिन्न शाखाओं में प्रतिभाशाली छात्रों में वक्तृत्व कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए अखिल भारतीय वक्तृत्व कौशल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। सभी राज्यों से एक शिक्षक सहित आठ छात्रों का दल इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। गत वर्ष की प्रतियोगिता बम्बई में 26 से 28 दिसंबर, 1990 तक आयोजित की गई थी जिसमें 12

राज्यों की टीमों ने भाग लिया। इस वर्ष की प्रतियोगिता के फरवरी, 1992 में कभी आयोजित होने की आशा है।

7. राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान

12.5.10 राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान (आर०वी०वी०पी०) की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में अगस्त, 1987 में की गई थी। मौखिक वैदिक परम्परा का परिरक्षण, वैदिक ज्ञान की अन्तर्वस्तु में शोध और आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक विकास में वैदिक ज्ञान की प्रासंगिकता आदि को पता लगाना प्रतिष्ठान के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप प्रारंभ किए गए:

— फरवरी, 1991 मे एक अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन आयोजित किया गया।

— वर्ष के दौरान शिमला (हिमाचल प्रदेश), हैदराबाद, (आन्ध्र प्रदेश), मैनपुरी (उत्तर प्रदेश) और पुरी (उड़ीसा) में चार क्षेत्रीय वैदिक सेमिनार आयोजित किए गए।

— साहित्य अकादमी के सहयोग से दिल्ली में वेद और ज्योतिष पर अखिल भारतीय सेमिनार आयोजित किया गया।

— बंगलौर में अभिनव विद्या भारती ट्रस्ट और अन्य के सहयोग से वैदिक गणित पर एक सम्मेलन कार्यशाला का आयोजन किया गया।

— वृष्टि विज्ञान मण्डल द्वारा मथुरा में वृष्टि विज्ञान पर सेमिनार आयोजित किया गया।
अग्नि को प्रेष्य ऋग्वेद के मंत्रों को आडियो कैसेटों में ध्वन्यांकित किया गया राष्ट्रीय संस्कृत विद्या पीठ, तिरूपति में उपलब्ध वैदिक मंत्रोचारों की 762 टेपों को डब किया गया।

— श्री जगन्नाथ वेदालंकार द्वारा लिखित प्रतिष्ठान का प्रथम प्रकाशन अर्थात "ज्योतिषम ज्योतिष" जारी किया गया।

— दिल्ली के युवा संस्कृत अध्यापकों के लिए वैदिक कक्षाएं आयोजित की गईं जिनमें कुछ ख्याति प्राप्त विद्वानों ने भी वेदों से संबंधित विषयों पर व्याख्यान दिए।

8. अरबी और फारसी के प्रचार और विकास में लगे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

12.5.11 इस योजना क अन्तर्गत अरबी और फारसी के संवर्धन के लिए कार्य कर रहे पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों के शिक्षकों के वेतन, छात्रवृत्ति, फर्नीचर पुस्तकालय की पुस्तकों आदि तथा अरबी और फारसी के विकास के लिए चलाए जा रहे अन्य कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। स्वीकृत व्यय पर पचहत्तर प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है। आलोच्य वर्ष के दौरान लगभग दो सौ अरबी और फारसी स्वैच्छिक संस्थानों को वित्तीय सहायता दी गई।

13. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

13. सीमावर्ती क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम

13.1.1 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गुजरात, जम्मू और काश्मीर, पंजाब और राजस्थान राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में शैक्षिक विकास करना है। इसमें पाकिस्तान से साथ लगने वाले 18 सीमाक्षेत्र और 79 ब्लाक शामिल हैं। इस कार्यक्रम के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रथम वर्ष (सातवीं योजना के दूसरे वर्ष) अर्थात 1986-87 के दौरान सचिवों की समिति द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार तीन सीमावर्ती राज्यों अर्थात राजस्थान, गुजरात और पंजाब में इस कार्यक्रम को गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया। वर्ष 1987-88 से इस कार्यक्रम को पुनः अनुस्थापित किए जाने के लिए इसके कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। इसका उद्देश्य यह था कि यह कार्यक्रम तत्काल शिक्षा पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करे क्योंकि शिक्षा ही सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समग्र मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम में किए गए प्रयास, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों सहित राज्य शैक्षिक विकास कार्यक्रमों के पूरक हैं।

13.1.2 शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली, एक संस्वीकृति समिति जिसमें योजना आयोग, राज्य सरकारों और संबद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधि होते हैं राज्य सरकारों के प्रस्तावों को शीघ्रता पूर्वक निपटाती रहती है। जो कि शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई रूपरेखाओं के अनुसार कार्य करती है। समिति ने मार्च, 1991 में हुई अपनी बैठक में इन चार राज्यों में जहां सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है में सीमावर्ती ब्लाकों के निकटवर्ती ब्लाकों में इस योजना के विस्तार का निर्णय लिया।

13.1.3 1991-92 की वार्षिक योजना में 55 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जिसका उपयोग चालू कार्यकलापों और आंशिक रूप से कुछ नए कार्यकलाप शुरू करने संबंधी प्रतिबद्ध जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

13.1.4 राज्य सरकारों को अनुदान, उन्हें दिए गए पिछले अनुदानों में से उनके द्वारा किए गए व्यय की स्थिति और वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

13.1.5 वर्ष 1987-88 से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई उपलब्धियां सारणी-13.1 में दी गई हैं:

तालिका 13.1

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

उपलब्धियां

(करोड़ रु० में)

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
खर्च की गई राशि (करोड़ रु० में)	25.00	45.50	50.00	49.50	55.00 (अनुमानित)
					राज्यवार पात्रता
दिए गए अनुदानों के राज्यवार ब्यौरे (करोड़ रु० में)					
गुजरात	3.56	5.20	8.57	3.18	6.00
राजस्थान	7.38	7.22	11.93	7.93	10.00
पंजाब	5.24	9.20	8.90	11.04	11.00
जम्मू और कश्मीर	8.82	23.88	20.58	27.33	28.00

13.1.6 अभी तक निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की गई:

— स्कूलों में अनिवार्य सुविधाओं का प्रावधान (4858)

— प्राइमरी, उच्च प्राइमरी, मिडिल, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण (2699)

— सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करना तथा व्यावसायिक शैडों का निर्माण (39)

— छात्रावास भवनों तथा स्टाफ क्वाटरों का निर्माण (178)

— जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना (1)

-- विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं तथा प्रयोशालाओं का निर्माण (5959)

— पालिटेक्निकों तथा आई॰टी॰आई॰ की स्थापना तथा सुदृढ़ करना (36)

— प्रौढ़ शिक्षा तथा गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों तथा जन-शिक्षण निलायमों का गठन (2130)

— जिमनाजियम हॉल तथा युवा प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण (59)

14. बीस सूत्री कार्यक्रम और वंचित वर्ग के लिए शिक्षा सुलभ कराना।

14. बीस सूत्रीय कार्यक्रम और वंचित वर्ग के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना

14.1.0 बीस सूत्रीय कार्यक्रम 1986 के सूत्र संख्या 10 के अन्तर्गत औपचारिक तथा अनौपचारिक बुनियादी शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा में प्रगति का निरीक्षण पूर्व निर्धारित नामांकन लक्ष्यों के संदर्भ में, भौतिक एवं वित्तीय शर्तों के आधार पर किया जाता है। शिक्षा के विषय वस्तु की मूल्यांकन रिपोर्ट, अनौपचारिक तथा मूल्य सूचक शिक्षा के साथ वर्ष 1990-91 की बुनियादी एवं प्रौढ़ शिक्षा की भौतिक प्रगति रिपोर्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेज दी गई थी। वर्ष 1991-92 के लिए बुनियादी एवं प्रौढ़ शिक्षा के राज्य वार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किए गए। अप्रैल से सितम्बर, 1991 की अवधि की अर्द्धवार्षिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति रिपोर्ट कार्यान्वयन मंत्रालय को भेज दी गई थीं।

अनुसचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा

14.2.1 वर्ष 1990-91 डा॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर का शताब्दी वर्ष था। शताब्दी समारोह के लिए तत्काल प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में स्थापित राष्ट्रीय समिति ने यह निर्णय किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कार्यक्रम, एक और वर्ष अर्थात 1991-92 में भी जारी रहेगें। शिक्षा विभाग ने अपने अधीन संगठनों को ये निर्देश जारी किए हैं कि वे जन्म शताब्दी समारोह शानदार ढंग से मनाने के लिए कार्यक्रम और कार्यकलाप शुरू करें और यह कार्यकलाप चालू वर्ष में भी जारी रखे। इन कार्यक्रमों में सामूहिक विचार-विमर्श, गोष्ठियां, निबंध प्रतियोगिताएं, डा॰ अम्बेडकर की जीवनी और उनकी कृतियों के संग्रह का प्रकाशन इत्यादि शामिल है। उच्च शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के दाखिले का पुनरीक्षण करने के लिए निरीक्षण समितियां स्थापित की गई थीं। डा॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर शताब्दी समारोह के संबंध में गठित राष्ट्रीय समिति की उपसमितियों में शिक्षा विभाग भी प्रतिनिधि था।

14.2.3 मानव संसाधन विकास मंत्री ने 30 अगस्त, 1991 को अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित संसद सदस्यों की एक बैठक आयोजित की और उसमें अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा साक्षरता से सम्बन्धित मामलों पर विचार विमर्श किया। संसद सदस्यों ने जनजातियों की शिक्षा से सम्बन्धित अनेक पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। ये विचार कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को सूचित कर दिए गए हैं।

14.2.4 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट जरूरतों की ओर ध्यान देकर असमानताओं को दूर करने तथा शैक्षिक अवसरों में बराबरी लाने पर जोर दिया। आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा आदि की योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को यह सलाह दी गयी थी कि वे उन खण्डों के चयन को उच्च प्राथमिकता प्रदान करें जहां अनुसूचित जाति और अनु॰ ज॰ जाति के लोग बाहुल्य में है। शैक्षिक वर्ष 1991-92 के दौरान 275 नवोदय विद्यालयों में कक्षा VI में 18,600 छात्रों के कुल दाखिले में से अनु॰ जाति और अनु॰ ज॰ जाति की संख्या उनकी जनसंख्या प्रतिशतता क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत के मुकाबले क्रमशः 19 प्रतिशत और 11 प्रतिशत थी।

14.2.5 अनु॰ जाति/अनु॰ ज॰ जा॰ के छात्रों के योग्यता स्तर को ऊंचा उठाने की योजना, जो 1987-88 में शुरू की गई थी, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जाती रही। इस योजना के अंतर्गत, उपचारी प्रशिक्षण कक्षा IX से XII तक दिया जाता है, इसके अलावा उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए कक्षा XI और XII में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

14.2.6 अन्य सुविधाएं जैसे शिक्षा संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण (अनु॰ जा॰ के लिए 15% और अनु॰ ज॰ जा॰ के लिए 7 1/2%) प्रवेश परीक्षाओं में अर्हक अंक प्राप्त करने में छूट मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियों में आरक्षण, केन्द्रीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, विश्वविद्यालय स्तरीय अनुसंधान शिक्षावृत्तियों अनुसंधान एसोसिएटशिप, शिक्षावृत्ति इत्यादि में आरक्षण दिया जाता रहा।

14.2.7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक ऐसी योजना संचालित कर रहा है जिसके अंतर्गत अनु॰ जा॰ तथा अनु॰ ज॰ जा॰ के जो छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं में बहुत थोड़े अंकों की कमी के कारण सफल नहीं हो पाते हैं उन्हें और आगे प्रशिक्षण दिया जाता है तथा संगत पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाता है।

14.2.8 आठवीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना 1992-93 के लिए शिक्षा विभाग की अनु॰ जा॰ के लिए विशेष घटक योजना और अनु॰ ज॰ जा॰ के लिए जनजातीय उप-योजना तैयार की गयी। आठवीं योजना की विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उप योजना के अंतर्गत प्रस्तावित परिव्यय शिक्षा विभाग के विभाज्य परिव्यय का क्रमशः 13.29% तथा 9.72% है।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा

14.3.1 शिक्षा विभाग ने 23 जुलाई, 1990 को अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर एक दल का गठन किया। इसके विचारार्थ विषय थे :-

(क) केन्द्र तथा राज्य के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, सोसाइटियों तथा संगठनों द्वारा अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में की गई सिफारिशों तथा सुझावों को समीक्षा करना।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा निकट भविष्य में किए जाने वाले कुछ उपायों पर सिफारिशें करना।

14.3.2 इस दल ने 15 जनवरी, 1991 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। मार्च, 91 में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जो अल्पसंख्यक शिक्षा दल की सिफारिशों पर निर्णय/विचार प्रकट करेगा। अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1991 में प्रस्तुत कर दी।

प्रशिक्षण कक्षाएं

14.3.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों के प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता प्रदान करने की योजना का कार्यान्वयन जारी रखा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यह योजना 20 विश्वविद्यालयों और 33 कालेजों में कार्यान्वित की जा रही है। अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षण कक्षाओं के संबंध में वि० अ० आ० उप समिति ने प्रगति की समीक्षा करने और निरीक्षण करने के लिए एक छोटी समिति का गठन किया।

पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा

14.3.4 स्कूल पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा अन्य बातों के साथ साथ अस्पृश्यता, जातिवाद और सम्प्रदायवाद हटाने के विचार से की जा रही है। मूल्यांकन कार्यक्रम अब एक राष्ट्रीय स्तर की संचालित समिति द्वारा देखा जाता है।

सामुदायिक पोलिटेक्निक

14.3.5 कार्रवाई योजना के अंतर्गत निर्धारित सभी 41 अल्पसंख्यक सकेन्द्रित जिलों को सामुदायिक पालिटेक्निकों अथवा उनके विस्तार केन्द्रों में शामिल किया गया है

महिलाओं की शिक्षा

14.4.1 जैसा कि रिपोर्ट में अन्यत्र दर्शाया गया हैं, 1990-91 में कुल नामांकन के अनुपात में लड़कियों का नामांकन प्राथमिक स्तर पर 41.4%, मिडिल स्तर पर 37.4%, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 33% तथा उच्च शिक्षा स्तर पर 33.3% है।

14.4.2 शिक्षा में महिलाओं/लड़कियों की भागीदारी में सुधार के लिये वर्ष के दौरान सभी ओर से प्रयत्न किए गए। विशिष्ट उपायों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

— आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 1987-88 से प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के 93303 पदों का सृजन करने के लिए सहायता प्रदान की जो कि मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा ही भरे जाने है। अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार, शिक्षकों के 69926 पद भरे जा चुके हैं जिसमें 57.39% महिला शिक्षक. है।

— लड़कियों के लिए बने एन०एफ०ई० केन्द्रों को 90% सहायता दी गई थी। लड़कियों के एन०एफ०ई० केन्द्रों की संचित संख्या 81282 है।

— महिला समाख्या (महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा) परियोजना गुजरात, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में कार्यान्वयनाधीन है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें अनौपचारिक, प्रौढ़ तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है।

— सतर्क कार्यवाही द्वारा, नवोदय विद्यालयों में लड़कियों का 28% प्रवेश सुनिश्चित है। (कुल 78149 छात्रों में से इन विद्यालयों में लड़कियों की संख्या 22.222 है।)

— प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में महिलाओं के दाखिले पर विशेष ध्यान दिया गया था। ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत दाखिल किए गए 16.77 लाख प्रौढ़ निरक्षरों में 9.14 लाख महिलाएं थीं (54.50%)।

15. प्रबन्ध, अनुवीक्षण और मूल्यांकन

15. प्रबंध, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद ने 1986 में स्वीकृति प्रदान की तथा उसके बाद उसका कार्यान्वयन शुरू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना के अनुसार, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की नीति संबंधी एक समिति आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री एन० जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में स्थापित की गई। समिति से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद हुई उन गतिविधियों को भी ध्यान में रखने की अपेक्षा की गई थी जिनका नीति तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा समिति की रिपोर्ट से संबंध था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी, 1992 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही सरकार नीति में संशोधन करने संबंधी अपने विचारों को अंतिम रूप देगी।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी०ए०बी०ई०)

15.2.1 राज्य शिक्षा मंत्रियों, प्रशासकों, शिक्षाविदों से युक्त केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र की प्रवृत्तियों की समीक्षा, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के विश्लेषण और नीति-निर्धारण संबंधी सलाह देने के माध्यम से शिक्षा नीति के प्रबंध के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध करवाने वाला, राष्ट्रीय स्तर का निकाय बना रहा।

15.2.2 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का 19 अक्तूबर, 1990 को तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठित बोर्ड की पहली बैठक 8 और 9 मार्च, 1991 को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और सुविधाहीन वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के लिए शिक्षा के क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण नीति विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

15.2.3 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान

15.3.1 भारत सरकार द्वारा स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान ने निम्नलिखित कार्यकलापों को जारी रखाः-

— वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण और स्थिति निर्धारण।

— शैक्षिक आयोजना और प्रशासन की समस्याओं पर अनुसंधान (18 अनुसंधान अध्ययन चल रहे हैं)।

— राज्यों और अन्य संगठनों के लिए विस्तार और परामर्शी सेवाएं।

— शैक्षिक आयोजना और प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन। (1991-92 के दौरान त्रेपन प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित किए जाने निश्चित हैं।)

— अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, यूनेस्को, यू०एन०डी०पी०, आई०आई०ई०पी०, राष्ट्रमण्डल सचिवालय इत्यादि को प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना।

— शिक्षा प्रबंध पर सराकर को तकनीकी सहयोग प्रदान।

15.3.2 संस्थान ने निम्नलिखित प्रकाशन निकाले।

— महिला तथा विकास

— यूनेस्को-यू०एन०डी०पी० अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर रिपोर्ट।

— शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन की पत्रिका।

— "शैक्षिक आयोजकों तथा प्रशासकों के लिए पर्यावरण शिक्षा में अखिल भारतीय सेमिनार" पर रिपोर्ट।

— सभी के लिए शिक्षा-एक ग्राफिक प्रस्तुति।

15.3.3 सरकार द्वारा 1989 में गठित की गई एक समिति द्वारा संस्थान के कार्यों तथा प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा-समिति की रिपोर्ट पर मंत्रालय द्वारा जुलाई, 1990 में गठित एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच की गई। समीक्षा-समिति की रिपोर्ट पर अधिकार प्राप्त समित की सिफारिशों का सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

15.3.4 अधिकार प्राप्त समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:-

— नीपा को शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन के एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिये।

— नीपा को जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं अथवा कालेजों के प्रिंसिपलों तथा अन्यों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी। धीरे-धीरे राज्य स्तर की इकाइयों को स्थानान्तरित की जानी चाहिये।

— नीपा को अपने कार्यक्रमों तथा ग्रहकों को वहां चुनना चाहिए जहां उसकी सक्षमता है, जहां उसके कार्यक्रमों की जरूरत है और जहां इसके प्रभाव बनाने का कार्यक्षेत्र है। यह प्रशिक्षण आवश्यकताओं के सर्वेक्षण पर आधारित होना चाहिये।

— कार्योन्मुख अनुसंधान तथा अनुसंधान अन्य रूपों और प्रशिक्षण कार्यकलापों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान राज्य स्तरीय आयोजना और प्रशासन संस्थानों, उपयुक्त विश्वविद्यालयों विभागों और प्रबंध एवं सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों के साथ नेटवर्क व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सहायता करें।

— राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना व प्रशासन संस्थान (एन०ई०पी०ए०) के प्रमुख कार्यों में से, राज्यों व संघशासित राज्यों में ऐसी संस्थाओं

के विकास को प्रोत्साहित करना एवं उनको सहयोग देना होगा जो शैक्षिक अयोजना व प्रशासन के कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगी।

— विभिन्न राज्यों के अपना खुद के प्रशासनिक अनुक्रम, प्रबंध प्रणालियां, भर्ती की पद्धति और पद्धतियां व नियम होते हैं। एन॰आई॰ई॰पी॰ए॰, ऐसे ढांचों और प्रणालियों को पहचानने के लिए अन्तर्राज्यीय अध्ययन एवं कार्य अनुसंधान कार्यक्रम संचालित कर सकती है, जो प्रभावी, लागत-प्रभावी सुग्राहय हों।

— पूरे निकाय एवं शोध-स्टाफ के लिए निष्पादन-मूल्यांकन की प्रणाली होनी चाहिए। मूल्यांकन, अधिकांशतः विकासोन्मुख होना चाहिए।

शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययन, संगोष्ठियों, मूल्यांकन आदि के लिए सहायता योजनाः

15.4.1 शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययन, संगोष्ठयों, मूल्यांकन आदि की योजना का उद्देश्य, शिक्षा-विकास कार्यक्रमों की तैयारी का कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं को हल करना है।

15.4.2 योजना का उद्देश्य, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं, प्रभाव एवं मूल्यांकन अध्ययनों आदि के आयोजन के लिए प्रत्येक प्रस्ताव के गुण-दोष के आधार पर योग्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऐसे कार्यक्रमों की शिक्षानीति, इसके कार्यान्वयन एवं संबंधित समस्याओं से संबद्ध किया जाना होगा।

15.4.3 वर्ष 1991-92 के दौरान, एक सम्मेलन, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, चार मूल्यांकन अध्ययनों के आयोजन एवं एक पत्रिका को प्रकाशित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

विभाग के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली (सी॰एम॰ आई॰एस॰) का विकासः

15.5.1 कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली की गति में वृद्धि लाने और विभाग के अंदर ही विशेषज्ञता उत्पन्न करने के उद्देश्य से, आयोजना, अनुवीक्षण एवं सांख्यिकी डिवीजन के अन्तर्गत, एक सी॰एम॰आई॰एस॰ एकक की स्थापना सितम्बर, 1985 में की गयी। इसके अस्तित्व में आने के समय से ही, यह एकक, एन॰आई॰सी॰ के सहयोग से इस मंत्रालय में कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली को विकसित करने में लगा रहा है। एन॰आई॰सी॰ ने डी॰सी॰एम॰ कॉस्मोस 486 प्रणाली के चार टर्मिनलों की स्थापना की है। आठवीं पंच वर्षीय योजना में, प्रत्येक प्रभाग में कम्प्यूटर की सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, विभिन्न प्रभागों में स्वतंत्र प्रणाली, 20 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स और पी॰सी॰ के साथ 30 कम्प्यूटर टर्मिनलों को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

15.5.2 इस समय, इस एकक के पास दो डॉट-मैट्रिक्स प्रिंटरों वाले दो पर्सनल कम्प्यूटर पी॰सी॰/एस॰टी॰ और पी॰सी॰/ए॰टी॰ हैं और 600 एल॰पी॰एम॰ की गति वाला एक लाईन प्रिंटर हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में, पी॰सी॰/ए॰टी॰ को चार और टर्मिनलों द्वारा संवर्धित करने और एकक के लिए अतिरिक्त पी॰सी॰ और लेज़र प्रिंटर को स्थापित करने का प्रस्ताव है। एकक को मजबूत बनाने में, निकट भविष्य में प्रणाली-विश्लेषक कंप्यूटर ऑपरेटरों/आकंड़ा प्रक्रम सहायकों आदि के नए पदों का सृजन शामिल हैं।

15.5.3 वर्ष 1991-92 के दौरान, सी॰एम॰आई॰एस॰ एकक ने कम्प्यूटरीकरण के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं शुरु की हैं—

प्रशासन

— आंतरिक समायोजन के उद्देश्य से, नाम, पद, प्रभाग, अनुप्रभाग, कार्यग्रहण-तिथि आदि जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में शिक्षा-विभाग के समूह "ख" व समूह "ग" के अधिकारियों से संबंधित डाटाबेस का सृजन।

— मानव संसाधन विकास मनत्रालय में स्टाफ पोजिशन पर निगाह रखने के लिह तैयार किए गए डाटाबेस व सॉफ्टवेअर।

— शिक्षा विभनाग की वेतन-बिल प्रणाली।

— शिक्षा विभाग के समूह "क" के कमरचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते का अनुवीक्षण प्रारंभ कर दिया गया है।

— सातवीं पंचवर्षीय योजना का विश्लेषण।

सांख्यकी

— **प्रकाशन—एजुकेशन ईन इंडिया खण्ड**-I (5) 1987-88

— वर्ष 1984-85 के लिए "एजुकेशन इन इंडिया" खंडIII में प्रकाशन के लिए संस्थाओं के आय-व्यय संबंधी वित्तीय आंकड़े/खण्ड II (ग) की सारणियों का मसौदा तैयार किया गया।

— एजुकेशन इन इंडिया-खण्ड-III-परीक्षा परिणाम, 1984-85 और 1985-86

— चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी, 1989-90 और 1990-91 के लिए डाटाबेस और उत्पादित सारणियों का सृजन।

— इंडिया स्टूडेंट गोइंग आब्रॉड-1987-88 प्रारंभ कर दिया गया

— इंडियन ट्रेनीज़ गोइंग अब्रॉड-1987-88 प्रारंभ कर दिया है।

— भारत में स्कूली शिक्षा पर चुनिंदा सूचना का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया गया है।

— "ए" हैंडबुक ऑफ एजुकेशनल एण्ड एलाइड स्टेटिस्टि-क्स-1991" नामक प्रकाशन के लिए विकसित डाटाबेस और उत्पादित सारणियां।

आयोजना

— शिक्षा विभाग की चुनिंदा योजनाओं पर वर्ष 1990-91 के लिए वार्षिक कार्य-योजना।

— शिक्षा के बजट-व्यय पर राज्य की रूपरेखा।

— समस्त राज्यों की जिला रूपरेखा तैयार करना।

— जिलावार शैक्षिक रुपरेखा-1981 तैयार करना।

पुस्तक संवर्धन

— राजाराम मोहन राय राष्ट्रीय एकक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्याकन (आई०एस०बी०एन०) प्रणाली का निर्माण।

— पुस्तकालय सूचना प्रणाली के लिए आकड़ा प्रविष्टि साफ्टवेयर विकसित किया गया।

अनु० जाति/अनु० जन जाति एकक

— वर्ष 1983-84 और 1984-85 (एस० और सी०) के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के शिक्षा-सांख्यिकी पर आंकड़ा आधार सामग्री।

15.5.4 कंप्यूटर के प्रति जागरुकता लाने तथा कंप्यूटर संचालन और साफ्टवेयर अनुप्रयोग में बुनियादी विशेषज्ञता सुलभ कराने के लिए इस एकक ने उपयोगकर्ताओं को समय-समय पर सुविधाएं प्रदान की हैं।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा शिक्षा विभाग के लिए प्रबंध सूचना प्रणाली परियोजना का विकास

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने इस विभाग को कंप्यूटर आधारित प्रबंध सूचना प्रणाली के विकास में साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर की सहायता प्रदान करना जारी रखा। वर्ष 1991-92 के दौरान इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

1. डी०सी०एम० सी०ओ०एस०एम०ओ०एस० 80486 प्रणाली प्रतिष्ठापित की गई और 32 टर्मिनल प्रतिष्ठापित करने के लिए विभिन्न कक्षों में केबल बिछाई गई।

2. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की पूर्ण साक्षरता परियोजना संबंधी रिपोर्टों का अनुवीक्षण करने के लिए प्रपत्र तैयार किए गए। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र नेटवर्क के जरिए आंकड़े प्रौसेस करने, रिपोर्टें तैयार करने तथा उन्हें भेजने के लिए साफ्टवेयर को विकसित किया गया। उपयोगकर्ता संदर्भ मैनुअल और साफ्टवेयर प्रचालन मैनुअल भी निकाले गए।

3. प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए सहायता अनुदान सूचना प्रणाली के बारे में उपयोगकर्ता संदर्भ मैनुअल प्रकाशित किया गया।

4. दैनिक आवतियों को डायरी करने की प्रणाली का अध्ययन किया गया और दैनिक आवतियों को डायरी करने तथा अनुवीक्षण के उद्देश्य से विभिन्न रिपोर्टें तैयार करने और उन्हें प्रौढ़ शिक्षा ब्यूरो में क्रियान्वित करने हेतु साफ्टवेयर विकसित किया गया।

5. अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान देने का अध्ययन किया गया और आंकडा संबंधी ढांचा विकसित किया गया। आंकड़ा प्रविष्टि और आंकड़ा परिशोधन अनेक रिपोर्टों तथा रोजमर्रा के पत्रों जैसे विसंगति पत्र, संस्वीकृति पत्र, बिल, उपयोगिता प्रमाण-पत्र, अनुस्मारक आदि के लिए साफ्टवेयर का विकास किया गया।

6. व्यावसायिक शिक्षा के संबध में दो राज्यों के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को डेटा-बेस फाइलों में अंकित किया गया। आकड़ों को वैध बनाने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए साफ्टवेयर विकसित किया गया। आंकड़ों को वैध बनाया गया और रिपोर्टे तैयार की गई। संस्थागत स्तर पर आकड़े प्राप्त करने के लिए प्रपत्र तैयार कर लिए गए हैं और साफ्टवेयर विकास कार्य शुरू कर दिया गया है।

7. स्वैच्छिक संस्कृत/अरती और फारती संस्थाओं को वित्तीय सहायता की योजना को कंप्यूटरीकृत करने के लिए साफ्टवेयर विकसित किया गया।

8. अन्तर्राष्ट्रीय अध्येताओं की अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विभिन्न परिषदों को विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा प्रभाग द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता की योजना का अध्ययन किया गया और आंकड़े भरने तथा सूचना पत्रों और संस्वीकृति पत्रों को तैयार करने के लिए साफ्टवेयर विकसित किया गया।

9. शैक्षिक आकड़ों के सुधार के लिए कंप्यूटरीकरण संबंधी केन्द्रीय योजनागत स्कीम को नौ राज्यों में क्रियान्वित किया गया। इस परियोजना के साफ्टवेयर को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के क्षेत्रीय केन्द्र, हैदराबाद में विकसित किया गया और इसके आंकड़े राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के राज्य केन्द्र में प्रोसेस किये जा रहे हैं। यह स्कीम अन्य राज्यों में भी लागू की जा रही है।

10. अभिलेख प्रबंध सूचना प्रणाली विकसित की गई है जिससे यह पता लगाना संभव हो जाता है कि वर्ष के दौरान अनुभागों में कितनी फाइलें खोली गई कितनी फाइले रिकार्ड की गई कितनी फाइलें रिकार्ड रूम में हैं, कितनी फाइलें नष्ट की गईं और कितनी फाईलों की माइक्रो फिल्में बनाई गई।

11. शिक्षा विभाग से संबंधित अनेक संकेत शब्दों की पहचान की गई और संसद प्रश्न सूचना प्रणाली क्रियान्वित की गई।

12. वी. आई. पी. संदर्भ सूचना प्रणाली, फाईल संचलन सूचना।

13. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में कम्प्यूटीकरण के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक साध्यता-अध्ययन किया गया तथा साध्यता-अध्ययन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

14. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को तकनीकी शब्दों की अंग्रेजी-हिन्दी शब्दावली तैयार करने के लिए परामर्श एवं सहायता सेवाएं प्रदान की गई।

15. श्रमिक विद्यापीठों से आंकड़े इकटठे करने के लिए निवेश-प्रपत्र (इनपुट प्रोफार्मा) तैयार किये गये।

16. पण्डित जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिवस समारोह के एक भाग के रूप में "भारत के नए मूल्य" विषय पर विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करने के संबंध में तीन मूर्ति भवन में एन आई सी स्टाल में एक सारगर्भित टर्मिनल लगया गया।

17. डूज़ तथा सम्बद्ध साफटवेयर तथा जैनिक्स एवं उसके सम्बद्ध साफ्टवेयर पर रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरम्भ किया गया तथा कम्प्यूटर के प्रयोग में कई अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिंया गया।

18. वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य विभिन्न अध्ययनों के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रस्तुतीकरण चार्ट एवं ग्राफ तैयार किए।

19. वार्षिक रिपोर्ट, आठवीं पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना दस्तावेज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा-समिति की रिपोर्ट; जैसे दस्तावेज़ तैयार करने के लिए कम्प्यूटर के आधुनिकीकरण तथा प्रयोग के एक भाग के रूप में कार्यालय स्वचलन प्रक्रियाएं एवं तकनीकें विकसित की गई।

20. निम्न को साफ्टवेयर अनुरक्षण सहायता प्रदान की गई:—
(क) प्रौढ़ शिक्षा ब्यूरों की स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान।
(ख) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय को पोस्ट बाक्स संख्या 9999
(ग) विसंगित पत्रों, प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर तथा सूचक-पत्र तैयार करने के लिए प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय।
(घ) साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए संसदीय आश्वासन।
(ङ) विश्वविद्यालय पार्श्व—सूचना पद्धति।
(च) अनौपचारिक शिक्षा आंकड़े।

आजवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) और वार्षिक योजना (1992-93) को तैयार करना

15.6.1 शिक्षा विभाग के आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों तथा वार्षिक योजना प्रस्तावों को, योजना आयोग के मार्गदर्शी पत्र में उल्लिखित प्राथमिकताओं तथा विशेष मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर 10 दिसम्बर, 1991 को योजना आयोग के सचिव की बैठक में विचार किया जाएगा।

महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा

15.6.2 मानव संसाधन विकास मंत्री ने 15 मुख्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों/शिक्षा मंत्रियों के साथ; शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर बातचीत की ताकि इन योजनाओं को सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जा सके। राज्यों के मुख्य मंत्रियों/शिक्षा मंत्रियों की प्रतिक्रिया काफी उपयोगी रही।

वार्षिक कार्य योजना

15.6.3 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन; जिसका उद्देश्य देश से निरक्षरता समाप्त करना है; को व्यापक रूप से मानीटर किया जा रहा है। कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों को प्राप्त करने के लिए त्रैमासिक समय-आधार वाली वार्षिक कार्य-योजना (1991-92) तैयार की गई। उपलब्धियों तथा लक्ष्यों को दर्शाने वाली त्रैमासिक रिपोर्ट मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को प्रत्येक (हर तिमाही) में भेजी जाती हैं।

शैक्षिक सांख्यिकी

15.7.1 शैक्षिक सांख्यिकीय स्थायी समिति की 16वीं बैठक आयोजित करने की कार्रवाई शुरु की गई है ताकि आलोच्य वर्ष के दौरान शिक्षा विभाग के सांख्यिकी अनुभाग के कार्य की प्रगति की समीक्षा की जा सके।

15.7.2 आलोच्य वर्ष के दौरान, शैक्षिक सांख्यिकी पर निम्न प्रकाशन निकाले गए:—

1.चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 1989-90

2. चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 1990-91

3. विदेश जाने वाले भारतीय छात्र/प्रशिक्षणार्थी 1986-87

4. भारत में शिक्षा खण्ड-1 (एस) 1986-87

5. भारत में शिक्षा खण्ड-1 (सी) 1986-87

6. 1976-77 से 1989-90 तक प्रारम्भिक शिक्षा स्तर का नामांकन।

7. स्कूल शिक्षा की चुनिन्दा जानकारी (सूचना) 1989-90

8. विज्ञान/व्यावसायिक शिक्षा पर अनुसंधान परियोजना रिपोर्ट।

15.7.3 वर्ष 1989 में "शैक्षिक सांख्यिकी का कम्प्यूट्रीकरण" नामक केन्द्रीय योजना को शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में शुरू किया गया था तथा अब 1991-92 में इस योजना का विस्तार सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में किया जा रहा है ताकि अखिल भारतीय स्तर पर शैक्षिक आंकड़ों को इकट्ठा करने तथा उनके प्रकाशन में होने वाले विलम्ब को कम किया जा सके तथा केन्द्र तथा राज्य स्तर पर आयोजना एवं निर्णय लेने के लिए कम्प्यूट्रीकृत सांख्यिकी आधार तैयार किया जा सके। इससे विश्वस्त आंकड़ों का समय से तथा सतत् प्रवाह सुनिश्चित होगा।

16. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

16. यूनेस्को और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

16.1.1 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की स्थापना के समय से भारत संगठन के आदर्श तथा उद्देश्यों को प्रोन्नत करने में अग्रणी रहा है। यूनेस्को के संविधान की धारा-7 के अनुपालन में 1949 में स्थापित यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रीय स्तर पर शीर्षस्थ सलाहकारी, कार्यकारी, संपर्क, सूचना तथा समेकन करने वाला निकाय है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को के कार्य में, विशेषरूप से एशिया और प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय आयोगों के साथ सहयोग करने वाले इसके कार्यक्रम को तैयार करने तथा इसके निष्पादन में एक सक्रिय भूमिका निभाता रहा है।

16.1.2 वर्ष के दौरान भारत ने विभिन्न कार्यशालाओं, संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भाग लेकर, यूनेस्को के क्षमता क्षेत्रों में भारत में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर-क्षेत्रीय कार्यकलाप आयोजित करके, भारतीय संस्थाओं में यूनेस्को फैलों को स्थान देने की व्यवस्था करके, यूनेस्को तथा यूनेस्को कूपन योजना के प्रशासन के सहभागी कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं कार्यान्वित करके यूनेस्को और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों को सहयोग प्रदान किया। यूनेस्को कूरियर के हिन्दी तथा तमिल संस्करण के प्रकाशन के रूप में यूनेस्को से संबंधित सार्वजनिक सूचना कार्यकलाप संचालित होते रहे।

विकास के लिए एशिया-प्रशान्त शैक्षिक नवीकरण कार्यक्रम (एपीड)

16.2.0 विकास के लिए एशिया प्रशान्त शैक्षिक नवीकरण, (एपीड) भारत के यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यक्रम के एक प्रोन्नतकर्ता के रूप में भारत ने एपीड कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विकास समूह की स्थापना की गई है जो देश के अन्दर विकास के लिए शैक्षिक नवीकरण कार्यकलापों का पता लगाने वाले, उत्प्रेरक तथा समन्वयक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय विकास समूह में, जिसके अध्यक्ष, सचिव, शिक्षा विभाग, है, संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों और शैक्षिक अनुसंधान से संबद्ध अग्रणी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। राष्ट्रीय विकास समूह की रूपरेखा के अनुसार राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में राज्य विकास समूह भी स्थापित किए गए हैं जो राष्ट्रीय विकास समूह के घनिष्ट सहयोग से कार्य करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनूसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, जो एपीड का एक प्रमुख सहयोगी केन्द्र है, राष्ट्रीय विकास समूह के सचिवालय के रूप में कार्य करती है और एपीड कार्यकलापों, क्षेत्रीय स्तर पर नवीकरण अनुभवों के बारे में सूचना के प्रसार और देश में सुविदित एपीड के अन्दर क्षेत्रीय सहयोग के निष्कर्ष तैयार करने को सुकर बनाती हैं।

सबके लिए एशिया प्रशान्त शिक्षा कार्यक्रम (अपील)

16.3.1 यूनेस्को का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यक्रम, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सबके लिए एशिया प्रशान्त शिक्षा कार्यक्रम है जिसे यूनेस्को द्वारा 1987 में नई दिल्ली से शुरू किया गया या। वर्ष 2000 तक धरती से निरक्षरता के उन्मूलन के महत्वपूर्ण उद्देश्य से यूनेस्को ने वर्ष 2000 तक पूरी तरह से निरक्षरता उन्मूलन के उपायों को शुरू करने, प्रोन्नत करने और समेकित करने की आवश्यकता पर विश्वजनीयन ध्यान केन्द्रित करने के लिए 1990 को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के रूप में घोषित किया। जोमलिया, थाइलैंड में मार्च, 1990 में सबके लिए शिक्षा पर एक विश्व सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। अपील और एफा के अंतर्गत कार्यकलाप समेकित करने के लिए भारत द्वारा स्थापित उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 6 सितम्बर, 1991 को हुई।

16.3.2 अपील और एफा से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति की छठी बैठक में भारत में प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता, प्रारंभिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के क्षेत्र में शुरू किए गए कार्यक्रमों पर ध्यान दिया गया। समिति को प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की नीति के घटकों से भी अवगत कराया गया था जो परियोजनाओं के एक मूल्यांकन परक अध्ययन के बाद सामने आए थे। समिति ने विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के संबंध में अनेक सिफारिशें कीं।

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का इक्कीसवां सत्र

16.4.0 यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का इक्कीसवां सत्र श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में 22 जुलाई, 1991 को आयोजित किया गया था। शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, संस्कृति तथा संचार से संबंधित उप आयोगों की बैठकों से पूर्व राष्ट्रीय आयोग का सत्र आयोजित किया गया था। प्रमुख मामले, जिनपर चर्चा की गई थी, 1992-93 के लिए यूनेस्को के प्रारूप कार्यक्रम और बजट से संबंधित थे। इस सत्र में यूनेस्को के महा सम्मेलन के 26वें सत्र में विचार करने के लिए उठाए जाने वाले विषयों के लिए एक राष्ट्रीय परिपेक्ष्य तथा नीतिपरक दृष्टिकोण विकसित करने के वास्ते यूनेस्कों के प्रारूप कार्यक्रम से संबंधित उपआयोगों द्वारा की गई सिफारिशों पर व्यापक विचार—विमर्श किया गया था। XXI सत्र में महा सम्मेलन में किए जाने वाले संकल्पों के प्रारूप को अनुमोदित किया गया था और राष्ट्रीय शिष्टमंडल द्वारा यूनेस्को के महासम्मेलन के 26 वे सत्र में उठाए जाने वाले विषयों अथवा मसलों पर राष्ट्रीय रूख से संबंधित दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे। 26 वें सत्र के आम सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाने वाले संकल्प के प्रारूप अनुमोदित किए गए थे और यूनेस्को के आम सम्मेलन के 26 वे सत्र में उठाए जाने वाले मामलों में भारतीय शिष्टमण्डल द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण पर मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित की गई थी।

यूनेस्को, पेरिस के आम सम्मेलन का 26 वां सत्र

16.5.1 यूनेस्को की आम सभा की 26 वां सत्र 15 अक्तूबर, से 7 नवम्बर, 1991 तक पेरिस में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में दिवार्षिकी 1992-93 के लिए यूनेस्को का कार्यक्रम व बजट अनुमोदित किया गया था।

16.5.2 मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने 9 अन्य

प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। 18 अक्तूबर, 1991 के पूर्ण सत्र में उन्होंने अपना भाषण हिन्दी में दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता ने आम सम्मेलन को हिन्दी में सम्बोधित किया।

16.5.3 अपने सम्बोधन में मा॰सं॰वि॰ मंत्री ने यूनेस्को सहित सम्पूर्ण यू॰एन॰ पद्धति के लिए इस आवश्यकता पर प्रकाश डाला कि वे आने वाली नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आपको सुसज्जित कर लें। उन्होंने कहा कि व्यापक अन्योन्याश्रय के नए युग को बहु-पक्षीय संस्कृति व लोकतंत्र की आवश्यकता है। मा॰सं॰वि॰ मंत्री ने जोर दिया कि 26 वां आम सम्मेलन संरचनात्मक सुधार द्वारा यूरेस्को के कार्यक्रम वितरण को सुधारने का गंभीरता से सामना कर रहा था। मा॰सं॰वि॰ मंत्री ने यूनेस्को के नए राज्य सदस्यों-इस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया तथा तुवालु का स्वागत किया। उन्होंने 21 वीं सदी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के लिए भारत का पूरा सहयोग देने की पेशकश की।

16.5.4 भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने आम सभा के विभिन्न आयोगों की बैठकों में मुख्य भूमिका निभाई। मा॰सं॰वि॰ मंत्री ने यूनेस्को के महा निदेशक डा॰ फेडरीको मेयर तथा अन्य प्रतिनिधि मंडलों के कई नेताओं के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। अन्य देशों की सामान्य इच्छा थी कि भारत के साथ आगे द्विपक्षी संबंध दृढ़ किए जाएं तथा यूनेस्को की नीतियां व कार्यक्रम कार्यान्वित करने में भारत के साथ सहयोग किया जाए।

16.5.5 सम्मेलन के दौरान भारत को यूनेस्को के निम्नलिखित अंतर्शासकीय निकायों के लिए चुना/पुनः चुना गया था।

1. सांस्कृतिक विकास हेतु विश्व दशक (सां॰वि॰वि॰प॰) के लिए अंतर्शासकीय समिति (अं.स)
2. मानव व जीवमंडल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए अंतर्शासकीय समिति
3. सामान्य सूचना कार्यक्रम हेतु अंतर्शासकीय समिति
4. यूनेस्को मुख्यालय

16.5.6 भारत का पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान आयोग के लिए भी चयन किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो परिषद का 34 वां सत्र

16.6.0 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो परिषद, का 34 वां सत्र जेनेवा में 14-16 जनवरी, 1991 को आयोजित किया गया था। इस सत्र की अध्यक्षता श्री अनिल बोर्दिया, शिक्षा सचिव ने परिषद के अध्यक्ष के रूप में की।

महिलाओं व लड़कियों के लिए कुशलता-आधारित साक्षरता प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए उप क्षेत्रीय कार्यशाला

16.7.0 एशिया व प्रशांत महासागर के लिए यूनेस्को के मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय ने केरल साक्षरता समिति, त्रिवेन्द्रम तथा यूनेस्को के साथ भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग के सहयोग से 4-16 फरवरी, 1991 से त्रिवेन्द्रम में महिलाओं व लड़कियों के लिए कुशलता आधारित साक्षरता प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए एक उप-क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला के लक्ष्य थे (क) ए टी एल पी पर आधाररित पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांतो के साथ भागीदारो को परिचित कराना
(ख) महिलाओं व लड़कियों के लिए कुशलता आधारित साक्षरता हेतु पाठ्यचर्या विकसित करने के लिए कुछ व्यक्ति प्रदान करना।

एशिया व प्रशांत महासागर में यूनेस्को सांस्कृतिक क्रियाकलापों में क्षेत्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की दसवीं बैठक

16.8.0 एशिया व प्रशांत महासागर में यूनेस्को सांस्कृतिक क्रियाकलापों में क्षेत्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की दसवीं बैठक 15-19 मार्च, 1991 से टोकियो में आयोजित की गई थी। इस बैठक में शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव डा॰ आर॰वी॰ वैद्यनाथ अय्यर ने भाग लिया था। बैठक में एशिया व प्रशांत महासागर देशों में संस्कृति, पुस्तक विकास व साक्षरता के क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग के कार्यक्रम व क्रियाकलापों पर विचार-विमर्श किया गया।

थाईलैंड, शियांग राय में एशिया व प्रशांत महासागर में शिक्षा में क्षेत्रीय सहयोग पर सलाहकार समिति का छठा सत्र

16.9.1 एशिया व प्रशांत महासागर के लिए शिक्षा में क्षेत्री य सहयोग पर सलाहकार समिति का छठा सत्र 6 से 10 मई, 1991 तक आयोजित किया गया था। शिक्षा विभाग के अपर सचिव, श्री आर॰ के॰ सिन्हा ने बैठक में भाग लिया।

16.9.2 सत्र का मुख्य विषय निम्नलिखित में सदस्य राज्यों को समर्थन देने के लिए यूनेस्को के भावी कार्यों के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों का पता लगाना था (i) सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा के अनुसार शिक्षा को प्रौन्नत करना तथा सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन द्वारा अपनाई गई बुनियादी शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्रवाई रूपरेखा तथा (ii) 21 वीं शताब्दी के प्रारंभ में सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी व सांस्कृतिक परिवर्तनों से आने वाली आवश्यकताओं का सामना करने के लिए शिक्षा की कोटि में सुधार करना।

शिक्षा व उत्पादक कार्य के बीच मूल्यांकन, पुनरीक्षण व उन्नत पारस्परिक क्रिया पर क्षेत्रीय कार्यशाला

16.10.0 शिक्षा व उत्पादक कार्य के बीच मूल्यांकन, पुनरीक्षण व उन्नत पारस्परिक क्रिया पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर में 21 से 29 मई, 1991 तक आयोजित की गई थी।

दक्षिण एशियाई देशों में जन शिक्षा तकनीकी आदान प्रदान कार्यक्रम

16.11.0 दक्षिण एशियाई देशों में यूनेस्को का जनशिक्षा तकनीकी आदान प्रदान कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली में 25 अगस्त से 5 सितम्बर, 1991 तक आयोजित किया गया था। गतिविधियों में बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और भारत के प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने साक्षरता, प्राथमिक और महिला शिक्षा कार्यक्रमों के एक घटक के रूप में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों की आयोजना और क्रियान्वयन में लगे हुए विभिन्न संगठनों का दौरा किया। दौरा करने वाले विशेषज्ञों ने, जनसंख्या शिक्षा में सामग्रियों तथा विशेषज्ञताओं के आदान-प्रदान के लिए अन्तर-संस्थागत अन्तर-देश जालतंत्र(नेटवर्क) तन्त्र के विकास के संबंध में अपने-अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया।

अक्तूबर-नवम्बर, 1991 में पेरिस (फ्रांस) में आयोजित 26वें महासभा में यूनेस्को के झंडे के तहत मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह और राजदूत/यूनेस्को के पी॰ आर॰ सुश्री सावित्री कुनाडि को स्वागत करते हुए यूनेस्को के महानिदेशक श्री फेड्रिक मेयर

1991

दक्षिण एशियाई देशों के लिए प्रारम्भिक शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए पर्यावरण-शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यशाला

16.12.0 राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ने 2-13 सितम्बर, 1991 को नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई देशों के लिए प्रारम्भिक शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए पर्यावरण-शिक्षा में यूनेस्को प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। प्रशिक्षण के उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ प्रारम्भिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा संकल्पनाओं के एकीकरण के तरीकों में कौशलों को विकसित करने और पर्यावरण और इससे सम्बद्ध समस्याओं के प्रति बढ़ती हुई जागरुकता और संवेदनशीलता विकसित करना है।

दक्षिण एशियाई उप-क्षेत्र के लिए जनसंख्या-शिक्षा में एक ग्रुप-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

16.13.0 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने 11 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 1991 तक दक्षिण एशियाई उप-क्षेत्र के लिए जनसंख्या-शिक्षा में एक ग्रुप-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण के उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा और महिला शिक्षा कार्यक्रमों में जनसंख्या शिक्षा/परिवार-कल्याण शिक्षा की प्रासंगिक संकल्पनाओं के एकीकरण के तरीकों में उपयुक्त कौशलों को विकसित करने थे।

बम्बई में 25-29 नवम्बर, 1991 को लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा के संवर्धन के लिए महिला-शिक्षकों की भूमिका पर उप-क्षेत्रीय कार्यशाला।

16.14.0 बम्बई में 25-29 नवम्बर, 1991 को लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा के संवर्धन के लिए महिला शिक्षकों की भूमिका पर उपक्षेत्रीय कार्यशाला भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे ने आयोजित की। कार्यशाला का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा की प्रोन्नति में अध्यापिकाओं के प्रभाव का अध्ययन करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों की अध्यापिकाएं तैयार करने में अवरोधों और कमियों का पता लगाना और प्राथमिक स्कूल की अध्यापिकाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण में कैसे सुधार किया जाए इस संबंध में की गई कार्रवाई योजना तैयार करना है।

सबके लिए शिक्षा के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदात्री फोरम की प्रथम बैठक

16.15.0 श्री अनिल बोर्दिया, शिक्षा सचिव ने यूनेस्को के महानिदेशक के निमंत्रण पर सबके लिए शिक्षा सम्बंधी अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदात्री फोरम की प्रथम बैठक में भाग लिया जो 4 से 6 दिसम्बर, 1991 तक पेरिस में आयोजित की गई थी। फोरम ने सन् 1990 में ई॰एफ॰ए॰ के सम्बंध में आयोजित विश्व सम्मेलन की सिफारिशों के कार्यान्वियन के उपायों पर विचार किया।

मानव संसाधन विकास में महिलाओं से सम्बंधित विषयों को शामिल करने के तरीकों पर एशिया में क्षेत्रीय सेमिनार

16.16.0 एम॰ए॰ सिंगम्मा श्रीनिवासन न्यास, बंगलौर द्वारा 10 से 13 दिसम्बर 1991 तक बंगलौर में मानव संसाधन विकास में महिलाओं से सम्बंधित विषयों को शामिल करने के तरीकों पर एशिया में एक क्षेत्रीय सेमिनाए आयोजित किया गया। सेमिनार का विषय, विकास में महिलाओं के महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक योगदान के रूप में सूचना क्षेत्र के महत्व पर विचार-विमर्श करना और योजना बनाने वालों को इस मुददे के प्रति संवेदनशील बनाना था।

16.17.0 उपरोक्त बैठकों के अलावा भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को के तत्वावधान में अथवा उसके द्वारा आयोजित लगभग 24 राष्ट्रीय क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को मनोनीत किया। आलोच्य वर्ष के दौरान, आयोग ने यूनेस्को फैलो के **स्थानापन्न उम्मीदवारों** की व्यवस्था करना भी जारी रखा जिसमें विभिन्न भारतीय संस्थाओं में अध्ययन दौरे भी शामिल थे।

यूनेस्को द्वारा प्रायोजित अन्य सम्मेलनों/बैठकों/कार्यशालाओं/कार्य-दलों में भारत की सहभागिता

16.18.0 भारतीय विशेषज्ञों ने, यूनेस्को या इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यदल बैठकों आदि में शिक्षा विभाग, का प्रतिनिधित्व किया

* 4 से 8 मई, 1991 तक तेहरान, ईरान में यूनेस्को के दक्षिण और मध्य एशियाई आयोगों का उप-क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किया गया।
* 13 से 31 मई, 1991 तक इस्लामाबाद में आयोजित अपील में जनसंख्या शिक्षा के समाकलन के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला।
* 12 से 27 जून, 1991 तक तोक्यो, जापान में आयोजित शिक्षा में मानविकी, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की प्रोन्नति पर क्षेत्रीय बैठक।

— बालिकाओं तथा वंचित वर्ग के लिए प्राथमिक शिक्षा के संवर्धन के लिए 30 जुलाई से 8 अगस्त, 1991 तक चियांग भाई, थाईलैण्ड में आयोजित बैठक की योजना तैयार करना।

— एशिया और प्रशान्त में राष्ट्रीय आयोग की 23-26 सितम्बर,1991 तक कुआलालमपुर, मलेशिया में बैठक आयोजित की गई।

— शैक्षिक प्रौद्योगिकी, 1991-शिक्षकों और शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्मिकों की सेवाकाल में तथा इससे पूर्व के प्रशिक्षण संबंधी नीतियों और विषयों पर एशिया तथा प्रशान्त सेमिनार।

— हिरोशिमा (जापान) में 9-21 सितमबर, 1991 में सभी के लिए शिक्षा गरामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के शिक्षण उपलब्धि को बढ़ाने और कठिन शिक्षा संदर्भों पर आयोजित 1991 सेमिनार।

— बुदापेस्ट, हंगरी में 10 से 13 अक्तूबर, 1991 तक शिक्षा में नैतिक मूल्यों की समस्या पर आयोजित कार्यशाला।

— थाईलैण्ड में 11 से 30 नवम्बर, 1991 तक, आयोजित महिलाओं तथा लड़कियों के लिए कुशलता आधारित साक्षरता प्रशिक्षण के संचालन के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला।

— 18 से 29 नवम्बर, 1991 तक पेनांग, मलेशिया में आयोजित "विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में अध्यापन मूल्यों की नीतियों और पद्धतियों का विकास" सम्बन्धी क्षेत्रीय विशेषज्ञ कार्यशाला।

यूनेस्को बजट के लिए योगदान

16.19.0 यूनेस्को का प्रत्येक सदस्य-राज्य यूनेस्को के प्रति द्विवार्षिक नियमित बजट में योगदान करता है। यूनेस्को के द्विवार्षिकी 1990-91 के लिए योगदान के अनुमोदित मानदण्ड के अनुसार भारत का हिस्सा कुल बजट के लिए 0.36 प्रतिशत निर्धारित किया गया। तदनुसार, भारत में वर्ष 1990 के लिए यूनेस्को को 176 लाख रुपये तथा 1991 के लिए पहले ही 198.34 लाख रुपये का योगदान किया जा चुका है। लगभग 22.00 लाख रुपये की एक और राशि यूनेस्को को दिए जाने की संभावना है जो मुद्रा उतार चढ़ाव और अवमूल्यन के कारण 1990-91 में देय हुई है।

यूनेस्को अपील बोर्ड

16.20.0 श्री मुरलीधर सी भंडारे, संसद सदस्य (राज्य सभा) को छह वर्ष की अवधि के लिए यूनेस्को अपील बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

16.21.0 सुश्री सावित्री कुनाडी, यूनेस्को में भारत के राजदूत/पी०आर० को मार्च 1991 से फरवरी 1992 की अवधि के लिए यूनेस्को में एशिया प्रशान्त का अध्यक्ष चुना गया है।

'विश्वभर में बासकेटवर्क परम्परा और आधुनिकता पर प्रदर्शनी' में भाग लेना

16.22.0 भारत ने पेरिस में आयोजित यूनेस्को के महा सम्मेलन के 26वें सत्र के अवसर पर अक्तूबर-नवम्बर, 1991 के दौरान पेरिस में आयोजित "विश्वभर में बासकेटवर्क परम्परा और आधुनिकता पर प्रदर्शनी" में भाग लिया।

यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड

16.23.0 श्री एन० कृष्णन, सदस्य यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड ने, 11 मई से 12 जून, 1991, 30 सितम्बर से 11 अक्तूबर, 1991 तथा 8 और 9 नवम्बर, 1991 तक पेरिस में यूनेस्को प्रशासकीय बोर्ड के क्रमशः 136वें 137वें और 138वें सत्र में भाग लिया।

विश्व विरासत समिति

16.24.0 1972 में स्वीकृत विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी कन्वेन्शन के उपबन्धों के अनुसरण में यूनेस्को ने उन प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों का, जो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, पता लगाने तथा विश्व विरासत निधि के संचालन के लिए एक विश्व विरासत समिति गठित की है। इसमें इक्कीस सदस्य राज्य है। 1987 में आयोजित यूनेस्को के महा सम्मेलन के 23वें सत्र में इस समिति में भारत को एक सदस्य के रूप में चुना गया और इसका कार्यकाल 1991 में आयोजित यूनेस्को के महासम्मेलन के 26वें सत्र के अन्त में समाप्त हो गया। विश्व विरासत सूची में, अब तक भारत के चौदह सांस्कृतिक स्मारक और पांच प्राकृतिक स्थल, शामिल किए जा चुके हैं।

शिक्षा पर एस०ए०ए०आर०सी० तकनीकी समिति

16.25.1 क्षेत्रीय सहयोग संबंधी दक्षिण एशियाई संघ (एस०ए०ए० आर०सी०) के राज्य अथवा सरकार के अध्यक्षों के इस्लामाबाद में दिसम्बर, 1988 में आयोजित चौथे सम्मेलन ने शिक्षा को उन मुख्य क्षेत्रों में से एक बताया जिन पर इस क्षेत्र में तत्काल ध्यान देने की जरूरत है और शिक्षा को सहयोग के स्वीकृत क्षेत्रों में शामिल करने का निर्णय किया। तदनुसार, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की शिक्षा संबंधी तकनीकी समिति, 1989 में स्थापित की गई। एस०ए०ए०आर०सी० शिक्षा संबंधी तकनीकी समिति की अगस्त, 1991 के दौरान इस्लामाबाद में तीसरी बैठक आयोजित की गई। श्री अनिल बोर्दिया, शिक्षा सचिव ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया।

16.25.2 इस बैठक के दौरान, शिक्षा संबंधी तकनीकी समिति के अधीन अब तक किए गए कार्यकलापों की समीक्षा की गई और एस०ए०ए०आर०सी० सदस्य राज्यों के आयोजित विभिन्न विशेषज्ञ गुप बैठकों की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए ठोस प्रस्तावों का सुझाव दिया। 1992 के लिए एक कार्यकलाप कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया जिसके अन्तर्गत भारत शैक्षिक आयोजना और प्रबन्धन पर कार्यशाला का स्वागत करेगा।

16.25.3 भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने इस बैठक में नेतृत्व की भूमिका निभाई जिसकी सभी सदस्य देशों द्वारा सराहना की गई और उसे स्वीकार किया गया।

विदेशी शैक्षिक सम्बन्ध

16.26.0 द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विदेशी शैक्षिक सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक सार्थक भूमिका निभाते है। महत्वपूर्ण देशों के साथ भारत के शैक्षिक तालमेल को गहरा बनाने के विचार से सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के शैक्षिक अवयव तथा अन्य द्विपक्षीय प्रबन्ध उत्साह से कार्यान्वित किए जा रहे है। विदेशी विश्वविद्यालयों में भारत और भारतीय विद्या के सम्बन्ध में अध्ययनों को प्रोत्साहन देने के नए मार्गों का पता लागया जा रहा है और भारत की प्रासंगिकता के क्षेत्रों में संस्था-संस्था के बीच तालमेल बढ़ाए जा रहे हैं। विदेशों में चुनिन्दा भारतीय मिशनों से भी शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने में सक्रिय रूचि लेने के लिए सम्पर्क किया गया है। चीन, पाकिस्तान, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, भूटान और फ्रांस आदि में हमारे मिशनों के साथ इस क्षेत्र में मूर्त नए विचार स्थापित करने के लिए संवाद किया गया है।

विदेशों से आगन्तुक

16.27.1 यूनेस्को के महानिदेशक के डीन निजी प्रतिनिधि श्री जॉन गुंटूर ने 12 अक्तूबर, 1991 को शिक्षा सचिव से मुलाकात की। इस दौरान कम्बोडिया में यूनेस्को की पुनर्संरचना स्कीमों में भारत की सहभागिता की रूपात्मकताओं पर विचार-विमर्श किया गया।

16.27.2 यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के महासचिव श्री हिदायत अहमद के निमंत्रण पर यूनेस्को के एशिया, और प्रशांत व बैंकाक के प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक अपील और ई०एफ०ए० की राष्ट्रीय समन्वयन समिति की बैठक जो 6 सितम्बर, 1991 में हुई, में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए।

16.27.3 यूनेस्को के टोक्यो स्थित एशियाई सांस्कृतिक केन्द्र के पुस्तक विकास और साक्षरता अनुभाग के प्रमुख श्री शिंजी ताजिमा एशिया और प्रशान्त क्षेत्रों में युवाओं और प्रौढ़ों के लिए बुनियादी साक्षरता पठन सामग्रियों की एक उप-क्षेत्रीय कार्यशाला के 1992 के मध्य में भारत में आयोजन के संबंध में विचार-विमर्श के लिए नवम्बर, 1991 में नई दिल्ली आए।

यूनेस्को का सहभागिता कार्यक्रम

16.28.0 सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत यूनेस्को उन सदस्य राज्यों की विभिन्न संस्थाओं और संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो यूनेस्को महासभा द्वारा परिभाषित उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, उप-क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर योगदान करने के लिए नवाचारी परियोजनाएं शुरू करने के लिए यूनेस्को के कार्यक्रमों और कार्यकलापों के संवर्धन में लगी हैं। 1990-91 और 1991-92 की द्विवार्षिकी के दौरान यूनेस्को द्वारा 1,09,200/- अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता से अनुमोदित भारत से 10 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई शुरू की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय सहमति के लिए शिक्षाः यूनेस्को क्लब और सम्बद्ध स्कूल

16.29.1 यूनेस्को क्लब का मुख्य रूप से शैक्षिक संस्थानों में गठित स्वैच्छिक इकाइयां हैं, जिनका उद्देश्य संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है। सम्बद्ध स्कूल, अन्तर्राष्ट्रीय सहमति, सहयोग और शान्ति के लिए शिक्षा से सम्बन्धित कार्यकलापों को चलाने के लिए सम्बद्ध स्कूल परियोजना में भागीदारी के लिए यूनेस्को सचिवालय से सीधे जुड़े शैक्षिक संस्थान हैं। सम्बद्ध स्कूल परियोजना के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थानों का चयन यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पर यूनेस्को द्वारा किया जाता है। इस परियोजना के अन्तर्गत भारत से 37 स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान यूनेस्को के साथ सूचीबद्ध हैं।

16.29.2 यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को क्लबों और सम्बद्ध स्कूलों के लिए राष्ट्रीय समन्वय एजेंसी है। लगभग 250 यूनेस्को क्लब आई°एन°सी° के साथ पंजीकृत हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सहमति, सहयोग और शान्ति को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों और वर्षों को मनाने, बैठकें और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करने जैसे यूनेस्को के लक्ष्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के कार्यकलापों को शुरू करने के लिए यूनेस्को क्लबों और सम्बद्ध स्कूलों को वास्तविक और वित्तीय सहायता दी जाती है।

एशिया प्रशान्त में 16वीं फोटो प्रतियोगिता

16.30.0 यूनेस्को का भारतीय राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को द्वारा आयोजित फोटो प्रतियोगिताओं की वार्षिक भागीदारी में यूनेस्को के एशिया सांस्कृतिक केन्द्र, (ए°सी°सी°यू°) जापान को अपना सहयोग देता रहा है। एशिया और प्रशान्त में 16वीं फोटो प्रतियोगिता के लिए भारत के 16 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए चुना गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार

16.31.0 यूनेस्को ने उत्कृष्ट योग्यता दिखाने वाले निरक्षरता के विरुद्ध छिड़े अभियान में विशेष सफलता दिखाने वाले संस्थानों, संगठनों या व्यक्तियों के सम्मान में प्रति वर्ष दिए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कारों और दिशा-निर्देशों की स्थापना की है। पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य साक्षरता के बढ़ते कार्यक्रमों के प्रति लोगों के मन में सहानुभूति और सहयोग की भावना जगाना है। आई°एन°सी° की सिफारिश पर यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को निरक्षरता के विरुद्ध छिड़े अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोमा साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया है। पुरस्कार की राशि 10,000/- अमेरिकन डालर है। पुरस्कार यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा 8 सितम्बर, 1991 को पेरिस में आयोजित समारोह में पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि को प्रदान किया गया।

विज्ञान की लोकप्रियता के लिए 1991 का कलिंग पुरस्कार

16.32.0 यूनेस्को ने विज्ञान की लोकप्रियता के लिए 1991 का कलिंग पुरस्कार भारत के डा° एन°के° सहगल तथा रोमानिया के डा° इफतिमोविसि, को संयुक्त रूप से प्रदान किया। डा° सहगल राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद के विज्ञान लोकप्रियता सम्बन्धी कार्यक्रम के प्रभारी तथा निदेशक हैं, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में इसका सचिवालय है। डा° सहगल को पुरस्कार के लिए आई°एन°सी° ने मनोनीत किया था।

यूनेस्को कूपन कार्यक्रम

16.33.0 आयोग ने शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा दूर संचार के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं तथा व्यक्तियों की सहायता के लिए बनाई गई यूनेस्को अन्तर्राष्ट्रीय कूपन योजना का संचालन विदेशी मद्रा तथा आयात नियंत्रण की औपचारिकताओं के बिना उनकी विदेश से शैक्षिक प्रकाशनों, वैज्ञानिक उपकरणों, शैक्षिक फिल्मों आदि की वास्तविक आवश्यकताओं को आयात करने के लिए जारी रखा। कुल 10,800 अमेरिकी डालर की राशि के यूनेस्को कूपन बेचे गए।

यूनेस्को कूरियर के भारतीय भाषा संस्करणों का प्रकाशन

16.34.0 कूरियर, यूनेस्को द्वारा प्रकाशित विश्व की एक अतिविशिष्ट शैक्षिक व सांस्कृतिक पत्रिका है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने इसके तमिल और हिन्दी संस्करणों का प्रकाशन जारी रखा। इन भाषा अनुवादों का शैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, यूनेस्को क्लबों, संबद्ध स्कूलों तथा आम जनता में व्यापक परिचालन है।

स्वैच्छिक निकायों, यूनेस्को क्लबों तथा संबद्ध स्कूलों के लिए वित्तीय सहायता की योजनाः

16.35.0 यूनेस्को के आदेशों एवं उद्देश्यों के संवंधर्न के लक्ष्य से शुरू किए गए कार्यकलापों के लिए आयोग स्वैच्छिक संगठनों, यूनेस्को क्लबों तथा संबद्ध स्कूलों के लिए वित्तीय सहायता की एक योजना का संचालन कर रहा है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न निकायों के लिए अभी तक 15000/- रु अनुदान सहायता की मंजूरी दी गई हैं।

ओरोविले

16.36.1 केन्द्र सरकार द्वारा ओरोविले का प्रबंध-कार्य ओरोविले (आपात कालीन) प्रावधान अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अस्थायीतौर पर लिया गया था ताकि परियोजना के कुप्रबंध के कारण पैदा हुई कुछ समस्याओं का समाधान किया जा सके। केन्द्र सरकार को सौपे गए ओरोविले के प्रबंध की अवधि के दौरान नगर के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास हुआ हैं। ओरोविले के उचित प्रबंध और आगे के विकास को सुनिश्चित करने की दीर्घावधिक व्यवस्था करने के लिए तथा इसके साथ ही विभिन्न कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने, जारी रखने तथा संयोजित करने के लिए ओरोविले फाउन्डेशन अधिनियम अधिनियमित किया गया जो 28 सितंबर, 1988 से लागू किया गया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा ओरोविले फाउंडेशन गठित किया जाएगा जिसमें शासित निकाय, रेजीडेंट असेंबली, और ओरोविले अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् शामिल होगी। डा° कर्ण सिंह की अध्यक्षता में फाउंडेशन के

शासित निकाय को भी गठित किया गया है। बोर्ड की दो बैठकें 28-2-1991 और 17-8-1991 को ओरोविले में आयोजित की गयी।

16.36.2 रेजीडेंट असेंबली जिसमें सभी ओरोविल शामिल है, ने 7 सदस्यों की अपनी कार्य समिति को भी चुना है। अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के गठन पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

16.36.3 फिलहाल ओरोविले की सभी संपत्तियों की देख-रेख सरकार द्वारा नियुक्त अभिरक्षक द्वारा की जाएगी। अधिनियम के अन्तर्गत इन्हें शीघ्र ही फाउंडेशन को सौंप दिए जाने की संभावना है। अधिनियम के अन्तर्गत फाउंडेशन को अपने दायित्व का निर्वाह करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार फाउंडेशन को उतनी राशि का भुगतान अनुदान, ऋण या अन्य तरीके से कर सकती है जितनी कि सरकार जरूरी समझती है।

16.36.4 शैक्षिक क्षेत्र में ओरोविले के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 35.55 लाख रु० की लागत की एक स्कीम शामिल की गई है। योजना में तीन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है अर्थात्; (i) बाल्यावस्था के प्रारंभिक स्तर से शुरु होने वाली सतत् शिक्षा को जारी रखने की आवश्यकता (ii) ज्ञान तथा संस्कृति के संश्लेषण की आवश्यकता और (iii) ओरोविले तथा निकटवर्ती गाँवों के बहुमुखी विकास के लिए एक स्थायी आधार उपलब्ध कराने की आवश्यकता योजना को अपेक्षित परिशोधनों के साथ आठवीं पंच वर्षीय योजना में भी जारी रखा जाएगा।

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान
(1990—91)

वर्ष 1990-91 के दौरान 1 लाख या इससे अधिक आवर्ती/अनावर्ती सहायक अनुदान प्राप्त करने वाले निजी और स्वैच्छिक संगठनों के नाम

क्रं॰ सं॰	एजेंसी/संगठन का नाम व पता	संगठन की संक्षिप्त गतिविधियां	1990-91 में सहायक अनुदान की राशि	परयोजन जिसके लिए अनुदान का उपयोग किया गया	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
अनौपचारिक शिक्षा					
1.	एम॰ वेंकटरगैया फाउंडेशन 10-2-96 मार्ड पिल्ली पश्चिमी सिकंदराबाद	शैक्षिक/सामाजिक/ग्रामीण/सामुदायिक/समेकित विकास	2,43,000	जि॰ सं॰ इ॰	
2.	विलेज रिकंस्ट्रंक्शन आर्गनाइजेशन पेडाकाकनी, गुंटूर-522409	-वही-	2,55,900	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
3.	भागवतुला चैरिटेबल ट्रस्ट पेलामानचिली-531055 जि॰ विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश।	-वही-	27,49,337	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र और ई॰ एंड् आई॰	
4.	प्राच्य भाषा विद्यापीठ, राजेन्द्र नगर गुडिविदा जि॰ कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश।	-वही-	1,00,226	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
5.	रायलसीमा सेवा समिति नं॰-9, ओल्ड हुजूर आफिस बिल्डिंग।	-वही-	76,44,045	1100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र और ई॰ एडं आई॰	
6.	श्री वेंकटेश्वरैया महिला मंडी प्लाट 6, जर्नलिस्ट कालोनी, मेडिकल कालेज के सामने, तिरूपति, आ॰ प्र॰।	-वही-	1,19,104	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
7.	महालक्ष्मी वेलफेयर सोसाइटी पदमसाई क्लीनिक, वी॰ आई॰ अग्राहाराम, विजिनगरम-3, आ॰ प्र॰।	-वही-	1,26,675	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
8	ग्राम विकास संस्था, कोठा इंदुल पुंगानूर, जि॰ चितूर।	-वही-	1,00,226	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
9.	ग्राम सेवा समिति अनिगानूर गांव ज्वीजलपुरम पोस्ट कुप्पम-51742[illegible] जि॰ चित्तूर (आ॰ प्र॰)।	-वही-	4,71,446	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
10.	ए॰ पी॰ रूरल रिकंस्ट्रक्शन मिशन, 1-69, क्रास रोड, पिलर-517214, जिला चित्तूर, (आ॰ प्र॰)।	-वही-	39,134	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
11.	रूरल एजूकेशन सोसाइटी पुनगानूर-517247, जि॰ चितूर-आन्ध्र प्रदेश।	-वही-	4,57,537	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
12.	सोशल एक्शन फार इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, नं॰ 11, एस॰ वी॰ यू॰ कैम्पस (नियार रोड़ बिल्डिंग) तिरूपति-517502 आ॰ प्र॰	-वही-	2,14,768	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	

1	2	3	4	5	6
13.	पीपुल्स आर्गनाइजेशन फार डेवलपमेंट एक्शन डोर नं० 4-95, रामनगर कालोनी, जि० चित्तूर-517002 (आ० प्र०)।	-वही-	1,14,576	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
14.	सोसाइटी फार हेल्प एंड एक्शन फार रूरल पुअर कोंगारे डिपाले, जि० चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश।	-वही-	2,51,975	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
15.	कलेक्टिव आर्डर फार रूरल रिकंस्ट्रक्शन एजूकेशन 14-65/5 पैलेस रोड़, कुप्पम, चित्तूर-517425	-वही-	2,07,916	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
16.	भारत सेवा समिति, शुगर फैक्टरी, इम्पलाई कालोनी, 75, दोदीपाली, चित्तूर।	-वही-	4,44,087	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
17.	नवचेतन एजूकेशन एकेडेमी, पी० बी० नं०-77, सेकेंड रोड़, एस० के० डी० कालोनी, अदोनी-518301.	-वही-	4,78,800	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
18.	चेयूथा, 1-1-342/बी, विवेक नगर, चिक्कदापाली, हैदराबाद-500020।	-वही-	2,79,013	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
19.	असम चाह मजदूर एजूकेशन मल्टीपरपस, सोशल एजूकेशन एसोसिएशन रंगजन, टीटाबार, जोरहट, असम।	-वही-	1,32,790	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
20.	बारखेरी उन्नयन समिति, विलेज एंड पोस्ट मुकालमुआ, दसाइनलबारी, असम।	-वही-	1,20,040	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
21.	जमुनामुख अमटोला अहमदिया मदरसा कमिटी विलेज एंड पोस्ट जमुनामुख, जि० नवगांव, असम।	-वही-	1,26,648	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
22.	गौरीपुर विवेकानंद क्लब, बारूपत्ती रोड़, पो० गुरीपुर, धुबरी-783331, असम।	-वही-	1,26,382	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
23.	मोरीगांव महिल मोधिल, मोरीमुसिनोगांव, पो० मारीगांव, जि० नवगांव, असम।	-वही-	1,32,790	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
24.	यूनिवर्सल बदर हूड एसोसिएशन, रंगाल् जूनारमुर, जि० नवगांव, असम।	-वही-	2,14,400	80 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
25.	टोटल रूरल डेवपमेंट, पो० डाबाधोरा, जि० नालबारी, असम।	-वही-	1,32,790	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
26.	उदाली रहमरिया मदरसा पो० उदाली बाजार जि० नवगांव, असम।	-वही-	1,42,390	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	

1	2	3	4	5	6
27.	चैरिटेबल एसोसिएशन फार रूरल डेवलपमेंट, ,के० आर० स्कूल बेतलिआह, वे० चंपारन, बिहार।	-वही-	3,52,000	जिला संसाधन इकाई	
28.	मंथन खागौल रोमन कैथोलिक चर्च, खागौल, जि० पटना, बिहार।	-वही-	3,52,000	जिला संसाधन इकाई	
29.	श्रम भारती, खादी ग्राम, मुगेर, बिहार।	-वही-	3,61,000	जिला संसाधन इकाई	
30.	झरिया महिला विकास केन्द्र, गांधी रोड़, पो० झरिया, जि० धनबाद-828111, बिहार।	-वही-	1,20,300	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
31.	महिला शिशु कल्याण प्रतिष्ठान, एकनार सराय, नालंदा।	-वही-	1,26,675	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
32.	प्राकृतिक आरोग्य आश्रम, राजगीर नालंदा, बिहार।	-वही-	2,24,557	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
33.	समन्वय आश्रम, वोध गया, बिहार।	-वही-	6,92,115	ई० एक्स० आई० + डी० आर० यू०	
34.	इंदिरा गांधी समाज सेवा आश्रम, 221-ए, पीपुल्स कोआपरेटिव कालोनी, कंकरबाग, पटना।	-वही-	1,38,500	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
35.	बिहार दलित विकास समिति, पटना नियर भूमेश्वरी राज कालेज, बाढ-पटना।	-वही-	2,35,189	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
36.	अन्त्योदय लोक कार्यक्रम (आलोक), वेस्ट चंपारन, बिहार।	-वही-	2,34,050	ई० एक्स० आई०	
37.	संथाल परगना ग्राम उद्योग समिति, विद्यामठ धाम, देवगढ़, संथाल परगना, बिहार।	-वही-	1,32,419	30 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
38.	संथाल परगना अन्त्योदय आश्रम, पुमौधा, देवगढ़, संथाल परगना, बिहार।	-वही-	1,45,995	30 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
39.	घोघारधिका प्रखंड स्वराज्य विकास संघ, विलेज एंड पो० जगरपुर, बाया घोघारधिका, मधुबनी-847402 बिहार।	-वही-	4,78,800	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
40.	समग्र ग्राम स्वाज्य संघ, इस्लामपुर, नालंदा, बिहार।	-वही-	1,29,965	30 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
41.	बनवासी सेवा केन्द्र, अघोरा, जि० रोहतास, बिहार।	-वही-	1,27,847	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
42.	ग्राम स्वराज्य समिति बख्तियार, साहिमपुर, पटना, बिहार।	-वही-	1,32,790	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
43.	बिनोबा आरोग्य एवं लोक शिक्षा केन्द्र, विजेल जय कृष्णा नगर, पो० बादया, इस्लामपुर, नालंदा, बिहार।	-वही-	2,91,460	60 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
44.	जन जागरण केन्द्र, विलेज और पोस्ट बाढ़, जि० हजारीबाग, बिहार।	-वही-	1,45,949	30 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	

1	2	3	4	5	6
45.	संता ग्राम विकास समिति, विलेज एंड पोस्ट रामपुर कुमार, कौफ महनार रोड, वैशाली, बिहार।	-वही-	1,42,650	30 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
46.	जन शिक्षा केन्द्र, विलेज एंड पोस्ट चक्कर, जि० मुंगेर, बिहार।	-वही-	1,42,218	30 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
47.	नव भारत जागृति केन्द्र, बेहारा पो० वृन्दावन चंपारन, हजारीबाग, बिहार।	-वही-	2,11,909	60 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
48.	अदिथी, 2/30 स्टेट बैंक कालोनी, बेती रोड़, मधुबनी।	-वही-	57,90,679	200 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
49.	ग्राम निर्माण मंडल, सर्वोदय आश्रम, शेखो द्वारा नवाधा-805106, बिहार।	-वही-	1,32,790	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
50.	गुजरात खेत विकास परिषद्, अहमदाबाद।	-वही-	1,32,790	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
51.	आनंद निकेतन आश्रम ट्रस्ट पो० रंगापुर कावंत, जि० बड़ौदा-391140	-वही-	2,40,245	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
52.	भावनगर महिला संघ, पनवाड़ी चौक, भावनगर-364001, गुजरात।	-वही-	3,60,000	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
53.	ग्राम निर्माण केलवानी मंडल थवा तालुका बलिया, अंकलेश्वर, जि० भड़ौच, गुजरात।	-वही-	2,22,900	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
54.	लाल माई गुप रूरल डेवलपमेंट फंड, अरविंद मिल्स प्रिमिसेज, नरोदा रोड़, अहमदाबाद-380025	-वही-	1,53,400	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
55.	लोक भारतीय ग्राम विद्यापीठ, सनोसरा-364230, जि० भावनगर, गुजरात।	-वही-	4,67,224	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
56.	मानव सेवा मंडल ट्रस्ट, 5-ए, अनुपमा सोसाइटी, अमीन मार्ग, नियर नूतन नगर, राजकोट-360001	-वही-	4,49,525	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
57.	सर्वेण्ट्स आफ दि पीपुल सोसाइटी 1225 देवनी शेरी, मंडविनी पोले, अहमदाबाद-380001, गुजरात।	-वही-	11,24,190	200 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
58.	श्री पंचमहल केलवानी मंडल, कलोक, जि० पंचमहल, गुजरात।	-वही-	3,67,788	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
59.	श्री सारस्वतम, मुमोरा, जि० कच्छ, गुजरात।	-वही-	5,72,505	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
60.	श्रीमती बी० के० बालजोशी एजूकेशन ट्रस्ट, 20 रतीश सोसाइटी, कलोल-382721, जि० मेहसाना, गुजरात।	-वही-	3,90,953	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	

1	2	3	4	5	6
61.	स्वराज आश्रम, बारडोली, जि० सूरत, गुजरात।	-वही-	2,47,243	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
62.	अंजुमन-ए-तालीमी इदारा, कोर्ट रोड, भड़ौच।	-वही-	6,77,629	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
63.	गुजरात स्टेट क्राइम प्रवेंशन ट्रस्ट, सी/ओ किशोर त्रिपाठी, 2, जोशीबाग एपार्टमेंट नियर नवरंग हाईस्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल रोड, अहमदाबाद-380014.	-वही-	3,80,055	100 अनौ०शि०के०	
64.	थासरा तालुका युवक मंडल एसोसिएशन अग्रवा ताल जि० खेड़ा-388230.	-वही-	1,20,260	25 अनौ०शि०के०	
65.	श्रमिक कल्याण न्यास गांधी मजूर सेवालय शारदा अहमदाबाद-380017.	-वही-	2,55,900	100 अनौ०शि०के०	
66.	अहमदाबाद सिटी सामाजिक शिक्षा समिति, श्रमिक कल्याण भवन, रायपुर गेट के बाहर, अहमदाबाद-380022.	-वही-	3,56,517	100 अनौ०शि० के०	
67.	अमर भारती, मोती पवेथी, वाया बहीयाल, तालुका देहगम जिला अहमदाबाद-382308, गुजरात।	-वही-	6,34,316	100 अनौ०शि०के०	
68.	लक्ष्मी एजुकेशन सोसायटी, मेहम (रोहतक), हरियाणा।	-वही-	4,80,600	100 अनौ०शि०के०	
69.	शिक्षा समिति, डी ए वी प्रशिक्षण कालेज, शिव नगर, सोनीपत, हरियाणा।	-वही-	6,87,130	130 अनौ०शि०के०	
70.	विद्या महासभा कन्या गुरूकुल महाविद्यालय, खरखोदा, जिला सोनीपत, हरियाणा।	-वही-	9,60,502	200 अनौ०शि०के०	
71.	जनता कल्याण समिति, बस स्टैंड के सामने, रेवाड़ी, मेहन्द्रगढ़, हरियाणा।	-वही-	4,13,085	100 रा०शि०के०	
72.	हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, बाल विकास भवन, 650, सेक्टर 16-डी चंडीगढ़-160016.	-वही-	2,75,100	100 अनौ०शि०के०	
73.	पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण विकास के लिए सामाजिक कार्रवाई सोसायटी, पंत साहित्य, सिरमौर।	-वही-	1,32,790	50 अनौ०शि०के०	
74.	ग्रामीण शिक्षा के माध्यम से सामाजिक उद्धार समिति, जगजीत नगर, वाया जुब्बर-173225, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।	-वही-	1,72,762	100 अनौ०शि०के०	

1	2	3	4	5	6
75.	पिपल्स एक्शन फार पीपल इन नीड अंधारी, जिला सिरमौर -173023 हि०प्र०।	-वही-	1,53,015	100 अनौ०शि०के०	
76.	मानव हित ग्रामीण केन्द्र, सिरमौर जिला, हि०प्र०-713101.	-वही-	1,74,900	100 अनौ०शि०के०	
77.	कर्नाटक कल्याण सोसायटी पोस्ट बाक्स नं०-28, चिकवलपुर-562101.	-वही-	5,11,905	1500 अनौ०शि०के०	
78.	केरल रा०ओ०शि० विकास संघ, त्रिवेन्द्रम।	-वही-	7,60,050	150 अनौ०शि०के०	
79.	सुलतान-उल-हिन्द शैक्षिक सोसायटी, भोपाल।	-वही-	4,03,770	100 अनौ०शि०के०	
80.	बाल आवास महिला कल्याण समिति, बिलगांव कवाटी गणेशपुरा, शुकारा भवन, जेल रोड, मुरैना, म०प्र०-476001.	-वही-	1,20,300	25 अनौ०शि०के०	
81.	तरूण शंकर, 1784 इंदिरा मार्किट, आजाद नगर, जबलपुर-482010, म०प्र०।	-वही-	1,16,865	25 अनौ०शि०के०	
82.	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, कस्तूरबा ग्राम, इन्दौर-452020, म० प्र०।	-वही-	3,18,943	100 अनौ०शि०के०	
83.	मोन्टेसरी शिक्षा सोसायटी, कोचरूड, जिला उज्जैन, म० प्र०।	-वही-	2,40,080	50 अनौ०शि०के०	
84.	दिशा (डी आई एस एच ए), रायपुर, मध्य प्रदेश।	-वही-	2,00,000	ई एण्ड आई	
85.	एकलव्य, भोपाल, मध्यप्रदेश।	-वही-	9,93,723	ई एण्ड आई	
86.	मध्य प्रदेश बाल कल्याण परिषद होटल नं०-5, भेल।	-वही-	4,49,996	100 अनौ०शि०के०	
87.	गायत्री शक्ति शिक्षण समाज कल्याण समिति, 1314 मिश्रा मार्किट , रांझी बस्ती, जबलपुर, म०प्र०।	-वही-	1,86,297	25 अनौ०शि०के०	
88.	श्री मोनी विद्यापीठ, गोरगोटी, कोल्हापुर।	-वही-	1,32,790	50 अनौ०शि०के०	
89.	अखिल भारतीय मगस्वर्गीय समाज प्रबोधन संस्था, 22, प्रकाश अपार्टमेंट कटमनिवाली, कल्याण (पूर्व) जिला, थाणे, महाराष्ट्र।	-वही-	1,19,358	25 अनौ०शि०के०	
90.	अर्पण शिक्षा सोसायटी, तालासारी (थाणे), वानखेड़ा निवास, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।	-वही-	1,79,263	25 अनौ०शि०के०	
91.	भगिनी मंडल चोपड़ा जिला जलगांव, महाराष्ट्र।	-वही-	1,32,790	50 अनौ०शि०के०	

1.	2	3	4	5	6
92.	बोम्बे सिटी, सामाजिक शिक्षा समिति, आदर्श नगर, वोरली, बम्बई-400025, महाराष्ट्र।	-वही-	1,61,121	50 अनौ०शि०के०	
93.	नागरिक उद्धार सोसायटी, 17, पाओनियर नगर, खेमला रोड़, नागपुर-15, महाराष्ट्र।	-वही-	1,20,041	25 अनौ०शि०के०	
94.	ग्रामीण अपंग पुनर्वास संस्था काजू बाग, कड़गांव रोड़, गांधीगिलाज, जिला कोल्हापुर -416502, महाराष्ट्र।	-वही-	2,40,080	50 अनौ०शि०के०	
95.	भारतीय शिक्षा संस्थान 128/2, जी०पी० नायक पथ, का० कर्वरोड़, कोठरन्ड, पुणे-411029.	-वही-	1,39,4150	रा०ओ०शि०	सेल+ई एंड आई
96.	प्रबन्ध और प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, 20 श्रद्धाश्रम कालोनी, पठानगेट, पो०बा०87, औरंगाबाद -431001.	-वही-	2,25,450	50 अनौ०शि०के०	
97.	जलना शिक्षा सोसायटी, आर० जी० बगाडिया आर्टस, एस०बी० लखोडिया कोमर्स एण्ड आर बजोंजी साईस कालेज, जलाना- 431203, महाराष्ट्र।	-वही-	2,35,256	50 अनौ०शि०के०	
98.	कागल शिक्षा सोसायटी, कागल जिला, कोल्हापुर।	-वही-	199802	50 अनौ०शि०के०	
99.	पार्थ विद्या प्रसारक मंडल, अहमदनगर।	-वही-	3,59,200	50 अनौ०शि०के०	
100.	संस्कृति संवर्धन मंडल, शारदा नगर, ताल बालोली, जिला नांदेद-431731, महाराष्ट्र।	-वही-	1,20,040	50 अनौ०शि०के०	
101.	संत कबीर शि० प्रसारक मंडल, कैलाश निवास, घाटी, जि० औरंगाबाद, महाराष्ट्र।	-वही-	8,50,905	100 अनौ०शि०के०	
102.	सती माता शिक्षण संस्था, 11, वैंकटेश नगर, खामला रोड़, नागपुर-440025, महाराष्ट्र।	-वही-	2,39,622	50 अनौ०शि०के०	
103.	श्री समर्थ शिक्षण संस्था, रामटेक, नागपुर।	-वही-	2,15,501	50 अनौ०शि०के०	
104.	श्री संजय गांधी शिक्षण प्रसारक मंडल, पिम्पलागांव, कंजलाटांडा, ताल-जिन्तूर, जि० परभानी, नागपुर।	-वही-	1,80,450	25 अनौ०शि०के०	
105.	श्री बालासाहिब माने शिक्षण प्रसारक मडंल अम्बेस जिला, ता० हटकनांगले, कोल्हापुर।	-वही-	1,97,385	50 अनौ०शि०के०	
106.	विदर्भा प्रादेशिक बासवा समिति, केशवराव बूटी रोड़, सीता बुल्दी, नागपुर, महाराष्ट्र।	-वही-	1,19,896	25 अनौ०शि०के०	

1	2	3	4	5	6
107.	योगेश्वरी एजुकेशन सोसायटी, अम्बाजोगी-431517, जिला बीड, महाराष्ट्र।	-वही-	1,03,989	50 अनौ०शि०के०	
108.	महाराष्ट्र नागेश्वरगिया सेवा संघ, यदसी ता० कलामनूरी, जिला परभानी।.	-वही-	1,19,134	25 अनौ०शि०के०	
109.	राजहरि छत्रपति शाहु शिक्षण, प्रसारक मंडल, बुरदगांव रोड़, जिला अहमदनगर।	-वही-	1,79,735	25 अनौ०शि०के०	
110	सेवाधाम ट्रस्ट, मार्फत मनोज क्लिनिक-1148, सदाशिव पथ, पूणे।	-वही-	1,83,307	50 अनौ०शि०के०	
111.	शिक्षण प्रसारक मंडल, मानेबस्ती, माधे, जिला शोलापुर।	-वही-	1,20,300	25 अनौ०शि०के०	
112.	राहुल एजुकेशन सोसायटी, शास्त्री नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र।	-वही-	1,17,803	25 अनौ०शि०के०	
113.	माधवन कुशात रोग निर्मूलन संस्था, जम्मूलधार, ता० चिमुर, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र।	-वही-	2,53,350	50 अनौ०शि०के०	
114.	अहिल्या देवी हल्कार स्मारक संस्था, ता० प्रसाद, जिला यावतमल, महाराष्ट्र।	-वही-	2,52,530	50 अनौ०शि०के०	
115.	श्रीनाथ शिक्षण प्रसारक मंडल 3165, तनेजा चौक, पवधारपुर, जिला शोलापुर, महाराष्ट्र।	-वही-	1,19,088	25 अनौ०शि०के०	
116.	जवाहरलाल नेहरू शिक्षण प्रसारक मंडल, उन्नारदारी, ता० मुखेड, जिला नांदेद, महाराष्ट्र।	-वही-	3,59,473	75 अनौ०शि०के०	
117.	शिक्षा और युवक सेवा अकादमी, 917/25, गेणशवाडी, पूणे, महाराष्ट्र।	-वही-	1,03,651	25 अनौ०शि०के०	
118.	सामुदायिक स्वास्थ्य अनुसंधान प्रतिष्ठान, 84-ए आर०जी० थडानी मार्ग, वोरली बम्बई-400018, महाराष्ट्र।	-वही-	1,86,304	ई०एण्ड आई०	
119.	शैक्षिक सुधार और परिवर्तन सोसायटी, 810 गोरा पार्क 15 बोट क्लब रोड़, पूणे-411001	-वही-	2,57,460	ई० एण्ड ए०	
120.	देवगिरि शिक्षण प्रसारक मंडल, डा० जी०पी० गायकवाड़, प्लोर नं०-12, वार्ड नं०-11, आरतीनन कालोनी कदराबाद, परभनी , महाराष्ट्र।	-वही-	2,66,100	100 अनौ०शि०के०	
121.	समाज उन्नति शिक्षण संघ, कलामकेर (खुर्द) ता० कान्द्रा, जिला नांदेद, महाराष्ट्र।	-वही-	1,19,829	25 अनौ०शि०के०	
122.	संजय गांधी किरधा संघ, उभरी ता० भोकर, जिला नांदेद (महाराष्ट्र)	-वही-	126570	25 अनौ०शि०के०	

1	2	3	4	5	6
123.	आवेही पब्लिक चेरीटेबल ट्रस्ट, बम्बई।	-वही-	300000	ई० एण्ड आई	
124.	मणिपुर व्यावसायिक संस्थान, इम्फाल।	-वही-	132790	50 अनौ०शि०के०	
125.	मणिपुर वेंगालिंग तथा किसान विकास संघ, पो०बा० नं०-6, इम्फाल-795001, मणिपुर।	-वही-	132790	50 अनौ०शि०के०	
126.	आचार्य हरिहर शिशु सदन, सत्यबाडी, ए टी/पी ओ सखीगोपाल, जिला पुरी, उड़ीसा।	-वही-	371928	100 अनौ०शि०के०	
127.	आंचलिका कुजेश्वर शंकरवाटिका संसद ए टी/पी ओ कनास, जिला पुरी, उड़ीसा-752017.	-वही-	352609	50 अनौ०शि०के०	
128.	अंतोदय चेतना मंडल, ए टी/पी ओ बारंकंद, वाया मोराद, जिला मयूरभंज, उड़ीसा।	-वही-	593010	100 अनौ०शि०के०+डी आर यू	
129.	अन्तोदय चेतना केन्द्र, संकटपालिया, पोस्ट हाडगढ़ जिला कुंझर. उड़ीसा-758023.	-वही-	224217	100 अनौ०शि०के०+डी आर ओ	
130.	अन्तोदय सेवा केन्द्र, रामचन्द्रपुर, पोस्ट पूरनबसंत, द्वारा नालीबेर, जिला कटक-754104, उड़ीसा।	-वही-	198936	50 अनौ०शि०के०	
131.	बागदेवी क्लब, मकंदपुर, डा० जानहपंकर, द्वारा बौद्ध, जिला फूलबनी, उड़ीसा।	-वही-	271814	50 अनौ०शि०के०	
132.	बनवासी सेवा समिति, डा० बालीगुडा, जिला फूलबनी, उड़ीसा-762103.	-वही-	360120	50 अनौ०शि०के०	
133.	बनदेवी सेवा सदन, कबीसूर्यनगर, जिला गंजम, उड़ीसा-761104.	-वही-	234840	50 अनौ०शि०के०	
134.	बापूजी पाथागर, डा० सूखा, जिला बोलंगिर, उड़ीसा।	-वही-	257196	50 अनौ०शि०के०	
135.	भागवत पाथागर, सोलोपाली, जिला बोलांगिर, उड़ीसा।	-वही-	254652	50 अनौ०शि०के०	

1	2	3	4	5	6
136.	भैरावी क्लब, कुरमपड़ा, डा॰ हाडनपाडा, द्वारा नारायण, जिला पुरी, उड़ीसा।	-वही-	212135	50 अनौ॰शि॰के॰	
137.	विद्युत क्लब, हल्दीपाडा, डा॰ बाजपुर, जिला पुरी, उड़ीसा।	-वही-	161280	100 अनौ॰शि॰के॰	
138.	बीनापानी जुबक, बुटपोंडुगोंडी, डा॰ मोतियागढ़, जिला मयूरभंज, उड़ीसा।	-वही-	120040	50 अनौ॰शि॰के॰	
139.	सेन्टर फार अपलिफ्टमेंट एण्ड लोवर इनकम (कल्ट), चोकुलाट, जिला कटक-754422, उड़ीसा।	-वही-	377838	50 अनौ॰शि॰के॰	
140.	सेन्टर फार यूथ एण्ड इन्टिग्रेटेड डिवलपमेन्ट, पो॰बा॰ नं॰ 30, बसोलसाही, उड़िया मठ लेन, डा॰ और जिला पुरी-752001, उड़ीसा।	-वही-	119040	50 अनौ॰शि॰के॰	
142.	सेन्टर फार यूथ एण्ड सोस्यिल डिवलपमेन्ट, 65, सत्यनगर, भुवनेश्वर।	-वही-	1522398	200 अनौ॰शि॰के॰-डी॰ आर॰ यू॰	
143.	कटक जिला आदिवासी हरिजन सेवा संस्कार योजना छत्ता, डा॰ चत्रचाकडा, जिला कटक-753101, उड़ीसा।	-वही-	240080	50 अनौ॰शि॰के॰	
144.	धकोठा युवक संघ डा॰ धकोठा, जि॰ कुंझर, उड़ीसा-758049.	-वही-	3763[illegible]	[illegible] अनौ॰शि॰के॰	
145.	फेलोशिप, पूरन बाजार, भादरक, जिला बालसोरा, उड़ीसा-756100.	-वही-	163715	50 अनौ॰शि॰के॰	
146.	गांधी सेवाश्रम, ईश्वरलाल शिशु भवन, डा॰ जालेश्वर बालासोर उड़ीसा।	-वही-	240300	100 अनौ॰शि॰के॰	
147.	गनिया उन्नयन समिति, डा॰ गनिया, जिला पुरी, उड़ीसा-752085.	-वही-	252360	50 अनौ॰शि॰के॰	
148.	घुमुसारा महिला संगठन डा॰ जी॰ उदयगिरी, जिला फूलबनी, उड़ीसा।	-वही-	352392	100 अनौ॰शि॰के॰	
149.	गोपीनाथ जूबा संघ, अलीसीसासन डा॰ दारदा, द्वारा बाली पटना, जिला पुरी, उड़ीसा-752102.	-वही-	207322	50 अनौ॰शि॰के॰	

1	2	3	4	5	6
150.	ग्राम मंडल पंथागार मु॰/पो॰ जूरसिंह जिला बोलांगीर, उड़ीसा।	-वही-	477186	100 अनौ॰केन्द्र	
151.	होयना लेप्रोसी रिसर्च ट्रस्ट पोस्ट बैग नं॰ 1, मुनिगुडा जिला कोरापुर उड़ीसा।	-वही-	660746	100 अनौ॰केन्द्र	
152.	सेकेड रूरल रिकन्सट्रक्शन एंड डिसास्टर रि॰ सर्विस, ओ॰एम॰पी॰ रोड, गांधीनगर रायागादा, जि॰ कोरापुर उड़ीसा-765001.	-वही-	309949	100 अनौ॰केन्द्र	
153.	इंटरनेशनल इनडिसेंसी प्रिवेन्शन मूवमेंट मु॰ बिदानासी (सोवानिया नगर) पो॰आ॰ कटक (उड़ीसा)	-वही-	396548	100 अनौ॰केन्द्र	
154.	जागरूक श्रमिक संगठन मु॰/पो॰ खारियार-766107 जि॰ कालाहांडी, उड़ीसा।	-वही-	120040	50 अनौ॰केन्द्र	
155.	जन कल्याण समाज, मु॰ गोदीबारी, पो॰ आ॰ चाणक्य जि॰ पुरी-उड़ीसा	-वही-	11092	100 अनौ॰केन्द्र	
156.	जयंती पंथागार, नुआपद्गा जि॰ गंजाम-761011, उड़ीसा।	-वही-	383486	100 अनौ॰केन्द्र	
157.	जयंती पंथागार, मु॰ शाहपदा पो॰आ॰ ब्रहमावर्द जि॰ कटक-755005, उड़ीसा।	-वही-	374366	100 अनौ॰केन्द्र	
158.	ज्योतिर्मयी महिला समिति बड़ागांव, केन्द्रपाड़ा जि॰ कटक, उड़ीसा।	-वही-	600549	100 अनौ॰केन्द्र	
159.	लोकशक्ति, मु॰/पो॰ श्रीकान्थापुर जि॰ बालासोर, उड़ीसा।	-वही-	443383	100 अनौ॰केन्द्र	
160.	एम॰ओ॰ क्लब मु/पो॰ कान्ताबाड़ी वाया बाघम्बरी जि॰ पुरी-752061, उड़ीसा।	-वही-	325425	50 अनौ॰केन्द्र	
161.	मंडल पोखरीयुवक संघ मु/पो॰ मन्दारी, वाया वासुदेवपुर जि॰ बालासोर, उड़ीसा।	-वही-	210050	50 अनौ॰केन्द्र	
162.	नवज्योति, पो॰ गरूणगन बाया कातशाही जि॰ कटक-उड़ीसा-754022	-वही-	188579	50 अनौ॰केन्द्र	
163.	नेताजी युवक संघ बालीपोखरी, मु/पो॰ परमानंदपुर वाया अखुआपद, जि॰ बालासोर-756122 उड़ीसा।	-वही-	220512	50 अनौ॰केन्द्र	
164.	नालांचल सेवा प्रतिष्ठान बेनोगांव (कनस) जि॰ पुरी-752017 उड़ीसा।	-वही-	366092	100 अनौ॰केन्द्र	
165.	ओल्ड रूरकेला एजूकेशन सोसायटी मु॰ बालीजोदी, पो॰ रूरकेला जि॰ सन्दरगढ़-769016 उड़ीसा।	-वही-	395300	100 अनौ॰केन्द्र	
166.	पाली मंगल युवक संघ मु॰ नयापाल्ली, पो॰ देडाली पिचाकुली, जि॰ पुरी उड़ीसा-752064.	-वही-	224477	50 अनौ॰केन्द्र	

1	2	3	4	5	6
167.	पालीश्री मु० / पो० घासीघाट वाया बांका जि० कटक उड़ीसा।	-वही-	240080	50 अनौ०केन्द्र	
168.	पीपुल्स इंस्टीट्यूट आफ पार्टिसिपेटरी ए० रिसर्च मु० / पो० महिमागदी जि० घेनकानाल, उड़ीसा-759014	-वही-	363598	100 अनौ०केन्द्र	
169.	प्रगति पंघागार मु० बेलागुंथा जि० गंजाम, उड़ीसा-761119	-वही-	256800	50 अनौ०केन्द्र	
170.	राधानाथ पंथागार मु० / पो० सोरो जि० बालासोर, उड़ीसा-756045	-वही-	210040	50 अनौ०केन्द्र	
171.	रामजी युवक संघ पो० सादीपल्ली जि० बोलांगीर, उड़ीसा-767065	-वही-	476173	100 अनौ०केन्द्र	
172.	रूरल डेवलपमेंट सोसायटी मु० कलिंग पो० के० बी० दाडां वाया महाकालपारा जि० कटक, उड़ीसा।	-वही-	549411	100 अनौ०केन्द्र	
173.	रूरल एजूकेशन एंड एक्शन फार चेंज जगमारा, खांडगिरी भुवनेश्वर, उड़ीसा-751030	-वही-	514062	100 अनौ०केन्द्र	
174.	रूरल वूमन डेवलपमेंट सर्विस सेंटर मु / पो० खालाटी, वाया अंगुल जि० घेनकनाल, उड़ीसा-759001	-वही-	226733	50 अनौ०केन्द्र	
175.	समग्र विकास परिषद मु० / पो० बालीपाल जिला बालासोर, उड़ीसा-756026	-वही-	263614	50 अनौ०केन्द्र	
176.	सामाजिक सेवा सदन ग्राम भांजीकुसम पो० महिषापट जि० घनेकनाल उड़ीसा	-वही-	440221	100 अनौ०केन्द्र	
177.	सर्वोदय समिति, गांधी नगर जि० मयूरगंज, उड़ीसा-757030	-वही-	210480	50 अनौ०केन्द्र	
178.	सोसायटी फार डेवलपमेंट पो० कुलियाना जि० मयूरभंज उड़ीसा-757030	-वही-	351606	100 अनौ०केन्द्र	
179.	सोसायटी फार हेल्थ एजूकेशन एंड डेवलपमेंट कालेज रोड, रायगाडा जि० कोरापुर, उड़ीसा-765001	-वही-	386508	100 अनौ०केन्द्र	
180.	श्री सत्य साईं सेवा समिति मु० / पो० देवभुवनपुर वाया बालीशंकर जि० सुदंरगढ़-770015 उड़ीसा।	-वही-	300100	50 अनौ०केन्द्र	
181.	श्री श्री शारदेश्वरी पंथागार मु० खारदा पो० तुरा, जि० बोलांगीर, उड़ीसा-767030.	-वही-	127544	50 अनौ०केन्द्र	

1	2	3	4	5	6
182.	सुभद्रा महबात सेवा सदन मु/पो॰जी॰ उदयगिरी जि॰ फलवानी, उड़ीसा।	-वही-	717359	100 अनौ॰केन्द्र	
183.	स्वामी विवेकानन्द इस्टीट्यूट आफ सोशल वर्क एंड एलाईड सर. खेरियर रोड जिला कालिन्दी	-वही-	893059	100 अनौ॰केन्द्र	
184.	टैगौर सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट 101, बापूजी नगर भुवनेश्वर—751009 उड़ीसा	-वही-	1160325	300 अनौ॰ केन्द्र	
185.	उत्कल नवजीवन मंडल पो॰ ओ॰ अंगुल जिला धनकानल, उड़ीसा	-वही-	415768	100 अनौ॰ केन्द्र	
186.	उत्कलमणि सेवा संघ पो॰ ओ॰ बडालिरायपुर जिला पुरी, उड़ीसा	-वही-	126959	50 अनौ॰ केन्द्र	
187.	विकास एन-5/11, आचार्य बिहार भुवनेश्वर-751013 उड़ीसा	-वही-	235468	50 अनौ॰ केन्द्र	
188.	विवेकानन्द पाली अग्रगामी प्रतिष्ठान, कालहेलपल्ली, गोछारा जिला सम्बलपुर-768222, उड़ीसा	-वही-	448864	100 अनौ॰ केन्द्र	
189.	वैलकम्स (कम्यूनिटी वेलफेयर एंड एनरीचमेंट सोसाइटी जी-एस॰ महाराणा भवन विवेकानन्द मार्ग, भुवनेश्वर उड़ीसा-751002	-वही-	201372	50 अनौ॰ केन्द्र	
190.	नारी शक्ति समास कुजी महल पो॰ आ॰ जिला पुरी उड़ीसा-754015	-वही-	151795	50 अनौ॰ केन्द्र	
191.	अग्रामी पो॰ आ॰ खासीपुर, उड़ीसा-765015	-वही-	962949	100 अनौ॰ केन्द्र + डी॰ आर॰ यू॰	
192.	सोसायटी फार ह्यूमैन रिसोर्सिस एंड इकानामिक डेवलपमेंट रुण्डीमहल, जिला झूलबानी, उड़ीसा	-वही-	601235	100 अनौ॰ केन्द्र	
193.	वबानी शंकर क्लब गगंपुर पो॰ ओ॰ सिमौर जि॰ पुरी उड़ीसा	-वही-	407769	50 अनौ॰ केन्द्र	
194.	नेशनल इंस्टिटयूट आफ सोशल वर्क एंड सोशल साइंस सूर्य नगर भुवनेश्वर उड़ीसा-751003 उड़ीसा	-वही-	467416	100 अनौ॰ केन्द्र	
195.	युवाज्योति क्लब ग्राम कुमण्डील पो॰ ओ॰ नायरी जिला पुरी उड़ीसा-752029	-वही-	124923	25 अनौ॰ केन्द्र	
196.	आंचालिक बलदेव वालन्ट्री एजेंसी पो॰ ओ॰ आलकुण्ड नौगांव वाया प्रीतिपुर कटक उड़ीसा	-वही-	113714	25 अनौ॰ केन्द्र	
197.	लुथर्न महिला समिति पो॰ ओ॰ पसटलीपंक वाया कुजुंग जिला कटक, उड़ीसा	-वही-	236460	50 अनौ॰ केन्द्र	

1	2	3	4	5	6
198.	यूथ ऐसोशिएशन फार रूरल रिकन्ट्रकशन पो॰ ओ॰ बोइना, जि॰ धेनकनाल उड़ीसा-7559127	-वही-	305146	50 अनौ॰ केन्द्र	
199.	धर्मनन्दन युवक संघ सीभीपानी पो॰ ओ॰ धारूअकिही, जिला सुन्दरगढ़ उड़ीसा	-वही-	116072	50 अनौ॰ केन्द्र	
200.	रूचिका स्कूल 14, फोरेस्ट पार्क भुवनेश्वर-751009 उड़ीसा	-वही-	115421	25 अनौ॰ केन्द्र	
201.	वालैन्टरी एसो॰ फार रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड एप॰ टैकनि॰ बोलकानी बारा ढंग कहाकालपाडा, जिला कटक, उड़ीसा	-वही-	180969	50 अनौ॰ केन्द्र	
202.	समन्वित ग्राम्पा उणयन समिति पो॰ ओ॰ जी॰ उदयगिरी जिला फलवानी, उड़ीसा	-वही-	260915	50 अनौ॰ केन्द्र	
203.	लोक नायक क्लब पो॰ ओ॰ पटटापुर बांकी जिला कटक, उड़ीसा-754008	-वही-	449803	100 अनौ॰ केन्द्र	
204.	बालमिकेश्वर जबक संघ जिला पुरी-उड़ीसा-752018	-वही-	272185	50 अनौ॰ केन्द्र	
205.	सेवा मंदिर, हिन्दुपुर ए॰ वी॰	-वही-	352000	डी॰ आर॰ यू॰	
206.	अजमेर एडल्ट एजूकेशन एसो॰ अजमेर ई॰ पी॰ आई॰ शास्त्री नगर एक्सेंटेशन विद्युत मार्ग, अजमेर-305006	-वही-	740360	100 अनौ॰ केन्द्र + डी॰ आर॰ यू॰	
207.	भीलवाड़ा जिला एडल्ट एजुकेशन एसो॰ 8/199, सिन्धु नगर, भीलवाडा-311001 राज॰	-वही-	170951	100 अनौ॰ केन्द्र	
208.	भोरूका चेरीटेबल ट्रस्ट पो॰ ओ॰ भोरूराम (नांगल कालान) जिला चुरू, राज॰	-वही-	425262	100 अनौ॰ केन्द्र	
209.	बीकानेर अडल्ट एजुकेशन एसो॰ प्रौढ़ शिक्षा भवन, सरस्वती पार्क पो॰ बा॰ नं॰ 28 बीकानेर-334001 राज॰	-वही-	180463	50 अनौ॰ केन्द्र	
210.	गांधी विद्या मंदिर सर्दार शहर राजस्थान	-वही-	329024	100 अनौ॰ केन्द्र	
211.	ग्रामीण विकास विज्ञान समिति पो॰ ओ॰ मणक्ले, वाया मथनिया जि॰ जोधपुर, राजस्थान	-वही-	314543	100 अनौ॰ केन्द्र	
212.	जोधपुर अडल्ट एजूकेशन एसो॰ गांधी भवन, रैजीडेंसी रोड जोधपुर राजस्थान	-वही-	218123	100 अनौ॰ केन्द्र	
213.	लोक शिक्षा संस्थान पी॰-87, गंगोरी बाजार जयपुर, राजस्थान	-वही-	222217	50 अनौ॰ केन्द्र	
214.	राजस्थान विद्यापीठ लोक शिक्षा परिषद प्रताप नगर उदयपुर—313001, राज॰	-वही-	248274	50 अनौ॰ केन्द्र	
215.	सेवा मंदिर, उदयपुर, राजस्थान	-वही-	201392	100 अनौ॰ केन्द्र	
216.	बोध शिक्षा समिति, जयपुर	-वही-	553667	ई॰ एंड आई॰	

1	2	3	4	5	6
217.	राजस्थान महिला विद्यालय ज्ञान मार्ग, गुलाब बाग के पास उदयपुर-313001	-वही-	255900	100 अनौ० केन्द्र	
218.	जिला एडल्ट एजुकेशन एसो० 13-झलवार रोड, कोटा, राज०	-वही-	527000	100 अनौ० केन्द्र + डी० आर० यू०	
219.	वूमैन वालन्ट्री सर्विस आफ तमिलनाडु 19, ईस्ट सुपर टैंक रोड चैटपुर मद्रास—60003	-वही-	477779	100 अनौ० केन्द्र	
220.	टैगौर एजुकेशन सोसायटी, त्रिवेन्द्रम-604001 जिला साउथ आर्कोट तमिलनाडु	-वही-	475607	100 अनौ० केन्द्र	
221.	सिस्टर्स आफ दी क्रास कानग्रेशन चावनोड त्रिचल्लापल्ली-620001	-वही-	117570	50 अनौ० केन्द्र	
222.	जी० आर० डी० ट्रस्ट कलायकथीर भवन, अवनाशी रोड कोयम्बटूर—641037	-वही-	755700	100 अनौ० केन्द्र	
223.	एसोशिएशन आफ नेशनल सर्विस चेनगपथी 316, एन० जी० ओ० कालोनी चेनगलपटट-603001	-वही-	117850	25 अनौ० केन्द्र	
224.	कृष्णामूर्ति फांउडेशन इंडिया 64/65, ग्रीन वेयज रोड मद्रास-600028 तमिलनाडु	-वही-	428071	ई० एंड आई०	
225.	वूमैन्स इंडिया एसो० 43, ग्रीनवेज, मद्रास-600028	-वही-	235840	50 अनौ० केन्द्र	
226.	मघर नाला मंदरम बी० बदुयगपलम बन्डी पलोयम पो० ओ० कुडालौर साउथ आर्कोट-67004	-वही-	405612	50 अनौ० केन्द्र	
227.	लीग फॉर एजुकेशन एंड डिवलपमेंट 680 साथिपावाणी मुथू एस० टी० के० के० नगर त्रिचल्लापल्ली-600021	-वही-	240080	50 अनौ० केन्द्र	
228.	बाल कल्याण केन्द्र पिन्द्रा जिला-देवरिया	-वही-	255900	100 अनौ० केन्द्र	
229.	समाज कल्याण शिक्षा संस्थान ग्राम करवान्थी पो० ओ० नकाटोहन जि० देवरिया	-वही-	133050	25 अनौ० केन्द्र	
230.	आदर्श जनता शिक्षा समिति ग्रा० और पो० ओ० पीन्डी, तहसील करछना जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	-वही-	445800	100 अनौ० केन्द्र	
231.	अमेठी महिला स्वैच्छिक सेवा समिति अमेठी, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	-वही-	102299	500 अनौ० केन्द्र	
232.	बनवासी सेवा आश्रम गोविन्दपुर (वाया तुर्रा) सोनभद्रा, उत्तर प्रदेश	-वही-	1807500	500 अनौ० केन्द्र + डी० आर० यू०	
233.	जन कल्याण शिक्षा समिति पावानगर फैजिल नगर जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-	883883	100 अनौ० केन्द्र	
234.	लोक विकास संस्थान 49, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद- 211001, उ०प्र	-वही-	4,24,053	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	

1	2	3	4	5	6
235.	म्याना ग्रामोद्योग सेवा संस्थान म्याना, मु०का० हॉस्पिटल रोड, खुर्जा, उ०प्र०	-वही-	4,41,969	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
236.	सर्वदलीय मानव विकास केन्द्र बहजोई, मुरादाबाद, उ०प्र०	-वही-	3,27,486	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
237.	सर्वोदय शिक्षा सदन समिति रेलवे स्टेशन रोड, शिकोहाबाद (मैनपुरी) उ०प्र०	-वही-	2,40,080	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
237.	सर्वोदय शिक्षा सदन समिति रेलवे स्टेशन रोड, शिकोहाबाद (मैनपुरी) उ०प्र०	-वही-	2,40,080	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
238.	युवक मंगल दल राजेपुई, 274, आवास विकास कॉलोनी जिला उन्नाव, उ०प्र०	-वही-	3,52,050	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
239.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति 261/56, नन्दन महल रोड लखनऊ, उ०प्र०	-वही-	1,20,258	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
240.	उ०प्र० राणा बेनी माधव जन कल्याण समिति गुलाब रोड रायबरेली, उ०प्र०	-वही-	3,29,623	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
241.	जन जाति विकास समिति रेलवे स्टेशन रोड, रोबर्ट गंज, मिर्जापुर, उ०प्र०	-वही-	2,40,080	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
242.	नवजागृति समाज विकास संस्थान 25, मोहल्ला खेड़ा, फिरोजाबाद, आगरा	-वही-	1,13,119	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
243.	लिट्रेसी हाउस, डाकघर आलमबाग, लखनऊ- 226005, उ०प्र०	-वही-	28,37,067	ई० एंड आई०	
244.	समाजोत्थान एवं शिक्षा प्रचारिका संस्थान दरवेशपुर, मवाना, मेरठ	-वही-	1,10,428	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
245.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र 261/4, सालिक गंज रोड, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद	-वही-	1,19,780	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
246.	अखिल भारतीय बाल देखभाल एवं विकास समिति, आजमगढ़, उ०प्र०	-वही-	4,45,800	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
247.	इरशाद अकादमी शाहपीर गेट, मेरठ, उ०प्र०	-वही-	1,26,025	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
248.	बोधिसत्व बाबा साहेब डॉ० अम्बेडकर स्मारक समिति छितवापुर लखनऊ, उ०प्र०	-वही-	2,52,773	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
249.	आदर्श सेवा समिति 326/1, साकेत कॉलोनी स्ट्रीट सं० मुजफ्फर नगर (उ०प्र०)	-वही-	1,32,790	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
250.	आशा सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय सम्रा चौराहा डाकघर बिलग्राम, जिला हरदोई उत्तर प्रदेश	-वही-	1,33,050	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
251.	गंगा रानी बालिका विद्यालय रामपुर बैजु छिब्रामन, फर्रूखाबाद, उ०प्र०	-वही-	2,65,580	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	

1	2	3	4	5	6
252.	शहीद मेमोरियल सोसायटी ई- 1698, राजाजी पुरम, लखनऊ- 226017	-वही-	5,11,800	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
253.	सार्वजनिक शैक्षिक संस्थान, गांव-अलीपुर, डाकघर सकाना, जिला हरदोई, उ॰प्र॰	-वही-	1,33,050	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
254.	उर्मिल समाज कल्याण समिति, पुराना बोर्डिंग हाउस, हरदोई	-वही-	1,33,050	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
255.	बर्दवान जिला साक्षरता समिति पश्चिम बंगाल	-वही-	3,52,000	डी॰आर॰यू॰	
256.	इंसान स्कूल (तालिमी मिशन कोर) डाकघर- किशनगंज, पूर्णिया, बिहार	-वही-	3,58,000	डी॰आर॰यू॰	
257.	पश्चिम बंगाल खेड़िया सबर कल्याण समिति गांव और डाकघर- रजोवगढ़ पश्चिम बंगा	-वही-	1,53,540	60 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
258.	बंगाल सोशल सर्विस लीग 1/6, राजा दीनेन्द्र स्ट्रीट, कलकत्ता- 700009, पश्चिम बंगाल	-वही-	1,56,103	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
259.	कलकत्ता अर्बन सर्विस कोन्सोर्टियम, 16, सदर स्ट्रीट, कलकत्ता, प॰ बंगाल	-वही-	5,50,200	200 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
260.	टैगोर सोसायटी फॉर रूरल डवेलपमेन्ट, 14, खुदीराम बोस रोड, 24- परगना, कलकत्ता- 6 प॰ बंगाल	-वही-	6,23,718	200 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
261.	श्री रामकृष्ण सत्यानन्द आश्रम गांव जिराबपुर, डाकघर बशीरहट, रेड- वे सलाहाई, जिला 24 परगना (उत्तर) प॰ बंगाल	-वही-	7,17,509	300 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
262.	इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निकल एण्ड एज्यूकेशनल रिसर्च 27, सर्कस एवेन्यू, कलकत्ता, प॰ बंगाल	-वही-	2,72,500	ई॰ एडं आई॰	
263.	विलेज वेल्फेयर सोसायटी डाकघर-पंच, हावड़ा	-वही-	2,14,738	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
264.	स्पास्टिक सोसायटी आफ ईस्टर्न इण्डिया कलकत्ता	-वही-	3,57,490	ई॰ एंड आई॰	
265.	मिदनापुर सकोहराठा रोग प्रतिरोध समिति, मिदनापुर, प॰ बंगाल	-वही-	3,09,044	डी॰आर॰यू॰	
266.	अखिल भारतीय समाजोत्थान समिति ए-3/51 एल॰आई॰जी॰ रोहिणी सेक्टर- VII नई दिल्ली- 110034	-वही-	4,80,089	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
267.	पी॰एच॰डी॰ रूरल डवेलपमेन्ट, पी॰एच॰डी॰ हाउस, थापर फ्लोर, एशियाई खेल गांव के समाने, नई दिल्ली- 110016	-वही-	4,08,496	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	

1	2	3	4	5	6
268.	पीपुल्स इंस्टीट्यूट फॉर डवेलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग, 4-ए, शाहपुर जट, नई दिल्ली- 110016	-वही-	1,25,392	200 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
269.	नेहरू बाल समिति ई-63, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली- 110049	-वही-	1,86,610	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
270.	लेडी इर्विन कॉलेज. सिकन्दरा रोड, नई दिल्ली	-वही-	5,26,205	ई० एंड आई०	
271.	बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद	-वही-	64,23,000	ई० एंड आई०	
272.	दिगान्तर शिक्षा एवं खेलकूद समिति, जयपुर	-वही-	1,48,176	ई० एंड आई०	
273.	सिद्धू कानु ग्राम उन्नयन समिति पहेरहटी, पश्चिम बंगाल	-वही-	2,06,944	ई० एंड आई०	
274.	मझीरा नेशनल बेसिक एज्यूकेशनल इंस्टीट्यूट, पुरूलिया, प० बंगाल	-वही-	3,60,700	ई० एंड आई०	
275.	यंग इंडियन अंधेरी (प०) बम्बई	-वही-	1,15,398	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
276.	चेतना-विकास, गोपुरी वर्धा एम०एस०	-वही-	2,37,000	डी०आर०यू०	
277.	गांधी सेवा आश्रम जलालपुर बाजार सारण, बिहार	-वही-	1,53,540	60 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
278.	आत्मरोजगारी महिला समिति (सेवा) खादीग्राम मुंगेर, बिहार	-वही-	2,55,900	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
279.	श्रीनिवास महिला मण्डली दर्सी अग्रहारम मवर्तुर मण्डल जिला प्रकाशन, आन्ध्र प्रदेश	-वही-	1,32,790	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
280.	सेंट ज़ेवियर हाई स्कूल पो०बॉ० नं० 30 चाईबासा जिला सिंहभूम, बिहार	-वही-	2,55,200	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
281.	अर्नाद वेल्लेलर संगम सन्नाती स्ट्रीट तिरूवनेकोयल, तिरूचि- 620095	-वही-	2,19,112	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
282.	माध्यम सत्यकाम शिक्षा केन्द्र, गोवखपुर, उ०प्र०	-वही-	1,32,790	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
283.	तिलक शैक्षिक समिति, 69-ए, तिलकनगर इलाहाबाद	-वही-	1,20,058	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
284.	सर्वोदय शिक्षा सदन समिति रेलवे स्टेशन रोड, शिकोहाबाद, उ०प्र०	-वही-	2,40,080	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
285.	जवाहर सेवा सदन, पहुना, चित्तौड़गढ़, राजस्थान	-वही-	1,46,150	30 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	

1/04/90 से 31/03/91 की अवधि के दौरान निजी संस्थाओं/संगठनों/वैयक्तियों को संस्वीकृति सहायक अनुदान जहां कुल मुक्त किया गया अनुदान (आवर्ती) 25,000 अथवा कुल मुक्त किया गया अनुदान (अनावर्ती) = 75,000 हों, को दर्शाने वाला विवरण

मंत्रालय:— मानव संसाधन विकास मंत्रालय

विभाग:— शिक्षा विभाग

क्रम सं॰	एजेंसी/संगठन का पते सहित नाम	संगठन के संक्षिप्त कार्यकलाप	1990-91 में सहायक अनुदान की राशि	किस प्रयोजनार्थ अनुदान प्रयुक्त हुआ	कैफियत
1	2	3	4	5	6
II	प्रौढ़ शिक्षा	सभी स्वैच्छिक एजेंसियां निम्नलिखित कार्यकलापों में से किसी एक अथवा अन्य में लगी हुई हैं: 1. बालबाड़ी/आंगनबाड़ी चलाना 2. स्कूल/कालेज को चलाना 3. आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ केन्द्र को चलाना 4. बच्चों के टीकाकरण 5. टेलरिंग पाठ्यक्रमों को चलाना 6. टंकण/तकनीकी संस्थानों को चलाना			
1.	श्री वीरा ब्राह्राम् शैक्षिक सोसायटी, गोरान टोला पोस्ट, अन्नतपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश-515231	-वही- कुल		48,2329 70,000 1,11,239	प्रो॰शि॰के॰ ज॰शि॰नि॰
2.	सेवा मन्दिर, हिन्दुपुर, जिला अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश-515212	-वही- कुल		2,80,227 5,13,288 7,93,515	प्रो॰शि॰के ज॰शि॰नि॰
3.	रायलसीमा सेवा समिति नं॰ 9 ओल्ड हुजूर बिल्डिंग तिरुपति-517501, जिला चित्तूर ए॰पी॰	-वही- कुल		2,81,227	प्रो॰शि॰के॰
4.	डाउनट्रोन एण्ड कम्युनिटी डवलपमेंट सोसाइटी, 13/73-सी, चित्तूर रोड़, रायाचोटी, कूद्दापेह-516269 आन्ध्र प्रदेश	-वही-		3,08,400	प्रो॰शि॰के
5.	असिस्ट इन्डिया, 33/379, अद्दा रोड़, चिलकलूरिपेटेट, गुन्टूर जिला-522616, आन्ध्र प्रदेश	-वही-		1,80,000	प्रो॰शि॰के॰
6	ग्राम नव निर्माण समिति, गृह सं॰ 4-2/ए, इन्दिरा नगर, हुजुराबाद-505468, करीमनगर, जिला आन्ध्र प्रदेश	-वही-		94,512 35,000	प्रो॰शि॰के॰ ज॰शि॰नि॰
.7	ग्रामोन्नत महिला संगम, गृह सं॰ 12-14, नक्रोकाल, नालगोन्डा जिला, आन्ध्र प्रदेश-508211	-वही-		1,20,600	प्रो॰शि॰के॰
.8	रुरल एन्टाइटलमैंट एण्ड लीगल सपोर्ट सेन्टर, धर्म लक्ष्मीपुरम, कोरासवदा (एस॰ओ॰) श्रीकाकुलम जिला (आन्ध्र प्रदेश)	-वही-		1,17,012	प्रो॰शि॰के

1	2	3	4	5	6
9	नेताजी युवा संघ, वाटापागु, फलाकोन्दा मण्डलम, श्रीकाकुलम जिला, आन्ध्र प्रदेश-532440	-वही-		1,80,000	प्रो॰शि॰के॰
10	महिला मण्डली, राजम, श्रीकाकुलम जिला-532127 आन्ध्र प्रदेश	-वही-		1,80,000	प्रो॰शि॰के
11	चैतन्य यूथक्लब, मुलुग, कृष्णा कालोनी-506343 वारंगल जिला, आन्ध्र प्रदेश	-वही-		90,000 31,500	प्रो॰शि॰के॰ ज॰शि॰नि॰
12	गुड समारिटन्स रुरल, डेवलपमेंट सोसाइटी छायापेटा, साउथ केबिन लाइन नीदादावोली, आन्ध्र प्रदेश-534301	-वही- कुल		94,512 35,000 1,29,512	प्रो॰शि॰के॰ ज॰शि॰नि॰
13	क्रम्प्रीहेन्सिव रुरल आपेरशन्स सर्विस सोसाइटी (क्रास), 1-69, स्नेहपुरी नचराम, हैदराबाद-501507 (आन्ध्र प्रदेश)	-वही- कुल		3,02,357 2,62,500 5,64,857	प्रो॰शि॰के॰ ज॰शि॰नि॰
14	आन्ध्र महिला सभा कालेज कैम्पस, यूनिवर्सिटी रोड, हैदराबाद-500007.	-वही- कुल		6,34,080 1,05,000 8,89,480	प्रो॰शि॰के॰ ज॰शि॰नि॰
15	अकादमी आफ रुरल डेवलपमेंट एण्ड रिर्सच, गुडावली पोस्ट, वाया रनागला चेरुकुपल्ली मण्डल, गुन्टूर जिला, आन्ध्र प्रदेश-522259	-वही- कुल		1,27,500 1,27,500	प्रो॰शि॰के॰
16	अलग झारी तरुण संघ विलेज अलगझारी, डाकखाना राजघाट, वाया मंगलदाई, दारंग जिला, आसाम-784125	-वही-		1,36,300	प्रो॰शि॰के॰
17	पापुलर प्रौगेसिव यूनिट, हलकुरा, डाकखाना हालाकुरा, (महामायहात) जिला धुबरी, आसाम, पिन-78335	-वही-		1,20,041	प्रो॰शि॰के
18.	बैकाइतारी महिला समिति, डाकखाना बैकतिरी, जिला गोलपाड़ा, आसाम-783125	-वही-		1,16,843	प्रो॰शि॰के॰
19	आसाम चाह मजदूर मल्टीपरपस सोशल एजूकेशन एसोसिएशन रंगलू, टी॰ई॰ डाकखाना रंगजान, वाया टीटाबार, जिला जोरहाट, आसाम-785630	-वही-		1,62,600	प्रो॰शि॰के॰
20.	ग्राम स्वराज परिषद् ग्राम तथा डाकखाना रंगिया जिला कामरुप, आसाम	-वही-		10,24,431	टी एल टी
21.	वनुग्राम महिला समिति, डाकखाना नीलम बाजार, साउथ करीमगंज डेव. ब्लाक, जिला करीमगंज, आसाम-788722	-वही-		1,80,000	प्रो॰शि॰के॰

1	2	3	4	5	6
22.	दारुस सलाम हाफीजो-ओ-करीयाना इस्लामिक मदरसा कमेटी, विलेज इराबारी (समधारा), डाकखाना दागांव ज़िला नवगांव (असम)-782002	-वही-		1,26,293	प्रो०शि०के०
23.	जनजाति समाज कल्याण आश्रम, बौआखाट (कालेज रोड), डाकखाना बरमा, जिला नालबारी, आसाम-781346.	-वही-		1,89,024	प्रो०शि०के०
		कुल		1,89,024	
24.	बरखेत्री उन्नयन समिति, मुकुमुआ, डाकखाना मुकुलमुआ, जिला नालबारी, असम-781126	-वही-		6,00,000	टी एल सी
25.	शान्ति साधना आश्रम, डाकखाना बेल्टोला, "शान्तिवन बसीस्था", गुवाहाटी-28, असम-781028	-वही-		5,00,000	डब्ल्यू एस
26.	मोरीगांव महिला महफिल, डाकखाना मोरीगांव, जिला मोरीगांव, असम-782105	-वही-		19,50,000	टी एल सी
27.	दि चेरिटेबल एसोसिएशन फार रुरल एजूकेशन एण्ड डवलपमैन्ट डाकखाना-बैतियाह, पश्चिम चम्पारन जिला, बिहार-845438.	-वही-		5,00,000	प्रो०शि०के०
28.	महिला शिशु कल्याण संस्थान एवम् हस्तशिल्प कला प्रशिक्षण केन्द्र, ग्राम मनीछार, डाकखाना-हथुआ, गोपालगंज जिला, बिहार-841436.	-वही-		19,00,000	टी एल सी
29.	नव भारत जागृति केन्द्र ग्रामः बहेरा, डाकखाना वृन्दावन, जिला हजारी बाग, बिहार-825406.	-वही-		68,400 1,26,000 6,00,000	प्रो०शि०के० ज०शि०नि० टी एल सी
30.	मिथिल ललित शोध संस्थान, डाकघर बछापुरी (सौरथ), ब्लाक-राहीका, जिला मधुबनी, बिहार-877211	-वही-		1,27,500	प्रो०शि०के०
31.	घोघरदीहा प्रखण्ड स्वराज विकास संघ, ग्राम तथा डाकखाना जगतपुर, वाया घोघदीहा, जिला मधुबनी, बिहार-847402.	-वही-		1,20,600	प्रो०शि०के०
32.	श्रम भारती खादीग्राम, डाकखाना खादीग्राम, जिला मुंगेर, बिहार-811313.	-वही-		3,20,000	प्रो०शि०के०
33.	भारतीय जन उत्थान परिषद कमरुदीनगंज, बिहार शरीफ, नालन्दा (बिहार)-803001.	-वही-		1,80,000	प्रो०शि०के०
34.	जन जागरण संस्थान, कागजी मोहल्ला डाकखाना मुगल कुंआ, ब्लाक बिहार शरीफ, नालन्दा जिला, बिहार-803101	-वही-		1,80,000	प्रो०शि०के०

1	2	3	4	5	6
35.	समाज कल्याण मण्डल (बिहार) कालिया चक, डाकखाना केशोपुर, जिला नालन्दा, बिहार-801302	-वही-		14,50,000	टी एल सी
36.	भारतीय कला मन्दिर, मोहल्ला नवाटोली, डाल्टनगंज-822101, जिला पलामू, बिहार।	-वही-		1,80,000	प्रो०शि०के०
37.	बिहार दलित विकास समिति डाकखाना बाढ़, जिला पटना, बिहार-803213.	-वही-		1,57,000	प्रो०शि०के०
38.	जोवियर इन्स्टीट्यूट आफ सोशल सर्विस, पुरूलिया रोड, डाकखाना बाक्स न०-7, दत्त रमेही-834001 बिहार।	-वही-		5,390 2,69,250	प्रौ०शि०के० डी०आर०यू०
39.	निर्मली प्रखण्ड स्वराज्य सभा, डाकखाना भाप्तीयाही, जिला सहरसा, बिहार-852105.	-वही-		9,50,000	टी एल सी
40.	जे०पी० सराइसा सेवाश्रम, कोइया चौक, डाकखाना जोरपुरा, जिला-समस्तीपुर (बिहार)-848505.	-वही-		11,00,000	टी एल सी
41.	शिक्षा एवम् कला सर्वागीण विकास राष्ट्रीय संस्थान, ग्राम तथा डाकखाना इश्मेला, जिला सरन, बिहार, पिन-841207	-वही-		1,27,500	प्रौ०शि०के०
42.	आल्टरनेटिव फार इन्डिया डेवलपमैंट फर्स्ट क्रास स्ट्रीट, 4 कास्टम्स कालोनी, बेसेन्ट नगर, मद्रास (तमिलनाडु)-60090.	-वही- कुल		9,00,000 3,15,000 12,15,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
43.	जेवियर्स चाइबासा, सेन्ट जैवियर्स हाई स्कूल, पोस्ट बाक्स न०-10, चाईबासा-833201, सिंहभूम जिला, बिहार	-वही-		3,20,000	प्रौ०शि०के०
44.	लोक भारती (बिहार) आदर्श नगर, रघुनाथ पथ, सीतामढ़ी जिला, बिहार।	-वही-		15,90,000	टी एल सी
45.	इन्डियन सोसाइटी फोर कम्यूनिटी एजूकेशन, मार्फत गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद-380001.	-वही-	कुल	94,512 42,000. 1,36,512	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
46.	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380001,	-वही-		32,55,000	ज०शि०नि
47.	गुजरात स्टेट क्राइम प्रिवेन्शन ट्रस्ट, आशीर्वाद, 9 / बी, केशव नगर सोसाइटी, सुभाष पुल के समीप, अहमदाबाद-380027.	-वही- कुल		6,30,00 4,23,000 10,53,000	प्रौ०शि०के० डी आर यू

1	2	3	4	5	6
48.	नूतन भारती, डाकखाना मदनगढ़-385519, तालुक पालनपुर, जिला बनासकण्ठा, गुजरात।	-वही-		3,20,000	प्रौ०शि०के०
49.	अंजुमन तालीम-ए-इदारा, कोर्ट रोड, लाल बाजार, भड़ौच-392001.	-वही-		2,81,227	प्रौ०शि०के०
49.	इंस्टीट्यूट फार रूरल टेक्नोलोजी, एस० रीवर व्यू०, आफिस स्ट्रीट, भड़ौच-392001.	-वही-		1,26,350	प्रौ०शि०के०
50.	शिवशक्ति केलवनी मण्डल, 40, हरीकृष्णा सोसाइटी, डकोर-388225, तालुक थासरा, जिला खादा, गुजरात।	-वही-		1,26,350	प्रौ०शि०के०
51.	आनन्द तालुका युवक मण्डल एसोसिएशन, लक्ष्मी निवास, 25 अजन्ता सोसाइटी, आनन्द-388001, जिला खेदा।	-वही- कुल		8,15,320 1,05,000 9,20,320	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
52.	थासरा तालुक युवक मण्डल एसोसिएशन, डकोर, थासरा तालुक जिला खेदा, पिन-388230	-वही- कुल		4,84,514 38,892 5,23,406	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
53.	श्री सामी तालुका सेवा संघ, मार्फत वहोरे बिल्डिग विद्यापीठ आश्रम, डाकखाना सामी, जिला मेहसाना-384245.	-वही-		1.80.000	प्रौ०शि०के०
54.	श्रीमती वी०के० बालाजोशी, एजूकेशन, 20, रेटीश सोसाइटी, कलोल-384001, जिला मेहसाणा, उत्तरी गुजरात।	-वही- कुल		94,512 2,10,000 3,04,512	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
55.	भील सेवा मण्डल, दोहादी, जिला पंचमहल, गुजरात-389001.	-वही- कुल		9,00,000 2,62,500 11,62,500	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
56.	राजली माधोपुर ग्रुप केलवानी मंडल राजली डाकखाना मोती इसरोल तालुक मोदासा, जिला-साबरकण्ठा।	-वही-		1,27,000	प्रौ०शि०के०
57.	जन सेवा खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल मुजेरी, तालुक, मोदासा, जिला साबरकण्ठा 385346.	-वही-		1,18,574	प्रौ०शि०के०
58.	ग्राम सेवा समाज, डाकखाना वानकल, जिला सूरत-394430.	-वही-		2,14,512	प्रौ०शि०के०
59.	आनन्द निकेतन आश्रम, रंगपुर (कावान्त), छोटे उदयपुर, जिला वड़ोडरा-391740.	-वही-		17,97,100	प्रौ०शि०के०
60.	जनता कल्याण समिति, बस स्टैण्ड के सामने, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़ जिला, हरियाणा	-वही- कुल		9,00,000 1,94,250 10,94,250	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०

1	2	3	4	5	6
61.	विद्या महासभा कन्या गुरूकुल महाविद्यालय, खरकोदा, जिला सोनीपत, हरियाणा।	-वही-		10,65,330	प्रौ०शि०के०
				1,57,500	ज०शि०नि०
		कुल		12,22,830	
62.	भारत विकास सेवा (अन्तर्राष्ट्रीय), मेडलेरी, रेत्रीबेन्यूर, टी०क्यू० धारवाड़ जिला, कर्नाटक पिन-581211.	-वही-		90,000	प्रौ०शि०के०
				21,000	ज०शि०नि०
		कुल		1,11,000	
63.	श्री बांसवेश्वर लिबरल एजुकेशन सोसाइटी, हेरूर कालाकेरी, हनागल्ल ताल्लकुक, धारवाड़ जिला, कर्नाटक राज्य-581148.	-वही-		1,35,650	प्रौ०शि०के०
64.	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, डाकघर बाक्स नं०-12, कस्तूरबाग्राम, आरसीकेरे-573103, जिला हासन, कर्नाटक।			2,76,750	डी०आर०यू०
65.	भाषा अल्पसंख्यक विकास न्यास, लिमिटेड, रेनूमकलाहल्ली, गुदीवान्दा डाकखाना, कोलार जिला-561209, कर्नाटक।	-वही-		1,20,565	प्रौ०शि०के०
66.	ग्रामीण विद्यापीठ ट्रस्ट, मलावल्ली तालुक मण्डया जिला-571430, कर्नाटक।	-वही-		1,80,000	प्रौ०शि०के०
		कुल		1,80,000	
67.	इन्स्टीट्यूट आफ एप्लाइड लैंग्वेज साइन्सेज, बोगादी रोड, मैसूर-570006.	-वही-		2,27,250	एम एस सी
68.	हरिजन सेवक संघ शान्तिनिकेतन कत्ताकदा डाकखाना, त्रिवेन्द्रम जिला, केरल-695572	-वही-		2,10,000	ज०शि०नि०
69.	केरल शास्त्र साहित्य परिषद् परिषद् भवन, त्रिवेन्द्रम-695037	-वही-		20,00,000	ज०शि०नि०
70.	मित्रनिकेतन, मित्रनिकेतन डाकखाना, वेल्लानाद-675543, त्रिवेन्द्रम जिला, केरल।	-वही-		1,12,063	प्रौ०शि०के०
71.	विनोबानिकेतन, विनोबानिकेतन डाकखाना, मलयादी, त्रिवेन्द्रम जिला, केरल-695542.	-वही-		1,21,008	प्रौ०शि०के०
72.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ, 146, प्रिकोन्द कालोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश।	-वही-		17,33,447	प्रौ०शि०के०
				5,62,680	ज०शि०नि०
		कुल		22,96,127	
73.	मन्दसौर जिला समग्र सेवा संघ, सर्वोदय साधना केन्द्र, ग्राम फूलकेदा, डाकखाना पावरी, गरोत, मन्दसौर जिला।	-वही-		16,50,000	टी एल सी
74.	महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जोयूरा, जिला मुरेना, मध्य प्रदेश।	-वही-		11,53,316	टी एल सी
75.	दिशा ट्रस्ट, बिलादी बादा-हान्दी पारा वार्ड, रायपुर, एम०पी०-492001.	-वही-		1,02,900	ए आर

1	2	3	4	5	6
76.	सोसाइटी फोर एकशन इन क्रिएटिव एजूकेशन एण्ड डवलपमैंट (सेक्रेड), मार्फत प्रबन्ध, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, 49, समर्थ नगर, औरंगाबाद-4310001 (एम०एस०)	-वही-		10,19,105	प्रौ०शि०के०
77.	आधुनिक किसान शिक्षण संस्था, ब्रह्मपुरी डाकखाना, चन्द्रपुर जिला, महाराष्ट्र-441206.	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
78.	रेनूकादेवी शिक्षण संस्था, डाकखाना पिम्पलगांव (रेनूकाई), भोकरन तुलका, जालना जिला, महाराष्ट्र-431203.	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
79.	सावित्री बाई फूले, मेगास्वर्गीया महिला मण्डल, डाकखाना भोकारदन, जिला जालना-431114, महाराष्ट्र।	-वही-		1,23,417	प्रौ०शि०के०
80.	सतीमाता शिक्षण संस्था, 11-वैंकेटेश नगर, खामला रोड, नागपुर (महाराष्ट्र)-440025.	-वही-		1,33,262	प्रौ०शि०के०
81.	सर्वोदय शिक्षण मण्डल, डाकखाना पेरसेओनी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र-441105.	-वही-		1,26,300	प्रौ०शि०के०
82.	विदर्भ प्रादेशिक बसवा समिति, केशद्राओं बूटी रोड़, सीताबुलदी, नागपुर-440012, महाराष्ट्र।	-वही-		2,45,274	प्रौ०शि०के०
83.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास केन्द्र, डा० कोकें का बंगला, 253, शिवाजी बाग, नागपुर-440010.	-वही-		12,73,190	प्रौ०शि०के०
84.	रमाबाई अम्बेदकर शिक्षण स्मारक मण्डल, जिन्तूर रोड़, प्रभानी, महाराष्ट्र-431401.	-वही-		1,17,885	प्रौ०शि०के०
85.	महाराष्ट्र मगस वर्ग सेवा संघ, डाकघर "वसन्तनगर" येदसी, तालुक कालमनूरी, जिला प्रभाणी, महाराष्ट्र-431701.	-वही-		1,45,719	प्रौ०शि०के०
86.	भारतीय शिक्षा संस्थान, 128 / 2, जे०पी० नाईक रोड, कोठरूद, पूणे-411029.	-वही- कुल		9,06,000 5,00,000 14,06,000	डी आर यू टी आर जी
87.	महारानी देवी अहिल्याबाई होल्कर एजूकेशन सोसाइटी, 23, गजनम हाउसिंग सोसाइटी, नेमिनाथ नगर, गेस्ट हाऊस, सांगली-416416, महाराष्ट्र।	-वही-		1,26,300	प्रौ०शि०के०
88.	स्व० मोतीराम नेहरू एजूकेशन सोसाइटी, डाकखाना विथाला, तालुक दीगरस, जिला येवतमाल, महाराष्ट्र-445203.	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
89.	श्री विशुद्ध विद्यालय, शिवाजी नगर, यवतमाल,जिला, महाराष्ट्र-445001.	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०

1	2	3	4	5	6
90.	कमेटी आफ रिसोर्स आरगनाइजेशन्स फार मासप्रोग्राम आफ फन्कशनल लिटरेसी, मार्फत डा० माधव चव्हाण, रसायनिक प्रौद्योगिकी विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय, माटुंगा, बम्बई-400019.	-वही-		4,23,000	डी आर यू
91.	मणिपुर व्यावसायिक संस्थान, मेकोला बाजार, बी०पी०ओ० लाइफराकोम, (इम्फाल), इम्फाल वेस्ट-11, डेवलपमैंट ब्लाक, इम्फाल जिला, मणिपुर-795001.	-वही- कुल		5,99,466 6,08,926	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
92.	इन्टीरेटिड रूरल डेवलपमैंट सोसाइटी लीलांग डाकखाना, इम्फाल जिला, मणिपुर-795130.	-वही-		3,02,675	प्रौ०शि०के०
93.	वान्गजिंग वूमेन्स एण्ड गर्ल्स सोसाइटी, वान्गजिंग बाजार, डाकखाना वान्गजिंग थोउबाल ब्लाक, थोउबाल जिला, मणिपुर-795148.	-वही-		2,72,384	प्रौ०शि०के०
94.	ग्रामीण विकास सोसाइटी वान्गजिंग बाजार, डाकखाना वान्गजिंग थोउबाल सी०डी० ब्लाक, थोउबाल जिला, मणिपुर-795148.	-वही-		2,28,239	प्रौ०शि०के०
95.	नेताजी युवक संघ, डाकखाना गोइलभादी, वाया टीटीलागढ़ जिला बोलनगीर, उड़ीसा-767033.	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
96.	रामजी युवक संघ, डाकखाना सदाइपली, वाया चन्दनभाटी जिला बालनगीर, उड़ीसा-767065.	-वही- कुल		1,80,000 31,500 2,11,500	प्रौ०शि०के०
97.	नवज्योति, डाकखाना गरूदागन, वाया कोटसाही, जिला कटक, उड़ीसा-754022.	-वही-		12,50,000	टी०एल०सी०
98.	ग्रामीण पुनःनिर्माण हेतु युवा संघ, डाकखाना बोइनदा, एटहमलीक, जिला धेनकानाल, उड़ीसा, पिन-759127.	-वही-		9,25,000	सी वी ए
99.	ग्रामीण पुनःनिर्माण हेतु युवा संघ, डाकखाना वाइदा, हमलीक, जिला धेनकानाल, उड़ीसा, पिन-759127.	-वही-		9,25,000	सी वी ए
100.	विश्वास, खारियार रोड, नवापाड़ा ब्लाक, कालाहान्डी, जिला, 766104, उड़ीसा	-वही-		5,37,500	टी एल सी
101.	अन्त्योदय चेतना मण्डल, बारकन्द डाकखाना, वाया मोरोदा, मयूरभंज जिला, उड़ीसा-757016.	-वही-		7,50,000	टी एल सी

1	2	3	4	5	6
102.	स्थानीय समिति (लोकल कमेटी), दि चीफ खालसा दीवान, तरन तारण, अमृतसर, पंजाब-143401.	-वही-		2,28,239	प्रौ०शि०के०
103.	अजमेर प्रौढ़ शिक्षण समिति, शास्त्री नगर एक्सटेंशन, विद्युत मार्ग, अजमेर-305006. राजस्थान।	-वही-		3,54,191 2,30,847	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
104.	श्री हरी कृष्ण शिक्षा प्रसार समिति, बुर्जा हाउस, महल चौक, अलवर-301001.	-वही- कुल		1,80,000 42,000 2,22,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
105.	जिला महिला जागृति परिषद्, स्टेशन रोड, बाड़मेर-344001, राजस्थान।	-वही-		1,95,471	प्रौ०शि०के०
106.	भीलवाड़ा जिला प्रौढ़ शिक्षा संघ, 8 / 199, सिन्धु नगर, भीलवाड़ा-311001, राजस्थान।	-वही- कुल		2,81,227 3,15,000 5,96,227	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
107.	बीकानेर प्रौढ़ शिक्षा संघ, सरस्वती पार्क, पो०बा० 28, पुरानी गिन्नानी, बीकानेर-334001, राजस्थान।	-वही- कुल		24,33,327 3,15,000 27,48,327	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
108.	प्रयास, गांव देवगढ़ (देवलिया), वाया प्रतापगढ़, जिला चित्तौढ़गढ़, राजस्थान-312621.	-वही-		2,10,000	प्रौ०शि०के०
109.	गान्धी विद्या मन्दिर, सरदार शहर, राजस्थान-331401.	-वही- कुल		2,46,814 63,000 3,09,814	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
110.	लोक शिक्षण संस्थान, पी-87, नागरपारदे रोड, गारागोरी बाजार, जयपुर-302002.	-वही- कुल		4,14,512 1,05,000 5,19,512	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
111.	प्रगति ट्रस्ट, मनोहर निलय, 1-सरदार पटेल रोड, जयपुर, राजस्थान-302001.	-वही-		1,16,065	प्रौ०शि०के०
112.	राधा बाल मन्दिर, विद्यालय समिति, बस स्टैण्ड, पीपाड शहर, जोधपुर, राजस्थान-342601.	-वही- कुल		90,000 31,500 1,21,500	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
113.	ग्रामीण बाल विकास संस्था पीपाद शहर, जोधपुर, राजस्थान, पिन-346601.	-वही- कुल		90,000 3,15,000 1,12,500	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
114.	जैन विश्व भारती, डाकखाना लाडनूं, तहसील लाडनूं, नागोर जिला, राजस्थान-341306.	-वही-		2,83,500	ज०शि०नि०

1	2	3	4	5	6
115.	इन्दिरा शिक्षा समिति, वजीरपुर ब्रान्च आफिस, स्टेशन रोड़, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान-322201.	-वही-		1,80,000	प्रौ०शि०के०
				42,000	
		कुल		2,22,000	
116.	सेवा मन्दिर, उदयपुर-313001, राजस्थान।	-वही-		10,30,640	प्रौ०शि०के०
				3,67,500	ज०शि०नि०
		कुल		13,98,140	
117.	दुराइस्वामी जैनेसर सोशल एजूकेशन एसोसिएशन, विलवारायनालूर, पक्कम पोस्ट, मदुरान्कम तालुक, येंगेलेपट्टू जिला, (तमिलनाडु) -603301.	-वही-		1,13,843	प्रौ०शि०के०
		कुल		1,13,843	
118.	दि जी०आर०डी० ट्रस्ट, कलाई कटियार विल्डिंगस अवानाशी रोड, कोइम्बतूर-641037. तमिलनाडु।	-वही-		2,83,536	प्रौ०शि०के०
				73,500	ज०शि०नि०
		कुल		4,67,236	
119.	यूँथ एसोसिएशन, मथुरामलीनगा पुरम, त्रिचुली ब्लाक, कमराजार जिला, तमिलनाडु।	-वही-		1,12,712	प्रौ०शि०के०
		कुल		1,12,712	
120.	तमिलनाडु बेसिक एजूकेशन सोसाइटी गांधी निकेतन आश्रम, टी० कल्लूपती, मदुराई-626702.	-वही-		58,532	प्रौ०शि०के०
				98,000	ज०शि०नि०
121.	वेलफेयर एसोसिएशन फार दि रूरल मास कदालादी ग्राम तथा डाकघर नार्थ आरकोट जिला तमिलनाडु-606709.	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
				15,250	ज०शि०नि०
		कुल		1,32,093	
122.	काल्वी उल्गम एजूकेशनल सोसाइटी डाकघर लेटेरी, नार्थ आरकोट जिला, तमिलनाडु-632202.	-वही-		5,22,784	प्रौ०शि०के०
				1,40,000	ज०शि०नि०
		कुल		6,62,784	
123.	तिरूपूट्टर रूरल अपलिफ्ट प्रोजेक्ट एसोसिएशन (त्रुप्पा) सीरकुदालपट्टी, तिरूपत्तूर तालुक पासूम्पोन, मथुरूमलींगम जिला, तमिलनाडु-623215.	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
				21,000	ज०शि०नि०
		कुल		1,37,843	
124.	कानदास्वामी केन्दारस ट्रस्ट बोर्ड, वेलूर, सलेम जिला, तमिलनाडु-638182.	-वही-		2,72,640	प्रौ०शि०के०
				3,38,548	ज०शि०नि०
		कुल		6,11,188	
125.	मघार नाला थोन्डू निरूवनम, थिरूवेन्दीपुरम मैन रोड, पधीरीकुप्पम, डाकघर कुद्दालोर, साउथ आरकोट जिला, तमिलनाडु-607401.	-वही-		7,01,140	प्रौ०शि०के०

1	2	3	4	5	6
126.	क्रिश्चियन एजूकेशन डेवलपमैंट सासाइटी, 12 नापालया स्ट्रीट, विल्लूपुरम, ऐस०ए० जिला, तमिलनाडु-605602.	-वही-		9,07,609 70,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		9,77,609	
127.	कांग्रेगेशन आफ दि सिस्टर्स आफ दि क्रास आल चवनोद पो०बा० नं०-395, ओल्ड गुड्स, शेड रोड, टेप्पाकुलम, तिरूचिरापल्ली तमिलनाडु-620002.	-वही-		2,92,714 2,10,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		5,02,714	
128.	खाजामलाई लेडिज एसोसिएशन डाकघर खाजामलाई, तिरूचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु-620023	-वही-		94,512 2,59,215	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		3,53,727	
129.	पंजाब एसोसिएशन, लाजपत राय भवन, पो०बा० नं०-416, 170, 171, 172, पीटर्स रोड, रायापेट्टाह, मद्रास-600014	-वही-		12,79,350 1,75,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		14,54,350	
130.	वूमेन्स वालन्टियरी सर्विस आफ तमिलनाडु, 19 ईस्ट स्पूर टैंक रोड, चेटपेट, मद्रास-60031, तमिलनाडु	-वही-		1,89,024 1,62,750	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		4,06,026	
131.	वूमेन्स इंडियन एसोसिएशन, 43, ग्रीनवेज रोड, मद्रास-60028, तमिलनाडु	-वही-		4,75,275 31,500	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		5,69,775	
132.	जयप्रकाश यूथ रिसर्च सेन्टर, फर्स्ट क्रास स्ट्रीट, 4 कस्टम्स कालोनी, बेसेन्ट नगर, मद्रास-60090.	-वही-		4,40,600	प्रौ०शि०के०
		कुल		4,40,600	
133.	भारतीय शिक्षण सेवा संस्थान, दिलीप चंदपुर, बरायुत, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-221502.	-वही-		1,26,707 21,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल			
134.	आदर्श शिक्षा समिति, पूरे भनाई, वरायुत, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-221502	-वही-		1,99,374 10,314	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		2,09,688	
135.	विनोबा आदर्श शिक्षा समिति विनोबा नगर, नाई बाजार, नैनी, जिला इलाहाबाद-उ०प्र०-211008	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
		कुल		1,16,843	

1	2	3	4	5	6
136.	ग्राम्य विकास सेवा संस्थान, भैलपुत्री निकेतन, 28-बी/4-ए1, अल्लापुर, इलाहाबाद, उ०प्र०-211001	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
137.	नेहरू बाल मण्डल, 8-ए, पत्रकार कालोनी, अशोक नगर, इलाहाबाद-211001, उ०प्र०	-वही-		1,66,525 34,355	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		2,00,880	
138.	डा० अम्बेडकर समाज सेवा मंडल, ग्रा० बेस्की, पो०अ० सैदाबाद, जिला इलाहाबाद, उ०प्र०-221508	-वही-		4,67,976	प्रौ०शि०के०
139.	बाघम्बरी आवास शिक्षा समिति 23/47/55, किदवई नगर, अलापुर, इलाहाबाद, उ०प्र०-211006	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
140.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, 261/4, सलीक गंज रोड, मुठीगंज, इलाहाबाद, उ०प्र०-211002	-वही-		1,80,000 36,500	प्रौ०शि०के०
141.	जन शिक्षण अकादमी, 501, पार्क रोड, इलाहाबाद, उ०प्र०-211002	-वही-		1,63,654	प्रौ०शि०के०
142.	पूर्वांचल ग्राम विकास संस्थान, ग्रा० जगदीशपुर तकतेवा रामपुर, पो०आ० आजमगढ़ जिला, उ०प्र०-276001	-वही-		1,35,287	प्रौ०शि०के०
143.	अतोघर ग्रामोद्योग सेवा मंडल जोइतापुर बाजार, डाकखाना बहरायच-271801, उत्तर प्रदेश.	-वही-		1,23,500 31,500	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		1,55,000	
144.	खादी ग्रामोद्योग समिति, ग्राम बहरोली बाबू, डाकखाना वाल्टरगंज जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, पिन-272182.	-वही-		1,55,000 1,25,116	प्रौ०शि०के०
145.	नारी विकास संस्था, मातराछाया, नजीबाबाद, बिजनौर जिला, उत्तर प्रदेश।	-वही-		4,14,512	प्रौ०शि०के०
146.	महिला सेवा संस्थान, मोहल्ला कायस्थान, डाकखाना चांदपुर, बिजनौर जिला, उत्तर प्रदेश-246725.	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
147.	म्याना ग्रामोद्योग सेवा संस्था मुरारी नगर, जी० टी० रोड, खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।	-वही-		5,08,140 63,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		5,71,140	

1	2	3	4	5	6
149.	गोमती प्रयाग जन कल्याण परिषद, बाकुन्दा, डा० घ० दुनगलवाली, जिला चमोली, उ० प्र०-246446.	-वही-		1,58,227	प्रौ०शि०के०
150.	जन कल्याण शिक्षा समिति, पावा नगर डाकघर फाजिल नगर, जिला देवरिया-274401	-वही-		1,10,005	प्रौ०शि०के०
151.	मानव सेवा संस्थान, अथारहा, डाकघर गोनारीया, कमतानगंज, जिला देवरिया, उ० प्र०-274301.	-वही-		11,00,000	टी एल सी
152.	207, सराय मिश्रा, एटा (उ० प्र०)	कुल		1,23,662	
153.	श्री हरि ग्राम उद्योग सेवा संस्थान श्री हरि निकुंज, निकट सहकारी बैंक, औरंगाबाद इटावा, उ० प्र०-206001			1,16,843 92,500	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलयम
154.	सघन विकास क्षेत्र समिति, भिति, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224132	-वही-		1,16,843	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
155.	सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण ग्रामीण विकास तथा शिक्षा सोसायटी संस्थान, रसूलपुर (दियारा), दोस्तपुर फैजाबाद, उ० प्र०	-वही-		1,80,000	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
156.	रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, गांव व पो० ओ० बीकापुर, जिला फैजाबाद, उ० प्र०-224205	-वही-		14,00,000	पूर्ण साक्षरता अभियान
157.	विवेकानन्द संस्थान, अकबरपुर, फैजाबाद, उ० प्र०-224122	-वही-		12,50,00	पूर्ण साक्षरता अभियान
158.	जे०पी० सेवा समिति, पी० ओ० फरोजपुर, अमोलर पर जिला फरूखाबाद, उ० प्र०	-वही-		1,17,299	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
159.	राष्ट्रीय हरिजन स्कूल बहरियाबाद, तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर, उ० प्र०-233001	-वही-		1,16,843	
160.	अशोक संस्थान, कुण्डेसर, जिला गाजीपुर उ० प्र०-233234	-वही-		13,00,000	पूर्ण साक्षरता अभियान
161.	ग्राम विकास समिति गांव परशुरामपुर पी० ओ० सरावान, तहसील तरलगंज जिला गौंडा-271403 उ० प्र०	-वही-			
		कुल		1,49,187	
162.	आदर्श जन कल्याण परिषद बिलग्राम, जिला हरदोई, उ० प्र०	-वही-		14,00,000	पूर्ण साक्षरता अभियान

1	2	3	4	5	6
163.	श्रमिक विद्यापीठ 15/96 सिविल लाईन कानपुर उ० प्र०-208001	-वही-		1,20,600	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
164.	सामाजिक उत्थान समिति, शिक्षा विद्या मन्दिर, भवन ओपूर्वा, पी० ओ० हरिजिन्दर नगर, कानपुर, उ० प्र०	-वही-		90,000 *15,750	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जन कल्याण निलग्रम
165.	भारतीय महिला औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान, तथा पुनर्वास 460, देवपुर, पी० ओ० राजाजीपुरम, लखनऊ (उ० प्र०) 226017	-वही-		*4,91,145 1,05,000	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलयम
166.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, 504,63 टैगोर मार्ग, निकट बन्दी माता मन्दिर, डालीगंज, लखनऊ	-वही-		3,18,239 15,750	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलयम
167.	ग्राम सेवा निकेतन, 295/23, अशरफाबाद लखनऊ-226003 (उ० प्र०)	-वही-		1,13,968	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
168.	भारत साक्षरता बोर्ड साक्षरता भवन, पी० ओ० आलम बाग, लखनऊ (उ०) प्र०) 226005	-वही-		89,89,092 1,29,405	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलयम
		कुल		1,06,247	
169	अखिल भारतीय अनाथ आश्रम सेवा संस्थान, 98 मेमारान पी० ओ० तथा गांव जहांगीराबाद जिला बुलन्दशहर उ० प्र० 202394	-वही-		1,16,843	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
170.	श्री महिला उद्योग समाज उत्थान समिति, किशोरीपुरा, वृन्दावन, जिला मथुरा उ० प्र०-81121	-वही-		2,28,239 42,000	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलयम
171.	इरशाद अकादमी नौगाजह शाहप्येर गेट, मेरठ, उ० प्र०-250002	-वही-		1,20,065 21,000	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलयम
		कुल		1,41,065	
172.	बनवासी सेवा आश्रम गोविन्दपुर (द्वारा तुर्रा) जिला मिर्जापुर (सोनभद्र) उ० प्र०-231221	-वही-		3,37,300 63,000	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र डब्ल्यू एस
173.	वसलीगंज, मिर्जापुर, उ० प्र० 231001	-कुल-		1,15,250	
174.	महिला पुनरोत्थान समिति गांव तथा पो० ओ० बरकच्चा जिला मिर्जापुर, उ० प्र० 231001	-वही-		1,16,121	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
175.	स्वामी विवेकानन्द शिक्षा समिति सन्कथा घाट मिर्जापुर उ० प्र० 231001	-वही-		1,16,121	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
176.	विन्धया शिक्षा समिति, कचहरी रोड, पीली कोठी, मिर्जापुर, उ० प्र०-231001	-वही-		1,16,143	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

1	2	3	4	5	6
177.	बनवासी सेवा आश्रम गोविन्दपुर द्वारा-पुर्रा, जिला मिर्जापुर उ॰ प्र॰-231221	-वही-		55,00,000	एम॰ एस॰ सी॰
178.	भारतीय महिला विकास संस्थान पी॰ ओ॰ घनौरा पर जिला मुरादाबाद-244231 उ॰ प्र॰	-वही-		1,16,617	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
179.	ग्रामोद्योग विकास मण्डल कला, खेड़ा, सत्या भवन जिदल्ली रोड़, जोया जिला मुरादाबाद-244222 उ॰ प्र॰	-वही-		1,17,897	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
180.	आदर्श सेवा समिति, 326/1, साकेत कालोनी गली नं॰ 6, मुज्जफरनगर पिन 251001	-वही-		94,512 70,000	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलयम
		कुल		1,64,512	
181.	निशात शिक्षा समिति अस्ताना नयी बस्ती, हल्दवानी, जिला नैनीताल, उ॰ प्र॰, पिन 263139	-वही-		4,14,512 35,000	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलयम
182.	यू॰ पी॰ राणा बेनी माधव जन कल्याण समिति, गुलाब रोड, राय बरेली, उ॰ प्र॰	-वही-		1,83,557 1,57,500	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जलन शिक्षण निलयम
		कुल		*16,41,057	
183.	अमेठी महिला सवैच्छिक सेवा समिति अमेठी, जिला सल्तानपुर-227405	-वही-		1,16,843 31,500	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जलन शिक्षण निलयम
		कुल		1,48,343	
184.	सघन क्षेत्र विकास समिति, सेवापुरी, वाराणसी, उ॰ प्र॰-221403	-वही-		19,50,000	पूर्ण साक्षरता अभियान
185.	सिन्दु-कन्दु ग्रामोत्रयन समिति मेमारी, जिला बुर्द्धवान पश्चिम बंगाल-713514	-वही-		3,70,000 52,500	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र जन शिक्षण निलयम
186.	रामकृष्ण मिशन जन शिक्षा मंदिर बेलूर मठ, हावड़ा-711202 पश्चिम बंगाल	-वही-		3,20,000 14,000	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र जन शिक्षण निलयम
		कुल		4,89,988	
187.	रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन 7-रिवरसाईड रोड़, बैरकपुर, जिला-24 परगना पश्चिम बंगाल-743101	-वही-		3,67,723 35,000	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र जन शिक्षण निलयम
		कुल		4,02,723	
188.	ग्रामीण विकास की टैगोर सोसायटी गांव व पो॰ ओ॰ रंगाबलिया (द्वारा-गोसवा) जिला-24-परगना (दक्षिण) पश्चिम बंगाल	-वही-		1,20,000	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र
		कुल		1,20,600	

1	2	3	4	5	6
189.	रामकृष्ण मिशन लोकशिक्षा परि॰ रामकृष्ण मिशन आश्रम पो॰ ओ॰ नरेन्द्रपुर 24, परगना (दक्षिण)	-वही-		2,18,736 22,20,030	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र एस॰ एस॰ सी॰
190.	पश्चिमी बंगाल खेरिया सबपर कल्याण समिति गांव व पो॰ ओ॰ राजनोवगराज जिला पुरूलिया-723128 एस-609754	-वही-		24,38,766 1,80,000	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र
191.	ग्रामीण विकास के लिए टैगोर सोसायटी 14-खुदी राम बोस रोड कलकत्ता-700006	-वही-		7,36,000 21,000	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र जन शिक्षण निलयम
		कुल		7,57,600	
192.	बंगाल समाज सेवा लीग 1/6 राज देवेन्द्र स्ट्रीट कलकत्ता-700009	-वही-		1,80,000	
193.	जन शिक्षा एवं विकास अखिल भारतीय परिषद 60, पटुआतोला लैन कलकत्ता-700009	-वही-		4,00,000 5,35,500	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र जन शिक्षण निलयम
		कुल		9,35,500	
194.	भारतीय रेडक्रास सोसायटी पश्चिम बंगाल शाखा 27, बेलवेडरे रोड कलकत्ता-700027	-वही-		1,20,600	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र
195.	श्री रामकृष्ण सत्यानन्द आश्रम 46/2, देशबन्धु रोड (पश्चिम) कलकत्ता, 35	-वही-		2,89,009 46,284 2,10,000	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र जन शिक्षण निलयम
		कुल		5,45,293	
196.	पंजाब पिछड़ा वर्ग विकास बोर्ड 1143,36-सी, चंढ़ीगढ़, पंजाब	-वही-		*3,96,396 1,05,000	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र जन शिक्षण निलयम
		कुल		5,01,396	
197.	सर्व भारत श्री रविदास प्रभार प्रतिष्ठान, 393, सेक्टर-38, चंडीगढ़-160036	-वही-		1,17,950 70,000	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र जन शिक्षण निलयम
		कुल		1,87,950	
198.	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ 17-बी॰ आई॰ पी॰ इस्टेट, नई दिल्ली-110002	-वही-		3,20,000	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र
199.	पी॰ एच॰ डी॰ ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान पी॰ एम॰ डी॰ भवन, थापर फ्लोर एशियन खेल गांव के सामने नई दिल्ली-110083	-वही-		3,20,000	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र जन शिक्षण निलयम
200.	जन जागृति शैक्षिक सोसायटी एम-186, मंगोलपुरी, दिल्ली-110083	-वही-		90,000 17,750	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र जन शिक्षण निलयम
		कुल			

1	2	3	4	5	6
201.	रवि भारती शिक्षा समिति भोलानाथ नगर, शाहदरा दिल्ली-110032	-वही-		1,07,750	प्रौ० शि० केन्द्र
202.	महिला चेतना केन्द्र एफ 26, बी०के० दत्ता कालोनी लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	-वही-		4,14,512 84,000	प्रौ० शि० केन्द्र जन शिक्षण निलयम
	कुल			4,98,912	
203.	अखिल भारतीय शहरी एवं ग्रामीण विकास केन्द्र 5, भाई बीर सिंह मार्ग गोलमार्केट, नई दिल्ली-110001	--वही-		*3,57,900	प्रौ० शि० केन्द्र
204.	सेवाग्राम विकास संस्थान 1, दरियागंज, नई दिल्ली-110002	-वही-		2,44,500	बी०पी०
205.	भारतीय शैक्षिक योजना व प्रशासन संस्थान (एन० आई० ई० पी० ए०) 17-बी अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली 110016	-वही-		72,000 2,66,000	एम० एस० सी० टी० आर० जी०
	कुल				
				3,38,000	
207.	डा० ए० वी० बालिगा मैमोरियल न्यास लिंक हाऊस, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002	कुल	-वही-	13,12,165. 3,15,000	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जनशिक्षण निलायम
				16,27,165	
208.	विकास, न्यास तथा शांति दिल्ली कैथोलिक ऐशसिडोऐसिल "चेतनालय" अशोक प्लेस नई दिल्ली-110001	-वही-		1,80,000	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

गैर सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों के नाम जिन्होंने वर्ष 1990-91 के दौरान 1 लाख रुपये तथा उसके अधिक की आवर्ती अनुदान सहायता प्राप्त की

क्रम सं०	एजेंसी/संगठन का नाम पते सहित	संगठन की संक्षिप्त कार्यकलाप	1990-91 में सहायक अनुदान सहायता की राशि	उद्देश्य जिसके लिए अनुदान प्रयोग में लाया गया।	कैफियत
1	2	3		45	6
1.	राज्य संसाधन केन्द्र दिवायतन, बुद्ध कालोनी पटना-80000.1	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए शैक्षिक तथा तकनीकी संसाधन सहायता उपलब्ध करवाना	112.42	राज्य संसाधन केन्द्र के रख-रखाव के लिए अनुदान तथा वृत्ति साक्षरता मूलक के जन कार्यक्रम के अंतर्गत साक्षरता किटों को तैयार करने के लिए	
2.	प्रौढ़ शिक्षा राज्य संसाधन केन्द्र साक्षरता भवन, पी० ओ० आलमबाग, लखनऊ-2260005	-वही-	100.22रु०	-वही-	
3.	प्रौढ़ शिक्षा राज्य संसाघन केन्द्र भारतीय ग्रामीण महिला संघ, 680, विजय नगर, अन्नपूर्णा रोड इन्दौर-452009	-वही-	22.37 रु०	-वही-	
4.	अनौपचारिक शिक्षा राज्य संसाधन केन्द्र, सतत शिक्षा तमिलनाडु बोर्ड, न०4, दूसरी गली, वेंकटेश्वर नगर, अड्या-600020	-वही-	36.29 रु०	-वही-	
5.	प्रौढ़ शिक्षा राज्य संसाधन केन्द्र केरल संघ अनौपचारिक शिक्षा (कैनबेड़) सारक्षता भवन त्रिवेन्द्रम-695014	-वही-	8.00	-वही-	
6.	अनौपचारिक शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, भारतीय शिक्षा संस्थान, द्वारा भारतीय शिक्षा संस्थान 128/2 जीपी नायक रोड, कोथरुड, पुणे-411029	-वही-	137.07	-वही-	
7.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया नगर, नई दिल्ली-110025	-वही-	8.00	-वही-	
8.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380014	-वही-	8.00	-वही-	
9.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, राजस्थान, प्रौढ़ शिक्षा संघ, 7-ए, झालना डुंगरी, औद्योगिक क्षेत्र जयपुर-302004	-वही-	33.00	-वही-	—
10.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, बंगाल मसाज सेवा लीग, 1/6, राजा दीनेंद्र स्ट्रीट कलकत्ता-700009	-वही-	12.79	-वही-	—
11.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, प्लॉट सं० 159, (विष्णु मंदिर के पास) शहीद नगर, भुवनेश्वर-751007	-वही-	134.50	-वही-	—

1	2	3	4	5	6
12.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केंद्र, कर्नाटक राज्य रौढ़-शिक्षा परिषद, 501, चित्र भानु रोड, अ और ब ब्लाक, कुवैंपुनगर मैसूर-570023	-वही-	17.75	-वही-	—
13.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, लिटरेसी हाऊस आंध्र महिला सभा (ए एम एस), एएमएस कालेज कैम्पस, यूनिवर्सिटी रोड, हैदराबाद-500007	-वही-	15.38	-वही-	—
14.	राज्य संसाधन केन्द्र कश्मीर विश्व-विद्यालय, श्रीनगर	-वही-	1.00	-वही-	
15.	क्षेत्रीय संसाधन- केंद्र पंजाब विश्व-विद्यालय, (चंडीगढ़)	-वही-	6.82	-वही-	
16.	बम्बई विश्वविद्यालय बम्बई	-वही-	6.82	-वही-	
17.	उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग	-वही-	1.00	-वही-	

वर्ष 1990-91 के दौरान 1 लाख रुपए या इससे अधिक आवर्ती अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों के नाम

क्रम संख्या	एजेन्सी/संगठन का नाम व पता	संगठन के संक्षिप्त कार्यकलाप	वर्ष 1990-91 में सहायता अनुदान की राशि	अनुदान का किस उद्देय के लिए प्रयोग किया गया	कैफियत
1	2	3	4	5	6
स्कूल शिक्षा					
स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार					
1.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् कलकत्ता	क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, जिला एवं स्कूल स्तरों पर कलकत्ता में केन्द्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला तथा विज्ञान केन्द्रों की स्थापना।	20.45 लाख रुपए	विभिन्न राज्यों में 100 स्कूल विज्ञान केन्द्रों की स्थापना तथा 209 ऐसे केन्द्रों में सृजनात्मक कार्यकलापों का संचालन।	—
2.	विज्ञान विकास अकादमी जिला रायगढ़, महाराष्ट्र	सामाजिक ज्ञान एंव सामाजिक कार्यकलापों में संलग्न रहना जिससे सुविधाहीन ग्रामीण वर्ग के लोगों विशेषकर जनजातीय लोगों की रहन सहन की दशाओं में सुधार लाया जा सके।	1.35 लाख रुपए	स्कूलों में देसी ज्ञान पद्धति पर आधारित पठन/पाठन सामग्री को विकसित करने तथा उसकी जांच करने के लिए कार्य अनुसंधान।	—
3.	तमिलनाडु विज्ञान मंच, मद्रास।	विभिन्न गैर औपचारिक विज्ञान कार्य-कलापों, राज्यस्तर पर कलाजत्थे ओलम्पिक प्रश्नमंच. विज्ञान विषय की लोकप्रियता के लिए विभिन्न कार्यशालाओं, जिला स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण कैम्प तथा बच्चों के लिए विज्ञान मेले आयोजित करने में संलग्न रहना। विज्ञान विषय के प्रति जागृति पैदा करने के लिए न्यूक्लीयर उर्जा के शान्ति प्रद उपयोग तथा "विज्ञान के इतिहास" पर फोकस कोसमोस दृश्य सामग्री तैयार करना।	1.15 लाख रुपए	संसाधन व्यक्तियों के प्रशि-क्षण के लिए राज्य स्तर पर एक नवीन एपैक्स कैम्प तथा कुछ शिक्षण प्रशिक्षण कार्य-शालाएं तथा राज्य स्तरीय बाल विज्ञान मेले आयोजित करना।	—
शिक्षा के लिए प[illegible]त्मक प्रशिक्षण					
1.	उत्तरा खण्ड सेवा निधि, अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश)	उत्तरप्रदेश के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा की पर्यावरणात्मक प्रशिक्षण की केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के कार्य एक नाडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना।	31.98 लाख रुपए	बालवाड़ी प्रैक्टिकल नर्सरी कार्यपुस्तको वृक्षारोपण, शौचालय, पीने के पानी, प्रकाशन तथा प्रशिक्षण कैम्प जैसे विभिन्न कार्यकलापों, में 75 छोटे एन जी ओ सहायता करना।	—
2.	पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद	पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले एन जी ओ को शामिल करने के लिए एक मुख्य एजेन्सी के रूप में कार्य करना ताकि एन जी ओ के आसपास के स्कूलों में स्थान-विशेष गतिविधियां आरम्भ की जा सकें।	5.86 लाख रुपये	पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में भिन्न-भिन्न नई परियोजनांओं को आरम्भ करने के लिए 8 एन जी ओ की सहायता करना।	—
3.	एम वैक्टारंगैया फाउण्डेशन, सिकन्दराबाद, (आन्ध्र प्रदेश)	रंगा रेड्डी जिले के 30 गावों में विशेषकर शिक्षा तथा बाल श्रम की अभिप्रेरणा में संलग्न बच्चे समाज कल्याण छात्रावासों एवं स्कूलों तथा अनुवर्ती कार्यक्रमों में भाग ले सकें।	1.98 लाख रुपये	रंगारेड्डी जिले में 15 अनौप-चारिक शिक्षा केन्द्रों तथा 4 समाज कल्याण छात्रावासों के बच्चों के लिए "पर्यावरण प्रशिक्षण" शीर्षक के अन्त-गत एक परियोजना आरम्भ करना।	

क्रम सं०	एजेंसी/संगठन का नाम पत्ता	संगठन की संक्षिप्त गतिविधियां	1991-92 में अनुदान की राशि	अनुदान की किस उद्देश्य के लिए खर्च किया गया	कैफियत
1	2	3	4	5	6
भाषाओं की प्रोन्नति					
1.	आन्ध्र प्रदेश हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी महाविद्यालय और हिन्दी प्रचार केन्द्रों आदि का संचालन	3.73,350 रुपए	शिक्षण केन्द्र महाविद्यालय प्रचारक सम्मेलन तथा हिन्दी डायरी का प्रकाशन।	
2.	हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी टंकण कक्षाएं तथा हिन्दी कक्षाएं तथा हिन्दी प्रचारक प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा अन्य प्रचार कार्यक्रमों का संचालन	1,03,875 रुपए	हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि केन्द्र	
3.	नगर हिन्दी वर्ग संचालक अध्यापक संघ हैदराबाद	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी टंकण कक्षाएं तथा अन्य प्रचार कार्यक्रमों का संचालन	1,33,230 रुपए	हिन्दी शिक्षण, हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि कक्षाएं हिन्दी पुस्तकालय, वाचनालय स्टाफ का वेतन, किराया, पुस्तकों, मैगजीन आदि की खरीद	
4.	साबोन्सिरी सेवा समिति, लखीमपुर, असम	हिन्दी प्रचार का प्रसार	2,16,750 रुपए	टंकण / आशुलिपि कक्षाएं	
5.	असम राज्य राष्ट्र भाषा समिति, जोरहाट	हिन्दी की प्रोन्नति	1,12,500 रुपए	हिन्दी टंकण कक्षाएं।	
6.	हिन्दी विद्यापीठ, देवघर, बिहार	शिक्षण कक्षाएं, टंकण और आशुलिपि कक्षाएं	1,97,635 रुपए	हिन्दी टंकण और आशुलिपि कक्षाओं के आवासीय संस्थान और तिमाही पत्रिकाओं का प्रकाशन।	
7.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	हिन्दी की प्रोन्नति	1,08,750 रुपए	हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी टंकण केन्द्र।	
8.	गोमंतक राष्ट्रीय विद्यापीठ मदगांव, गोआ	हिन्दी की प्रोन्नति	1,15,650 रुपए	हिन्दी शिक्षा केन्द्र, हिन्दी पुस्तकालय आदि।	
9.	कर्नाटक हिन्दी प्रचार समिति जया नगर, बंगलौर।	शिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय आदि का संचालन	6,52,538 रुपए	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी पुस्तकालय आदि।	
10.	कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बंगलौर	हिन्दी शिक्षण कक्षाएं, पुस्तकालय, वाद-विवाद आदि।	6,60,000 रुपए	हिन्दी शिक्षण कक्षाएं, वाचनालय एवं पुस्तकालय, हिन्दी टंकण कक्षाएं, शिक्षण-प्रशिक्षण कालिज, हिन्दी महाविद्यालय आदि।	
11.	मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद, शंकरपुरम	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, टंकण एवं आशुलिपि कक्षाएं आदि।	10,33,657 रुपए	हिन्दी शिक्षण कक्षाएं, हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी टंकण आशुलिपि कक्षाएं।	
12.	हिन्दी प्रचार संघ मुधोल, कर्नाटक	हिन्दी शिक्षण कक्षाओं का संचालन	1,10,325 रुपए	हिन्दी शिक्षण केन्द्र हिन्दी पुस्तकालय / हिन्दी महाविद्यालय आदि।	
13.	केरल हिन्दी प्रचार सभा, त्रिवेन्द्रम	केन्द्रीय महाविद्यालय टंकण एवं आशुलिपि कक्षाएं, पुरस्कार आदि।	4,27,550 रुपए	हिन्दी पुस्तकालय, केन्द्रीय महाविद्यालय, हिन्दी प्रचारक पुनश्चर्या पाठयक्रम, पुरस्कार आदि।	

1	2	3	4	5	6
14.	हिन्दी सभा, बम्बई।	हिन्दी की प्रौन्नति	1,29,150 रुपए	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय पत्रि-काएं आदि।	
15.	राष्ट्रभाषा प्रचार सभा बर्धा	पाठयपुस्तकों, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हिन्दी प्रचारकों के लिए सेमिनार आदि का आयोजन	2.39,925 रुपए	हिन्दी महाविद्यालय, हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि कक्षाएं।	
16.	बम्बई हिन्दी विद्यापीठ	शिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय वाचनालय, प्रचारक केन्द्र सेमिनार, नाटक आदि	7,58,190 रुपए	हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र, आदि	
17.	महाराष्ट्र राष्ट्र सभा 388, नारायण पथ पूना	हिन्दी की प्रौन्नति	1,50,750 रुपए	केन्द्रीय ग्रन्थालय आदि	
18.	मणिपुर हिन्दी परिषद् इम्फाल	-वही-	2,04,450 रुपए	हिन्दी कक्षाएं	
19.	मणिपुर राष्ट्र भाषा प्रचार, समिति, इम्फाल	-वही-	1,59,750 रुपए	हिन्दी कक्षाएं	
20.	उत्कल प्रान्तीय राष्ट्र भाषा प्रचार सभा कटक	हिन्दी शिक्षण केन्द्रों, हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि केन्द्रों का संचालन	2,12,205 रुपए	हिन्दी शिक्षण कक्षाएं, हिन्दी पुस्तकालय प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि।	
21.	उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद जगन्नाथ, पुरी	-वही-	1,94,925 रुपए	हिन्दी कक्षाओं तथा हिन्दी का प्रचार	
22.	रुपायन संस्थान जोधपुर	हिन्दी का प्रचार प्रसार	2,00,000 रुपए	राजस्थानी हिन्दी कहावत कोश का निर्माण	
23.	हिन्दी प्रचार संस्थान, जयपुर	-वही-	2,11,050 रुपए	हिन्दी की प्रौन्नति	
24.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (मद्रास, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली धखाड़ और एरनाकुलम में अपनी शाखाओं के लिए)	निशुल्क हिन्दी कक्षाएं आयोजित करना, महाविद्यालय, .टंकण एवं आशुलिपि कक्षाएं, पुरस्कार आदि।	23,73,237 रुपए	हिन्दी पुस्तकालय, केन्द्रीय विद्यालय, हिन्दी प्रचारक अनुस्थापन पाठ्यक्रम आदि।	
25.	अनुसंधान प्रतिष्ठान बी-4/245, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली	हिन्दी की प्रौन्नति	20,000 रुपए	हिन्दी की प्रौन्नति	
26.	केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली	विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित करना, हिन्दी संगठनों में हिन्दी के विकास के लिए सेमिनारों, संगोष्ठियों, आदि का आयोजन	3,63,000 रुपए पत्रिकाओं का प्रकाशन	हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन, हिन्दी पत्रिकाओं और पुस्तकों आदि का प्रकाशन के लिए खर्च वहन करना।	
27.	अखिल भारतीय हिन्दी संस्थान संघ, नई दिल्ली	हिन्दी प्रचार प्रसार कार्यक्रम	6,35,412 रुपए	स्थापना व्यय और हिन्दी प्रचार प्रसार कार्यक्रमों को जारी रखना।	
28.	भारतीय अंशवाद परिषद, 9 हैलीरोड नई दिल्ली	हिन्दी की प्रोन्नति	1,33,148 रुपए	हिन्दी की प्रोन्नति	
29.	दैरातल मरिफिल उस्मानिया, हैदराबाद	अरबी साहित्य का प्रकाशन	1,57,000 रुपए	अनुरक्षण अनुदान	
30.	अंजुमन तरक्की-ए- उर्दू(हिन्दी), नई दिल्ली	उर्दू की प्रोन्नति	1,38,000 रुपए	अनुरक्षण अनुदान	
संस्कृत					
1.	श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, वृन्दावन, मथुरा	शिक्षण	6,71,249-00	वेतन/छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय/ पुस्तकें, फर्नीचर, वार्षिक समारोह, किताबों का मुद्रण तथा मरम्मत।	
2.	जगदीश नारायण ब्रहमचारी आश्रम संस्कृत महाविद्यालय लगमा, वाया लोहना रोड रामभेदपुर, जिला दरभेगा, बिहार	शिक्षण	5,41,558-00	वेतन/छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय/फर्नीचर/ग्रान्थालय की पुस्तकें/भवन की मरम्मत।	

1	2	3	4	5	6
3.	भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय डाकखाना गुरूकुल कांगडी हरिद्वार (उत्तर प्रदेश)	-वही-	5,41,558-00	वेतन/छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय/ फर्नीचर/ यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता/पुस्तकें/भवन की मरम्मत, तथा पुस्तकों का मुद्रण।	
4.	दीवानं कृष्ण किशौर सनातनधर्म आदर्श संस्कृत कालिज, अम्बाला छावनी, (हरियाणा)	-वही-	5,20,220-00	वेतन/छात्रवृत्तियां/भविष्य निधि आकस्मिक व्यय/ फर्नीचर/ पुस्तकें तथा टंकण मशीन की खरीद।	
5.	श्री एकरसानंद संस्कृत महाविद्यालय मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)	-वही-	5,73,490-00	छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय फर्नीचर/पुस्तकें/भवन की मरम्मत।	
6.	मद्रास संस्कृत कालिज एवं एस एस वी पाठशाला, 84, रोयापीठ हाई रोड, माइलापुर, मद्रास।	-वही-	6,45,480-00	वेतन/छात्रवृत्तियां/फर्नीचर आकस्मिक व्यय/भवन की मरम्मत	
7.	मुम्बादेवी संस्कृत महाविद्यालय मार्फत भारतीय विद्याभवन, के० एम० मुंशी मार्ग, बम्बई	-वही-	7,91,200-00	वेतन/छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय/ यात्राभत्ता एवं दैनिक भत्ता/ पुस्तकालय, पुस्तकें।	
8.	हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ डाकखाना भगोला, जिला फरीदाबाद, हरियाणा	-वही-	4,72,798-00	-वही-	
9.	कुप्पुस्वामी शास्त्री अनुसंधान संस्थान, 84-रोयापीठ रोड माइलापुर, मद्रास	अनुसंधान	3,95,513-00	छात्रवृत्तियां/वेतन/फर्नीचर/ प्रकाशन भवन की मरम्मत/विज्ञापन।	
10.	कालीकट आदर्श संस्कृत विद्यापीठ बालूसरी, जिला कालीकट, केरल	शिक्षण	4,79,612-00	वेतन/आकस्मिक व्यय/यात्रा एवं दैनिक भत्ता/छात्रवृत्तियां/पुस्तकें एवं फर्नीचर।	
11.	वैदिक समशोंधन मंडल तिलक विद्यापीठ नगर, पूना-9	अनुसंधान	4,72,019-00	वेतन/आकस्मिक व्यय/ग्रन्थालय पुस्तकें	
12.	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती न्याय शास्त्र संस्कृत महाविद्यालय नं० 3, ईस्ट माडा स्ट्रीट, छोटा कांचीपुरम	शिक्षण	4,08,321-00	-वही-	
13.	लक्ष्मी देवी शराफ, आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, काली राखा, गांव डाकखाना देवगढ़, (बिहार)	-वही-	7,47,743-00	-वही-	
14.	राजकुमारी गणेश शर्मा, आदर्श संस्कृत पाठशाला, कोलहांता पटोरी बिहार	-वही-	5,57,289-00	-वही-	
15.	हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालय जंगला रोहरू, हिमालय प्रदेश	-वही-	4,58,172-00	-वही-	
16.	स्वामी प्राणकुशाचार्य संस्कृत महाविद्यालय, हुलासगंज, गया	-वही-	4,75,475-00	-वही-	
17.	संस्कृत शब्दकोश परियोजना, पूना	संस्कृत शब्दकोष तैयार करना	20,00,000-00	अनुरक्षण (रखरखाव) अनुदान	
18.	राजा वेद काव्य पाठशाला डी 76/III क्रास, स्ट्रीट, श्री नगर कालोनी, कुम्बाकोनम	शिक्षण	2,16,600-00	वेतन/छात्रवृत्तियां	
19.	भारतीय चतुर्धन वेदभवन न्यास, स्वदेशी सदन सिविल लाईन्स, कानपुर	-वही-	1,59,600-00	-वही-	

1	2	3	4	5	6
20.	मुख्याधीश थातई, कन्या गुरूकुल महाविद्यालय हाथरस, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	-वही-	1,10,700-00	-वही-	
21.	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	-वही-	6,25,000-00	-वही-	
22.	कन्या गुरूकुल नरेला दिल्ली	-वही-	1,01,700-00	-वही-	
23.	कल्पतरू अनुसंधान अकादमी पोस्ट बाक्स संख्या 1857 बंगलौर	प्रतिमा कोश के तीसरे एवं चौथे खण्ड को तैयार करना एवं उनका प्रकाशन	2,03,006-00	-वही-	
उच्चतर शिक्षा					
1.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली		19,37,000.00 रू०		
2.	डा० जाकिर हुसैन मैमोरियल कालेज ट्रस्ट		6,00,000.00 रू०		
3.	श्री अरविन्दों अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान आरोविले		16,24,468.00 रू०		
4.	श्री अरबिन्दों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र पांडिचेरी		14,69,016.00 रू०		
5.	मित्रा निकेतन, वेल्लानाद		2,00,000.00 रू०		

केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजनाओं* के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता संबंधी परिशिष्ट

*नवोदय विद्यालय पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किए जाते हैं।

परिशिष्ट-1

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

(लाख रुपए)

क्र° सं°	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जारी की गई धनराशि				
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92· अनुमानित
1.	आन्ध्र प्रदेश	621.62	1590.77	1209.29	2095.00	3320.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	63.17	71.81	46.76	82.16	82.16
3.	असम	826.69	0.00	692.41	420.48	
4.	बिहार	1868.41	2151.64	1407.66	1684.02	991.26
5.	गोवा	12.03	23.62	37.32	47.47	24.77
6.	गुजरात	466.43	0.00	727.44	503.10	1021.06
7.	हरियाणा	62.93	117.33	111.39		370.32
8.	हिमाचल प्रदेश	148.75	280.94	458.09	297.03	456.20
9.	जम्मू व कश्मीर	156.90	347.04	0.00		617.22
10.	कर्नाटक	168.67	853.09	537.08	717.54	1434.54
11.	केरल	151.11	223.44	0.00	156.12	82.90
12.	मध्य प्रदेश	1194.10	1981.26	0.00	1344.78	652.47
13.	महाराष्ट्र	545.03	0.00	788.33	612.22	1167.03
14.	मणिपुर	38.03	98.78	0.00	47.88	62.12
15.	मेघालय	78.37	0.00	0.00	100.49	177.09
16.	मिजोरम	11.80	22.88	8.74	8.87	51.26
17.	नागालैंड	25.66	24.67	42.98	5.85	5.85
18.	उड़ीसा	753.00	1105.45	864.25	1818.32	954.63
19.	पंजाब	334.11	384.25	115.69	219.29	502.59
20.	राजस्थान	1175.55	1123.68	1568.63	3456.83	2345.18
21.	सिक्किम	41.57	9.06	0.00	15.36	15.36
22.	तमिलनाडु	480.80	856.92	1213.02	510.24	449.96
23.	त्रिपुरा	42.12	0.00	49.59	7.70	60.22
24.	उत्तर प्रदेश	1759.43	1893.44	2757.26	860.94	1512.00
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	384.34	0.00	349.46	140.02
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह		0.00	0.00	8.27	
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	1.17		
28.	दादरा और नागर हवेली		1.99	0.00	0.00	4.1411.99
29.	दमन व दीव	0.00	1.19	0.00		
30.	दिल्ली	32.49	0.00	32.39	53.59	
31.	लक्षद्वीप	0.48	0.00	0.00		
32.	पांडिचेरी	0.00	27.20	20.32	10.72	10.72
	कुल	11061.24	13572.80	12698.08	15009.12	16939.40

परिशिष्ट-2

अनौपचारिक शिक्षा योजना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

(लाख रुपए)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जारी की गई धनराशि				
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (अनुमानित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	318.14	498.00	650.55	581.78	616.36
2.	असम	182.01	203.23	264.96	159.40	181.88
3.	बिहार	1030.76	466.25	88.02	667.72	233.55
4.	हरियाणा	11.46				—
5.	जम्मू व काश्मीर		64.68			—
6.	कर्नाटक	23.80	57.03			—
7.	मध्य प्रदेश	340.60	605.64	628.32	781.95	695.86
8.	मिजोरम	2.19	2.07	2.22	2.06	2.44
9.	उड़ीसा	100.11	341.33	259.85	109.84	241.56
10.	राजस्थान	183.36	164.69	165.89	236.61	361.61
11.	तमिलनाडु	7.02	6.39			—
12.	उत्तर प्रदेश	1082.33	544.31	485.30	925.47	1616.35
13.	पश्चिम बंगाल	267.18	100.00	41.49		—
14.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह		0.18			
15.	चंडीगढ़	1.29	1.42	0.85	2.82	2.25
16.	दादरा और नागर हवेली		2.06			
17.	मणिपुर		10.27		24.59	62.42
18.	गुजरात			40.74		—
	कुल	3552.49	3065.31	2628.19	3492.24	4014.03

परिशिष्ट-3

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

(लाख रुपए)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र के नाम	जारी की गई धनराशि				
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (15.1.92 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	267.76	276.85	416.39	106.00	365.25
2.	अरूणाचल प्रदेश	35.70	3.00	0.00	—	—
3.	असम	182.75	264.90	182.45	35.00	88.30
4.	गोवा	0.00	0.00	28.30	2.00	5.50
5.	गुजरात	281.29	183.23	0.00		—
6.	हरियाणा	66.50	178.40	10.00	52.82	78.23
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	129.30	0.00		—
8.	जम्मू व कश्मीर	150.35	156.15	174.70		168.20
9.	केरल	60.74	100.40	280.00	94.81	49.70
10.	मध्य प्रदेश	448.42	490.60	439.20	386.28	—
11.	महाराष्ट्र	0.00	380.80	0.00		—
12.	मणिपुर	0.00	33.70	0.00	1.00	—
13.	मिजोरम	31.50	3.00	0.00	31.85	23.50
14.	नागालैंड	0.00	32.00	0.00	28.00	—
15.	उड़ीसा	274.05	211.95	198.77	33.00	140.67
16.	पंजाब	179.00	86.00	152.30	108.40	—
17.	राजस्थान	335.40	349.85	547.04	438.15	149.56
18.	सिक्किम	0.00	35.50	0.00		36.88
19.	तमिलनाडु	208.70	342.50	798.52	105.00	319.00
20.	त्रिपुरा	0.00	0.00	26.60		—
21.	उत्तर प्रदेश	536.46	363.87	250.63	363.59	—
22.	पश्चिम बंगाल	132.69	15.00	0.00	147.69*	—
23.	दिल्ली	56.20	14.90	63.97	'40.05	74.57
24.	पांडिचेरी	—	—	—	—	30.00
	कुल	3247.51	3651.90	3568.87	1678.26	1529.36

*परियोजनाओं का क्रियान्वयन न होने के कारण वर्ष 1987-88 और 1988-89 में जारी की गयी संस्वीकृतियां मार्च, 1991 में रदद् कर दी गई।

व्यावसायीकरण योजना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

(लाख रुपए)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र के नाम	जारी की गई धनराशि				
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (दिसम्बर, 1991 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	562.63	730.32	177.06	886.85	225.54
2.	अरूणाचल प्रदेश					
3.	असम	30.10	82.61		42.62	140.28
4.	बिहार	136.09		7.41	558.61	
5.	गोवा	68.53	28.47	64.59	80.63	49.50
6.	गुजरात		236.64	1173.31	778.031	455.25
7.	हरियाणा	276.12	353.03	129.87	184.83	130.00
8.	हिमाचल प्रदेश	30.90	1.86	98.06	177.475	52.50
9.	जम्मू व कश्मीर				16.50	
10	कर्नाटक	93.00	244.70	49.21	156.80	
11.	केरल		226.42	223.44	353.23	
12.	मध्य प्रदेश	57.16	745.00	1121.48	1221.42	
13.	महाराष्ट्र	495.90	469.66	509.38	267.21	400.00
14.	मणिपुर		11.68			
15.	मेघालय				20.75	
16.	मिजोरम	21.42	7.12		16.68	
17.	नागालैंड	8.00			14.84	
18.	उड़ीसा	156.19	600.00	83.72	510.40	
19.	पंजाब	211.59		50.25	371.71	
20.	राजस्थान	58.34	159.22	72.35	561.543	59.93
21.	सिक्किम				5.325	
22.	तमिलनाडु	112.56	225.00	358.11	279.558	
23.	त्रिपुरा					
24.	उत्तर प्रदेश	829.88	800.00	203.69	707.25	97.35
25.	पश्चिम बंगाल	40.69				
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह			3.34	3.238	
27.	चंडीगढ़		42.70	42.70	12.34	12.15
28.	दादरा व नागर हवेली					
29.	दमन व दीव					
30.	दिल्ली	36.52		4.1842.86		
31.	लक्षद्वीप					
32.	पांडिचेरी				16.63	
	कुल	3225.62	4964.43	4372.05	7287.33	1622.50

*वर्ष 1988-89 में चंडीगढ़ के लिए 42.70 लाख रु० दर्शाए गए थे जिसपर वर्ष 1988-89 के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दावा नहीं किया जा सका।

परिशिष्ट-5

विज्ञान शिक्षा योजना के लिए राज्यों / संघशासित क्षेत्रों को सहायता

(लाख रुपए)

क्र०सं०	राज्य / संघशासित क्षेत्र का नाम	जारी की गई धनराशि				
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (दिसम्बर, 91 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	99.25	107.25	400.37	132.25	—
2.	अरुणाचल प्रदेश		3.72			—
3.	असम		295.32	90.25	141.66	—
4.	बिहार		365.44	11.24		—
5.	गोआ	35.99		36.03	56.76	—
6.	गुजरात			142.31		—
7.	हरियाणा		279.66			—
8.	हिमाचल प्रदेश	99.55	216.13		139.84	—
9.	जम्मू व कश्मीर	30.67		97.95	167.10	—
10.	कर्नाटक	417.70	95.69	45.75	167.88	—
11.	केरल	200.92		199.43	152.72	—
12.	मध्य प्रदेश	113.55	300.00	244.56	7.28	—
13.	महाराष्ट्र	626.10			5.42	—
14.	मणिपुर		108.00		87.05	—
15.	मेघालय				35.20	—
16.	मिजोरम	13.78		87.76	84.42	—
17.	नागालैंड	11.55		8.40		—
18.	उड़ीसा	200.00		268.82		—
19.	पंजाब	130.06		1.37	349.97	171.14
20.	राजस्थान	349.52			139.84	—
21.	सिक्किम			12.41	20.14	—
22.	तमिलनाडु	217.69	194.41	251.13	93.37	—
23.	त्रिपुरा		27.45		0.74	—
24.	उत्तर प्रदेश	313.47	300.00	98.10	13.45	—
25.	पश्चिम बंगाल		514.37		147.18	—
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7.34		21.52	5.84	—
27.	चंडीगढ़	5.82			20.18	—
28	दादरा व नागर हवेली				5.22	—
29.	दिल्ली	53.47	73.42	102.59	55.60	—
30.	दमन व दीव			4.56		—
31.	लक्षद्वीप	0.23		1.28		—
32.	पांडिचेरी		20.82	7.03	4.32	—
	कुल	2926.66	2901.58	2132.86	2033.43	171.14

परिशिष्ट-6

शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना के लिए राज्यों / संघशासित क्षेत्रों को सहायता

(लाख रुपए)

क्र०सं०	राज्य / संघशासित क्षेत्र का नाम	जारी की गई धनराशि				
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (15.1.92 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	247.00	278.11	113.00	227.90	37.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	1.72	1.14		
3.	असम	—	20.92	42.20	73.53	
4.	बिहार	—	23.54	8.33		6.49
5.	गोआ	3.24	3.31	1.76	5.29	
6.	गुजरात	273.75	—	173.65	96.19	
7.	हरियाणा	—	7.04	39.90	50.00	
8.	हिमाचल प्रदेश	9.62	10.72	45.80		
9.	जम्मू व कश्मीर	—	9.00	17.82	102.99	
10.	कर्नाटक	22.52	60.38	66.37	15.81	
11.	केरल	7.16	13.46	27.87		12.17
12.	मध्य प्रदेश	—	193.80	30.46	29.16	
13.	महाराष्ट्र	—	72.00	93.00	126.20	
14.	मणिपुर	—	1.82	1.21	10.08	16.19
15.	मेघालय	—	0.90	4.23	5.00	5.08
16.	मिजोरम	2.18	6.03	9.13		0.11
17	नागालैंड	2.82	—	7.72		
18.	उड़ीसा	45.84	78.03	128.80	258.25	
19.	पंजाब	—	19.84	48.23	60.00	
20.	राजस्थान	—	113.62	91.92		
21.	सिक्किम	—	2.82	1.88	3.50	
22.	तमिलनाडु	—	30.00	70.00	100.00	
23.	त्रिपुरा	—	0.26	0.17	0.06	
24.	उत्तर प्रदेश	72.00	112.26	20.84		
25.	पश्चिम बंगाल	—	19.46	12.97		
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	0.48	0.32	0.50	
27.	चंडीगढ़	—	1.37	0.48	1.11	
28	दिल्ली	28.64	36.11			
29.	दमन व दीव	—	0.18	0.12		
30.	दादरा व नागर हवेली	0.33	—	0.22		0.36
31.	लक्षद्वीप	0.16	0.03	0.13		
32.	पांडिचेरी	—	1.84	1.23		
	कुल	715.26	1119.05	1060.90	1165.57	78.14

परिशिष्ट-7

पर्यावरण शिक्षा योजना के लिए राज्यों / संघशासित क्षेत्रों को सहायता

(लाख रुपए)

क्र०सं०	राज्य / संघशासित क्षेत्र का नाम	जारी की गई धनराशि				
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (दिसम्बर, 1991 तक)
1.	आंध्र प्रदेश		22.27		20.16	
2.	अरुणाचल प्रदेश		4.81			
3.	असम		4.20			12.85
4.	बिहार		20.17			
5.	गोआ				8.45	
6.	गुजरात			4.82		
7.	हरियाणा			0.66		
8.	हिमाचल प्रदेश		9.15			
9.	कर्नाटक		8.04	24.11	58.90	
10.	केरल			2.07		
11.	मध्य प्रदेश		9.60	28.80		
12.	महाराष्ट्र			9.73		
13.	मिजोरम		1.82	1.97		
14.	उड़ीसा		18.47			
15.	राजस्थान		37.52		16.56	
16.	तमिलनाडु		17.73	16.55	33.86	
17.	त्रिपुरा		3.04		9.12	
18.	उत्तर प्रदेश			13.85		
19.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		2.48			
20.	दिल्ली			7.73	9.71	
21.	पांडिचेरी		0.94		2.16	
	कुल		160.34	110.29	158.92	12.85

परिशिष्ट-8

विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा के लिए राज्यों / संघशासित क्षेत्रों को सहायता

(लाख रुपए)

क्र०सं०	राज्य / संघशासित क्षेत्र का नाम	जारी की गई धनराशि				
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (31.12.91 तक)
1.	आंध्र प्रदेश		14.71		12.80	
2.	बिहार	10.10	1.70	2.62	7.67	
3.	गुजरात	4.24		8.57	5.87	21.03
4.	हरियाणा			20.55	19.77	
5.	हिमाचल प्रदेश		8.24	5.63	7.40	7.21
6.	जम्मू और कश्मीर				19.98	
7.	कर्नाटक	16.29	28.78	10.86		12.26
8.	केरल	61.08	55.00	60.00	100.47	0.20
9.	मध्य प्रदेश		0.63	1.16	17.40	
10.	मणिपुर				3.97	
11.	महाराष्ट्र	16.40	19.42	14.27		
12.	मिजोरम	10.00	10.00	16.79	24.79	31.72
13.	नागालैंड	5.55	10.76	10.74	9.36	10.79
14.	उड़ीसा	18.47	13.99	15.03	23.87	22.47
15.	पंजाब	4.17	4.58			12.00
16.	राजस्थान	48.26		33.23	33.44	3.61
17.	तमिलनाडु				5.76	
18.	उत्तर प्रदेश	9.55		11.95	16.97	
19.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	11.41	14.28	15.65	13.90	16.08
20.	दिल्ली	10.58	11.77	12.17	18.92	
21.	पांडिचेरी			0.09	0.45	
22.	दमन व दीव				0.49	0.53
	कुल	226.10	193.86	239.31	343.28	137.90

परिशिष्ट-9

नवोदय विद्यालयों का संचालन संबंधी राज्यवार व्यय

(लाख रुपए)

क्र०सं०	राज्य / संघशासित क्षेत्र का नाम	जारी की गई धनराशि						
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91		1991-92 (अनुमानित)	
					योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत
1.	आंध्र प्रदेश	115.80	227.90	270.92	287.25	67.82	273.15	159.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.12	42.48	61.59	44.85	6.58	43.30	27.10
4.	बिहार	159.94	296.13	372.11	375.94	104.79	344.45	190.85
5.	गोआ	10.61	17.99	20.12	25.81	4.32	21.30	11.75
6.	गुजरात	32.72	73.27	85.24	86.89	25.44	82.40	57.90
7.	हरियाणा	50.87	94.18	124.73	110.51	47.29	121.45	74.80
8.	हिमाचल प्रदेश	71.16	109.65	128.34	140.70	31.79	123.35	60.90
9.	जम्मू व कश्मीर	88.13	125.46	143.66	148.62	30.57	154.20	100.20
10.	कर्नाटक	110.23	223.88	247.72	259.37	57.06	252.50	140.20
11.	केरल	75.09	140.47	142.85	183.92	39.86	150.90	83.90
12.	मध्य प्रदेश	161.18	285.10	323.43	317.15	96.87	322.15	206.80
13.	महाराष्ट्र	128.35	211.99	261.49	272.70	71.53	269.25	150.05
14.	मणिपुर	17.29	67.88	77.30	88.01	25.24	72.90	54.95
15.	मेघालय	28.66	29.20	36.17	35.02	3.13	29.25	16.25
16.	मिजोरम	11.73	18.85	17.63	19.16	3.68	13.35	11.60
17.	नागालैंड	1.31	13.34	12.16	11.83	2.22	9.35	4.60
18.	उड़ीसा	97.06	155.21	171.21	162.32	43.30	164.60	92.85
19.	पंजाब	45.71	67.56	99.44	96.38	30.36	98.35	62.05
20.	राजस्थान	86.08	201.19	254.58	243.33	93.88	248.85	159.15
21.	सिक्किम	7.99	7.04	9.24	13.18	1.01	9.60	4.80
23.	त्रिपुरा	—	4.08	13.39	10.35	4.31	12.25	8.50
24.	उत्तर प्रदेश	171.72	307.60	402.42	407.17	119.76	366.95	250.75
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12.83	18.30	28.85	32.50	3.98	24.40	11.75
27.	चंडीगढ़	4.04	5.77	9.79	11.02	7.15	10.85	8.20
28	दिल्ली	—	8.79	10.24	9.34	3.32	10.00	8.75
29.	दमन व दीव	4.35	10.46	12.38	12.48	4.20	11.45	12.25
30.	दादरा व नागर हवेली	15.27	11.25	14.35	14.53	0.30	11.30	5.15
31.	लक्षद्वीप	—	16.34	8.13	15.24	2.97	7.90	6.00
32.	पांडिचेरी	28.21	45.26	54.56	55.36	10.01	54.95	26.80
	कुल	555.45	2836.62	3414.04	3490.93	942.74	3314.70	2008.15

शैक्षिक सांख्यिकी की तालिकाएं

विवरण संख्या—1

क्षेत्र, जिलों की संख्या और खंडों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्षेत्र (वर्ग कि० मी०)	जिलों की संख्या	खंडों/तहसीलों/तालुकों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	275063	23	1104*
2.	अरूणाचल प्रदेश	83743	11	48
3.	असम	7838	23	135
4.	बिहार	173877	39	589
5.	गोवा	3810	2	10
6.	गुजरात	196024	19	184
7.	हरियाणा	44212	12	99
8.	हिमाचल प्रदेश	55673	12	69
9.	जम्मू काश्मीर	222236	14	119
10.	कर्नाटक	191791	21	181
11.	केरल	38863	14	151
12.	मध्य प्रदेश	443446	45	459
13.	महाराष्ट्र	307690	30	300
14.	मणिपुर	22327	8	26
15.	मेघालय	22429	5	30
16.	मिजोरम	21081	3	20
17.	नागालैंड	16579	7	25
18.	उड़ीसा	155707	13	314
19.	पंजाब	50362	12	118
20.	राजस्थान	342239	27	236
21.	सिक्किम	7079	4	447
22.	तमिलनाडु	130058	21	385
23.	त्रिपुरा	10486	3	17
24.	उत्तर प्रदेश	294411	63	895
25.	पश्चिम बंगाल	88752	17	341
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8249	2	5
27.	चंडीगढ़	114	1	1
28.	दादरा और नगर हवेली	491	1	1
29.	दमन और दीप		2	2
30.	दिल्ली	1483	1	5
31.	लक्षद्वीप	32	1	0
32.	पांडिचेरी	492	4	12
	भारत	3287259	460	6328

स्रोतः (i) चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी (1989-90)

(ii) पांचवा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षणः रा० शै० अनु० तथा प्र० परि०

*मंडलों की संख्या

पाकिस्तान तथा चीन द्वारा गैर कानूनी तौर पर अधिकृत क्षेत्र शामिल हैं।

विवरण—2

साक्षरता दर भारत—1951-1991

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
1951	18.33	27.16	8.26
1961	28.31	40.40	15.34
1971	34.45	45.95	21.97
1981	43.56	56.37	29.75)
	(41.42)	(53.45)	(28.46)
1991	52.11	63.86	39.42

टिप्पणी:1. वर्ष 1951, 1961 तथा 1971 की साक्षरता अनुपात पांच वर्ष और इससे अधिक उम्र वाली जनसंख्या से संबंधित है। वर्ष 1981 और 1991 का यह अनुपात सात वर्ष और इससे अधिक उम्र वाली जनसंख्या से संबंधित है। वर्ष 1981 से संबंधित पांच वर्ष और इससे अधिक उम्र वाली जनसंख्या का साक्षरता अनुपात कोष्ठक में दर्शाया गया है।

2 वर्ष 1981 के अनुपात में असम शामिल नहीं है क्योंकि वहां 1981 की जनगणना नहीं हो पायी थी वर्ष 1991 की जनगणना में जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वहां अभी 1991 की जनगणना पूरी नहीं हो पाई है।

विवरण सं॰ 3

सात वर्ष वर्ष और इससे अधिक आयु वाली जनसंख्या में साक्षरों की संख्या—भारत

1981-1991

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
(1)	(2)	(3)	(4)
साक्षर			
1981	233,947	156,953	76,994
1991	352,082	224,288	127,794
	118,315	67,335	50,800
1981 से 1991 में वृद्धि			
निरक्षर			
1981	301,933	120,902	161,031
1991	324,030	126,694	197,336
	22,097	3,792	16,305
1981 से 1991 में वृद्धि			

1. इन आंकड़ों में असम तथा जम्मू और कश्मीर के आंकडे शामिल नहीं हैं। क्योंकि असम की 1981 का जनगणना का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है क्योंकि 1981 की जनगणना वहां नहीं हो पाई जबकि जम्मू और कश्मीर का 1991 का जनगणना आंकड़ा नहीं है क्योंकि 1991 की जनगणना वहां अभी होनी शेष है।

2. 1991 का साक्षर जनसंख्या का आंकडा 1991 की जनगणना के अस्थाई परिणामों के अनुसार है। सात वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग की निरक्षर जनगणना के आंकड़े का अंदाजा जनसंख्या आयु संरचना पर आधारित कुछ संकल्पनाओं के आधार पर लगाया है और इसमें परिवर्तन हो सकता है।

विवरण—4

सात वर्ष और इससे ऊपर की आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशतता

भारत		1981 व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	1991 व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
भारत		43.57	56.37	29.75	52.11	63.86	39.42
1.	आन्ध्र प्रदेश	35.66	46.83	24.16	45.1156.24		33.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.54	35.11	14.01	41.22	51.10	29.37
3.	असम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	53.42	62.34	43.70
4.	बिहार	32.03	46.58	16.51	38.54	52.63	23.10
5.	गोआ	65.71	76.01	55.17	76.95	85.46	68.20
6.	गुजरात	52.21	65.14	38.45	50.91	72.54	48.50
7.	हरियाणा	43.85	58.49	26.89	55.33	67.85	40.94
8.	हिमाचल प्रदेश	51.17	64.27	37.72	63.54	74.57	52.46
9.	जम्मू व कश्मीर	32.68	44.18	19.55	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
10.	कर्नाटक	46.20	58.72	33.16	55.98	67.25	44.34
11.	केरल	81.56	87.56	75.65	90.59	94.45	86.93
12.	मध्य प्रदेश	34.22	48.41	18.99	43.45	57.43	28.39
13.	महाराष्ट्र	55.83	69.66	41.01	63.05	74.84	50.51
14.	मणिपुर	49.61	64.12	34.61	60.96	72.98	48.64
15.	मेघालय	42.02	46.62	37.15	48.26	51.57	44.78
16.	मिजोरम	74.26	79.37	68.60	81.23	84.06	78.09
17.	नागालैंड	50.20	58.52	40.28	61.30	66.09	55.72
18.	उड़ीसा	40.96	56.45	25.14	48.55	62.37	34.40
19.	पंजाब	48.12	55.52	39.64	57.14	63.68	49.72
20.	राजस्थान	30.09	44.76	13.99	38.81	55.07	20.84
21.	सिक्किम	41.57	52.98	27.35	56.53	64.34	47.23
22.	तमिलनाडु	54.38	68.05	40.43	63.72	74.88	52.29
23.	त्रिपुरा	50.10	61.49	38.01	60.39	70.08	50,01
24.	उत्तर प्रदेश	33.33	47.43	17.18	41.71	55.35	26.02
25.	पश्चिम बंगाल	48.64	59.93	36.07	57.72	67.24	47.15
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	63.16	70.28	53.15	73.74	79.68	66.22
27.	चंडीगढ़	74.81	78.89	69.31	78.73	82.67	73.61
28	दादरा और नगर हवेली	32.70	44.69	20.38	39.45	52.07	26.10
29.	दमन और दीव	59.91	74.45	46.51	73.58	85.67	61.38
30.	दिल्ली	71.93	79.28	62.57	76.09	82.63	68.01
31.	लक्षद्वीप	68.42	81.24	55.32	79.23	87.06	70.88
32.	पांडिचेरी	65.14	77.09	53.03	74.91	83.91	65.79

वर्ष 1981 के साक्षरता अनुपात में असम शामिल नहीं है जहां 1981 की जनगणना नहीं हो पाई थी तथा 1991 के साक्षरता अनुपात में जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है जहां 1991 की जनगणना अभी की जानी है। वर्ष 1981 और 1991 का भारत का साक्षरता अनुपात निम्नलिखित है, इसमें असम तथा जम्मू और कश्मीर के आंकड़े नहीं हैं।

	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1981	43.66	56.49	29.84
1991	52.07	63.90	39.31

विवरण-5

व्यक्तियों, पुरुषों, महिलाओं के बीच साक्षरता दर संबंधी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम: 1991

		व्यक्ति		पुरुष		महिलाएं
दर्जा	राज्य / संघ शासित प्रदेश	साक्षरता दर	राज्य/संघ शासित प्रदेश	साक्षरता दर	राज्य/संघ शासित प्रदेश	साक्षरता दर
1.	केरल	90.59.	केरल	94.45	केरल	86.93
2.	मिजोरम	81.23	लक्ष्यद्वीप	87.06	मिजोरम	78.09
3.	लक्षद्वीप	79.23	दमन और दीव	85.67	चंडीगढ़	79.61
4.	चंडीगढ़	78.73	गोवा	85.48	लक्ष्यद्वीप	70.88
5.	गोवा	76.96	मिजोरम	84.06	गोवा	68.20
6.	दिल्ली	76.09	पांडिचेरी	83.91	दिल्ली	68.01
7.	पांडिचेरी	74.91	चण्डीगढ़	82.67*	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	66.22
8.	अ० और नि० द्वीप समूह	73.74	दिल्ली	82.63	पांडिचेरी	65.79
9.	दमन और दीव	73.58	अ० और नि० द्वीप समूह	79.68	दमन और दीव	61.38
10.	तमिलनाडु	63.72	तमिलनाडु	74.88	नागालैंड	55.72
11.	हिमाचल प्रदेश	63.54	महाराष्ट्र	74.84	हिमाचल प्रदेश	52.46
12.	महाराष्ट्र	63.05	हिमाचल प्रदेश	74.57	तमिलनाडु	52.29
13.	नागालैंड	61.30	मणिपुर	72.98	महाराष्ट्र	50.51
14.	मणिपुर	60.96	गुजरात	72.54	त्रिपुरा	50.01
15.	गुजरात	60.91	त्रिपुरा	70.08	पंजाब	49.72
16.	त्रिपुरा	60.39	हरियाणा	67.85	मणिपुर	48.64
17.	पश्चिम बंगाल	57.72	कर्नाटक	67.25	गुजरात	48.50
18.	पंजाब	57.14	पश्चिम बंगाल	67.24	सिक्किम	47.23
19.	सिक्किम	56.53	नागालैंड	66.09	पश्चिम बंगाल	47.15
20.	कर्नाटक	55.98	सिक्किम	64.34	मेघालय	44.78
21.	हरियाणा	55.33	पंजाब	63.68	कर्नाटक	44.34
22.	असम	53.42	उड़ीसा	62.37	असम	43.70
	भारत	52.11				
23.	उड़ीसा	48.55	असम	62.34	हरियाणा	40.94
24.	मेघालय	48.26	मप्रध्य देश	57.43	उड़ीसा	34.40
25.	आन्ध्र प्रदेश	45.11	आन्ध्र प्रदेश	56.24	आंध्र प्रदेश	33.71
26.	मध्य प्रदेश	43.45	उत्तर प्रदेश	55.35	अरूणाचल प्रदेश	29.37
27.	उत्तर प्रदेश	41.71	राजस्थान	55.07	मध्य प्रदेश	28.39
28.	अरूणाचल प्रदेश	41.22	बिहार	52.63	दादरा और नगर हवेली	26.10
29.	दादरा और नगर हवेली	39.45	दादरा और नगर हवेली	52.07	उत्तर प्रदेश	26.02
30.	राजस्थान	38.81	मेघालय	51.57	बिहार	23.10
31.	बिहार	38.54	अरूणाचल प्रदेश	51.10	राजस्थान	20.84

जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है जहां 1991 की जनगणना अभी होनी बाकी है।

विवरण संख्या 6
परियोजित जनसंख्या
(1 मार्च-1991 की यथास्थिति के अनुसार)

('00 में)

क्रं० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सभी आयु वर्ग योग	सभी आयु वर्ग अ०जा०	सभी आयु वर्ग अ०ज०जा०	6-11 वर्ष योग	6-11 वर्ष अ०जा०	6-11 वर्ष अ०ज०जा०	11-14 वर्ष योग	11-14 वर्ष अनु०जा०	11-14 वर्ष अनु० जनजाति
1.	आन्ध्र प्रदेश	663049	39595	39319	70270	10450	4167	39492	5872	2342
2.	अरूणाचल प्रदेश	8584	42	5987	1070	4	748	578	2	404
3.	असम	222946	13910	24502	31767	1938	4066	18501	1129	2368
4.	बिहार	863388	125252	71748	104836	15211	8712	58089	8429	4828
5.	गोवा	11686	254	113	1320	28	12	762	16	8
6.	गुजरात	411741	29448	58550	46264	3313	6588	26695	1912	3802
7.	हरियाणा	163177	31119	0	20210	3854	0	11136	2123	0
8.	हिमाचल प्रदेश	51111	12579	2361	5889	1450	271	2325	843	158
9.	जम्मू कश्मीर	77187	6412	0	8679	721	0	4920	409	0
10.	कर्नाटक	448174	67522	22050	52639	7932	2585	29936	4511	1470
11.	केरल	290112	29055	2988	30805	3807	317	17690	1773	182
12.	मध्य प्रदेश	661359	93258	151914	76979	10854	17682	42647	6013	9796
13.	महाराष्ट्र	787067	56165	72331	81383	5811	7479	48075	3432	4418
14.	मणिपुर	18267	228	4987	2356	30	641	1184	15	322
15.	मेघालय	17606	73	14185	2288	8	1844	1259	4	1015
16.	मिजोरम	6862	0	6423	803	0	751	490	0	458
17.	नागालैंड	12156	0	10207	1368	0	1149	815	0	684
18.	उड़ीसा	315121	46190	70682	35313	5177	7921	20542	3012	4608
19.	पंजाब	201908	54255	0	21468	5766	0	12515	3362	0
20.	राजस्थान	438806	74781	53578	57892	10073	7069	30752	5351	3755
21.	सिक्किम	4036	231	935	591	34	137	322	19	75
22.	तमिलनाडु	556383	102080	5953	57960	10636	620	32986	6053	353
23.	त्रिपुरा	27448	4144	7812	2923	443	531	1598	242	454
24.	उत्तर प्रदेश	1387604	293562	2914	171272	36241	359	94481	19992	199
25.	पश्चिम बंगाल	679827	149474	38655	74010	16275	4637	41430	911	2333
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2780	0	334	427	0	52	214	0	26
27.	चंडीगढ़	6407	904	0	819	115	0	467	65	0
28.	दादरा और नगर हवेली	1385	32	1097	168	4	132	98	2	77
29.	दमन और दीव	1014	22	10	*	*	*	*	*	*
30.	दिल्ली	93705	16901	0	10209	1839	0	6001	1081	0
31.	लक्षद्वीप	517	0	483	60	0	54	31	0	27
32.	पांडिचेरी	7894	1258	0	745	119	0	452	72	0
	भारत	843909	1307746	670118	981113	154526	76134	553724	87211	42969

1. ये परियोजित जनसंख्या के आंकड़े 1981 की जनगणना पर आधारित हैं।
2. * गोवा में सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 7
साक्षरता दर 1981

(1-3-1981 की यथा स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	राज्य / संघ शासित प्रदेश	सामान्य			अ०जा०			अ०ज०जा०		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश									
2.	अरूणाचल प्रदेश	39.26	20.39	29.94	24.82	10.26	17.65	12.02	3.46	7.82
3.	असम	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
4.	बिहार	38.11	13.62	26.20	18.02	2.51	10.40	26.17	7.75	16.99
5.	गोवा	54.44	32.30	43.70	53.14	25.61	39.79	30.41	11.64	21.14
6.	गुजरात	48.20	22.27	36.14	31.45	7.06	20.15	—	—	—
7.	हरियाणा	53.19	31.46	42.43	41.94	20.63	31.50	38.75	12.82	25.93
8.	हिमाचल प्रदेश	36 29	15.88	26.67	32.34	11.70	22.44	—	—	—
9.	जम्मू कश्मीर	48.81	27.71	38.46	29.35	11.55	20.59	29.96	10.03	20.14
10.	कर्नाटक	75.26	65.73	70.42	62.33	49.73	55.96	37.52	26.02	31.79
11.	केरल	39.49	15.53	27.87	30.26	6.87	18.97	17.74	3.60	10.68
12.	मध्य प्रदेश	58.78	34.79	47.18	48.85	21.53	35.55	32.38	11.94	22.29
13.	महाराष्ट्र	53.29	29.06	41.35	41.94	24.95	33.63	48.88	30.35	39.74
14.	मणिपुर	37.89	30.08	34 08	33.28	16.30	25.78	34.19	28.91	31.35
15.	मेघालय	50.06	33.89	42.57				47.32	32.99	40.32
16.	मिजोरम	47.10	21.12	34.23	35.26	9.40	22.41	23.27	4.76	13.96
17.	नागालैंड	47.16	33.69	40.86	30.96	15.67	23.86	—	—	—
18.	उड़ीसा	36.30	11.42	24.38	24.40	2.69	14.04	18.85	1.20	10.27
19.	पंजाब	43.95	22.20	34.05	35.74	19.65	28.06	43.10	22.37	33.13
20.	राजस्थान	58.26	3499	46.76	40.65	18.47	29.67	26.71	14.00	20.46
21.	सिक्किम	51.70	32.00	42.12	43.92	23.24	33.89	33.46	12.27	23.07
22.	तमिलनाडु	38.76	14.04	27.16	24.83	3.90	14.96	31.12	8.69	
23.	त्रिपुरा	50.67	30.25	40.94	34.26	13.70	24.37	21.16	5.01	13.21
24.	उत्तर प्रदेश	58.72	42.14	51 56				38.43	23.24	31.11
25.	पश्चिम बंगाल	28.94	11.32	20.79	45.88	22.38	37.14	20.79	7.31	14.04
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	69.00	59.31	64.79	46.04	25.31	37.07	—	—	—
27.	चंडीगढ़	36.32	16.78	26.67	58.52	44.74	51.20	25.46	8.42	16.86
28.	दादर और नगर हवेली	68.40	53.07	61.54	50.21	25.89	39.30	—	—	—
29.	दमन और दीव	65.59	47.56	56.66	48.79	27.84	38.38	33.65	18.89	26.48
30.	दिल्ली	65.24	44.65	55.07				63.34	42.92	53.13
31.	लक्षद्वीप	64.46	54.91	59.88	88.33	53.33	84.44	64.12	55.12	59.63
32.	पांडिचेरी	65.84	45.71	55.85	43.11	21.21	32.36	—	—	—
	योग	46.89	24.82	36.23	31.12	10.93	21.38	24.52	8.04	16.35

असम में जनगणना नहीं की गई

स्रोत: भारत की जनगणना, प्रकाशन

टिप्पणी: भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागालैंड अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के लिए किसी भी जाति को अनुसूचित जाति तथा हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब चंडीगढ़ दिल्ली और पांडिचेरी में किसी जाति को अनुसूचित जनजाति नहीं घोषित किया गया है।

साक्षरता दर में 0.4 वर्ष के उम्र वाले शामिल हैं।

विवरण सं० 8

अ॰जा॰ की साक्षरता दर में राज्यों/संघशासित राज्यों का क्रम 1981 जनगणना

(1.3.1981 की यथास्थिति अनुसार)

श्रेणी	राज्य/सं शा॰ रा॰	अ॰जा॰ साक्षरता दर
1.	मिजोरम	84.44
2.	केरल	55.96
3.	दादरा और नागर हवेली	51.20
4.	गुजरात	30.79
5.	दिल्ली	39.30
6.	गोआ दीव दमन	38.38
7.	अरूणाचल प्रदेश	37.14
8.	चंडीगढ़	37.07
9.	महाराष्ट्र	35.55
10.	त्रिपुरा	33.89
11.	मणिपुर	33.63
12.	पांडिचेरी	32.36
13.	हिमाचल प्रदेश	31.50
14.	तमिलनाडु	29.67
15.	सिक्किम	28.06
16.	मेघालय	25.78
17.	पश्चिम बंगाल	24.37
18.	पंजाब	23.86
19.	जम्मू कश्मीर	22.44
20.	उड़ीसा	22.41
21.	कर्नाटक	20.56
22.	हरियाणा	20.15
23.	मध्य प्रदेश	18.97
24.	आन्ध्र प्रदेश	17.65
25.	उत्तर प्रदेश	14.96
26.	राजस्थान	14.04
27.	बिहार	10.40
28.	नागालैंड	—
29.	लक्षद्वीप	—
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—
31.	असम*	—
	कुल	21.38

*असम में जनगणना नहीं हुई थी।

स्रोत: 1981 का जनगणना प्रकाशन

टिप्पणी: नागालैंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति नहीं है। साक्षरता दर में 0-4 वर्ष के उम्र वर्ग वाले शामिल हैं।

विवरण सं० 9

वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दरों में राज्यों/संघ शासित राज्यों की स्थिति

(1-3-1991 की यथास्थिति)

1.	मिजोरम	59.63
2.	लक्षद्वीप	53.13
3.	नागालैंड	40.32
4.	मणिपुर	39.74
5.	सिक्किम	33.13
6.	केरल	31.79
7.	मेघालय	31.35
8.	अंड० और नि०द्वी० समूह	31.11
9.	दमन और द्वीप	26.48
10.	हिमाचल प्रदेश	25.93
11.	त्रिपुरा	23.07
12.	महाराष्ट्र	22.29
13.	गुजरात	21.14
14.	तमिलनाडु	20.46
15.	उत्तर प्रदेश	20.45
16.	कर्नाटक	20.14
17.	बिहार	16.99
18.	दादरा और ना०ह०	16.86
19.	अरुणाचल प्रदेश	14.04
20.	उड़ीसा	13.96
21.	पश्चिम बंगाल	13.21
22.	मध्य प्रदेश	10.68
23.	राजस्थान	10.27
24.	आन्ध्र प्रदेश	7.82
25.	पंजाब	—
26.	हरियाणा	—
27.	चंडीगढ़	—
28.	जम्मू और कश्मीर	—
29.	दिल्ली	—
30.	असम	—
31.	पांडिचेरी	—
	योग	16.35

*असम में जनगणना नहीं हो पाई थी।

स्त्रोत: वर्ष 1981 की जनगणना प्रकाशन

टिप्पणी: हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी में अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं।

0—4 आयु वर्ग की जनसंख्या साक्षरता दर में शामिल हैं।

विवरण सं० 10

वर्ष 1951 के मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं की वृद्धि

वर्ष	प्राथमिक	अपर प्राथमिक	हाई / हायर सेकेण्डरी स्कूल इंटर मी० / प्रिडिग्री जूनियर कालेज	सामान्य शिक्षा कालेज	व्यावसायिक शिक्षा कालेज	विश्वविद्यालय
1950-51	209671	13596	7416	370	208	27
1960-61	330399	49663	17329	967	852	45
1970-71	408378	90621	37051	2285	992	82
1980-81	494503	115335	51624	3421	1156	110
1990-91	558392	146636	78619	4862	886	146

विवरण सं० 11

वर्ष 1951 से स्कूल स्तर पर स्तरों / कक्षाओं में लिंगवार दाखिला

(लाखों में)

वर्ष	प्राइमरी			अपर प्राइमरी			हाई / हायर सैकेण्डरी		
	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
1950-51	138	54	192	26	5	31	13	2	15
1960-61	236	114	350	51	16	67	27	7	34
1970-71	357	213	570	94	39	133	57	19	76
1980-81	453	285	738	139	68	207	84	35	119
1990-91	581	410	991	209	124	333	140	69	209

विवरण सं॰ 12

स्कूल के प्रकार के अनुसार वर्ष 1951 से शिक्षकों का वितरण

	प्राथमिक			अपर प्राथमिक			हाई / हायर सैकेण्डरी		
वर्ष	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	कुल
1950-51	456	82	538	73	13	86	107	20	127
1960-61	615	127	742	262	83	345	234	62	296
1970-71	835	225	1060	463	175	638	474	155	629
1980-81	1020	343	1363	598	253	851	658	254	912
1990-91	1167	470	1637	706	353	1059	857	416	1273

विवरण संख्या 13 30 सितम्बर, 1990की यथा स्थिति

शैक्षिक संस्थाएं (1990-91)

क्र०सं०	राज्य / संघशासित क्षेत्र का नाम	प्राइमरी	मिडिल	हाई स्कूल / हायर सैकेन्डरी / इंटरमीडिएट / प्रि-डिग्री / जूनियर कालेज	सामान्य कालेज	शिक्षा प्रो० और शिक्षा	विश्वविद्यालय*
1.	आंध्र प्रदेश	48731	6118	6695	403	82	17
2.	अरुणाचल प्रदेश	1122	254	113	4	0	1
3.	असम	28876	5702	3443	213	15	3
4.	बिहार	53252	13170	4097	557	31	11
5.	गोआ	1014	112	372	15	4	1
6.	गुजरात	13174	17084	5075	230	59	10
7.	हरियाणा	4922	1321	2266	119	22	4
8.	हिमाचल प्रदेश	7522	1101	1037	39	4	3
9.	जम्मू व कश्मीर	8712	2320	1097	27	9	3
10.	कर्नाटक	23539	16318	5110	403	132	9
11.	केरल	6772	2911	2568	133	31	6
12.	मध्य प्रदेश	66849	13977	3973	448	37	12
13.	महाराष्ट्र	39121	18849	10374	582	195	18
14.	मणिपुर	3226	693	440	31	4	1
15.	मेघालय	4163	693	303	23	1	1
16.	मिजोरम	1109	544	205	13	1	1
17.	नागालैंड	1287	341	148	15	1	0
18.	उड़ीसा	40033	9405	4926	244	20	5
19.	पंजाब	12372	1425	2743	171	26	4
20.	राजस्थान	30231	8629	3733	159	41	9
21.	सिक्किम	510	122	75	1	0	0
22.	तमिलनाडु	29979	5624	5158	214	71	15
23.	त्रिपुरा	2083	436	454	13	2	1
24.	उत्तर प्रदेश	76545	14582	5999	418	24	25
25.	पश्चिम बंगाल	50827	4179	6804	302	62	11
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	186	41	66	2	1	0
27.	चंडीगढ़	54	27	68	12	2	2
28	दादरा और नगर हवेली	120	41	11	0	0	0
29.	दमन और दीव	46	20	19	1	0	0
30.	दिल्ली	1655	485	1130	63	6	11
31.	लक्षद्वीप	19	4	11	0	0	0
32.	पांडिचेरी	341	107	106	7	3	1
	भारत	558392	146636	78619	4862	886	184

* विश्वविद्यालय और संस्थान समझे जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय औन संस्थान शामिल हैं।

इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान तथा शिक्षक प्रशिक्षण के कालेज ही शामिल हैं। आंकड़े वर्ष 1988-**89 से संबंधित हैं**।

स्त्रोत चुनिंदा शैक्षकि आंकड़े 1990-91

विवरण संख्या—14
विभिन्न स्तरों पर नामांकन 1990-91

30.9.1990 की यथा स्थिति के अनुसार

क्र॰ सं॰	राज्य / संघ शासित प्रदेश	प्राइमरी			मिडिल			माध्यमिक उच्चतर मा॰			उच्चतर शिक्षा		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	4301744	3234834	7536578	1343686	780407	2124093	915175	466376	1381551	187723	77444	265167
2.	अरूणाचल प्रदेश	65043	47154	112197	15956	10133	26089	10688	5008	15696	1293	312	1605
3.	असम	1893197	1656888	3550085	64027	43770	1076197	341313	235458	576771	78246	33212	111458
4.	बिहार	5723453	2841810	8565263	1559587	560989	2120576	1043970	252742	1296712	401154	94041	495195
5.	गोवा	71483	64373	135856	43464	37449	80913	32234	26811	59045	5735	5815	11550
6.	गुजरात	3222000	2458000	5680000	1138000	750000	1888000	701000	428000	1129000	158325	113975	272300
7.	हरियाणा	954490	734917	1689407	439601	251214	690815	283906	126104	410010	44943	29204	74147
8.	हिमाचल प्रदेश	371102	319123	690225	188667	146131	334798	171205	105178	276383	7269	3357	10626
9.	जम्मू काश्मीर	450374	288386	738760	190878	100860	291738	122903	58410	181313	16395	10958	27353
10.	कर्नाटक	3064914	2617318	5682232	1015914	697952	1713866	738367	377862	1116229	178459	76858	255317
11.	केरल	1623059	1532817	3155876	961533	908127	1869660	573061	589066	116227	77285	88771	166056
12.	मध्य प्रदेश	4863414	3131075	7994489	1764639	889261	2653900	758169	248660	1006829	164317	71032	235349
13.	महाराष्ट्र	5397629	4624412	10022041	2292177	1602467	384644	1968072	1051583	3019655	399508	243778	643286
14.	मणिपुर	143515	121074	264589	42340	36360	78700	39543	29037	68580	12642	8319	20961
15.	मेघालय	124393	118177	242570	36909	32451	69360	31437	27167	58604	4339	2859	7198
16.	मिजोरम	63183	57117	120300	19568	19509	39077	11440	10167	21607	1281	918	2199
17.	नागालैंड	78810	66600	145410	28617	26904	55521	13641	10974	24615	2072	1007	3079
18.	उड़ीसा	2174000	1446000	362000	5485000	427300	975800	614986	313215	928201	50228	17423	67651
19.	पंजाब	1108729	947026	2055755	487970	364470	852440	362704	251615	614319	42235	38492	80727
20.	राजस्थान	3141437	1371810	4513247	1033336	285398	1318734	642283	152889	795172	74256	24958	99214
21.	सिक्किम	38873	33625	72498	7776	7038	14814	5124	3588	8712	0	0	0
22.	तमिलनाडु	4182459	3581414	7763873	1814266	1344281	3158547	988149	648138	1636287	149787	89977	239764
23.	त्रिपुरा	221084	181220	402304	68964	52502	121466	39797	26023	65820	7330	3505	10835
24.	उत्तर प्रदेश	8889785	5050215	13940000	3240428	1229582	4470010	2268912	698903	2967815	359801	115796	475597
25.	पश्चिम बंगाल	5313432	396089	9274121	1578095	1164672	274267	1058516	540100	1598616	196157	134837	330994
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	21042	18770	39812	9886	8022	17908	6631	5583	12214	962	778	1740
27.	चंडीगढ़	26382	23248	49630	13584	12362	25946	23132	18024	41156	7099	6865	13964
28.	दादर और नगर हवेली	9621	6791	16612	2820	1598	4418	1526	905	2431	0	0	0
29.	दमन और दीव	42292	4787	9779	4063	3438	7501	3791	2504	6295	202	168	370
30.	दिल्ली	490965	529868	920833	280346	225354	505700	215397	170505	385802	74349	54634	128983
31.	लक्षद्वीप	4518	3830	8348	1743	1409	3152	1081	653	1734	0	0	0
32.	पांडिचेरी	55394	52036	105630	30551	25298	55849	15418	12683	28101	2964	2321	5285
	भारत	58094716	41023604	99118320	20844291	12438708	33282999	14003571	6893831	20897402	2706356	1351614	4057970

*इसमें इंजीनियरी (बी॰ई॰/बी॰टेक/बी॰वास्तु) चिकित्सा (एम॰बी॰बी॰एस॰) और शिक्षक प्रशिक्षण (बी॰एड॰/बी॰टी॰) को छोड़कर पी॰एच॰डी॰/एम॰फिल॰ और सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में किया गया दाखिला शामिल नहीं है।

स्रोत: चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े, 1989-90

विवरण संख्या—15

विभिन्न स्तरों पर नामांकन (अनुसूचित जाति) 1990-91

30.9.1990 की यथा स्थिति के अनुसार

क्र॰ सं॰	राज्य / संघ शासित प्रदेश	प्राइमरी			मिडिल			माध्यमिक उच्चतर मा॰			उच्चतर शिक्षा		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	855619	630067	1485686	226832	123318	350150	135960	61229	197189	23233	7431	30664
2.	अरूणाचल प्रदेश	63	37	100	9	6	15	7	5	12	0	0	0
3.	असम	193290	176980	370270	63160	45912	109072	36692	23692	60384	6160	2257	8417
4.	बिहार	789358	294802	1084160	160231	40776	201007	67354	11107	78461	0	0	0
5.	गोवा	1679	1450	3129	596	417	1013	287	211	498	67	38	105
6.	गुजरात	311000	235000	546000	114700	64000	178700	72200	31900	104100	14270	5790	20060
7.	हरियाणा	211603	166541	378144	69753	31549	101302	33879	7924	41803	3689	625	4314
8.	हिमाचल प्रदेश	92265	75450	167715	39397	24570	63967	23428	9855	33283	681	137	818
9.	जम्मू काश्मीर	36200	23800	60000	15700	8430	24130	6420	2340	8760	0	0	0
10.	कर्नाटक	489228	398934	888162	144875	92720	237595	97834	40406	138240	19105	4869	23974
11.	केरल	188287	176914	365201	104829	98190	203019	58118	62374	120492	5285	5732	11018
12.	मध्य प्रदेश	776251	376471	1152722	219579	108008	327587	88687	19089	107776	15438	2866	18304
13.	महाराष्ट्र	803284	655676	1458960	315224	197792	513016	230903	105428	336331	44255	9151	53406
14.	मणिपुर	1968	1995	3963	540	502	1042	627	568	1195	270	214	484
15.	मेघालय	1314	1280	2594	535	385	920	875	442	1317	153	112	265
16.	मिजोरम	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@
17.	नागालैंड	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@
18.	उड़ीसा	420000	268000	688000	105100	41100	146200	55915	17074	72989	3698	768	4466
19.	पंजाब	393526	309068	702594	116390	76109	192499	66689	36665	103354	6838	2859	9697
20.	राजस्थान	524720	170993	695713	155320	20001	175321	84929	6190	91119	6453	333	6796
21.	सिक्किम	2271	1995	4266	343	326	669	191	153	344	0	0	0
22.	तमिलनाडु	838389	691023	1529412	324308	226534	550842	159999	79458	239457	22682	9445	32127
23.	त्रिपुरा	40114	33387	73501	11628	8139	19767	5926	3332	9258	916	335	1251
24.	उत्तर प्रदेश	1753066	676224	2429290	337523	82523	420046	320046	47848	367894	53564	4031	57595
25.	पश्चिम बंगाल	875964	583280	1459244	165098	84470	249568	120254	50844	171098	17364	7753	25117
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@
27.	चंडीगढ़	7437	6352	13789	2937	2344	5281	1850	1866	3716	470	164	634
28.	दादर और नगर हवेली	163	151	314	109	75	184	85	58	143	0	0	0
29.	दमन और दीव	194	168	362	122	138	260	193	111	304	12	3	15
30.	दिल्ली	119137	90739	209876	47361	30631	77992	31867	13722	45589	4968	2717	7685
31.	लक्षद्वीप	10	7	17	7	6	13	7	5	12	0	0	0
32.	पांडिचेरी	10524	10719	21243	4894	4445	9339	1601	1118	2719	332	140	472
	भारत	9736924	6057503	15794427	2747100	1413416	4160516	1702823	635014	2337837	249904	67770	317684

*इसमें इंजीनियरी (बी॰ई॰/बी॰टेक/बी॰आन्त॰) चिकित्सा (एम॰बी॰बी॰एस॰) और शिक्षक प्रशिक्षण (बी॰एस॰/बी॰टी॰) को छोड़कर पी॰एच॰डी॰/एम॰फिल॰ और सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में किया गया दाखिला शामिल नहीं हैं।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागालैंड, अ॰ और नि॰ द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के लिए कोई भी जाति अनुसूचित नहीं है।

नोटः चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े, 1989-90

विवरण 16

कक्षाओं में दाखिला (अनुसूचित जाति) 1990-91

(30.9.90 की यथास्थिति)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राथमिक			मिडिल			मा०/उ०मा०			उच्च शिक्षा		
		लड़के	लड़कियां	कुल योग	लड़के	लड़कियां	कुल योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	323476	199536	523012	58966	24287	83253	29441	10102	39543	3274	830	4104
2.	अरूणाचल प्रदेश	48200	33962	82162	10884	6468	17352	7672	2859	10531	997	207	1204
3.	असम	32216	271020	593236	74245	49960	124205	49559	31392	80951	6747	2552	9299
4.	बिहार	471823	247489	719312	99885	40445	140330	42816	15432	58248	0	0	0
5.	गोवा	198	123	321	35	12	47	3	0	3	0	0	0
6.	गुजरात	514000	366000	880000	124000	69000	193000	61300	31600	92900	13400	7135	20535
7.	हरियाणा	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@
8.	हिमाचल प्रदेश	15642	12146	27788	6793	3319	10112	4244	1689	5933	255	56	311
9.	जम्मू काश्मीर	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@
10.	कर्नाटक	122261	100988	223249	35223	23860	59083	19854	10182	30036	4318	832	5150
11.	केरल	22000	20012	42012	8142	7783	15925	3889	3652	7541	315	258	573
12.	मध्य प्रदेश	940731	393331	1334062	215472	111288	326760	86091	16553	102644	10058	2037	12095
13.	महाराष्ट्र	509215	387919	897134	145486	78313	223799	78299	31530	109829	8765	2157	10922
14.	मणिपुर	50666	42074	92740	9188	7282	16470	7036	5179	12215	1574	892	2466
15.	मेघालय	104420	98926	203346	30401	28470	58871	25293	22002	47295	2617	1913	4530
16.	मिजोरम	62666	56336	119002	19368	19298	38666	10847	9699	20546	212	110	322
17.	नागालैंड	77039	71301	148340	21227	18039	39266	9516	7687	17203	1696	871	2567
18.	उड़ीसा	522000	246000	768000	93100	38100	131200	34048	13172	47220	2842	612	3454
19.	पंजाब	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@
20.	राजस्थान	373292	111834	485126	95273	10410	105683	53498	3088	56586	5070	143	5213
21.	सिक्किम	8250	7218	15468	1728	1657	3385	1038	892	1930	0	0	0
22.	तमिलनाडु	39003	29552	69555	11823	7183	19006	5594	3506	9100	473	158	631
23.	त्रिपुरा	76830	55577	132407	16169	10036	26205	6951	3194	10145	364	100	464
24.	उत्तर प्रदेश	21584	12625	34209	5353	1634	6987	5933	1522	7455	1228	502	1730
25.	पश्चिम बंगाल	316631	134878	451509	43094	14830	57924	20092	10560	30652	775	284	1059
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1763	1621	3384	1038	894	1932	1403	1282	2685	18	8	26
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	68	32	100	95	27	122
28.	दादर और नगर हवेली	8345	5527	13872	2067	974	3041	853	390	1243	0	0	0
29.	दमन और दीव	669	578	1247	499	492	991	259	142	401	75	32	107
30.	दिल्ली	298	274	572	247	148	395	225	158	383	397	238	635
31.	लक्षद्वीप	4393	3729	8122	1682	1336	3018	976	565	1541	0	0	0
32.	पांडिचेरी	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@
	भारत	4957611	2910576	7868187	1131388	575518	1706906	566798	238081	804859	65565	21954	87519

*इसमें इंजीनियरी (बी०ई०/बी०टेक/बी०आर्च०) चिकित्सा (एम०बी०बी०एस०) और शिक्षक प्रशिक्षण (बी०एस०/बी०टी०) को छोड़कर पी०एच०डी०/एम०फिल० और सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में किया गया दाखिला शामिल नहीं है।

आंकड़े वर्ष 1988-89 से संबंधित है।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागालैंड, अ० और नि० द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के लिए कोई भी जाति अनुसूचित नहीं है।

नोटः चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े, 1989-90

विवरण सं० 17

प्रत्येक एक लाख जनसंख्या में नामांकन 1990-91

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	योग		अनुसचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
		प्राइमरी	मिडिल	प्राइमरी	मिडिल	प्राइमरी	मिडिल
1.	आन्ध्र प्रदेश	11367	3204	15069	3551	13302	2117
2.	अरूणाचल प्रदेश	13070	3039	2381	357	13723	2898
3.	असम	15924	4827	26619	7841	24212	5069
4.	बिहार	9921	2456	8656	1605	10026	1956
5.	गोवा	11626	6924	12319	3988	2841	416
6.	गुजरात	13795	4585	18541	6068	15030	3296
7.	हरियाणा	10353	4234	12152	3255	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	13504	6550	13333	5085	11770	4283
9.	जम्मू काश्मीर	9571	3780	9357	3767	—	—
10.	कर्नाटक	12679	3824	13154	3519	10125	2680
11.	केरल	10878	6445	12569	6987	14060	5330
12.	मध्य प्रदेश	12088	4013	12361	3513	8782	2151
13.	महाराष्ट्र	12733	4948	25976	9134	12403	3094
14.	मणिपुर	14485	4308	17382	4570	18596	3303
15.	मेघालय	13778	3940	35534	12603	14335	4150
16.	मिजोरम	17531	5695	—	—	18527	6020
17.	नागालैंड	11962	4567	—	—	114533	3847
18.	उड़ीसा	11488	3097	14895	3165	10866	1856
19.	पंजाब	10182	4222	12950	3548	—	—
20.	राजस्थान	10285	3005	9303	2344	9055	1973
21.	सिक्किम	17963	3670	18468	2896	16543	3620
22.	तमिलनाडु	13954	5677	14982	5396	11516	3193
23.	त्रिपुरा	14657	4425	17737	4770	16949	3354
24.	उत्तर प्रदेश	10046	3221	8275	1431	11740	2398
25.	पश्चिम बंगाल	13642	4035	9763	1670	11680	1498
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14321	6442	—	—	10132	5784
27.	चंडीगढ़	7746	4050	15253	5842	—	—
28.	दादर और नगर हवेली	11994	3190	5750	12645	2772	
29.	दमन और दीव	*	*	*	*	*	*
30.	दिल्ली	9827	5397	12418	4615	—	—
31.	लक्षद्वीप	16147	6097	—	—	10816	6248
32.	पांडिचेरी	13381	7075	16886	7424	—	—
	भारत	11745	3944	12078	3181	11741	2547

*गोवा में शामिल है।

विवरण सख्या 18

स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों की दर 1987-88

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कक्षा I-V लड़के	कक्षा I-V लड़कियां	कक्षा I-V कुल	कक्षा I-VIII लड़के	कक्षा I-VIII लड़कियां	कक्षा I-VIII कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	52.42	58.52	55.03	67.77	77.01	71.68
2.	अरूणाचल प्रदेश	58.75	58.43	58.63	75.20	75.91	75.44
3.	असम	51.59	59.47	55.01	70.91	74.45	72.44
4.	बिहार	63.88	68.93	65.63	76.77	84.19	79.08
5.	गोवा	2.19	8.78	5.33	20.69	27.63	23.95
6.	गुजरात	38.06	46.87	41.92	56.30	67.69	61.67
7.	हरियाणा	24.35	31.61	27.32	33.01	48.22	38.62
8.	हिमाचल प्रदेश	28.06	29.32	28.63	16.92	34.42	24.68
9.	जम्मू काश्मीर	28.08	41.45	33.44	46.63	58.51	51.25
10.	कर्नाटक	43.28	57.36	50.16	61.04	72.07	66 10
11.	केरल	-5.12	-3.62	-4.39	15.97	15.00	15.49
12.	मध्य प्रदेश	36.64	48.04	41.04	49.88	66.65	55.78
13.	महाराष्ट्र	34.69	45.71	39.82	53.07	68.01	59.87
14.	मणिपुर	31.43	33.40	32.35	66.42	61.61	64.22
15.	मेघालय	37.28	38.72	37.98	45.35	42.49	43.98
16.	मिजोरम	37.22	33.43	35.43	58.15	55.13	56.90
17.	नागालैंड	40.15	37.32	38.97	60.28	71.25	64.86
18.	उड़ीसा	36.81	37.81	37.27	59.69	67.26	63.23
19.	पंजाब	53.12	60.75	52.25	62.81	76.82	66.33
20.	राजस्थान	60.19	58.50	59.86	63.83	60.11	62.51
21.	सिक्किम	19.44	24.46	21.78	44.08	53.14	48.22
22.	तमिलनाडु	39.14	58.02	58.65	73.95	75.96	74.83
23.	त्रिपुरा	47.84	47.24	47.65	49.88	63.34	54.20
24.	उत्तर प्रदेश	62.35	65.76	63.81	74.32	76.91	75.41
25.	पश्चिम बंगाल	18.60	22.74	20.54	38.35	39.59	36.31
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	21.00	24.41	4.78	5.54	13.01	8.94
27.	चंडीगढ़	29.37	45.58	36.14	63.98	70.52	66.81
28.	दादर और नगर हवेली	2.24	8.82	5.34	21.03	27.97	23.95
29.	दमन और दीव	14.40	25.40	19.76	9.64	24.20	16.73
30.	दिल्ली	-2.96	11.38	4.02	40.96	56.82	48.45
31.	लक्षद्वीप	11.55	0.83	-5.59	3.11	31.52	16.29
32.	पांडिचेरी	71.35	72.04	71.67	76.58	87.86	77.90
	योग	43.35	49.42	46.97	58.80	67.55	62.29

स्कूल बीच में छोड़ जाने वालें की दर निम्नलिखित रूप से परिकलित की गई है:

(1983-84 में कक्षा I में दाखिल छात्रों की संख्या)
(1987-88 में कक्षा V में दाखिल छात्रों की संख्या)
——————————————————— ×100
(1983-84 में कक्षा I में दाखिल छात्रों की संख्या)

वर्ष 1987-88 के लिए कक्षा I से VIII में स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों की दर (1980-81 में कक्षा I में दाखिल छात्रों की संख्या)
वर्ष 1987-88 के लिए कक्षा I से VIII में स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों की दर (1987-88 में कक्षा VIII में दाखिल छात्रों की संख्या)
——————————————————— ×100
(1980-81 में कक्षा I में दाखिल छात्रों की संख्या)

इस अनुपात में निम्नलिखित को ध्यान में नहीं रखा गया है:
(I) रिपीटर और (II) वे बच्चे जो इस प्रणाली में कक्षा I के बाद दाखिल हुए।

विवरण 19

अनुसूचित जाति और अनु॰ज॰जा॰ में कक्षा छोड़ने वालों की दर 1987-88

क्र॰ सं॰	राज्य / संघ शासित प्रदेश	कक्षा I से V अ॰जा॰	कक्षा I से V अ॰ज॰जा॰	कक्षा I से VIII अ॰जा॰	कक्षा I से VIII अ॰ज॰जा॰
1.	आन्ध्र प्रदेश				
2.	अरूणाचल प्रदेश	64.10	68.84	82.01	88.04
3.	असम	55.48	64.47	63.24	77.27
4.	बिहार	69.65	72.33	84.07	86.60
5.	गोवा	44.23	63.72	61.04	78.84
6.	गुजरात	36.94	—	57.27	—
7.	हरियाणा	34.71	36.81	39.79	39.99
8.	हिमाचल प्रदेश	उ॰न॰	—	उ॰न॰	—
9.	जम्मू काश्मीर	66.38	43.83	73.96	66.90
10.	कर्नाटक	उ॰न॰	18.69	24.99	46.48
11.	केरल	42.93	55.93	57.43	71.39
12.	मध्य प्रदेश	47.24	63.24	64.10	78.93
13.	महाराष्ट्र	35.04	77.57	86.27	85.35
14.	मणिपुर	56.99	77.82	78.46	90.42
15.	मेघालय	—	36.11	—	61.22
16.	मिजोरम	52.26	74.26	74.16	86.59
17.	नागालैंड	45.46	—	78.29	—
18.	उड़ीसा	62.96	75.40	73.28	76.61
19.	पंजाब	72.45	60.25	78.26	56.95
20.	राजस्थान	24.48	37.91	54.54	39.21
21.	सिक्किम	63.15	77.40	81.10	83.93
22.	तमिलनाडु	48.43	54.73	58.01	59.92
23.	त्रिपुरा	58.17	64.56	80.96	85.09
24.	उत्तर प्रदेश	—	4.07	—	40.12
25.	पश्चिम बंगाल	13.00	64.61	67.09	77.89
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	उ॰न॰	—	उ॰न॰	—
27.	चंडीगढ़	उ॰न॰	43.89	36.67	76.80
28.	दादर और नगर हवेली	28.78	—	55.39	—
29.	दमन और दीव	38.60	21.74	57.85	57.02
30.	दिल्ली	—	उ॰न॰	—	50.22
31.	लक्षद्वीप	उ॰न॰	39.19	उ॰न॰	51.43
32.	पांडिचेरी	उ॰न॰	—	29.45	—
	योग	48.84	62.37	67.73	78.51

असम में जनगणना नहीं हुई थी

स्रोत: (i) पांचवीं अखिल शैक्षणिक सर्वेक्षण

(ii) शिक्षा विभाग की वार्षिक सांख्यिकी

टिप्पणी: भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागालैण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में किसी भी जाति अनुसूचित जाति तथा हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ दिल्ली तथा पांडिचेरी में किसी भी जाति को अनुसूचित जन जाति घोषित नहीं किया गया।

विवरण सं० 20
शिक्षकों की संख्या 1990-91

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राइमरी स्कूल			मिडिल स्कूल			मा० / उच्चतर माध्यमिक स्कूल		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	79219	31638	110857	28270	13557	41837	56993	25856	82849
2.	अरुणाचल प्रदेश	1896	470	2366	1355	316	1671	1788	385	2173
3.	असम	57732	14586	72316	31742	6304	38046	33301	9150	42451
4.	बिहार	95355	22286	117641	78917	19447	98364	40623	6521	47144
5.	गोवा	1123	1789	2912	364	476	840	3291	3832	7123
6.	गुजरात	22500	13800	36300	73500	61750	135250	43808	13983	57791
7.	हरियाणा	9012	5449	15461	7167	4648	11815	28047	19168	47215
8.	हिमाचल प्रदेश	10980	6020	17000	5700	1300	7000	9100	3800	12900
9.	जम्मू काशमीर	8159	5565	13724	11822	5807	17629	12987	6015	19002
10.	कर्नाटक	29903	11599	41502	56112	35620	91732	40365	12188	52553
11.	केरल	18231	31542	49773	19875	31755	51630	36125	56972	93097
12.	मध्य प्रदेश	136161	40043	176204	60932	19956	80888	39282	11473	50755
13.	महाराष्ट्र	72626	48485	121111	93365	55555	148920	135277	58681	193958
14.	मणिपुर	8187	2397	10584	4187	1168	5355	5130	2184	7314
15.	मेघालय	4243	2486	6729	1895	1114	3009	1495	1446	2941
16.	मिजोरम	2858	1689	3747	2626	636	3262	1244	242	1486
17.	नागालैंड	4531	1701	6232	2807	791	3598	2161	1031	3192
18.	उड़ीसा	78155	26265	104420	31026	6375	37401	33797	7805	41602
19.	पंजाब	22139	25702	47841	5267	4205	9472	27771	21956	49727
20.	राजस्थान	55440	18768	74208	52897	17456	70353	48401	13721	62122
21.	सिक्किम	1608	637	2245	1078	487	1565	1243	838	2881
22.	तमिलनाडु	70452	49921	120373	33608	31928	65536	67660	49157	116817
23.	त्रिपुरा	6847	17755	8602	3286	840	4126	7118	2868	9986
24.	उत्तर प्रदेश	215553	48176	263729	76442	18837	95279	80256	16439	96695
25.	पश्चिम बंगाल	144112	40636	184748	18092	7138	25231	78326	41691	120017
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	473	251	724	351	349	700	1179	931	2110
27.	चंडीगढ़	78	686	764	85	506	581	886	2233	3119
28.	दादर और नगर हवेली	110	50	160	169	215	384	114	44	158
29.	दमन और दीव	119	159	278	139	91	230	166	57	223
30.	दिल्ली	8243	13943	22186	2269	3396	5665	17080	23581	40661
31.	लक्षद्वीप	153	71	224	75	49	124	268	67	335
32.	पांडिचेरी	1086	849	1935	1063	729	1792	1717	1188	2805
	भारत	1166484	470414	1636898	706483	352812	1059295	856999	415503	1272502

आंकड़े वर्ष 1988-89 से संबंधित हैं।

स्रोतः चुनिंदा शैक्षणिक आंकड़े, 1989-90

विवरण सं॰ 21

वर्ष 1990-91 के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों का बजट कुल राज्य बजट में शिक्षा बजट की प्रतिशतता क्रमवार

(लाख रूपये में)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शिक्षा विभाग का बजट			राज्य के कुल बजट में शिक्षा बजट की प्रतिशत्ता
		योजनागत	योजनेत्तर	कुल योग	
1.	2.	3	4	5	6
1.	पश्चिम बंगाल	12363	145051	157414	28.0
2.	केरल	3307	64978	68285	26.3
3.	दिल्ली	2606	24323	26929	26.2
4.	बिहार	7447	111807	119254	25.7
5.	चंडीगढ़	372	3747	4119	24.3
6.	मणिपुर	789	5638	6427	23.5
7.	असम	9598	30814	40412	22.0
8.	दमन और द्वीप	107	308	415	21.9
9.	गोवा	1189	5236	6425	21.8
10.	राजस्थान	7664	67989	75653	21.8
11.	कर्नाटक	8895	76481	85376	21.3
12.	हिमाचल प्रदेश	3327	14694	18021	21.1
13.	गुजरात	1731	84149	85880	20.7
14.	आन्ध्र प्रदेश	10740	97463	108203	20.6
15.	त्रिपुरा	1849	8898	10747	20.3
16.	तमिलनाडु	3997	92375	96372	20.0
17.	उड़ीसा	15722	34770	50492	19.8
18.	पंजाब	541	47181	47722	18.8
19.	पांडिचेरी	872	2654	3526	18.1
20.	पांडिचेरी	764	1518	2282	17.8
21.	महाराष्ट्र	2445	144734	147179	17.6
22.	मेघालय	1288	4503	5791	17.3
23.	उत्तर प्रदेश	15896	144572	160468	16.6
24.	मध्य प्रदेश	12112	67466	79578	15.6
25.	हरियाणा	3451	26324	29775	15.5
26.	मिजोरम	741	3131	3872	14.8
27.	जम्मू और काशमीर	2395	11415	13810	14.4
28.	अरूणाचल प्रदेश	983	2077	3060	13.4
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	306	1463	1769	12.3
30.	नागालैंड	685	3491	4176	11.7
31.	लक्षद्वीप	55	328	383	10.2
32.	दादरा और नगर हवेली	48	263	311	10.1
	कुल राज्य/संघ शासित क्षेत्र	131893	1318424	1450317	20.0

विवरण सं० 22

शिक्षक पर सेक्टर वार योजनागत + योजनेत्तर व्यय सातवीं योजना अवधि (1985-90) के दौरान

(रू० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्रारम्भिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा सहित विशेष शिक्षा	यू० और एच० शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	161479	102131	3804	72479	10215	2778	352886
2.	अरुणाचल प्रदेश	8045	4386	176	741	—	1188	14536
3.	असम	86408	36979	2474	15194	3529	5455	150039
4.	बिहार	239233	55769	13301	48313	4262	2517	363395
5.	गोवा	5633	10229	188	2854	1042	233	20179
6.	गुजरात	151323	92352	1958	28243	8239	4157	286272
7.	हरियाणा	44776	42945	2464	16037	2449	906	109577
8.	हिमाचल प्रदेश	30719	13903	665	5306	620	1411	57624
9.	जम्मू काशमीर	25978	20756	950	7468	1847	840	57839
10.	कर्नाटक	143150	76251	3794	36917	6974	1739	268825
11.	केरल	137849	75196	1830	35855	11003	2013	263746
12.	मध्य प्रदेश	130381	54995	3129	31139	9361	1112	230117
13.	महाराष्ट्र	233552	207899	3976	55515	21298	12584	554824
14.	मणिपुर	10669	7051	447	4602	240	311	23320
15.	मेघालय	7496	5647	428	1485	172	448	15676
16.	मिजोरम	6943	3350	624	1148	220	493	12978
17.	नागालैंड	10593	4011	806	1160	282	89	16941
18.	उड़ीसा	82968	38518	2307	22159	2915	857	149724
19.	पंजाब	57001	82237	1300	24292	2123	1123	168876
20.	राजस्थान	124250	80897	4062	24948	3327	1807	239291
21.	सिक्किम	2611	4714	260	194	—	215	7994
22.	तमिलनाडु	167814	1[illegible]1095	3805	44682	12672	1501	343569
23.	त्रिपुरा	9906	14330	1630	2174	480	214	28734
24.	उत्तर प्रदेश	304976	195732	9380	47534	16243	1696	575561
25.	पश्चिम बंगाल	142032	153174	3942	46885	7481	14742	368256
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3590	1589	40	284	107	218	5828
27.	चंडीगढ़	2593	1777	82	6315	1687	107	12561
28.	दादर और नगर हवेली	693	203	12	—	2	98	1008
29.	दमन और दीव	606	342	7	92	93	69	1209
30.	दिल्ली	19285	64441	433	735	4227	2255	91376
31.	लक्षद्वीप	759	466	18	235	—	55	1533
32.	पांडिचेरी	4858	3013	115	1523	1694	294	11497
	कुल राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2378169	1571378	68608	586510	134803	63525	4802993

स्रोतः राज्यो/संघ शासित क्षेत्रों के बजट दस्तावेज

नोटः उपर्युक्त आंकड़े 1985-89 के लिए वास्तविक और 1989-90 के लिए संशोधित अनुमानों के अनुसार हैं।

विवरण सं॰ 23

कुल शिक्षा व्यय में सेक्टर-वार की प्रतिशतता (योजनागत + योजनेत्तर)

सातवीं योजना अवधि के दौरान

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्रारम्भिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	विशेष शिक्षावि॰	एवं उच्च शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	अन्य शिक्षा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	45.8	28.9	1.1	20.5	2.9	0.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	55.3	30.2	1.2	5.1	—	8.2
3.	असम	57.6	24.6	1.6	10.1	2.4	3.6
4.	बिहार	65.8	15.3	3.7	13.3	1.2	0.7
5.	गोवा	27.9	50.7	0.9	14.1	5.2	1.2
6.	गुजरात	52.9	32.3	0.7	9.9	2.9	1.5
7.	हरियाणा	40.9	39.2	2.2	14.6	2.2	0.8
8.	हिमाचल प्रदेश	53.3	32.8	1.2	9.2	1.1	2.4
9.	जम्मू काशमीर	44.9	55.9	1.6	12.9	3.2	1.5
10.	कर्नाटक	53.3	28.4	1.4	13.7	2.6	0.6
11.	केरल	52.3	28.5	0.7	13.6	4.2	0.8
12.	मध्य प्रदेश	56.7	23.9	1.4	13.5	4.1	0.5
13.	महाराष्ट्र	45.7	37.5	0.7	10.0	3.8	2.3
14.	मणिपुर	45.8	30.2	1.9	19.7	1.0	1.3
15.	मेघालय	47.8	36.0	2.7	9.5	1.1	2.0
16.	मिजोरम	53.5	25.8	6.3	8.8	1.7	3.8
17.	नागालैंड	62.5	23.7	4.5	6.8	1.7	0.5
18.	उड़ीसा	55.4	25.7	1.5	14.8	2.0	0.6
19.	पंजाब	33.9	48.9	0.8	14.5	1.3	0.7
20.	राजस्थान	51.9	33.8	1.7	10.4	1.4	0.8
21.	सिक्किम	32.7	59.0	3.3	2.4	—	2.7
22.	तमिलनाडु	49.1	32.5	1.1	13.1	3.7	0.4
23.	त्रिपुरा	34.5	49.9	5.7	7.6	1.7	0.7
24.	उत्तर प्रदेश	53.0	34.0	1.6	8.3	2.8	0.3
25.	पश्चिम बंगाल	38.6	41.6	1.1	12.7	2.0	4.0
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	61.6	27.3	0.7	4.9	1.8	3.7
27.	चंडीगढ़	20.6	14.1	0.7	50.3	13.4	0.9
28.	दादरा और नगर हवेली	68.8	20.1	1.2	—	0.2	9.7
29.	दमन और दीव	50.1	28.3	0.6	7.6	7.7	5.7
30.	दिल्ली	21.1	70.5	0.5	0.8	4.6	2.5
31.	लक्षद्वीप	49.5	30.4	1.2	15.3	—	3.6
32.	पांडिचेरी	42.3	26.2	1.0	13.2	14.7	2.6
	सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र	47.5	32.7	1.4	12.2	2.8	1.3

विवरण सं॰ 24

1991-92 के लिए सेक्टर-वार स्वीकृत योजगानत परिव्यय

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्रारंभिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा	सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	कुल (कालम 5+कालम 6)
		3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	2000	195	3451	390	3841
2.	अरूणाचल प्रदेश	2065	88	2950	—	2950
3.	असम	5740	300	7176	703	7679
4.	बिहार	8800	1200	11000	2500	13500
5.	गोवा	392	40	1120	300	1420
6.	गुजरात	1604	300	2724	2295	5019
7.	हरियाणा	1740	100	3630	1600	5230
8.	हिमाचल प्रदेश	2000	50	3600	544	4144
9.	जम्मू काश्मीर	2000	111	5174	139	5313
10.	कर्नाटक	3084	332	6236	814	7050
11.	केरल	164	25	1062	1900	2962
12.	मध्य प्रदेश	7759	550	16412	2811	19223
13.	महाराष्ट्र	2533	297	5300	3000	8300
14.	मणिपुर	543	65	1086	83	1169
15.	मेघालय	1418	89	2025	25	2050
16.	मिज़ोरम	445	15	817	70	887
17.	नागालैंड	500	27	907	134	1041
18.	उड़ीसा	2770	310	3832	1032	4864
19.	पंजाब	1539	101	2300	3720	6020
20.	राजस्थान	4174	115	8825	1455	10280
21.	सिक्किम	615	6	1000	75	1075
22.	तमिलनाडु	5300	345	6370	450	6820
23.	त्रिपुरा	1182	58	2253	25	2258
24.	उत्तर प्रदेश	6041	340	13288	5134	18422
25.	पश्चिम बंगाल	2900	450	7564	1489	9053
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	355	5	778	195	973
27.	चंडीगढ़	165	5	577	200	777
28.	दादरा और नगर हवेली	119	3	178	20	198
29.	दमन और दीव	60	2	104	109	213
30.	दिल्ली	4450	40	6700	1800	8500
31.	लक्षद्वीप	17	3	125	—	125
32.	पांडिचेरी	400	8	849	326	1175
	सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र	72874	5575	129393	33338	162731

स्रोतः योजना आयोग द्वारा 1991-92 की वार्षिक योजना का विश्लेषण

विवरण सं॰ 25

स्वीकृत योजना परिव्यय की सेक्टर-वार प्रतिशतता (1991-92)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्रारम्भिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा	सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा
		3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	52.1	5.1	89.8	10.2
2.	अरूणाचल प्रदेश	70.0	3.0	100.0	NIL
3.	असम	72.9	3.8	91.1	8.9
4.	बिहार	65.2	8.9	81.5	18.5
5.	गोवा	27.6	2.9	78.9	21.1
6.	गुजरात	32.0	6.0	54.3	45.7
7.	हरियाणा	33.3	1.9	69.4	30.6
8.	हिमाचल प्रदेश	48.3	1.2	86.9	13.1
9.	जम्मू काश्मीर	37.6	2.1	97.4	2.6
10.	कर्नाटक	43.7	4.7	88.5	11.5
11.	केरल	5.5	0.8	35.9	64.1
12.	मध्य प्रदेश	40.4	2.9	85.4	14.6
13.	महाराष्ट्र	30.5	3.6	63.9	36.1
14.	मणिपुर	46.4	5.6	92.9	7.1
15.	मेघालय	69.2	4.3	98.8	1.2
16.	मिजोरम	50.2	1.7	92.1	7.9
17.	नागालैंड	48.0	2.6	87.1	12.9
18.	उड़ीसा	56.9	6.4	78.8	21.2
19.	पंजाब	25.6	1.7	38.2	61.8
20.	राजस्थान	40.6	1.1	85.8	14.2
21.	सिक्किम	57.2	06	93.0	7.0
22.	तमिलनाडु	77.7	5.1	93.4	6.6
23.	त्रिपुरा	52.3	2.6	98.9	1.1
24.	उत्तर प्रदेश	32.8	1.8	72.1	27.9
25.	पश्चिम बंगाल	32.0	5.0	83.6	16.4
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36.5	0.5	80.0	20.0
27.	चंडीगढ़	21.2	0.6	74.3	25.7
28.	दादर और नगर हवेली	60.1	1.5	89.9	10.1
29.	दमन और दीव	28.2	0.9	48.8	51.2
30.	दिल्ली	52.4	0.5	78.8	21.2
31.	लक्षद्वीप	13.6	2.4	100.0	NIL
32.	पांडिचेरी	34.0	0.7	72.3	27.7
	सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र	44.8	3.4	79.5	20.5

विवरण सं॰ 26

राज्य के 1988-89 के शुद्ध घरेलू उत्पादन के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों का बजट प्रावधान

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पादन में शिक्षा विभाग के बजट की प्रतिशतता
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.0
2.	अरूणाचल प्रदेश	10.0
3.	असम	4.8
4.	बिहार	3.3
5.	गोवा	5.3
6.	गुजरात	3.4
7.	हरियाणा	2.6
8.	हिमाचल प्रदेश	6.8
9.	जम्मू और काश्मीर	एन॰ए॰
10.	कर्नाटक	3.9
11.	केरल	3.1
12.	मध्य प्रदेश	3.3
13.	महाराष्ट्र	2.8
14.	मणिपुर	9.5
15.	मेघालय	एन॰ए॰
16.	मिजोरम	एन॰ए॰
17.	नागालैंड	10.3
18.	उड़ीसा	4.3
19.	पंजाब	2.8
20.	राजस्थान	4.2
21.	सिक्किम	एन॰ए॰
22.	तमिलनाडु	3.4
23.	त्रिपुरा	एन॰ए॰
24.	उत्तर प्रदेश	3.0
25.	पश्चिम बंगाल	3.7
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.6
27.	चंडीगढ़	एन॰ए॰
28.	दादरा नगर हवेली	एन॰ए॰
29.	गोवा दमन और द्वीव	एन॰ए॰
30.	दिल्ली	3.2
31.	लक्षद्वीप	एन॰ए॰
32.	पांडिचेरी	5.7

नोटः आंकड़े राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद के आंकड़ों पर आधारित हैं जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 1990-91 में बताया गया है।
एन॰ए॰: उपलब्ध नहीं है।

चार्ट

शिक्षा पर व्यय (क्षेत्रवार)
केन्द्रीय सरकार - सातवीं योजना अवधि
(योजनागत + योजनेत्तर)

(करोड़ रूपयों में)

कुल व्यय 5674.62

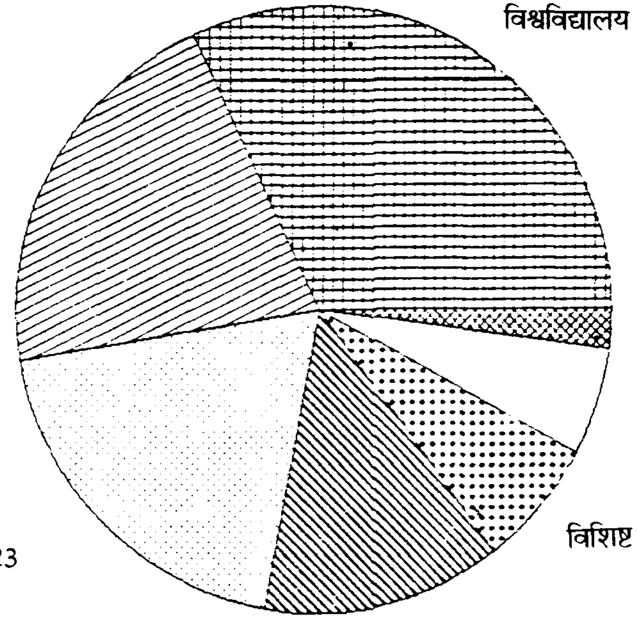

शिक्षा पर व्यय (क्षेत्रवार)
राज्य/संघ शासित प्रदेश - 7वीं योजना अवधि
(योजनागत + योजनेत्तर)

(करोड़ रुपयों में)

कुल व्यय 48029.93

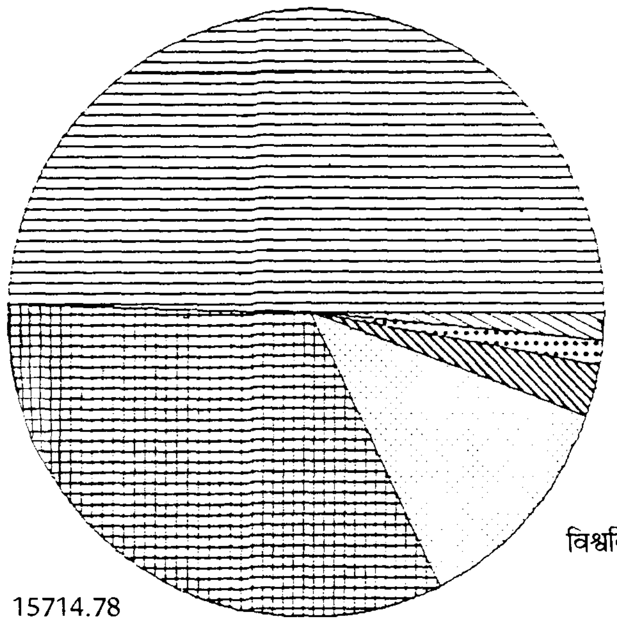

शिक्षा पर व्यय (क्षेत्रवार)
केन्द्रीय क्षेत्र + राज्य क्षेत्र
(योजनागत + योजनेत्तर)

7वीं योजना अवधि

(करोड़ रुपयों में)

कुल व्यय 53704.55

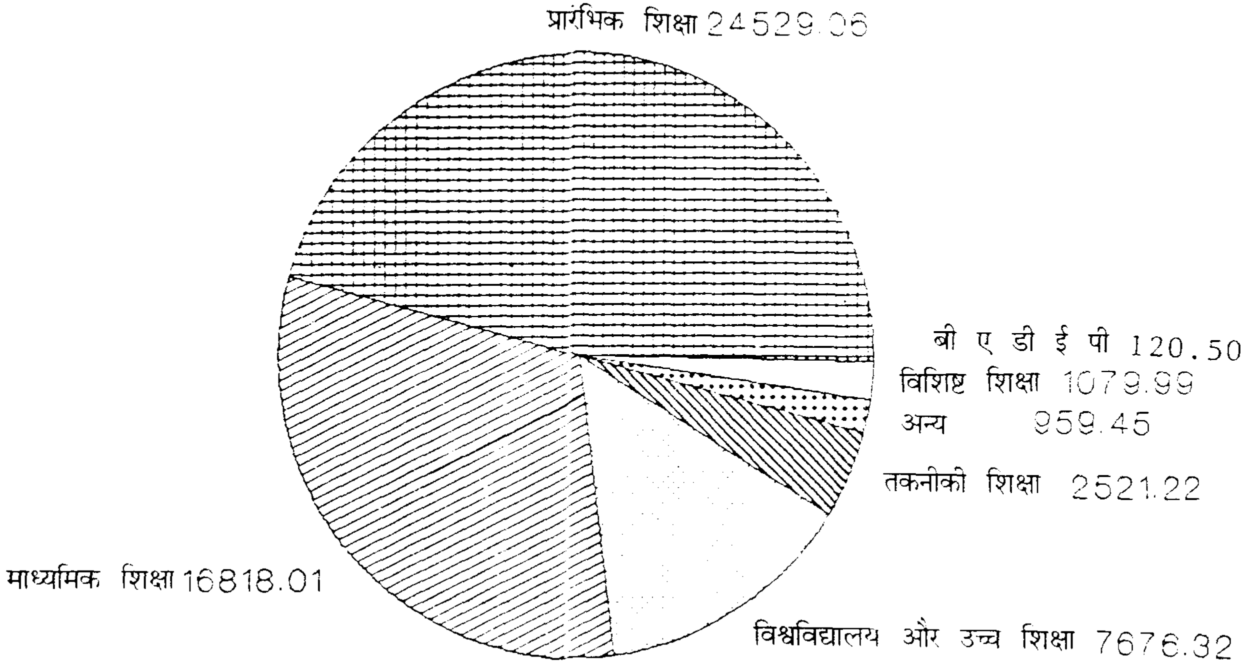

शिक्षा पर क्षेत्रवार व्यय
(योजनागत + योजनेत्तर)
केन्द्र + राज्य

(करोड़ रुपयों में)

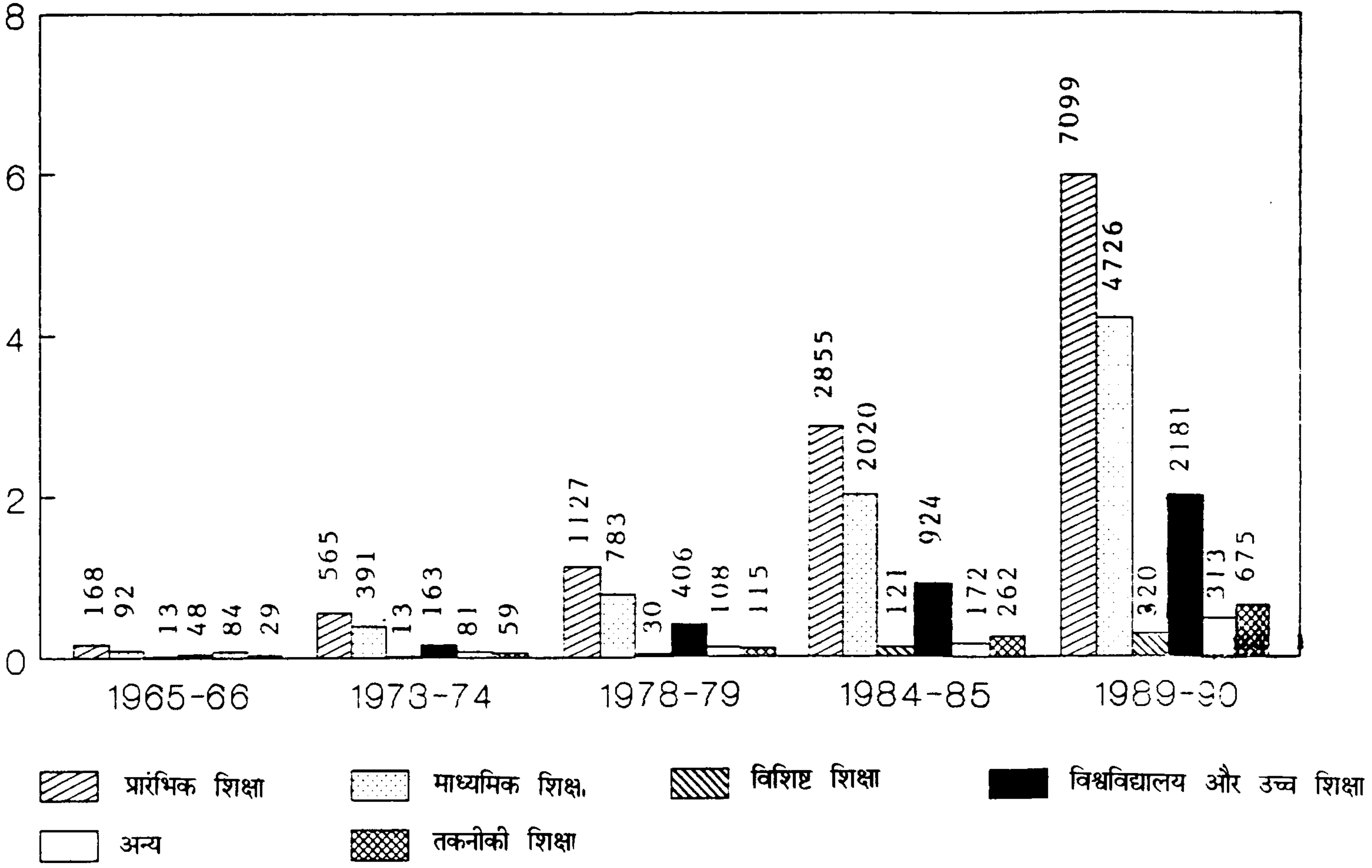

शिक्षा पर व्यय (क्षेत्रवार)
राज्य/संघ शासित प्रदेश
(योजनागत + योजनेत्तर)

(करोड़ रुपयों में)

1989-90 (संशो०प्रा०)

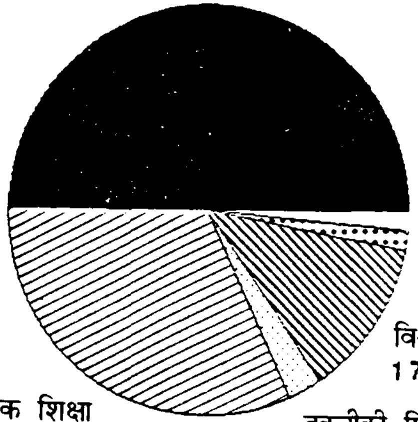

1990-91 (ब०प्रा०)

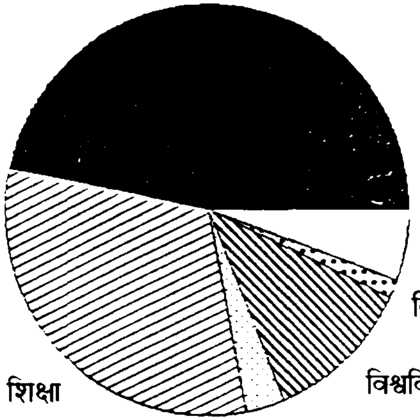

शिक्षा पर क्षेत्रवार व्यय
(योजनागत + योजनेत्तर)
राज्य/संघ शासित प्रदेश

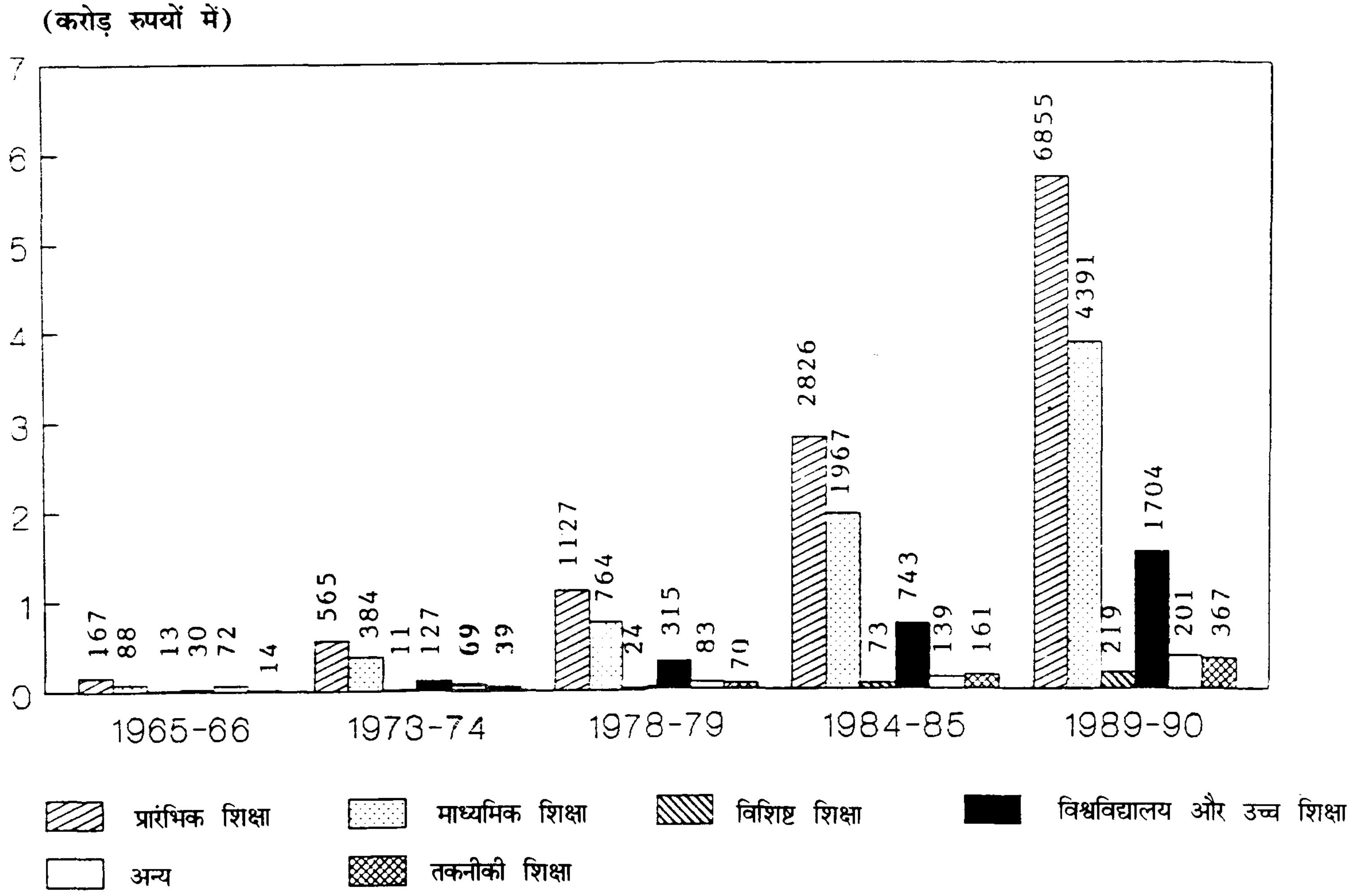

शिक्षा पर व्यय (क्षेत्रवार)
केन्द्र
(योजनागत + योजनेत्तर)

(करोड़ रुपयों में)

1989-90

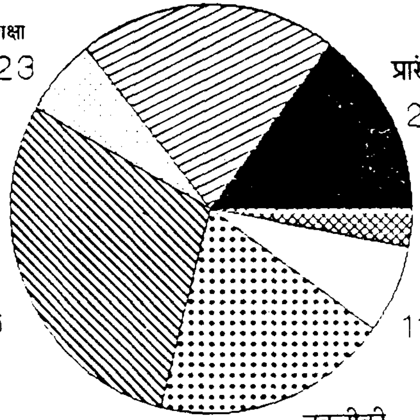

1990-91

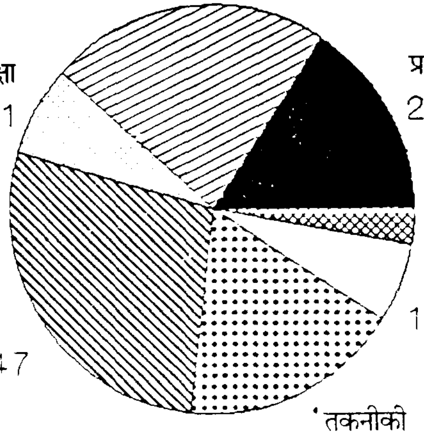

शिक्षा पर क्षेत्रवार व्यय
(योजनागत + योजनेत्तर)
केन्द्र

(करोड़ रुपयों में)

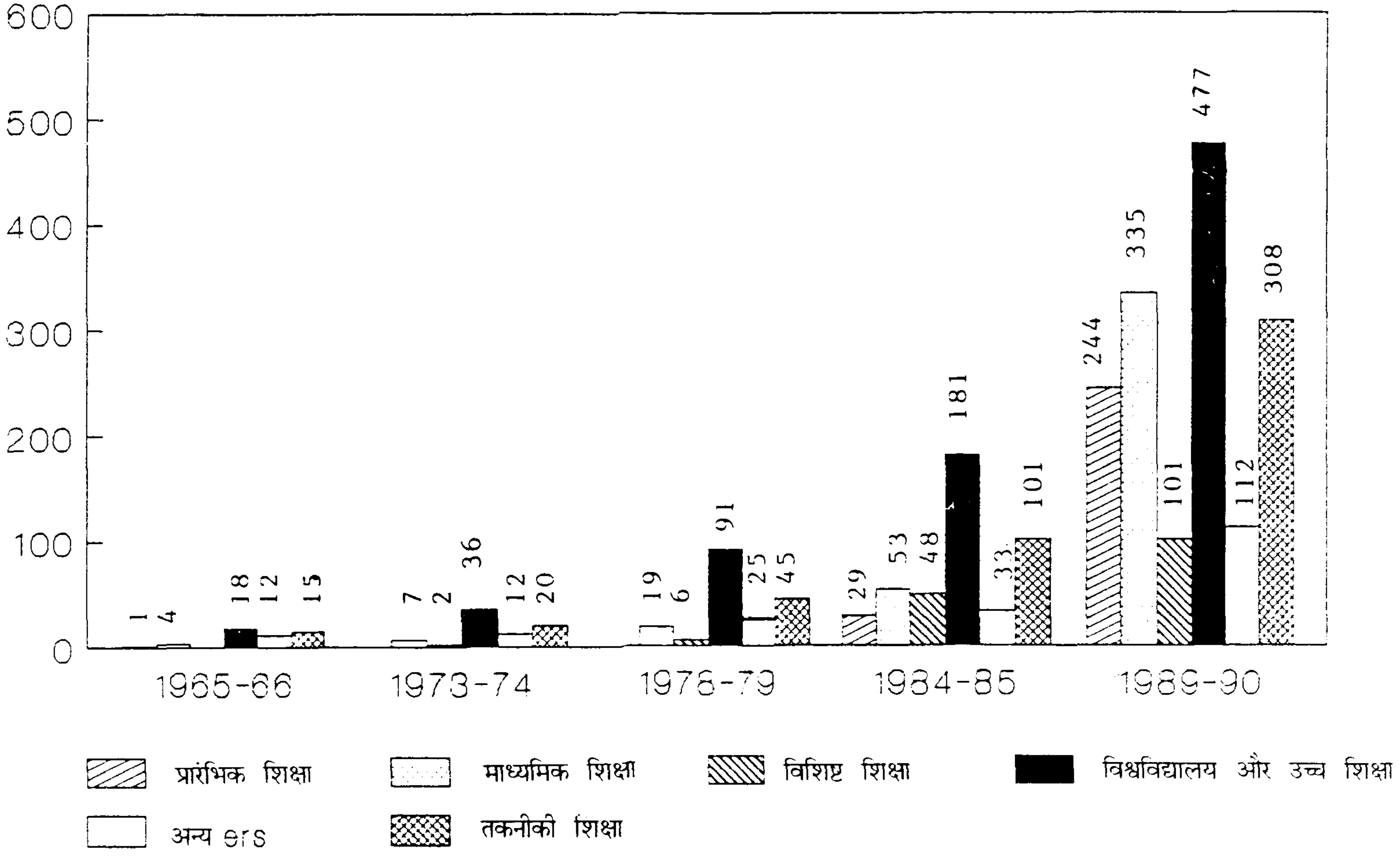

प्रमुख स्कीमों का योजनागत व्यय
केन्द्रीय क्षेत्र (1987-92)

(करोड़ रुपयों में)

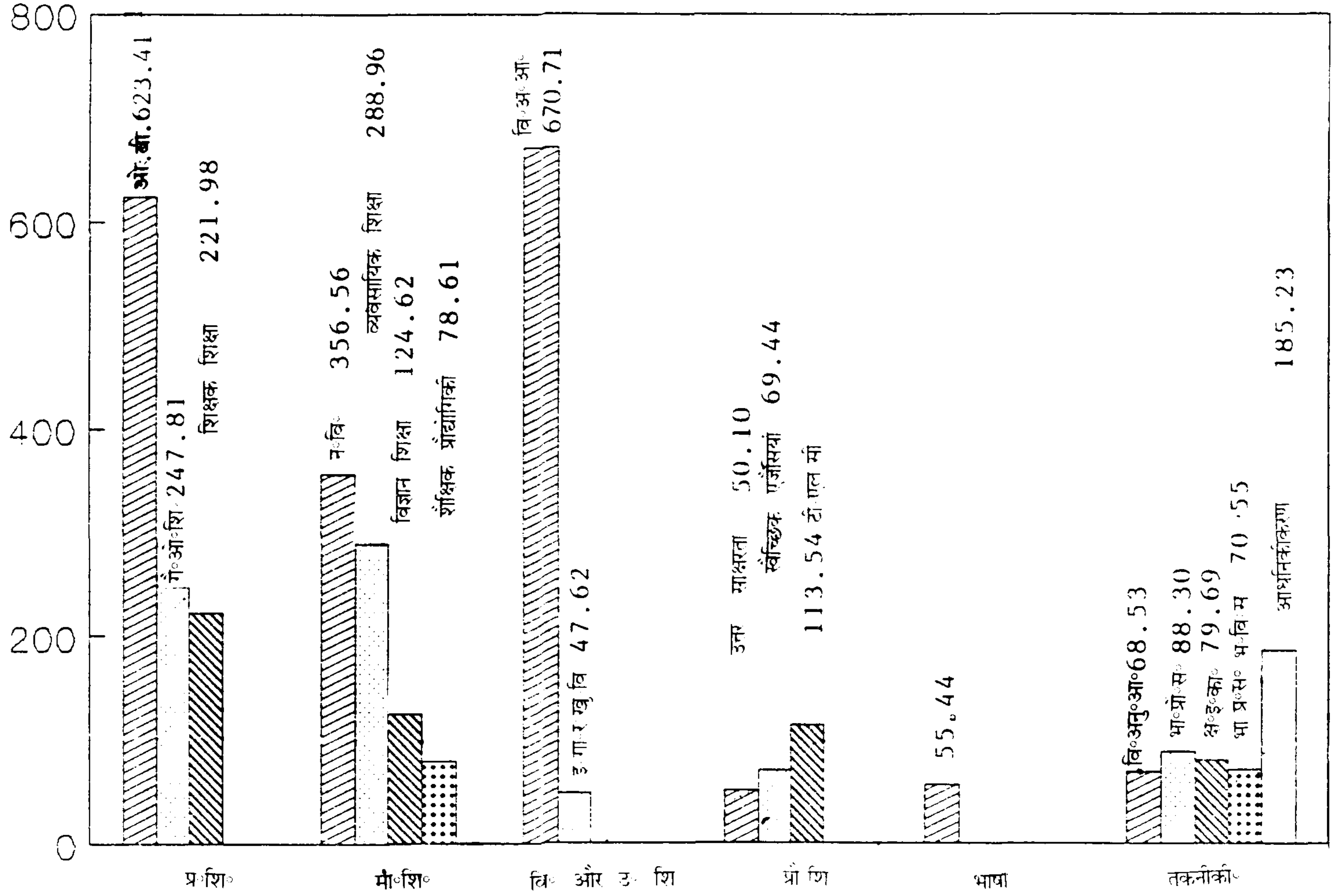

साक्षरता दर
1991

केरल	90.59
मिजोरम	81.23
लक्षद्वीप	79.23
चंडीगढ़	78.73
गोवा	76.96
दिल्ली	76.09
पांडिचेरी	74.91
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	73.74
दमन और द्वीव	73.58
तमिलनाडु	63.72
हिमाचल प्रदेश	63.54
महाराष्ट्र	63.05
नागालैण्ड	61.30
मणिपुर	60.96
गुजरात	60.91
त्रिपुरा	60.39
पश्चिम बंगाल	57.72
पंजाब	57.14
सिक्किम	56.53
कर्नाटक	55.98
हरियाणा	55.33
असम	53.42
भारत	52.11
उड़ीसा	48.55
मेघालय	48.26
आन्ध्र प्रदेश	45.11
मध्य प्रदेश	43.45
उत्तर प्रदेश	41.71
अरूणाचल प्रदेश	41.22
दादर नगर हवेली	39.45
राजस्थान	38.81
बिहार	38.54

महिला साक्षरता दर
1991

केरल	86.93
मिजोरम	78.09
चंडीगढ़	73.61
लक्षद्वीप	70.88
गोवा	68.20
दिल्ली	68.01
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	66.22
पांडिचेरी	65.79
दमन और द्वीव	61.38
नागालैण्ड	55.72
हिमाचल प्रदेश	52.46
तमिलनाडु	52.29
महाराष्ट्र	50.51
त्रिपुरा	50.01
पंजाब	49.72
मणिपुर	48.64
गुजरात	48.50
सिक्किम	47.23
पश्चिम बंगाल	47.15
मेघालय	44.78
कर्नाटक	44.34
असम	43.70
हरियाणा	40.94
भारत	39.42
उड़ीसा	34.40
आन्ध्र प्रदेश	33.71
अरूणाचल प्रदेश	29.37
मध्य प्रदेश	28.39
दादर नगर हवेली	26.10
उत्तर प्रदेश	26.02
बिहार	23.10
राजस्थान	20.84

1951 से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं की वृद्धि स्कूल स्तर

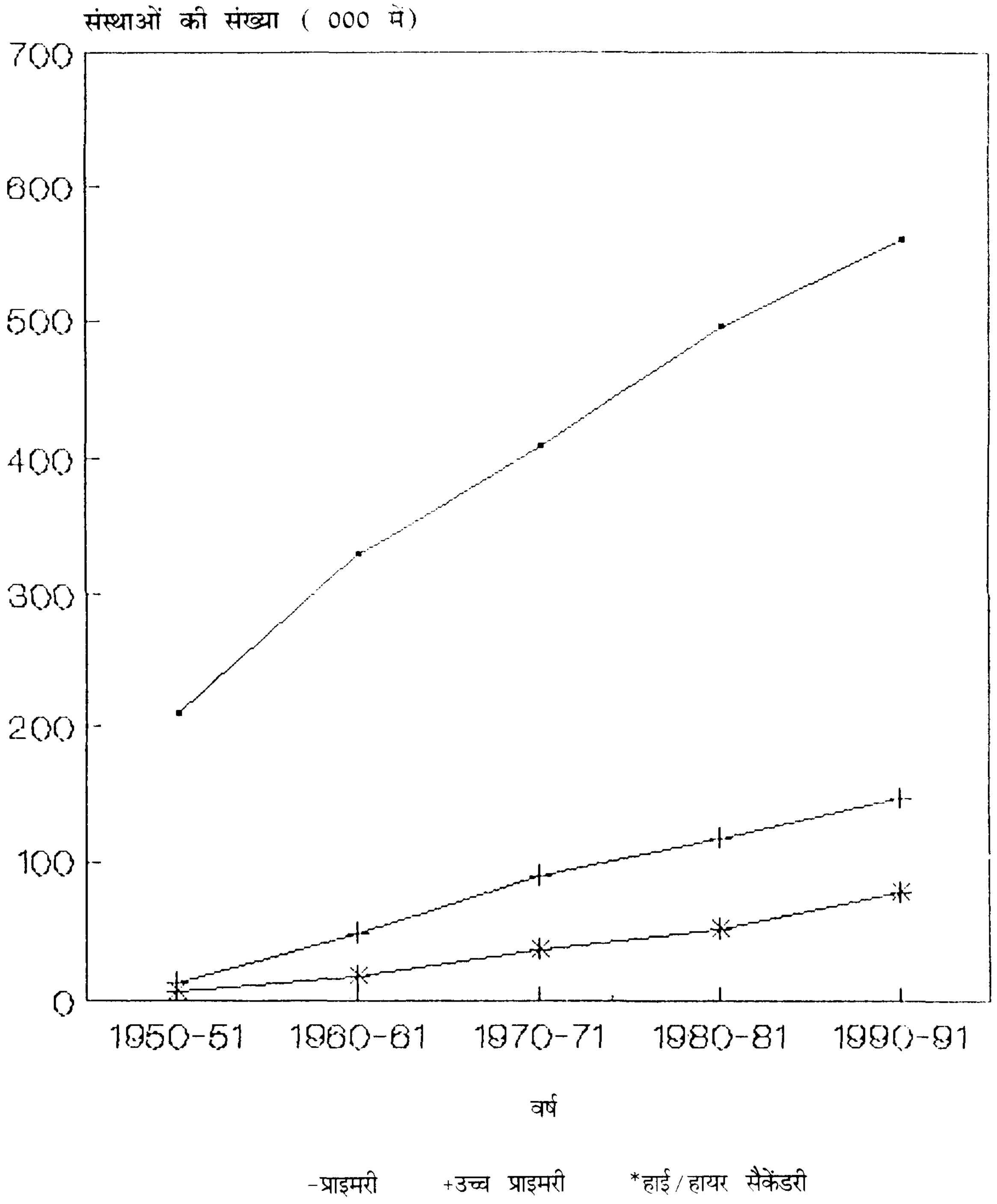

1951 से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं की वृद्धि कालेज स्तर

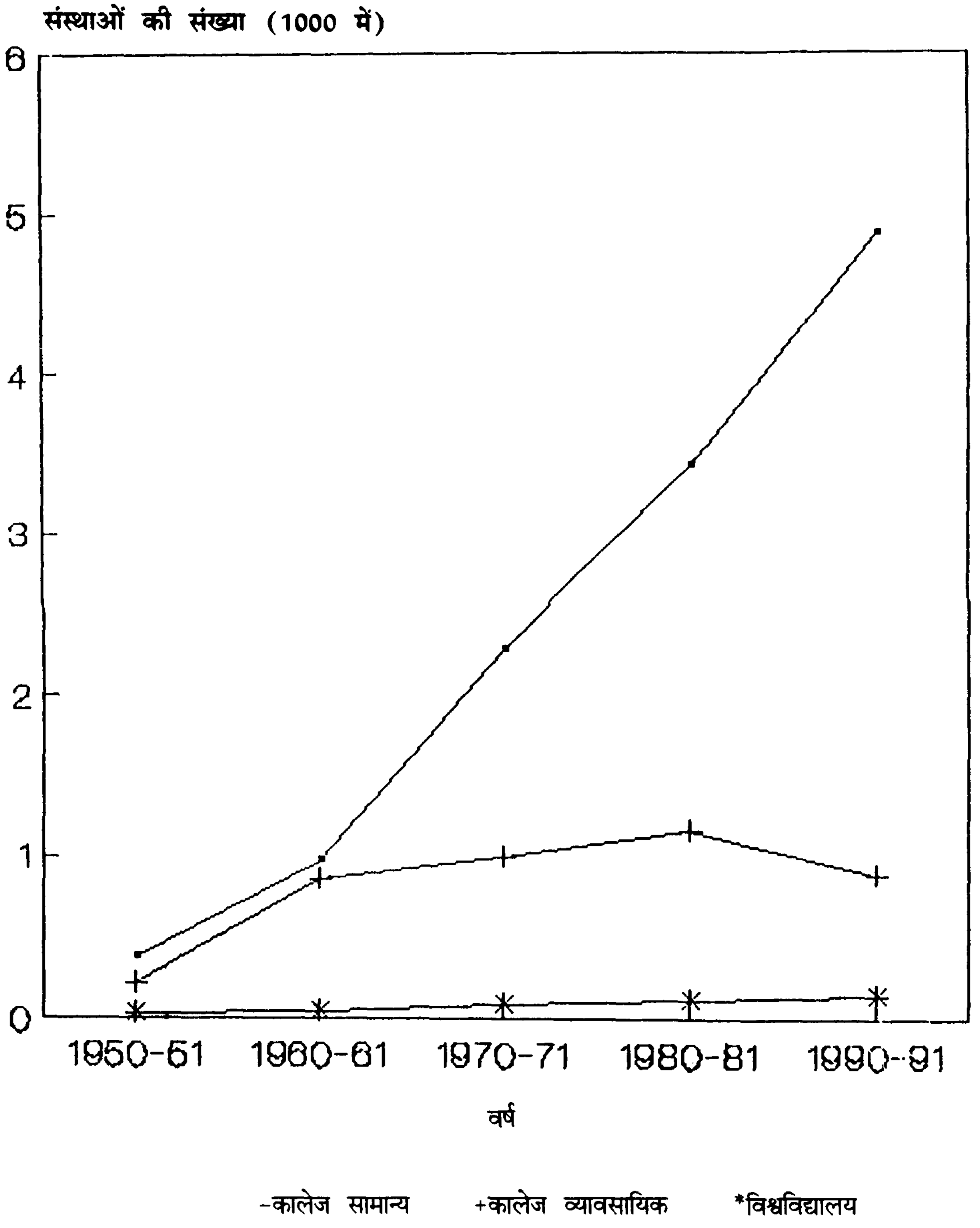

प्राइमरी कक्षाओं (I-V) में नामांकन

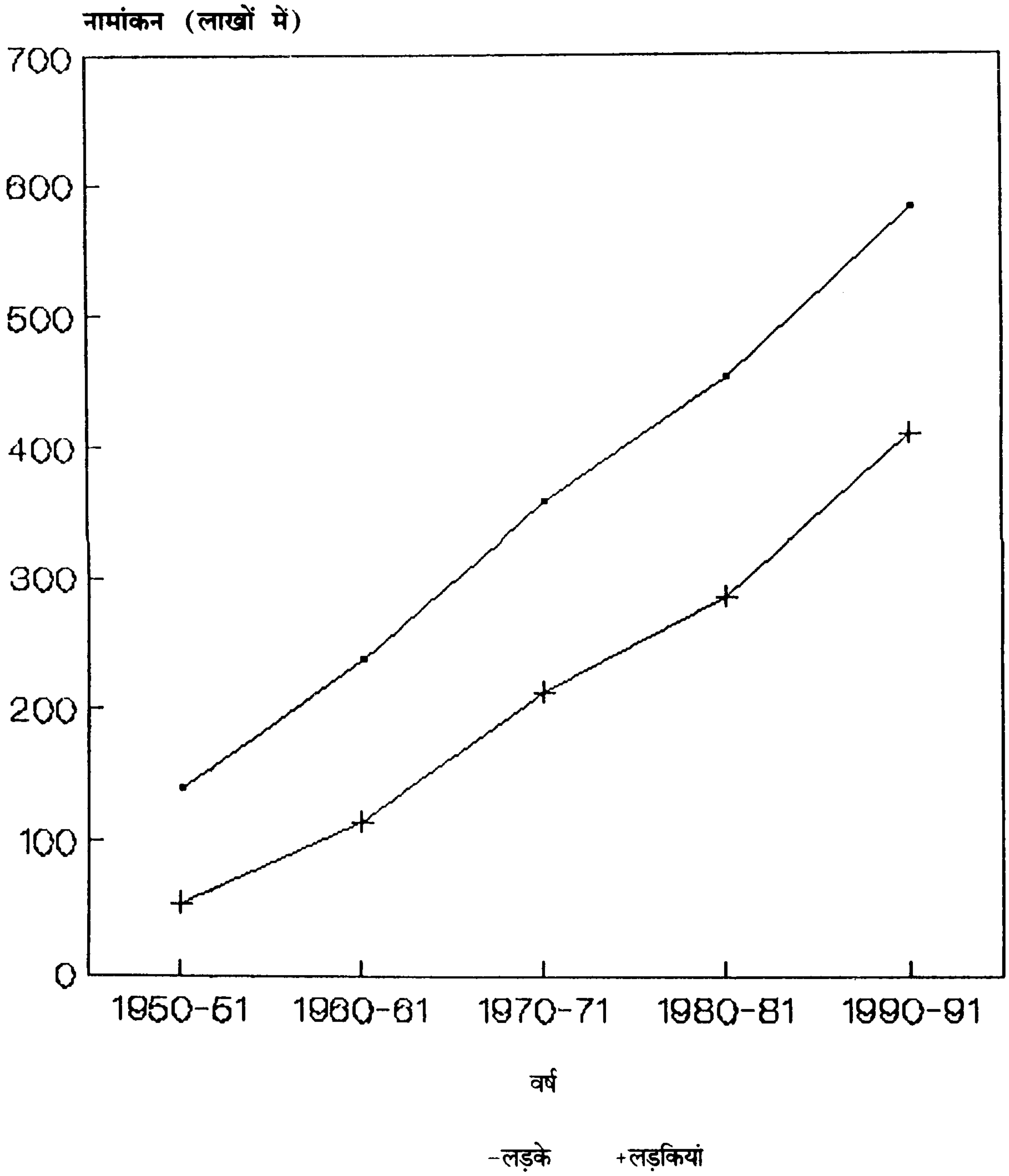

मिडिल की कक्षाओं
(VI-VIII)

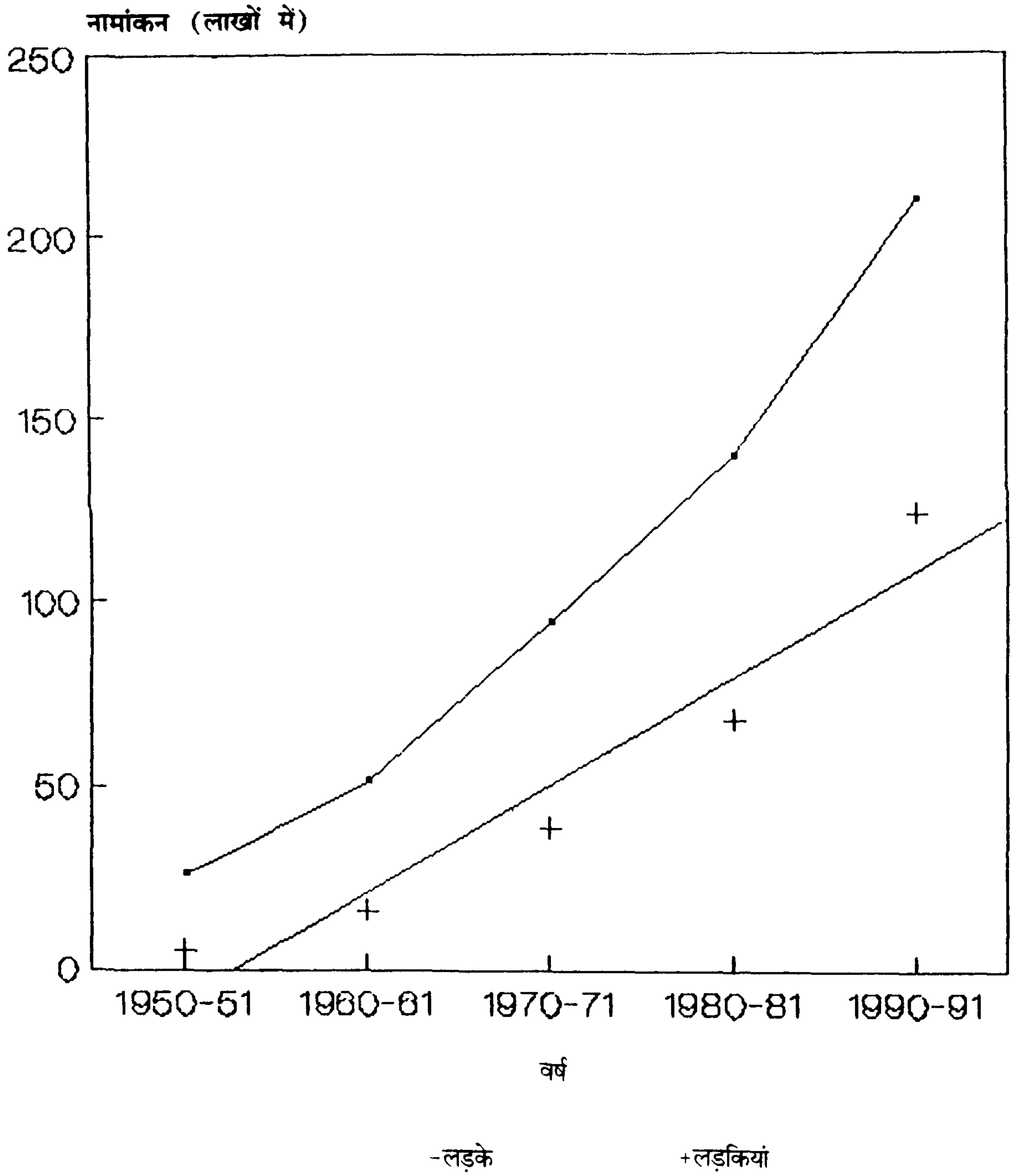

IX से XII तक की कक्षाओं में नामांकन

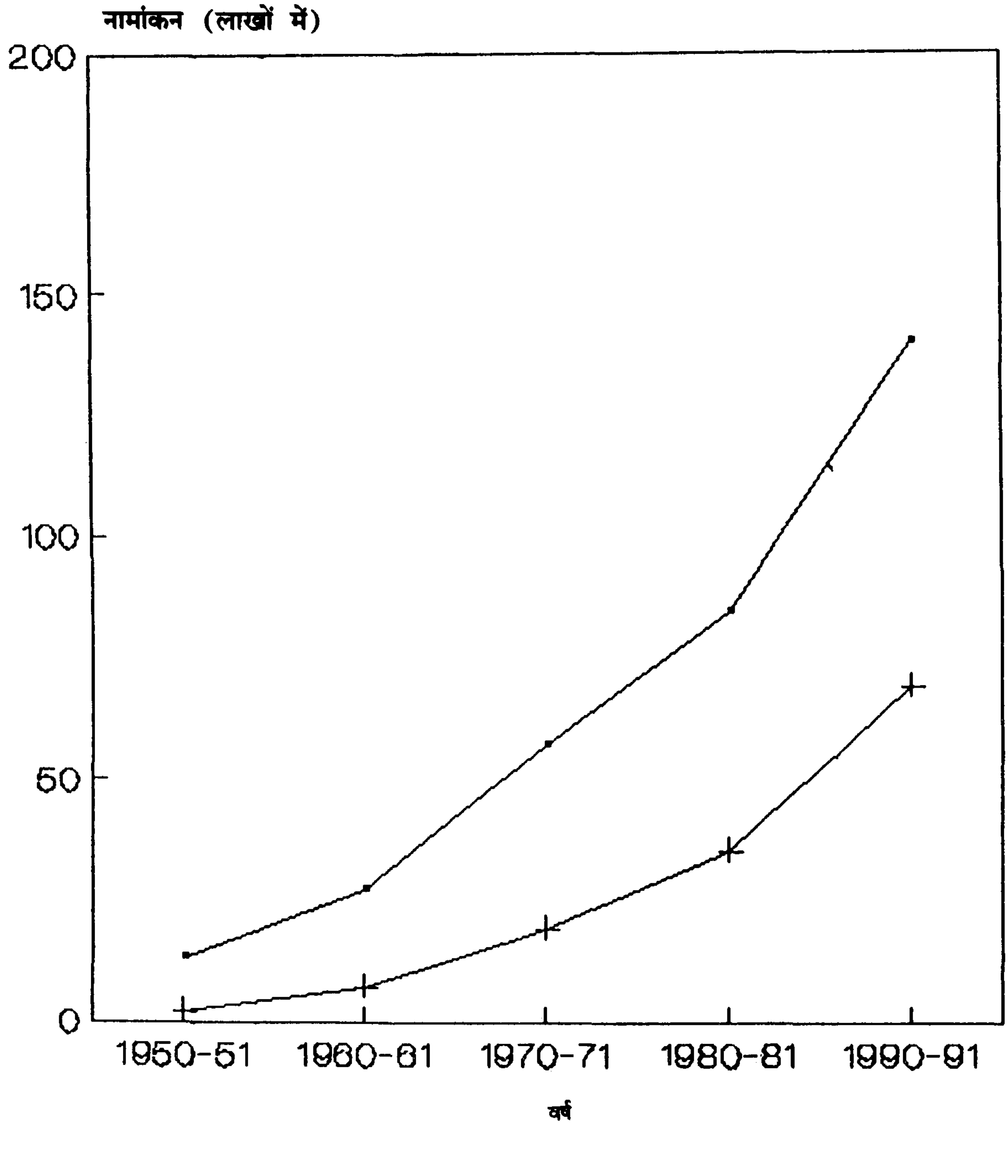

शिक्षकों का संवितरण
प्राइमरी स्कूल

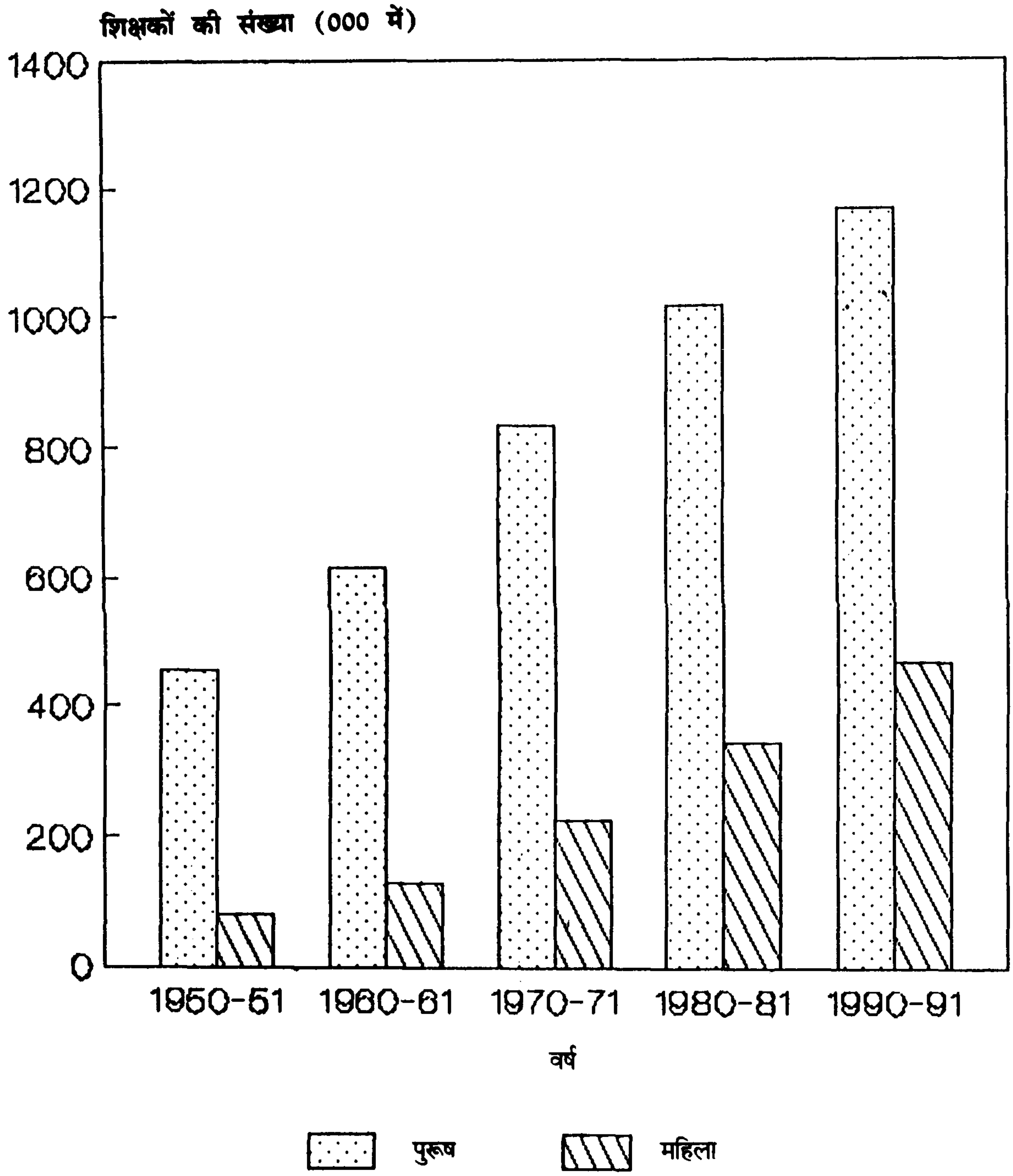

शिक्षकों का संवितरण
मिडिल स्कूल

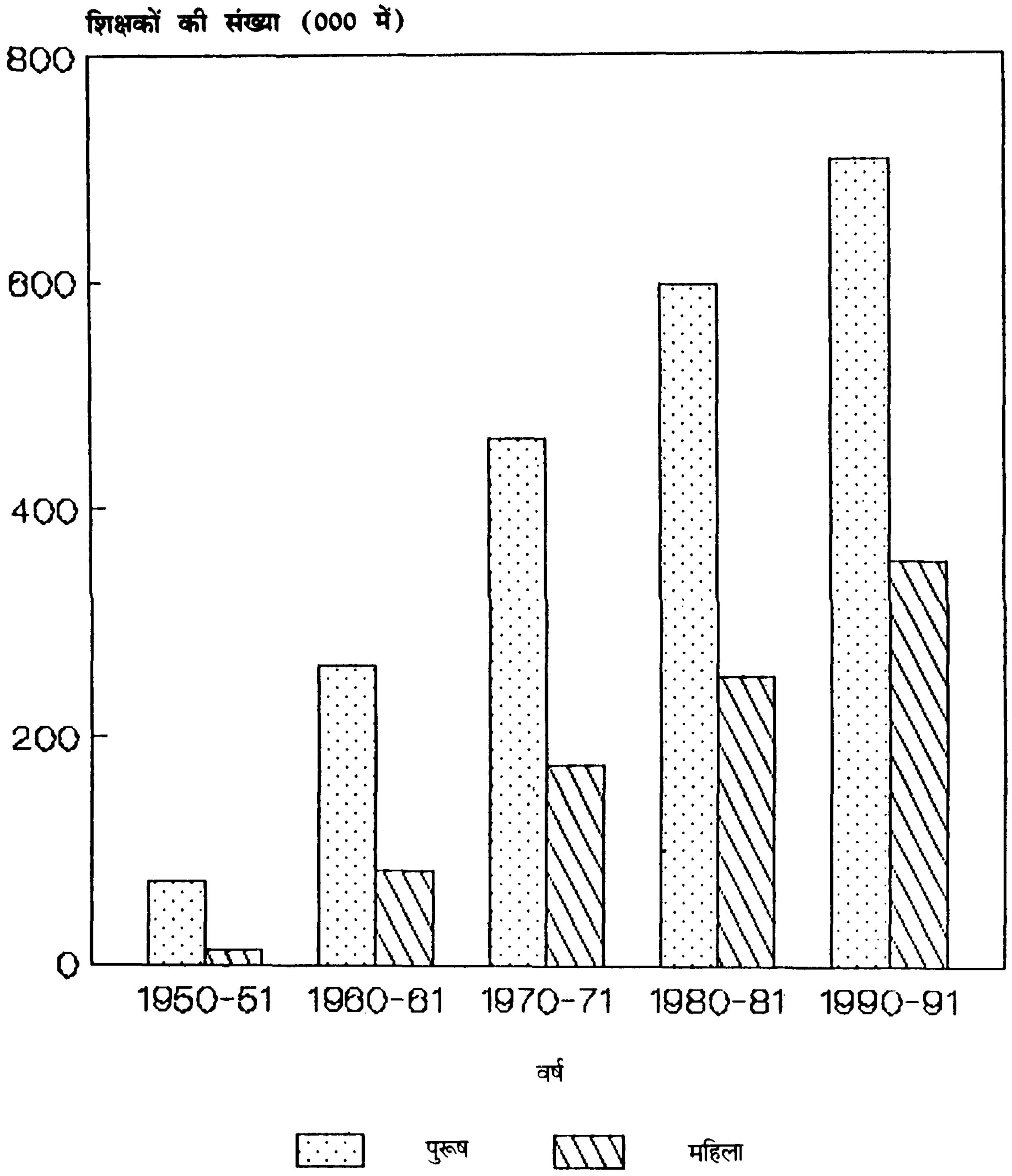

शिक्षकों का संवितरण
हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल

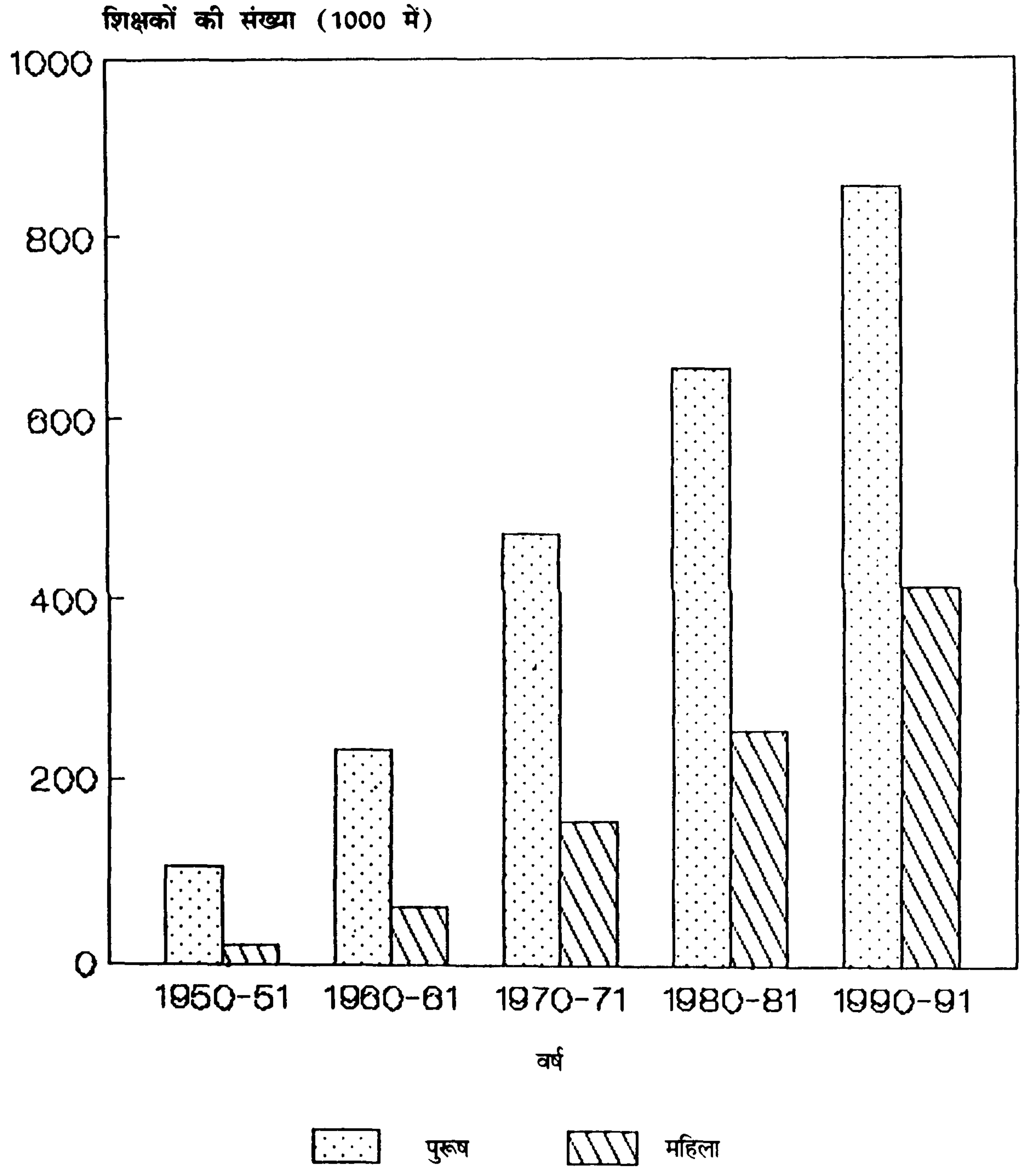

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आबंटन
(1990-91)

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आवंटन

(लाख रु०)

क्रमांक	विषय		योजनागत / गैर योजनागत	बजट प्राक्कलन 1991-92 मूल	बजट प्राक्कलन 1992-93 संशोधित
1	2	3	4	5	6
प्रारंभिक शिक्षा					
1.	आप्रेशन लेक बोर्ड	योजनागत	10000.00	17000.00	9914.00
2.	(I) 9-14 वर्ष के उम्र वर्ग के लिए गैर औपचारिक केन्द्र (संयुक्त)	योजनागत	4500.00	2400.00	4085.00
	(II) लड़कियों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र	योजनागत	3000.00	1600.00	2725.00
	(III) स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान	यो०	3000.00	1000.00	2200.00
			15.00	NIL	NIL
	(IV) एस०आई०डी०ए० की वित्तीय सहायता से राजस्थान में शुरू की गई शिक्षा कर्मी परियोजना	गै०यो० यो०	230.00	230.00	470.00
	(V) बिहार शिक्षा परियोजना	योजनागत	600.00	600.00	1200.00
	(VI) एन० सी० टी० ई०	योजनागत	100.00	30.00	50.00
	(VII) सूक्ष्म आयोजना का प्रचालन	योजनागत	—	—	86.00
	(VIII) यू०ई०ई० का अनुश्रवण		—	—	300.00
	(IX) अध्यकर्ताओं की उपलब्धि का सुधार		—	—	200.00
	(X) लोक जलम्बिश विश्व बैंक सहायतार्थ		—	10.00	200.00
	(XI) यू०पी० परियोजना		—	—	10.00
	(XII) दक्षिणी उड़ीसा परियोजना		—	—	10.00
3.	शिक्षक शिक्षा				
	(i) स्कूली शिक्षकों के लिए जन अवस्थापन कार्यक्रम				
	(ii) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण	योजनागत	6424.00	4000.00	6450.00
	(iii) शिक्षक शिक्षा कालेज और शिक्षा के लिए उच्च अध्ययन संस्थान				
	(iv) राज्य शैक्षिणिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (एस०सी०आई०आर०टी०)				
माध्यमिक शिक्षा					
1.	शिक्षा का व्यावसायिकरण	योजनागत	8900.00	6500.00	7900.00
2.	विकलांग बच्चों की समन्वित शिक्षा	योजनागत	400.00	400.00	350.00
3.	योग	योजनागत	80.00	80.00	60.00
		गैर-योजनागत	30.00	30.00	30.00
4.	राष्ट्रीय खुला विद्यालय	योजनागत	100.00	100.00	150.00
		गैर-योजनागत	46.00	46.00	46.00
5.	एन०सी०ई०आर०टी० के लिए अनुदान	योजनागत	350.00	203.72	300.00
		गैर-योजनागत	2282.00	2012.78	2220.00
6.	जनसंख्या	योजनागत	100.00	100.00	100.00
7.	विज्ञान शिक्षा	योजनागत	2397.00	1898.00	2198.00
8.	पर्यावरण शिक्षा	योजनागत	300.00	200.00	290.00
9.	शैक्षणिक प्रौद्योगिकी	योजनागत	1700.00	14.00.00	1400.00
		गैर-योजनागत	142.00	NIL	NIL
10.	सी०एल०ए०एस०एस०	योजनागत	600.00	600.00	600.00
11.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	गैर-योजनागत	16301.00	16301.00	16301.00
12.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	योजनागत	421.00	421.00	421.00

1	2	3	4	5	6
13.	नवोदय विद्यालय समिति	योजनागत	6000.00	7660.00	7500.00
		योजनागत	4450.00	4450.00	4450.00
उच्च शिक्षा और अनुसन्धान					
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	योजनागत	12800.00	14168.00	12400.00
		गैर-योजनागत	23820.00	26820.00	24709.00
2.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला	योजनागत	35.00	35.00	35.00
		गैर-योजनागत	110.50	109.00	110.50
3.	भारतीय दार्शनिक अनुसंन्धान परिषद	योजनागत	45.00	45.00	40.00
		गैर-योजनागत	65.00	55.00	65.00
4.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंन्धान परिषद	योजनागत	35.00	32.00	35.00
		गैर-योजनागत	130.00	130.00	130.00
5.	अखिल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	योजनागत	20.00	34.75	38.00
		गैर-योजनागत	17.85	17.85	19.00
6.	भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद	योजनागत	275.00	324.00	250.00
		गैर-योजनागत	424.25	424.25	424.25
7.	शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान	योजनागत	—	—	—
		गैर- योजनागत	61.25	61.25	65.00
8.	विश्वविद्यालय और कालेजों के शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन	योजनागत	7000,00	6000,00	6000.00
		योजनेतर			
9.	राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर	योजनागत	—	—	—
		योजनेगर	6.00	6.00	6.00
10.	पंजाब विश्वविद्यालय के लिए ऋण	योजनागत	50.00	50.00	50.00
		योजनेतर	—	—	—
11.	डा० जाकिर हुसैन मेमोरियल कालेज ट्रस्ट	योजनागत	20.00	20.30	25.00
		योजनेगर	6.30	6.30	6.30
12.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	योजनागत	10.00	10.00	12.00
		योजनेतर	12.15	22.15	12.15
13.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय	योजनागत	1900.00	657.00	1000.00
		योजनेतर	776.00	500.00	753.00
14	प्रशासन तंत्र को और सुदृढ़ करना	योजनागत	5.00	5.00	5.00
		योजनेतर	—	—	—
15.	राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद	योजनागत	1.00	1.00	5.00
		योजनेतर	—	—	—
16.	राष्ट्रीय परीक्षण सेवा	योजनागत	40.00	10.00	23.00
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग					
1.	ग. (5) भारत में यूनेस्कों प्रकाशनों के लिए आई. एन. सी. के रूप में पुस्तकालय का पूर्ण विकसित प्रलेखन और संदर्भ केन्द्र के रूप में पुनर्गठन	योजनागत	100.00	100.00	150.00
2.	ग 6(5) (6) यूनेस्को के लक्ष्यों और उद्देश्यों को और आगे बढ़ाने के लिए समितियों/परिषदों की बैठकें आयोजित करना				
3.	ग 6(5) (7) यूनेस्को कार्यक्रमों और कार्यकलापों में शामिल स्वैछिकसंगठनों को और सुदृढ़ करना	योजनागत	400.00	300.00	350.00
4.	ग (1) (2) ओरोविले प्रबंध	योजनागत	200.00	150.00	200.00
5.	बाध्य शैक्षिक संबंधों का सुद्रढ़ी करना	योजनागत	1000.00	1000.00	10000,00
6.	ग 6. 4(2) यूनेस्को कुरियर के हिन्दी और तमिल संस्करणों के प्रकाशन का खर्च	योजनागत	1800.00	1800.00	1800.00
7.	ग. 6(4) (9) अन्य भदे आई. एन. सी. के कार्यक्रम के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान	योजनेतर	30.00	25.00	25.00
8.	ग 6 (4) (9) अन्य भदे यूनेस्कों के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग	योजनेतर	65.00	60.00	60.00
9.	ग 6 (4) (9) अन्य भदे	संस्कार और मनोरंजन	5.00	5.00	5.00

1	2	3	4	5	6
10.	ग 6(4)(1) यूनेस्को को योगदान	योजनेतर	2350.00	29000.00	29700.00
		योजनेतर	500.00	500.00	500.00
11.	ग 6(4)(5) विदेशी शिष्ट मंडलों द्वारा भारत का दौरा	योजनेतर	500.00	500.00	500.00
12.	ग 6(4)(6) प्रतिनिधि मंडलों और शिष्ट मंडलों द्वारा विदेशों का दौरा	योजनेतर	600.00	1600.00	1600.00
पुस्तक प्रोन्नति और प्रतिलिप्याधिकार					
1.	क्षेत्रीय कार्यालय/पुस्तक केन्द्र	योजनागत	25.00	23.25	25.00
2.	नेहरू बाल पुस्तकालय	योजनागत	50.00	42.15	50.00
3.	आदान-प्रदान	योजनागत	10.00	4.65	9.00
4.	आर्थिक सहायता योजना	योजनागत	20.00	11.65	20.00
5.	पंजाबी में पुस्तकों का पुनः प्रकाशन	योजनागत	6.00	5.54	5.00
6.	सामान्य प्रौन्नति कार्यकलाप	योजनागत	25.00	24.05	30.00
7.	नेहरू भवन	योजनागत	5.00	5.00	5.00
8.	उत्तर साक्षरता शिक्षा के लिए प्रकाशन	योजनागत	15.00	12.75	10.00
9.	विद्यालय पस्तकालय कार्यक्रम के लिए प्रकाशन	योजनागत	8.00	2.80	4.00
10.	उच्च कोटि के साहित्य का प्रकाशन	योजनागत	3.00	1.90	2.00
11.	आई एस बी एन (एन ई आर सी)	योजनागत	1.00	0.01	Nil
12.	विदेशी विश्वविद्यालयों के पाठ्य पुस्तकों के पुनप्रकाशन हेतु सहयोग कार्यक्रम	योजनागत	2.00	2.00	2.00
13.	पुस्तक निर्यात प्रौन्नति कार्यकलाप	योजनागत	12.00	10.00	12.00
14.	पुस्तक निर्यात प्रौन्नति कार्यकलाप	योजनागत	1.00	1.00	2.00
15.	राष्ट्रीय लेखक सोसायटी की स्थापना	योजनागत	6.00	11.00	4.00
16.	नई बिक्री प्रोन्नति उपाय	योजनागत	2.00	1.25	3.00
17.	कार-बुक परियोजना	योजनागत	6.00	6.00	5.00
18.	स्वैच्छिक संगठनों के लिए आर्थिक सहायता तथा पुस्तक प्रोन्नति कार्यकलाप	योजनागत	2.00	2.00	2.00
19.	राष्ट्रीय पुस्तक विकस परिषद	योजनागत	168.00	153.53168.00	
20.	अनुरक्षण, अवस्थापना और प्रकाशन	गैर-योजनागत	42.00	30.95	42.00
21.	सामान्य प्रौन्नति कार्यकलाप	गैर-योजनागत	20.00	21.00	25.00
22.	डब्ल्यू आई पी ओ (वाइयो) के लिए भारत का अंशदान	गैर-योजनागत	2.00	2.00	2.00
23.	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार संघ (सेप)	गैर-योजनागत	50.00	50.00	5.00
24.	विश्व पुस्तक मेला	गैर-योजनागत	110.00	90.00	100.00
छात्रवृत्ति					
1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	योजनागत	285.00	285.00	285.00
2.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	योजनागत	14.20	14.20	14.20
3.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना-वट्टे खाते में डालना आदि	गैर-योजनागत	22.0022.00		22.00
4.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ऋण वापसी के संदर्भ में राज्य सरकार की 50% भागीदारी	गैर-योजनागत	35.00	25.00	55.00
5.	अजा/अज०जा की गुणवत्ता में स्तरोन्यन के लिए योजना	योजनागत			
6.	ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियां	योजनागत	85.00	35.00	60.00
7.	संस्कृत को छोड़कर अरबी, फारसी जैसी प्राचीन भाषाओं के अध्ययन में परंपरागत संस्थानों में शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए शोध छात्रवृत्ति	गैर-योजनागत	220.00	120.00	205.00
8.	अनुशंसित आवसीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्रवृत्तिं	गैर-योजना	34.10	34.10	34.10
भाषाओं की प्रौन्नति					
हिन्दी					
1.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	योजनागत	65.00	63.00	63.00
		योजनेतर	121.50	123.50	127.03
2.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग	योजनागत	16.00	18.00	18.00
		योजनेतर	50.00	51.00	52.20

1	2	3	4	5	6
3.	केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा	योजनागत	55.00	52.00	52.00
		योजनेतर	177.00	177.00	177.00
4.	हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण	योजनागत	260.00	185.00	185.00
5.	गैर-सरकारी संगठनों दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा और हिन्दी में	योजनागत	180.00	180.00	180.00
	प्रकाशित सहित की सहायता अन्य गै॰ स॰ सं॰	योजनेतर	102.50	102.50	102.50
6.	विदेशों में हिन्दी का प्रचार	योजनागत	20.00	20.00	20.00
		योजनेतर	11.00	11.00	11.00
7.	हिन्दी विश्वविद्यालय	योजनागत	5.00	1.00	1.00
आधुनिक भारतीय भाषाएं					
8.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान और जनजातीय भाषा विकास सहित	योजनागत	85.00	88.00	88.00
	इसके क्षेत्रीय भाषा केन्द्र।	योजनेत्तर	214.00	220.00	224.90
9.	गुजराल, समिति सहित तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड	योजनागत	70.00	70.00	70.00
		योजनेत्तर	42.00	43.00	43.37
10.	गैर सरकारी संगठनों (सिंधी, उर्दू	योजनागत	30.00	26.00	26.00
	और हिन्दी के अलावा) तथा यू॰एल	योजनेत्तर	10.00	10.00	10.00
	॰बी॰ को वित्तीय सहायता				
11.	सिंधी विकास बोर्ड, सिंधी भाषा में पुस्तकों के प्रकाशन के वित्त पोषण के लिए गैर स॰सं॰ को वित्तीय सहायता	योजनागत	10.00	10.00	10.00
12.	आधुनिक भाषा शिक्षक	योजनागत	100.00	41.00	41.00
	अंग्रेजी				
13.	अंग्रजी शिक्षक और जिला केन्द्र, आर॰ आई॰ई॰ और ई॰एल॰टी॰आई; इन संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने और इलैक्ट्रानिक जन माध्यम आदि के प्रयोग के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता	योजनागत	85.00	72.00	72.00
	संस्कृत				
1.	स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों, आर्दश संस्कृत महाविद्यालयों; शोध संस्थानों को अनुदान।	योजनागत	75.00	105.00	80.00
2.	श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	योजनागत	10.00	10.00	10.00
3.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को अनुदान	योजनागत	10.00	10.00	10.00
4.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली को अनुदान	योजनागत	151.00	110.00	151.00
5.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में संस्कृत का विकास	योजनागत	56.00	56.00	56.00
6.	राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान	योजनागत	45.00	45.00	45.00
7.	वैदिक पाठ की मौखिक परंपरा का परिरक्षण और अखिल भारतीय शिक्षा प्रतियोगिता	योजनागत	7.00	7.00	7.00
8.	श्रेण्य भाषा (अरबी और फारसी) के लिए अनुदान/छात्रवृत्तियां	योजनागत	14.00	14.00	15.00
1.	स्वै॰ संस्कृत संगठन, आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान को अनुदान	योजनेत्तर	95.00	120.00	95.00
2.	श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठों को अनुदान	योजनेत्तर	93.00	80.00	93.00
3.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति को अनुदान	योजनेत्तर	70.00	53.65	70.00
4.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को अनुदान	योजनेत्तर	315.00	258.85	315.00
	प्रौढ़ शिक्षा				
1.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता	योजनागत	2500.00	1500.00	1500.00

1	2	3	4	5	6
2.	नेहरू युवक केन्द्र संगठन	योजनागत	125.00	125.00	150.00
3.	उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा	योजनागत	1000.00	1000.00	1000.00
4.	प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ बनाना	योजनागत	500.00	595.00	700.00
5.	कार्यात्मक साक्षरता के जन कार्यक्रम	योजनागत	500.00	400.00	375.00
6.	प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	योजनागत	100.00	55.00	50.00
7.	स्वैच्छिक एजेन्सियां	योजनागत	1500.00	1200.00	1800.00
8.	श्रमिक विद्यद्यापीठ	योजनागत	100.00	119.00	130.00
9.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	योजनागत	110.00	144.00	250.00
10.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	योजनागत	10.00	10.00	10.00
11.	सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम	योजनागत	5.00	2.00	5.00
12.	विशेष परियोजना	योजनागत	5375.00	5150.00	5865.00
13.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	योजनागत	175.00	100.00	150.00
1	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना	योजनेत्तर	270.00	294.00	270.00
2.	साक्षरता गृह, लखनऊ	योजनेत्तर	17.20	16.84	17.08
3.	श्रमिक विद्यापीठ	योजनेत्तर	113.30	113.30	114.54
4.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	योजनेत्तर	124.00	128.00	133.00
5.	प्रिन्टिंग प्रसे	योजनेत्तर	3.50	2.86	3.38
6.	उत्तर साक्षरता	योजनेत्तर	30.00	—	30.00
	तकनीकी शिक्षा				
1.	**निर्देशन और प्रशासन**				
1.	राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति	योजनागत	100.00	50.00	100.00
	सूचना पद्धति (रा॰त॰ज॰सू॰प॰)	योजनेत्तर	50.00	57.00	50.00
	(डी॰7(2)				
2.	अ॰भा॰त॰शि॰परि॰ तथा इसकी	योजनागत	100.00	10.00	180.00
	समितियों/बोर्डों का पुनर्गठन,	योजनेत्तर	—	—	—
	पुनः संरचना और सुदृढ़ करना (डी॰1(3)				
3.	विद्यमान संस्थाओं को सुदृढ़ करना तथा गैर-सम्मिलित और अनियोजित	योजनागत	10.00	10.00	—
	क्षेत्रों के लिए नई संस्थाओं की स्थापना (डी॰1(2)	योजनेत्तर	—	—	—
II.	प्रशिक्षण				
4.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज	योजनागत	2400.00	1890.00	2400.00
	(क्षे॰इं॰का॰) डी॰ 6(2)	योजनेत्तर	2186.00	2072.00	2186.00
5.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण	योजनागत	250.00	233.00	250.00
	डी॰ 2(5) और डी॰ 2(6)	योजनेत्तर	508.00	495.00	508.00
6.	केन्द्रीय संस्थान				
	— तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	योजनागत	500.00	330.00	600.00
	डी॰ 2(1)	योजनेत्तर	490.70	372.00	501.90
	— राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्र॰सं॰	योजनागत	150.00	150.00	150.00
	(रा॰औ॰इं॰प्र॰सं॰) डी॰ 2(2)	योजनेत्तर	266.30	268.00	266.20
	— राष्ट्रीय ढलाई एवं भट्ठी प्रौ॰सं॰	योजनागत	100.00	100.00	100.00
	(रा॰ढ॰ एवं प्रौ॰सं॰) डी॰ 2(3)	योजनेत्तर	117.60	117.60	117.60
	— आयोजना एवं वास्तुकला स्कूल	योजनागत	250.00	250.00	250.00
	(आ॰एव॰वा॰ स्कूल) डी॰ 2(4)	योजनेत्तर	180.00	170.00	180.00
III.	अनुसंधान				
7.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	योजनागत	1500.00	1640.00	1600.00
	(भा॰प्र॰सं॰) डी॰ 6(1) से डी॰ 6(1)(5) तक	योजनेत्तर	9388.30	9438.80	9481.10
8.	भारतीय प्रबंध संस्थान	योजनागत	900.00	800.00	800.00
	(भा॰प्र॰सं॰) डी॰ 6(4)(1) से डी॰ 6(4)(4)	योजनेत्तर	959.20	959.00	959.20
9.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का विकास	योजनागत	110.00	50.00	100.00
		योजनेत्तर	400.00	400.00	400.00
10.	गैर विश्वविद्यालय केन्द्रों पर प्रबंध शिक्षा पाठ्यक्रमों का	योजनागत	30.00	1.00	40.00
	विकास डी॰ 6(3)	योजनेत्तर	9.85	—	10.35

1	2	3	4	5	
11.	संस्थागत नेटवर्क योजना	योजनागत	100.00	100.00	—
	डी॰ 7(1)(1)	योजनेत्तर	—	—	—
12.	अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केन्द्र	योजनागत	1.00	10.00	10.0
	(अ॰वि॰प्रौ॰शि॰ केन्द्र) डी॰ 3(2)	योजनेत्तर	. —	—	—
13.	चुनिंदा उच्च तकनीकी संस्थाओं में शोध और विकास,	योजनागत	350.00	350.00	250.0
	डी॰ 3(4)	योजनेत्तर	—	—	—
14.	सामुदायिक पालिटेक्निक	योजनागत	200.00	200.00	300.0
	डी॰ 5(1)	योजनेत्तर	165.00	175.00	184.9
15.	आधुनिकीकरण और अप्रचलों को दूर करना	योजनागत	3300.00	3000.00	3000.0
	डी॰ 6(5)(3)	योजनेत्तर	—	—	—
16.	तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र				
	(i) प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, सुविधाओं का	योजनागत	800.00	731.00	750.00
	सुदृढ़ीकरण जहां कमी विद्यमान है। डी॰ 6(5)(1)	योजनेत्तर	—	—	—
	(ii) उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा	योजनागत	900.00	900.00	900.00
	संबंधी सुविधाओं का सृजन। डी॰ 6(5)(2)	योजनेत्तर	220.00	220.00	220.00
	(iii) नए और उन्नत प्रौद्योगिकी के कार्यक्रम जो विशिष्ट	योजनागत	800.00	800.00	750.00
	क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों की पेशकश करते हैं। डी॰ 2(8)	योजनेत्तर	—	—	—
17.	संस्था-उद्योग अन्योन्य क्रिया	योजनागत	100.00	80.00	80.00
	डी॰ 6(6)	योजनेत्तर	—	—	—
18.	सतत शिक्षा डी॰ 6(7)				
	(iv) अन्य योजनाएं	योजनागत	149.00	65.00	100.00
		योजनेत्तर	—	—	—
19.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, असम	योजनागत	300.00	340.00	800.00
	डी॰ 6(1)(6) और एफ 3(15)(1)	योजनेत्तर	—	—	—
20.	लोंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान	योजनागत	500.00	800.00	500.00
	डी॰ 7(6)	योजनेत्तर	—	—	—
21.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाएं	योजनागत	2200.00	2230.00	2200.00
	डी॰ 4(1)	योजनेत्तर	—	—	—
22.	भारत शैक्षिक परामर्शदाता लि॰	योजनागत	10.00	10.00	—
	(भा॰रा॰शै॰सं॰) एवं ए॰ए॰ 1(1)	योजनेत्तर	—	—	—
23.	सुपर संगणक आई॰आई॰एस॰सी॰ बंगलौर डी॰ 4(2)	योजनागत	220.00	732.00	600.00
24.	राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड डी॰ 1(4)	योजनागत	15.00	1.00	20.00
		योजनेत्तर	—	—	—
25.	स्टाफ विकास एवं प्रशिक्षण डी॰ 2(9)	योजनागत	5.00	1.00	18.00
		योजनेत्तर	—	—	—
26.	प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान डी॰ 3(5)	योजनागत	5.00	1.00	20.00
		योजनेत्तर	—	—	—
27.	व्यावसायिक निकायों को सहायता डी॰ 7(7)	योजनागत	5.00	1.00	20.00
		योजनेत्तर	—	—	—
28.	तकनीशियन शिक्षा को विश्व बैंक परियोजना सहायता	योजनागत	60.00	25.00	30.00
	डी॰ 3(3)(1)	योजनेत्तर	—	—	—
29.	क्षेत्रीय कार्यालय डी॰ 1(1) — डी॰ 1(3)	योजनेत्तर	46.40	46.40	50.00
30.	कोटि कोटि प्रचार कार्यक्रम डी॰ 2(7)	योजनेत्तर	190.40	290.40	290.00
31.	विदेश जाने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को आरंभिक वित्तीय	योजनेत्तर	2.00	1.00	2.00
	सहायता (आ॰वि॰स॰) डी॰3(3)				
32.	भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी (भा॰त॰शि॰सी॰) डी॰ 7(3)	योजने	0.60	0.50	0.60
33.	ए॰आई॰टी॰, बैंकाक डी॰ 7(4)	योजने	12.15	12.00	12.15
34.	सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिनिधि मंडल	योजने	1.00	0.50	1.00
35.	तकनीकी संस्थाओं के शिक्षकों के वेतनमान का संशोधन /	योजने	[illegible]50.00	850.00	300.00
	राज्य / संस्थाओं के कालेजों को सहायता एफ (8)(1)				

NIEPA DC
D06818